48 वां
वार्षिक प्रतिवेदन
2023-24

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

शेड्यूल– ए, मिनीरत्न श्रेणी–1, भारत सरकार का उद्यम

एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

दोयांग एचपीएस का 92 मीटर ऊंचा रॉक फिल बांध

त्रिपुरा - सोलर ऐरे एरिया

विषय सूची

1.	निदेशकों का संक्षिप्त विवरण	6
2.	अध्यक्ष का अभिभाषण	10
3.	वर्ष 2022-23 हेतु निदेशकों का प्रतिवेदन	13
4.	सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण (फॉर्म संख्या एओसी-1) **(अनुलग्रक-1)**	47
5.	कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट (अनुलग्रक-2)	48
6.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्रक-3)	63
7.	व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट **(अनुलग्रक-4)**	102
8.	कॉर्पोरेट प्रशासन प्रमाणपत्त **(अनुलग्रक-5)**	139
9.	सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्न **(अनुलग्रक-5बी)**	140
10.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतल लेखा परीक्षक की रिपोर्ट **(अनुलग्रक-6ए)**	140
11.	समेकित वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट **(अनुलग्रक-6बी)**	275
12.	मामलों के गुरुत्व पर स्वतंत्ल लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन का उत्तर **(अनुलग्रक-6सी)**	404
13.	भारत के नियलक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ **(अनुलग्रक-7)**	407
14.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **(अनुलग्रक-8ए)**	408
15.	वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाई गई सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर **(अनुलग्रक-8बी)**	412
16.	ऊर्जा संरक्षण, तकनीक स्वीकरण, विदेशी विनिमय आय एवं जावक **(अनुलग्रक-9)**	413
17.	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण **(अनुलग्रक-10)**	417

वार्षिक प्रतिवेदन
2023–24

संदर्भित सूचना

पंजीकृत कार्यालय :

ब्रुकलैंड कम्पाउंड,
लोअर न्यू कॉलोनी, लाइतुम्ख्राह,
शिलांग - 793 003,
मेघालय

सांविधिक लेखापरीक्षक :

आर.एन. गोयल एंड को.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

लागत लेखापरीक्षक :

मेसर्स निरन एंड कंपनी, लीड लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखापरीक्षक

सचिवीय लेखापरीक्षक :

मैसर्स नारायण शर्मा एण्ड एसोसिएटस
कंपनी सचिव

कंपनी सचिव:

श्री अबिनोम पनू रोंग

बैंक :

भारतीय स्टेट बैंक
एक्सिस बैंक
केनरा बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडियन बैंक
यस बैंक

बॉन्ड के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

कार्वी फिनटेक प्रा. लि.,
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लाट नम्बर 31 एवं 32,
फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट गाचीबोवली,
हैदराबाद - 500 032

ऋणपत्र न्यासी :

एसबीआईसीएपी ट्रस्टीज कंपनी लि.,
202, मेकर टावर 'ई'
कॉफी परेड
मुंबई - 400 005
टेलीफोन नम्बर : 022-4302 5555
फैक्स नम्बर : 022-4302 5500
ई-मेल : dt@sbicaptrustee.com;

सीआईएन :

U40101ML1976GOI001658

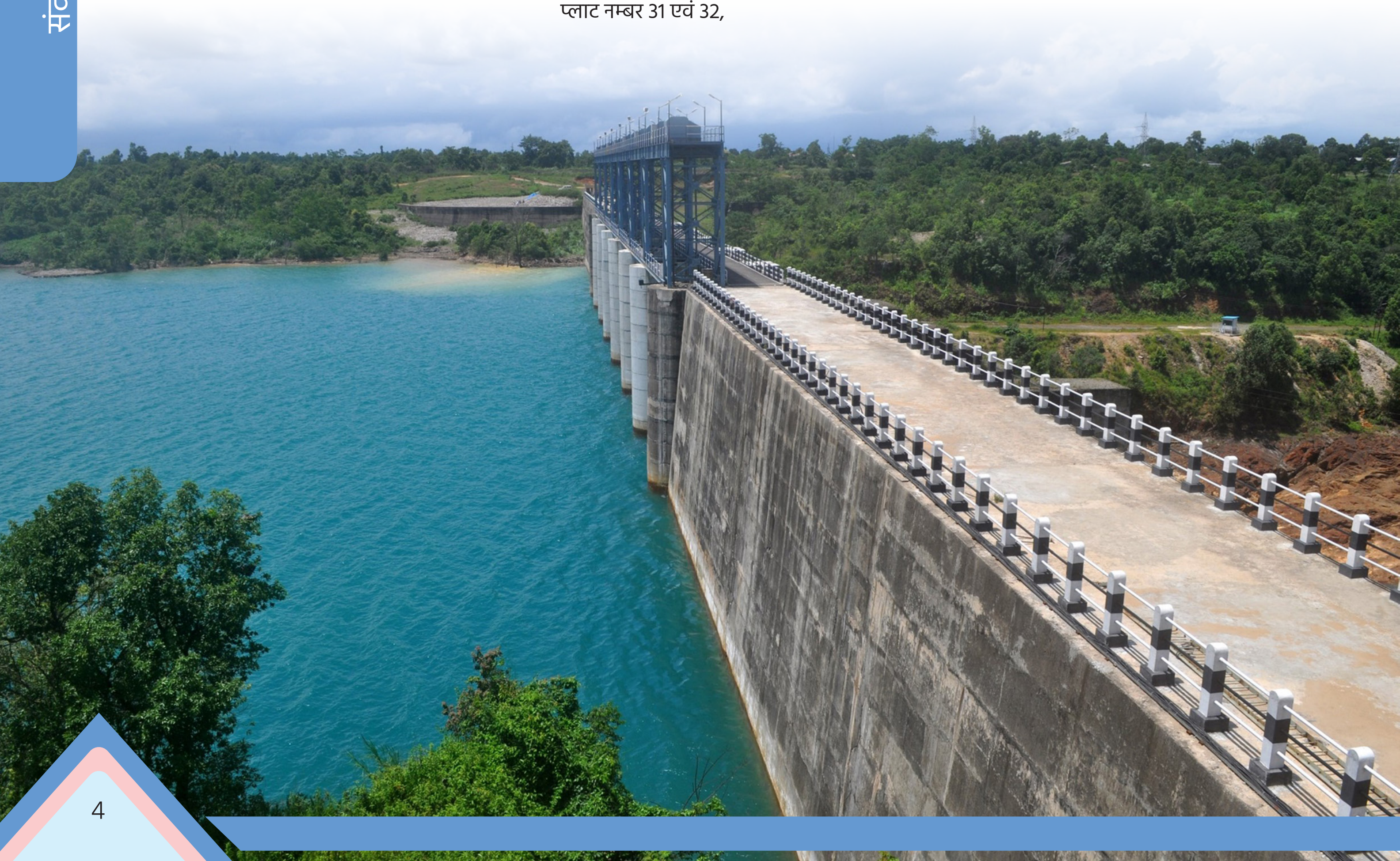

विजन

सशक्त पर्यावरण जागरुकता के साथ देश की एक अग्रणी एकीकृत विद्युत ऊर्जा कंपनी बनना।

लक्ष्य

परम्परागत तथा गैर परम्परागत ऊर्जा श्रोतों के माध्य से देश के विशाल विद्युत शक्यता का दोहन तथा पर्यावरण को न्यूनतम रुप में प्रभावित करते हुए विद्युत परियोजनाओं के सभी पहलुओं जैसे अंवेषण, योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन तथा परियोजनाओं के रखरखाव के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हुए देश के विकास को समग्र रुप में आगे बढ़ाना।

कॉर्पोरेट उद्देश्य

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में धारणी विकास के लिए विशाल जल एवं ताप ऊर्जा शक्यता का जिम्मेदारी पूर्वक दोहन।
- उदारीकरण तथा वैश्वीकरण पर्यावरण में प्रतिस्पर्धात्मक होना।
- पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास को प्रोन्नत करना ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता, संपन्नता को बढ़ाया जा सके।
- आधारभूत, चिकित्सा, स्कूल आदि की सुविधा उपलब्ध कराना तथा उत्पादनपरक अवसर के वातावरण का सजन।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा भारत की बिजली आवश्यकता को पूरा करना।
- पड़ोस के सामजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
- मानव संसाधनों का विश्व स्तर पर विकास करना।

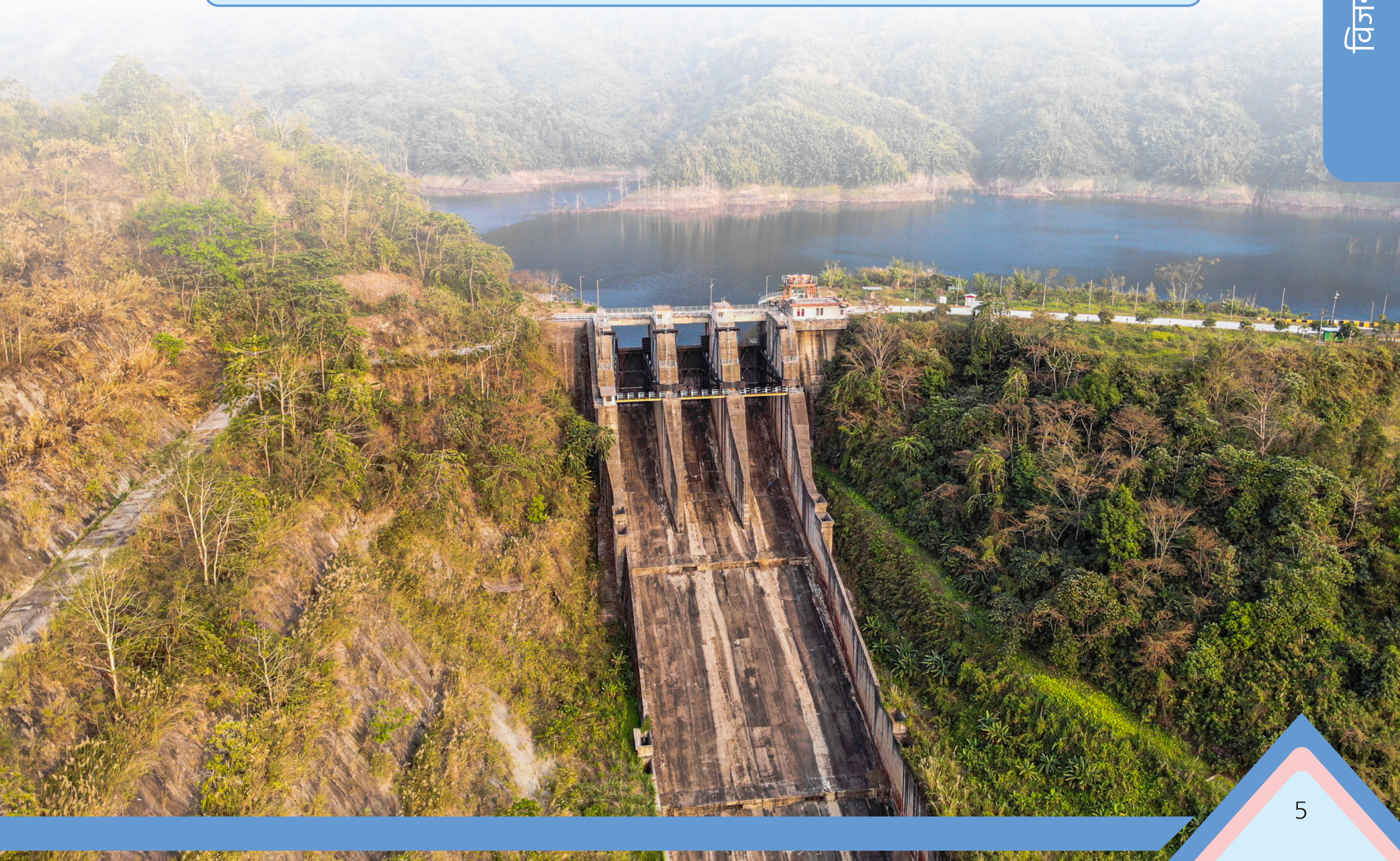

वर्तमान निदेशकों का प्रोफाइल

श्री गुरदीप सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:00307037)

श्री गुरदीप सिंह, एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2016 से हैं और उन्होंने नीपको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 1 जून, 2023 को संभाला है।

एनटीपीसी में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, श्री गुरदीप सिंह गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे।

विद्युत क्षेत्र में उनका तीन दशक से अधिक का शानदार कैरियर है। आपने 1987 में एनटीपीसी में प्रशिक्षु अभियंता के रूप में अपना करियर प्रारम्भ किया एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

आपने एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और आईआईएम अहमदाबाद से प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम पूरा किया है। आपने सैड बिजनेस स्कूल-ऑक्सफोर्ड (यूके) , हार्वर्ड-कैनेडी स्कूल (यूएसए) , डार्डन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट-वर्जीनिया (यूएसए) , सिंगापुर सिविल सर्विसेज कॉलेज (सिंगापुर) और आईएसबी हैदराबाद (भारत) जैसे प्रसिद्ध वैश्विक संस्थानों से प्रबंधन और नेतृत्व संबंधी जानकारी भी प्राप्त की है।

आप ग्लोबल नेट ज़ीरो ट्रांज़िशन में कोयले पर आईईए के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य हैं और स्वच्छ ऊर्जा मंत्रीस्तरीय एच2I सलाहकार समूह के भी सदस्य हैं। आपने बी20 इटली 2021 में सह-अध्यक्ष के रूप में ऊर्जा और संसाधन दक्षता पर कार्यबल के लिए कार्य किया।

आपने एनटीपीसी के विकास को बनाए रखने और एक प्रमुख वैश्विक ऊर्जा कंपनी के रूप में एनटीपीसी की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए कई पहल शुरु की हैं। आपने एनटीपीसी को ऊर्जा परिवर्तन के मामले में सबसे अग्रणी रखा है और आक्रामक नवीकरणीय वृद्धि, हरित हाइड्रोजन, अधिग्रहण, बायोमास, वेस्ट-टू-वेल्थ, सीसीयू, वैश्विक उपस्थिति आदि एवं एक "कोयला आधारित बिजली उत्पादन कंपनी" से "सतत एकीकृत ऊर्जा कंपनी" तक जैसी कई पहल शुरु की हैं।

प्रतिस्पर्धी बढ़त बढ़ाने में उनके मजबूत इरादे ने एनटीपीसी को विभिन्न निविदाएं जीतने में मदद की और एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अहम अग्रणी/दावेदार के रुप में उभरा है। पर्यावरणीय फूटप्रिंट को कम करने, स्थिरता के प्रयासों को अधिकतम करने और 'कम लागत वाले कम उत्सर्जन' के एक केंद्रित दृष्टिकोण को भारत में सभी के लिए स्वच्छ एवं सस्ती बिजली के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संरेखित करने और कोयले की अदला-बदली, सस्ते स्टेशनों के शेड्यूलिंग में प्राथमिकता और शेड्यूलिंग योजनाओं में लचीलापन, माल ढुलाई की अवधारणा में मदद करता है।

श्री बैद्यनाथ महाराणा
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन: 09263864)

श्री बैद्यनाथ महाराणा ने नीपको के निदेशक (वित्त) का पदभार 10 सितंबर 2021 को संभाला। निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे नीपको में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर थे। आप भारत के लागत लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं। उनके पास सॉफ्टवेयर कमर्शियल एप्लिकेशन में डिप्लोमा भी है और वे उत्कल विश्वविद्यालय से भौतिकी ऑनर्स के साथ स्नातक हैं। उन्होनें वर्ष 1993 में नीपको में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और विभिन्न संवर्गों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। सॉफ्टवेयर विकास में अपनी विशेषज्ञता के साथ, उन्होंने निगम में वित्तीय सॉफ्टवेयर डिजाइन और कार्यान्वित किया है। उनका अनुभव बहुआयामी है और इसमें परियोजना लेखा, अनुबंध प्रबंधन और वित्त सहमति, निधि प्रबंधन, ट्रेज़री प्रबंधन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, बजटीय नियंत्रण और एमआईएससी, समझौता ज्ञापन, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि शामिल हैं। उन्होंने स्वयं को निधि प्रबंधन और संविदात्मक मामलों में एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में वित्तीय क्षेत्र में निगम ने अपनी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है और सबसे न्यूनतम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण जुटाए हैं।

श्री रनेन्द्र शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएन: 10048417)

श्री रनेन्द्र शर्मा ने दिनांक 18-04-2023 को नीपको के निदेशक (तकनीकी) के पद का प्रभार संभाला है। निदेशक (तकनीकी) के पद पर पदभार ग्रहण करने से पहले, आप नीपको में कार्यपालक निदेशक(पीएबीडी) , कार्यपालक निदेशक-परियोजनाएं(हाइड्रो) , कार्यपालक निदेशक (अरुणाचल) आदि जैसे विभिन्न वरिष्ठ स्तर के पदों पर थे। आप आईएसआरएम, आईटीए आदि जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों के सदस्य हैं। श्री रनेन्द्र शर्मा के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। उन्हें जलविद्युत ऊर्जा परियोजना की जांच, योजना, डिजाइन और निष्पादन में 33 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त हुआ है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित एक दर्जन लेखों का लेखन/सह-लेखन किया है। आपने उप-समिति सदस्य के रूप में विभिन्न बीआईएस कोड तैयार करने में योगदान दिया है।

मेजर जनरल राजेश कुमार झा,
एवीएसएम** (सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक)
(डीआईएन::10305647)

मेजर जनरल राजेश कुमार झा दिनांक 25-09-2023 को नीपको के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार ग्रहण किए।

भारतीय सेना के एक उच्च पदस्थ अधिकारी, जनरल झा ने 38 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के साथ कई अद्वितीय और उत्कृष्ट पेशेवर कार्य किए हैं। रणनीतिक संचालन, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्र की रणनीतिक संपत्तियों के संचालन के विशेषज्ञ, जनरल झा ने 14 दिसंबर 1985 को यूनिफ़ोर्म्ड फोर्स में अपनी यात्रा शुरु की और उन्हें बॉम्बे सैपर्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया।

देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक शेरवुड कॉलेज, नैनीताल के पूर्व छात्र जनरल झा ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी में अपने प्रारंभिक वर्षों में अपने नेतृत्व गुणों और कौशल को निखारा। अपने पेशेवर सफर के हिस्से के रूप में, उन्होंने सभी अनिवार्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और नियुक्तियों को बड़ी विशिष्टता के साथ पूरा किया है। उनमें से प्रमुख हैं डीएसएससी वेलिंगटन से प्रतिष्ठित स्टाफ कोर्स, आर्मी वॉर कॉलेज, महू से हायर कमांड कोर्स और तुर्की के अंकारा में नाटो इंस्टीट्यूट में साइबर आतंकवाद का कोर्स।

आपको 26 जनवरी 2021 को भारत के सामरिक बल कमान के रखरखाव और संचालन में अपार योगदान के लिए 'अति विशिष्ट सेवा पदक' (एवीएसएम) से सम्मानित किया गया है। आपके शानदार करियर की हालिया उपलब्धि 26 जनवरी 2024 को आपकी असाधारण सेवा के लिए दूसरी बार 'बार टू अति विशिष्ट सेवा पदक' (एवीएसएम) से सम्मानित किया गया है।

श्री पीयूष सिंह,
संयुक्त सचिव (थर्मल)
विद्युत मंत्रालय,
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(डीआईएन:07492389)

श्री पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव (थर्मल) , विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र कैडर के 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

श्री पीयूष सिंह ने आईआईटी दिल्ली से बी.टेक (सिविल) किया है। आपने जिला प्रशासन,सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया है। आपने उत्तराखंड में योजना विभाग, देहरादून में भी कार्य किया। आपके पास लोक प्रशासन और योजना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

आप 20-02-2024 को नीपको के बोर्ड में शामिल हुए।

श्री शंभू नाथ त्रिपाठी
एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक
(डीआईएन:10428360)

श्री शंभू नाथ त्रिपाठी वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) और आरईडी (हाइड्रो) के पद पर कार्यरत हैं। विद्युत क्षेत्र में आपका अनुभव ओएंडएम के साथ-साथ परियोजना प्रबंधन में पिछले 35 वर्षों से अधिक है।

वर्तमान में, कार्यपालक निदेशक परियोजना प्रबंधन के रूप में, आप एनटीपीसी के परियोजना पोर्टफोलियो (12 गीगावाट से अधिक निर्माणाधीन और लगभग 6 गीगावाट की आगामी परियोजनाएं और 60 गीगावाट से अधिक एफजीडी परियोजनाएं) का प्रबंधन कर रहे हैं। आपको क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (हाइड्रो) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जहां आप ऊर्जा भंडारण व्यवहार्यता विश्लेषण का सक्रिय रुप से संचालन कर रहे हैं तथा एनटीपीसी के लिए पंप भंडारण संयंत्रों के तीव्र निष्पादन और भविष्य की क्षमता वृद्धि पर कार्य कर रहे हैं।

कार्यपालक निदेशक (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) के पद पर नियुक्ति से पहले, आप एनटीपीसी बाढ़ (3300 मेगावाट) के बिजनेस यूनिट हेड के रूप में कार्य किए है, जो एनटीपीसी द्वारा किए गए सबसे चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रोजेक्ट में से एक है। उन्होंने मेजा (2x660 मेगावाट) , बीआरबीसीएल (4x250 मेगावाट) जैसी अन्य चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं का भी सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है। आपका मानना है कि प्रबंधन शैली समाधान उन्मुख सहयोगी दृष्टिकोण पर आधारित है।

आप दिनांक 15-12-2023 को नीपको के बोर्ड में शामिल हुए।

श्री वीरेंद्र मलिक
एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक
(डीआईएन: 10427762)

श्री वीरेंद्र मलिक, कार्यपालक निदेशक (वित्त) , एनटीपीसी लिमिटेड, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की है। श्री वीरेंद्र मलिक के पास एसएपी/ईआरपी और सिस्टम विकास, लेखा, लागत निर्धारण, कराधान, परियोजना वित्तपोषण, कर्मचारी और विक्रेता भुगतान, व्यवसाय विकास और वाणिज्यिक गतिविधियों सहित वित्त से संबंधित मामलों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। श्री वीरेंद्र मलिक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में जाने से पहले एनटीपीसी विंध्याचल में एनटीपीसी के वित्त स्कंध, साझा सेवा केंद्र का नेतृत्व किया है।

आप दिनांक 31-07-2024 को नीपको के बोर्ड में शामिल हुए।

श्री बिमल चंद ओसवाल
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन:03286483)

श्री बिमल चंद ओसवाल सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से बीकॉम (ऑनर्स) स्नातक हैं और सुरेंद्र नाथ लॉ कॉलेज, कोलकाता से एलएलबी में स्नातक भी हैं। आप राइनो रिसर्च प्रोडक्ट्स, धुबरी (एक आयुर्वेदिक औषधि निर्माता इकाई) के मुख्य कार्यपालक हैं। इसके अलावा, श्री बिमल चंद ओसवाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया आयुष कंसोर्टियम लिमिटेड, असम के निदेशक भी हैं। आप सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों में भी गहराई से शामिल है।

आप 10 नवंबर, 2021 को एक स्वतंत्र निदेशक के रुप में हमारे बोर्ड में शामिल हुए।

डॉ विवेक नंद पासवान
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 09397615)

डॉ विवेक नंद पासवान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से इतिहास में ऑनर्स स्नातक हैं। आपने धर्मशास्त्र और साहित्य में अपना आचार्य अध्ययन पूरा किया है। आपने अपनी पीएच.डी. भी पूरी की है और यूजीसी (नेट) परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉ. पासवान ने धर्मशास्त्र विभाग, के.एस.डी संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा में सहायक प्राचार्य के रुप में काम किया है। आप केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के पूर्व पार्षद (सीनेट) सदस्य हैं। आप अन्य सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों में उत्सुकता से शामिल है। डॉ. पासवान ने हिंदी और संस्कृत साहित्य में पुस्तकें भी लिखी हैं।

आप 10 नवंबर, 2021 को एक स्वतंत्र निदेशक के रुप में हमारे बोर्ड में शामिल हुए।

अध्यक्षीय अभिभाषण

प्रिय सम्मानित सदस्यगण,

नीपको की 48वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बीते वर्ष पर विचार करते हुए, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी ने गतिशील ऊर्जा परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने में समुत्थान शक्ति और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया है।

वित्तीय और परिचालन संबंधी मुख्य विशेषताएं:

जल की उपलब्धता में कमी और गैस आपूर्ति की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, नीपको ने 8001 मिलियन यूनिट का सराहनीय बिजली उत्पादन हासिल किया। हमारी मजबूत परिचालन दक्षता 84.33% के बेहतर वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक से स्पष्ट होती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 81.61% से अधिक है।

हमने ₹ 426,422.83 लाख की कुल आय और ₹ 62,218.77 लाख का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया। मुझे इस वर्ष के लिए ₹ 54,812.21 लाख का अब तक का सबसे अधिक कर-पश्चात लाभ (पीएटी) रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2022-23 से पीएटी में प्रतिशत वृद्धि 38.10% है।

बोर्ड ने ₹ 30,000.00 लाख के कुल लाभांश की अनुशंसा की है, जो शेयरधारक मूल्य प्रदान करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी नेटवर्थ 4.28% बढ़कर ₹ 686,789.38 लाख हो गई है, जो कंपनी की वित्तीय मजबूती और विकास की गति को दर्शाता है।

मुझे आपको यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वर्ष के लिए हमारे वित्तीय विवरणों पर "शून्य" टिप्पणी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हमारी वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और पारदर्शिता की पुष्टि की गई है।

रणनीतिक पहल और भविष्य की संभावनाएं:

1. स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार:

हमारा दृष्टिकोण भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2626 मेगावाट की पांच जलविद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, हमारी जलविद्युत क्षमता विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, जिसमें 1000 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

2. ऊर्जा भंडारण समाधान:

ग्रिड स्थिरता में ऊर्जा भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, नीपको सक्रिय रूप से पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास की संभावनाएं तलाश रहा है। विशेष रूप से, कंपनी मेघालय में 800 मेगावाट वाह उमियम पंप स्टोरेज परियोजना के विकास की संभावना तलाश रही है। इसके अतिरिक्त, नीपको असम, मेघालय, मिजोरम और देश के अन्य भागों में अन्य पम्प स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है।

3. तकनीकी नवाचार:

नीपको की नवाचार पहल कई परिचालन क्षेत्रों में फैली हुई है। प्रमुख परियोजनाओं में ऊर्जा बचत के लिए एक स्मार्ट रोशनी नियंत्रक, एक उन्नत अग्नि पहचान प्रणाली और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाले घटकों पर शोध शामिल है। कंपनी ने बाढ़ की चेतावनी के लिए एक स्वचालित संचार प्रणाली और अपने बिजली स्टेशनों पर उन्नत निगरानी और नियंत्रण प्रणाली भी लागू की है। उल्लेखनीय रूप से, नीपको ने टर्बाइन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, विशेष रूप से कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन के नवीनीकरण में कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स (सीएफडी) विश्लेषण लागू किया है। यह प्रयास विद्युत उत्पादन में बेहतर सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की नीपको की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

4. आईटी पहल:

नीपको ने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक बढ़ाया है, सभी स्थानों पर एसएपी-ईआरपी को लागू किया है और नेटवर्क कनेक्टिविटी को अपग्रेड किया है। प्रमुख पहलों में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय, कॉर्पोरेट वेबसाइट को फिर से डिजाइन करना, एक ऑनलाइन भर्ती पोर्टल विकसित करना और 15 स्थानों पर सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त करना शामिल है। कंपनी ने अपने एसएपी ईआरपी सिस्टम को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्थानांतरित कर दिया है। इन प्रयासों का उद्देश्य पूरे संगठन में परिचालन दक्षता, डेटा सुरक्षा और डिजिटल क्षमताओं में सुधार करना है।

5. स्थिरता और कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व:

हमने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सीएसआर खर्च को ₹ 531.85 लाख तक बढ़ा दिया है। हमारी वार्षिक रिपोर्ट में ईएसजी प्रकटीकरण को स्वैच्छिक रूप से शामिल करना पारदर्शिता और टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

6. परिचालन उत्कृष्टता:

कोपिली पावर स्टेशन नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का सफल समापन मौजूदा संपत्तियों को पुनर्जीवित करने में हमारी विशेषज्ञता को दर्शाता है। यह, बांध सुरक्षा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में हमारे चल रहे प्रयासों के साथ मिलकर, हमारे बुनियादी ढांचे की दीर्घायु और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

7. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना:

हम सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के विकास का समर्थन करना जारी रखेंगे। इस वर्ष, हमने एमएसई से 28.79% खरीद हासिल की, जिसमें महिला स्वामित्व वाले उद्यमों से 1.41% शामिल है। मुझे यह बताते हुए विशेष रूप से गर्व है कि हमने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से 100% खरीद हासिल की है, जिससे हमारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।

8. पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता:

पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमने वर्ष के दौरान प्राप्त 173 आरटीआई आवेदनों में से 161 का तुरंत समाधान किया। हमारी वार्षिक पारदर्शिता ऑडिट आवश्यकतानुसार पूरी की गई, जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बल मिला।

9. जोखिम प्रबंधन:

हम अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करना जारी रखते हैं। हमारी बोर्ड-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति की अनुशंसा के अनुसार, हम एक व्यापक व्यवसाय निरंतरता योजना विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। यह पहल हमारी परिचालन समुत्थान शक्ति और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को और बढ़ाएगी।

10. राजभाषा कार्यान्वयन:

सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास अनवरत जारी हैं। हमने हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के

लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और डिजिटल पहल सहित विभिन्न पहल लागू की हैं। यह प्रयास न केवल भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हैं बल्कि हमारे संचार में समावेशिता को भी बढ़ावा देते हैं।

11. मानव संसाधन:

हमारे कर्मचारी हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं, और इस वर्ष हमने विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से अपनी मानव पूंजी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अपनी मूल कंपनी, एनटीपीसी लिमिटेड के साथ तालमेल का लाभ उठाते हुए, हमने देश भर से नए और प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए सह-ब्रांडिंग प्रयासों को सफलतापूर्वक लागू किया है।

निरंतर सीखने और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत बनी हुई है, इस वर्ष हमारे कार्यबल को बेहतर बनाने और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से 7233 मैन-डेज़ का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। यह पहल न केवल व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाती हैं बल्कि हमारे संगठनात्मक समुत्थान-शक्ति में भी योगदान देती हैं।

विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने में हमारी प्रगति पर हमें गर्व है, अब हमारे कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 18.98% है, जो अधिक संतुलित और समावेशी कार्य वातावरण बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। यह विविधता न केवल हमारी कॉर्पोरेट संस्कृति को समृद्ध करती है बल्कि हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विभिन्न दृष्टिकोण भी लाती है।

12. सतर्कता गतिविधियाँ:

निवारक सतर्कता हमारे शासन ढाँचे का आधारस्तंभ है। इस वर्ष, हमने कई नियमित निरीक्षण, औचक निरीक्षण किए और प्रणालीगत सुधार संबंधी सलाह जारी की। यह सक्रिय उपाय हमारे संचालन में ईमानदारी और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में मदद करते हैं।

भविष्य की ओर:

जैसा कि हम एक नए ऊर्जा प्रतिमान की शुरुआत को अपना रहे हैं, नीपको भारत के सतत ऊर्जा भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। हाइड्रो, सोलर और ऊर्जा भंडारण तक फैली हमारी विविध परियोजना पाइपलाइन, ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइज़ेशन के राष्ट्र के लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित है।

हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकसित हो रही कौशल आवश्यकताओं से भी परिचित हैं। प्रशिक्षण और विकास पर हमारा बढ़ा हुआ फोकस यह सुनिश्चित करता है कि हमारा कार्यबल उद्योग के विकास में अग्रणी बना रहे।

अभिस्वीकृति:

पिछले वर्ष की उपलब्धियाँ हमारे हितधारकों के अटूट समर्थन के बिना संभव नहीं होतीं। मैं विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, बैंकरों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कंपनी रजिस्ट्रार, पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों, हमारे समर्पित कर्मचारियों और हमारी मूल कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

जैसा कि हम विकास और नवाचार के एक और वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि नीपको पूर्वोत्तर भारत की प्रगति को गति प्रदान करता रहेगा तथा राष्ट्र के ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

हमारी उपलब्धियों और भविष्य की दृष्टि से प्रेरित होकर, मैं अब आपके समक्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सीएंडएजी समीक्षा को आपके विचारार्थ और स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आपके विश्वास और समर्थन हेतु धन्यवाद।

जय हिन्द।

(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: सितंबर 16, 2024

निदेशकों का प्रतिवेदन

वर्ष 2023-24 के लिए

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मण्डल की ओर से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान इस अवधि हेतु लेखों के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा सहित आपके निगम से सम्बन्धित निष्पादनों का 48वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2024 तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रदर्शन को निम्नवत रूप में दर्शाया गया है:

निष्पादन की एक झलक

₹ लाखों में)

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
ए	संचालन से राजस्व	423,956.74	455,726.73
बी	अन्य आय	2,466.09	1,336.77
सी	कुल आय (ए + बी)	426,422.83	457,063.50
डी	ईंधन लागत	125,642.24	147,687.42
इ	कर्मचारी लाभ व्यय	43,285.78	51,406.14
एफ	वित्त लागत	52,838.05	53,667.13
जी	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	85,480.64	83,550.16
एच	अन्य खर्चे	56,957.35	52,902.05
आई	कुल खर्च (डी+ई+एफ+जी+एच)	364,204.06	389,212.90
जे	**कर पूर्व लाभ, असाधारण मदें और आर.डी.ए. में विचलन के पश्चात शेष राशि (सी-आई)**	62,218.77	67,850.60
के	असाधारण मदें – (आय) /व्यय	-	-
एल	**कर पूर्व लाभ और आर.डी.ए. में विचलन के पश्चात**	62,218.77	67,850.60
एम	कर व्यय	4905.22	33642.99
एन	**विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले वर्ष के लिए लाभ (एल-एम)**	57313.55	34207.61
ओ	विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध गतिविधि (कर के बाद शुद्ध)	(2501.34)	5482.47
पी	**वर्ष के लिए लाभ (एन + ओ)**	54,812.21	39,690.08
क्यू	अन्य व्यापक आय/(व्यय) (कर के बाद शुद्ध)	(1,606.63)	(530.18)
आर	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (पी + क्यू)	53,205.58	39,159.90
एस	एबिटा (जे+जी+एफ)	200,537.46	205,067.89
टी	एबिट (एस-जी))	115,056.82	121,517.73
यू	प्रति शेयर आय (₹ में) (बेसिक और डाइल्यूटेड)	1.52	1.10
वी	अधिकृत शेयर पूंजी	500,000.00	500,000.00
डब्ल्यू	भुगतान की गई शेयर पूंजी	360,981.04	360,981.04
एक्स	अन्य इक्विटी	325,808.34	297,602.76
वाई	नेट वर्थ/कुल इक्विटी (डब्ल्यू + एक्स)	686,789.38	658,583.80
जेड	औसत नेट वर्थ	672,686.59	657,253.85
एए	कुल संपत्ति	1,660,135.27	1,618,781.09
एबी	दीर्घावधि ऋण	695,035.07	691,063.36

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
एसी	नियोजित पूंजी (वाई + एबी)	1,381,824.45	1,349,647.16
एडी	व्यापार प्राप्य (बिल न किए गए प्राप्य को छोड़कर)	42,025.55	50,047.19
एई	कैपेक्स	113,377.51	84,944.62
एएफ़	अंतरिम लाभांश	25,000.00	350,000.00
एजी	अंतिम लाभांश	5,000.00	-
एएच	कर्मचारियों की संख्या	1,690.00	1,779.00
	वित्तीय अनुपात:		
	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात (% में)	25.69%	28.24%
	आय के प्रतिशत के रूप में एबिटा (% में)	47.03%	44.87%
	निवल मूल्य पर प्रतिलाभ (% में)	8.15%	6.04%
	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (% में)	8.33%	9.00%
	सकल ऑपरेटिंग मार्जिन (₹ लाख में)	195377.05	210610.32
	पीएटी/कुल रोजगार (₹ लाख में)	32.43	22.31
	ऋण इक्विटी अनुपात (समय में)	1.01	1.05
	चलनिधि अनुपात (समय में)	0.49	0.50
	वर्तमान अनुपात (समय में)	0.54	0.55
	देनदारों का कारोबार अनुपात (दिनों में)	36	40
	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) (समय में)	1.14	1.14
	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर) (समय में)	3.74	3.95

स्टेंडेलोन

नोट 1: परिसंपत्ति कारोबार अनुपात = (कुल आय/कुल संपत्ति) * 100

नोट 2: आय के प्रतिशत के रूप में एबिटा = (एबिटा/कुल आय) * 100

नोट 3: निवल मूल्य पर वापसी = (कर पश्चात लाभ/औसत निवल मूल्य) * 100

नोट 4: नियोजित पूंजी पर वापसी = (एबिटा /पूंजी नियोजित) * 100

नोट 5: सकल परिचालन मार्जिन = संचालन से राजस्व + आर.डी.ए शेष राशि में विचलन - ईंधन लागत - कर्मचारी लाभ व्यय - अन्य व्यय - असाधारण मद (व्यय)

नोट 6 : पीएटी/कुल रोजगार = कर पश्चात लाभ/कर्मचारियों की संख्या

नोट 7: ऋण इक्विटी अनुपात = दीर्घकालिक ऋण/कुल इक्विटी

नोट 8: चलनिधि अनुपात = (कुल चालू परिसंपत्तियां - माल सूची) /कुल वर्तमान देयताएं

नोट 9: वर्तमान अनुपात = कुल वर्तमान संपत्ति / कुल वर्तमान देनदारियां

नोट 10: देनदार कारोबार अनुपात = [(व्यापार प्राप्य “बिना बिल की गई राशि को छोड़कर”) *365]/(संचालन से आय)

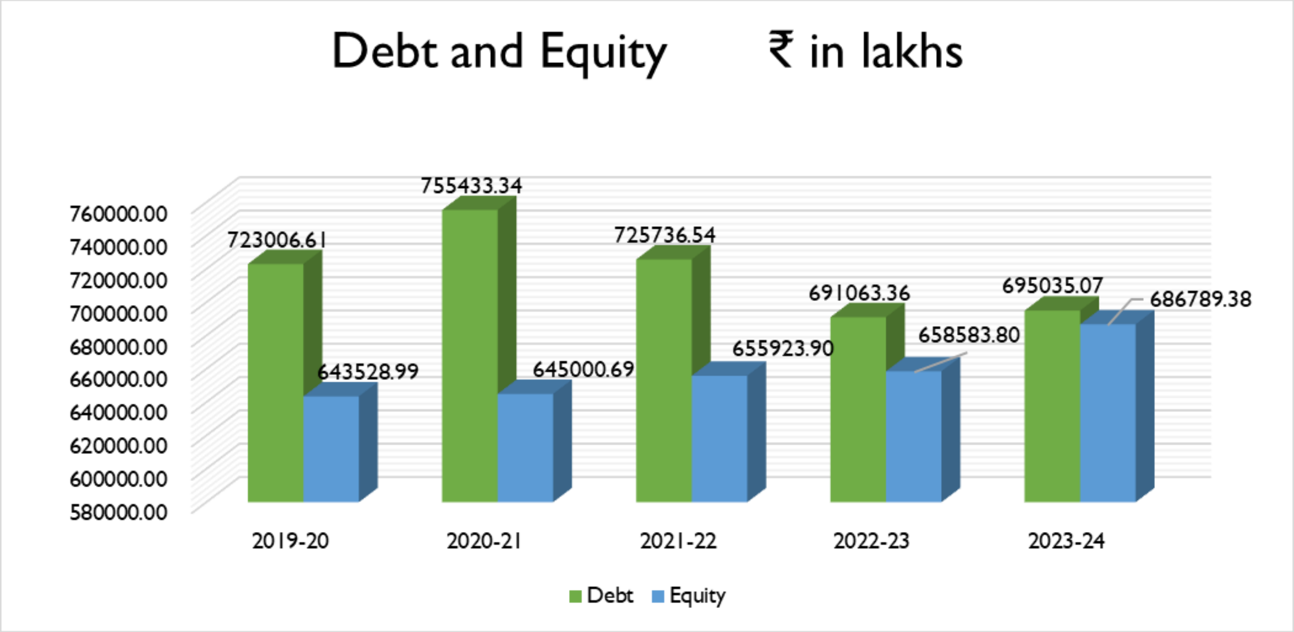

ऋण = दीर्घावधि ऋण

इक्विटी = प्रदत्त शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

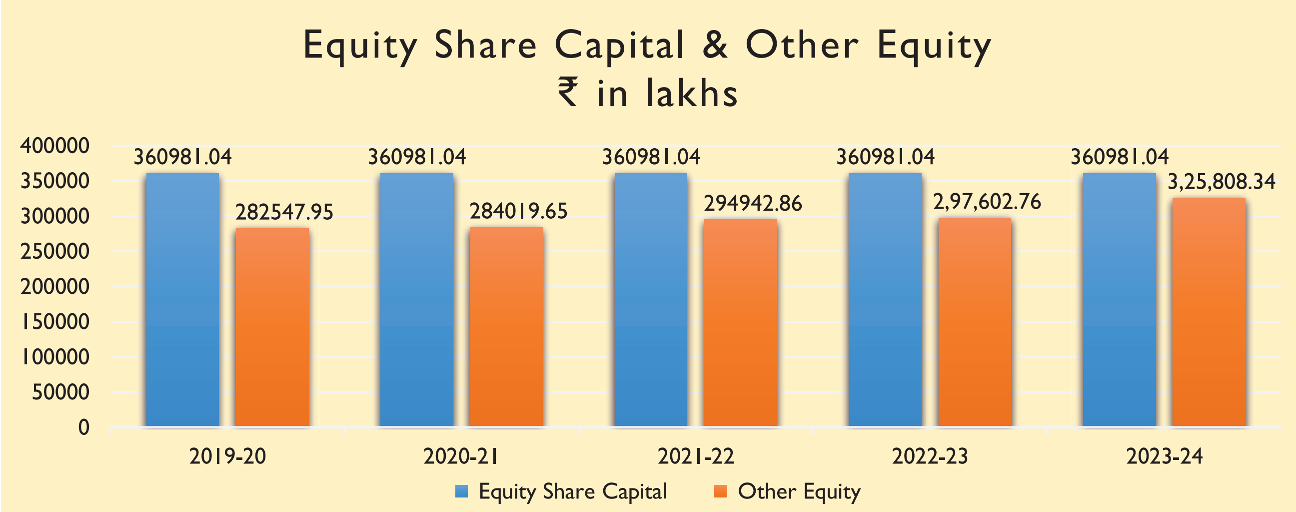

आय का विश्लेषण

वर्ष 2023-24 के लिए निगम की कुल आय ₹426422.83 लाख (पिछले वर्ष ₹457063.50 लाख) है।

उपरोक्त राशि में विनियामक आस्थगित खातों की शेष राशि और उस पर कर शामिल नहीं है।

कर पश्चात कुल आय एवं लाभ

निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 74801.26 लाख की तुलना में रु. 59,524.45 लाख का कर पूर्व लाभ (आरडीए शेष में संचलन सहित) अर्जित किया। चालू वित्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 39690.08 लाख की तुलना में रु. 54,812.21 लाख है।

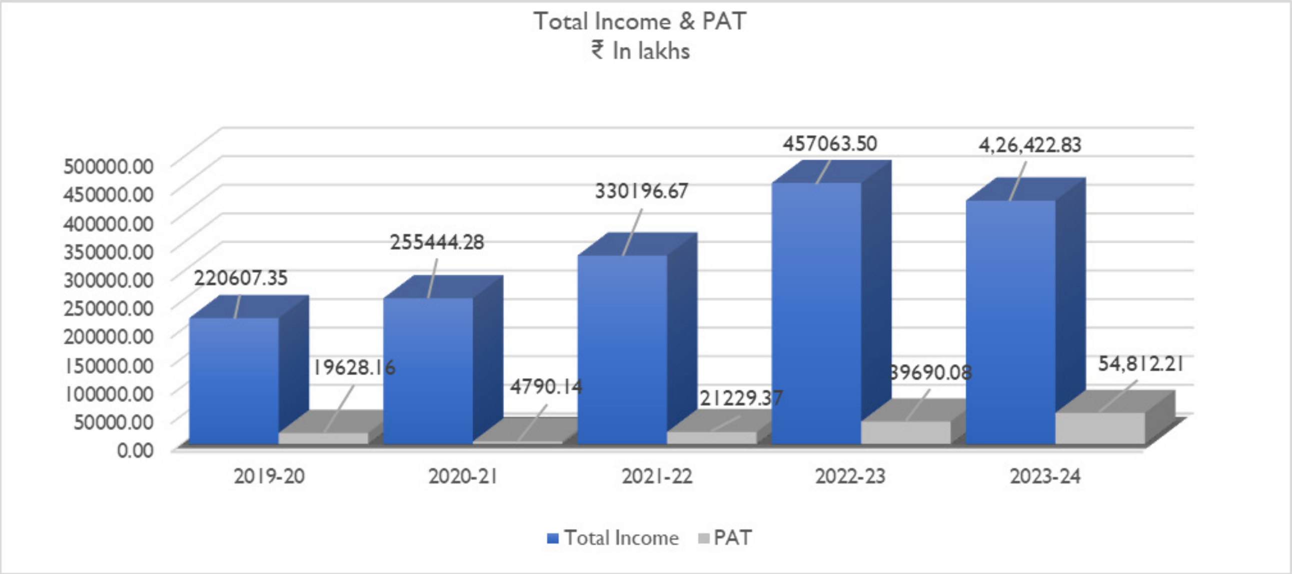

लाभांश

(i) वर्ष के दौरान, कंपनी ने 16.03.2023 को आयोजित 277वीं निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश के रुप में ₹35000.00 लाख का भुगतान किया है। इसका भुगतान रु.13.04.2023 को किया गया है।

(ii) चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 25000.00 लाख की राशि का अंतरिम लाभांश 09.02.2024 को आयोजित 284वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया और इसका भुगतान 08.03.2024 को कर दिया गया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 5000.00 लाख रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए कुल लाभांश भुगतान 30000.00 लाख रुपये है, यानी 0.83 रुपये प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मूल्य)। लाभांश भुगतान कर के बाद लाभ (पीएटी) का 54.73% दर्शाता है। अंतिम लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगा।

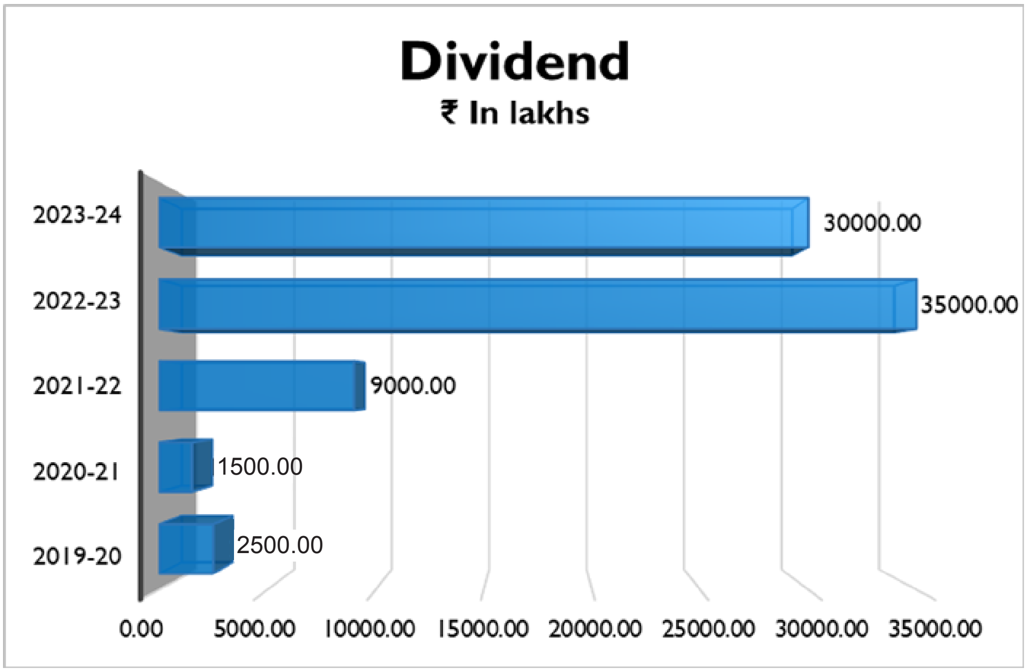

वित्तीय समीक्षा:

क) पूंजी संरचना

दिनांक 31.03.2024 को निगम की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,00,000.00 लाख थी और प्रदत्त पूंजी ₹3,60,981.04 लाख (पिछले वर्ष ₹3,60,981.04 लाख) थी।

ख) दीर्घावधि ऋण

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने "सावधि ऋण" के माध्यम से 125000.00 लाख रुपये की ऋण जुटाई है।

ग) सकल मूल्य

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक निगम की कुल संपत्ति ₹6,86,789.38 लाख है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2023 को इसकी कुल संपत्ति ₹6,58,583.80 लाख थी और इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 4.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई

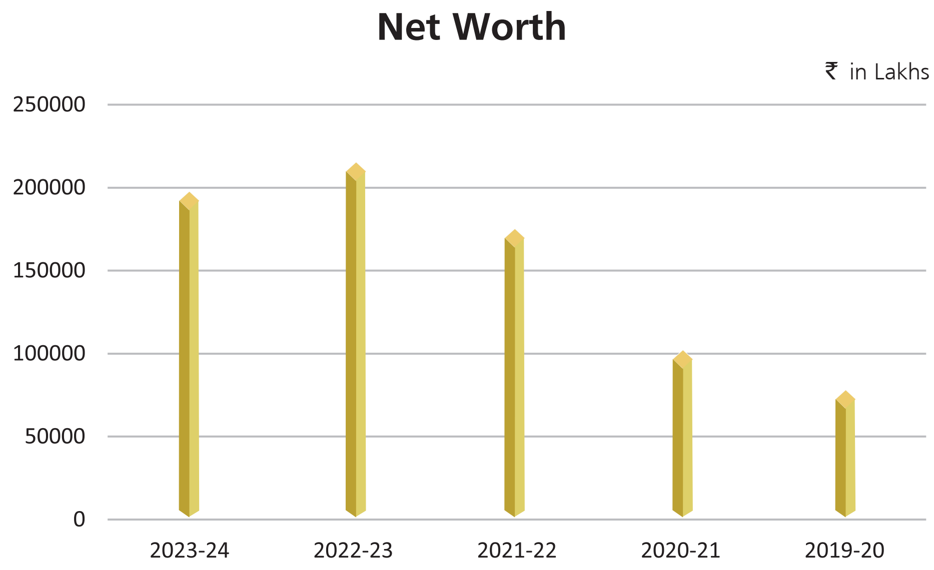

घ) सकल परिचालन मार्जिन

दिनांक 31.03.2024 को कंपनी का सकल परिचालन मार्जिन 31 मार्च, 2023 को ₹ 210610.32 लाख के मुकाबले ₹195377.05 लाख है।

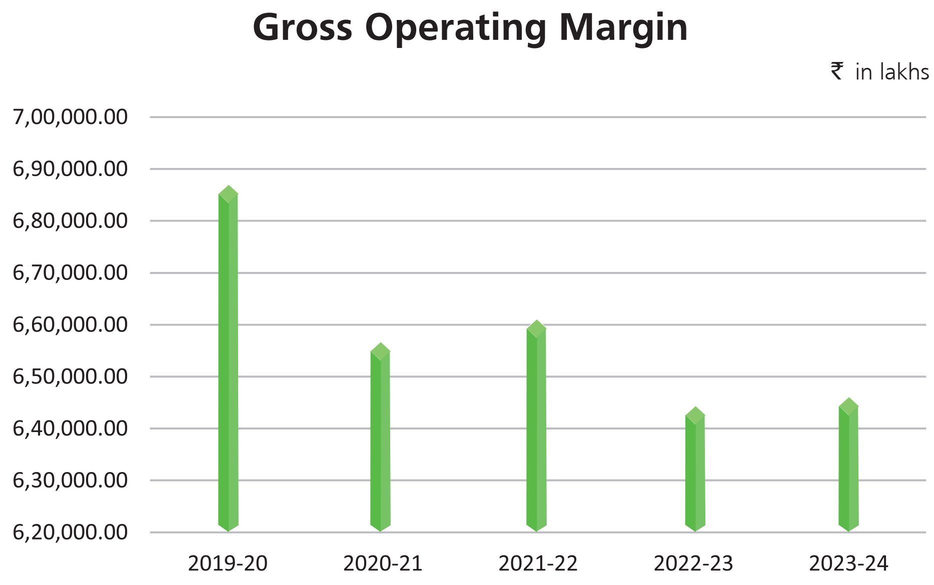

ङ) सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स आर. एन. गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको/कंपनी) का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था एवं उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षण किया गया था।

च) सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सांविधिक लेखापरीक्षक की दिनांक 14 मई 2024 की रिपोर्ट अनुबंध 6ए (स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों के लिए) और अनुबंध-6बी (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए) में दी गई है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के "मामलों पर जोर" के लिए प्रबंधन का उत्तर अनुलग्नक-6सी में दिया गया है।

छ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों (एकल और समेकित) का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी की टिप्पणियाँ अनुलग्नक 7 में दी गई हैं।

ज) लागत लेखापरीक्षा

जैसा कि कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्धारित किया गया है, कंपनी द्वारा अपने उत्पादन स्टेशनों के लिए लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखा जा रहा है। मेसर्स निरन एंड कंपनी, भुवनेश्वर, ओडिशा और मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे, महाराष्ट्र को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत लेखांकन रिकॉर्ड की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नीपको के लागत लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया था। 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुपालन में निर्धारित समय के भीतर भरी जाएगी।

झ) सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, गुवाहाटी को वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय ऑडिट आयोजित करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया था। 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म संख्या एमआर-3 में सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट, जैसा कि मेसर्स नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा ऑडिट किया गया है, अनुलग्नक-8ए के रूप में संलग्न है। वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर अनुलग्नक-8बी के रूप में संलग्न है।

विद्युत स्टेशनों का संचालन:

विद्युत उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 8001 एमयू के एमओयू लक्ष्य की तुलना में कुल 9000.00 एमयू का उत्पादन हासिल किया। जल विद्युत संयंत्रों में पानी की कम उपलब्धता तथा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में गैस की कम उपलब्धता के कारण विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका।

वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 में विद्युत उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

पावर स्टेशन का नाम	उत्पादन लक्ष्य (एमयू) वित्त वर्ष 2023-24	वास्तविक उत्पादन (एमयू) वित्त वर्ष 2023-24	वास्तविक उत्पादन (एमयू) वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में उत्पादन में परिवर्तन (%)	वास्तविक संयंत्र उपलब्धता कारक (%) वित्त वर्ष 2023-24	वास्तविक संयंत्र उपलब्धता कारक (%) वित्त वर्ष 2022-23
असम गैस आधारित पावर स्टेशन (291 मेगावाट) , असम	1754	1696.54	1689.83	0.40	76.81	73.35
अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन (135 मेगावाट) , त्रिपुरा	809	640.10	845.63	-24.30	61.98	81.69
त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन,(101 मेगावाट) , त्रिपुरा	706	660.51	747.48	-11.64	75.48	86.45
गैस आधारित कुल	**3269**	**2997.15**	**3282.94**	**-8.71**		

पावर स्टेशन का नाम	उत्पादन लक्ष्य (एमयू) वित्त वर्ष 2023-24	वास्तविक उत्पादन (एमयू) वित्त वर्ष 2023-24	वास्तविक उत्पादन (एमयू) वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में उत्पादन में परिवर्तन (%)	वास्तविक संयंत्र उपलब्धता कारक (%) वित्त वर्ष 2023-24	वास्तविक संयंत्र उपलब्धता कारक (%) वित्त वर्ष 2022-23
कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन (275 मेगावाट), असम	207	285.81	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत	-	96.63	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत
खांडोंग पावर स्टेशन(50 मेगावाट), असम	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत					
खंडोंग चरण-II विद्युत स्टेशन (25 मेगावाट), असम	88	150.03	पुनर्स्थापना के तहत	-	71.47	पुनर्स्थापना के तहत
दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन (75 मेगावाट), नागालैंड	219	165.45	177.35	-6.71	61.56	65.81
पन्योर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन (405 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	1462	1177.38	1376.28	-14.45	94.67	95.53
तुईरियल हाइड्रो पावर स्टेशन (60 मेगावाट), मिज़ोरम	195	118.63	204.10	-41.88	73.15	78.40
पारे हाइड्रो पावर स्टेशन (110 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	551	448.65	531.84	-15.64	95.18	98.32
कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (600 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	3002	2652.10	2912.75	-8.95	86.94	74.62
जल विद्युत कुल	**5724**	**4998.05**	**5202.32**	**-3.93**		
मोनारचक सोलर पावर स्टेशन (5 मेगावाट), त्रिपुरा	7	5.68	6.74	-15.73	12.93	15.38
नीपको कुल (2057 मेगावाट)	**9000**	**8000.88**	**8492.00**	**-5.78**		
वास्तविक एपीएएफ (%) 2022-23 के दौरान हासिल किया गया (भारित औसत)	**81.61**					
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त वास्तविक एपीएएफ (%) (भारित औसत)	**84.33**					

नीपको के पास बिजली उत्पादन परियोजनाओं का एक विविध पोर्टफोलियो है, जो मुख्य रुप से जलविद्युत ऊर्जा पर केंद्रित है। यह पोर्टफोलियो नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति नीपको की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, जिसमें जल विद्युत पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है, जिसे गैस और सौर परियोजनाओं द्वारा पूरित किया गया है।

नीपको के पोर्टफोलियो में शामिल परियोजनाओं का विवरण यहां दिया गया है।

क्र. सं	परियोजना नाम	परियोजना के प्रकार	स्थान	क्षमता मेगावाट में	डिजाइन ऊर्जा(एमयू)	मानक एपीएएफ (%)	वास्तविक एपीएएफ (%)	प्रमुख चुनौतियाँ	किए गए उपाय
1.	कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन								
	क) कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन($)	हाइड्रो	असम	200	993.80	69	96.63		नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अंतिम इकाई का सीओडी दिनांक 03.06.2024 को प्राप्त हुआ
	ख) खांडोंग पावर स्टेशन हाइड्रो	हाइड्रो	असम	50	217	शटडाउन के अंतर्गत		40 वर्ष का उपयोगी जीवन पूर्ण किया	नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (#)
	ग) खांडोंग स्टेज-II पावर स्टेशन (@)	हाइड्रो	असम	25	86.3	69	71.46		जीर्णोद्धार कार्य पूरा हुआ
2.	दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन	हाइड्रो	नागालैंड	75	227.24	70	61.56	कम जल उपलब्धता के कारण उत्पादन एवं एपीएएफ़ की कमी	
3.	पन्योर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश	405	1293.73	88	94.67	कम जल उपलब्धता के कारण उत्पादन में कमी	
4.	तुईरियल हाइड्रो पावर स्टेशन	हाइड्रो	मिजोरम	60	250.63	75	73.15	कम जल उपलब्धता के कारण उत्पादन एवं एपीएएफ़ की कमी	
5.	पारे हाइड्रो पावर स्टेशन	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश	110	506.42	85	95.18	कम जल उपलब्धता के कारण उत्पादन में कमी	
6.	कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश	600	3353.00	(माननीय सीईआरसी ने अभी तक मानक एपीएएफ को मंज़ूरी नहीं दी है। हालांकि, पूर्वानुमान में, एनएपीएएफ को 85% माना जाता है।)	86.94	कम जल की उपलब्धता और विभिन्न कारणों से इकाइयों के बंद होने के कारण उत्पादन और आईपीएडी की कमी।	मानक एपीएएफ़ को मंज़ूरी देने के लिए सीईआरसी के साथ बातचीत करना
7.	असम गैस आधारित पावर स्टेशन	गैस (i)	असम	291	1746	72	76.81	गैस की कम उपलब्धता के कारण उत्पादन में कमी	बेहतर गैस आपूर्ति के लिए गैस आपूर्तिकर्ता से संपर्क करना।

निदेशकों का प्रतिवेदन

क्र. सं	परियोजना नाम	परियोजना के प्रकार	स्थान	क्षमता मेगावाट में	डिजाइन ऊर्जा(एमयू)	मानक एपीएएफ (%)	वास्तविक एपीएएफ (%)	प्रमुख चुनौतियाँ	किए गए उपाय
8.	अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन	गैस(ii)	त्रिपुरा	135	810	85	61.98	गैस की कम उपलब्धता के कारण उत्पादन एवं एपीएएफ की कमी और यूनिट-3 के लोड कपलर शाफ्ट की विफलता।	बेहतर गैस आपूर्ति के लिए गैस आपूर्तिकर्ता से संपर्क करना।
9.	त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन	गैस (iii)	त्रिपुरा	101	752.05	85	75.48	गैस की कम उपलब्धता और इकाइयों की कटौती के कारण उत्पादन और एपीएएफ की कमी	गैस आपूर्ति में सुधार के लिए गैस आपूर्तिकर्ता से बातचीत करना
10.	मोनारचक सौर ऊर्जा स्टेशन	सौर	त्रिपुरा	5	8.322		12.93 (सीयूएफ़)		सौर पैनलों की नियमित सफाई

$ - नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों के सफल समापन पर 03-06-2024 के 00:00 बजे से 4 x 50 मेगावाट कोपिली पावर स्टेशन के लिए वाणिज्यिक संचालन तिथि घोषित की गई।

@-25 मेगावाट खांडोंग चरण-II का जीर्णोद्धार कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने पर 21.05.2023 को समन्वयित किया जाएगा।

- 50 मेगावाट खांडोंग पावर स्टेशन के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की स्थिति:

- **अनुबंध प्रदान करने की स्थिति:**

  सभी प्रमुख पैकेजों के लिए कार्य आदेश प्रदान कर दिए गए।

- **कार्य प्रगति:**

  - ➢ सिविल कार्य - वाल्व हाउस, स्विचयार्ड का निर्माण, टेल रेस चैनल का नवीनीकरण, पावर हाउस की दीवार और फर्श का नवीनीकरण आदि कार्य प्रगति पर हैं और तय समय के अनुसार पूरा होने की उम्मीद है।
  - ➢ डिजाइन ज्ञापन की तैयारी, ईएम पैकेज के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग/ड्राइंग का अनुमोदन प्रगति पर है। टर्बाइन और जेनरेटर के विभिन्न घटकों की फोर्जिंग, कास्टिंग, मशीनिंग और निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।
  - ➢ पेनस्टॉक स्टील लाइनर: जापान से पहला और दूसरा लॉट साइट पर पहुंच गया है। तीसरा लॉट सितंबर 2024 तक आने की उम्मीद है।

- समापन अनुसूची: जुलाई 2025

गैस आधारित बिजली स्टेशनों के लिए ईंधन आपूर्ति की स्थिति:

(i)

असम गैस आधारित पावर स्टेशन	गैस आपूर्तिकर्ता	अनुबंधित मात्रा (एमएमएससीएमडी)	औसत गैस आपूर्ति (एमएमएससीएमडी)		
			2021-22	2022-23	2023-24
	मैसर्स ऑयल	1.40	1.42	1.36	1.35

(ii)

अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन	गैस आपूर्तिकर्ता	अनुबंधित मात्रा (एमएमएससीएमडी)	औसत गैस आपूर्ति (एमएमएससीएमडी)		
			2021-22	2022-23	2023-24
	मैसर्स गेल	0.75	0.71	0.68	0.51

(iii)

त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन	गैस आपूर्तिकर्ता	अनुबंधित मात्रा (एमएमएससीएमडी)	औसत गैस आपूर्ति (एमएमएससीएमडी)		
			2021-22	2022-23	2023-24
	मैसर्स ओएनजीसी	0.50	0.46	0.48	0.43

आगामी परियोजनाएं

नीपको का लक्ष्य भारत में एक अग्रणी विद्युत पावर कंपनी बनना है, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित हो। निगम का प्राथमिक ध्यान हाइड्रो, पंप स्टोरेज परियोजनाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने पर है, जबकि इसके मौजूदा बिजली स्टेशनों को कुशलतापूर्वक संचालित और रखरखाव करना है।

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में कई रुकी हुई जलविद्युत परियोजनाओं की पहचान की है, जिनका विकास नीपको द्वारा किया जा सकता है। इन अवसरों का मूल्यांकन करने के बाद, निगम ने प्रारंभिक विकास के लिए आशाजनक संभावनाओं वाली परियोजनाओं का चयन किया। अगस्त 2023 में, नीपको ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ 5 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (एमओएएस) पर हस्ताक्षर किए, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 2626 मेगावाट है।

चयनित जलविद्युत परियोजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण:

जलविद्युत परियोजनाएँ:

क्र.सं	परियोजना का नाम	स्थिति
1	हेओ जल विद्युत परियोजना (240 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश	➢ पिछले डेवलपर्स द्वारा प्राप्त टीईसी, ईसी और एफसी-I को नीपको को हस्तांतरित कर दिया गया। ➢ लिडार का उपयोग करते हुए पुष्टिकरण सर्वेक्षण पूरा हुआ। ➢ एफसी-I के तहत अनुपालन एफसी-II जारी करने की सुविधा के लिए किए गए हैं। ➢ भूमि और संपत्ति सर्वेक्षण के लिए प्रशासनिक शुल्क/लागत जारी की गई। जिला प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। ➢ विद्युत मंत्रालय द्वारा मसौदा पीआईबी ज्ञापन प्रसारित किया गया। ➢ हेओ एचईपी के ईपीसी अनुबंध के लिए बोली स्तर के सलाहकार और टाटो-I एचईपी के लिए बोली स्तर और निर्माण चरण डिजाइन सलाहकारों को नियुक्त किया गया है। ➢ निर्माण गतिविधियाँ वित्त वर्ष 2024-25 में शुरु होने वाली हैं।
2	टाटो-I जल विद्युत परियोजना (186 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश	
3	टाटो-II जल विद्युत परियोजना (700 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश	➢ पिछले डेवलपर द्वारा प्राप्त टीईसी और ईसी को नीपको को हस्तांतरित कर दिया गया। ➢ एफसी का प्रस्ताव राज्य वन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचाराधीन है। ➢ फरवरी 2024 में जिला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा राशि जारी की गई। ➢ लीडर का उपयोग करके पुष्टिकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। ➢ डायवर्सन सुरंग कार्य के लिए निविदा जारी की गई। ➢ बोली स्तर पर परामर्श कार्य प्रदान किया गया। ➢ मसौदा पीआईबी ज्ञापन विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। ➢ निर्माण गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरु होने वाली हैं।
4	नयिंग जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	➢ लिडार का उपयोग करके पुष्टिकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। ➢ नई ईसी और एफसी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। ➢ भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को अनुरोध प्रस्तुत कर दिया गया है। ➢ निर्माण गतिविधियाँ वित्त वर्ष 2025-26 में शुरु होने वाली हैं।
5	हिरोंग जल विद्युत परियोजना (500 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश	➢ डीपीआर की समीक्षा और संशोधन का कार्य प्रगति पर है। ➢ संशोधित डीपीआर के आधार पर ईसी और एफसी लागू किया जाएगा। ➢ लिडार का उपयोग करते हुए पुष्टिकरण सर्वेक्षण पूरा हुआ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित जलविद्युत परियोजनाएं नीपको द्वारा विकास हेतु अध्ययनाधीन हैं:

क्र.सं	परियोजना का नाम	स्थिति
	न्यू मेलिंग, जल विद्युत परियोजना (90 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश	➢ परियोजना की व्यवहार्यता डाउनस्ट्रीम मागो चू जलविद्युत परियोजना को एकीकृत करने पर निर्भर करती है, जिसका लक्ष्य 180 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता है, जो राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन है। ➢ परियोजना की व्यवहार्यता डाउनस्ट्रीम मागो चू जलविद्युत परियोजना को एकीकृत करने पर निर्भर करती है, जिसका लक्ष्य 180 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता है, जो राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन है। ➢ यह परियोजना वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि पिछले डेवलपर ने राज्य सरकार से परियोजना की समाप्ति से पूर्व व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा किया था।
	वाह उमियम चरण-III एचईपी (85 मेगावाट) , मेघालय	➢ एफसी-I एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) , शिलांग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ प्रक्रियाधीन है। ➢ परियोजना के लिए आवश्यक कुल 88 हेक्टेयर निजी भूमि में से 60 हेक्टेयर का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। ➢ टैरिफ को किफायती स्तर पर लाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुदान सहायता मांगी गई है। ➢ मेघालय के राज्य प्राधिकारियों के समन्वय से सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) की प्रक्रिया चल रही है।
	संयुक्त उद्यम मोड में परियोजनाएँ	
1.	कुरुंग जलविद्युत परियोजना (330 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश	➢ नीपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने परियोजना के संयुक्त विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। ➢ विस्तृत स्थलाकृतिक और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया। ➢ परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। ➢ बांध स्थल के चयन और भूवैज्ञानिक मानचित्रण के लिए साइट का दौरा किया गया। ➢ ईआईए/ईएमपी अध्ययन प्रगति पर है।
2.	डिब्बिन जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश	➢ केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड (केएसकेडीएचपीपीएल) के माध्यम से परियोजना के विकास के लिए 12.06.2014 को केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड (केएसकेईवीएल) और केएसके इलेक्ट्रिसिटी फाइनेंसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (केएसकेईएफआईपीएल) के साथ शेयरधारक समझौते (एसएचए) पर हस्ताक्षर किए गए। ➢ इसके बाद, बेसिन अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ई-प्रवाह के कारण परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रभावित हुई। ➢ इस बीच, केएसकेईवीएल को दिवालिया घोषित कर दिया गया और एनसीएलटी में परिसमापन प्रक्रिया शुरु की गई। ➢ नीपको ने संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने के लिए शेयरधारकों के समझौते के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरु की। मामला अभी मध्यस्थता के अधीन है।

पम्प स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) :

अपनी परियोजना पोर्टफोलियो में विविधता लाने और ग्रिड स्थिरता बढ़ाने के लिए, नीपको मेघालय में 800 मेगावाट वाह उमियम पंप स्टोरेज परियोजना के विकास की सक्रिय रुप से संभावना तलाश रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी असम, मेघालय, मिजोरम और देश के अन्य भागों में अन्य पम्प स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) की स्थापना की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है।

पीएसपी की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	पीएसपी के नाम	आईसी	स्थिति
1	असम में कोपिली पीएसपी	320 मेगावाट	कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन (275 मेगावाट) के मौजूदा खांडोंग जलाशय को ऊपरी जलाशय और मौजूदा उमरोंग जलाशय को निचले जलाशय के रुप में मानते हुए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी हो चुकी है। व्यवहार्यता की पुष्टि होने पर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शुरु की जाएगी।
2	मिजोरम में नघासिह पीएसपी	500 मेगावाट	पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार कर ली गई है और पाया गया है कि परियोजनाएं व्यावसायिक रुप से व्यवहार्य नहीं हैं।
3	मिजोरम में तुइफाई लुई पीएसपी	1650 मेगावाट	
4	मिजोरम में लीवा लुई पीएसपी	1500 मेगावाट	
5	मेघालय में वाह उमियम पीएसपी	800 मेगावाट	पीएफआर पूरा हो गया है। राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त होने पर डीपीआर तैयार किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा पहल

क) फ्लोटिंग सौर परियोजना:

क्रं.सं	परियोजना का नाम और स्थान	परियोजना की स्थिति
1.	40 मेगावाटपी कोपिली फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, उमरोंगसो, असम	• डीपीआर पूरा हो गया है • ईपीसी के लिए बोली प्रक्रियाधीन है
2.	मिजोरम के सेरलुई बी जलाशय में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट	• पीएफआर और डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श सेवाओं हेतु निविदा जारी कर दी गई है।
3.	उमियम झील, मेघालय में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट	
4.	धंधरौल बांध, उत्तर प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट	
5.	मूसाखांड बांध, उत्तर प्रदेश में तैरती सौर परियोजना	
6.	उत्तर प्रदेश के पहुज बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट	

ख) ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट:

क्रं.सं	परियोजना का नाम और स्थान	परियोजना की स्थिति
1.	300 मेगावाट (चरण-I) आईएसटीएस से जुड़ी सौर परियोजना, बीकानेर, राजस्थान	• दिनांक 29.02.2024 को वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (डब्ल्यूआरटीएल) को काम सौंपा गया। • कमीशनिंग लक्ष्य: जुलाई 2025
2.	भारत में कहीं भी 300 मेगावाट (चरण-II) आईएसटीएस से जुड़ी सौर परियोजना	• निविदा मूल्यांकन प्रगति पर है
3.	भारत में कहीं भी, 400 मेगावाट (चरण-III) आईएसटीएस से जुड़ी सौर परियोजना	• निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
4.	उत्तर प्रदेश में ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना	• नीपको ने 500 मेगावाट संभावित क्षमता वाली ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना के विकास के लिए भूमि आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) से संपर्क किया है। • यूपीएनईडीए ने जालौन जिले में चिन्हित 276 हेक्टेयर भूमि नीपको को आवंटित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट जालौन को पत्र लिखा है।

ग) रूफ टॉप सोलर:

नीपको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में आवासीय और सरकारी भवनों के रुफटॉप सोलर (आरटीएस) कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार है।

भारत सरकार के अनुसार, सरकारी भवनों के 100% सौर्यीकरण की लक्ष्य तिथि दिसंबर 2025 है। नीपको के भवनों में आरटीएस की स्थापना के लिए संभावित मूल्यांकन पूरा हो चुका है।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और नवाचार पहल:

वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/प्रगति पर हैं:

- **पन्योर लोअर एचपीएस (पूर्व में रंगानदी एचईपी) के कुशल संचालन के लिए सेंसर आधारित स्वचालित इनपुट का उपयोग करके क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से एक स्वचालित संचार प्रणाली का डिजाइन, जिसमें सुबनसिरी नदी के संगम तक डाउनस्ट्रीम चिंताओं पर उचित जोर दिया जाएगा:**
    - ➢ यह परियोजना जुलाई 2023 में पूरी हो गई। नीपको के पन्योर लोअर एचपीएस के बांध स्थल और सुबनसिरी नदी के साथ रंगानदी के संगम के बीच रंगानदी नदी पर तीन सेंसर स्थानों की पहचान के अलावा एक हाइड्रोडायनामिक मॉडल ब्रह्मा 1-डी विकसित किया गया। (भाग-ए)

➢ उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित हाइड्रोडायनामिक मॉडल का कार्यान्वयन आईआईटी, गुवाहाटी के सहयोग से भाग बी के अंतर्गत किया गया। इस परियोजना में विभिन्न स्थानों पर जल स्तर की निगरानी के लिए चिन्हित स्थानों पर सेंसर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। पन्योर लोअर डैम के रेडियल गेट से पानी छोड़े जाने पर, मॉडल पानी की यात्रा के समय और डाउनस्ट्रीम स्थानों पर नदी के जल स्तर की गणना और भविष्यवाणी करेगा। इससे डाउनस्ट्रीम आबादी को उन्नत चेतावनी प्रणाली की सुविधा मिलेगी परियोजना को पूरा होने में एक वर्ष का समय लगेगा।

- **अग्नि जांच प्रणाली:**

  इस परियोजना को 2022-23 में 2 (दो) वर्षों की अवधि में पूरा करने के लिए आंतरिक रूप से शुरु किया गया था। परियोजना में खराबी या विफलता की न्यूनतम संभावना के साथ दोष-सहिष्णु विश्वसनीय अग्नि जांच प्रणाली को डिजाइन करने के लिए ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी (टीएमआर) अवधारणा के साथ तीन सेंसर के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

- **ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली के लिए कम लागत वाले टिकाऊ और कुशल इलेक्ट्रो-उत्प्रेरक और प्रोटॉन एक्सचेंज झिल्ली का विकास:**

  यह कार्य 2022-23 में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, गुवाहाटी के सहयोग से शुरु किया गया है। परियोजना की पूर्णता अवधि 3 (तीन) वर्ष है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

चल रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.सं	अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव का नाम	इन-हाउस/सहयोगी	कुल वित्तीय भागीदारी (लाखों में) (जीएसटी को छोड़कर)	समापन समय (वर्ष)
1	पन्योर लोअर एचपीएस (पूर्व में रंगनदी एचईपी) के कुशल संचालन के लिए सेंसर आधारित स्वचालित इनपुट का उपयोग करके क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से एक स्वचालित संचार प्रणाली का डिजाइन, जिसमें सुबनसिरी नदी के संगम तक डाउनस्ट्रीम चिंताओं पर उचित जोर दिया जाएगा - **भाग-बी**	आईआईटी, गुवाहाटी	24.84	1
2	अग्नि जांच प्रणाली पर अनुसंधान एवं विकास	इन-हाउस	4.72	2
3	ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली के लिए कम लागत वाले टिकाऊ और कुशल इलेक्ट्रो-कैटेलिस्ट और प्रोटॉन एक्सचेंज झिल्ली का विकास.	आईआईटी, गुवाहाटी	55.59	3
कुल		₹ 85.15 लाख		

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय ₹ 2.92 लाख है।

- **नवाचार पहल**

  कोपिली एचपीएस (4X50 मेगावाट) की एक इकाई के प्रदर्शन में सुधार के लिए डिजाइन और इसके कार्यान्वयन में नवाचार, मौजूदा हेड और जल कंडक्टर प्रणाली के तहत रनर और संबंधित टर्बाइन पार्ट्स के हाइड्रोलिक डिजाइन को बढ़ाकर किया गया था। इस पहल में रनर, टरबाइन शाफ्ट, टॉप कवर, टरबाइन गाइड बेयरिंग और हाउसिंग, ड्राफ्ट ट्यूब कोन असेंबली के सरलीकृत डिजाइन आदि के इंटरफेस मुद्दों का समाधान भी शामिल था।

  निगम ने जल कंडक्टर प्रणाली के साथ-साथ जल के भीतर टरबाइन भागों के कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक (सीएफडी) विश्लेषण के आधार पर यूनिट # I में प्रदर्शन में सुधार के लिए किए गए संपूर्ण प्रयास के लिए ₹15.23 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

  कुल वित्तीय भागीदारी में से वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय ₹11.93 करोड़ था।

इकाई # I के नवीन उपायों के लिए अतिरिक्त व्यय

विवरण	कुल (₹ लाख में)
अंडरवाटर पार्ट्स के साथ डब्ल्यूसीएस का सीएफडी अध्ययन	112.10
संशोधित डिज़ाइन के कारण इंटरफ़ेस समस्या के लिए यूनिट-I में अतिरिक्त प्रयास किया गया	248.70
केएचपीएस, नीपको लिमिटेड में 4X50 मेगावाट कोपिली पावर स्टेशन के यात्रा शुल्क सहित यूनिट # 1 मशीन के रनर और अन्य टरबाइन पार्ट्स के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग और प्रति व्यक्ति आधार पर जनशक्ति तैनाती के लिए कार्य आदेश वोइथ को।	1162.30
कुल	**1523.10**

गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण:

नीपको एक केंद्रीकृत कॉर्पोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग संचालित करता है। एक मॉडल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन और निष्पादन के दौरान बिजली परियोजना कार्यों की गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण सुनिश्चित करती है।

कॉर्पोरेट क्यूए एंड आई विंग ने कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन, असम में चल रहे नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों के तीन निगरानी निरीक्षण किए हैं, और संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

आगामी परियोजनाओं के लिए एक आदर्श गुणवत्ता आश्वासन योजना (एमक्यूएपी) भी लागू की गई है।

प्रमाणीकरण

नीपको ने 16 स्थानों पर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के साथ मान्यता और पूर्ण अनुपालन प्राप्त किया है, जिसमें सभी ओएंडएम स्टेशन, कॉर्पोरेट मुख्यालय और अन्य प्रमुख कार्यालय शामिल हैं। इस अनुपालन में शामिल हैं:

आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली)

आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली)

आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली)

इसके अतिरिक्त, नीपको ने सभी ओएंडएम स्टेशनों, कॉर्पोरेट मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों सहित 15 स्थानों पर सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त किया है।

इसके अलावा, रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान, असम के बोकुलोनी में 291 मेगावाट असम गैस आधारित पावर स्टेशन ने मेसर्स बीईई, नई दिल्ली के आदेश पर आईएसओ 50001: 2018 प्रमाणन प्राप्त किया।

ई-गवर्नेंस/आईटी पहल:

➢ **एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) :**
- सभी नीपको के स्थानों पर ईआरपी कार्यान्वयन पूरा हो गया।
- सभी कार्यात्मक स्तरों पर बेहतर पारदर्शिता और केंद्रीकृत दृष्टिकोण।
- एसएपी मॉड्यूल कार्यान्वित किए गए: एचसीएम, ईएसएस एवं पेरोल, एफ़आई-सीओ, एमएम, पीएम, आईएसयू-ऑपरेशंस, आईएसयू-कमर्शियल, पीएस, एसडी, एफ़एलएम और डीएमएस।
- बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जारी है।
- एसएपी ईआरपी के साथ एकीकरण के लिए बिल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर (बीटीएस) का विकास किया जा रहा है

➢ **नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी:**
- कार्यालयों, ओ एंड एम संयंत्रों और निर्माण स्थलों तक मजबूत कनेक्टिविटी
- अपग्रेड:
  - तुईरियल-एचपीएस, मिजोरम: जियो एमपीएलएस 20 एमबीपीएस से 50 एमबीपीएस तक
  - एडमिन साइट्स: एमपीएलएस 20 एमबीपीएस से 50 एमबीपीएस तक
  - एमपीएलएस सेंट्रल हब शिलांग: 150 एमबीपीएस से 300 एमबीपीएस तक
  - गुवाहाटी हब: 20 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस तक
  - सेंट्रल आईएलएल कनेक्शन: 300 एमबीपीएस से 500 एमबीपीएस तक
- मेघालय के मावसिनराम और अरुणाचल प्रदेश के जंग में नए आरएफ लिंक
- बीएसएनएल से अतिरिक्त आईएलएल लिंक केंद्रीय स्थान पर उपलब्ध है

➢ **आईटी सुरक्षा और अनुपालन:**

- हनी पॉट डिवाइस के साथ आईएलएल राउटर स्थापित किए।
- सुरक्षा नीति की समीक्षा की और परिवर्तन प्रबंधन लागू किया।
- केंद्रीय फ़ायरवॉल में एमएफ़ए कॉन्फ़िगर किया।
- छह महीने के लॉग रिटेंशन के लिए स्यसलोग सर्वर स्थापित किया।
- बिजली संयंत्रों के लिए सीआईआई पहचान शुरु की।
- एनसीआईआईपीसी, कोलकाता को रिपोर्ट प्रस्तुत की।

➢ **कॉर्पोरेट वेबसाइट और अन्य सॉफ्टवेयर:**

- आधुनिक रूप और अनुपालन के लिए कॉर्पोरेट वेबसाइट को फिर से डिज़ाइन करना।
- ऑनलाइन भर्ती पोर्टल विकसित करना।
- समेकित विरासत मैटफ़िन डेटाबेस और अनुप्रयोग।
- सतर्कता शिकायत प्रबंधन सॉफ़्टवेयर विकसित करना।
- सेबी अनुपालन के लिए संरचित डिजिटल डेटाबेस बनाया गया।

➢ **क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर अपनाना:**

- एसएपी ईआरपी सिस्टम को ईएसडीएस जीसीसी पर लेस के रुप में होस्ट किया गया
- एमसीसीएस और एसेट कोडिफिकेशन सॉफ्टवेयर तक विस्तारित किया गया

➢ **सूचना सुरक्षा:**

- आईएसएमएस (आईएसओ:27001) प्रमाणीकरण पूरा किया

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईएस) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति:

एमएसई (एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य नीचे दर्शाया गया है

क्र.सं	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
1	कुल खरीद (लाख रुपये में)	54089.59	6197.65	**27874.09**
2	एमएसई से कुल खरीद (लाख रुपये में)	7741.10	2198.20	**8023.72**
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से कुल खरीद (लाख रुपये में)	1558.51	86.89	**89.50**
4	महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से कुल खरीद (लाख रुपये में) ।		280.64	**393.65**
5	कुल खरीद में से एमएसई से खरीद का प्रतिशत	14.31%	35.47%	**28.79%**
6	कुल खरीद में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	2.88%	1.40%	**0.32%**
7	कुल खरीद में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	0.25%	4.53%	**1.41%**

नोट: एमओएमएसएमई और एमओपी द्वारा दिए गए अपवादों पर विचार करते हुए, संबंध पोर्टल में डेटा अपडेट किया गया है।

जेम से खरीद: नीपको ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से 100% खरीद हासिल की है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुपालन:

नीपको आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना तक पहुंच प्रदान करता है। कंपनी औपचारिक आरटीआई अनुरोधों की आवश्यकता को कम करने के लिए अपने सार्वजनिक डोमेन पर सक्रिय रुप से जानकारी का खुलासा करती है।

आरटीआई आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से स्वीकार किए जाएंगे।

ऑनलाइन फाइलिंग www.rtionline.gov.in पर उपलब्ध है।

नीपको आरटीआई अनुरोध एवं अपील प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआईएमआईएस) पोर्टल से जुड़ा हुआ है।

आरटीआईएमआईएस ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों पर कार्रवाई करता है।

आरटीआई सूचना प्रकटीकरण:

निम्नलिखित का विवरण नीपको की वेबसाइट (www.neepco.co.in/rti) पर उपलब्ध है:

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी। नोडल अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) । सहायक लोक सूचना अधिकारी। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ।

सक्रिय प्रकटीकरण पर तृतीय-पक्ष ऑडिट: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूरा हो गया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदन नीचे दिए गए हैं:

प्राप्त आवेदनों/अपीलों की संख्या	173
निस्तारित आवेदनों/अपीलों की संख्या	161

नीपको में जोखिम प्रबंधन:

1. जोखिम प्रबंधन नीति (आरएमपी) :
   - फरवरी 2016 में लागू किया गया।
   - मई 2019 और मई 2022 में संशोधित किया गया।
2. बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) :
   - सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार स्थापित
   - संरचना

   अध्यक्ष: निदेशक (तकनीकी) , नीपको

   सदस्य: एनटीपीसी नामित निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (कार्मिक) नीपको।

   - इसकी बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा लगातार बैठकों के बीच 180 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होता।
3. व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) :
   - सेबी विनियमों के अनुपालन में विकसित, परिचालन लचीलेपन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
   - इसका उद्देश्य अप्रत्याशित व्यवधानों के दौरान महत्वपूर्ण परिचालनों की सुरक्षा करना है।
   - आरएमसी के अनुमोदन के बाद बीसीपी का क्रियान्वयन किया जाएगा।
4. जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा:
   - आरएमपी की समीक्षा के लिए पीडब्ल्यूसी को नियुक्त किया गया।
   - आरएमसी चर्चा के अनुसार, एनटीपीसी के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली को संरेखित करना।

नीपको में बांध सुरक्षा उपाय और पूर्व चेतावनी प्रणाली:

1. बांध सुरक्षा इकाइयाँ:
   - o बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुसार परियोजनावार स्थापित
   - o जिम्मेदारियां: नियमित निरीक्षण, संचालन एवं रखरखाव निगरानी, रिकॉर्ड रखना, तकनीकी दस्तावेज संकलन, गुणवत्ता नियंत्रण।
2. बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) :
   - o प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से युक्त
   - o किए गए बांधों का निरीक्षण: तुईरियल, खांडोंग, उमरोंग, पन्योर लोअर, पारे, दोयांग।

- o लंबित निरीक्षण: बिछोम और टेंगा बांध (कामेंग एचपीएस) ।
- o सभी बांधों के लिए सामान्य मूल्यांकन पूरा हो गया है।
- o अनुशंसाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3. निरीक्षण और रिपोर्टिंग:
   - o मानसून से पहले और मानसून के बाद नियमित निरीक्षण।
   - o राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
4. उन्नत निगरानी प्रणाली:
   - o कुछ बांधों में कार्यान्वित: जीएनएसएस, जियोडेटिक टोटल स्टेशन, डब्ल्यूएलएएन के साथ स्वचालित निगरानी सॉफ्टवेयर।
5. आपातकालीन तैयारियां:
   - o तुईरियल एचपीएस (प्रगति पर) को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) तैयार की गई है।
   - o जलाशय संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
   - o बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई।
   - o सुरक्षा नोटिस बोर्ड और सायरन लगाए गए।
6. मौसम अवसंरचना:
   - o 41 स्वचालित मौसम स्टेशन (एडबल्यूएस) और 4 डॉपलर-आधारित डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडबल्यूएलआर) स्थापित किए गए।
   - o कामेंग एचपीएस और सियोम उप-बेसिन परियोजनाओं के लिए 5 एडब्ल्यूएस और 3 डिस्चार्ज मापक उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं।
7. सहयोगात्मक परियोजनाएँ:
   - o एनईएसएसी के साथ पीएलएचपीएस के लिए जलाशय अंतर्वाह पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया।
   - o पीएलएचपीएस के लिए स्वचालित संचार प्रणाली पर आईआईटी गुवाहाटी के साथ अनुसंधान एवं विकास परियोजना: विकसित हाइड्रोडायनामिक मॉडल कार्यान्वयन के अधीन है।

प्रशिक्षण एवं विकास (मानव संसाधन विकास)

प्रशिक्षण एवं विकास (टीएंडडी) विभाग कर्मचारियों को उनके कौशल को बढ़ाने और मौजूदा कौशल को निखारने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह पहल कर्मचारी के प्रदर्शन, उत्पादकता और प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे समग्र संगठनात्मक विकास में योगदान मिलता है।

कार्यात्मक दक्षताओं और वैचारिक कौशल को निखारने के अलावा, विभाग कर्मचारियों को व्यवहारिक और प्रबंधन विकास कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करने पर महत्वपूर्ण जोर देता है। ये पहल मौजूदा उभरते रुझानों को संबोधित करने और कर्मचारियों के बीच शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई हैं।

मुख्य बातें:

- परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए प्रशिक्षण पर नए सिरे से ध्यान दिया गया।
- जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्हें लाभकारी रुप से शामिल करने के लिए जनशक्ति का पुन: कौशल विकास।
- नीपको ने अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) , राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) और एनटीपीसी के विद्युत प्रबंधन संस्थान (पीएमआई) जैसे देश के कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- 2023-24 के दौरान कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण (भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या) ।

ग्रेड वार	प्रशिक्षण के प्रकार			
	आंतरिक प्रशिक्षण	बाह्य प्रशिक्षण (भारत के भीतर)	विदेशी प्रशिक्षण	कुल
कार्यपालक	569	140	21	**730**
पर्यवेक्षक	78	07	-	**85**
कर्मचारी	208	14	-	**222**
कुल	**855**	**161**	**21**	**1037**

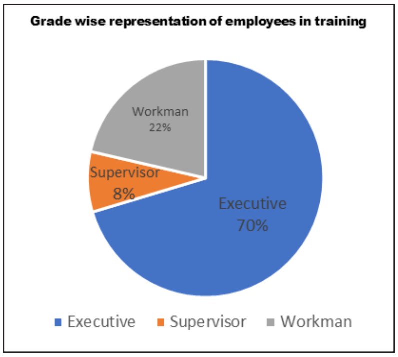

प्रशिक्षण में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	
आंतरिक प्रशिक्षण	98
भारत के भीतर बाह्य प्रशिक्षण	34
कुल	132

प्रशिक्षण प्राप्त मानव दिवस	**7233**

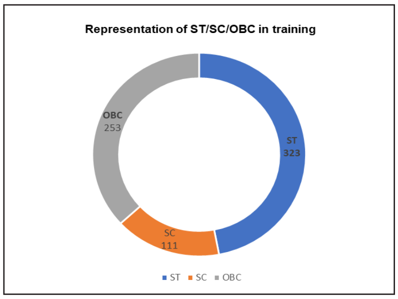

कर्मचारियों की श्रेणी	प्रशिक्षण के प्रकार			
	आंतरिक प्रशिक्षण	बाह्य प्रशिक्षण (भारत के भीतर)	विदेशी प्रशिक्षण	कुल
एसटी श्रेणी के कर्मचारी	280	41	02	**323**
एससी श्रेणी के कर्मचारी	88	20	03	**111**
ओबीसी श्रेणी के कर्मचारी	210	39	04	**253**

नीपको में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की स्थिति	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और संशोधनों के अनुसार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 4.78% की उपलब्धि हासिल की गई।

नियम और नीतियाँ

प्रबंधन ने वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित मानव संसाधन नीतियों/योजनाओं को लागू किया:

1. नीपको समान अवसर नीति में संशोधित खंड संख्या 4.18 "परिवहन भत्ता"।
2. अधिकारियों के लिए मौजूदा नीपको पदोन्नति नीति और नियमों में संशोधन।
3. नीपको स्थानांतरण नीति के अनुसार श्रेणी-II के किसी भी स्थान पर तैनात कर्मचारियों को 01/05/2023 से एचआरए की विशेष सुविधा बहाल करना।
4. नीपको धोखाधड़ी और व्हिसल ब्लोअर नीति को संशोधित किया गया।
5. नीपको दस्तावेजों के संरक्षण और अभिलेखीय नीति की प्रभावी तिथि को संशोधित किया गया।
6. नीपको के सभी विद्युत स्टेशनों और परियोजनाओं को जोखिम और कठिनाई के मापदंडों के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया गया है, ताकि कठिन क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
7. एनटीपीसी लिमिटेड की तर्ज पर नियमों और नीतियों में संशोधन का काम तेज कर दिया गया है, जिसमें नीतियों को कर्मचारी केंद्रित बनाने, परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और नीपको के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के लिए समग्र मूल्यांकन को सक्षम करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व वाली एक बहु-विषयक समिति गठित की गई है।

जनशक्ति शक्ति और भर्ती

31.03.2024 तक जनशक्ति शक्ति 1437 नियमित कर्मचारी (सीवीओ को छोड़कर) थी। वर्ष के दौरान 32 (बत्तीस) कर्मचारियों की भर्ती की गई, जबकि 126 कर्मचारी अलग हो गए, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में बताया गया है:

वर्ष के दौरान भर्ती		
कार्यपालक प्रशिक्षु (वै/यां)	16	04 ने इस्तीफा दिया
कार्यपालक प्रशिक्षु (वित्त)	02	
कार्यपालक प्रशिक्षु (मा.सं)	02	
सहायक कंपनी सचिव	01	
कनिष्ठ अभियंता (वै/यां)	11	
कुल	32	

स्थानीय रोजगार कार्यालयों से प्राप्त ग्रेड सी श्रेणियों के लिए सभी आरक्षण नियमों, विशेष रुप से क्षेत्रीय रोस्टर का पालन किया जाता है। इस दृष्टिकोण ने स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों को प्रभावी ढंग से सृजित किया है, जो विशेष रुप से स्थानीय रोजगार सृजन और सामान्य रुप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के सतत विकास के लिए नीपको की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हमारे नए प्रयासों के क्रम में और एनटीपीसी की सह-ब्रांडिंग के साथ, नीपको पूरे देश से कार्यपालक कैडर में नए और प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को आकर्षित करने में सक्षम है। तकनीकी जनशक्ति की भर्ती के लिए विद्युत मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, आवेदन नव विकसित ऑनलाइन भर्ती पोर्टल प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और बेहतर दक्षता और समय प्रबंधन के लिए साक्षात्कार केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए थे।

हमारी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक और रणनीतिक जनशक्ति योजना बनाने के लिए, 10 वर्षीय जनशक्ति योजना की संकल्पना करने का कार्य चल रहा है।

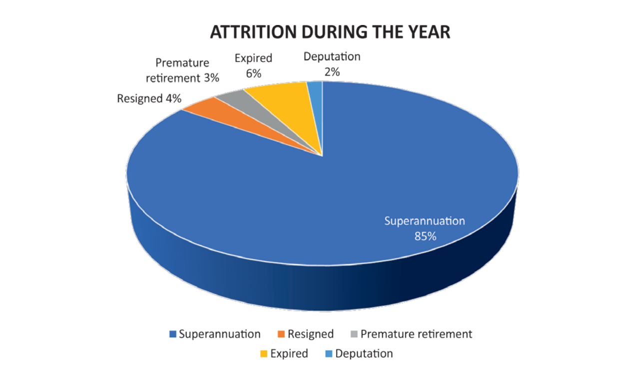

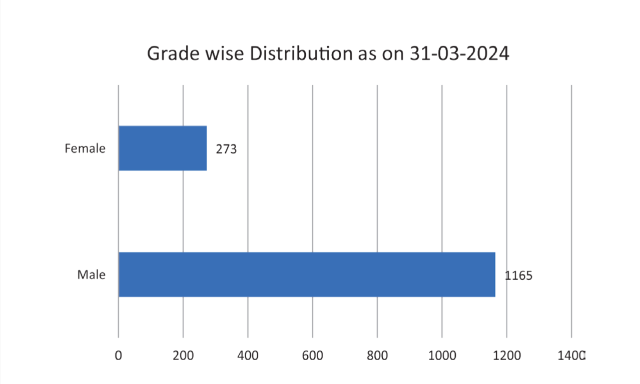

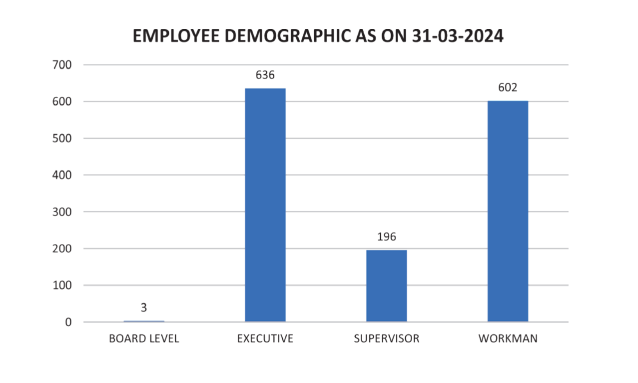

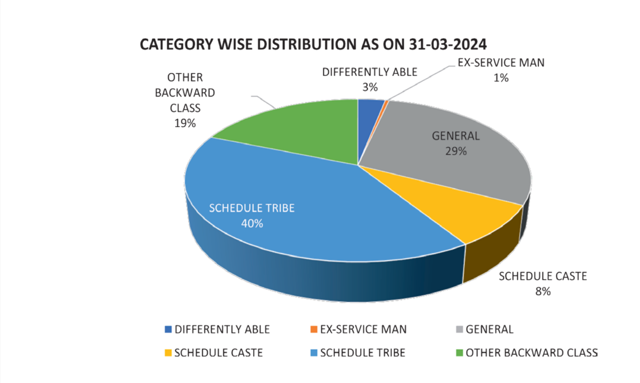

एससीएस/एसटीएस/ओबीसी के आरक्षण पर सांख्यिकीय जानकारी

01-04-2023 तक एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कर्मचारी रोल पर	एससी	प्रतिशत%	एसटी	प्रतिशत%	ओबीसी	प्रतिशत%
ए	543	73	13.44%	115	21.17%	126	23.20%
बी	516	30	5.81%	206	39.92%	102	19.76%
सी	380	26	6.84%	235	61.84%	51	13.42%
डी	68	01	1.47%	54	79.41%	05	7.35%
कुल	**1507**	**130**	**8.62%**	**610**	**40.47%**	**284**	**18.84%**

- उपरोक्त सांख्यिकीय जानकारी में निदेशक और सीवीओ की जानकारी शामिल नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस की भर्ती

ग्रुप	कुल भर्ती	एससी	प्रतिशत %	एसटी	प्रतिशत %	ओबीसी	प्रतिशत %	पीडबल्यू बीडी	प्रतिशत %	ईडबल्यू एस	प्रतिशत %	यदि कोई (टिप्पणी हो)
ए	21	3	14.29	1	4.76	6	28.57	1	4.76	3	14.29	21 उम्मीदवारों में से 4 ने इस्तीफा दे दिया है
बी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
सी	11	0	0	7	64	2	18	0	0	0	0	
डी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल	**32**	**3**	**9.38**	**8**	**25.00**	**8**	**25.00**	**1**	**3.13**	**3**	**9.38**	

वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान एससी/एसटी को पदोन्नति

ग्रुप	कुल प्रमोटी	एससी	प्रतिशत%	एसटी	प्रतिशत%	ओबीसी	प्रतिशत%
ए	54	8	14.8	10	18.52	8	14.81
बी	67	0	0	38	56.72	16	23.88
सी	71	0	0	68	95.77	1	1.41
डी	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**192**	**8**	**14.8**	**116**	**171**	**25**	**40.1**

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से निगम की छवि को प्रदर्शित करने के लिए तथा अपने हितधारकों के साथ सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त एजेंसियों के साथ सहयोग के माध्यम से कुशलतापूर्वक काम कर रहा है।

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ने निगम की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सभी सोशल मीडिया हैंडलों को संभाला, साथ ही निगम के मिशन और विजन को बेहतर ढंग से ज्ञात और सराहा जाने का प्रयास किया।

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विशेष कहानियां जारी करता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/बिजनेस पत्रिकाओं के साथ साक्षात्कार, विद्युत मंत्रालय के अन्य संबंधित कार्यों के लिए मीडिया निगरानी, समय-समय पर कॉर्पोरेट अभियान, इन-हाउस पत्रिका, आदि। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से ब्रांडिंग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना और एक नया ब्रांड नीपको बनाना।

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ने भारत सरकार के सभी अभियानों को क्रियान्वित किया, जो प्रचार और जागरुकता सृजन के लिए सौंपे गए थे, जिसमें विभिन्न मंचों/संस्थानों पर वार्ता, ज्ञान साझा करने, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के माध्यम से नीपको को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा, एनटीपीसी के साथ सह-ब्रांडिंग से नीपको को काफी लाभ हुआ है।

सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी उपस्थिति बढ़ाकर, अन्य संगठनों के साथ ज्ञान साझा करके, मुख्यधारा के परिदृश्य में "ब्रांड नीपको" को मजबूत करने के प्रयास शुरु किए गए हैं।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध कार्य का उद्देश्य प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण और स्वस्थ संबंध बनाए रखना है और निगम में औद्योगिक संबंध पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण बने रहे। यूनियनकृत कर्मचारियों, अन्य कर्मचारियों, नीतिगत मामलों और श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर प्रबंधन और यूनियनों/संघों के बीच सीधे बैठकें और चर्चाएं आयोजित की गईं। चर्चाओं से उत्पन्न सुझावों को यथार्थवादी तरीके से आगे बढ़ाया गया। वर्ष 2023-2024 के दौरान, किसी भी औद्योगिक संबंध मुद्दे के कारण शून्य मानव-दिवस हानि हुई। यूनियन और प्रबंधन के बीच संबंधों में जबरदस्त सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरुप किसी तीसरे पक्ष को शामिल किए बिना द्विपक्षीय रुप से लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए आपसी सहमति बनी है। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच इस बेहतर संबंध के परिणामस्वरुप अधिक स्वामित्व, प्रेरणा और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है।

नीपको कर्मचारी दिवस का उत्सव

नीपको कर्मचारी दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के साथ मेल खाता है, दिनांक 01.05.2023 को निगम की सभी परियोजनाओं और कार्यालयों में मनाया गया।

उद्यम संसाधन योजना-एचसीएम मॉड्यूल

- एचसीएम टीम सभी बारह लाइव स्थानों के लिए पे रोल तैयार कर रहा है। एचआर में पे रोल का निष्पादन पूरी तरह से एक नया कार्य है।
- पे रोल के अलावा, सभी कर्मचारी संबंधी दावों का निपटारा एचसीएम द्वारा कर्मचारी स्व-सेवा (ईएसएस) /प्रबंधक स्व-सेवा (एमएसएस) के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया है।
- निष्पादन प्रबंधन प्रणाली सभी ग्रेड के कर्मचारियों अर्थात डबल्यू1 से ई9 के लिए उत्पादन में सक्रिय है।
- शिलांग, गुवाहाटी और नई दिल्ली में उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली की निगरानी चालू है। उम्मीद है कि एएमएस को चरणबद्ध तरीके से अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाएगा।
- अन्य एचसीएम उप मॉड्यूल जैसे लर्निंग सॉल्यूशंस और रिक्रूटमेंट भी जल्द ही चालू होने की उम्मीद है।
- कागज रहित कार्यालय संचालन की दिशा में आगे बढ़ते हुए, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के डिजिटल निपटान सहित कर्मचारी सेवा पुस्तिकाओं के डिजिटलीकरण का कार्य शुरु किया गया है।

कल्याणकारी गतिविधियाँ

निगम के पास अपने संयंत्रों में और अपनी निर्माण परियोजनाओं में अच्छी तरह से सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र / औषधालय हैं, जो योग्य डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों द्वारा संचालित हैं, जो न केवल कर्मचारियों (निगम द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से लगे हुए सहित) को चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं, बल्कि एक सामाजिक सेवा उपाय के रुप में पड़ोसी गांवों के लोगों को मुफ्त भी परामर्श प्रदान करते हैं। निगम के स्वास्थ्य केन्द्रों/औषधालयों के अलावा, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की बेहतर उपचार सुविधाओं के लिए पूरे देश में कई प्रतिष्ठित अस्पताल पैनल में हैं। कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लाभ के लिए निगम के कई सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। नीपको ने पैनल में शामिल विभिन्न अस्पतालों में सेवानिवृत्त/अलग हो चुके कर्मचारियों के लिए आईपीडी और ओपीडी उपचार के मामले में अपनी कैशलेस उपचार सुविधा का भी विस्तार किया है। संगठन के गौरव और अपनेपन को बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों को नीपको लैपल पिन प्रदान करना, नीपको आईडी कार्ड को नया रुप देना और कर्मचारियों को जन्मदिन संदेश देना जैसी पहल की गई हैं।

शिक्षा

निगम उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय के रुप में परियोजना स्थलों पर स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना जारी रखता है, जहां आस-पड़ोस में स्कूली शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन स्कूलों में नीपको कर्मचारियों के बच्चों के अलावा आस-पास के गांवों/मोहल्लों के बच्चों का भी अच्छी संख्या में दाखिला होता है। नीपको अपने 5 (पांच) ओएंडएम संयंत्रों में 5 (पांच) विवेकानंद केंद्र विद्यालय (वीकेवी) स्कूलों को प्रायोजित कर रहा है जो "केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड" से संबद्ध हैं। (सीबीएसई) दिल्ली।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधिदेश के अनुसार महिलाओं की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य स्थान सुनिश्चित करने और सक्षम कार्य वातावरण का निर्माण करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आईसीसी को पीड़ित महिला से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के साथ-साथ इसकी जांच करने और नियोक्ता को इस तरह की शिकायत पर अपने जांच के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्ति भी दी गई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सार्वजनिक शिकायतें:

01.04.2023 तक लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य

01.04.2023-31.03.2024 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या - 10 (दस)

31.03.2024 तक निपटाई गई शिकायतों की संख्या - 10 (दस)

01.04.2023-31.03.2024 की अवधि के दौरान प्राप्त कोविड-19 संबंधित शिकायतों की संख्या - शून्य

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडबल्यूबीडी) के बारे में जानकारी

एक सामाजिक रुप से जिम्मेदार और सामाजिक रुप से जागरुक संगठन के रुप में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, कंपनी ने अपने कार्यबल में शारीरिक रुप से दिव्यांग व्यक्तियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी लेने का प्रयास किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2023 के दौरान कुल 02 पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति) की भर्ती की गई। 31 मार्च, 2024 तक कुल 44 (3.06%) दिव्यांग (11 अंधेपन और कम दृष्टि के साथ, 13 बधिर और कम सुनने वाले तथा 20 चलने-फिरने और अन्य दिव्यांगता के साथ) कंपनी के रोल पर हैं। आरक्षण नियमों/नीति के अनुसार प्रदान किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा की गई कुछ अन्य पहल इस प्रकार हैं।

- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, कंपनी ने 10.05.2023 से प्रभावी समान अवसर नीति लागू की है।
- मानक छुट्टी के अधिकार के अलावा, दिव्यांग कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में चार दिन का अतिरिक्त विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। यह अवकाश विशेष रुप से उनकी दिव्यांगता से संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करने और प्रबंधित करने के लिए है।
- आधिकारिक दौरे या प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग कर्मचारी के साथ आने वाले परिचारक या अनुरक्षक को यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है।
- कंपनी ने सभी परियोजना स्थलों, स्टेशनों और क्षेत्रीय कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबल्यूबीडी) के लिए संपर्क अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए हैं। यह अधिकारी दिव्यांग कर्मचारियों की सहायता करने तथा उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत या समस्या का समाधान करने के लिए जिम्मेदार हैं, तथा सभी स्थानों पर सहयोगी और उत्तरदायी वातावरण सुनिश्चित करते हैं।
- दृष्टिबाधित (वीएच) कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरुरतों का समर्थन करने के लिए, नीपको सुलभ तकनीकें जैसे बड़ी स्क्रीन प्रदान करना सुनिश्चित करता है। पहुंच-योग्यता संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे किसी भी कर्मचारी स्थानीय आईटी सहायता टीम से संपर्क कर सकता है या संपर्क अधिकारी को लिख सकता है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा इमारतों में संशोधन किए जा रहे हैं। इसमें व्हीलचेयर की सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए रैंप की स्थापना शामिल है।
- कंपनी के चिकित्सा परिचर्या और उपचार (एमएटी) नियमों के तहत, कर्मचारी स्वयं और/या अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए कृत्रिम अंगों और उपकरणों की खरीद, प्रतिस्थापन, मरम्मत या समायोजन से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, दृष्टि बाधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए अल्प दृष्टि सहायक उपकरणों के साथ-साथ श्रवण बाधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए श्रवण सहायक उपकरणों के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- उपचार प्रदान करने तथा कृत्रिम अंग आदि जैसी सहायता सामग्री वितरित करने के लिए कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं पर चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए हैं।
- नीपको की परिचालन परियोजनाओं/स्टेशनों के आस-पास के गांवों (10 किलोमीटर के दायरे में) के बच्चों और युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए, कंपनी ने नीपको कर्मचारियों के बच्चों और अपनी परियोजनाओं/स्टेशनों के आस-पास के छात्रों (शारीरिक रुप से दिव्यांगों सहित) के लिए 'नीपको मेधावी छात्रवृत्ति' की शुरुआत की है। इस योजना से आस-पास के समुदायों के दसवीं, बारहवीं, आईटीआई, बीई/बीटेक और एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को लाभ मिलता है।
- योग्यता अंकों में छूट: पीडबल्यूबीडी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए भर्ती में योग्यता अंकों में 10% की छूट दी गई है। उन्हें भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क के भुगतान और आयु में भी छूट दी गई है।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना::

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को 01.05.2023 से 30.04.2024 तक 1 (एक) वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया।

खेलकूद गतिविधियां:

निगम विभिन्न इंटर सीपीएसयू टूर्नामेंट जैसे ब्रिज, टेबल टेनिस, टी -20 क्रिकेट, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन इत्यादि में भाग लेने के लिए पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का सक्रिय सदस्य है। इस तरह के टूर्नामेंट में भाग लेने और अंततः सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए निगम इच्छुक कर्मचारियों आवश्यकता अनुसार सभी खेल विधाओं के लिए कोचिंग-सह-चयन शिविर आयोजित करता है। ऐसे कोचिंग शिविरों का आयोजन कर्मचारियों को टीम/व्यक्तिगत आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा के साथ निगम पूरे संगठन में कर्मचारियों के बीच लगातार टीम वर्क और एकजुटता की भावना पैदा कर रहा है।

नीपको के विभिन्न कार्यालयों और संयंत्रों के कर्मचारियों के बीच अंतर परियोजना खेल टूर्नामेंट को काफी अंतराल के बाद पुनर्जीवित और आयोजित किया गया है। इस संबंध में, 21 से 24 नवंबर 2023 तक जे.एन. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पोलो ग्राउंड, शिलांग में अंतर परियोजना टेबल टेनिस टूर्नामेंट (पुरुष और महिला) का आयोजन किया गया।

इसके अलावा, इंटर प्रोजेक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट (पुरुष और महिला) का आयोजन जे.एन. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पोलो ग्राउंड, शिलांग में 11 से 14 दिसंबर 2023 तक किया गया। अंत में, इंटर प्रोजेक्ट टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट (पुरुष) का आयोजन एनएफआरएसए रेलवे स्टेडियम ग्राउंड, मालीगांव, गुवाहाटी में 6 से 12 फरवरी तक किया गया।

काफी समय के बाद इन अंतर परियोजना खेल टूर्नामेंटों के फिर से शुरु होने का सभी कर्मचारियों ने बहुत अच्छा स्वागत किया और उन्हें आयोजित करने के लिए मानव संसाधन विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इस मानव संसाधन पहल ने कर्मचारियों को एक मंच पर ला खड़ा किया और कर्मचारियों के बीच प्रेरणा, बंधन, सौहार्द और खुशी के स्तर को बढ़ाने में योगदान दिया।

इन अंतर परियोजना खेल टूर्नामेंट में कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर नीपको का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों का चयन किया गया और पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में आयोजित निम्नलिखित अंतर सीपीएसयू खेल टूर्नामेंट में नीपको द्वारा भागीदारी की गई।

क्र.सं.	वर्ष 2023-24 में पीएससीबी के तत्वावधान में नीपको द्वारा भाग लिया गया अंतर सीपीएसयू टूर्नामेंट का नाम
1.	टीएचडीसीआईएल द्वारा 24.06.2023 से 28.06.2023 तक ऋषिकेश में इंटर सीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट (पुरुष टीम) का आयोजन किया गया।
2.	ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 31.08.2023 से 02.09.2023 तक बेंगलुरु में इंटर सीपीएसयू टेबल टेनिस टूर्नामेंट (पुरुष टीम) का आयोजन किया गया।
3.	नीपको लिमिटेड द्वारा 20.09.2023 से 22.09.2023 तक शिलांग में इंटर सीपीएसयू ब्रिज टूर्नामेंट (पुरुष टीम) का आयोजन किया गया।
4.	आरईसी लिमिटेड द्वारा 19.12.2023 से 22.12.2023 तक लखनऊ में इंटर सीपीएसयू शतरंज टूर्नामेंट (पुरुष टीम) का आयोजन किया गया।
5.	आरईसी लिमिटेड द्वारा 08.01.2024 से 11.01.2024 तक कोलकाता में इंटर सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट (पुरुष टीम) का आयोजन किया गया।
6.	एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 19.02.2024 से 24.02.2024 तक गुरुग्राम में इंटर सीपीएसयू टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट (पुरुष टीम) का आयोजन किया जाएगा।

नीपको ने कोल इंडिया गुवाहाटी हाफ मैराथन 2023 का सह-प्रायोजन भी किया, जिसे 3 दिसंबर, 2023 को सरसुजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुवाहाटी में श्रीमती नंदिता गरलोसा माननीय ऊर्जा और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, असम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

टर्मिनल लाभ निपटान

01/04/2023 से 31/03/2024 तक तय की गई ग्रेच्युटी का विवरण				
वर्ग	सेवानिवृत्ति (संख्या में)	त्यागपत्र (संख्या में)	मृत्यु (संख्या में)	राशि (रुपये में)
कार्यपालक	55	0	01	11,20,00,000
पर्यवेक्षक	14	0	01	2,97,72,885
वर्कमेन	41	0	05	7,31,68,131
कुल	**110**	0	**7**	**21,49,41,016**

निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत भुगतान की गई राशि		
क्र.सं.	शीर्ष	राशि (रुपये में)
1	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	9,46,59,367
2	नीपको कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	4,50,76,804
3	स्मृति चिन्ह (5 ग्राम सोने का सिक्का)	39,06,735
4	नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना	37,24,08,323
5	नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना	48,00,000
6	नीपको समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	47,08,003

विलंब को कम करने तथा शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करने तथा उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

नीपको सीएसआर नीति इस बात पर बल देती है कि निगम आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों को एकीकृत करके दीर्घकालिक हितधारक मूल्य कैसे बनाता है। यह नीति निगम को सभी निर्णयों और प्रमुख कार्य प्रक्रियाओं में स्थिरता संबंधी विचारों को एकीकृत करने, भविष्य के जोखिमों को कम करने और अवसरों को अधिकतम करने में मदद कर रही है।

चूंकि बिजली संयंत्र पूरे पूर्वोत्तर में स्थित हैं, इसलिए हमारी पहुंच बहुत व्यापक है, और समुदाय को व्यापक कवरेज मिलता है। प्राथमिक फोकस क्षेत्र अच्छे स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण स्थिरता, कौशल विकास प्रदान करना है।

कौशल विकास क्षेत्र में, त्रिपुरा के 25 (पच्चीस) बेरोजगार स्थानीय युवाओं को केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) के माध्यम से प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के लिए मशीन ऑपरेटर पर औद्योगिक प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 21 (इक्कीस) प्रशिक्षुओं को कैंपस भर्ती के माध्यम से विभिन्न उद्योगों में रखा गया। स्थानीय युवाओं के लिए अन्य परियोजना स्थानों पर सीआईपीईटी और अन्य समान संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण लिया जा रहा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-10** में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का भाग है।

आगामी वर्षों के लिए उच्च दृश्यता और उल्लेखनीय सामाजिक प्रभाव वाली बड़ी सीएसआर परियोजना की योजना बनाई जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन जैसे कार्यक्रम विचाराधीन हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

निगम द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति को कारपोरेट कार्यालय के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों तथा पावर स्टेशनों में कार्यान्वित किया गया। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात द्विभाषी जारी किए गए। विभिन्न कार्यालयों/पावर स्टेशनों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत हिंदी पाठ्यक्रम हेतु नामित किया गया। कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने का अभ्यास कराने हेतु हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। "आज का शब्द कार्यक्रम" के तहत कर्मचारियों के हिंदी एवं ख़ासी शब्दकोश के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी समानान्तर शब्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रत्येक दिन डिजिटल बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। नीपको की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है।

दिनांक 26.02.2024 से 27.02.2024 तक इंडिया हैबीटाट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में दो दिवसीय राजभाषा उत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नीपको लिमिटेड, नई दिल्ली कार्यालय की समन्वयक की भूमिका रही। इस दो दिवसीय राजभाषा उत्सव आयोजन में मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम** (सेवानिवृत्त) , निदेशक (कार्मिक) , नीपको लिमिटेड ने श्रीमती अंशुली आर्या, वरिष्ठ आई ए एस, सचिव (राजभाषा) के साथ मंच साझा किया। निदेशक (कार्मिक) ने राजभाषा हिन्दी विषय पर अपने व्याख्यान में बताया कि प्रयोग में हिंदी सहज और सरल होनी चाहिए।

नीपको कॉर्पोरेट कार्यालय, शिलांग को वर्ष 2022-23 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिलांग-2 द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। 24 जनवरी, 2024 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिलांग-2 की बैठक में नीपको को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

इसी प्रकार, नीपको कार्यालय, गुवाहाटी को वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) , गुवाहाटी द्वारा 'राजभाषा चल वैजयंती शील्ड योजना' के अंतर्गत सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया तथा श्रेष्ठ हिंदी पत्रिका (2023) 'नीपको तरंग' के लिए चौथा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नीपको को ये पुरस्कार नराकास (उपक्रम) , गुवाहाटी की 19.12.2023 को आयोजित बैठक में प्रदान किए गए।

नीपको कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा दिनांक 09.08.2023 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिलांग-2 के तत्वावधान में एक स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने तथा हिंदी के प्रति जागरुकता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय के साथ-साथ पावर स्टेशनों एवं अन्य कार्यालयों में हिंदी दिवस तथा राजभाषा(हिंदी) पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी पत्रिका "नीपको ज्योति","रतनदीप","आरोही","नीपको तरंग","कामेंग धारा","पारे प्रवाह" को क्रमशः कारपोरेट कार्यालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स कार्यालय,एजीबीपीएस,गुवाहाटी कार्यालय, काहेप्स, पाहेप्स से ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें निगम की राजभाषा हिंदी के प्रयोग में प्राप्त उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

नीपको राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की गई। बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा राजभाषा के कार्यान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए।

नीपको सतर्कता गतिविधियाँ

दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2024 की अवधि के दौरान, नीपको सतर्कता विभाग ने समय-समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के तहत सतर्कता तंत्र के विभिन्न पहलुओं से निपटा है। सतर्कता विभाग के विशिष्ट एवं स्वतंत्र कामकाज के लिए नीपको ने सतर्कता कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की। वर्ष 2023-24 के दौरान अन्य स्रोतों से 16 शिकायतें प्राप्त हुईं। उक्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान कर दिया गया।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच के अलावा सतर्कता विभाग ने विभिन्न मुद्दों का सक्रियता से सत्यापन किया। नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए निवारक सतर्कता के पहलू पर जोर दिया गया और विभिन्न मामलों की जांच के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। सतर्कता स्कंध ने निवारक सतर्कता के माध्यम से कई सलाह दी हैं, जिसके परिणामस्वरुप तकनीकी और कार्मिक विभाग में प्रणालीगत सुधार हुए हैं। इस अवधि के दौरान विभिन्न संयंत्रों/परियोजनाओं में साइट सतर्कता अधिकारियों द्वारा 74 (चौहत्तर) आवधिक निरीक्षण किए गए हैं, 6 (छह) सीटीई प्रकार के निरीक्षण और सतर्कता विभाग द्वारा 34 (चौंतीस) औचक निरीक्षण किए गए हैं। 01/04/2023 से 31/3/2024 की अवधि के दौरान निरीक्षण, फ़ाइल जांच और प्रक्रियाओं और प्रथाओं की जांच के परिणामस्वरुप 22 (बाईस) प्रणालीगत सुधार सुझाव भी दिए गए।

असम गैस आधारित पावर प्लांट, बोकुलोनी, असम में गहन जांच के दौरान सीटीई द्वारा उठाए गए 4 (चार) पैरा की जांच की गई और बाद में पैरा को हटा दिया गया। सीटीई के निरीक्षण में पाई गई खामियों के बाद एजीबीपीएस के 02 (दो) अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई और चेतावनी जारी की गई।

कोपिली जल विद्युत संयंत्र में प्रस्ताव के आधार पर जीर्णोद्धार कार्य देने से संबंधित पीआईडीपीआई की शिकायत की जांच के बाद 06 (छह) अधिकारियों को मामूली दंड दिया गया।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए ई-खरीद, ई-भुगतान आदि का कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका है। नीपको की ऑनलाइन सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणाली भी कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। सभी वार्षिक संपत्ति रिटर्न नीपको के ईएसएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए हैं। इस अवधि के दौरान कुल 132 वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच की गई जो कुल अधिकारियों का लगभग 20.25% है।

इस अवधि के दौरान जारी किए गए सभी महत्वपूर्ण सीवीसी परिपत्रों और कार्यालय ज्ञापनों को भी सभी संबंधितों को प्रसारित कर दिया गया है, ताकि कार्रवाई का अनुसरण किया जा सके और निगम में समग्र प्रणाली में सुधार किया जा सके।

डीपीसी, पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी, पदोन्नति नियमितीकरण, निजी विदेश यात्रा, बाह्य रोजगार, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवांत लाभ जारी करने आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी निगम के संबंधित विभाग द्वारा मांगे जाने पर दी गई।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और विद्युत मंत्रालय (एमओपी) , भारत सरकार द्वारा तैयार एजेंडे पर आयोजित विभिन्न बैठकों में भी भाग लिया है तथा बैठकों में लिए गए निर्णय के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके 30 अक्टूबर, 2023 से 05 नवंबर, 2023 तक निगम में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023" मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के दौरान सभी परियोजनाओं और मुख्यालय, शिलांग में जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, सप्ताह के दौरान निकटवर्ती परियोजना/कार्यालयों के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता जैसी आउटरीच गतिविधियां आयोजित की गईं।

इसके अलावा, सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2023 के अग्रदूत के रुप में 3 महीने की अभियान अवधि (16 अगस्त-15 नवंबर 2023) के दौरान पीआईडीपीआई से संबंधित पोस्टर/बैनर प्रदर्शित करना, पीआईडीपीआई संकल्प के बारे में जिंगल्स/वीडियो का प्रसार, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना, दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/मैनुअल का अद्यतन करना और नई व्यापक ऑनलाइन सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणाली का विकास जैसी विभिन्न गतिविधियां की गईं।

बोर्ड बैठक

वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की कुल 09 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं।

स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी नियुक्ति के समय तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने के संबंध में वार्षिक रूप से घोषणा प्रस्तुत की है।घोषणाएँ बोर्ड के समक्ष रखी गईं। हमारी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और नियम कंपनी की वेबसाइट https://neepco.co.in/ पर होस्ट किए गए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

25 जनवरी, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रुप से निभाने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन की भी समीक्षा की।

निदेशकों के चयन तथा नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के लिए नीति

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 के राजपत्र अधिसूचना के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ङ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

निदेशकों और बोर्ड का प्रदर्शन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र के माध्यम से, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट दी है, जिसके तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन मूल्यांकन आवश्यकता है। एमसीए के उक्त परिपत्र ने सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के प्रावधानों से छूट दी है जिसके तहत यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी है, या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार करती है तो बोर्ड और उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशक द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख बोर्ड की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

इसके अलावा, 5 जुलाई, 2017 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, यदि प्रदर्शन मूल्यांकन के मामले केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं और ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन सरकारी कंपनियों द्वारा किए जाने पर अनुसूची IV के प्रावधान अर्थात सरकारी कंपनियों के लिए निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से छूट दी गई है।

इस संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने पहले ही सभी कार्यपालक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित कर दिया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरु कर दिया है, जिसे नीपको द्वारा किया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 25 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई थी। 25 जनवरी, 2024 के इस बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा संपूर्ण बोर्ड और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया गया :

1. श्री बैद्यनाथ महाराणा, मुख्य वित्तीय अधिकारी
2. श्री अबिनोम पनू रोंग, कंपनी सचिव

नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश, जो वर्तमान की स्थिति को प्रभावित करते हैं

नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी की मौजूदा स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए थे।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

नीपको के पास एक पूर्ण रूप से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें इसके संचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसके तहत शक्ति के प्रत्यायोजन, प्रलेखित नीतियों, दिशानिर्देशों, मैनुअल और परिपत्रों के साथ-साथ इस तरह के संचालन से संबंधित विभिन्न कानूनों और विनियमों के अनुसार लेनदेन और निर्णय को संसाधित किया जाता है। कंपनी ने प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपाय की पहचान करते हुए एक सुपरिभाषित आंतरिक नियंत्रण ढांचा विकसित किया है।

नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी एक बोर्ड-स्तरीय लेखा परीक्षा समिति और एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। सभी परियोजनाओं और कार्यालयों को कवर करने वाले नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स / लागत लेखाकारों की अनुभवी फर्मों द्वारा आयोजित की जाती हैं और इन्हें कंपनी के अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के साथ समन्वय से उक्त उद्देश्यों के लिए इंगेज किया जाता है।आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करते हैं और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों और अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियों (एटीआर) का सारांश नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है और तदनुसार इस पर दी सिफारिशों और निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन डीपीई ओएम संख्या 2(70) /08-डीपीई(डब्ल्यूसी) -जीएल-XVI/08 दिनांक 26 नवंबर, 2008 के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, वेतन संशोधन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन और सरकारी कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं :

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस / परिवर्ती वेतन पूल प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति निर्धारित करना।

2. निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

3. निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी नई नियुक्ति हेतु अनुमोदन।

इसके अलावा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना तथा निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

1 (क) स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक से अपेक्षित भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास उक्त विवरण में पहचानी गई योग्यताएं होनी चाहिए। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति:

क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें;

ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा; तथा

ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें।

(2) स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;

(3) निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;

(4) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

(5) स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाए या जारी रखा जाए।

(6) वरिष्ठ प्रबंधन को देय समस्त पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रुप में हो, के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 10-08-2022 को आयोजित अपनी 272वीं बोर्ड बैठक में सुझाव दिया था कि वित्तीय निहितार्थ वाले सभी कर्मचारी/मानव संसाधन संबंधी एजेंडों को बोर्ड की मंजूरी से पहले विस्तृत चर्चा के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में रखा जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया। 31.03.2024 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति निम्नानुसार है:

नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)
डॉ. विवेकानंद पासवान	अध्यक्ष	स्वतंत्र
श्री बिमल चंद ओसवाल	सदस्य	स्वतंत्र
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यपालक

निगम के कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होता है।

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण

फॉर्म संख्या एओसी-1 के अनुसार प्रारुप में सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समेकित लेखापरीक्षित खातों का हिस्सा है और इस रिपोर्ट में संलग्न है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुसार अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। सभी संबंधित पक्ष लेन-देन सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत थे और उन पर निष्पक्ष बातचीत की गई थी। इनका उद्देश्य कंपनी के हितों को और अधिक बढ़ाना था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण, अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में निम्नानुसार है:

विवरण	टिप्पणियां
अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण जो कि निष्पक्ष आधार पर नहीं है	शून्य
भौतिक अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत विवरण:	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रपत्र एओसी-2 में दी गई है, जो **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

इंड-एएस-24 के अंतर्गत संबंधित पक्ष प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 में किया गया है।

निदेशक मंडल ने 22.12.2022 को आयोजित अपनी 275वीं बोर्ड बैठक में संबंधित पक्ष लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने पर नीति को मंजूरी दे दी है।यह वेबलिंक पर भी उपलब्ध है: https://neepco.co.in/corporate-governance-updates

भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और इस निदेशक रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई है, जो आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-10** में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

वार्षिक रिटर्न का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी का वार्षिक रिटर्न (ड्राफ्ट एमजीटी-7) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ा जाए तो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न तक पहुंचने के लिए वेबलिंक https://neepco.co.in/investors/equity है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यास के एक भाग के रूप में, एक व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) स्वेच्छा से तैयार की गई है और **अनुलग्नक-4** के रूप में संलग्न है और यह निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के अनुसार विवरण।

नीपको एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते।

निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक की नीति

नीपको एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ङ) के प्रावधान लागू नहीं होते।

कॉर्पोरेट प्रशासन

नीपको अपने कामकाज के संचालन में अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व पर दृढ़ता से विश्वास करता है। यह अपने संचालन में पर्याप्त नियंत्रण प्रणालियों के साथ-साथ दक्षता बढ़ाने पर जोर देता है। लेखापरीक्षा समिति तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सभी वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य विभिन्न संचार आम जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ विभिन्न अन्य संचार आम जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक अलग वक्तव्य **अनुलग्नक-2** के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के भाग के रूप में, कार्यरत कंपनी सचिव से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र **अनुलग्नक-5ए** के रूप में संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दों के अतिरिक्त, कुछ मुद्दों को प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर रिपोर्ट में सामने लाया गया है, जो **अनुलग्नक-3** में दी गई है और यह इस निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति नियमित रूप से सभी वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है, फिर उन्हें निदेशक मंडल के समक्ष रखती है। लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। लेखापरीक्षा समिति के बारे में विवरण, जिसमें लेखापरीक्षा समिति की संरचना भी शामिल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट का हिस्सा है जो इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-2** के रूप में संलग्न है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ग) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा उनमें कोई भौतिक विचलन नहीं है।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

घ) निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक लेखा चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए हैं;

ङ) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं जिनका कंपनी द्वारा अनुपालन किया जा रहा है और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; तथा

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का विवरण

पिछली रिपोर्ट के बाद से, निम्नलिखित निदेशक नीपको के बोर्ड से निदेशक नहीं रहे:

1. श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य, एनटीपीसी के नामित निदेशक, 30.11.2023 तक।
2. श्री जितेश जॉन, नामित निदेशक (भारत सरकार) , 30.11.2023 तक।
3. श्री दिलीप कुमार पटेल, दिनांक 24.09.2023 तक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए।
4. श्री जयकुमार श्रीनिवासन, एनटीपीसी के नामित निदेशक 31.07.2024 तक।

निदेशक मंडल ने उक्त निदेशकों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त की।

पिछली रिपोर्ट के बाद से, नीपको के बोर्ड में निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई है:

1. मेजर जनरल राजेश कुमार झा एवीएसएम** (सेवानिवृत्त) , निदेशक (कार्मिक) 25.09.2023 से प्रभावी।
2. श्री शंभू नाथ त्रिपाठी, आरईडी (हाइड्रो) और ईडी (पीएम) , 15.12.2023 से प्रभावी।
3. श्री पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव (थर्मल) , विद्युत मंत्रालय, 20.02.2024 से प्रभावी।
4. श्री वीरेंद्र मलिक, एनटीपीसी के नामित निदेशक, 31.07.2024 से प्रभावी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और आपकी कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार,श्री रनेंद्र शर्मा, निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन:10048417) , आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

सावधि जमा

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत निर्दिष्ट अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं की है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कर्मचारियों का विवरण

वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था, जिसका उस वर्ष के लिए पारिश्रमिक कुल मिलाकर ₹102.00 लाख से कम न हो या यदि वह वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित था, तो वर्ष के किसी भाग के लिए ऐसी दर से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, जो कुल मिलाकर ₹8.50 लाख प्रति माह से कम न हो; या यदि वह पूरे वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए नियोजित था, तो वर्ष के दौरान ऐसी दर से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, जो कुल मिलाकर, या जैसा भी मामला हो, ऐसी दर से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, जो कुल मिलाकर प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा प्राप्त की गई राशि से अधिक था और वह स्वयं या अपने पति/पत्नी और आश्रितों और बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का 2% से कम नहीं रखता हो।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (एम) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय पर जानकारी इस रिपोर्ट के भाग के रुप में **अनुलग्नक-9** में संलग्न है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित कार्यवाही

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

एकमुश्त निपटान और मूल्यांकन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, जिससे एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर के संबंध में विवरण की रिपोर्टिंग की आवश्यकता पड़े।

अभिस्वीकृति

निदेशक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, विशेष रुप से विद्युत मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, पूर्वोत्तर परिषद, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एनईएसएसी) और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के प्रति उनके निरंतर सहयोग और सहायता के लिए आभारी हैं।

निदेशकों ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों के प्रति उनके सहयोग और सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। निदेशकों ने उन राज्य सरकारों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने 2023-24 की अवधि के दौरान उनके वर्तमान बकाये के विरुद्ध सभी भुगतान कर दिए थे।

निदेशकगण बैंकर्स, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वाणिज्यिक लेखा परीक्षा विंग और कंपनी रजिस्ट्रार के भी आभारी हैं।

निदेशक होल्डिंग कंपनी, एनटीपीसी लिमिटेड के समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

अंत में, निदेशकगण निगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निगम के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों की सराहना करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00307037

दिनांक: 10-08-2024

स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक -1

फॉर्म नंबर एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेन-देन भी शामिल हैं।

1	**अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का ब्यौरा जो कि निष्पक्ष आधार पर न हो: शून्य**	
a)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	लागू नहीं
b)	**अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति**	लागू नहीं
c)	**अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि**	लागू नहीं
d)	**अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो**	लागू नहीं
e)	**ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य**	लागू नहीं
f)	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि**	लागू नहीं
g)	**अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:**	लागू नहीं
h)	**वह तारीख जिस दिन सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था, जैसा कि धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक है।**	लागू नहीं
2	**भौतिक अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विस्तृत विवरण**	
a)	**संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति**	एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस (एनएसबी) संबंध- होल्डिंग कंपनी (यानी एनटीपीसी लिमिटेड) एनएसबी की प्रमोटर कंपनी है
b)	**अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति**	परामर्श सेवाएँ i) (असम में नीपको के कोपिली एचपीएस के उमरोंग जलाशय में फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना (एफएसपीवी) स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। ii) फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना (एफएसपीवी) की स्थापना के लिए मिजोरम के बुइलुम क्षेत्र में सेरलुई जलाशय की संभावित क्षमता के मूल्यांकन के लिए एनएसबी द्वारा परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं।
c)	**अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि**	i) तीन माह ii) सात दिन
d)	**अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो:**	i) रु. 20,00,000/- जीएसटी को छोड़कर ii) रु. 28,000/- जीएसटी को छोड़कर
e)	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(तारीखें) , यदि कोई हो:**	लागू नहीं
f)	**अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:**	नहीं

निदेशक मंडल और उसकी ओर से
ह/-
(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

दिनांक: 10-08-2024
स्थान: नई दिल्ली

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट

कॉर्पोरेट प्रशासन उन कानूनों, प्रथाओं और अंतर्निहित नियमों से संबंधित है जो किसी कंपनी की अपने हितधारकों - विशेष रूप से उसके शेयरधारकों, ऋणदाताओं, ग्राहकों, राज्य और कर्मचारियों के संबंध में सूचित प्रबंधकीय निर्णय लेने की क्षमता निर्धारित करते हैं। नीपको प्रबंधन हर समय अपने सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का प्रयास करता है और अधिकतम हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को अपनाया है।

प्रशासन संहिता पर दर्शन

(i) पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली का संचालन करना तथा बोर्ड को पारदर्शी तरीके से समय पर सूचना उपलब्ध कराना, ताकि बोर्ड निष्पादन की निगरानी कर सके तथा प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित कर सके।

(ii) समग्र रुप से उद्यम और देश की संपत्ति के निर्माण के लिए व्यावसायिक उद्यम की दक्षता में वृद्धि करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी और बोर्ड कॉर्पोरेट मूल्यों को अपनाएं और उन्हें अपने आचरण में लागू करें।

1. बोर्ड की संरचना और निदेशकों का विवरण:

(i) बोर्ड की संरचना:

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") में 9 (नौ) निदेशक, 1 (एक) सीएमडी, 3 (तीन) कार्यात्मक निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड अर्थात होल्डिंग कंपनी के 2 (दो) नामित निदेशक, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला 1 (एक) सरकारी अंशकालिक निदेशक और 2 (दो) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल का विवरण अर्थात उनका नाम, पदनाम, अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पदों और समिति अध्यक्ष/सदस्यता की संख्या तथा अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें निदेशक निदेशक हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.	निदेशक का नाम	पदनाम	अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकों की संख्या*	इक्विटी सूचीबद्ध इकाई और श्रेणी में निदेशक पद	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में अन्य समिति सदस्यता की संख्या**	
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	श्री गुरदीप सिंह$	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	शून्य
2	श्री बैद्यनाथ महाराणा	निदेशक (वित्त)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	श्री रनेंद्र शर्मा	निदेशक (तकनीकी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम** (सेवानिवृत्त) $	निदेशक (कार्मिक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	एनटीपीसी के नामित निदेशक	5	एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक(वित्त)	शून्य	4
6	श्री शंभू नाथ त्रिपाठी $	एनटीपीसी के नामित निदेशक	1	शून्य	शून्य	शून्य
7	श्री पीयूष सिंह$	भारत सरकार नामित निदेशक	1	एनटीपीसी लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य	शून्य
8	श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक	1	शून्य	शून्य	शून्य
9	डॉ. विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	श्री राजीव कुमार विश्नोई #	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6	एनएचपीसी लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार	शून्य	शून्य
11	श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य #	भारत सरकार नामित निदेशक	4	एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएँ)	शून्य	शून्य
12	श्री जितेश जॉन#	भारत सरकार नामित निदेशक	1	शून्य	शून्य	शून्य
13	श्री दिलीप कुमार पटेल $ #	निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार	9	एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक (HR)	शून्य	1

•कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत विदेशी कंपनियों, वैकल्पिक निदेशकों और कंपनियों में निदेशक पद को शामिल नहीं किया गया है।

•अन्य समिति सदस्यता में केवल सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के अनुसार अन्य कंपनियों की लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता शामिल है।

वर्ष के दौरान समाप्त हो गया।

$ वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया।

कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित नहीं है।

(ii) गैर-कार्यपालक निदेशक का मुआवजा और प्रकटीकरण:

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया है।

(iii) बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और प्रक्रियाएं:

क) प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बोर्ड बैठकें आयोजित की जाती हैं। चार निर्धारित बोर्ड बैठकों के अलावा, उचित सूचना देकर अतिरिक्त बोर्ड बैठक बुलाई जा सकती है। व्यावसायिक अनिवार्यताओं या मामलों की तात्कालिकता के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संचलन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है।

ख) निदेशक मंडल को प्रत्येक बोर्ड बैठक में परियोजना कार्यान्वयन और कंपनी के संचालन से संबंधित प्रस्तुति दी जाती है। जानकारी को लागू दिशा-निर्देशों और अधिनियम के अनुसार बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

ग) निदेशक मंडल ने कंपनी के परियोजना/विभाग प्रमुखों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र की संख्या के आधार पर कंपनी सचिव द्वारा प्रस्तुत कानूनों के अनुपालन प्रमाणपत्र की समय-समय पर समीक्षा की।

घ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड की कुल 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी ने प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बोर्ड बैठक आयोजित की है। बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नीपको के निदेशक मंडल की निम्नलिखित तिथियों पर 09 (नौ) बार बैठक हुई:

प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही
25-04-2023	14-08-2023	10-11-2023	25-01-2024
16-05-2023	15-09-2023	-	09-02-2024
			23-02-2024
			22-03-2024

क्रम सं	बोर्ड बैठक सं	दिनांक	बोर्ड की ताकत	उपस्थित निदेशको की सं
1	278वीं बोर्ड बैठक	25-04-2023	8	8
2	279वीं बोर्ड बैठक	16-05-2023	8	7
3	280वीं बोर्ड बैठक	14-08-2023	8	8
4	281वीं बोर्ड बैठक	15-09-2023	9	7
5	282वीं बोर्ड बैठक	10-11-2023	9	9
6	283वीं बोर्ड बैठक	25-01-2024	8	8
7	284वीं बोर्ड बैठक	09-02-2024	8	8
8	285वीं बोर्ड बैठक	23-02-2024	9	9

9	286वीं बोर्ड बैठक	22-03-2024	9	8

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड बैठक और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	बैठक की तिथि									कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या	उपस्थिति का %	क्या पिछली एजीएम में भाग लिया था
	278वीं बीएम	279वीं बीएम	280वीं बीएम	281वीं बीएम	282वीं बीएम	283वीं बीएम	284वीं बीएम	285वीं बीएम	286वीं बीएम				
	25-04-2023	16-05-2023	14-08-2023	15-09-2023	10-11-2023	05-01-2024	09-02-2024	23-02-2024	22-03-2024				
श्री राजीव कुमार विश्नोई #	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100%	लागू नहीं
श्री गुरदीप सिंह$	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	100%	हाँ
श्री बैद्यनाथ महाराणा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9	100%	हाँ
श्री रनेंद्र शर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9	100%	हाँ
श्री दिलीप कुमार पटेल$#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.00%	लागू नहीं
मेजर जनरल राजेश कुमार झा$	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100%	लागू नहीं
श्री जितेश जॉन#	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	5	5	100%	हाँ
श्री पीयूष सिंह$	-	-	-	-	-	-	-	✓	×	2	1	50%	लागू नहीं
श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य#	✓	×	✓	×	✓	-	-	-	-	5	3	60%	नहीं
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9	100%	हाँ
श्री शंभू नाथ त्रिपाठी$	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	4	4	100%	लागू नहीं
श्री बिमल चंद ओसवाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9	100%	हाँ
डॉ विवेक नदं पासवान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9	100%	हाँ

$वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया।
#वर्ष के दौरान समाप्त हो गया।

निदेशकों का कौशल/क्षमता मैट्रिक्स

31 मार्च, 2024 तक निदेशक मंडल की विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं। हालाँकि, किसी सदस्य के नाम के आगे टिक मार्क न होने का यह मतलब नहीं है कि उक्त निदेशक के पास संबंधित कौशल या विशेषज्ञता नहीं है।

निदेशक का नाम	पदनाम	तकनीकी / अभियांत्रिकी	ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र	वित्त एवं बैंकिंग	अर्थशास्त्र	मानव संसाधन प्रबंधन	विनियामक ढांचा	प्रबंधन	शैक्षणिक	अनुसंधान एवं विकास
श्री गुरदीप सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	✓					✓		
श्री बैद्यनाथ महाराणा	निदेशक (वित्त)		✓	✓			✓			
श्री रनेंद्र शर्मा	निदेशक (तकनीकी)	✓	✓							✓
मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम** (सेवानिवृत्त)	निदेशक (कार्मिक)	✓				✓		✓		✓
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	एनटीपीसी के नामित निदेशक		✓	✓			✓	✓		
श्री शंभू नाथ त्रिपाठी	एनटीपीसी के नामित निदेशक	✓	✓							
श्री पीयूष सिंह	भारत सरकार के नामित निदेशक	✓	✓				✓			
श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक			✓			✓	✓		
डॉ विवेक नदं पासवान	स्वतंत्र निदेशक								✓	

2. बोर्ड की स्वतंत्रता

स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी नियुक्ति के समय तथा वार्षिक आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने के संबंध में घोषणा प्रस्तुत की है। घोषणाओं को बोर्ड के समक्ष रखा गया। हमारी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव है और वे कंपनी के लिए लागू सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और नियम कंपनी की वेबसाइट https://neepco.co.in/ पर होस्ट किए गए हैं।

3. बोर्ड सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट दी है, जिसके तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना आवश्यक है। एमसीए के उपरोक्त परिपत्र ने सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के प्रावधानों से भी छूट दी है, जिसके तहत बोर्ड और उसकी समितियों और बोर्ड की रिपोर्ट में व्यक्तिगत निदेशक द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख करना आवश्यक है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है, या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार करती है।

इसके अलावा, 5 जुलाई, 2017 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, यदि कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के मामले केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं और सरकारी कंपनियों द्वारा ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, तो निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के संबंध में अनुसूची IV के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट दी जाती है।

इस संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने पहले ही सभी कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र तैयार कर लिया है। सरकार द्वारा नामित निदेशकों के मामले में, उनका मूल्यांकन मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरु किया है, जिसे

नीपको द्वारा किया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया है। इसके अलावा, चूंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए बोर्ड स्तर पर उत्तराधिकार की योजना कंपनी द्वारा नहीं बनाई जाती है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 25 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई थी। संपूर्ण बोर्ड और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 25 जनवरी, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया गया था।

4. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

दिनांक 25 जनवरी, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रुप से निभाने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन की भी समीक्षा की।

5. आचार संहिता:

कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता लागू की है। कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक पर उपलब्ध है:

https://neepco.co.in/sites/default/files/Code%20of%20Conduct%20for%20Board%20Members.pdf

सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा निम्नानुसार है:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के अंतर्गत घोषणा और डीपीई दिशानिर्देश

सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-
(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10-08-2024

6. बोर्ड को दी गई जानकारी

कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्य का आकलन करने और विकास की संभावनाओं और आकर्षक रिटर्न वाले अवसरों की ओर पूंजी लगाने या पुनर्नियुक्ति करने के लिए सूचना तक पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नीपको के पास सभी विभागों और इकाइयों का एक सुदृढ़ ढांचा और एकीकरण है, जिससे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों स्तरों पर सूचनाओं का निर्बाध और समयबद्ध प्रवाह सुनिश्चित होता है। बोर्ड के पास सभी डेटा, दस्तावेजों, रिपोर्टों तक पूर्ण पहुंच है, जिससे बोर्ड समयबद्ध और सूचित निर्णय लेने और संगठन पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। बोर्ड को प्रदान की गई जानकारी में सामान्यत: कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियम, एसोसिएशन के ज्ञापन और अनुच्छेद, सचिवीय मानक, नीपको की शक्तियों का प्रत्यायोजन, तथा समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुप्रयोग कानून, विनियम और सरकारी दिशा-निर्देश शामिल होते हैं।

7. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति को लागू किया है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

8. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:

बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियाँ प्रदान की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया और अभ्यास से परिचित हो सकें।

बोर्ड के सदस्यों को प्रासंगिक विषयों पर कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों के लिए परियोजना/संयंत्र साइट का दौरा भी आयोजित किया जाता है।

9. लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन वर्ष 2001 में किया गया था और आवश्यकतानुसार इसका पुनर्गठन किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार था:

क्र.सं	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)
1	श्री. बिमल चंद ओसवाल	अध्यक्ष	स्वतंत्र
2	डॉ. विवेका नंद पासवान	सदस्य	स्वतंत्र
3	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यकारी

वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 (छह) बार बैठक हुई। बैठकों में निदेशक (वित्त) , आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं	निदेशक का नाम	श्रेणी(स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लिया
1	श्री. बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र	6	6
2	डॉ. विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र	6	6
3	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर-कार्यकारी	6	6

लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त को जानकारी हेतु बोर्ड के समक्ष रखा गया। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1) बोर्ड को निम्नलिखित से संबंधित निरीक्षण कार्यों में सहायता प्रदान करना:
   - क) लेखापरीक्षित और अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित प्रकटीकरण की गुणवत्ता और अखंडता;
   - ख) कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन;
   - ग) बाह्य लेखा परीक्षकों की योग्यता, अनुभव, प्रदर्शन और स्वतंत्रता;
   - घ) समय-समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की अखंडता; तथा
   - ङ) कंपनी के निवेश
2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में निर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा संदर्भित मदों से संबंधित किसी भी मामले की जांच करना और इस प्रयोजन के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूर्ण पहुंच होगी और यदि आवश्यक हो तो बाहरी पेशेवर सलाह लेनी होगी।
3) अपने संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करना।
4) कर्मचारियों सहित किसी भी स्रोत से जानकारी प्राप्त करना।
5) यदि आवश्यक हो तो बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
6) यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
7) मुखबिरों की सुरक्षा के लिए
8) लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:
   - क) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की देखरेख करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
   - ख) अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

ग) बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के खंड (3) (ग) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे;

ङ) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;

च) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

छ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

ज) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन;

झ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

ञ) किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण; और

ट) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यताएं

9) लेखापरीक्षा

क) आंतरिक लेखा परीक्षा:

- प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों (बाहरी फर्मों) के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा (इन-हाउस) कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और ऐसे लेखा परीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- बोर्ड को लेखा परीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और शुल्क निर्धारण की सिफारिश करना।

ख) सांविधिक लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षा:

- लेखा परीक्षा शुरु होने से पहले वैधानिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा करना और लेखा परीक्षा के बाद किसी भी चिंता के क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना।
- किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर वैधानिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- बोर्ड को सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना।
- वैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा (लेखा परीक्षा के अलावा) के लिए भुगतान की स्वीकृति।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार लेखा परीक्षक की नियुक्ति की शर्तों, लेखा परीक्षक द्वारा अन्य सेवाएं प्रदान करने के अनुमोदन की सिफारिश करना।

ग) लागत लेखापरीक्षा एवं कर लेखापरीक्षा:

बोर्ड को लागत लेखापरीक्षकों और कर लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो प्रतिस्थापन या हटाने तथा लेखापरीक्षा शुल्क और नियुक्ति की अन्य शर्तों के निर्धारण की सिफारिश करना।

10) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

11) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करें, इसमें निहित प्रत्येक आरक्षण या योग्यता पर पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण दें तथा रिपोर्ट को विचारार्थ बोर्ड को अनुशंसित करें।

12) स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का खुला अवसर प्रदान करना।

13) कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी, तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

14) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करें:

क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और

ख) स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें, साथ में प्रबंधन की प्रतिक्रियाएं।

15) प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करें:

क) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति भी शामिल है।

ख) लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे या अपेक्षित जानकारी तक पहुंच पर कोई प्रतिबंध शामिल है।

16) सरकारी लेखापरीक्षा- सीएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

17) ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों/सांविधिक लेखा परीक्षकों/अन्य एजेंसियों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।

18) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।

19) व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।

20) संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

21) हमारी कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा करें और उन्हें पूर्व-अनुमोदित करें। इस उद्देश्य के लिए, लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पक्ष लेन-देन को पूर्व-अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

22) कंपनी की वित्तीय नीतियों, वाणिज्यिक नीतियों और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करें।

23) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।

24) किसी निर्गम (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई धनराशि का विवरण, तथा पब्लिक या राइट इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, तथा इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

25) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच।

26) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।

27) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन।

28) निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करें:

क) वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है) ;

ग) वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण वीकनेस के पत्र;

घ) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

ङ) आंतरिक लेखा परीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें; और

च) मुख्य कार्यपालक/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

29) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा सहित, के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां आमंत्रित करना तथा आंतरिक और वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा करना।

30) यदि लागू हो तो स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन के लिए तिमाही विवरण की समीक्षा।

31) पंजीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अनुसार नियम व शर्तें निर्धारित करना।

32) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन या प्रिंटआउट के लिए उचित प्रणाली बनाए रखने पर सलाह और मूल्यांकन करना।

33) आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, आवधिकता और कार्यप्रणाली के निर्माण के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक से परामर्श करना।

34) लेखापरीक्षा समिति कंपनी के लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार देगी, जब वह लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करेगी।

35) लेखापरीक्षा समिति निदेशकों और कर्मचारियों के लिए स्थापित सतर्कता तंत्र की देखरेख करेगी ताकि वे वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट कर सकें और ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों को परेशान किए जाने के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगी। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष उचित और असाधारण मामलों में सीधे पहुंच योग्य होंगे। किसी निदेशक या कर्मचारी द्वारा बार-बार तुच्छ शिकायतें दर्ज किए जाने की स्थिति में, लेखापरीक्षा समिति संबंधित निदेशक या कर्मचारी के खिलाफ फटकार सहित उचित कार्रवाई कर सकती है। समय-समय पर सीवीसी/डीपीई/अन्य अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन/प्रस्ताव के आधार पर दिए गए अनुबंधों की समीक्षा करें।

36) ऐसे अन्य कार्य करना जो कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से संदर्भित किए जा सकते हैं।

37) कंपनी के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान की समीक्षा करना तथा बोर्ड को विचारार्थ सिफारिश करना।

10. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के वेतन संशोधन पर कार्यालय ज्ञापन तथा सरकारी कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार किया गया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

i) वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना।

ii) निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना।

iii) निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी नई नियुक्ति के लिए अनुमोदन।

इसके अलावा, विनियमन 19 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना तथा निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

(1ए) स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक से अपेक्षित भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति में ऐसे विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति निम्न कार्य कर सकती है:

क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें;

ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करें; और

ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें।

(2) स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;

(3) निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;

(4) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

(5) स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाए या जारी रखा जाए, इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(6) वरिष्ठ प्रबंधन को देय समस्त पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रूप में हो, के बारे में बोर्ड को अनुशंसा करना।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 10-08-2022 को आयोजित अपनी 272वीं बोर्ड बैठक में सुझाव दिया था कि वित्तीय निहितार्थ वाले सभी कर्मचारी/मानव संसाधन संबंधी एजेंडों को बोर्ड की मंजूरी से पहले विस्तृत चर्चा के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में रखा जाना चाहिए।

31 मार्च, 2024 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नानुसार है:

क्र.सं	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यकारी/गैर-कार्यपालक)
1	डॉ. विवेका नंद पासवान	अध्यक्ष	स्वतंत्र
2	श्री. बिमल चंद ओसवाल	सदस्य	स्वतंत्र
3	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यकारी

निगम के कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 3 (तीन) बैठकें हुईं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
1	डॉ. विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र	3	3
2	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर-कार्यकारी	3	3
3	श्री. बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र	3	3

11. हितधारक संबंध समिति

31 मार्च, 2024 तक हितधारक संबंध समिति का गठन निम्नानुसार है:

क्र.सं	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)
1	डॉ. विवेका नंद पासवान	अध्यक्ष	स्वतंत्र
2	श्री पीयूष सिंह	सदस्य	गैर-कार्यपालक
3	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यपालक
4	श्री बैद्यनाथ महाराणा	सदस्य	कार्यपालक

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की 1(एक) बैठक आयोजित की गई।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
1	डॉ. विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र	1	1
2	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर-कार्यपालक	1	1
3	श्री बैद्यनाथ महाराणा	कार्यपालक	1	1
4	श्री जितेश जॉन#	गैर-कार्यपालक	1	1

वर्ष के दौरान बंद हो गया।

हितधारक संबंध समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(1) सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

(2) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(3) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

(4) सूचीबद्ध इकाई द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

12. अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

10 जून, 2021 को आयोजित अपनी 264वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 6 के अनुसार कंपनी सचिव श्री अबिनोम पानू रोंग को कंपनी का कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। अनुपालन अधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार है:

श्री अबिनोम पनू रोंग
कंपनी सचिव-सह-अनुपालन अधिकारी
नीपको लिमिटेड
ब्रुकलैंड कंपाउंड
लोअर न्यू कॉलोनी
शिलांग -793003
मेघालय
फोन नंबर 0364 – 2228652
ईमेल : company-secy@neepco.co.in

13. निवेशक शिकायत

कंपनी ने हमेशा अपने निवेशकों के साथ संबंधों को महत्व दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त, हल की गई और निपटाई गई शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष की शुरुआत में अर्थात 1 अप्रैल, 2023 को लंबित निवेशक शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त निवेशक शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान निपटाए गए निवेशकों की शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च, 2024 तक लंबित निवेशक शिकायतों की संख्या	शून्य

14. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

31 मार्च, 2024 तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)
1	श्री बिमल चंद ओसवाल	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
2	डॉ विवेका नंद पासवान	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
3	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यपालक
4	श्री रनेन्द्र शर्मा	सदस्य	निदेशक (तकनीकी)
5	मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम** (सेवानिवृत्त)	सदस्य	निदेशक (कार्मिक)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक वर्ष के दौरान 2 (दो) बार हुई। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
1	श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र	2	2
2	डॉ विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र	2	2
3	श्री रनेन्द्र शर्मा	कार्यपालक	2	2
4	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर- कार्यपालक	2	2
5	मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम** (सेवानिवृत्त)$	कार्यपालक	1	1

$ वर्ष के दौरान सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-10** में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

15. जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 23-02-2024 को किया गया। 31 मार्च, 2024 तक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)
1	श्री रनेन्द्र शर्मा	अध्यक्ष	निदेशक (तकनीकी)
2	श्री शम्भू नाथ त्रिपाठी	सदस्य	गैर-कार्यपालक
3	डॉ. विवेकानन्द पासवान	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
4	मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम** (सेवानिवृत्त)	सदस्य	निदेशक (कार्मिक)

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक वर्ष के दौरान 2 (दो) बार होती है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक)	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
1	श्री रनेन्द्र शर्मा	कार्यपालक	2	2
2	श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य #	गैर-कार्यपालक	2	2
3	डॉ. विवेकानन्द पासवान	स्वतंत्र	2	2
4	मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम** (सेवानिवृत्त)$	निदेशक (कार्मिक)	1	1
5	श्री शम्भू नाथ त्रिपाठी	आरईडी(हाइड्रो) और ईडी(पीएम)	-	-

$ वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य के रुप में नामित।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं रहे।

जोखिम प्रबंधन समिति की मुख्य भूमिका संगठन के परिचालनों के साथ स्ट्रेटेजिक उद्देश्यों को संरेखित करने में होती है ताकि इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) सूचीबद्ध इकाई द्वारा विशेष रुप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक रुपरेखा, जिसमें विशेष रुप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रुप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम) , सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम शामिल हैं।

(ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय।

(ग) व्यवसाय निरंतरता योजना।

(2) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हों;

(3) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना;

(4) जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, कम से कम दो वर्षों में एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है;

(5) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित रखना;

(6) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

जोखिम प्रबंधन समिति, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रुपरेखा के अनुसार, अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी, जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप हो।

16. निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ

क्र.सं	समिति का नाम	नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	**निदेशक मंडल की उप-समिति (सीओडी)**	1. निदेशक (तकनीकी) 2. श्री बिमल चंद ओसवाल 3. श्री एस. एन. त्रिपाठी 4. निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
2	**नवीकरणीय ऊर्जा समिति**	1. निदेशक (तकनीकी) 2. श्री बिमल चंद ओसवाल 3. डॉ. विवेका नंद पासवान 4. श्री एस.एन. त्रिपाठी 5. निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
3	**सतर्कता मामलों के लिए समिति**	1. श्री बिमल चंद ओसवाल 2. श्री एस. एन. त्रिपाठी 3. निदेशक (तकनीकी) 4. निदेशक (कार्मिक) सीवीओ स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य स्थाई निमंत्रित
4	**भारत सरकार के नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समिति**	1. श्री पीयूष सिंह 2. निदेशक (तकनीकी) 3. निदेशक (कार्मिक) 4. श्री जयकुमार श्रीनिवासन 5. श्री बिमल चंद ओसवाल	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
5	**ठेकेदारों के साथ चल रहे विवादों का विश्लेषण करने के लिए बोर्ड की उप-समिति**	1. निदेशक (तकनीकी) 2. निदेशक (वित्त) 3. श्री एस. एन. त्रिपाठी 4. श्री बिमल चंद ओसवाल 5. श्री पीयूष सिंह	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य

17. निदेशकों का पारिश्रमिक

हमारी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। इसलिए, निदेशकों के पारिश्रमिक का फैसला बोर्ड नहीं करता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के साथ-साथ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं	नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते	पीएफ एवं अन्य फंड में योगदान	अन्य लाभ	कुल
1	श्री गुरदीप सिंह$	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	श्री राजीव कुमार विश्नोई #	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	श्री बैद्यनाथ महाराणा	निदेशक (वित्त)	57.01	8.28	15.35	**80.64**
4	श्री रनेन्द्र शर्मा $	निदेशक (तकनीकी)	56.16	8.15	10.99	**75.30**
5	मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम** (सेवानिवृत्त) $	निदेशक (कार्मिक)	27.41	4.28	1.19	**32.88**
कुल			**140.58**	**20.71**	**27.53**	**188.82**

#वर्ष के दौरान समाप्त हो गया।

*वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशकों का नाम		कुल राशि
		श्री बिमल चंद ओसवाल	डॉ. विवेका नंद पासवान	
1	शुल्क बैठक	8.14	8.85	**16.99**

18. प्रकटीकरण

निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ, जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव की संभावना हो। संबंधित पक्ष प्रकटीकरण का विवरण लेखा-जोखा का हिस्सा बनने वाले नोटों में शामिल है। कंपनी कानून के प्रावधानों और विनियामक प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विशेष रुप से शामिल रही है।

19. सामान्य निकाय की बैठक

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकें आयोजित होने की तिथि, समय और स्थान निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	एजीएम संख्या	दिनांक	समय	स्थान
2020-21	45वीं एजीएम	20.09.2021	04:00 PM	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
2021-22	46वीं एजीएम	19.09.2022	05:00 PM	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
2022-23	47वीं एजीएम	15.09.2023	05:00 PM	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

कंपनी द्वारा अपनी पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों (एजीएम) में पारित विशेष प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है:

एजीएम संख्या	वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	विशेष प्रस्ताव पारित
45वीं एजीएम	20.09.2021	वर्ष 2022-23 के दौरान 1200 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक उधार के लिए निगम की परिसंपत्तियों को बंधक और/या दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।
46वीं एजीएम	19.09.2022	वर्ष 2023-24 के दौरान 1250 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक उधार के लिए निगम की परिसंपत्तियों को बंधक और/या दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।
47वीं एजीएम	15.09.2023	वर्ष 2024-25 के दौरान 2100 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक उधार के लिए निगम की परिसंपत्तियों को बंधक और/या दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।

20. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-5बी** के रूप में संलग्न है।

21. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किए जाते हैं और परिणाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता आदि समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं।

22. धोखाधड़ी और व्हिसलब्लोअर नीति

कंपनी के पास 'धोखाधड़ी और व्हिसल ब्लोअर नीति' है जो नीपको के कर्मचारियों और निदेशकों को किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान करती है। यह धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाले को उसकी रिपोर्टिंग के बदले में किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से भी बचाता है। इसके अलावा, यह नीति अपने कर्मचारियों और निदेशकों को लेखापरीक्षा समिति को अपनी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान करती है और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान करती है।

23. निदेशक एवं अधिकारी देयता बीमा

नीपको के पास निदेशकों और अधिकारियों की देयता बीमा पॉलिसी है, जो वर्तमान में 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति सीमा/बीमा राशि के साथ है।

24. शेयरधारक सूचना:

स्थापना के बाद से नीपको भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम था और भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित व्यक्तियों के पास कंपनी के 100% (सौ प्रतिशत) इक्विटी शेयर थे। हालाँकि, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, 25-03-2020 को भारत के राष्ट्रपति (विक्रेता) और एनटीपीसी लिमिटेड (खरीदार) के बीच एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 25-03-2020 के शेयर खरीद समझौते के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति (अर्थात भारत सरकार) और उनके नामित शेयरधारकों के नाम पर रखे गए नीपको के संपूर्ण शेयर 27-03-2020 को एनटीपीसी लिमिटेड और उसके नामित शेयरधारकों को हस्तांतरित कर दिए गए। वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड 6 (छह) अन्य शेयरधारकों के साथ संयुक्त रुप से दिनांक 27-03-2020 की प्रभावी तिथि से से नीपको के 100% शेयर रखता है।

25. संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने पर नीति

दिनांक 22.12.2022 को आयोजित अपनी 275वीं बोर्ड मीटिंग में निदेशक मंडल ने संबंधित पक्ष लेन-देन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेन-देन से निपटने पर नीति को मंजूरी दे दी है। यह वेबलिंक पर भी उपलब्ध है: https://neepco.co.in/corporate-governance-updates

26. 31.03.2024 तक डिबेंचर ट्रस्टियों का नाम संपर्क विवरण सहित

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 202, मेकर टॉवर 'ई' कफ़ परेड मुंबई 400 005 टेलीफ़ोन नंबर: 022-4302 5555 फ़ैक्स नंबर: 022-4302 5500 ईमेल: dt@sbicaptrustee.com

27. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचितीकरण कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नेतृत्व क्षमता, ज्ञान और कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण से उन्हें क्षेत्र के साथ-साथ कंपनी की बेहतर समझ भी मिलती है। नियुक्ति के समय, नए स्वतंत्र निदेशकों को प्रस्तुतिकरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां, एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख, प्रतिनिधि को प्रदत्त अधिकार, विवरणिका आदि प्रदान किए जाते हैं। समय-समय पर स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्लांट/प्रोजेक्ट विजिट का भी आयोजन किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाले परिचय कार्यक्रम के विवरण का वेब-लिंक नीपको वेबसाइट पर https://neepco.co.in/ पर दिया गया है।

28. गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय उपकरण

किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं हैं।

निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

दिनांक: 10-08-2024
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक-3

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

आर्थिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण:

बिजली क्षेत्र किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि से उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस क्षेत्र को वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने विकास को तेज करना चाहिए।

भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि 8.2% थी, जबकि 2022-23 में यह 7.0% थी। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, भारत की वृद्धि वैश्विक विकास का अभिन्न अंग है और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। निरंतर आर्थिक गति के साथ, भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।

बिजली क्षेत्र सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोतों के तेजी से विस्तार के माध्यम से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन में परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। वैश्विक स्तर पर, ऊर्जा क्षेत्र ग्रीनहाउस उत्सर्जन के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बदलाव कर रहे हैं। भारत जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म स्रोतों पर स्विच करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही 100% विद्युतीकरण के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती बिजली तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। देश का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करना है।

अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, स्थापित आरई क्षमता में काफी वृद्धि की है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों की घोषणा की है।

इन पर्यावरण अनुकूल पहलों से भारत में गैर-जीवाश्म आधारित क्षमता की हिस्सेदारी मार्च 2024 में लगभग 43% से बढ़कर 2026-27 तक 57.4% और 2031-32 तक 68.4% हो जाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, औसत उत्सर्जन कारक वर्ष 2022-2023 के औसत 0.716 किग्रा CO_2/केडबल्यूएच से घटकर 2026-27 तक 0.548 किग्रा CO_2/केडबल्यूएचऔर 2031-32 तक 0.430 किग्रा CO_2/केडबल्यूएच हो जाने का अनुमान है।

उद्योग संरचना एवं विकास:

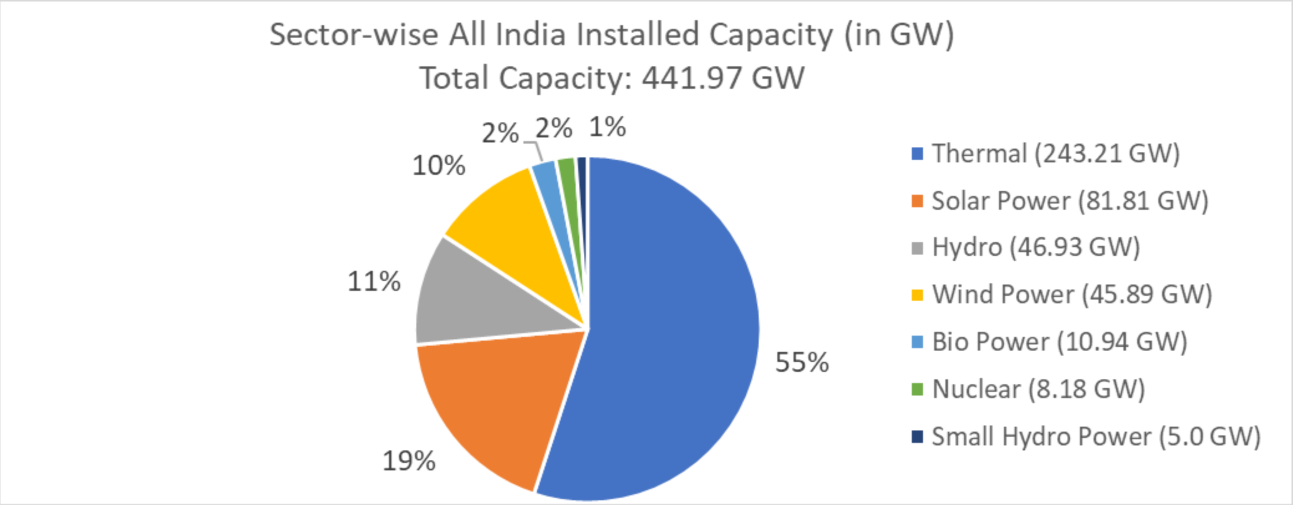

भारत का विद्युत क्षेत्र: विकास और परिवर्तन

1. आर्थिक संदर्भ:

   - भारत: दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक
   - बिजली क्षेत्र: आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण
   - लक्ष्य: सभी के लिए सस्ती, टिकाऊ और विश्वसनीय बिजली

2. बिजली उत्पादन:
   - o भारत: विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक
   - o विविध बिजली स्रोत: पारंपरिक और गैर-पारंपरिक
3. अधिष्ठापित क्षमता (31 मार्च 2024 तक) :
   - o कुल: लगभग 442 गीगावाट (स्रोत: सीईए)
   - o नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) वृद्धि: पिछले पांच वर्षों में 65 गीगावाट
   - o सौर क्षमता वृद्धि: 2.82 गीगावाट से 81.81 गीगावाट (2014 से 29 गुना वृद्धि)
   - o पवन क्षमता वृद्धि: 21 गीगावाट से 45.88 गीगावाट (2014 से दोगुनी)
4. वैश्विक रैंकिंग (आईआरईएनए) :
   - o समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा स्थान
   - o सौर ऊर्जा क्षमता में पांचवां स्थान
5. स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन:
   - o राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों द्वारा निर्देशित
   - o 2030 लक्ष्य:
     – नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताएँ
     – 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता
6. वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा स्थिति:
   - o वित्त वर्ष 2023-24: 191 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़ी जलविद्युत सहित)
   - o कुल अधिष्ठापित क्षमता का 43%
7. ग्रिड स्थिरता उपाय:
   - o जलविद्युत और पंप स्टोरेज योजनाओं (पीएसएस) /बैटरी ऊर्जा भंडारण पर ध्यान केंद्रित करना
8. ट्रांसमिशन और वितरण:
   - o एक राष्ट्र-एक ग्रिड: अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता 1.12 लाख मेगावाट से अधिक
   - o ग्रामीण बिजली उपलब्धता: 12 घंटे (2015) से बढ़कर 20.6 घंटे (2023)
   - o शहरी क्षेत्र: 23.6 घंटे बिजली

विद्युत क्षेत्र में प्रमुख पहल और नियामक सुधार:

I. दिनांक 10 अप्रैल 2023 को, विद्युत मंत्रालय ने देश में पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। दिशा-निर्देशों में परियोजना स्थलों का आवंटन, सहायक सेवाओं का मुद्रीकरण, पीएसपी विकसित करने के लिए समाप्त हो चुकी खदानों का उपयोग, ग्रीन फाइनेंस आदि शामिल हैं।

II. दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने उन विद्युत संयंत्रों के लिए टैरिफ पूलिंग की योजना अधिसूचित की, जिनके विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) समाप्त हो चुके हैं। यह योजना निम्नलिखित स्टेशनों को लक्षित करती है:
   - गैस आधारित उत्पादन स्टेशन।
   - 25+ साल पुराने प्लांट।
   - पूरी तरह से वसूल किए गए पूंजीगत व्यय वाली सुविधाएँ।
   - पूरी तरह से मूल्यह्रास और ऋण-मुक्त प्लांट।
   - मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौते (एफ़एसएएस) वाले स्टेशन।
   - सुव्यवस्थित सुविधाएं।

➢ **मुख्य लाभ:**
   - इन स्टेशनों को प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है
   - इन पुराने लेकिन अच्छी तरह से बनाए गए संयंत्रों से लाभार्थियों को बिजली उपलब्ध कराता है।
   - इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी बिजली दरों को सुनिश्चित करते हुए मौजूदा बुनियादी ढांचे का कुशलतापूर्वक उपयोग करना है।

III. भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 28 जून, 2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) 2023 को अधिसूचित किया। इस योजना का उद्देश्य भारत का पहला घरेलू कार्बन बाजार विकसित करना है। अधिसूचना में भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के विकास और कामकाज के लिए

आवश्यक रुपरेखा और विविध हितधारकों की भूमिका की रुपरेखा दी गई है।

मुख्य बिंदु:

- भारत का पहला घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करता है
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित
- भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के लिए रुपरेखा प्रदान करता है
- विविध हितधारकों की भूमिकाएँ परिभाषित करता है
- भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के साथ संरेखित करता है
- ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है
- चयनित संस्थाओं को सीसीटीएस 2023 में भाग लेने के लिए बाध्य करता है

IV. दिनांक 11 सितंबर, 2023 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने विद्युत आपूर्ति दायित्वों के संबंध में अधिसूचना जारी की। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- उत्पादन कंपनियों (जेनको) और खरीददारों (वितरण कंपनियों या डिस्कॉम) दोनों पर लागू होता है
- बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) की समाप्ति पर प्रभावी
- जेनको को बिजली आपूर्ति करने के दायित्व से मुक्त किया जाता है
- डिस्कॉम को बिजली खरीदने के दायित्व से मुक्त किया जाता है
- उचित और प्रतिस्पर्धी बाजार बनाने का लक्ष्य
- यह अधिसूचना सुनिश्चित करती है कि एक बार पीपीए समाप्त हो जाने पर, दोनों पक्ष अपने बिजली आपूर्ति और खरीद निर्णयों में लचीलापन हासिल कर लेते हैं, जिससे बिजली क्षेत्र में बाजार संचालित प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।

V. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुँच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 के कुछ प्रावधान 1 अक्टूबर, 2023 को प्रभावी हुए। इन संशोधनों का उद्देश्य भारत के पारेषण क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों को संबोधित करना है:

- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
- बिजली की लागत को कम करना
- केंद्रीय पारेषण प्रणाली पर केंद्रीकृत नियंत्रण को बढ़ाना
- राज्यों में बिजली असंतुलन का लेखा-जोखा रखना

मुख्य विशेषताएँ:

- संशोधित विनियमों का आंशिक कार्यान्वयन
- अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक पहुँच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना
- पारेषण क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों के अनुकूल होना

ये प्रावधान भारत के बिजली पारेषण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और अनुकूलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

VI. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने नए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियम 2023 को अधिसूचित किया है। इन विनियमों का उद्देश्य बिजली प्रणाली की अर्थव्यवस्था और दक्षता को अधिकतम करते हुए स्थिर, विश्वसनीय और सुरक्षित ग्रिड संचालन सुनिश्चित करना है।

➢ ग्रिड कोड के मुख्य घटक:

- वैधानिक निकायों और संगठनों की भूमिकाएँ
- विभिन्न संस्थाओं के बीच कार्यात्मक संबंध
- संसाधनों की विश्वसनीयता और पर्याप्तता
- ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी और डिज़ाइन मानदंड
- सुरक्षा सेटिंग और प्रदर्शन निगरानी
- सुरक्षा प्रणाली ऑडिट
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण
- सहायक सेवाएँ और भंडार
- साइबर सुरक्षा उपाय

ये व्यापक विनियम तकनीकी विनिर्देशों से लेकर संगठनात्मक भूमिकाओं तक ग्रिड प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं, जिससे भारत के लिए एक मजबूत और कुशल बिजली पारेषण प्रणाली सुनिश्चित होती है।

VII. दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को, केंद्र सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, नामित उपभोक्ताओं के लिए गैर-जीवाश्म स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा) से खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्दिष्ट किया। यह निम्नलिखित पर लागू होता है:

- बिजली वितरण लाइसेंसधारी
- ओपन एक्सेस उपभोक्ता
- कैप्टिव उपभोक्ता
- विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को शामिल करता है:
- पवन
- जलविद्युत
- वितरित नवीकरणीय ऊर्जा
- अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
- विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए खपत प्रतिशत निर्धारित करता है।
- प्रभावी अवधि: 2024-25 से 2029-30

इस पहल का उद्देश्य भारत के बिजली क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ता खंडों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है।

VIII. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक की टैरिफ अवधि के लिए 15 मार्च, 2024 को टैरिफ विनियम, 2024 के नियम और शर्तों को अधिसूचित किया।

क्षेत्र:

i) उन सभी मामलों पर लागू होता है, जहां विद्युत अधिनियम की धारा 62 के साथ धारा 79 के तहत आयोग द्वारा किसी उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई और पारेषण प्रणाली या उसके तत्वों के लिए टैरिफ निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

ii) 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029 के बीच आने वाली सीओडी वाली परियोजनाओं पर लागू होता है।

iii) 2024-29 नियंत्रण अवधि के लिए संचालित बिजली स्टेशनों और पारेषण प्रणालियों के लिए टैरिफ निर्धारण को कवर करता है।

उल्लेखनीय विशेषताएँ:

ए. रिटर्न ऑन इक्विटी:

भंडारण प्रकार के हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों, पंप स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों और रन-ऑफ-द-रिवर जनरेटिंग स्टेशनों के लिए 17%, जो 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद सीओडी प्राप्त करेंगे।

बी. हाइड्रो परियोजना विकास:

बिजली संयंत्र के आसपास के क्षेत्र में स्थानीय बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 10 लाख रुपये/मेगावाट तक का व्यय, जिसे पूंजीगत लागत का हिस्सा माना जाता है।

उपर्युक्त का उद्देश्य हाइड्रो परियोजनाओं के निर्बाध और समय पर विकास का समर्थन करना है।

IX. भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू किया है:

क) अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क माफी:

अ) सौर और पवन परियोजनाएँ:

• बिजली की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए पूर्ण छूट - 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं पर लागू

ख) नई जल विद्युत परियोजनाएँ (एचईपी) :

• 30 जून, 2025 को या उससे पहले निर्माण कार्य सौंपे जाने और PPA पर हस्ताक्षर किए जाने वाली परियोजनाओं के लिए पूर्ण छूट

• 1 जुलाई, 2025 से 1 जुलाई, 2028 तक क्रमिक छूट (वार्षिक रूप से 25% की कमी) -

30 जून, 2028 तक निर्माण कार्य सौंपे जाने और PPA पर हस्ताक्षर किए जाने वाली परियोजनाओं तक विस्तारित

ग) पंप स्टोरेज परियोजनाएँ (पीएसपी) : 30 जून, 2025 तक निर्माण कार्य पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए पूर्ण छूट (शर्तों के अधीन)

1 जुलाई, 2025 से 1 जुलाई, 2028 तक क्रमिक छूट (वार्षिक रूप से 25% की कमी)

30 जून, 2028 तक निर्माण कार्य पूरा करने वाली परियोजनाओं तक विस्तारित

इन पहलों का उद्देश्य लागत कम करना और पूरे भारत में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देना है।

भारतीय ऊर्जा क्षेत्र का अवलोकन [स्रोत: सीईए कार्यकारी सारांश, मार्च 2024]:

31 मार्च, 2024 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 442 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 26 गीगावाट की वृद्धि होगी। अक्षय ऊर्जा ने क्षमता विस्तार में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसमें तापीय और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि हुई। हाइड्रो सेक्टर में मामूली वृद्धि देखी गई।

ऊर्जा स्रोत	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-2023		वित्त वर्ष 2023-2024		कुल % बदलाव	
		व्यक्तिगत सेक्टर	कुल	व्यक्तिगत सेक्टर	कुल	व्यक्तिगत सेक्टर	कुल
ताप	राज्य	75980	237269	77880	243217	2.50 %	2.51 %
	निजी	85311		86439		1.32 %	
	केंद्रीय	75978		78898		3.84 %	
न्यूक्लियर	राज्य	0	6780	0	8180	-	20.65 %
	निजी	0		0		-	
	केंद्रीय	6780		8180		20.65 %	
जल	राज्य	27254	46850	27254	46928	-	0.17 %
	निजी	3931		3931		-	
	केंद्रीय	15665		15743		0.50 %	
आरईएस	राज्य	2492	125159	2535	143644	1.73 %	14.77 %
	निजी	121035		139477		15.24 %	
	केंद्रीय	1632		1632		-	
कुल आईसी		416058	416058	441969	441969	6.23 %	

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में बिजली क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कुल क्षमता वृद्धि 26,131 मेगावाट है, जबकि 2022-23 में यह 16,982 मेगावाट थी। साल-दर-साल वृद्धि 54% है।

क्र.सं	क्षेत्रवार	क्षमता वृद्धि मेगावाट में (वित्त वर्ष 2023-24)
1.	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (आरईएस)	18,485
2.	ताप क्षेत्र	6,168
3.	परमाणु क्षेत्र	1,400
4.	जल क्षेत्र:	78
	कुल	**26131**

कुल सकल विद्युत उत्पादन:

- वित्त वर्ष 2023-24: 1,738.10 बिलियन यूनिट (बीयू)
- वित्त वर्ष 2022-23: 1,624.16 बीयू
- साल-दर-साल वृद्धि: 7.02%
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, नीपको ने 8001 एमयू बिजली उत्पादन हासिल किया।

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बीयू में क्षेत्रवार बिजली उत्पादन (अनंतिम) नीचे सारणीबद्ध है:

क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	22-23 के संबंध में % परिवर्तन
ताप	1206.15	1326.09	9.94
न्यूक्लियर	45.83	47.88	4.48
जल (वृहत)	162.05	133.97	(-) 17.33
आरईएस जिसमें एसएचपी शामिल है	203.37	225.46	10.86
भूटान आयात	6.76	4.71	(-) 30.39
अखिल भारतीय	**1624.16**	**1738.10**	**7.02**

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का विद्युत उत्पादन भारत के उभरते ऊर्जा परिदृश्य को दर्शाता है, जिसमें समग्र विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, जल विद्युत और आयात में कमी की भरपाई शामिल है।

भारत की बिजली मांग और आपूर्ति विश्लेषण (अप्रैल 2023 - मार्च 2024) :

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए ऊर्जा और पीक बिजली आवश्यकता के संदर्भ में देश में क्षेत्रवार बिजली आपूर्ति की स्थिति, पूरी हुई/पूरी नहीं हुई, नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है:

क्षेत्र	ऊर्जा				अधिकतम			
	आवश्यकता	आपूर्ति	आपूर्ति नहीं हुई		मांग	मांग पूरी	मांग पूरी नहीं की गई	
	(बीयू)	(बीयू)	(बीयू)	(%)	(जीडब्ल्यू)	(जीडब्ल्यू)	(जीडब्ल्यू)	(%)
उत्तरी	476.852	474.946	1.906	0.4	80.980	80.548	0.432	0.5
पश्चिमी	517.714	517.301	0.413	0.1	76.050	72.556	3.494	4.6
दक्षिणी	419.531	419.293	0.238	0.1	68.094	68.094	0	0.0
पूर्वी	192.013	190.747	1.266	0.7	30.256	29.299	0.957	3.2
उत्तर पूर्वी	20.022	19.733	0.289	1.4	3.678	3.678	0	0.0
अखिल भारतीय	**1626.132**	**1622.020**	**4.112**	**0.3**	**243.271**	**239.931**	**3.340**	**1.4**

2014-15 से 2023-24 के दौरान भारत में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	ऊर्जा (बीयू)			पीक (जीडब्ल्यू)		
	आवश्यकता	उपलब्धता	घाटा (%)	आवश्यकता	उपलब्धता	घाटा (%)
2014-15	1068.92	1030.79	3.6%	148.17	141.16	4.7%
2015-16	1114.41	1090.85	2.1%	153.37	148.46	3.2%
2016-17	1142.93	1135.33	0.7%	159.54	156.93	1.6%
2017-18	1213.33	1204.70	0.7%	164.07	160.75	2.0%
2018-19	1274.60	1267.53	0.6%	177.02	175.53	0.8%
2019-20	1291.01	1284.44	0.5%	183.80	182.53	0.7%
2020-21	1275.53	1270.66	0.4%	190.20	189.40	0.4%
2021-22	1379.81	1374.03	0.4%	203.01	200.54	1.2%
2022-23	1511.85	1504.26	0.5%	215.89	207.23	4.0%
2023-24	1626.13	1622.02	0.3%	243.27	239.93	1.4%

*मार्च 2024 तक (संशोधित)

स्रोत: विद्युत मंत्रालय और सीईए

राष्ट्रीय अवलोकन:

1. ऊर्जा आवश्यकता: 1,626.132 बीयू
2. ऊर्जा आपूर्ति: 1,622.020 बीयू
3. ऊर्जा की कमी: 4.112 बीयू (0.3%)
4. अधिकतम मांग: 243.271 गीगावाट
5. अधिकतम मांग पूरी हुई: 239.931 गीगावाट
6. पूरी न हुई अधिकतम मांग: 3.340 गीगावाट (1.4%)

क्षेत्रीय विश्लेषण:

- अधिकांश क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी 1% से कम रही
- अपवाद: उत्तर पूर्वी क्षेत्र (1.4% की कमी)
- अधिकतम कमी 0% (दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र) से लेकर 4.6% (पश्चिमी क्षेत्र) तक रही।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्टताएँ:

1. ऊर्जा की मांग: 20.022 बीयू

2. ऊर्जा की आपूर्ति: 19.733 बीयू
3. ऊर्जा की कमी: 0.289 बीयू (1.4%)
4. अधिकतम मांग: 3.678 गीगावाट
5. अधिकतम मांग की पूर्ति: 3.678 गीगावाट (100%)
6. अधिकतम कमी: 0%

उपरोक्त डेटा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति-मांग की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

- न्यूनतम राष्ट्रीय ऊर्जा की कमी (0.3%)
- थोड़ी अधिक राष्ट्रीय पीक मांग की कमी (1.4%)
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी देखी गई, लेकिन पीक मांग को पूरी तरह से पूरा किया गया।
- पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक कमी देखी गई। ऊर्जा घाटा और पीक घाटा 2014-15 के दौरान 3.6% और 4.7% से काफी हद तक कम होकर 2023-24 के दौरान 0.3% और 1.4% हो गया है।

ऊर्जा एवं सामरिक:

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको) अवलोकन:

- केंद्रीय क्षेत्र का सीपीएसयू और पूर्वोत्तर भारत में एक प्रमुख बिजली उत्पादक।
- परिचालन क्षमता: 2,057 मेगावाट • 74.14% हाइड्रो • 25.62% थर्मल (गैस) • 0.24% सौर।
- संचयी डिज़ाइन ऊर्जा: 10.244 बीयू।
- 5 मेगावाट पायलट परियोजना के साथ 2015 में सौर उत्पादन में अग्रणी।

प्रमुख शक्तियाँ:

1. चुनौतीपूर्ण इलाकों में विशेषज्ञता:
   - दूरदराज के कठिन स्थानों में अनुभव।
   - रसद, मौसम और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर काबू पाना।
2. कुशल कार्यबल:
   - जलविद्युत परियोजना विकास में कुशल।
   - गैस आधारित, हाइड्रो और सौर संयंत्र संचालन और रखरखाव में समृद्ध अनुभव वाली मजबूत टीम।
3. क्षेत्रीय लाभ:
   - स्थानीय स्थलाकृति, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों का ज्ञान।
   - पूर्वोत्तर भारत में मजबूत उपस्थिति।
4. कॉर्पोरेट संबंध:
   - एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
   - त्वरित विकास के लिए विभिन्न प्रबंधन डोमेन में एनटीपीसी की विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
   - पूर्वोत्तर राज्य सरकारों के साथ अच्छा तालमेल
5. नेतृत्व और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :
   - सक्षम नेतृत्व में संचालन करना
   - स्थानीय सामुदायिक विकास पहलों के माध्यम से बनाया गया मजबूत ब्रांड

रणनीतिक विकास योजना:

- आक्रामक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य: 2037 तक 30 गीगावाट क्षमता।
- एनटीपीसी की विशेषज्ञता और नीति समर्थन का लाभ उठाना।
- नए क्षेत्रों और व्यवहार्य परियोजना अधिग्रहण की खोज करना।

नीपको की क्षेत्रीय विशेषज्ञता, विविध विद्युत उत्पादन पोर्टफोलियो, अनुभवी कार्यबल और एनटीपीसी के साथ रणनीतिक साझेदारी का संयोजन इसे भारत के विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार करता है। चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने की निगम की क्षमता, इसके मजबूत नेतृत्व और सामुदायिक फोकस के साथ मिलकर इसकी महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

अवसर:

सीईए द्वारा प्रकाशित 20वीं ईपीएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026-27 और 2031-32 के लिए क्षेत्रवार ऊर्जा आवश्यकता और पीक मांग नीचे दी गई है:

क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)		अधिकतम मांग (मेगावाट)	
	2026-27	2031-32	2026-27	2031-32
उत्तरी	5,92,312	7,73,545	97,898	1,27,553
पश्चिमी	5,96,793	7,63,198	89,457	1,14,766
दक्षिणी	4,60,853	5,96,557	80,864	1,07,259
पूर्वी	2,32,971	3,08,103	37,265	50,420
उत्तर पूर्वी	24,904	32,373	4,855	6,519
अखिल भारतीय	**19,07,835**	**24,73,776**	**2,77,201**	**3,66,393**

इसके अलावा, राष्ट्रीय विद्युत योजना के अंतर्गत किए गए उत्पादन नियोजन अध्ययनों के आधार पर, अनुमानित क्षमता वृद्धि आवश्यकता नीचे सारणीबद्ध है:

(आंकड़े मेगावाट में हैं)

क्षेत्र	2022-27 की अवधि के दौरान अनुमानित क्षमता वृद्धि की आवश्यकता	वर्ष 2026-27 के लिए अधिष्ठापित क्षमता	2027-32 की अवधि के दौरान अनुमानित क्षमता वृद्धि की आवश्यकता	वर्ष 2031-32 के लिए संभावित अधिष्ठापित क्षमता
कोयला	25580	235133	25480	259643
गैस	0	24824	0	24824
न्यूक्लियर	6300	13080	6600	19680
पारंपरिक	**31880**	**273038**	**32080**	**304147**
वृहत जल	10462	52446	9732	62178
सौर	131570	185566	179000	364566
पवन	32537	72895	49000	121895
लघु जल	352	5200	250	5450
बायोमास	2318	13000	2500	15500
पीएसपी	2700	7446	19240	26686
नवीकरणीय	**179939**	**336553**	**259722**	**596275**
कुल	**211819**	**609590**	**291802**	**900422**
बीईएसएस	8680	8680	38564	47244

भारत का ऊर्जा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुज़र रहा है, जिसकी विशेषताएँ हैं:

1. परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा (वीआरई) एकीकरण में वृद्धि:
    - सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि
    - इन स्रोतों की आंतरायिक प्रकृति के कारण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है
2. उभरती हुई तकनीकी ज़रूरतें:
    - ऊर्जा भंडारण समाधान महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
    - हरित हाइड्रोजन तकनीक का महत्व बढ़ रहा है।
3. बढ़ती ऊर्जा माँग:
    - आगे क्षमता विस्तार के अवसर पैदा करना

ऊर्जा परिवर्तन, बढ़ती मांग के साथ, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता वृद्धि के लिए रास्ते खोल रहा है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है, जिनमें शामिल हैं:

1. जल विद्युत
2. पंप स्टोरेज परियोजनाएँ
3. सौर ऊर्जा
4. ऊर्जा भंडारण प्रणाली
5. ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएँ

जल विद्युत:

राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के संबंध में भारत के हाइड्रो सेक्टर का विस्तार और अवसर:

- लक्ष्य: 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट क्षमता
- पंप स्टोरेज परियोजनाओं सहित हाइड्रो सेक्टर, सुचारु आरई एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है

हाइड्रो पावर विकास के लिए विद्युत मंत्रालय की पहल:

1. वृहत जल परियोजनाएं (>25 मेगावाट) को अक्षय ऊर्जा के रुप में वर्गीकृत किया गया
2. हाइड्रो खरीद दायित्व (एचपीओ) का कार्यान्वयन
3. टैरिफ युक्तिकरण
4. सके लिए बजटीय सहायता:
   - o बाढ़ नियंत्रण
   - o सक्षम बुनियादी ढाँचा (सड़क/पुल)
5. सस्ते आरई स्रोतों के साथ हाइड्रोपावर को बंडल करना
6. शुरुआती वर्षों में आईएसटीएस शुल्क में छूट
7. “विवाद निवारण तंत्र” परिचय:
   - o ‘स्वतंत्र इंजीनियर’ (आईई)
   - o स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई)

नीपको के विकास के अवसर:

- भारत में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त हाइड्रो क्षमता पूर्वोत्तर क्षेत्र
- आने वाले वर्षों में क्षमता वृद्धि के लिए नीपको को तैयार करना

इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य भारत के जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जिसमें नीपको पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

पंप स्टोरेज परियोजनाएँ: भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण घटक।

ऊर्जा परिवर्तन फोकस:

- जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म स्रोतों की ओर बदलाव
- वीआरई एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज योजनाओं का तेजी से विकास
- पीएसपी ग्रिड स्थिरता के लिए बड़े पैमाने पर, लंबे जीवन चक्र समाधान प्रदान करते हैं।

पीएसपी पर ध्यान केंद्रित करने से नीपको के लिए अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने और भारत के अक्षय ऊर्जा एकीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने का एक रणनीतिक अवसर मिलता है।

भारत में पंप स्टोरेज हाइड्रो क्षमता:

- कुल अनुमानित क्षमता (नदी पर) : 103 गीगावाट
- वर्तमान स्थिति: • परिचालन: 8 पीएसपी (4,745.60 मेगावाट) • निर्माणाधीन: 3 पीएसपी (1,580 मेगावाट) • सीईए/राज्य सरकार। सहमति: 2 पीएसपी (2,350 मेगावाट) • योजना चरण: 48 पीएसपी

पीएसपी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल:

1. शुरुआती वर्षों में आईएसटीएस शुल्क माफ करना
2. “पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश” जारी करना

नीपको के लिए अवसर:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण पीएसपी क्षमता
- पीएसपी प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने की स्थिति
- बढ़ी हुई सरकारी सहायता के साथ विकास की संभावना

सौर ऊर्जा:

अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरु की हैं:

- सौर पार्क योजना
- वीजीएफ योजनाएँ
- सीपीएसयू योजना
- रक्षा योजना
- कैनल बैंक और कैनाल टॉप स्कीम
- बंडलिंग योजना
- ग्रिड से जुड़ी सौर छत योजना

हालिया पहल: पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना शुरु की है। इस योजना का उद्देश्य है:

- एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना।
- भाग लेने वाले घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली प्रदान करना।

अपेक्षित परिणाम:

- आवासीय क्षेत्र में 30 गीगावाट सौर क्षमता का संवर्धन
- 1000 बीयू बिजली का उत्पादन
- 25 वर्षों में 720 मिलियन टन $CO2$ समतुल्य उत्सर्जन में कमी

नीपको की सौर ऊर्जा पहल:

नीपको सौर ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार के लिए आक्रामक रुप से आगे बढ़ रहा है:

- लक्ष्य: 2037 तक 12,000 मेगावाट सौर क्षमता वृद्धि।
- फोकस: ग्राउंड माउंटेड सौर पीवी परियोजनाओं का विकास।
- पीएम-सूर्य घर योजना में भागीदारी: मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में छत पर सौर परियोजनाओं को लागू करना।

फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स:

पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। देश अपने ऊर्जा मिश्रण में प्रचुर और किफायती अक्षय संसाधनों को तेजी से शामिल कर रहा है। हालाँकि, कई कारक इन संसाधनों के पूर्ण उपयोग को सीमित करते हैं:

- बड़े, उपयुक्त भूमि भूखंडों की कमी।
- भूमि की उच्च लागत।
- अन्य भौगोलिक और अवसंरचना संबंधी समस्याएँ।

भारत की बढ़ती भूमि लागत और प्रचुर मात्रा में जल निकायों को देखते हुए, फ्लोटिंग सोलर एक व्यवहार्य विकल्प / आशाजनक समाधान प्रस्तुत करता है:

1. 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना।
2. सरकार के 'पंचामृत' एजेंडे के अनुसार, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना।

संभावित और वर्तमान स्थिति:

- अनुमानित फ्लोटिंग सोलर क्षमता: 280-300 गीगावाट
- वर्तमान अधिष्ठापनाएँ: मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, बिहार और राजस्थान में फैली क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा

नीपको की पहल: नीपको पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत भर में विभिन्न जल निकायों में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट (एफ़एसपी) विकसित करने के अवसरों की सक्रिय रुप से खोज कर रहा है।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली: अक्षय ऊर्जा चुनौतियों का समाधान:

पावर ग्रिड में परिवर्तनशील और आंतरायिक अक्षय ऊर्जा का एकीकरण स्थिरता और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करता है। ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) निम्नलिखित द्वारा समाधान प्रदान करती है:

- अक्षय स्रोतों से अतिरिक्त ऊर्जा का भंडारण।
- पीक डिमांड घंटों के दौरान बिजली प्रदान करना।

ऊर्जा भंडारण के लाभ:

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करना
- ग्रिड स्थिरता में सुधार
- ऊर्जा/पीक शिफ्टिंग को सक्षम करना
- सहायक सहायता सेवाएँ प्रदान करना
- बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की सुविधा प्रदान करना
- पीक घाटे और पीक टैरिफ को कम करना
- कार्बन उत्सर्जन में कमी

अनुमानित ऊर्जा भंडारण आवश्यकताएँ (राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 के अनुसार) :

2026-27: 82.37 जीडबल्यूएच

- पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) से 47.65 जीडबल्यूएच
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) से 34.72 जीडबल्यूएच

2031-32: 411.4 जीडबल्यूएच

- पीएसपी से 175.18 जीडबल्यूएच
- बीईएसएस से 236.22 जीडबल्यूएच

2047: 2380 जीडबल्यूएच

- 540 जीडबल्यूएच पीएसपी से
- बीईएसएस से 1840 जीडबल्यूएच

सरकारी पहल:

1. ऊर्जा भंडारण ओब्लिगेसन (ईएसओ) के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दीर्घकालिक प्रक्षेप पथ।
2. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना:
    - o लक्ष्य: 2030-31 तक 4,000 मेगावाट घंटा बीईएसएस परियोजनाएं विकसित करना
    - o उद्देश्य: सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता का दोहन
    - o लक्ष्य: स्वच्छ, विश्वसनीय और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना

हरित हाइड्रोजन: भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की कुंजी:

भारत के ऊर्जा लक्ष्य:

- 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता
- 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन

हरित हाइड्रोजन की भूमिका: विभिन्न क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने की अपनी क्षमता के कारण हरित हाइड्रोजन से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है:

1. परिवहन: पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह लेना
2. उद्योग:

o अमोनिया और मेथनॉल का उत्पादन

o इस्पात निर्माण

3. ऊर्जा भंडारण: अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैकअप, निरंतर और विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करना।

सरकारी पहल: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है:

- एक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना।
- इस उभरते क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों के लिए एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करना।

नीपको का योगदान: नीपको ने आईआईटी, गुवाहाटी के सहयोग से हरित हाइड्रोजन पर एक आर एंड डी परियोजना शुरु की है।

खतरे/चिंताएँ/चुनौतियाँ:

नीपको के सामने आने वाली चुनौतियाँ

परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:

1. भूवैज्ञानिक अनिश्चितताएँ और आश्चर्य।
2. प्राकृतिक आपदाएँ।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कठिन भूभाग।
4. पूर्वोत्तर में कुशल ठेकेदारों की कमी।
5. लगातार बाढ़ के साथ भारी और लंबे समय तक मानसून।
6. अस्थिर टेली-कनेक्टिविटी फास्ट-ट्रैक तकनीक अपनाने में बाधा डालती है।

सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ:

1. सामाजिक, राजनीतिक और कानून और व्यवस्था के मुद्दे।
2. स्थानीय समूहों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध।

आर्थिक और वित्तीय चुनौतियाँ:

1. उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति।
2. बिजली खरीद समझौते (पीपीए) हासिल करने में कठिनाइयाँ।
3. गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव और उपलब्धता।
4. जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उच्च प्रारंभिक लागत और टैरिफ।
5. वित्तीय मुद्दे।

कानूनी और विनियामक चुनौतियाँ:

1. अनुबंध संबंधी विवाद जिसके कारण मध्यस्थता कार्यवाही दीर्घकालिक हो जाती है।
2. समय लेने वाली मंजूरी प्रक्रियाएँ।

अन्य चुनौतियाँ:

1. बिजली क्षेत्र में तेज़ी से बदलती गतिशीलता।
2. बढ़ती प्रतिस्पर्धा।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण:

भारत, एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था के रुप में, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों के जवाब में अपने कार्बन फूटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं:

1. 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना (2005 के स्तर से) ।
2. 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त करना।

बिजली की खपत में वृद्धि, तकनीकी विकास, ग्रिड एकीकरण चुनौतियों के आधार पर, नीपको का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाना और भारत के सतत ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए, जल विद्युत में नीपको की स्थिति को मजबूत करना है।

बिजली की खपत में वृद्धि:

- प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1010 केडबल्यूएच (2014-15) से बढ़कर 1331 केडबल्यूएच (2022-23, अनंतिम) हो गई।
- भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विद्युत बाजार है।
- कोविड-19 के कारण अस्थायी मंदी के बावजूद, आर्थिक विकास के साथ मांग बढ़ने की उम्मीद है।

तकनीकी विकास:

- ताप उत्पादन को नवीकरणीय ऊर्जा से बदलने का रुझान।
- पूरक ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियाँ।
- सौर पैनलों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की लागत में कमी।

ग्रिड एकीकरण की चुनौतियाँ:

- परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर एकीकरण।
- रुक-रुक कर होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को संतुलित करने की आवश्यकता।
- व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता:
  - पंप स्टोरेज योजनाएँ
  - बैटरी स्टोरेज
  - गैस आधारित उत्पादन का चक्रीय संचालन
  - हाइड्रो उत्पादन का अनुकूलन

नीपको की अनुकूल योजना:

- लक्ष्य: 2037 तक लगभग 29 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जोड़ना
- फोकस क्षेत्र:
  1. जलविद्युत परियोजनाएँ (एचईपीएस)
  2. पंप स्टोरेज परियोजनाएँ (पीएसपी)
  3. सौर परियोजनाएँ
  4. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस)
- पूर्वोत्तर क्षेत्र से आगे विस्तार

जलविद्युत परियोजनाओं का विकास:

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में जलविद्युत शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प प्रदान करती है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) अपने प्रचुर जल संसाधनों के साथ जलविद्युत विकास की अपार संभावनाएं रखता है। एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रुप में नीपको इस क्षमता का दोहन करने में सबसे आगे है, जो क्षेत्र के बिजली क्षेत्र और राष्ट्र के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जलविद्युत क्षमता:

- अनुमानित 55,930 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक)
- भारत के कुल भंडार का 42% (133,410 मेगावाट)
- अरुणाचल प्रदेश: 50,394 मेगावाट क्षमता
  - केवल 2% (1,115 मेगावाट) चालू।
  - 9.68% (4,880 मेगावाट) निर्माणाधीन।
  - ~90% अभी भी अस्पष्ट है।

नीपको की स्थिति:

- एनईआर की कुल अधिष्ठापित क्षमता: 5,052.79 मेगावाट (मार्च 2024 तक) ।
- नीपको की हिस्सेदारी: 40% (2,057 मेगावाट) ।

नीपको की भावी परियोजनाएँ:

1. अरुणाचल प्रदेश परियोजनाएँ (एमओए हस्ताक्षरित) :
    - o टाटो-II जल विद्युत परियोजना (700 मेगावाट)
    - o टाटो-I जल विद्युत परियोजना (186 मेगावाट)
    - o हेओ जल विद्युत परियोजना (240 मेगावाट)
    - o नयिंग जल विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट)
    - o हिरोंग जल विद्युत परियोजना (500 मेगावाट)

    कुल: 2,626 मेगावाट

स्थिति:

- o टाटो-II, टाटो-I और हेओ: वित्त वर्ष 2024-25 में निर्माण शुरु होने की संभावना।
- o नयिंग: पर्यावरण और वन मंजूरी प्रक्रिया शुरू।
- o हिरोंग: डीपीआर संशोधन के अधीन।

2. पाइपलाइन परियोजनाएँ:

- o अरुणाचल प्रदेश:
    - नाफरा जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)
    - न्यू मेलिंग जल विद्युत परियोजना (90 मेगावाट)
    - कुरुंग जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट)
- o मेघालय:
    - वाह उमियम चरण-I (50 मेगावाट)
    - वाह उमियम चरण-II (100 मेगावाट)
    - वाह उमियम चरण-III (85 मेगावाट)

स्थिति: एमओए पर हस्ताक्षर, मंजूरी/पीएफआर/डीपीआर तैयारी के विभिन्न चरण

3. अतिरिक्त परियोजनाएँ:

- o 2037 तक 6000+ मेगावाट की लक्षित क्षमता वृद्धि के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई अन्य जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है।

पंप स्टोरेज योजनाएँ:

जैसे-जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, सुनम्य बिजली उत्पादन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पंप स्टोरेज परियोजनाएँ (पीएसपी) बेस लोड और पीकिंग पावर दोनों के लिए एक कुशल समाधान प्रदान करती हैं। नीपको भारत की उभरती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएसपी को शामिल करने के लिए अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है।

नीपको की रणनीति और लक्ष्य:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर और उससे परे पीएसपी के अवसरों की खोज करना।
- लक्ष्य: 2037 तक 7,800 मेगावाट पीएसपी क्षमता जोड़ना।

वर्तमान फोकस:

1. वाह उमियम पंप स्टोरेज परियोजना, मेघालय (800 मेगावाट) ।
2. असम, मेघालय और मिजोरम में अतिरिक्त अवसरों की खोज करना।

पीएसपी में यह रणनीतिक विस्तार नीपको को सुनम्य और विश्वसनीय बिजली उत्पादन प्रदान करने की स्थिति में रखता है, जो भारत के भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स:

नीपको की सौर क्षमता वृद्धि पहल।

नीपको ने तीन चरणों में 1000 मेगावाट की ISTS-कनेक्टेड ग्राउंड-माउंटेड सोलर पीवी परियोजनाओं को विकसित करने की योजना शुरु की है:

1. चरण I (300 मेगावाट) :

- o स्थान: बीकानेर, राजस्थान।
- o स्थिति: ईपीसी अनुबंध प्रदान किया गया, निर्माण कार्य जारी।

2. चरण II (300 मेगावाट) :
   - o स्थान: भारत में कहीं भी।
   - o स्थिति: ऑनलाइन बोलियाँ मंगाई गईं।
3. चरण III (400 मेगावाट) :
   - o स्थान: भारत में कहीं भी।
   - o स्थिति: ऑनलाइन बोलियाँ तैयार की जा रही हैं।

अतिरिक्त पहल:

- नीपको उत्तर प्रदेश में 500 मेगावाट की ग्राउंड-माउंटेड सौर परियोजना के लिए यूपीएनईडीए से भूमि आवंटन की मांग कर रहा है।
- निगम का लक्ष्य 2037 तक 12,000 मेगावाट की कुल सौर क्षमता हासिल करना है।

फ्लोटिंग सोलर:

फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स (एफ़एसपी) की खोज

पारंपरिक सोलर पीवी परिनियोजन की भूमि-गहन प्रकृति को देखते हुए, नीपको राष्ट्रीय सौर क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक विकल्प के रूप में फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स (एफ़एसपी) की खोज कर रहा है। एफ़एसपी बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए बड़े, सन्निहित भूमि पार्सल प्राप्त करने की चुनौती का समाधान प्रदान करते हैं।

वर्तमान एफ़एसपी पहल:

1. कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन, असम:
   - o क्षमता: 40 एमडबल्यूपी
   - o स्थिति: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार

आगामी एफ़एसपी अन्वेषण:

- निम्नलिखित जल निकायों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफ़आर) और डीपीआर तैयार किए जाने हैं:
  - o मेघालय
  - o मिज़ोरम
  - o उत्तर प्रदेश

इन पहलों का उद्देश्य नीपको के सौर पोर्टफोलियो में विविधता लाना और राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना है।

बैटरी ऊर्जा भंडारण योजनाएँ (बीईएसएस) :

नीपको का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 3,000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता जोड़ना है।

रूफटॉप सोलर:

नीपको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा राज्यों में आवासीय और सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर (आरटीएस) कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है।

भारत सरकार के अनुसार, सरकारी भवनों के 100% सौरकरण की लक्ष्य तिथि दिसंबर 2025 है। नीपको के भवन में आरटीएस की स्थापना के लिए संभावित मूल्यांकन पूरा हो चुका है।

ग्रीन हाइड्रोजन पर अनुसंधान एवं विकास पहल:

ग्रीन हाइड्रोजन पहल

1. राष्ट्रीय नीति:
   - o विद्युत मंत्रालय (एमओपी) , भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी की है
   - o लक्ष्य: भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना

o लक्ष्य: 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता

o नीति में अक्षय ऊर्जा और हितधारक अनुपालन का उपयोग करके उत्पादन विधियों की रुपरेखा दी गई है।

2. नीपको की आर&डी परियोजना:

o सहयोग: आईआईटी गुवाहाटी

o उद्देश्य: कम लागत, टिकाऊ और कुशल विकसित करना: क) इलेक्ट्रो-कैटेलिस्ट ख) इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली के लिए प्रोटॉन एक्सचेंज झिल्ली

o उद्देश्य: ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन

o समयरेखा:

- प्रारंभ: नवंबर 2022
- अवधि: 3 वर्ष

बिजली व्यापार और राजस्व अनुकूलन:

वर्तमान स्थिति:

- नीपको की बिजली बिक्री निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है:
  1. बिजली खरीद समझौते (पीपीए)
  2. विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से बिजली आवंटन आदेश
  3. एनवीवीएन (एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड) के माध्यम से बिक्री

भविष्य की रणनीति: नीपको का लक्ष्य रणनीतिक व्यापार विकल्पों की खोज करके अपनी व्यापारिक क्षमता से राजस्व को अधिकतम करना है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

1. बिजली एक्सचेंजों में प्रत्यक्ष भागीदारी:

o इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स)

o पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल)

o हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (एचपीएक्सइंडिया)

2. वितरण कंपनियों (डिस्कोम) के साथ अल्पकालिक द्विपक्षीय समझौते
3. पीक डिमांड अवधि के दौरान बिक्री को अनुकूलित करना
4. वास्तविक समय बिजली बाजार में अवसरों की खोज करना
5. मांग और मूल्य प्रवृत्तियों की पूर्वानुमान करने के लिए पूर्वानुमान उपकरणों का लाभ उठाना
6. बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक समर्पित विद्युत ट्रेडिंग टीम विकसित करना
7. अधिष्ठापित विद्युत ट्रेडिंग कंपनियों के साथ साझेदारी पर विचार करना

इन पहलों का उद्देश्य नीपको की बाजार उपस्थिति को बढ़ाना, प्लांट लोड फैक्टर में सुधार करना और विनियामक ढांचे के अनुपालन को बनाए रखते हुए समग्र लाभप्रदता को बढ़ाना है।

भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए शक्तियों का लाभ उठाना:

परियोजना प्रबंधन:

नीपको ने अपनी परियोजना प्रबंधन क्षमताओं को निम्नलिखित के माध्यम से बढ़ाया है:

1. एसएपी-ईआरपी कार्यान्वयन:

o संगठन भर में प्रभावी परियोजना प्रबंधन की सुविधा देता है

2. पीएस मॉड्यूल कार्यक्षमता:

o निम्नलिखित के लिए एक एकीकृत प्रणाली के रुप में कार्य करता है:

- नियोजन
- शेड्यूलिंग
- निगरानी
- कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं का नियंत्रण

3. आंतरिक प्रबंधन तंत्र:
    - o अपनी स्वयं की परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं और उपकरणों का उपयोग करता है
4. विस्तारित आईटी-आधारित निगरानी:
    - o आगामी परियोजनाओं के लिए आईटी-आधारित निगरानी प्रणालियों के विस्तार की योजना बना रहा है
    - o निम्नलिखित की आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखता है:
        - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)
        - विद्युत मंत्रालय (एमओपी)
        - अन्य संबंधित प्राधिकरण
5. उन्नति के लिए प्रतिबद्धता:
    - o परियोजना प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को अधिकतम करने का प्रयास करता है।

परिचालन दक्षता:

नीपको का परिचालन अनुभव और विकास:

निम्नलिखित नीपको के विकास, परिचालन अनुभव और अपने बिजलीघरों के रखरखाव और सुधार के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालता है।

1. स्थापना और प्रारंभिक विकास:
    - o पहला विद्युत स्टेशन: 1984 में 50 मेगावाट खांडोंग विद्युत स्टेशन चालू हुआ
    - o पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल, ताप और सौर क्षेत्रों में लगातार विकसित विद्युत स्टेशन
2. वर्तमान क्षमता:
    - o अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 2057 मेगावाट हो गई
3. परिचालन उत्कृष्टता:
    - o जल और ताप विद्युत स्टेशन के संचालन और रखरखाव में व्यापक अनुभव
    - o परिचालन प्रदर्शन और दक्षता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास
    - o नियमित नियोजित रखरखाव गतिविधियाँ
4. नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) पहल:
    - o मानदंडों के अनुसार जीवन विस्तार गतिविधियों के साथ आरएंडएम
    - o पूर्ण : 200 मेगावाट कोपिली पावर स्टेशन
    - o प्रगति पर: 50 मेगावाट खांडोंग पावर स्टेशन
    - o नियोजित: असम और अगरतला गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए जीवन विस्तार के साथ आरएंडएम
5. हालिया प्रदर्शन:
    - o वित्त वर्ष 2023-24 बिजली उत्पादन: 8001 एमयू

हाइड्रो विशेषज्ञता पूल आसानी से उपलब्ध:

नीपको का पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में व्यापक हाइड्रो पावर अनुभव महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है:

1. परियोजना ट्रैक रिकॉर्ड:
    - o पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में 8 हाइड्रो पावर स्टेशनों को सफलतापूर्वक चालू किया।
2. विशेषज्ञता विकास:
    - o इन परियोजनाओं के माध्यम से हाइड्रो पावर विशेषज्ञों का एक वृहत पूल बनाया।
3. संसाधन उपलब्धता:
    - o नए परियोजना स्थलों पर तैनाती के लिए विशेषज्ञ कार्मिक आसानी से उपलब्ध।

4. प्रतिस्पर्धी बढ़त:
    - यह संचित विशेषज्ञता नीपको को हाइड्रो पावर विकास में अधिक लाभ प्रदान करती है।

पूर्वोत्तर में अनुभव एवं जनशक्ति:

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में नीपको की अनन्य स्थिति की विशेषता है:

1. क्षेत्रीय कार्यबल:
    - अधिकांश कर्मचारी एनई क्षेत्र से हैं
2. व्यापक क्षेत्रीय अनुभव:
    - एनईआर में लंबे समय से परिचालन उपस्थिति
3. व्यापक स्थानीय समझ:
    - निम्नलिखित का गहन ज्ञान:
        - तकनीकी पहलू
        - राजनीतिक गतिशीलता
        - सांस्कृतिक बारीकियाँ
4. मजबूत सामुदायिक संबंध:
    - स्थानीय आबादी के साथ स्थापित तालमेल
    - क्षेत्रीय समुदायों के बीच उच्च स्तर का विश्वास
5. रणनीतिक लाभ:
    - ये कारक क्षेत्र में जलविद्युत परियोजना विकास को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाते हैं।

आंतरिक नियंत्रण:

नीपको सभी परिचालन क्षेत्रों को कवर करने वाली एक व्यापक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनाए रखता है:

1. परिचालन ढांचा:
    - लेनदेन और निर्णय निम्नलिखित के अनुसार संसाधित किए जाते हैं:
        - प्रतिनिधि को प्रदत्त अधिकार
        - प्रलेखित नीतियां, दिशानिर्देश, मैनुअल और परिपत्र
        - प्रासंगिक कानून और विनियम
2. नियंत्रण गतिविधियाँ:
    - अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण ढांचा
    - प्रमुख नियंत्रण गतिविधियों की पहचान की गई।
3. निरीक्षण:
    - बोर्ड-स्तरीय लेखा परीक्षा समिति द्वारा प्रभावशीलता की निगरानी
    - स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग
4. लेखा परीक्षा प्रक्रिया:
    - सभी परियोजनाओं और कार्यालयों को कवर करने वाले नियमित और संपूर्ण आंतरिक ऑडिट
    - चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकारों की अनुभवी फर्मों द्वारा संचालित
    - कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के साथ समन्वय
5. लेखा परीक्षा का दायरा:
    - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन
    - निष्कर्षों और सिफारिशों पर रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट प्रशासन:

नीपको अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है:

1. मूल विश्वास:
   - सभी परिचालनों में अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व को पहचानता है।
2. परिचालन फोकस:
   - दक्षता बढ़ाने पर जोर
   - पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली बनाए रखना
3. वित्तीय निरीक्षण:
   - लेखा परीक्षा समिति नियमित रूप से बोर्ड प्रस्तुति से पहले सभी वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है।
4. पारदर्शिता:
   - सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट पर होस्ट की गई वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संचार
5. प्रदर्शन मान्यता:
   - दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर नीपको की वार्षिक ग्रेडिंग सीपीएस के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन
   - वर्ष 2023-24 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की

मजबूत वित्तीय और प्रणाली:

नीपको ने निम्न के माध्यम से मजबूत वित्तीय प्रबंधन का प्रदर्शन किया:

1. विवेकपूर्ण संसाधन प्रबंधन:
   - पूंजी की लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना
2. उच्च क्रेडिट रेटिंग:
   - कई एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई: क्रिसिल, आईसीआरए, सीएआरई, और इंडिया रेटिंग्स
3. वित्तीय मजबूती:
   - मजबूत वित्तीय
   - मजबूत बैलेंस शीट
   - लो गियरिंग
   - स्वस्थ कवरेज अनुपात
4. प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
   - घरेलू बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता

पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और अनुसंधान एवं विकास विकास:

पूर्वोत्तर भारत में पर्यावरण प्रबंधन: नीपको का दृष्टिकोण

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्वदेशी लोगों की आजीविका इन संसाधनों, विशेष रूप से जंगलों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। क्षेत्र की अनूठी पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए सतत विकास आवश्यक है।

नीपको की पर्यावरण प्रतिबद्धता:

1. अपनी परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभावों को पहचानता है।
2. परियोजना निष्पादन और संचालन के दौरान प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उपायों को लागू करता है।
3. राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों और विनियमों का पालन करता है।

अनुपालन और सर्वोत्तम अभ्यास:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़एंडसीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है

- प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) आयोजित करता है
- व्यापक पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ विकसित करता है

मुख्य पर्यावरणीय गतिविधियाँ:

1. पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी
2. हरित पट्टी विकास
3. जैव विविधता और आवास संरक्षण अध्ययन
4. अपशिष्ट प्रबंधन (घरेलू, औद्योगिक और ई-कचरा)
5. पौधारोपण

संयंत्र-विशिष्ट पर्यावरणीय पहलों को नियमित रुप से लागू किया जाता है।

इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विकास की जरूरतों को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

वर्ष के दौरान संयंत्रवार की गई कुछ गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

संयंत्र/परियोजना	पर्यावरण संबंधी कार्य/पहल
110 मेगावाट पारे हाइड्रो पावर स्टेशन, अरुणाचल प्रदेश	1. ग्रीन बेल्ट डेव्लपमेंट और जैव विविधता संरक्षण: o स्थिति: पूर्ण o द्वारा कार्यान्वित: अरुणाचल प्रदेश राज्य वन विभाग 2. पौधारोपण (2023-2024) : o रोपे गए पौधों की संख्या: 200 o स्थान: पावर स्टेशन क्षेत्र में और उसके आसपास o जीवित रहने की दर: 80%
600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, अरुणाचल प्रदेश	पर्यावरण और पारिस्थितिकी पहल: 1. ग्रीन बेल्ट डेव्लपमेंट: o ग्रीन बेल्ट कॉरिडोर का क्रियान्वयन o रेंज एवं बागवानी विभाग, नाफरा के सहयोग से नर्सरी की स्थापना 2. मृदा संरक्षण: o मृदा अपरदन और भूमि क्षरण को रोकने के लिए भौतिक और जैविक उपायों का क्रियान्वयन 3. जैव विविधता संरक्षण: o दुर्लभ, लुप्तप्राय और औषधीय वनस्पतियों की प्रजातियों के लिए 1 वर्ग किलोमीटर का वनस्पति उद्यान स्थापित करना (प्रगति पर) । o मिशन लाइफ और विश्व पर्यावरण दिवस के लिए किमी और बिचोम में वृक्षारोपण अभियान चलाया। o परियोजना स्थल के आसपास वन्यजीव संरक्षण में राज्य सरकार का समर्थन करना। 4. जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन: o मछली प्रजनन और उत्पादन के लिए जलाशयों का उपयोग करने की योजना। o बिचोम बांध के ऊपर और नीचे की ओर मछली पुनर्वास के लिए हैचरी योजना विकसित करने के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) , कोलकाता को शामिल किया। 5. पर्यावरण निगरानी: O प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम अधिकृत फर्मों के माध्यम से छह-मासिक परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता निगरानी का संचालन करना।
60 मेगावाट तुईरियल हाइड्रो पावर स्टेशन, मिजोरम	पर्यावरण सुरक्षा और वनरोपण: 1. पर्यावरण सुरक्षा की निगरानी: o राज्य सरकार द्वारा गठित एक बहु-विषयक समिति o उद्देश्य: पर्यावरण सुरक्षा की प्रगति की निगरानी करना 2. वृक्षारोपण (2023-24) : o रोपे गए पौधों की संख्या: 50 o जीवित रहने की दर: 80%

संयंत्र/परियोजना	पर्यावरण संबंधी कार्य/पहल
405 मेगावाट पंयोर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन, अरुणाचल प्रदेश	वृक्षारोपण पहल (2023-24) : • रोपे गए नए पौधों की संख्या: 1,765 • जीवित रहने की दर: 90%
75 मेगावाट दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन, नागालैंड	1. वन विभाग का सहयोग: o टिशू कल्चर लैब को अपग्रेड करना o 3 साल तक रखरखाव और परिचालन सहायता प्रदान करना। 2. वृक्षारोपण: o आजादी का अमृत महोत्सव: स्थानीय समुदाय की भागीदारी से 114 पेड़ लगाए गए। o मई 2023: एन्साफा-यान, वोखा और पावर हाउस रोड के किनारे 220 पौधे लगाए गए। जीवित रहने की दर: 90% 3. सामुदायिक जुड़ाव: क. सफाई अभियान (20 मई 2023) : o स्थान: डीएचपीएस टाउनशिप और आसपास o प्रतिभागी: नीपको कर्मचारी, सीआईएसएफ और वीकेवी ख. चित्रकला प्रतियोगिता (29 मई 2023) : o स्थान: वीकेवी, नीपको, दोयांग o प्रतिभागी: 120 स्कूली छात्र o थीम: स्वच्छता और एकल-उपयोग प्लास्टिक (मिशन लाइफ) ग. विश्व वेटलैंड दिवस समारोह (2 फरवरी 2024) : o स्थान: दोयांग वेटलैंड जलाशय o प्रतिभागी: वीकेवी स्कूली छात्र, स्थानीय ग्रामीण o आयोजक: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नागालैंड सरकार
275 मेगावाट कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन, असम	1. वनस्पति संरक्षण: o पौध संसाधन केंद्र (वनस्पति उद्यान) और हरित पार्क का रखरखाव। 2. वृक्षारोपण (2023-24) : o रोपे गए पौधों की संख्या: 102 o जीवित रहने की दर: 87%
291 मेगावाट असम गैस आधारित पावर स्टेशन,असम	1. हरित कवरेज: o कुल क्षेत्रफल का 50.68% हरियाली के अंतर्गत o 10 हरित पट्टी और 2 पार्क o कुल वृक्षारोपण/हरियाली क्षेत्र: 209,437 वर्ग मीटर 2. बागवानी: o कॉलोनी क्षेत्र में हाल ही में विकसित 2 फल उद्यान o कुल बागवानी उद्यान क्षेत्र: 1,290 वर्ग मीटर 3. वृक्षारोपण: o 31 मार्च 2024 तक कुल जीवित पेड़: 6,927 o 2023-24 वृक्षारोपण: 91% जीवित रहने की दर के साथ 44 नए पौधे 4. जैव विविधता संरक्षण: o स्थानीय किस्मों के साथ आर्किड गार्डन विकसित किया गया। 5. अपशिष्ट प्रबंधन: o बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए ऑन-साइट खाद बनाना o पीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट गड्ढे विकसित किए गए 6. पर्यावरण निगरानी: o स्टैक उत्सर्जन और अपशिष्ट निर्वहन के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली o सीपीसीबी और एसपीसीबी से जुड़ा हुआ सर्वर 7. जल प्रबंधन: o स्विचयार्ड सतह अपवाह से वर्षा जल संचयन o कॉलोनी निर्वहन के लिए 75 केएलडी सीवेज उपचार संयंत्र

संयंत्र/परियोजना	पर्यावरण संबंधी कार्य/पहल
135 मेगावाट अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन, त्रिपुरा	1. पर्यावरण उपचार योजनाएँ: • अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) के निर्माण का प्रस्ताव प्रगति पर है। • यह जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा तैयार किए गए सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर आधारित है। • डीपीआर में वर्षा जल संचयन योजना और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की योजनाएँ भी शामिल हैं। 2. हरित पट्टी: • कार्यालय और कॉलोनी परिसर सहित बिजली स्टेशन के चारों ओर एक हरित पट्टी है। • इस हरित पट्टी की औसत चौड़ाई 100 मीटर है। • इस क्षेत्र में लगभग 45,743 पौधों का रखरखाव किया जा रहा है। 3. हाल ही में किए गए वृक्षारोपण: • 2023-24 में, 10 नए पेड़ पौधे लगाए गए। • इन नए पौधों की जीवित रहने की दर 90% है।
101 मेगावाट त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन, त्रिपुरा	1. अपशिष्ट प्रबंधन: o उपचारित अपशिष्ट को 3.0 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से गुमटी नदी में डाला जाता है। 2. उत्सर्जन नियंत्रण: o गैस टर्बाइन NOx उत्सर्जन को सीमित करने के लिए ड्राई लो NOx (डीएलएन) बर्नर से सुसज्जित हैं। o स्टैक उत्सर्जन के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली मौजूद है, जो मापती है: o NOx o SOx o पार्टिकुलेट मैटर 3. अपशिष्ट निगरानी: o डिस्चार्ज अपशिष्ट की निगरानी भी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जाती है। 4. शोर प्रबंधन: o विभिन्न संयंत्र स्थानों पर शोर के स्तर को तिमाही आधार पर मापा जाता है। 5. हरित पहल: o 2023-24 में 53 नए पेड़ पौधे लगाए गए। o इन पौधों की जीवित रहने की दर 90% है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन के पहलू :

पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) योजना बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण अंग है, विशेष रूप से ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में। यह परियोजना कार्यान्वयन से प्रभावित समुदायों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को संबोधित करता है। यह व्यापक योजना यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित व्यक्तियों और परिवारों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और उनकी आजीविका को बहाल या बेहतर बनाया जाए।

नीपको (नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) जिम्मेदार विकास के महत्व और प्रभावित समुदायों की भलाई के साथ प्रगति को संतुलित करने के महत्व को पहचानता है। आर एंड आर योजना पुनर्वास प्रक्रिया के प्रबंधन, उचित मुआवजे की पेशकश और परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करके इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यहां मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है:

1. आर एंड आर योजना एकीकरण:
   - o पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और प्रबंधन योजना रिपोर्ट (ईएमपी) का हिस्सा बनता है
   - o पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़ एंड सीसी) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित

2. पॉलिसी के आधार पर:
    - चालू परियोजनाओं के लिए: राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2003 और राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 के आधार पर
    - नई और आने वाली परियोजनाओं के लिए: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 और इसके संशोधनों में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार का पालन करता है।
3. कार्यान्वयन:
    - राज्य सरकार, परियोजना प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग शामिल है
4. दृष्टिकोण:
    - इसका उद्देश्य प्रभावित लोगों, विशेष रुप से कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है
    - ऐसे विकल्प तलाशना जो कम से कम विस्थापन या प्रतिकूल प्रभाव पैदा करें।
5. सर्वेक्षण और योजना:
    - एंड आर योजना तैयार करने से पहले विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करता है
    - नृवंशविज्ञान अध्ययन के आधार पर सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर एक अलग अध्याय शामिल करने की भविष्य की योजनाएँ।
6. अनुवीक्षण:
    - नीपको प्रत्येक परियोजना के लिए एक परियोजना आर एंड आर समिति बनाता है
    - आर एंड आर के लिए प्रशासक की अध्यक्षता वाली समिति (जिला कलेक्टर रैंक)
    - परियोजना प्रमुख सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है

संयंत्र/परियोजना	आर एंड आर कार्य/पहल
पारे एचपीएस अरुणाचल प्रदेश	1. क्षतिपूर्ति: o सभी 277 प्रभावित परिवारों को पूरा क्षतिपूर्ति प्रदान किया गया। 2. पुनर्वास: o सभी 35 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) का सफलतापूर्वक पुनर्वास और पुन: स्थापन किया गया है। 3. रोज़गार के अवसर: o सीएंडडी श्रेणी की रोज़गार के लिए 32 स्थानीय जनजाति लोगों की भर्ती की गई। o 50 परियोजना प्रभावित लोगों ने दो साल के लिए आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त किया। o 50 आईटीआई-प्रशिक्षित व्यक्तियों में से 48 को नीपको के भीतर विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया गया। 4. शैक्षिक सहायता: o परियोजना प्रभावित परिवारों के पात्र उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 5. कौशल विकास: o बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए 6. आजीविका वृद्धि: o मशरुम की खेती पर क्लस्टर विकास आजीविका कार्यक्रम लागू किया। o इस कार्यक्रम से परियोजना के आसपास रहने वाले 50 परिवारों लाभान्वित हुए।

<table>
<tr><th>संयंत्र/परियोजना</th><th>आर एंड आर कार्य/पहल</th></tr>
<tr><td>कामेंग एचपीएस अरुणाचल प्रदेश।</td><td>1. क्षतिपूर्ति:
o सभी 99 प्रभावित परिवारों को पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान किया गया।
2. पुनर्वास:
o सभी 99 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) का सफलतापूर्वक पुनर्वास और पुन: स्थापन किया गया है।
3. अतिरिक्त पहल:
ए. अवसंरचना विकास:
o गांव में अवसरंचना का निर्माण।
बी. आर्थिक पुनर्वास:
o कृषि, बागवानी, डेयरी और मुर्गीपालन गतिविधियाँ के लिए सहायता।
सी. कौशल विकास:
o कृषि गतिविधियों पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
डी. रोजगार
o विभिन्न श्रेणियों में 88 व्यक्तियों की भर्ती की गई है।</td></tr>
<tr><td>पंयोर लोअर एचपीएस, अरुणाचल प्रदेश।</td><td>• रोज़गार सृजन:
o 108 भूमि प्रभावित लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।
• पुनर्वास:
o चुन और रुब गांव के 27 परिवार पोटिन में स्थानांतरित कर दिया गया।
o नई पुनर्वास साइट के साथ विकसित:
• जल आपूर्ति
• एप्रोच रोड
• स्कूल भवन
• शिक्षक के क्वार्टर
• पुनर्वासित परिवारों के लिए घरों की व्यवस्था
• आर्थिक अवसर:
o स्थानीय भूमि प्रभावित ठेकेदारों को क्षुद्र सिविल काम का आवंटन।
• अतिरिक्त पहल:
ए. स्वास्थ्य सेवा:
o स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
बी. अवसंरचना विकास:
o जल आपूर्ति प्रणाली
o सड़के
o विद्यालय
o सामुदायिक हॉल</td></tr>
</table>

संयंत्र/परियोजना	आर एंड आर कार्य/पहल
डीएचपीएस, नागालैंड	डीएचपीएस, नीपको ने प्राकृतिक फाइबर निष्कर्षण और उत्पाद विकास में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों के साथ मिलकर काम किया: 1. पार्टनर ऑर्गनाइज़ेशन o वोखा जिला प्रशासन o शिशोई ओशोम-उद्यमिता टास्क फोर्स (ईटीएफ) -सेल o आईसीएआर-कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) , वोखा o एनएसआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकास मिशन) 2. गतिविधियाँ: ए. जागरूकता शिविर: o वोखा जिले में विभिन्न गांवों और समुदायों में आयोजित किया गया। o प्राकृतिक फाइबर क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान देना बी. प्रशिक्षण कार्यक्रम o बनाना फाइबर निष्कर्षण और उत्पाद विकास पर क्रियात्मक प्रशिक्षण o आईसीएआर के सहयोग से आयोजित किया गया। 3. कार्यान्वयन: o कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) योजना के तहत किया गया

वित्तीय विचार-विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट:

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको/कंपनी) के वित्तीय विवरणों पर विस्तृत चर्चा और विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

वित्तीय स्थिति

तुलन-पत्र की मदें निम्नानुसार चर्चा की गई:

1. **संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) , मुख्य कार्य-प्रगति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति**

   संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) , मुख्य कार्य-प्रगति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त का विवरण निम्नानुसार है:

₹ लाखों में

ब्यौरा	31 मार्च तक		% परिवर्तन
	2024	2023	
संपत्ति का सकल ब्लॉक, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) ,(नोट -2)	19,85,539.30	18,51,396.21	7.25%
संपत्ति का नेट ब्लॉक, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) , (नोट -2)	12,93,125.26	12,42,505.49	4.07%
मुख्य कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) (नोट-3)	66,482.49	1,14,194.44	(41.78) %
अमूर्त संपत्ति का सकल ब्लॉक (नोट-4)	10,886.74	10,805.47	0.75%
अमूर्त संपत्ति का शुद्ध ब्लॉक (नोट-4)	8,033.31	8,664.64	(7.29) %
विकासाधीन अमूर्त संपत्ति (नोट-4 ए)	124.32	96.00	29.50%

वर्ष के दौरान, पीपीई के सकल ब्लॉक में 1,34,143.09 लाख रुपये की वृद्धि हुई (जिसमें 7.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई) पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध ब्लॉक में वृद्धि 50,619.77 लाख रुपये (4.07 प्रतिशत की वृद्धि) हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख वृद्धि कोपिली एचपीएस (50X4 मेगावाट) की 3 इकाइयों के पूंजीकरण के प्रति थी। कोपिली एचपीएस (50X4 मेगावाट) की चार इकाइयों में से, तीन इकाइयों के सीओडी को वित्त वर्ष 2023-24 में फिर से चालू किया गया था जो कि यूनिट # 4: सीओडी 20.08.2023 के 00:00 बजे से घोषित किया गया था, यूनिट # 3: सीओडी 03.09.2023 के 00:00 बजे से घोषित किया गया था और यूनिट # 2: सीओडी 12.11.2023 के 00:00 बजे से प्रभावी घोषित किया गया था।

चालू वित्त वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में ₹ 47,711.95 लाख की कमी आई (अर्थात 41.78% की कमी) , जिसका मुख्य कारण वित्त वर्ष 2023-2024 में कोपिली (4 X 50) मेगावाट एचपीएस की 3 इकाइयों का पूंजीकरण है।

वर्ष के दौरान, अमूर्त परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 81.27 लाख (अर्थात 0.75% की वृद्धि) की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ईआरपी/एसएपी से संबंधित "सॉफ्टवेयर" के पूंजीकरण के कारण है। इसके अतिरिक्त, ईआरपी/एसएपी से संबंधित सॉफ्टवेयर के पूंजीकरण के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों में 28.32 लाख रुपए (अर्थात् 29.50% की कमी) की कमी हुई है।

2. सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश (नोट-5)

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च तक	
	2024	2023
संयुक्त उद्यमों में निवेश	2793.00	2793.00
कम: प्रावधान	2793.00	2793.00
कुल	**शून्य**	**शून्य**

31.03.2024 तक संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश निम्नलिखित है:

(₹ लाखों में)

कंपनी का नाम	राशि
केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	2793.00
कम: प्रावधान	2793.00
निवल	शून्य

कंपनी ने समझौते के अनुसार जीवी कंपनी में नीपको के 30% शेयरधारिता होने के कारण ₹ 2793.00 लाख की राशि निवेश किया। नीपको ने एम/एस केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और अवसरों की खोज की प्रक्रिया के तहत, निवेश के लिए कंपनी (नीपको) के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति भी शामिल है। हालांकि,कंपनी के अंतर-अनुशासनात्मक समिति द्वारा देखे गए चालूस्वरुप में परियोजना की व्यावसायिक गैर-व्यवहार्यता के ध्यान में रखते हुए, नीपको की बुक्स में एक समान राशि का प्रावधान किया गया है।

3. गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट-6 और नोट-8)

गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ के मुख्य रुप से कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम, अग्रिम कर वापसीय, पूंजीगत अग्रिम आदि शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च तक		% परिवर्तन
	2024	2023	
कर्मचारियों को ऋण (नोट-6)	40.02	28.19	41.97%
अन्य गैर-चालूपरिसंपत्तियाँ (नोट-8)	43,529.96	18,179.20	139.45%
कुल	**43,569.98**	**18,207.39**	139.30%

कर्मचारियों को ऋण में ब्याज युक्त कंप्यूटर अग्रिम, ब्याज मुक्त फर्नीचर अग्रिम और बहुउद्देश्य अग्रिम शामिल है, जबकि अन्य गैर-चालूपरिसंपत्तियों में पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं जो बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने की अवधि के बाद प्राप्त किए जाने की उम्मीद है। इसमें ठेकेदारों को पूंजीगत अग्रिम (असुरक्षित) , विलम्बित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव संपत्तियां,अग्रिम पर ब्याज और वापसी योग्य अग्रिम कर शामिल है।

अग्रिम अनसुरक्षित रुप से, संदिग्ध ऋणों की संशोधन के बाद राशि ₹ 39,757.76 लाख है, जो पिछले वर्ष की राशि ₹ 14,783.20 लाख की तुलना में है, यानि ₹ 24,974.56 लाख रुपये की वृद्धि हुई। अग्रिम कर वापसी योग्य 31 मार्च 2024 को ₹ 2858.30 लाख था, जबकि 31 मार्च 2023 को ₹ 2343.46 लाख था, जिसे "चालू परिसंपत्ति" से "गैर-चालू परिसंपत्ति" में कर वापसी योग्य के पुनर्वर्गीकरण के कारण ₹ 514.84 लाख बढ़ा दिया गया था।

4. चालू परिसंपत्तियाँ (नोट-9 से नोट-15)

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को चालू परिसंपत्तियाँ और उसमें परिवर्तन इस प्रकार हैं: (₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च को		वर्ष दर वर्ष परिवर्तन	
चालू परिसंपत्तियाँ	2024	2023	(₹ लाखों)	% में
इन्वेंटरी (प्रावधान का शुद्ध) (नोट-9)	12,457.35	12,516.05	(58.70)	(0.47) %
व्यापार प्राप्य (नोट-10)	83,664.74	94,429.78	(10,765.04)	(11.40) %
नकद और नकद समतुल्य (नोट -11)	240.10	1,461.34	(1,221.24)	(83.57) %
नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष (नोट-12)	276.46	291.50	(15.04)	(5.16) %
अन्य (नोट-13)	32,756.40	23,221.47	9,534.93	41.06%
चालू कर परिसंपत्तियां/देनदारियां (नेट) (नोट-14)	2,165.84	(969.40)	3,135.24	(323.42) %
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (नोट-15)	2,509.48	3,897.78	(1,388.30)	(35.62) %
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**1,34,070.35**	**1,34,848.52**	**(781.88)**	**(0.58)** %

(क) इन्वेंटरी (नोट 9)

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) , जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत, रुपांतरण की लागत और इन्वेंटरी को उनके चालू स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत शामिल हैं। लागत का निर्धारण भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य कोर्स में अनुमानित बिक्री मूल्य है जो बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को कम करता है।

इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन प्रबन्धन द्वारा वर्ष में एक बार किया जाता है। इन्वेंटरी का मूल्य क्रमशः 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को ₹ 12,457.35 लाख और ₹ 12,516.05 लाख (प्रावधान का शुद्ध) था।

(ख) व्यापार प्राप्य (नोट 10)

"व्यापार प्राप्तियां" बिजली की बिक्री के लिए लाभार्थियों से प्राप्य देय राशि है। 31 मार्च, 2024 को व्यापार प्राप्य 83,664.74 लाख रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2023 की तुलना में 94,429.78 लाख रुपये था, अर्थात वर्ष के दौरान 11.40% की कमी। 31.03.2024 और 31.03.2023 को व्यापार प्राप्तियों में क्रमशः "बकाया राशि" ₹ 41,639.19 लाख और ₹ 44,382.59 लाख शामिल हैं।

(ग) नकद और नकद समतुल्य के अलावा नकद और बैंक शेष (नोट 11 और 12)

इसमें (i) बैंक के साथ बनाए गए चालू खाते, (ii) हमारे पास राजस्व टिकट और (iii) बैलेंस शीट की तारीख पर प्रतिबंधित धन शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक, निगम के नकद और नकद समकक्ष (नकद और नकद समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष सहित) क्रमशः ₹ 516.56 लाख और ₹ 1752.84 लाख हैं (जिसमें क्रमशः ₹ 276.46 लाख और ₹ 291.50 लाख की प्रतिबंधित राशि शामिल है) और इस प्रकार वर्ष के दौरान 70.53% की कमी आई है, जिसके परिणामस्वरुप मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में चालू खाते में बैंकों के पास शेष राशि में कमी आई है।

(घ) अन्य (नोट 13)

अन्य में असुरक्षित खाता प्राप्तियों के खाते में शेष राशि, जिसे अच्छा माना जाता है) , प्राप्य दावा, संविदा परिसंपत्ति, कर्मचारियों को अग्रिम और चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीनों के भीतर निपटाए जाने की संभावना वाली प्रतिभूति जमा राशियां शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, 31 मार्च 2023 को ₹ 23,225.20 लाख की तुलना में ₹ 32,756.40 लाख था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 9,531.20 लाख रुपये (अर्थात 41.04%) की शुद्ध वृद्धि हुई है, जिसका कारण अनुबंध परिसंपत्तियों में 10013.94 लाख रुपये की वृद्धि, प्राप्य दावा में 433.01 रुपये की कमी, कर्मचारियों के अग्रिम में 55.49 लाख रुपये की कमी और सुरक्षा जमा में 5.76 लाख रुपये की शुद्ध वृद्धि है।

(ङ) चालू कर परिसंपत्ति (नेट) (नोट 14)

चालू कर परिसंपत्ति (नेट) में अग्रिम कर वापसी योग्य, चालू कर देयताओं को शुद्ध करके टीडीएस/टीसीएस सहित अग्रिम कर का भुगतान शामिल है,जिसमें चालू वर्ष की कर देनदारियों (विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित कर देयता सहित) , पूर्व के वर्षों के लिए समायोजन और अन्य व्यापक आय पर कर शामिल है। 31 मार्च, 2024 को नीपको की चालू कर परिसंपत्ति (नेट) ₹ 969.40 लाख था , जबकि 31.03.2023 को चालू कर देयताए ₹ 2,165.84 लाख था।

(च) अन्य चालू संपत्ति (नोट 15)

अन्य चालू परिसंपत्ति में प्रीपेड व्यय और बीमा, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदार को अग्रिम (प्रावधान का शुद्ध) , स्क्रैप/अप्रचलित संपत्ति (प्रावधान का शुद्ध) , निपटान के लिए रखी गई स्क्रैप/अप्रचलित संपत्ति (एनआरवी पर) शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को नीपको की अन्य चालू परिसंपत्ति (प्रावधान का निवल) क्रमशः ₹ 2509.48 लाख और ₹ 3897.78 लाख था, अर्थात 35.62% की कमी है।

5. विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष – नोट-16

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को नियामक आस्थगित खातों का डेबिट शेष (आरडीए डीआर.बीएएल.) क्रमशः ₹ 1,14,729.55 लाख और ₹ 99,295.51 लाख है, अर्थात 15.54% की वृद्धि। विनियामक आस्थगित खातों के डेबिट शेष जो मूल्यास-तुइरियल हाइड्रो पावर स्टेशन, में ₹ 26,637.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 22,193.30 लाख रुपये) , आस्थगित कर देयताओं के लिए आस्थगित कर समायोजन ₹ 47,911.40 लाख (पिछले वर्ष ₹ 39,930.42 लाख रु) , आस्थगित कर वसूली ₹ 35,581.70 (पिछले वर्ष ₹ 37,171.49 लाख रुपये) ,टीएचपीएस के संबंध में ₹ 4,398.98.40 लाख अर्बिट्रल अवार्ड (पिछले वर्ष ₹ शून्य) और और केएचपीएस के संबंध में 470.47 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि का अर्बिट्रल अवार्ड। आरडीए. डीआर.बीएएल पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	विनियामक आस्थगित खाते डेबिट शेष	
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
ए. 1 अप्रैल को आरंभिक शेष	99,295.21	92,344.55
बी. वर्ष के दौरान वृद्धि	17,024.13	14,656.51
सी. वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन की गई राशि	(1,589.79)	(7,705.85)
डी. क्लोजिंग बैलेंस ए (ए+बी+सी)	**1,14,729.55**	**99,295.21**

वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि/समायोजन 1,589.79 लाख है,जो 1589.79 लाख की राशि के वास्तविक आस्थगित कर से संबन्धित है।

5.1 विनियामक आस्थगित लेखा जमा शेष - नोट-16.02

वर्ष के दौरान, कंपनी ने एमएटी क्रेडिट पात्रता को 1 अप्रैल 2018 प्रारम्भ अवधि के लिए 24525.30 लाख रुपये (पिछला वर्ष शून्य) की मान्यता दी। एमएटी क्रेडिट के उपयोग के परिणामस्वरुप भविष्य के वर्षों में प्रभावी कर की दर कम होगी।

तदनुसार, उक्त एमएटी क्रेडिट पात्रता के अनुरुप 'विनियामक आस्थगित खाता शेष' जो 18,128.66 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) को भी बहियों में मान्यता दी गई है।

6. कुल इक्विटी (नोट- 17 और 18)

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को निगम की कुल इक्विटी क्रमशः ₹ 6,86,789.38 लाख और ₹ 6,58,583.80 लाख है।

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष		6,55,923.90
वर्ष के लिए लाभ		39,690.08
अन्य व्यापक आय		(530.18)
चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश		(35,000.00)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश		(1,500.00)
अंतिम शेष	**6,86,789.38**	**6,58,583.80**

ए) इक्विटी शेयर पूंजी (नोट 17)

31 मार्च 2024 को निगम की इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 3,60,981.04 लाख थी, जो 31 मार्च 2023 के समान है। एनटीपीसी लिमिटेड के पास 31 मार्च 2024 तक नीपको लिमिटेड का 100% स्वामित्व है, जो 25 मार्च 2020 के शेयर खरीद समझौते के अनुसार शेयर हस्तांतरण के माध्यम से नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की सम्पूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के कारण है।

ए) अन्य इक्विटी (नोट 18)

नीपको की अन्य इक्विटी में सामान्य रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग और बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 को अन्य इक्विटी 31 मार्च, 2023 को ₹ 2,97,602.76 लाख की तुलना में ₹ 3,25,808.34 लाख थी। श्रेणी-वार ब्रेक-अप इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सामान्य रिजर्व		1,97,691.68
रिटेन्ड अर्निंग		34,856.91
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व		65,054.17
कुल	**3,25,808.34**	**2,97,602.76**

7. गैर-चालू और चालू देनदारियों:

दीर्घावधि ऋण (नोट 19 और 21) :

31 मार्च 2024 को और 31 मार्च 2023 को दीर्घावधि ऋण (मूल राशि) क्रमशः ₹ 6,89,386.82 लाख और ₹ 6,84,493.44 लाख थी। दीर्घावधि ऋण में से चालू परिपक्वताओं को चालू देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया गया है। कुल दीर्घावधि ऋण (मूल राशि) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-चालू ऋण		5,94,121.62
गैर-चालू ऋण की (एक वर्ष या उससे कम में) चालू परिपक्वता		90,371.82
कुल दीर्घावधि ऋण #		**6,84,493.44**

इंड-एएस के अनुसार ऋण पर लेनदेन लागत के लिए समायोजन शामिल है।

बकाया दीर्घावधि ऋण (मूल राशि) का सारांश नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	गैर-चालू वित्तीय देनदारियां (नोट-19)		चालू वित्तीय देनदारियां (नोट-21)		कुल ऋण		%
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	परिवर्तित
सुरक्षित ऋण							
बांड्स	2,04,921.22	2,96,889.28	62,000.00	62,000.00	2,66,921.22	3,58,889.28	-25.63%
टर्म लोन	2,80,500.00	2,14,800.00	29,300.00	21,800.00	3,09,800.00	2,36,600.00	30.94%
विदेशी मुद्रा ऋण (ईसीबी)	-	-	-	-	-	-	0.00%
उप-कुल	**4,85,421.22**	**5,11,689.28**	**91,300.00**	**83,800.00**	**5,76,721.22**	**5,95,489.28**	**-3.15%**
असुरक्षित							
बांड्स	19,996.23	19,995.66	-	-	19,996.23	19,995.66	0.00%
टर्म लोन	29,000.00	-	1,000.00	-	30,000.00	-	100.00%
विदेशी मुद्रा ऋण (केएफडब्ल्यू)	26,926.07	33,311.72	6,616.57	6,571.82	33,542.64	39,883.54	-15.90%
भारत सरकार अधीनस्थ ऋण	29,126.73	29,124.96	-	-	29,126.73	29,124.96	0.01%
उप-कुल	**1,05,049.03**	**82,432.34**	**7,616.57**	**6,571.82**	**1,12,665.60**	**89,004.16**	**26.58%**
कुल	**5,90,470.25**	**5,94,121.62**	**98,916.57**	**90,371.82**	**6,89,386.82**	**6,84,493.44**	**0.71%**

लीज़ देनदारियाँ (नोट 19ए और 21ए)

एमसीए अधिसूचना के अनुपालन में, कंपनी ने 01.04.2019 से आईएनडी एएस 116 "लीज" को अपनाया है और 1 अप्रैल 2019 को मौजूद सभी लीज अनुबंधों पर इसे लागू किया है। परिणामस्वरुप, कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर लागू वृद्धिशील ऋण दर पर छूट प्राप्त शेष लीज़ भुगतानों के चालू मूल्य पर लीज़ देयता दर्ज की।

लीज़ देनदारियों का विवरण निम्नानुसार है (₹ लाखों में)

ब्यौरा	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
लीज़ देनदारियाँ - गैर-चालू		478.64
लीज़ देनदारियाँ – चालू परिपक्वता (एक वर्ष या उससे कम में)		607.67
कुल लीज़ देनदारियाँ - लीज़ के अंतर्गत संपत्तियाँ	**2015.55**	**1086.31**

अन्य गैर-चालू देनदारियाँ

(क) दीर्घावधि प्रावधान (नोट 20) :

31 मार्च, 2024 ₹ 303.28 लाख के दीर्घावधि प्रावधानों (पिछले वर्ष ₹ 319.12 लाख) में एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान शामिल हैं, जिनका बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने की अवधि के बाद निपटान किए जाने की उम्मीद है।

(ख) आस्थगित कर देयताएं/(परिसंपत्ति) (नोट 7)

31 मार्च, 2024 को आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध) ₹ 98,787.95 लाख की तुलना में 31 मार्च, 2023 को ₹ 93,440.22 लाख थी। बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में ₹ 17,994.46 लाख के अंतर के कारण आस्थगित कर देयता में वृद्धि, आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली के कारण अनवशोषित मूल्यह्रास में ₹ 1408.81 लाख की कमी, ₹ 24,525.30 लाख की राशि की पुस्तकों में एमएटी क्रेडिट की मान्यता और शुद्ध वृद्धि अन्य में (प्रावधान, अवकाश नकदीकरण आदि) में 31.03.2023 को समाप्त वर्ष की तुलना में 31.03.2024 को ₹ 225.70 लाख की आस्थगित कर देयता शेष में ₹ 5,347.73 की कमी आई है।

अन्य चालू देनदारियाँ

(क) व्यापार देय (नोट 22)

व्यापार देय में व्यवसाय के सामान्य क्रम में खरीदी गई माल या प्राप्त सेवाओं के कारण देय राशि शामिल होती है।31 मार्च, 2024 तक व्यापार देय राशि ₹ 17,775.74 लाख था, जबकि 31 मार्च, 2023 तक ₹ 19,140.46 लाख था। उपरोक्त व्यापार देय राशि में 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार एमएसएमई को देय राशि ₹ 1,242.61 लाख रुपये (31.03.2023 तक ₹ 424.75 लाख रुपये) शामिल है और संबंधित वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट तिथियों के अनुसार विक्रेताओं से दावों की प्राप्ति से 45 (पैंतालीस) दिनों से अधिक समय तक देय नहीं थी।

(ख) अन्य वित्तीय देनदारियाँ (नोट 23)

इनमें अर्जित ब्याज शामिल है, लेकिन उधार और अन्य देनदारियों पर देय नहीं है, जैसे पूंजीगत व्यय के लिए लेनदार, कर्मचारी के लाभ और प्रावधानों के लिए देय राशि, ठेकेदारों और अन्य से प्रतिधारण राशि, जिसका भुगतान/निपटान बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने के भीतर होने की उम्मीद है। 31 मार्च, 2024 तक अन्य वित्तीय देयताएं ₹ 42,691.00 लाख रुपये था ,जबकि 31 मार्च, 2023 की तुलना में ₹ 75,922.85 लाख था। अन्य वित्तीय देनदारियों में शुद्ध कमी ₹ 33,231.85 लाख रहा है। 31.03.2024 तक शेष राशि में इस कमी का कारण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देय अंतरिम लाभांश है, जो 31.03.2023 तक पुस्तकों में मान्यता प्राप्त ₹35,0000 लाख है और अन्य के लिए ₹1768.15 लाख की शुद्ध वृद्धि है।

(ग) अन्य चालू देनदारियाँ (नोट 24)

इनमें लाभार्थी से अग्रिम, डीडीयूजीजेवाई सौभाग्य योजनाओं के लिए आरईसी से अग्रिम, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देय और अन्य वैधानिक देय (जैसे, सीपीएफ, एलआईपी, एनईएसएस आदि) परियोजना प्रभावित लोगों को मुफ्त बिजली शामिल है, जिसका भुगतान बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने के भीतर किया जाना है। 31 मार्च 2024 को अन्य चालूदेनदारियां 31 मार्च 2023 को 6,140.42 लाख की तुलना में 6,228.16 लाख रुपये थीं।

अन्य चालू देनदारियों में ₹87.74 लाख (1.43%) की वृद्धि मुख्य रुप से वैधानिक देय ₹ 2,664.15 लाख की वृद्धि के कारण हुई, लाभार्थियों से अग्रिम राशि में 2,413.46 लाख रुपये की कटौती, डीडीयूजीजेवाई के लिए आरईसी से 259.90 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पारे एचपीएस परियोजना से प्रभावित लोगों को मुफ्त बिजली के लिए 96.95 लाख रुपये का प्रावधान किया गया।

(घ) प्रावधान (नोट 25)

31 मार्च 2024 को प्रावधान ₹ 19,930.75 लाख था, जबकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ₹ 18,880.71 लाख था। प्रावधानों में वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रदान की गई राशि और इसमें ग्रेच्युटी ₹ 361.48 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) , सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ ₹ 2861.23 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2477.76 लाख) , अवकाश नकदीकरण ₹ 16,670.42 लाख (पिछले वर्ष ₹ 16,392.78 लाख) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ ₹ 37.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10.17 लाख) शामिल हैं, जिनका निपटान बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीनों के भीतर होने की उम्मीद है।

8. अन्य गैर-चालू देनदारियाँ: आस्थगित राजस्व (नोट-26 और 26ए)

आस्थगित राजस्व में निम्नलिखित दो मदें शामिल हैं:

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सरकारी अनुदान से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व		
चालू	1,586.70	1,592.91
गैर-चालू	19,627.01	21,209.27
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देनदारियाँ	9,978.04	9,600.09
कुल	**31,191.75**	**32,402.27**

सरकारी अनुदान से उत्पन्न आस्थगित राजस्व

- **एमडीओएनईआर से अनुदान**

  विद्युत मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी 2011 के पत्र संख्या 7/7/2009-एच- द्वारा स्वीकृत निवेश अनुमोदन के अनुसार, तुईरियल हाइड्रो पावर स्टेशन, मिजोरम के लिए अनुमोदित फंडिंग पैटर्न के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) द्वारा ₹ 30,000.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गई है। ₹ 300.00 करोड़ रुपये की कुल राशि अनुदान सहायता में शामिल है जो कि इसके चालू होने के बाद से परियोजना के मानक उपयोगी जीवन के दौरान परिशोधन के अधीन है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परिशोधित राशि ₹ 1584.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1584.00 लाख) है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में एक समतुल्य राशि को आय के रुप में मान्यता दी गई है।

- **सरकारी अधीनस्थ ऋण:**

  भारत सरकार ने परियोजना के "वाणिज्यिक संचालन की तिथि" से देय ब्याज @1% प्रति वर्ष के साथ तुईरियल हाइड्रो पावर स्टेशन के कार्यान्वयन के लिए नीपको को 29,196.42 लाख रुपये की उप-ऋण राशि को मंजूरी दी है, उपरोक्त ऋण राशि में से, नीपको को 31.03.2015 तक 29,096.42 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं और शेष 100.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त हुए हैं। दिनांक 31.03.2015 तक प्राप्त ऋण राशि (29,096.42 लाख रुपये) को इंड एएस 101 (पूर्वव्यापी आवेदन के लिए अपवाद) के अनुपालन में इसके वहन मूल्य पर 01.04.2015 (इंड एएस संक्रमण तिथि) की स्तिथि के अनुसार नीपको की बही -खातों में मान्यता दी गई है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त ऋण राशि (₹ 100.00 लाख) के लिए, बाजार से ब्याज दर कम होने के कारण (एसबीआई आधार दर @ 9.70% जून 2015 तक प्रभावी माना जाता है) ₹ 82.64 लाख रुपये के ऋण का लाभ सरकारी अनुदान के रुप में माना गया है और तदनुसार नीपको की पुस्तकों में मान्यता दी गई है।

- **अतिरिक्त सहायता अनुदान:**

  केंद्र सरकार से प्राप्त "सहायता अनुदान" से खरीदे गए पुर्जों का कुल मूल्य ₹ 3659.53 लाख है और तदनुसार, असम गैस आधारित पुस्तकों में मान्यता प्राप्त है। चालूअवधि के दौरान, मरम्मत और रखरखाव को डेबिट किया गया है और "सहायता अनुदान" के तहत पुर्जों के स्टॉक को ₹ 2.70 लाख (पिछले वर्ष ₹ 8.91 लाख) की राशि से क्रेडिट किया गया है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में एक समान राशि को आय के रुप में मान्यता दी गई है।

- **आस्थगित विदेशी मुद्रा अस्थिर देनदारियाँ:**

  कंपनी की पुस्तकों में मान्यता प्राप्त "आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयता" और दिनांक 01.04.2016 से पहले लिए गए विदेशी ऋणों (केएफडब्ल्यू, जर्मनी से विदेशी मुद्रा ऋण) से संबंधित एफईआरवी के खातों पर 31.03.2024 तक जारी शेष राशि ₹ 9,978.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹ 9,600.09 लाख रुपये) है।

संचालन से परिणाम:

I. **कुल राजस्व (नोट-27 और नोट-28)** (₹ लाखों में)

क्रम.सं.	ब्यौरा	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	परिवर्तन
1	ऊर्जा की बिक्री		3,49,174.31	(6.81) %
2	व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री		91,844.22	(7.35) %
3	बिजली शुल्क		0.00	100.00%
4	डीएसएम से राजस्व		3,962.75	70.14%
5	आरआरएएस से राजस्व		1,254.35	(13.21) %
6	लाभार्थियों से एफईआरवी (निवल)		467.51	41.11%
7	भरने का शुल्क		71.46	78.81%
8	लाभार्थियों से एनईआरएलडीसी शुल्क और अन्य शुल्क		596.86	50.10%
9	आस्थगित राजस्व – सरकारी अनुदान		1,592.90	(0.39) %
10	लाभार्थियों से ब्याज		6,762.37	(71.74) %
11	रिएक्टिव एनर्जी की बिक्री	35.04	0.00	100.00%
	परिचालन से राजस्व	**4,23,956.74**	**4,55,726.73**	**(6.97%)**
12	अन्य आय	2,466.09	1,336.77	84.48%
	कुल राजस्व	**4,26,422.83**	**4,57,063.50**	**(6.70%)**

परिचालन से राजस्व (नोट 27) :

नीपको दीर्घावधि विद्युत् खरीद समझौतों (पीपीए) के तहत और प्रत्येक लाभार्थी राज्य के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) (सिक्किम को छोड़कर) में राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिताओं और बिजली विभागों के साथ-साथ एनईआर (कामेंग एचपीएस से) सहित थोक उपभोक्ताओं को बिजली बेचता है। इसके अलावा, कंपनी ने कामेंग एचपीएस द्वारा उत्पादित व्यापारिक बिजली और गैर-आवश्यक ऊर्जा (यूआरएस) के कारण कंपनी को उपलब्ध अधिशेष बिजली के लिए मैसर्स एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के माध्यम से बिजली व्यापार का सहारा लिया। 2023-24 के दौरान परिचालन से कुल राजस्व ₹ 4,23,956.74 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4,55,726.73 लाख) था, जो वर्ष के लिए कंपनी की कुल आय का 99.42% (पिछले वर्ष 99.71%) है।

2057 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 8491.93 एमयू की कुल उत्पादन की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान 8000.87 एमयू का उत्पादन हासिल किया है। हालाँकि, 50 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला नीपको का एक उत्पादन स्टेशन, खांडोंग स्टेज - I, इसके चल रहे नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों के दौरान वर्ष के दौरान पूरी तरह से बंद था।

अन्य आय (नोट 28)

'अन्य आय' में मुख्य रूप से बैंक जमा पर ब्याज, विलंबित भुगतान अधिभार, लिखित प्रावधान और विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लाभ और हानि विवरण को प्रभावित करने वाली कंपनी की अन्य आय ₹ 2,466.09 लाख थी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 1,336.77 लाख थी। अन्य आय (₹ 1129.32 लाख) में वृद्धि मुख्य रूप से विलम्ब भुगतान अधिभार में (₹ 303.20 लाख) की वृद्धि, विविध प्राप्तियों में (₹ 237.84 लाख) की वृद्धि, ₹ 168.00 लाख बैंक जमा पर ब्याज में कमी, इनफर्म पावर में ₹159.10 लाख की वृद्धि, जमा कार्यों के निष्पादन में ₹ 211.90 लाख की वृद्धि तथा अन्य के लिए (नेट) ₹ 385.28 लाख की वृद्धि के कारण हुई है।

II. **व्यय (नोट-29 से नोट-33)**

वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 32.02% की वृद्धि हुई, जो ईंधन लागत, कर्मचारी लाभ व्यय, अन्य व्यय और मूल्यह्रास में वृद्धि और वित्त लागत में कमी के कारण है।

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	2023-24	2022-23	वृद्धि/ (कमी)	परिवर्तन (%)
ईंधन लागत (नोट 29)	1,25,642.24	1,47,687.42	(22,045.18)	(14.93) %
कर्मचारी लाभ व्यय (नोट 30)	43,285.78	51,406.14	(8,120.36)	(15.80) %
वित्तीय लागत (नोट 31)	52,838.05	53,667.13	(829.08)	(1.54) %
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (नोट 32)	85,480.64	83,550.16	1,930.48	2.31%
अन्य व्यय (नोट 33)	56,957.35	52,902.05	4,055.30	7.67%
कुल व्यय	**3,64,204.06**	**3,89,212.90**	**(25,008.84)**	**(6.43%)**

ईंधन लागत

नीपको के थर्मल उत्पादन स्टेशनों में उपयोग किए जाने वाले ईंधन (प्राकृतिक गैस) की कीमत त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन (टीजीबीपीएस) को छोड़कर, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा निर्धारित और अधिसूचित दर से नियंत्रित होती है, जिसके लिए लागू मूल्य ईंधन की आपूर्ति के लिए नीपको और ओएनजीसी के बीच हुए समझौते द्वारा अभिशासित होती है। कुल ईंधन लागत में गैस की लागत और उस पर परिवहन व्यय शामिल है।

प्राकृतिक गैस की कीमत (पीएनजीआरबी द्वारा अधिसूचित) अप्रैल'23 से सितम्बर'23 के लिए $ 6.50 प्रति एमएमबीटीयू है, अक्टूबर'23 से मार्च'24 के लिए @$6.50 प्रति एमएमबीटीयू है और अप्रैल'22 से सितंबर'22 के लिए @$6.10 प्रति एमएमबीटीयू है अक्टूबर'22 से मार्च'23 के लिए @$8.57 प्रति एमएमबीटीयू है। इस प्रकार, प्रति एमएमबीटीयू औसत ईंधन मूल्य (एजीबीपीएस और एजिजीबीपीएस के लिए) 11.38% प्रति एमएमबीटीयू की कमी आई। इसके अलावा, एजिजीबीपीएस के लिए परिवहन लागत (पीएनजीआरबी द्वारा निर्धारित) अप्रैल-मार्च '23 की तुलनात्मक अवधि की तुलना में अप्रैल-मार्च '24 की अवधि के दौरान काफी कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप एलपीपीएफ (औसत) में रुपये 1.47 प्रति एससीएम (एजीबीपीएस के लिए) और रुपये 2.01 प्रति एससीएम (एजिजीबीपीएस के लिए) की शुद्ध कमी आई है। टीजीबीपीएस के लिए प्रति एससीएम एलपीपीएफ (औसत) में रुपये 0.44 की वृद्धि हुई है।

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ईंधन (गैस) पर व्यय कुल व्यय का 34.50% रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह 37.95% था।

कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ

कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभों में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि में योगदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, अवकाश नकदीकरण और कर्मचारी कल्याण व्यय शामिल हैं। वर्ष के दौरान नीपको के कुल व्यय इन खर्चों में 11.89% हिस्सा रहा है , जबकि पिछले वर्ष 13.21% था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों के खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 8,120.36 लाख की कमी आई है, जिसका कारण वेतन और भत्ते में 7851.15 लाख रुपये और अन्य (शुद्ध) में 269.21 लाख रुपये की कमी है। यह मुख्य रूप से चालूवित्त वर्ष में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुआ।

वित्त लागत

नीपको की वित्तीय लागतों में उधार पर ब्याज व्यय के साथ-साथ अन्य वित्तीय प्रभार, जैसे विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आदि शामिल हैं। लेखांकन उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा उधार सहित सभी उधारों को भारतीय रुपये में अंकित है।

वर्ष के दौरान, वित्त लागत (राजस्व खाता) पिछले वर्ष के ₹ 53,667.13 लाख से 1.54% घटकर ₹ 52,838.05 लाख हो गई। वर्ष के दौरान वित्त लागत में ₹ 829.08 लाख की कमी मुख्य रूप से विनिमय दर में उतार-चढ़ाव-हानि में ₹ 663.66 लाख की कमी और ₹ 165.42 लाख के ब्याज शुल्क के कारण हुई। वर्ष के दौरान नीपको के कुल व्यय में वित्त लागत का 14.51% रहा ,जबकि पिछले वर्ष यह 13.79% था।

मूल्यह्रास

07 मार्च, 2019 को अधिसूचित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की शर्तें और नियम) विनियम 2019 और कंपनी की अनुमोदित लेखा नीति में शामिल कुछ अपवादों को छोड़कर, उसमें संशोधनों के अनुसार दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, चालूवर्ष के दौरान मूल्यह्रास 2.31% बढ़कर ₹ 85480.64 लाख हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 83,550.16 लाख था। पिछले वर्ष की तुलना में कैलेंडर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास में ₹ 1,930.48 लाख की वृद्धि मुख्य रूप से चालूवर्ष के दौरान कोपिली एचपीएस (200 मेगावाट) की 3 इकाइयों के पूंजीकरण के कारण हुई है।

वर्ष के दौरान नीपको के कुल व्यय में मूल्यह्रास 23.47% रहा, जबकि पिछले वर्ष 21.47% था।

अन्य व्यय

अन्य व्यय (उत्पादन और प्रशासन व्यय सहित) में संयंत्र परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव, सामान्य स्थापना/प्रशासनिक व्यय, बीमा शुल्क, व्यापार व्यय, एनईआरएलडीसी शुल्क और प्रभार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय, सुरक्षा व्यय, परिवहन व्यय, बिजली शुल्क, राइट ऑफ आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 13.59% की तुलना में वर्ष के दौरान ये व्यय नीपको के कुल व्यय का लगभग 15.64% था। निरपेक्ष रुप से, इन खर्चों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,055.30 लाख (अर्थात 7.67%) की वृद्धि, जिसका मुख्य कारण मरम्मत और रखरखाव प्रभार में ₹ 4546.34 लाख की वृद्धि हुई, देय डीएसएम प्रभार में ₹ 851.54 लाख, मध्यस्थता पुरस्कार-ब्याज में ₹ 6,711.84 लाख, विज्ञापन व्यय में ₹ 463.71 लाख, प्रचार व्यय में ₹ 385.30 लाख, कानूनी प्रभार में ₹ 388.02 लाख और ट्रेडिंग व्यय में ₹ 4361.82 लाख की कमी है, अन्य (शुद्ध) में ₹ 4929.63 लाख की कमी आई।

विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन (विनियामक आय) (नोट संख्या 37)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "दर विनियमित गतिविधियों के लेखांकन" पर मार्गदर्शन नोट के अनुरुप आईएनडी एएस 114 - विनियामक आस्थगित खातों के अनुपालन में "विनियामक परिसंपत्तियां" सृजित की गई हैं और नीपको के बही-खातों मे तदनुरुपी "विनियामक आय" को मान्यता दी गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने विनियामक आय के रुप में लाभ और हानि विवरण में ₹ (2,694.32) लाख (पिछले वर्ष ₹ 6950.66 लाख) की राशि को "विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन" (कर के बाद क्रमशः ₹ (-) 2,501.34 लाख और ₹ 5482.47 लाख) के रुप में को मान्यता दी थी। उक्त "विनियामक आय" को निम्नलिखित कारकों के कारण चालूवर्ष के दौरान मान्यता दी गई:

(i) मूल्यह्रास - तुईरियल एचईपी

सीईआरसी द्वारा निर्धारित नीपको के तुईरियल हाइड्रो पावर स्टेशन (टीएचपीएस) की वार्षिकलागत (एएफसी) का उत्पादन स्टेशन (टीएचपीएस) के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के निर्णय के अनुरुप मूल्यह्रास @2% पर विचार कर रही है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार दरें और कार्यप्रणाली, जिसके आधार पर टीएचपीएस के लिए मूल्यह्रास की गणना की गई है और विचाराधीन अवधि के लिए नीपको के लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया गया है, सीईआरसी आदेश के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूल करने की अनुमति से भिन्न है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास की उच्च दर के कारण, उत्पादन स्टेशन (टीएचपीएस) के संचालन के प्रथम 12 (बारह) वर्षों के लिए लाभ और हानि खाते के विवरण में लगाया गया मूल्यह्रास टैरिफ के माध्यम से वसूल किए जाने वाले मूल्यह्रास की तुलना में अधिक होगा, जिसे भविष्य में इसके सीओडी के 13वें वर्ष से संयंत्र के मानक उपयोगी जीवन की शेष अवधि के दौरान उलट दिया जाएगा। तदनुसार, उत्पादन स्टेशन के लिए इसके संचालन की पूर्व अवधि (12वें वर्ष तक) के दौरान "राजस्व" के रुप में प्राप्त कम मूल्यह्रास को इसकी बाद की उपयोगी अवधि के दौरान वसूली/समायोजित किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की अवधि में वसूली योग्य/समायोज्य सीमा तक मूल्यह्रास के अंतर को विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष राशि के रुप में बिना छूट के आधार पर मान्यता दी गई है। वर्ष के दौरान बिना छूट के आधार पर मान्यता प्राप्त भविष्य की अवधि में वसूली योग्य/समायोज्य सीमा तक मूल्यह्रास के अंतर को "विनियामक आय" के रुप में ₹ 4,173.70 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4,113.61 लाख) है।

(ii) आस्थगित कर देयताओं के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन

वर्ष के दौरान बिजली की बिक्री से उत्पन्न आय पर उपार्जित आस्थगित कर और भविष्य की अवधि में आगे समायोज्य/प्रत्यावर्तन, जब संबंधित आस्थगित कर देयता चालूकर का एक हिस्सा बन जाएगी और लाभार्थियों से वसूली योग्य ₹ 7,980.98 लाख रुपये को सीवाई के दौरान "आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन" (पीवाई वर्ष के दौरान ₹ 10,542.90 लाख) रुपए के रुप में माना गया है, जिसे "नियामक आय" के रुप में मान्यता दी गई है और कंपनी की पुस्तकों में "नियामक आस्थगित खाता शेष" में एक परिवर्तन के रुप में प्रस्तुत किया गया है।

(iii) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर देनदारियाँ

सीईआरसी (टैरिफ विनियमन के नियम और शर्तें) 2019 के विनियमन 67 के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देनदारियां, जब भी वे मूर्त रुप लेती हैं, उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों द्वारा तत्कालीन लाभार्थियों या दीर्घावधि ग्राहकों से,जैसा भी मामला हो ,सीधे वसूल किया जाएगा। दिनांक 01.04.2023 तक ₹ 37,171.49 लाख के शेष की तुलना में सी वाई के दौरान ₹ 1,589.79 लाख की राशि (पीवाई के दौरान ₹ 1452.47 लाख रुपये) की राशि को मूर्त रुप दी गई है और तदनुसार इसे वापस लिया गया /समायोजित किया।

(iv) तुईरियल एचपीएस-आर्बिट्रल अवार्ड के संबंध में विनियामक आस्थगन खाता शेष

निर्माण गतिविधियों के निष्पादन के दौरान, 2004 में, तुईरियल मुआवजा दावेदार एसोसिएशन द्वारा एक बंद और सड़क नाकाबंदी का आह्वान किया गया था, जिसके कारण परियोजना स्थल पर सिविल कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने शुरु में नीपको को केवल प्रारंभिक कार्य के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया था, जिसके बाद, विद्युत मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि परियोजना के संबंध में सिविल कार्य 09.06.2004 से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।यद्यपि उक्त अवधि के दौरान निर्माण गतिविधियां स्थगित रखी गईं, लेकिन परियोजना में सभी प्रशासनिक गतिविधियां जारी रहीं। हालांकि, परियोजना पर तकनीकी और प्रशासनिक कार्य जारी रहा। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.11.2011 को सूचित की गई परियोजना के लिए सीसीईए मंजूरी पर 14.01.2011 से परियोजना पर निर्माण कार्य फिर से शुरु हुआ और परियोजना को वित्त वर्ष 2017-18 में चालू किया गया।

प्लांट में काम बंद होने के कारण ठेकेदार ने आर्बिट्रेशन के तहत केस दायर कर दिया।

दिनांक 21-08-2016 (लॉट-I/II/III) और 14-10-2016 (2- सड़कें) के मध्यस्थता निर्णय और उसके बाद ठेकेदार के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 30-05-2023 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में इसे चार्ज करके ठेकेदार को ब्याज की अनुमति देने के लिए कंपनी की पुस्तकों में 31.03.2024 को एक प्रावधान बनाया गया था।

15.03.2024 को अधिसूचित सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियमन 2024 के विनियमन 91 में प्रावधान है कि मध्यस्थता अवार्ड से जुड़ी और वास्तव में भुगतान की गई कोई भी ब्याज राशि दीर्घावधि लाभार्थियों से वहन लागत के साथ किस्तों में वसूल की जाएगी। तदनुसार,तुईरियल एचपीएस के लिए मध्यस्थता अवार्ड से संबंधित ₹ 4398.98 लाख की ब्याज राशि, जो कि लाभार्थी से नियत समय में वसूल की जा सकती है क्योंकि यह दर नियामक द्वारा अनुमत ग्राहक से वसूले जाने के योग्य है, को 31.03.2024 तक नीपको की पुस्तकों में "नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष" के रूप में मान्यता दी गई है।

(v) कोपिली एचपीएस-आर्बिट्रल अवार्ड के संबंध में विनियामक आस्थगन खाता शेष

कोपिली जलविद्युत परियोजना के लिए कोपिली नदी पर खांडोंग बांध और उमरोंग धारा पर उमरोंग बांध के निर्माण का ठेका वित्तीय वर्ष 1977-78 में दिया गया था।

कार्य के निष्पादन के दौरान, अधिक दूरी से रेत लाने तथा नई खदान की स्थापना के कारण अतिरिक्त/अतिरिक्त व्यय को लेकर ठेकेदार के साथ विवाद उत्पन्न हो गया। उपरोक्त दावे के निपटारे के लिए मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

इस बीच, ठेकेदार ने विवाद से विश्वास-II योजना (वीएसवी-II) के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत किये। उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तथा समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये तथा ठेकेदार को दावे का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में कर दिया गया। 15.03.2024 को अधिसूचित सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम 2024 के विनियम 91 में यह प्रावधान है कि मध्यस्थता अवार्ड से जुड़ी और वास्तव में भुगतान की गई कोई भी ब्याज राशि दीर्घावधि लाभार्थियों से वहन लागत के साथ किस्तों में वसूल की जाएगी। तदनुसार, कोपिली एचपीएस के लिए मध्यस्थता अवार्ड से संबंधित 470.47 लाख रुपये का ब्याज, जो कि लाभार्थी से नियत समय में वसूल किया जा सकता है क्योंकि यह दर नियामक द्वारा अनुमत अनुसार ग्राहक से वसूले जाने के योग्य है, को 31.03.2024 तक नीपको की पुस्तकों में "नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष" के रूप में मान्यता दी गई है।

(vi) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट और उस पर विनियामक आस्थगित खाता (क्रेडिट) शेष की मान्यता

नीपको चालूमें एमएटी के तहत अपनी आयकर देयता का भुगतान कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने एमएटी क्रेडिट के रूप में ₹ 24,525.30 लाख को मान्यता दी है, जिसमें से ₹ 18,128.66 लाख लाभार्थियों को दिए जाने हैं। तदनुसार, लाभार्थियों को दिए जाने वाले एमएटी क्रेडिट को नियामक आस्थगित खाता (क्रेडिट) शेष के रूप में मान्यता दी गई है।

(vii) कर्मचारी लाभ व्यय – ग्रेच्युटी

पिछले वर्ष 2022-23 में, "परिचालन से राजस्व" ₹ 4793.47 लाख की राशि, ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के संबंध में "विनियामक आस्थगित खाता शेष" के तहत पड़ी उक्त राशि पर उगाही के लिए लाभार्थियों पर उठाए गए बिलों के आधार पर औंधा दी गई। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, राशि ₹ शून्य है, क्योंकि वर्ष के दौरान ऐसी कोई मान्यता पात्र नहीं है।

(viii) विनिमय अंतर

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ शून्य और पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1459.91 लाख के विनिमय अंतर को नीपको के पारे एचपीएस के लिए सीईआरसी द्वारा जारी एकल भाग टैरिफ के विचार में औंधा किया गया है।

कर देने से पूर्व लाभ

कंपनी का कर पूर्व लाभ और असाधारण मदों को नीचे सारणीबद्ध किया गाय है;

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कुल आय	4,26,422.83	4,57,063.50
कम:		
संचालन से संबंधित व्यय		2,51,995.61
वित्त लागत		53,667.13
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		83,550.16
कर पूर्व लाभ (असाधारण मदों और विनियामक आस्थगित खातों की शेष राशि में संचलन को छोड़कर)	**62,218.77**	**67,850.60**

कर प्रावधान का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2023-24		
	चालू कर	आस्थगित कर	कुल
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान	10,059.97	(5,347.73) (डीटीए का निवल)	4,712.24
पिछले वर्षों के लिए समायोजन	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि विवरण के अनुसार शुद्ध प्रावधान	10,059.97	(5,347.73) (डीटीए का निवल)	4,712.24

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2022-23		
	चालू कर	आस्थगित कर	कुल
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रावधान	12,957.03	22,154.15 (डीटीए का निवल)	35,111.18
पिछले वर्षों के लिए समायोजन	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार शुद्ध प्रावधान	12,957.03	22,154.15 (डीटीए का निवल)	35,111.18

कर अदायगी के बाद लाभ

कर के बाद कंपनी का लाभ नीचे सारणीबद्ध है:

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कर अदायगी पूर्व लाभ (असाधारण मदों और विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन को छोड़कर)	62,218.77	67,850.60
अपवाद आइटम - आय/(व्यय)		
कर अदायगी पूर्व लाभ (विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन को छोड़कर)	62,218.77	67,850.60
अतिरिक्त: रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट बैलेंस में संचलन	(2,694.32)	6,950.66
कम: कर व्यय	4,712.24	35,111.18
कर अदायगी के बाद लाभ	**54,812.21**	**39,690.08**

अन्य व्यापक आय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल) वित्तीय वर्ष 2022-23 में (-) 530.18 लाख रुपये की तुलना में (-) 1606.63 लाख रुपये है।

नकदी प्रवाह

विभिन्न गतिविधियों पर नकद और नकद समकक्ष और नकदी प्रवाह नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
नकद और नकद समकक्ष खोलना	**1,461.34**	**4344.49**
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह /(बहिर्वाह)	1,54,103.75	1,58,660.03
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह /(बहिर्वाह)		(64,068.25)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह /(बहिर्वाह)		(97,474.93)
नकद और नकद समकक्ष बंद करना	**240.10**	**1,461.34**

नकदी प्रवाह के विवरण में परिचालन गतिविधियों, निवेश गतिविधियों और वित्त गतिविधियों से नकदी प्रवाह शामिल है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परिचालन गतिविधियों से नीपको का शुद्ध नकदी प्रवाह ₹ 1,54,103.75 लाख है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ₹ 1,58,660.03 लाख था। परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी गैर-नकद मदों को समायोजित करने के बाद निकाली गई है, जैसे कि ₹ 85,480.64 लाख का मूल्यह्रास, ₹ 52,744.49 लाख की वित्त लागत, ₹ 2694.32 लाख के विनियामक स्थगन खातों में शेष राशि, विदेशी मुद्रा लाभ ₹ 93.56 लाख, ₹ 18.22 लाख परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर (शुद्ध) की हानि, ₹ 7,109 लाख की राशि का प्रावधान/बट्टे खाते में डालना, ₹ -1,210.52 लाख का आस्थगित राजस्व, ₹ 493.32 लाख का लिखित वापसी का प्रावधान, ₹ 358.77 लाख की ब्याज/निवेश आय और विलंब भुगतान अधिभार राशि ₹ 848.88 लाख। परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से इन्वेंट्री, व्यापार प्राप्य, अन्य प्राप्य, ऋण और अग्रिम, अन्य वित्तीय देनदारियों और प्रावधान में वृद्धि/(कमी) के प्रभाव के कारण नकदी प्रवाह (शुद्ध) पर ₹ (40,249.80) लाख का प्रभाव पड़ा।वर्ष के दौरान 10400.00 लाख रुपये का आयकर भुगतान भी किया गया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश गतिविधियों से नीपको का शुद्ध नकदी बहिर्वाह ₹ 107,617.09 लाख है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में बहिर्वाह ₹ 64068.25 लाख था। इसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर व्यय ₹ 108766.59 लाख, निवेश पर ब्याज आय ₹ 358.77 लाख, परिसंपत्तियों के निपटान पर वसूली ₹ 71.14 लाख, "देरी भुगतान अधिभार" के खातों पर वसूली ₹ 704.55 लाख और नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष में परिवर्तन ₹ 15.04 लाख शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में, वित्तपोषण गतिविधियों से नीपको का शुद्ध नकदी बहिर्वाह ₹ 4770 7.90 लाख है, जबकि पिछले वर्ष ₹ 97,474.93 लाख था। निगम ने बैंकों से दीर्घावधि ऋण के रुप में ₹ 125000 लाख की धनराशि जुटाई है तथा ₹ 120,462.09 लाख और ₹ 56,245.63 लाख के ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान भी किया है। वर्ष के दौरान निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 25000.00 लाख की राशि का अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान वित्त लीज दायित्वों का भुगतान ₹ 1056.94 लाख है और चालू ऋण के कारण शुद्ध अंतर्वाह ₹ 30,056.76 लाख है।

ऑफ-बैलेंस शीट आइटम

आकस्मिक देयताएं:

वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए आकस्मिक देयताएं के घटक इस प्रकार हैं: (₹ लाखों में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया:		
कैपिटल वर्क्स के खिलाफ लंबित मुकदमा	2,86,685.70	2,75,242.36
भूमि मुआवजा के मामले	638.00	2,365.00
विवादित आयकर मांग	1,992.06	27,614.24
अन्य	23,295.00	19,239.00
कुल	**3,12,610.76**	**3,24,460.60**

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रतिबद्धताएँ

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
पूंजीगत अनुबंधों पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गई (अग्रिम और जमा का शुद्ध)	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	11,708.02	37,718.70

संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

31 मार्च 2024 तक, नीपको की एक संयुक्त उद्यम कंपनी इस प्रकार है:

- केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, 8-2-293/82/ए/431/ए, रोड नंबर 22, जुबली हिल्स, हैदराबाद – 500 033, भारत

उपर्युक्त संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी भारत में निगमित है। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण उक्त जेवी कंपनी के गैर-लेखा परीक्षित खातों के आधार पर लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके तैयार किया गाय हैं।

समेकन पर वित्तीय परिणाम की एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है: (₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
कुल मुनाफा	4,26,422.83	4,57,063.50
कुल खर्च	3,64,204.06	3,89,212.90
असाधारण आइटम- आय/(व्यय)		
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का हिस्सा	1.87	(1.87)
दर विनियमित गतिविधियाँ और कर से लाभ	62,220.64	67,848.73
कर व्यय		33,642.41
दर विनियमित गतिविधियों से लाभ	57,314.84	34,206.32
दर विनियमित गतिविधियों में संचलन (कर का शुद्ध)	(2,501.34)	5,482.47
वर्ष के लाभ / (हानि)		39,688.79
अन्य व्यापक आय		(530.18)
कुल व्यापक आय (कर का शुद्ध)	53,206.87	39,158.61
कुल इक्विटी	687,140.35	6,58,933.48

मानव संसाधन और मानव संसाधन विकास

31.03.2024 तक, निगम में 3 (तीन) बोर्ड स्तर के कार्यकारी (सीवीओ को छोड़कर) सहित 1437 नियमित कर्मचारियों की संख्या थी। इनमें से 636 कार्यपालक, 196 पर्यवेक्षक और 602 कामगार हैं।

नियमित कर्मचारियों की आयु प्रोफाइल का विश्लेषण और उसके निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

आयु	कुल	कर्मचारियों का प्रतिशत
30 वर्ष तक	27	2%
31 - 40 वर्ष	200	14%
41-50 वर्ष	267	19%
51-60 वर्ष	944	66%

अगले 5 (पांच) वर्षों में सेवानिवृत्ति प्रोफाइल:						
कादर	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**कुल**
बोर्ड स्तर	-	1	-	1	0	2
कार्यपालक	50	56	54	46	30	236
पर्यवेक्षक	29	18	23	13	18	101
कामगार	43	31	44	49	62	229
कुल	**122**	**106**	**121**	**109**	**110**	**568**

उपरोक्त निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि निगम में 66% जनशक्ति 51 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में हैं और लगभग 568 कर्मचारी मार्च, 2029 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यह आकंडा बताता है कि निगम में नौकरी छोड़ने की दर अधिक है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रशिक्षण में कुल 1037 कर्मचारियों ने भाग लिया और कुल प्रशिक्षण श्रम दिवस 7233 प्राप्त हुआ।

निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00307037

दिनांक: 10-08-2024

स्थान: नई दिल्ली

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

एक व्यावसायिक इकाई में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समावेशिता के प्रति सही दृष्टिकोण एक स्वस्थ, उत्पादक और टिकाऊ संस्था की ओर ले जाता है। नीपको ने हमेशा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में स्थिरता को केंद्र बिंदु पर रखा है। अपने हितधारकों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। हमने हमेशा पर्यावरण और अपने हितधारकों की आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम प्रथाओं और सुशासन पर ध्यान केंद्रित करके अपने व्यवसाय को संतुलित किया है।

ईएसजी के संबंध में प्रकटीकरण के संबंध में वैश्विक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत में शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बीआरएसआर, यानी व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग के रुप में ईएसजी प्रकटीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था। हालाँकि, नीपको के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, तथापि, नीपको विद्युत क्षेत्र में एक जिम्मेदार इकाई होने के नाते और पर्यावरण, समाज और सुशासन अभ्यास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के रुप में, पिछले साल से हम स्वेच्छा से बीआरएसआर प्रारुप में ईएसजी प्रकटीकरण की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

अनुभाग ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	**U40101ML1976GOI001658**
2.	सूचीबद्ध इकाई का नाम	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1976
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग - 793 003
5.	कॉर्पोरेट पता	ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग - 793 003
6.	ईमेल	company-secy@neepco.co.in
7.	दूरभाष	0364-2228652
8.	वेबसाइट	https://neepco.co.in
9.	रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम	शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं.
11.	भुगतान की गई पूंजी	रु. 3609.81 करोड़
12.	बीआरएसआर रिपोर्ट पर प्रश्नों के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल, पता)	नाम: श्री जयंत कुमार शर्मा पदनाम: मुख्य महाप्रबंधक (सीपी) सम्पर्क करने का विवरण: +91 9435577623 ईमेल: planning@नीपको.co.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा	निष्पक्षता के आधार पर रिपोर्ट में किए गए खुलासे।
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	नीपको द्वारा बीआरएसआर रिपोर्टिंग का यह दूसरा वर्ष है, यह रिपोर्ट किसी बाहरी पक्ष द्वारा आश्वस्त नहीं है।
15.	प्राप्त आश्वासन के प्रकार	

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा) :

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
1	बिजली का उत्पादन	विद्युत उत्पादन	100%

17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद / सेवाएं (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा) :

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया
1	बिजली का उत्पादन	351	100%

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्र की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	10	13	**23**
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-

19. इकाई द्वारा सेवित बाजार:

ए. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	**10**
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	-

बी. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रुप में निर्यात का योगदान क्या है?

हम एक बिजली उत्पादक संगठन हैं और डिस्कॉम के माध्यम से सेवा करते हैं।

सी. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण:

नॉर्दर्न ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) , एक बिजली उत्पादन कंपनी है और इसके ऑपरेटिंग संयंत्रों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र शामिल है। यह विभिन्न वितरण कंपनियों (डिस्कोम) को बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। नीपको के ग्राहक राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियां हैं और बिजली आवंटन के अनुसार 10 राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन से उत्पादित विद्युत के एक भाग का व्यापार एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के माध्यम से या तो पावर एक्सचेंज के माध्यम से अथवा अल्पावधिक और मध्यम अवधि संविदाओं के माध्यम से किया जाता है।

1. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

ए. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांग सहित) :

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (बी / ए)	सं. (ग)	% (सी / ए)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	639	573	**89.67%**	66	**10.33%**
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	4	4	**100.00%**	-	-
3.	**कुल कर्मचारी (डी + ई)**	**643**	**577**	**89.74%**	**66**	**10.26%**
	श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	798	591	**74.06%**	207	**25.94%**
5.	स्थायी के अलावा अन्य (जी)	813	736	**90.53%**	77	**9.47%**
6.	**कुल कर्मचारी (एफ + जी)**	**1,611**	**1,327**	**82.37%**	**284**	**17.63%**

बी. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्र. सं.	विविरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	17	14	82.35%	3	**17.65%**
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	-	-	**-**	-	**-**
3.	**कुल कर्मचारी (घ+ङ)**	**17**	**14**	**82.35%**	**3**	**17.65%**
दिव्यांग श्रमिक						
4.	स्थायी (च)	27	21	77.78%	6	**22.22%**
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	-	-	**-**	-	**-**
6.	**कुल कर्मचारी (च+छ)**	**27**	**21**	**77.78%**	**6**	**22.22%**

21. हिस्सेदारी/समावेशन/महिलाओं का प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख / क)
निदेशक मंडल	9	-	**-**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	**1**	**-**	**-**

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	9.81%	10.29%	9.86%	8.97%	2.82%	8.34%	8.24%	6.67%	**8.08%**
स्थायी श्रमिक	**7.21%**	**3.81%**	**6.34%**	**7.17%**	**8.95%**	**7.62%**	**8.30%**	**2.96%**	**6.97%**

IV. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. (क) होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	इंगित करें कि होल्डिंग/सहायक/ एसोसिएट/संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1	एनटीपीसी लिमिटेड	होल्डिंग	नीपको के 100% शेयर एनटीपीसी के पास हैं	नहीं एनटीपीसी एक सूचीबद्ध निकाय है जो अपनी स्वयं की व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट (बीआरएसआर) करती है जिसके लिए नीपको के इनपुट प्रदान किए जाते हैं।
2	केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	30%	नहीं

V. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं) : हां

(ii) कारोबार (in रु.) ₹ 4,239.57 करोड़

(iii) कुल मूल्य (in रु.) ₹ 6,867.89 करोड़

VI. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं)	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	(यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हाँ सीपीजीआरएएम पोर्टल https://pgportal.gov.in/	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
निवेशकों (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ, https://www.scores.gov.in/admin/Welcome.html	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
शेयरधारकों	हाँ, https://www.scores.gov.in/admin/Welcome.html	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
कर्मचारी और श्रमिक	हाँ, नापको कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र आधिकारिक वेबसाइट पर कर्मचारी लॉगिन के तहत उपलब्ध है।	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
ग्राहकों	हाँ वार्षिक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से और डिस्कॉम, सीपीजीआरएएम के अधिकारियों के साथ एक से एक बैठक	5	0	नियमित नियुक्ति के संबंध में शिकायतें, सामान्य कोटा से अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्तजन में नियुक्ति में परिवर्तन के संबंध में।	शून्य	शून्य	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ वार्षिक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से और डिस्कॉम, सीपीजीआरएएम के अधिकारियों के साथ एक से एक बैठक हाँ ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से, सीपीजीआरएएम	5	0	निविदा बोली दस्तावेज	शून्य	शून्य	-
अन्य	शून्य						

26. इकाई की सामग्री जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण समस्याओं का अवलोकन. कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के लिए दृष्टिकोण, इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार

क्र. सं.	जारी की गई सामग्री की पहचान	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (जोखिम या अवसर)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक संकेत दें निहितार्थ)
1	ऊर्जा परिवर्तन	मौक़ा	गैर-जीवाश्म क्षमता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता ने सौर, पवन, हाइड्रो, पीएसपी आदि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर दिया है। पर्याप्त आंतरायिक आरई क्षमता की शुरुआत ने ग्रिड सुरक्षा के वांछित स्तर को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन लचीलेपन के साथ जल विद्युत और पीएसपी के महत्व को भी बढ़ाया है।	-	सकारात्मक
2	डिजिटलीकरण	मौक़ा	डिजिटलीकरण तेजी से डेटा पुनर्प्राप्ति और डेटा के संश्लेषण को सक्षम कर रहा है, तेजी से निर्णय लेने की अनुमति देता है, और लागत को कम करता है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान होता है।		सकारात्मक
3	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	जलवायु परिवर्तन और संबंधित वर्षा और अपवाह के परिणामस्वरुप सूखा/अत्यधिक बाढ़ आ सकती है जो नीपको के जल विद्युत संयंत्रों को प्रभावित कर सकती है।	हाइड्रो संयंत्रों के बांधों को संभावित अधिकतम बाढ़ (अत्यधिक बाढ़) को पारित करने और ऐसी बाढ़ का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं अपेक्षित हो, हाइड्रोलिक संरचनाओं को डिजाइन करने से पहले जीएलओएफ (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) अध्ययनों का भी मूल्यांकन किया जाता है।	नकारात्मक
4	सुरक्षा या जोखिम का खतरा	जोखिम	विशेष रुप से भूमिगत संरचनाओं से जुड़ी परियोजनाओं का निर्माण और संचालन सुरक्षा के प्रति चिंता का विषय है।	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ: 45001) सभी बिजली संयंत्रों के साथ मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त, बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ समय-समय पर बांधों की स्थिति की निगरानी करता है। विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है।	नकारात्मक

खण्ड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

क्र.सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क. क्या आपकी संस्था की नीति/ नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और इसके मूल तत्वों को कवर करती हैं (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या बोर्ड द्वारा नीति को मंजूरी दे दी गई है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	धोखाधड़ी और व्हिसल ब्लोअर नीति	जोखिम प्रबंधन नीति	समान अवसर नीति सुरक्षा नीति*	सी एस आर नीति	समान अवसर नीति नागरिक चार्टर	जल संरक्षण नीति ई-कचरा प्रबंधन नीति	नागरिक चार्टर	सी एस आर नीति	सूचना सुरक्षा नीति
2	क्या इकाई ने नीति कि प्रक्रियाओं को अनुवाद किया है। (हाँ / नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक पहुँची हैं? (हाँ/ना)	नहीं	नहीं	हाँ*	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
4	आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) के नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए	नीपको लगातार व्यापार संचालन में उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने की इच्छा रखता है। कंपनी के पास गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001: 2015) , पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001: 2015) , व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001: 2018) , ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 50001: 2018) और सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 27001: 2013) जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचे और मानकों के अनुसार मान्यता है।								
5	परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो।	हम अपने लक्ष्यों को पर्यावरण के अनुकूल बनने और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता के लिए जलवायु के अनुकूल ऊर्जा संक्रमण प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य के साथ जोड़ रहे हैं। नीपको ने भविष्य में उन्हें प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समयरेखा और कार्यान्वयन योजना के साथ अपने गैर-जीवाश्म क्षमता वृद्धि लक्ष्यों और लक्ष्यों का व्यापक मूल्यांकन और निर्धारण किया है।								
6	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ-साथ कारणों के साथ इकाई का प्रदर्शन यदि इसे पूरा नहीं किया जाता है।	स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य की अनुसूची के अनुसार प्रगति।								

क्र.सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण										
7	व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में लचीलापन है)	कंपनी एनटीपीसी के लक्ष्य में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। ऊर्जा संक्रमण से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, नीपको ने एक स्थायी भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, स्थिरता के प्रयासों को अधिकतम करने और 'कम लागत कम उत्सर्जन' रणनीति अपनाने पर कंपनी का ध्यान सभी को स्वच्छ और सस्ती बिजली प्रदान करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संरेखित है। ये पहल न केवल पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देती हैं बल्कि नीपको को ऊर्जा क्षेत्र को स्थिरता की ओर ले जाने वाले एक सक्रिय भागीदार के रूप में भी स्थान देती हैं। आगे देखते हुए, नीपको संचालन को अनुकूलित करने और अपने बुनियादी ढांचे की दक्षता में सुधार करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करने के लिए समर्पित है। सतत विकास के प्रति कंपनी का सक्रिय रुख उद्योग में इसके निरंतर नेतृत्व को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, नीपको अपनी मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और जिम्मेदारी पर जोर देता है, पारस्परिक लाभ के लिए हितधारकों के साथ मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देता है।								
8	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (ies) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	नाम: श्री गुरदीप सिंह पदनाम: अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संपर्क: 0364 2224487 ईमेल आईडी: cmdneepco@neepco.co.in								
9	क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ / ना) . यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें.	नीपको में एक सीएसआर समिति और बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति है। सीएसआर समिति निदेशक (कामक) को रिपोर्ट करती है और जोखिम प्रबंधन समिति निदेशक (तकनीकी) को रिपोर्ट करती है। स्थिरता से संबंधित मामलों पर निर्णय संबंधित निदेशकों द्वारा किए जाते हैं।								

सिद्धान्त 1	https://neepco.co.in/sites/default/files/NFWBPolicy_150523.pdf
सिद्धान्त 2	https://neepco.co.in/sites/default/files/Risk_Mgnt.Policy_Amnd_May_2022.pdf
सिद्धान्त 3	https://neepco.co.in/sites/default/files/EqualOpportunityPolicy2023_300524.pdf https://neepco.co.in/sites/default/files/neepco_SafetyManual_15052023.pdf
सिद्धान्त 4	https://neepco.co.in/sites/default/files/neepco_CSRPolicy_2023.pdf
सिद्धान्त 5	https://neepco.co.in/sites/default/files/EqualOpportunityPolicy2023_300524.pdf
सिद्धान्त 6	https://neepco.co.in/sites/default/files/Water_Conservation_Policy_of_neepco.pdf
सिद्धान्त 7	https://neepco.co.in/sites/default/files/Citizen%20Charter%20Fi l%2022.04.2022.pdf
सिद्धान्त 8	https://neepco.co.in/sites/default/files/neepco_CSRPolicy_2023.pdf
सिद्धान्त 9	सूचना सुरक्षा नीति (कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध)

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्यौरा:

समीक्षा के लिए विषय	यह इंगित करें कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति द्वारा समीक्षा की गई थी / कोई अन्य समिति									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	जब कभी आवश्यक हो, कंपनी की सभी पॉलिसियों की संबंधित निदेशकों द्वारा समीक्षा की जाती है।																	
सिद्धांतों के लिए प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	कंपनी सभी लागू नियमों का अनुपालन करती है। संबंधित निदेशक सिद्धांतों से संबंधित सभी सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और इससे संबद्ध किसी गैर-अनुपालन में सुधार करने का ध्यान रखते हैं.																	
11. क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं) . यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ।	नीतियां और प्रक्रियाएं संगठन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अधीन हैं। इसके अलावा, कंपनी ने आईएसओ के तहत मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने और वैश्विक मानकों और रेटिंग एजेंसियों के साथ संरेखण में किसी भी नई नीतियों को विकसित करने के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए मैसर्स मनुपमा टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड और मैसर्स आईआरक्लास सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड को नियुक्त किया था.																	

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताए:

प्रश्न	पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी9
इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को सामग्री नहीं मानती है (हाँ/नहीं)	लागू नहीं. सभी सिद्धांत धारा बी के प्रश्न 1 में उल्लिखित हमारी नीतियों में शामिल हैं।								
इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को तैयार करने और लागू करने की स्थिति में है (हाँ/नहीं)									
इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने की योजना है (हाँ/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

खंड सी: सिद्धांत वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1 व्यवसायों को ईमानदारी के साथ खुद को संचालित और नियंत्रित करना चाहिए, और इस तरह से जो नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह है.

आवश्यक संकेत

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

क्र. सं.	हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत
1	निदेशक मंडल	1	• बड़े बांध पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक बैठक • स्वीडन में इनकोल्ड की स्वीडिश राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित सुरक्षित बांधों के प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	11.11%
2	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	2	• स्वीडन में इनकोल्ड की स्वीडिश राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित बड़े बांध वार्षिक बैठक और सुरक्षित बांधों के प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी • गोवा में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित - गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी: क्यूरेटिंग एक्सीलेंस विषय पर कॉर्पोरेट सीएस का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन	40%
3	बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	144	• एसएपी प्रशिक्षण • साइबर सुरक्षा, सतर्कता, कॉर्पोरेट नैतिकता और शासन पर क्षमता निर्माण और जागरूकता प्रशिक्षण सत्र • हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांटों के संचालन और रखरखाव पर विशेष प्रशिक्षण • एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा सिंगापुर में विदेशी प्रशिक्षण का आयोजन • "गैस टरबाइन एयर इनलेट निस्पंदन / निस्पंदन प्रौद्योगिकी गैस टरबाइन इनलेट एयर फ़िल्टर पर विदेशी प्रशिक्षण	52.34%
4	श्रमिक	24	• महिलाएं: फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (डब्ल्यूआईपीएस) द्वारा आयोजित "सतत विकास का भविष्य" • एओएल द्वारा आयोजित व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए बिल्डिंग दक्षताएं • 5एस पर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण, फायर ड्रिल, पीपीई का उपयोग • लिंग संवेदीकरण	34.39%

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान की गई जुर्माना/शास्ति/दंड/पुरस्कार/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में (नोट कंपनी सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियमों के विनियम 30 में यथा विनिदष्ट भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी, 2015 और जैसा कि इकाई की वेबसाइट पर बताया गया है) :

ए. मौद्रिक					
प्रकार	**एनजी आरबी सी सिद्धांत**	**नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम**	**राशि (रु में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/ना)**
दंड/ जूर्माना	शून्य				
निपटारा	-	सर्वोच्च न्यायालय	₹ 16.11 करोड़	600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में ठेकेदार द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तन, श्रम उपकर आदि पर दावा	नहीं
	-	सर्वोच्च न्यायालय	₹ 50.85 करोड़	पारे जलविद्युत परियोजना (110 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विलंब आदि के कारण हुई अतिरिक्त लागत/व्यय की प्रतिपूर्ति पर ठेकेदार द्वारा दावा	नहीं
	-	विवाद से विश्वास II (संविदात्मक विवाद)	₹ 4.75 करोड़	कोपिली एचई परियोजना, असम के कंक्रीट बांधों के निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा वृद्धि और ब्याज आदि सहित रेत के परिवहन के लिए अतिरिक्त सीसा के लिए दावा	नहीं
	-	विवाद से विश्वास II (संविदात्मक विवाद)	₹ 3.16 करोड़	कोपिली एचई परियोजना, असम में खांडोंग सेंट-द्वितीय पीएस के पावरहाउस आदि के निर्माण से संबंधित विभिन्न दावे	नहीं
	-	मेघालय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय	-	ठेकेदार द्वारा विभिन्न दावों में निलंबन से पहले बेकार प्रभार और क्षतिपूत तथा 09.06.2004 से 30.09.2005 तक तुईरियल जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) , मिजोरम के कार्यो के निलंबन के कारण हुई हानि शामिल है। निर्णय के बाद, यह आंशिक दावे के लिए फिर से मध्यस्थता के अधीन है।	हाँ
चक्रवृद्धि शुल्क	शुन्य				

बी. गैर-मौद्रिक				
प्रकार	**एनजी आरबी सी सिद्धांत**	**नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/ना)**
कारावास	ऐसे किसी भी उदाहरण की सूचना नहीं दी गई थी कि सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर आवश्यक प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।			
सज़ा				

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में प्राथमिकता दी गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है.

क्र. सं.	मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम
लागू नहीं		

4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें.

हाँ, नीपको नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को कायम रखता है और कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों को व्यवसाय संचालन का एक अभिन्न अंग मानता है। कंपनी नीपको धोखाधड़ी और व्हिसल ब्लोअर नीति में उल्लिखित भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी विरोधी सख्त मानकों का पालन करती है। यह नीति नीपको के सभी पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारियों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों आदि सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होती है।

यह नीति वेबसाइट पर उपलब्ध है https://neepco.co.in/online-vigilance-complaint-form

https://neepco.co.in/sites/default/files/NFWBPolicy_150523.pdf

5. रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जिन निदेशकों/केएमपी / कर्मचारियों/कामगारों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई, उनकी संख्या

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
निर्देशकों	शुन्य	शुन्य
केएमपी	शुन्य	शुन्य
कर्मचारियों	शुन्य	शुन्य
श्रमिक	शुन्य	शुन्य

6. विरोधाभाष के कारण शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2022-23	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शुन्य	-	शुन्य	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शुन्य	-	शुन्य	-

7. भ्रष्टाचार और विरोधाभाष के मामलों पर जुर्माना/जुर्माना/शास्ती/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है.

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों की संख्या (देय खाते *365) /खरीदे गए माल/सेवाओं की लागत) :

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
देय खातों के दिनों की संख्या	17.81	17.94

9. व्यापार का खुलापन

निम्नलिखित प्रारुप में, संबंधित पार्टियों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश के साथ-साथ व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पार्टियों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण प्रदान करें:

मानदंड	आँकड़े	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
खरीद का संकेंद्रण	क. कुल खरीद के % के रूप में टेडिंग हाउस से खरीद	-	-
	ख. ट्रेडिंग हाउस की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. ट्रेडिंग हाउस से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउस से खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री का संकेंद्रण	क. कुल बिक्री के % के रुप में डीलरों / वितरकों को बिक्री	-	-
	ख. डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	-	-
	ग. शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री, डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रुप में	-	-
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीदारी / कुल खरीद)	-	-
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री) (लाख रुपये में।)	85,097.19	91,844.22
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	-	-
	घ. निवेश (संबंधित पार्टियों में निवेश / किए गए कुल निवेश)	-	-

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:

आयोजित जागरुकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरुकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की % आयु (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के महत्व से)
वित्त वर्ष 2023-24 में वैल्यू चेन पार्टनर के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया		

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हाँ। नीपको के पास बोर्ड के सदस्यों को शामिल करने वाले हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन करने के लिए एक प्रक्रिया है। बोर्ड के सदस्यों को नियमित अंतराल पर किसी भी संस्था और संभावित या वास्तविक हितों के टकराव में उनकी रुचि में किसी भी बदलाव का खुलासा करना आवश्यक है। नीपको ने बोर्ड के सदस्यों के लिए एक आचार संहिता और भौतिकता पर एक नीति निर्धारित की है जो हितों के टकराव के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं की रुपरेखा तैयार करती है और नीपको की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

https://neepco.co.in/sites/default/files/CODE_OF_CONDUCT_FOR_DIRECTORS.pdf

https://neepco.co.in/sites/default/files/neepco-RPT-Policy.pdf

सिद्धान्त 2

व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. **उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश।**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	100%	100%	स्मार्ट रोशनी नियंत्रक स्वचालित रूप से शाम को रोशनी चालू करता है और सुबह उन्हें बंद कर देता है। पूर्व निर्धारित ऑफ-टाइमर की सुविधा के साथ-साथ क्षणिक रोशनी आदि द्वारा झूठी ट्रिगरिंग से बचने के लिए प्रकाश औसत तंत्र भी है। उत्पाद बिजली के संरक्षण के लिए उपयोगी है और इस तरह पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। यदि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, तो यह बहुत कम लागत का होगा। 405 मेगावाट पन्योर लोअर एचपीएस, अरुणाचल प्रदेश में डाउनस्ट्रीम बाढ़ चेतावनी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से स्वचालित संचार प्रणाली के लिए मॉडल: यह प्रणाली बांध के गेट से पानी छोड़े जाने की स्थिति में बांध के निचले इलाकों में यात्रा के समय और उससे जुड़े नदी जल स्तर के बारे में अग्रिम जानकारी देने में मदद करेगी। यह उन्नत जानकारी डाउनस्ट्रीम आबादी के लिए आवश्यक सावधानियां/उपाय करने में सहायक होगी। फायर डिटेक्शन सिस्टम पर अनुसंधान और विकास: परियोजना प्रगति पर है। अनुसंधान और विकास परियोजना में एक ऐसी अग्नि संसूचन प्रणाली का डिजाइन और संयोजन करने की परिकल्पना की गई है जो सुरक्षित, दोषरहित और लागत प्रभावी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली के लिए कम लागत वाले टिकाऊ और कुशल इलेक्ट्रो-उत्प्रेरक और प्रोटॉन एक्सचेंज झिल्ली का विकास: परियोजना प्रगति पर है और यदि विकसित किया जाता है तो हरित हाइड्रोजन के कम लागत वाले उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होगा। कम लागत वाला हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन को बदलने और ऊर्जा सुरक्षा लाने के लिए उपयोगी होगा जो पर्यावरण के अनुकूल भी है।
कैपेक्स	100%	100%	नीपको का पूंजीगत व्यय ज्यादातर नई परियोजनाओं के विकास के साथ-साथ कमीशन परियोजनाओं के आर एंड एम / इन परियोजनाओं/गतिविधियों से बिजली की मांग को पूरा करने, हरित ऊर्जा बढ़ाने, वनीकरण और नई परियोजनाओं के लिए जलग्रहण क्षेत्र उपचार आदि द्वारा पर्यावरण और सामाजिक लाभों में सुधार होगा।

2. **ए. क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)**

   हाँ। नीपको व्यवसाय संचालन के प्रत्येक चरण में स्थिरता को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी अपने विक्रेताओं के साथ एक मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है और टिकाऊ सोर्सिंग के लिए एक व्यापक प्रक्रिया स्थापित करती है।

   जीईएम पोर्टल के माध्यम से कंपनी एक खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अपने विक्रेताओं का चयन करती है जिसमें कई चौकियां शामिल हैं, जैसे श्रम कानूनों का अनुपालन, पर्यावरण और सामाजिक विचार, टिकाऊ उत्पादों की सोर्सिंग आदि। सभी विक्रेताओं को निविदा दस्तावेज की शर्तों का पालन करना होगा। संभावित आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं की स्क्रीनिंग के बाद, केवल वे जो इच्छित विभाग की जरूरतों को पूरा करते हैं और सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हैं, उन्हें ऑनबोर्ड आपूर्तिकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

   बी. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

   100%

3. **जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट।**

   नीपको के व्यावसायिक संचालन की प्रकृति को देखते हुए, जीवन चक्र के अंत में उत्पादों की पैकेजिंग को पुनः प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अत यह लागू नहीं होता है।

4. क्या विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हाँ / नहीं) । यदि हाँ, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी नीपको के व्यावसायिक संचालन के लिए लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारुप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल टर्नओवर का % योगदान	सीमा जिसके लिए लाइफ साइक्लर परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था	या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया हो	सार्वजनिक डोमेन में सूचित परिणाम (हाँ /नहीं) यदि हाँ, तो वेब लिंक प्रदान करें
जल विद्युत और थर्मल विद्युत परियोजनाओं की निदष्ट अवधि क्रमश 40 वर्ष और 25 वर्ष मानी जाती है। इसे प्राप्त करने पर आवश्यक पूंजी लगाकर प्रणाली के उन्नयन के लिए आवश्यक हल्के युद्धक करार और अन्य अपेक्षित अध्ययन किए जाते हैं।					

2. यदि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, तो इसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम और चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
लागू नहीं		

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री
नीपको के व्यावसायिक संचालन पर लागू नहीं	

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार:

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	पुनः उपयोग किया गया	पुनर्नवीनी करण	सुरक्षित रूप से निपटाया गया	पुनः उपयोग किया गया	पुनर्नवीनी करण	सुरक्षित रूप से निपटाया गया
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	नीपको के व्यावसायिक संचालन पर लागू नहीं है					
ई-कचरा						
घातक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में) ।

उत्पाद श्रेणी इंगित करें	संबंधित श्रेणी में बेचे जाने वाले कुल उत्पादों के% के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
नीपको के व्यावसायिक संचालन पर लागू नहीं है	

सिद्धान्त 3

व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है।

आवश्यक संकेतक

1. ए. कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (इ)	% (इ / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	573	573	100%	573	100%	-	-	573	100%	-	-
महिला	66	66	100%	66	100%	66	100%	-	-	-	-
कुल	639	639	100%	639	100%	66	10.33%	573	89.67%	-	-
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	4	4	100%	4	100%	-	-	4	100%	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	4	4	100%	4	100%	0	0%	4	100%	-	-

बी. श्रमिकों की कल्याण के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (इ)	% (इ / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	591	591	100%	591	100%	-	-	591	100%	-	-
महिला	207	207	100%	207	100%	207	100%	-	-	-	-
कुल	**798**	**798**	**100%**	**798**	**100%**	**207**	**25.94%**	**591**	**74.06%**	-	-
स्थायी कर्मचारियों के अलावा*											
पुरुष	736	736	100%	736	100%	-	-	736	100%	-	-
महिला	77	77	100%	77	100%	77	100%	-	-	-	-
कुल	**813**	**813**	**100%**	**813**	**100%**	**77**	**9.47%**	**736**	**90.53%**	-	-

सी. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य) की भलाई के उपायों पर खर्च करना

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कंपनी के कुल राजस्व के 'ए' % के रूप में भलाई पर खर्च की गई लागत	0.021%	0.012%

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	% के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या कुल कर्मचारी	% के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या कुल कार्यकर्ता	प्राधिकारी के साथ कटौती और जमा किया (हाँ/ना/लागू नहीं)	ए के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या % कुल कर्मचारी	ए के रूप में कवर किए गए श्रमिक % कुल श्रमिक	प्राधिकारी के साथ कटौती और जमा किया (हाँ/ना/लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	हाँ	100%	100%	**हाँ**
उपदान	100%	100%	हाँ	100%	100%	**हाँ**
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	**लागू नहीं**
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

3. कार्यस्थलों की अभिगम्यता

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, इकाई के परिसर/कार्यालय विशेष रूप से अक्षम कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में इकाई द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

हाँ, नीपको के सभी कार्यालय परिसर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के पालन में विशेष रूप से अक्षम कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ हैं।

4. क्या इकाई के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ , नीपको विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ संरेखित समान अवसर नीति का पालन करता है। नीपको किसी जाति, रंग, लिंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या कानून द्वारा संरक्षित अन्य विशेषता की परवाह किए बिना समान रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी संगठन के भीतर विविधता और समावेशन को बढ़ावा देती है और विविध, सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण के निर्माण को प्राथमिकता देती है। प्रावधानों के अनुसार, नीपको विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव मुक्त कार्य वातावरण भी सुनिश्चित करता है। नीति नीपको की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://neepco.co.in/sites/default/files/EqualOpportunityPolicy2023_300524.pdf

5. पैरेंटल लीव के बाद काम पर वापसी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की प्रतिधारण दरें।

Gender	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कार्यकर्ता	
	कार्य पर लौटें	अवधारण दर	कार्य पर लौटें दर	अवधारण दर
पुरुष	100%	100%	100%	**100%**
महिला	100%	100%	100%	**100%**
कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई क्रियाविधि उपलब्ध है? यदि हां, तो क्रियाविधि का विवरण संक्षेप में दें।

	हाँ नहीं (यदि हां, तो तंत्र का विवरण संक्षेप में दें)
स्थायी कार्यकर्ता	हाँ, नीपको में एक सुस्थापित आंतरिक कर्मचारी शिकायत प्रक्रिया पोर्टल है जिसके माध्यम से स्थायी कर्मचारी और श्रमिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। नीपको के पास सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रक्रियाएं हैं जहां कर्मचारी शिकायत दर्ज करने और समाधान मांगने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख तक पहुंच सकते हैं। शिकायत निवारण मशीनरी में तीन-स्तरीय क्रियाविधि शामिल हैं। यदि कोई कर्मचारी किसी अपील के संबंध में असंतुष्ट महसूस करता है, तो वह इसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को उजागर कर सकता है। स्थायी कार्यकर्ता के अलावा अन्य अपने संबंधित ठेकेदारों या नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से अपनी शिकायतें उठा सकते हैं।
स्थायी कार्यकर्ता के अलावा अन्य	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों के अलावा यदि कोई अन्य	

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (एसोसिएशन) या यूनियनों में कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी (ए) में कुल कर्मचारी/ कार्यकर्ताओं	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/ कार्यकर्ताओं की संख्या, जो एसोसिएशन (एस) या यूनियन (ख) का हिस्सा हैं)	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी (ग) में कुल कर्मचारी/ कार्यकर्ताओं	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या, जो हैं संघ (ओं) या संघ (घ) का हिस्सा	% (डी/ सी)
स्थायी कर्मचारी						
पुरुष	573	508	88.66%	-		
महिला	66	31	46.97%			
कुल	**639**	**539**	**84.35%**			
स्थायी कार्यकर्ता						
पुरुष	591	591	100%	-		
महिला	207	207	100%			
कुल	**798**	**798**	**100%**			

8. कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		संख्या (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)		संख्या (इ)	% (ई/डी)	संख्या (च)	% (एफ/ डी
स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	573	145	25.31%	155	27.05%	597	28	4.69%	112	18.76%
महिला	66	13	19.70%	5	7.58%	70	1	1.43%	4	5.71%
कुल	**639**	**158**	**24.73%**	**160**	**25.04%**	**667**	**29**	**4.35%**	**116**	**17.39%**
स्थायी कार्यकर्ता										
पुरुष	591	149	25.21%	22	3.72%	634	12	1.89 %	-	-
महिला	207	32	15.46%	-	-	214	-	-	-	-
कुल	**798**	**181**	**22.68%**	**22**	**2.76%**	**848**	**12**	**1.42%**	**-**	**-**

9. कार्मिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	सं. (डी)	%(डी/सी)
स्थायी कर्मचारी						
पुरुष	573	573	100%	597	597	100%
महिला	66	66	100%	70	70	100%
कुल	**639**	**639**	**100%**	**667**	**667**	**100%**
स्थायी कार्यकर्ता						
पुरुष	591	591	100%	634	634	100%
महिला	207	207	100%	214	214	100%
कुल	**798**	**798**	**100%**	**848**	**848**	**100%**

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए) क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (OHS) लागू की गई है? (हाँ/नहीं) । यदि हाँ, तो कवरेज की प्रणाली का वर्णन करें?

हाँ, नीपको एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (OHS) प्रमाणित कंपनी है जो गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करती है। नीपको के सभी कार्यालय और संयंत्र ओएचएस मानकों संलेखों के अनुरूप हैं। कंपनी ISO 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और ISO 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित है। कंपनी सुरक्षा को व्यापार संचालन का एक आवश्यक और अभिन्न अंग मानती है और अपने सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण स्थापित करने और बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकृत करती है।

नीपको ने अपनी सुरक्षा नीति अपनाई है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह सुनिश्चित करती है कि उसके सभी कर्मचारी और कार्यकर्ता ओएचएस से संबंधित नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करें। प्रबंधन नियमित निरीक्षण के माध्यम से सिस्टम की निगरानी करता है।

बी) कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

नीपको में कार्य संबंधी खतरों की पहचान और संकट पृथक्करण (एच आई आर ए) अध्ययन के माध्यम से कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करता है। सुरक्षा अधिकारी का घनिष्ठ समन्वय जोखिम अधिकारी सहित अंतर्निहित खतरों की पहचान करता है। कार्य के प्रत्येक चरण में नौकरी सुरक्षा विश्लेषण को एकीकृत किया जाता है जिसमें इंजीनियरिंग, प्रशासनिक, अग्नि सुरक्षा उपायों आदि जैसे कारकों पर विश्लेषण शामिल होता है।

सभी खतरनाक घटनाओं, आयोजित जागरुकता प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रशिक्षण आदि का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए संयंत्र-वार स्थानों पर स्वतंत्र अधिकारी हैं। कार्यकारी निदेशक (ओ एंड एम) मुख्य रूप से खतरों की निगरानी और चर्चा के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, खतरों की पहचान करने के लिए सुरक्षा निरीक्षण, नौकरी सुरक्षा विश्लेषण और सुरक्षा का ऑडिट भी किया जा रहा है।

सी) क्या आपके पास कार्यकर्ताओं के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। (हाँ /नहीं)

हाँ, नीपको की एक स्थापित सुरक्षा समिति है जो काम से संबंधित खतरों पर निगरानी रखती है। समिति की भूमिका सभी श्रमिकों के बीच सुरक्षा जागरुकता पैदा करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वेक्षण करना और घटनाओं के कारणों की पहचान करना, तिमाही में कम से कम एक बार सभी संयंत्रों का सुरक्षा निरीक्षण करना और प्रक्रियाओं के समग्र कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। समिति स्वास्थ्य संबंधी खतरों के ऐसे किसी भी जोखिम को सीमित करने के लिए रणनीतिक कदमों पर चर्चा करने या योजना बनाने के लिए समय-समय पर बैठक भी करती है। साथ ही कोई भी श्रमिक सीधे अपने संबंधित मंडल के सुरक्षा विभाग प्रमुख को रिपोर्ट कर सकता है।

डी) क्या इकाई के कार्मिकों/ कार्यकर्ताओं के पास गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हाँ नहीं)

हाँ, नीपको कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के लिए सभी परिचालन संयंत्रों और कार्यालयों में समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करता है। कंपनी के पास डिस्पेंसरी जैसी अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। कर्मचारियों और श्रमिकों, उनके आश्रित सदस्यों और आसपास के गांवों में समुदाय के लिए भी बिना किसी शुल्क के उपचार किया जाता है।

11. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
खोया हुआ क्षति आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति 1 मिलियन घंटे काम करने पर होने वाली खोई हुई समय चोटों की संख्या)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कार्यकर्ता	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कार्यकर्ता	शून्य	शून्य
मृत्यु की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कार्यकर्ता	शून्य	शून्य
उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कार्यकर्ता	1	शून्य

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

नीपको ISO 45001:2018 प्रमाणित है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सभी कर्मचारी और कार्यकर्ता न्यूनतम जोखिम के साथ सुरक्षित वातावरण में काम करें। सभी कार्यालय परिसर स्वच्छता के सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों अनुपालन करते हैं। नीपको सुरक्षा प्रथाओं और

प्रक्रियाओं की जांच के लिए नियमित अंतराल पर ऑडिट करती है। नीपको द्वारा किये गए उपायों का वर्णन इस प्रकार हैं।

- फायर हाइड्रेंट, सी02 फ्लडिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर टेंडर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स आदि जैसे आंतरिक अग्निशमन प्रणालियों की स्थापना।
- पीपीई/सुरक्षा गियर का उपयोग और सुरक्षा मानक की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) ।
- कर्मचारियों/श्रमिकों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण और फायर एंड मॉक ड्रिल का संचालन करना।
- पावर प्लांट क्षेत्र में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध।
- समय-समय पर सुरक्षा आवश्यकताओं और उनके शमन की समीक्षा।
- चोटों के मामले में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अपने संयंत्रों और कार्यालयों में अच्छी तरह से सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र/ औषधालय।

13. कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ
काम करने की स्थितियाँ	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

14. वर्ष के लिए आकलनः

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	100%
काम करने की स्थितियाँ	100%

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को संबोधित करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण प्रदान करें।

ऐसी किसी घटना की पहचान पाई गयी है। हालाँकि, यदि कोई सुरक्षा-संबंधी घटना उत्पन्न होती है, तो ऑडिट के दौरान प्रत्येक दुर्घटना के साथ-साथ किसी भी गैर-अनुरुपता का मूल कारण विश्लेषित किया जाता है, और स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरु की जाती है।।कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की कार्य स्थितियों को ठीक से रक्खे जाने अथवा पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विश्लेशित करण के परिणाम के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) योजना बनाई जाती है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) कार्यकर्ताओं (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज बढ़ाती है।

हाँ, नीपको में समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना और नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावी हैं।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें कि वैधानिक बकाया मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा काटा और जमा किया गया है।

भागीदारों को सभी मूल्य श्रृंखला भागीदारों को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित कानूनों और खंडों का पालन करने की आवश्यकता है। कंपनी हमारे सभी विक्रेताओं से टीडीएस एकत्र करती है ताकि लागू किये गये कर की प्रस्तुति सुनिश्चित हो सके।

3. उन कर्मचारियों/ कार्यकर्ताओं की संख्या प्रदान करें जिन्हें उच्च जोखिम वाली कार्य संबंधी चोट/खराब स्वास्थ्य/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (आवश्यक संकेतकों की Q11 में रिपोर्ट की गया है) , जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

कार्मिकों	प्रभावित कर्मचारियों/ कार्यकर्ताओं की कुल सं		उन कर्मचारियों/ कार्यकर्ताओं की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कर्मचारियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कार्यकर्ता	1	शून्य	1	शून्य

4. क्या इकाई निरंतर रोजगार योग्यता और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

-हाँ।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	परियोजनाओं/संयंत्रों में नियमित आधार पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के कार्यान्वियन की दिशा की जाँच की जाती है। हालांकि, कोई मात्रात्मक मूल्यांकन रिकॉर्ड पर नहीं है जिसका परिणाम निर्धारित किया जा सके
काम करने की स्थितियाँ	

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को संबोधित करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता की पहचान नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सिद्धान्त 4

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान कर उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

नीपको में, हितधारक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह हैं जो एक ही मिशन और दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए एक साथ आते हैं। प्रमुख हितधारकों की पहचान करने में कंपनी का दृष्टिकोण नीपको पर उनके भौतिक वित्तीय और साथ ही गैर-वित्तीय प्रभाव पर आधारित है। आंतरिक प्रक्रियाओं के आधार पर नीपको ने विभिन्न आंतरिक और बाहरी हितधारकों की पहचान की है जिसमें कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, समुदाय, सरकारी नियामक, मीडिया आदि शामिल हैं।

2. अपनी इकाई के लिए मुख्य धारकों के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।

क्रम संख्या	हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट) , अन्य	सगाई की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की सगाई के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सगाई का उद्देश्य और दायरा
1	भारत सरकार	नहीं	• ई-मेल • बैठकों की समीक्षा करें • ऑनलाइन पोर्टल	• जब भी आवश्यक हो	नई परियोजनाओं की मंजूरी और अनुमोदन • प्रगति समीक्षा, विदेशी ऋण, भारत सरकार की योजनाएं, सार्वजनिक नीति • सामाजिक विकास
2	एनटीपीसी	नहीं	ईमेल • बैठकें/ • प्रस्तुतियाँ • वेबसाइट का दौरा	• वार्षिक रुप से, • जब भी आवश्यक हो	• प्रदर्शन की समीक्षा • अनुमोदन एवं मंजूरी • वैधानिक आवश्यकताएँ • इक्विटी फंडिंग
3	राज्य सरकारों	नहीं	• ईमेल • बैठकों की समीक्षा करें • ऑनलाइन पोर्टल	• जब भी आवश्यक हो	• नई परियोजनाओं का आवंटन • भूमि अधिग्रहण • वन मंजूरी • बिजली की बिक्री/आरआर

क्रम संख्या	हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट) , अन्य	सगाई की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की सगाई के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सगाई का उद्देश्य और दायरा
4	कार्मिक	नहीं	• सहभागी मंच • प्रकाशन पत्रिकाएँ • शिकायत निवारण तंत्र • परिपत्र और कार्यालय आदेश • सांप्रदायिक कार्यक्रम	• जब भी आवश्यक हो	• व्यावसायिक विकास • कार्य-जीवन संतुलन • स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा • शिकायत निवारण • संस्कृति और मूल्य
5	ग्राहक	नहीं	• ईमेल •फीडबैक सर्वेक्षण	• जब भी आवश्यक हो	• तकनीकी समस्याओं का समाधान • व्यावसायिक मुद्दों का समाधान
6	आपूर्तिकर्ता एवं ठेकेदार	नहीं	• निविदा • खुली बोली चर्चाएँ • आपूर्तिकर्ता मिलें • ईमेल, पत्र	• जब भी आवश्यक हो	• पारदर्शी व्यवहार • समय पर भुगतान/मूल्य निर्धारण और बातचीत • परियोजना कार्यान्वयन • सतत आपूर्ति श्रृंखला • सामग्री आदि की खरीद
7	समुदाय और एनजीओ	हाँ	• सीएसआर कार्यक्रम • परियोजना आधारित हितधारक बैठकें • शिकायत निवारण • पत्रिकाएँ, • पैम्फलेट/वेबसाइट • सार्वजनिक सूचना केंद्र	• जब भी आवश्यक हो सालाना	रोजगार के अवसर • बुनियादी ढांचे का विकास • सीएसआर परियोजनाएं • स्थानीय सामुदायिक विकास। • भूमि अधिग्रहण और अनुसंधान एवं विकास म
8	अन्य हितधारक	नहीं	• ईमेल • पत्र • बैठकें	• जब भी आवश्यक हो	• बिजली का व्यापार • शक्ति का संचरण • परामर्श सेवा
9	मीडिया	नहीं	• प्रेस वार्ता • आयोजनों के लिए निमंत्रण	• जब भी आवश्यक हो	• जानकारी साझा करना • पारदर्शिता बढ़ाना • वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन • जन जागरुकता

क्रम संख्या	हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले समूह के रुप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट) , अन्य	सगाई की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की सगाई के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सगाई का उद्देश्य और दायरा
10	वित्तीय संस्थान, बैंक, बीमा कंपनियाँ	नहीं	• ईमेल • बैठकें	• जब भी आवश्यक हो	• ऋण • जमा • बीमा

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्शों से फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है।

आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारक परामर्श उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर संबंधित निदेशकों या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तहत आवश्यकता के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। निदेशक मंडल के मूल्यांकन/निर्णय की आवश्यकता वाले मामलों/प्रतिक्रियाओं को बीओडी बैठकों में रखा जाता है। साथ ही निदेशक मंडल द्वारा विभिन्न विषयों में प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है और त्वरित दिशा/मार्गदर्शन दिया जाता है।

2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है (हां/नहीं) । यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था।

हाँ। हितधारक जुड़ाव और परामर्श सामाजिक, सांस्कृतिक या स्वास्थ्य प्रभाव आकलन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में शामिल किया गया है। हितधारक परामर्श के माध्यम से पहचानी और संबोधित की गई पर्यावरणीय चिंताओं को परियोजना-विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) में एकीकृत किया गया है, जिससे शमन उपायों के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

सार्वजनिक सुनवाई 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना के अनुसार आयोजित की जाती है और इसके बाद के संशोधनों और टिप्पणियों/सुझावों को ईआईए/ईएमपी में संभावित सीमा तक शामिल किया जाता है।

उचित मुआवजे का अधिकार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत बिजली परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाता है और सार्वजनिक सुनवाई भी की जाती है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मंजूरी के लिए पारंपरिक वनवासियों के बीच सार्वजनिक सुनवाई भी आयोजित की जाती है।

जनसुनवाई, राज्य के संबंधित सरकारों के माध्यम से आयोजित की जाती है।

3. कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों और की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।

पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने से पहले विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हितधारकों के साथ जुड़ाव किया जाता है। एसआईए अध्ययन और भूमि अधिग्रहण और एफआरए मंजूरी के लिए ऊपर बताई गई सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ाव भी होता है। इसके अलावा, नीपको अपने हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने और अपने संचालन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित है। इस समर्पण के अनुरूप, नीपको कानूनी नियमों के पालन को महत्व देता है और स्थानीय समुदायों और समाज की भलाई का सम्मान करता है। कंपनी लैंगिक असमानता को मिटाने के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरु करने के अलावा अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रुप से काम करने का वचन देती है। इसके अलावा, आर एंड आर पैकेज के कार्यान्वयन, क्षतिपूर्ति, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) , परियोजना प्रभावित परिवारों को मुफ्त बिजली भी लागू होने के रुप में विभिन्न परियोजनाओं से बढ़ाया जाता है। नीपको की परियोजनाओं से रोजगार, स्कूल, चिकित्सा, बैंकिंग और डाक सुविधाओं के अलावा विभिन्न अन्य सामाजिक लाभ जैसे, सड़क/फुटपाथ/पुलिया/पुल, बाजार शेड, सामुदायिक हॉल आदि भी प्रदान किए जाते हैं।

सिद्धान्त 5

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और कार्यकर्ताओं जिन्हें निम्नलिखित प्रारुप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीति (नीतियों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (ख))	% (बी/ए)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कर्मचारियों की संख्या (घ)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी कर्मचारी	639	18	2.82%	667	15	**2.25%**
स्थायी कर्मचारी के अलावा	4	-	-	-	-	**-**
कुल कर्मचारी	**643**	**18**	**2.80%**	**667**	**15**	**2.25%**
कार्यकर्ता						
स्थायी कार्यकर्ता	798	23	2.88%	848	22	**2.59%**
स्थायी कार्यकर्ता के अलावा	813	-	-	263	-	**-**
कुल कार्यकर्ता	**1,611**	**23**	**1.43%**	**1,111**	**22**	**1.98%**

2. कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण, निम्नलिखित प्रारुप में।

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		नंबर (ख)	% (बी/ए)	नंबर (ग)	% (सी/ए)		नंबर (ङ)	% (ई/डी)	नंबर (च)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
स्थायी	639	-	-	639	100%	667	-	-	667	**100%**
पुरुष	573	-	-	573	100%	597	-	-	597	**100%**
महिला	66	-	-	66	100%	70	-	-	70	**100%**
स्थायी के अलावा अन्य	4	-	-	4	100%	-	-	-	-	**-**
पुरुष	4	-	-	4	100%	-	-	-	-	**-**
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
कार्यकर्ता										
स्थायी	798	-	-	798	100%	848	-	-	848	**100%**
पुरुष	591	-	-	591	100%	634	-	-	634	**100%**
महिला	207	-	-	207	100%	214	-	-	214	**100%**
स्थायी के अलावा अन्य	813	-	-	813	100%	263	-	-	263	**100%**
पुरुष	736	-	-	736	100%	223	-	-	223	**100%**
महिला	**77**	**-**	**-**	**77**	**100%**	**40**	**-**	**-**	**40**	**100%**

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

ए) औसत पारिश्रमिक/मजदूरी

	पुरुष		महिला	
	नंबर	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	नंबर	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	3	4,73,944.00	-	लागू नहीं
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1	1,92,438.00	-	लागू नहीं
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	569	2,45,981.00	66	2,59,110.00
कार्यकर्ता	804	1,15,107.00	246	1,14,626.00

बी) निम्नलिखित प्रारूप में, इकाई द्वारा महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी % के रूप में:

महिलाओं को % के रूप में सकल मजदूरी का भुगतान किया जाता है	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
	16.00%	16.5%

4. क्या आपके पास व्यवसाय के कारण होने वाले या योगदान देने वाले मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार कोई केंद्र बिंदु (व्यक्तिगत/समिति) है? (हाँ नहीं)

हाँ, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) मानवाधिकार मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार है।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

नीपको के पास एक सुस्थापित आंतरिक कर्मचारी शिकायत प्रक्रिया पोर्टल है जिसके माध्यम से स्थायी कर्मचारी और श्रमिक किसी भी मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों सहित अपनी शिकायतें उठा सकते हैं। नीपको के पास सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रक्रियाएं हैं जहां कर्मचारी या कर्मचारी शिकायत दर्ज करने और समाधान मांगने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख तक पहुंच सकते हैं। स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य अपने संबंधित ठेकेदारों या नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से अपनी शिकायतें उठा सकते हैं।

नीपको की आचार संहिता, समान अवसर नीति आदि के माध्यम से मानवाधिकार के मुद्दों को भी संबोधित किया जाता है।

इसके अलावा, विभिन्न कार्यालयों और संयंत्रों जैसे सभी प्रतिष्ठानों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार अपनी संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया जा रहा है। कार्यस्थल पर मानवाधिकारों पर कोई भी शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर संबंधित स्थान के आईसीसी को उठाई जा सकती है।

आईसीसी का सदस्य चिंता की गहन जांच करेगा और/या संबंधित व्यक्ति से परामर्श करेगा और जानबूझकर कार्रवाई बिंदुओं को अंतिम रुप देगा। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सभी शिकायतों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संबोधित किया जाए।

6. कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बाल श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम/ अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मजदूरी	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

7. **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दायर शिकायतें, निम्नलिखित प्रारुप में:**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें	शून्य	शून्य
महिला कर्मचारियों/ कार्यकर्ताओं के % के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें	-	-
पीओएसएच पर शिकायतों को बरकरार रखा गया	शून्य	शून्य

8. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

नीपको में परिवाद निवारण क्रियाविधि किसी भी प्रतिकूल परिणाम का ध्यान रखता है जो शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज किए जाते हैं। कार्यस्थल पर भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों पर कोई भी शिकायत संबंधित स्थान की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) में भी उठाई जा सकती है।

9. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा बनती हैं? (हाँ /नहीं)**

हाँ, मानवाधिकार आवश्यकताएँ व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का एक हिस्सा हैं। कंपनी बाल मजदूरी, अनैच्छिक श्रम, कार्यस्थल पर भेदभाव, पीओएसएच, मजदूरी आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए सभी निविदा बोली दस्तावेजों में मानवाधिकार खंडों को एकीकृत करती है।

10. **वर्ष के लिए आकलन:**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल मजदूरी	100%
जबरन/अनैच्छिक श्रम	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
मजदूरी	100%
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	-

11. **उपरोक्त प्रश्न 10 के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को संबोधित करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई।

नेतृत्व संकेतक

1. **मानवाधिकार शिकायतों को संबोधित करने के परिणामस्वरूप प्रस्तुत की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

कोई व्यावसायिक प्रक्रिया संशोधित नहीं की गई है।

2. **किए गए किसी भी मानवाधिकार संबंधी उचित परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण।**

नीपको एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के पास एक प्रबंधन है जो किसी भी प्रतिक्रिया को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। नीपको मूल्यों और आचार संहिता पर जागरुकता, जिसमें मानवाधिकारों पर हमारा रुख निहित है, दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है।

3. **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, अलग-अलग सक्षम आगंतुकों के लिए इकाई का आधार/कार्यालय सुलभ है?**

हाँ, नीपको के सभी कार्यालय परिसर भारत सरकार द्वारा निर्धारित पहुंच मानकों के पालन में अलग-अलग सक्षम कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया था)
यौन उत्पीड़न	हम सुनिश्चित करते हैं कि सभी आपूर्तिकर्ता निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित बाल श्रम, जबरन श्रम, यौन उत्पीड़न, भेदभाव आदि से संबंधित धाराओं का पालन करें। वित्त वर्ष 2023-24 में कोई अलग मूल्य श्रृंखला मूल्यांकन नहीं किया गया।
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता की पहचान नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सिद्धान्त 6

व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **निम्नलिखित प्रारुप में कुल ऊर्जा खपत (टेरा जूल्स) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:**

पेरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्रोतों से (टीजे)		
कुल बिजली खपत (ए)	79.9	96.71
कुल ईंधन खपत (बी)	-	-
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	-	-
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	**79.9**	**96.71**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से (टीजे)		
कुल बिजली खपत (डी)	6.02	5.42
कुल ईंधन खपत (ई)	31,983	34,941.9
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ)	-	-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (डी + ई + एफ)	**31,983**	**34,941.9**
कुल ईंधन खपत (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**32,068**	**35,044**
टर्नओवर के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व) (टीजे/आईएनआर करोड़)	7.56	7.69
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत / परिचालन से राजस्व) (टीजे / आईएनआर करोड़)	3.42	3.48
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता (टीजे/मिलियन केडब्ल्यूएच)	4.01	4.13
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम: नहीं

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रुप में पहचाने गए कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो।

असम गैस आधारित पावर स्टेशन वर्तमान में पीएटी चक्र VII में है, जो 2022 से 2025 तक फैला हुआ है। इस चक्र की निगरानी और सत्यापन इसके पूरा होने पर होगा। त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है। 2024 के लिए गैस टर्बाइन और स्टीम टर्बाइन दोनों की व्यापक सर्विसिंग की योजना बनाई गई है, जिससे समग्र प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारुप में प्रदान करें:

पेरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलो लीटर में)		
(i) ऊपरी तह का पानी	2,21,33,11,420	2,41,04,80,019
(ii) भूजल	7,88,972	5,22,379
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	-	-
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	2,21,41,00,391	2,41,10,02,399
(i + ii + iii + iv + v)	26,88,966	29,55,772
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	634.3	408.1
प्रति रुपए टर्नओवर में पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत / संचालन से राजस्व)	287	293.52
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये में पानी की तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित संचालन से कुल पानी की खपत / राजस्व)	336.1	348.1
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता		
(किलोलीटर/मिलियन केडब्ल्यू एच)		
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		

4. छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

पेरामीटर		वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)			
(i)	सतही जल के लिए		
-	कोई इलाज नहीं	2,211,073,282	2,407,886,277
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	159,175	99,000
(ii)	भूजल के लिए		
-	कोई इलाज नहीं	29,704	72,700
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	82,408	-
(iii)	समुद्री जल के लिए		
-	कोई इलाज नहीं	-	-
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iv)	तीसरे पक्ष को भेजा गया	-	-
-	कोई इलाज नहीं	-	-
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(v)	अन्य		
-	कोई इलाज नहीं		
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	66,856	-
(vi)	कुल छांड़ा गया पानी	2,211,411,425	2,408,057,977

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम: नहीं

5. **क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

   नहीं

6. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:**

पेरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
एनओएक्स	मीट्रिक टन	2867.1	3995.38
एसओएक्स	मीट्रिक टन	-	-
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	मीट्रिक टन	-	-
लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	मीट्रिक टन	-	-
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	मीट्रिक टन	-	-
खतरनाक हवा प्रदूषक (एचएपी)	मीट्रिक टन	-	-
अन्य - कृपया निर्दिष्ट		-	-

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पेरामीटर	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष	15,82,864	17,28,627
(जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में विखंडन, यदि उपलब्ध हो)			
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष	1,197	1,078
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 टर्नओवर के प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/संचालन से राजस्व)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष/आईएनआर करोड़	374	380
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष/आईएनआर करोड़	169	172
(कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित संचालन से राजस्व)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष/मिलियन केडब्ल्यूएच	198	204
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है			

8. **क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

   हाँ। नीपको ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में देश के प्रयासों में सहायता करने के लिए नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। इसके लिए, कंपनी ने जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए क्लीनर प्रौद्योगिकियों (मुख्य रूप से हाइड्रो, सौर आदि) को अपनाया है। इसके अलावा, हम सक्रिय रूप से स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की खोज कर रहे हैं और अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में नवीकरणीय ऊर्जा के अनुपात को बढ़ावा देने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसके लिए कुछ अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप भी किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं

   1) भावी पोर्टफोलियो में हाइड्रो, सौर, पीएसपी, बीईएसएस आदि के माध्यम से क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है।

   2) प्रकाश व्यवस्था के स्वचालित विनियमन के लिए अनुसंधान एवं विकास के तहत एक स्मार्ट रोशनी नियंत्रक का विकास जिसके परिणामस्वरुप ऊर्जा खपत में कमी और बदले में जीएचजी में कमी आती है।

3) एलईडी लैंप, रुफ टॉप सोलर सिस्टम की स्थापना।

4) ग्रीन हाइड्रोजन- इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली (चल रहे आर एंड डी) के लिए कम लागत वाले टिकाऊ और कुशल इलेक्ट्रो-उत्प्रेरक और प्रोटॉन एक्सचेंज झिल्ली का विकास करना।

9. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

पेरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (क)	0.85	1.5
ई-कचरा (ख)	8.8	2.50
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0.19	0.7
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	132.2	113
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	1.47	1.0
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)	112	91.9
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच) । कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो	4941.5	507.9
(संरचना द्वारा ब्रेक-अप यानी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक सामग्री द्वारा)		
कुल (ए + बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	5197	718.5
टर्नओवर की प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता (कुल अपशिष्ट उत्पन्न/संचालन से राजस्व) (एमटी/आईएनआरसीआर)	1.23	0.16
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से उत्पन्न कुल अपशिष्ट/राजस्व)	0.55	0.07
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	0.65	0.08
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है		
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) बरामद किया गया		
कचरे की श्रेणी		
(i) पुनर्नवीनीकरण	37	3.2
(ii) पुनः उपयोग किया गया	4,665	80.3
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन		
कुल	4,702	83.5
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
कचरे की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0.085	50.2
(ii) लैंडफिलिंग	295	389.5
(iii) अन्य निपटान कार्य	53	31.6
कुल	348	471.3

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। वर्णन करना आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाएं।

नीपको अपने परिसर में उत्पन्न सभी कचरे के प्रबंधन और निपटान के लिए प्रतिबद्ध है जो पर्यावरणीय रुप से मजबूत, सामाजिक रुप से जिम्मेदार और आर्थिक रुप से व्यवहार्य है। कंपनी की अपशिष्ट निपटान योजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित की गई है। सभी हार्डवेयर और उपभोग्य सामग्रियों, जैसे बैटरी आदि का निपटान नीपको की ई-कचरा

नीति के अनुपालन में किया जाता है। गैर-खतरनाक अपशिष्ट, जिसमें पुराने फर्श के कालीन और खिड़की के अंधा जैसे कार्यालय के सामान के साथ-साथ कार्यालयों और गेस्ट हाउसों से घरेलू कचरे को भस्मीकरण के माध्यम से अंतिम निपटान के लिए स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों द्वारा संग्रह के लिए नामित कचरा डिब्बे में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, बायोडिग्रेडेबल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के प्रबंधन के लिए साइट पर खाद का उपयोग किया जाता है, जबकि निर्माण और विध्वंस कचरे को फुटपाथ और दृष्टिकोण बनाने के लिए पुनर्निर्मित किया जाता है।

11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / उनके आसपास संचालन / कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें

क्र.सं.	संचालन का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है
नीपको का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / उसके आसपास कोई संचालन नहीं है। इसके अतिरिक्त, नीपको की परियोजनाएं वन क्षेत्रों में हो सकती हैं जहां प्रतिपूरक वनीकरण के प्रावधान के साथ-साथ वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (और बाद के संशोधन) के अंतर्गत वन स्वीकृतियां प्राप्त की जाती हैं। नीपको की वन भूमि के अपवर्तन वाली सभी परियोजनाओं को वन स्वीकृतियां प्राप्त हैं। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) , भारत सरकार (जीओआई) की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना के तहत अपनी सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी प्राप्त की जाती है।			

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना	दिनांक	किसी द्वारा संचालित अलग बाहरी एजेंसी (हाँ/नहीं)	परिणाम भेजी सार्वजनिक रूप से डोमेन (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
कुरुंग जल-विद्युत परियोजना (330 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश	जीईएमसी-511687792745396	05/07/2023	हाँ	प्रक्रिया में प्रभाव आकलन अध्ययन	लागू नहीं

13. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अधीन नियम (वाई/एन) । यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें

क्र.सं.	उन कानून/ विनियमों/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या अदालतों जैसे नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई	सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो,
नीपको सभी आवश्यक पर्यावरण कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।				

नेतृत्व संकेतक

1. पानी की निकासी, खपत और पानी के तनाव वाले क्षेत्रों में निर्वहन (किलोलीटर में) :

जल तनाव वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा / संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम - नीपको का कोई भी स्थान जल तनाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है

(ii) संचालन की प्रकृति - लागू नहीं

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन:

पेरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		

पेरामीटर		वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
(i) सतही जल		लागू नहीं	
(ii) भूजल			
(iii) थर्ड पार्टी वाटर			
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत पानी			
(v) अन्य			
पानी की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)			
कुल मात्रा में पानी की खपत (किलोलीटर में)			
कारोबार के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत/कारोबार?			
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है			
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)			
(i)	सतही जल के लिए	लागू नहीं	
-	कोई इलाज नहीं		
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii)	भूजल के लिए		
-	कोई इलाज नहीं		
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii)	समुद्री जल के लिए		
-	कोई इलाज नहीं		
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv)	तीसरे पक्ष को भेजा गया		
-	कोई इलाज नहीं		
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v)	अन्य		
-	कोई इलाज नहीं		
-	उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(vi)	कुल छांड़ा गया पानी		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम: नहीं

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पेरामीटर	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध)	समकक्ष CO2 का मीट्रिक टन	नीपको वर्तमान में स्कोप 3 उत्सर्जन पर नज़र नहीं रख रहा है.	
कुल स्कोप 3 टर्नओवर का प्रति रुपया उत्सर्जन			
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है			

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम: नहीं

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

नीपको का पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्रों में/उसके आसपास कोई संचालन नहीं है; तथापि, नीपको की परियोजनाएं वन क्षेत्रों में हो सकती हैं। ऐसी परियोजनाओं के विकास से भूमि, वायु, जल, शोर, मिट्टी, वनस्पति, जीव-जंतु, जलीय जीवन आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है। जैव विविधता प्रबंधन योजना (पर्यावरण प्रबंधन योजना) , जब भी लागू हो, प्रत्येक परियोजना के लिए अनुकूलित की जाती है और पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के हिस्से के रुप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) , भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषयों के अनुसार विकसित की जाती है। एक बार तैयार हो जाने पर, जैव विविधता प्रबंधन योजना की समीक्षा की जाती है और परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के साथ-साथ एमओईएफ और सीसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/प्रवाह निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उसी के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
1	ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रो-उत्प्रेरक और प्रोटॉन एक्सचेंज विनिमय।	आर एंड डी परियोजना लागत में कमी के लिए सस्ता इलेक्ट्रोड, बेहतर विनिमय और अनुकूलित प्रक्रियाओं की तलाश करती है।	ग्रीन हाइड्रोजन का कम लागत वाला उत्पादन।
2	405 मेगावाट पन्योर लोअर जल-विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में डाउनस्ट्रीम बाढ़ चेतावनी के लिए सेंसर आधारित स्वचालित इनपुट का उपयोग करके क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से स्वचालित संचार प्रणाली	जलाशय के स्पिलवे गेट के माध्यम से किसी भी रिलीज के लिए बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में यात्रा के समय और इसके संबद्ध नदी जल स्तर की अग्रिम जानकारी।	बांध से पानी छोड़े जाने पर पानी और नीचे की ओर जल स्तर की यात्रा के समय की भविष्यवाणी करना।
3	डिस्चार्ज किए गए बहिस्राव का उपयोग	एजीबीपीएस, नीपको लिमिटेड अपने परिसर में बागवानी कार्यों के लिए बहिस्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) से छोड़े गए बहिस्राव के कुछ प्रतिशत का उपयोग करता है।	ईटीपी से डिस्चार्ज किए गए बहिस्राव की मात्रा में कमी
4	वर्षा जल संचयन	1. एजीबीपीएस 220 केवी स्विचयार्ड क्षेत्र के सतही अपवाह का उपयोग इसे इकट्ठा करके कर रहा है और इसे अपने कच्चे पानी के जलाशय में पंप करता है और इस प्रकार बुरीदिहिंग नदी से खींचे गए पानी को कम करता है 2. टीजीबीपीएस में वर्षा जल संचयन तालाब बिजली संयंत्र, गेस्टहाउस, व्यवस्थापक भवन, इरेक्टर्स हॉस्टल और कॉलोनी क्षेत्र के कुछ हिस्सों से बारिश का पानी एकत्र करता है। इस पानी का उपयोग बागवानी, वृक्षारोपण, सिविल निर्माण कार्यों के साथ-साथ आपातकालीन जरुरतों के लिए भंडारण के लिए किया जाता है, अगर इनटेक पंप हाउस में कोई समस्या है।	1. बरसात के मौसम में बुरीडीहिंग नदी से लिए गए पानी में कमी। 2. भूजल निकासी में कमी।
5	रुफ टॉप सोलर पावर का उपयोग	1. एजीबीपीएस ने प्रशासनिक भवन की छत पर 15 किलोवाट पीक ग्रिड से जुड़े सौर पैनल स्थापित किए हैं और कार्यालय भवन की रोशनी के लिए बिजली का उपयोग कर रहे हैं 2. टीजीबीपीएस में, प्रशासनिक भवन में बैक-अप बैटरी बैंक के साथ 10 केडब्ल्यूपी रुफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना और कमीशनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। सोलर प्लांट एडमिन बिल्डिंग की लाइट, पंखे और कंप्यूटर को बिजली की सप्लाई कर रहा है।	1. जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली की खपत में कमी 2. सौर संयंत्र ने 5.597 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की है जिससे कुल स्टेशन खपत कम हो गई है।
6	गेस्ट हाउसों में सौर ऊर्जा का उपयोग	एजीबीपीएस ने गेस्ट हाउस- I और II में 6 केडब्ल्यूपी प्रत्येक सौर पैनल स्थापित किया है और इसका उपयोग पानी गर्म करने और अन्य के लिए किया है	जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली की खपत में कमी
7	एजीबीपीएस कॉलोनी डिस्चार्ज पानी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	एजीबीपीएस ने प्राकृतिक धारा में निर्वहन करने से पहले अपनी कॉलोनी से डिस्चार्ज किए गए पानी (ग्रे वाटर) के उपचार के लिए एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के एक नंबर 75 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया है	पर्यावरण संरक्षण (जल प्रदूषण की रोकथाम)
8	एलईडी लैंप की स्थापना	टीजीबीपीएस में, 150-वाट सोडियम वाष्प लैंप के छिहत्तर (76) नंबरों को जीबीसी, आईएपीए और बीएफपी भवनों में 45-वाट एलईडी लैंप में परिवर्तित किया गया था। इसने 2023-24 में लगभग 35 मेगावाट ऊर्जा की बचत में योगदान दिया है।	जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली की खपत में कमी
9	स्मार्ट रोशनी नियंत्रक की स्थापना	टीजीबीपीएस में, नीपको के आर एंड डी सेल द्वारा विकसित 'स्मार्ट इल्यूमिनेशन कंट्रोलर' को प्रायोगिक आधार पर इरेक्टर्स हॉस्टल में स्थापित किया गया है, जो रात 10:30 बजे के बाद लगभग दस अनावश्यक लाइटें बंद कर देता है।	2023-24 में लगभग 230 केडब्ल्यूएच बिजली बचाने में योगदान दिया।

क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
10	फायर डिटेक्शन सिस्टम	दोष-सहिष्णु विश्वसनीय प्रणालियों का उत्पादन करने के लिए ट्रिपल मॉड्यूलर (मोड) अतिरेक अवधारणा के साथ फायर डिटेक्शन सिस्टम का डिजाइन और संयोजन चल रहा है।	आग का पता लगाने में विफलता की संभावना को कम करने में सहायक होगा।

5. **क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों/वेब लिंक में दें।**

नीपको ने अप्रत्याशित व्यवधानों के दौरान अपने आवश्यक संचालन की लचीलापन और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एसईबीआई विनियमों के अनुपालन में मई 2024 में एक संपूर्ण व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू की। इसके अतिरिक्त, अधिकांश पावर स्टेशनों ने परियोजना-विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजनाएं (डीएमपी) स्थापित की हैं।

6. **इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करना। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।**

किसी भी परियोजना को शुरु करने से पहले, एक संपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आयोजित किया जाता है, इसके बाद एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाती है जिसमें प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करने और कम करने के उपाय शामिल होते हैं। इनमें ठेकेदारों के कार्यकलापों/कार्यबल के लिए परियोजनाओं के निर्माण चरण के दौरान प्रभाव शामिल हैं। परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने से पहले इन योजनाओं की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) , भारत सरकार की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी शर्तें और शमन उपाय प्रत्येक परियोजना की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरुप होते हैं और कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाते हैं।

7. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था। सख्त पालन।**

वित्त वर्ष 2023-24 में पर्यावरणीय प्रभावों पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

सिद्धान्त 7

सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होने पर व्यवसायों को ऐसा करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

आवश्यक संकेतक

1. **ए. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या: 11**

बी. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) इकाई का सदस्य/संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (राज्य/राष्ट्रीय) की पहुंच
1	सीआईजीआरई- कंसील अंतरराष्ट्रीय डेस ग्रैंड्स रेसॉक्स इलेक्ट्रिक्स (बड़े इलेक्ट्रिक सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद)	अंतरराष्ट्रीय
2	आईसीओएलडी - (बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के लिए समिति)	अंतरराष्ट्रीय
3	सीबीआईपी - केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड	राष्ट्रीय
4	आईटीए इंटरनेशनल- टनलिंग एसोसिएशन	अंतरराष्ट्रीय
5	आईइइएमए - इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन	राष्ट्रीय
6	पावर फाउंडेशन	राष्ट्रीय
7	आईएसआरएम (इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रॉक मैकेनिक्स एंड रॉक इंजीनियरिंग)	अंतरराष्ट्रीय
8	स्कोप - सार्वजनिक उद्यमों पर स्थायी सम्मेलन	राष्ट्रीय
9	पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड	राष्ट्रीय
10	सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं	राष्ट्रीय

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना।**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
वित्त वर्ष 2023-24 में प्रतिस्पर्धा-विरोधी से संबंधित किसी मामले की पहचान नहीं की गई		

नेतृत्व संकेतक

1. **इकाई द्वारा वकालत की गई सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण:**

क्र.सं.	सार्वजनिक नीति की वकालत	इस तरह की वकालत के लिए अपनाया तरीका	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
नीपको बिजली क्षेत्र, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित नीतियों, सृजन को प्रभावित करने, आवश्यक संशोधन / संशोधनों, योजनाओं और कार्यक्रमों की वकालत करने के लिए प्रमुख मंचों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। कंपनी उद्योग समकक्षों के साथ हितधारक परामर्श में संलग्न है और नीति निर्माण में सरकार की सहायता करती है।					

सिद्धान्त 8

व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरु की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

नाम और परियोजना का संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना	अधिसूचना की तारीख	बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
वित्त वर्ष 2023-24 में कोई सामाजिक प्रभाव आकलन नहीं किया गया था					

2. **उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) को निम्नलिखित प्रारुप में किया जा रहा है:**

क्र. सं;	उस परियोजना का नाम जिसके लिए आर एण्ड आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफएस) की संख्या	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (आईएनआर में)
वर्ष 2023-24 में कोई आर एंड आर गतिविधि देय नहीं थी।						

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।**

शिकायत निवारण तंत्र विशेष रूप से स्थानीय बोलीदाताओं और परियोजना प्रभावित लोगों के लिए https://neepco.co.in/ और https://gem.gov.in सहित विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से सुलभ है। इसके अतिरिक्त, नीपको किसी भी शिकायत को प्रस्तुत करने के लिए एक 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली' (https://pgportal.gov.in/) प्रदान करता है जो स्थानीय समुदायों के लिए भी खुला है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट में इनपुट) :**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे सोर्स किया जाता है	28.79%	35.47%
सीधे भारत के भीतर से	100%	100%

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल मजदूरी लागत के % के रूप में भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें।**

स्थान	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
ग्रामीण	68.18%	66.05%
अर्ध-शहरी	0.42%	0.39%
शहरी	29.65%	31.95%
महानगरीय	1.75%	1.61%

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1) :**

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. **सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में अपनी इकाई द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें**

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (आईएनआर में)
1	मेघालय	री-भोई	Rs.6,89,42,673.00

3. **(क) क्या आपके पास एक अधिमानी खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर / कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)**

हां, नीपको अधिमान्य खरीद पर भारत सरकार की नीतियों का अनुपालन करता है, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित। ये नीतियां, अर्थात् एमएसई के लिए पीपीपी ऑर्डर 2012 और सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) ऑर्डर 2017, नीपको की खरीद प्रथाओं में एकीकृत हैं। एमएसई के लिए पीपीपी ऑर्डर 2012 के तहत, विशिष्ट खरीद लक्ष्य हैं: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 3%, सभी एमएसई से समग्र 25% खरीद लक्ष्य के भीतर।

(ख) आप किन हाशिए वाले/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से।

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

वित्त वर्ष 2023-24 में, नीपको ने नीपको की कुल खरीद में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से 0.32% और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 1.41% की खरीद की है।

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:**

क्र. सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हाँ/नहीं)	साझा किया गया लाभ (हां/नहीं)	लाभ शेयर की गणना का आधार
शून्य				

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए वाले समूहों के लाभार्थियों का %
1	शिक्षा को बढ़ावा देना	12,450	90%
2	स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	18,935	85%
3	स्वच्छ भारत अभियान	12,615	84%
4	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	650	70%
5	पिछड़ा (ग्रामीण क्षेत्र) विकास के लिए अन्य गतिविधियां	9,165	92%

सिद्धान्त 9

व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्रों का वर्णन करें।**

नीपको समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता शिकायतों को लगातार संभालता है। शिकायतें विभिन्न चैनलों जैसे ऑनलाइन पोर्टल, गूगल समीक्षा, फोन कॉल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हस्तलिखित पत्रों के माध्यम से आ सकती हैं। हम विद्युत अधिनियम 2003 में निर्धारित नियमों का पालन करते हुए राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के साथ सीधे संबंध बनाए रखते हैं। कंपनी ग्राहकों की प्रतिक्रिया का अत्यधिक सम्मान और स्वागत करती है। शिकायतों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने, दस्तावेज बनाने, जांच करने और हल करने, शीघ्र और प्रभावी समाधानों को प्राथमिकता देने के लिए एक अनुरुप प्रक्रिया है। इसके अलावा, यह प्रक्रिया संगठन को लगातार बेहतर बनाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि के निष्कर्षण की अनुमति देती है।

2. **उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, जिनके बारे में जानकारी होती है:**

	कुल कारोबार प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक पैरामीटर	**लागू नहीं**
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में वर्ष के दौरान लंबित	अभियुक्तियाँ	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में वर्ष के दौरान लंबित	अभियुक्तियाँ
डेटा गोपनीयता	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
विज्ञापन	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अनुचित व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अन्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:**

	नंबर	याद करने के कारण
स्वैच्छिक याद करते हैं	**लागू नहीं**	
जबरन याद करना		

5. **क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।**

   हां, नीपको ने एनसीएसपी (नीपको साइबर सुरक्षा नीति) के रूप में जानी जाने वाली एक साइबर सुरक्षा नीति स्थापित की है और सभी परिचालन और रखरखाव स्टेशनों, कॉर्पोरेट मुख्यालयों और अन्य प्रमुख कार्यालयों सहित अपने 15 स्थानों पर सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए आईएसओ 27001: 2013 मानक के तहत मान्यता प्राप्त की है। हालांकि, नीति दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और केवल संगठन के भीतर आंतरिक उपयोग के लिए है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस बुलाने के उदाहरणों की पुन: घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा जुर्माना / की गई कार्रवाई।**

   नीपको की आईटी और साइबर सुरक्षा के संबंध में स्पष्ट रूप से परिभाषित नीति है। विज्ञापन, आवश्यक सेवाओं के प्रावधान, साइबर सुरक्षा या ग्राहक डेटा की गोपनीयता से संबंधित कोई घटना नहीं है।

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

   ए. डेटा उल्लंघनों की संख्या : शून्य

   बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत: शून्य

   सी. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो: लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **ऐसे चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)**

   नीपको द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की श्रेणी के बारे में विवरण कंपनी की वेबसाइट पर पाया जा सकता है

   https://neepco.co.in/about-us/company-profile

   https://neepco.co.in/power-generation/hydro-power

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

   नीपको बी2बी मॉडल पर काम करता है और सीधे उपभोक्ता सेवा वितरण में संलग्न नहीं है। हालांकि, हम कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे विभिन्न डोमेन में ग्राहक सहायता प्रदान करते हैं। हमारी पहलों के भाग के रूप में सुरक्षा अनुदेशों को स्थानीय भाषाओं में प्रमुखता से प्रदशत किया जाता है।.

3. **आवश्यक सेवाओं के व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं।**

   नीपको अपने विभिन्न जल विद्युत स्टेशनों, सौर और थर्मल पावर प्लांटों से डिस्कॉम को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करने के व्यवसाय में है। यह व्यवधान/ बंद करने के संबंध में डिस्कॉम के साथ सीधे संवाद नहीं करता है। उत्पादन के लिए अनुसूची पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनईआरएलडीसी) को अग्रिम रूप से भेजी जाती है। घोषित उत्पादन अनुसूची में किसी भी परिवर्तन की सूचना जब कभी आवश्यक होती है, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के अनुसार एनईआरएलडीसी को समय-समय पर सूचित की जाती है। एनईआरएलडीसी, जीआरआईडी-इंडिया अपने संबंधित क्षेत्रों के भीतर समन्वय सुनिश्चित करता है।

4. **क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, इकाई या इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ/नहीं)**

   नीपको के कारोबार पर लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10-08-2024

संलग्नक-5ए

कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण
नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
ब्रूकलैंड कंपाउंड लोअर न्यू कॉलोनी
जिला. ईस्ट ख़ासी हिल्स, शिलांग
मेघालय, पिन-793003

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के कॉरपोरेट प्रशासन की स्थितियों के अनुपालन की, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा मई, 2010 में जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कॉरपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश के तहत जांच की है।

कॉरपोरेट प्रशासन की स्थितियों का अनुपालन प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी।। यह न तो लेखा परीक्षण है और न ही कम्पनी के वित्तीय बयानों पर कोई राय है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया।

कृते **नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स**
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

सीएस नारायण शर्मा
प्रोपराइटर
पीआर. सं.: 1563/2021
एफसीएस-5117, सीपी नं. 3844
यूडीआईएन: F005117F000851006

स्थान: गुवाहाटी

दिनांक: 29 जुलाई, 2024

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन

हम, गुरदीप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और बैद्यनाथ महाराणा, निदेशक (वित्त) , नीपको लिमिटेड, प्रमाणित करते हैं कि:

क) हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण (स्वतंत्र और समेकित) की समीक्षा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार की है:

(i) इन कथनों में कोई भी तथ्यात्मक रूप से असत्य कथन नहीं है या इनमें कोई तथ्य नहीं छूटा है या इनमें कोई ऐसा कथन नहीं है जो भ्रामक हो सकता है।

(ii) ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।

ख) हमारी वर्तमान जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की विभिन्न आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अभिन्न नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, के बारे में लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।

घ) हमने कंपनी के लेखा परीक्षकों और नीपको के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर अभिन्न नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो, और वित्तीय विवरणों के नोटों में इसका खुलासा किया गया हो, और

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है और उनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो।

ह/-	ह/-
बैद्यनाथ महाराणा	**गुरदीप सिंह**
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09263864	डीआईएन: 00307037

दिनांक: 14-05-2024

स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक-6ए

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के साथ दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) , इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और अधिनियम की धारा 133 ("इंड एएस") के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप, 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति) और उसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन) , इक्विटी में बदलाव और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

टिप्पणी के आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं: इस मामले के संबंध में आपकी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

1. टीएसईसीएल (त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड) से विवादित व्यापार प्राप्य राशि 10369.19 लाख रुपये (तीन (3) वर्षों से अधिक के लिए बकाया) और 4850.02 लाख रुपये (छह (6) महीनों से अधिक लेकिन दो (2) वर्षों से कम के लिए बकाया) के संबंध में सामग्री लेखांकन नीति 1 (ख) (4) के साथ पठित नोट संख्या 10 (v) कंपनी को उम्मीद है कि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर इसकी वसूली हो जाएगी और तदनुसार इसे चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से निपटाए गए उन मामलों के लिए आयकर वापसी के बारे में नोट संख्या 8(ii) जिनकी राशि 180.67 लाख रुपये है और जो 3 साल से अधिक समय से प्राप्य हैं। इस योजना के अनुसार कंपनी बिना किसी ब्याज के रिफंड पाने की हकदार है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा-जोखा तथा हमारी राय बनाने में, आदि के संदर्भ में संबोधित किया गया और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को एक मुख्य लेखा परीक्षा मामला के रुप निर्धारित किया है जिसे हमारी रिपोर्ट में प्रकट किया जाना है।

क्रं सं	मुख्य लेखा परीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1)	**ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की मान्यता और मूल्यांकन** कंपनी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व दर्ज करती है और जहां अंतिम टैरिफ को सीईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है, वहां टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर अनंतिम राजस्व को मान्यता दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (600 मेगावाट) के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मान्यता प्राप्त अनंतिम राजस्व 9,911.12 लाख रुपये है। जहां न तो स्वीकृत टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, वहां लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री का लेखा-जोखा रखा जाता है। (सामग्री लेखांकन नीति संख्या सी 10.1 के सारांश के साथ पढ़े गए नोट संख्या 27 का संदर्भ लें)	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमने सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है, जो क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क सहित ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की मान्यता और मूल्यांकन के संबंध में हैं और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: 1. ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के कंपनी के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। 2. कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार गणना की गई अंतिम टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व के लेखांकन के साथ-साथ ऊर्जा की बिक्री से अनंतिम राजस्व के लेखांकन को सत्यापित किया।
2)	**विद्युत उत्पादन में कमी के कारण विद्युत उत्पादन केन्द्रों के नियंत्रण से बाहर होने पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता एवं मूल्यांकन।** हाल ही में हुए परिवर्तनों और टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए नवीनतम सीईआरसी टैरिफ विनियमों की अधिसूचना के अनुसार, ज्ञापन संख्या एल-1/268/2022/सीईआरसी द्वारा 15 मार्च 2024 को, कंपनी ने उत्पादन स्टेशनों (हाइड्रो) के नियंत्रण से परे कारणों से बिजली के उत्पादन में कमी के कारण ऊर्जा की बिक्री से 19,245.69 लाख रुपये की आय दर्ज की है, जिसमें कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (600 मेगावाट) -3,103.37 लाख रुपये, रंगनाडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (405 मेगावाट) - 1,785.82 लाख रुपये, तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (60 वाट) - 10,207.08 लाख रुपये, दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (75 मेगावाट) - 4,149.42 लाख रुपये शामिल हैं। हम इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला मानते हैं क्योंकि राजस्व में पिछले पांच वर्षों (2019-24 टैरिफ अवधि) की कमी शामिल है और यह कंपनी द्वारा दायर की जाने वाली बाद की याचिकाओं में सही किए जाने के अधीन होगा और ग्राहकों को सीधे बिल भेजा जाएगा। (नोट संख्या 27 को सामग्री लेखा नीति संख्या सी 10.1 के सारांश के साथ पढ़ें)	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमने सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की पहचान और माप के संबंध में प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है, जिसमें क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क शामिल हैं और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: 1. ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के कंपनी के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया है। 2. हमने एक अन्य विशेषज्ञ के काम पर भरोसा किया है, जिसने गणना के साथ-साथ नियंत्रणीय और अनियंत्रित के बीच ऊर्जा की कमी को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली संबंधित मान्यताओं/ विचारों का आकलन किया है। हमने गणनाओं का परीक्षण किया है और उक्त राजस्व पर पहुंचने के लिए अंतर्निहित गणनाओं और कार्यप्रणाली को समझा है। 3. हमने देनदारों से 31.03.2024 तक चालान और शेष राशि की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए बाहरी शेष राशि की पुष्टि मांगी है और जनरेटर के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद में भुगतान अनुसमर्थन और विश्लेषण (प्राप्ति पोर्टल) से राशि का समाधान भी किया है।

3)	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के वहन मूल्य का हानि मूल्यांकन।** कंपनी के पास बिजली उत्पादन से संबंधित एक भौतिक परिचालन परिसंपत्ति आधार (पीपीई) है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ निर्धारित करने के लिए घटकों में से एक है, जो हानि के प्रति संवेदनशील हो सकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना क्योंकि पीपीई के वहन मूल्य के लिए बिजली संयंत्रों (नकदी उत्पादक इकाइयों) से जुड़े भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर हानि मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। (भौतिक लेखा नीति संख्या सी 15 के साथ पढ़े गए नोट संख्या 50 का संदर्भ लें) ।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है: 1. भारतीय लेखा मानक 36 "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुसार हानि के संबंध में कंपनी की लेखा नीतियों को प्राप्त किया और पढ़ा। 2. साक्ष्य के निरीक्षण के माध्यम से परिसंपत्तियों के लेखांकन, मूल्यांकन और वसूली से संबंधित प्रमुख वित्तीय नियंत्रणों पर नियंत्रण का परीक्षण किया। 3. निम्नलिखित सहित मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं: i) प्रबंधन की हानि मूल्यांकन प्राप्त किया। ii) अनुमानित उत्पादन, ईंधन की कीमतें, विनिमय दर, ऊर्जा की कीमतें और बिजली खरीद समझौते सहित प्रमुख मान्यताओं का मूल्यांकन किया, जहां उपलब्ध हो। 4. पूरा होने की समयसीमा, उत्पादन की मात्रा और उसके विरुद्ध अपेक्षित टैरिफ के आधार पर परिणामी राजस्व के लिए प्रबंधन अनुमानों पर भरोसा किया गया है।
4)	**आकस्मिक देयता** कंपनी हेतु विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे/दावे लंबित हैं। कंपनी हेतु गए दावे महत्वपूर्ण हैं और इसमें शामिल राशि का अनुमान लगाने और उनके उचित प्रकटीकरण के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। इसके प्रकटीकरण में मामलों की व्याख्या करने और देयता की संभावना का आकलन करने में प्रबंधन के निर्णय की एक महत्वपूर्ण डिग्री शामिल है जो प्रबंधन पूर्वाग्रह के अधीन हो सकती है। (सामग्री लेखा नीति संख्या सी 8 के साथ पढ़े गए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 देखें) ।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** 1. हमने 31.03.2024 तक विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थता/अर्ध-न्यायिक मंचों आदि के समक्ष लंबित मामलों/विवादों/दावों का विवरण प्रबंधन से प्राप्त किया है, साथ ही नवीनतम स्थिति और प्रबंधन का मूल्यांकन भी प्राप्त किया है। 2. हमने इस संबंध में कंपनी की लेखा नीति और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स में उनके प्रकटीकरण को भी प्राप्त किया है। 3. हमने लंबित मुकदमेबाजी/मामलों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा और परखा। 4. हमने प्रबंधन के साथ उनके मूल्यांकन के आधार और उसमें किसी भी भौतिक विकास और दावों/विवादों के संभावित परिणामों के बारे में चर्चा की।

5)	**एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति और संबंधित विनियामक आस्थगित देयता।** कंपनी ने एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी है। एमएटी क्रेडिट के उपयोग से भविष्य के वर्षों में आयकर का कम बहिर्वाह होगा और तदनुसार उक्त एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित विनियामक आस्थगित देयता को भी मान्यता दी गई है, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों को देय है। एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित इस आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी पात्रता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भविष्य के कर योग्य मुनाफे के सृजन पर निर्भर है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं और इसकी भौतिकता के लिए इस मामले का महत्व है; और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत समय सीमा के भीतर ऐसे कर क्रेडिट की वसूली पर विचार करते हुए एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के कर योग्य मुनाफे का पूर्वानुमान लगाने में निर्णय की आवश्यकता। (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 7, 16, 37 और 48 देखें, सामग्री लेखांकन नीति संख्या सी.13 के साथ पढ़ें)	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ** 1. हमने प्रबंधन के निर्णय सहित विनियामक आस्थगन खाते में एमएटी क्रेडिट पात्रता और उसके संगत देयता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान के लिए एक समझ प्राप्त की है। 2. हमने एक अन्य विशेषज्ञ के काम पर भी भरोसा किया है, जिसने भविष्य के कर योग्य लाभों के संबंधित पूर्वानुमानों का आकलन किया है और बाद की अवधि में लाभार्थियों को देय उक्त एमएटी क्रेडिट के संगत विनियामक आस्थगन खाता शेष के साथ इन पूर्वानुमानों की तैयारी में अंतर्निहित विचारों/धारणाओं की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया है। हालाँकि, हमने अंतर्निहित मान्यताओं के साथ-साथ गणनाओं की व्यापक समीक्षा की है। 3. निष्पादित की गई उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, लाभार्थियों के प्रति एमएटी क्रेडिट पात्रता और संगत विनियामक आस्थगन देयता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।

अन्य मामले

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट एक अन्य ऑडिटर द्वारा किया गया, जिसने 31 मार्च, 2023 को उन विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट जिसमें निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य जानकारी इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें मामले को शासन के प्रभारी लोगों को बताना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, जो भारत में आम तौर

पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और विद्युत अधिनियम, 2003 और प्रासंगिक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) विनियमों और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के अनुसार पढ़ा जाता है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रुप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है

- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि उनका उचित प्रस्तुतीकरण हो सके।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए वेंचरर कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल केवल ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, जिनका लेखापरीक्षा नहीं किया गया है, उनके निदेशक इसके निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहते हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है, जो व्यक्तिगत रुप से या समग्र रुप से, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के

उचित रुप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं

i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और

ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम शासन के प्रभारी लोगों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है।

हम शासन के प्रभारी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जो उचित रुप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार तथा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम 'अनुलग्नक ए' में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं।

ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

छ) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्रक बी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 देखें।
- कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान के लिए लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है।
- कंपनी के पास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने का कोई मामला नहीं है।

क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रुप से या समग्र रुप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई

निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रुप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा;

ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रुप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रुप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को वित्त पोषण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

 परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

 पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा कि लागू है।

 वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

 हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर जिन्हें हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक रिपोर्ट 'अनुलग्नक सी' में देते हैं।

आर.एन.गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 309128E)

सीए मनीष गोयल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 061194)
यूडीआईएन: 24061194BKAMKE5709

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14 मई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ए'

(नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को आज की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, हम कहते हैं कि:

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क) (अ) कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(आ) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) कंपनी के पास प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है। यद्यपि ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं, फिर भी हमारी राय में, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में रखे गए विवरण और अभिलेखों में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुधार की आवश्यकता है।

ग) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के स्वामित्व विलेख निम्नलिखित मामलों को छोड़कर कंपनी के नाम पर रखे गए हैं:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु. लाख में)	के नाम पर आयोजित	चाहे प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	जहां उपयुक्त हो वहां अवधि सीमा को इंगित करने में सहायता करती है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
नीपको परियोजना - कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन - चरण II के लिए पश्चिम जैंतिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि	452.68	श्रीमती इबिल दखार और अन्य (160 याचिकाकर्ता)	नहीं	10.09.1984	यह भूमि 58 भूमि स्वामियों द्वारा भूमि मुआवजा बढ़ाने के लिए दायर दावे के कारण मुकदमेबाजी में है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) पश्चिम जैंतिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है।
लैटकोर, शिलांग में सीएमडी क्वार्टर/निदेशक गेस्ट हाउस की भूमि और भवन	भवन का मूल्य – 222.88	उपलब्ध नहीं है	नहीं	उपलब्ध नहीं है	भूमि के दस्तावेज उपलब्ध नहीं

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरु नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) वार्षिक आधार पर इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के भौतिक सत्यापन पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की विसंगतियां नहीं देखी गईं। हालाँकि, हमारी राय में, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के संबंध में बनाए गए विवरण और रिकॉर्ड में सुधार की आवश्यकता है।

(ख) कंपनी को वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है और कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी की खाता बही के अनुरुप हैं।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, खंड (III) (क) (क) और (ख) , (ख) , (ग) , (घ) , (ङ) और (च) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

iv. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है। संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जमा माना जाता है।

vi. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (I) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खातों और अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है, जिसे संशोधित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जा सकता है, और हमारा मानना है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक और पूर्ण हैं या नहीं।

vii. वैधानिक बकाया के संबंध में:

(क) हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है।

31 मार्च, 2024 तक माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया राशि के संबंध में कुछ अविवादित राशि बकाया थी, जो उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी। ऐसे अविवादित वैधानिक बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

देय राशि	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	राशि लाख रुपये
केंद्रीय माल और सेवा कर - टीडीएस	2022-23	7.08
राज्य माल और सेवा कर - टीडीएस	2022-23	7.08
अंतरराज्यीय माल और सेवा कर - टीडीएस	2022-23	0.031
केंद्रीय माल और सेवा कर	2022-23	0.430
राज्य माल और सेवा कर	2022-23	0.430
आयकर - टीडीएस		0.006
आयकर - टीडीएस	2023-24	0.211

क) उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया राशि का विवरण, जो विवादों के कारण 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है।

संविधि की प्रकृति	देय राशि	फोरम जहां विवाद लंबित है	फोरम जहां विवाद लंबित है	राशि लाख रुपये
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी (अपील)	2020-21	1992.06

viii. जैसा कि सूचित किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान पहले से अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हुआ है जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया है।

ix. (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किए गए थे, उसी उद्देश्य के लिए सावधि ऋण लागू किए गए थे।

(घ) जैसा कि सूचित किया गया है और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का, प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) जैसा कि हमें जानकारी मिली है और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) जैसा कि हमें जानकारी मिली है और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण नहीं जुटाया है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रुप से या वैकल्पिक रुप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. (क) हमें दी गई जानकारी और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भौतिक धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं देखा गया है और न ही कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म ADT-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(ग) प्रबंधन द्वारा सूचित किए अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेन-देन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है तथा संबंधित पक्षों के लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv. (क) कंपनी ने अपनी इकाइयों और कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्मों को नियुक्त किया है। हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरुप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi) (क) , (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ग) जैसा कि सूचित किया गया है और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

xvii. कंपनी ने हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं उठाया है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर, हम इस राय के हैं कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है।

xx. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण की आवश्यकता वाले चल रहे प्रोजेक्टों के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए कोई भी

राशि खर्च नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की उपधारा 5 के तहत, चल रही परियोजनाओं के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 6 के प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष खाते में शेष बची राशि को स्थानांतरित कर दिया है।

xxi. इस कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, इसलिए इसकी सीएआरओ रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए, हम इस खंड पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

आर.एन.गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 309128E)

सीए मनीष गोयल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 061194)
यूडीआईएन: 24061194BKAMKE5709

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14 मई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक "बी"

(नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को आज की तारीख में दी गई हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2(जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के साथ संयोजन में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रुप से संचालित हुए थे।

हमारे ऑडिट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रुप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रुप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं;

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हैं।

आर.एन.गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 309128E)

सीए मनीष गोयल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 061194)
यूडीआईएन: 24061194BKAMKE5709

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14 मई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "सी"

(नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

क्र. सं	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देश पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का जवाब	एफ.एस. पर प्रभाव
1.	**क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।**	पिछले साल कंपनी ने पुराने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैटफिन से ईआरपी सिस्टम सैप पर माइग्रेट किया। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण पुरानी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एप्लीकेशन सिस्टम "मैटफिन" और "सैप (ईआरपी) " दोनों के आधार पर तैयार किए गए थे। हालाँकि, चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पूरी तरह से सैप (ईआरपी) के आधार पर तैयार किए गए हैं और इसलिए इसने कई अकाउंटिंग हेड्स को फिर से समूहीकृत और पुनर्वर्गीकृत किया है, जिसका अकाउंटिंग लेनदेन की प्रोसेसिंग पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।	शून्य
2.	**क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का मामला बनाया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है?**	हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि में छूट/बट्टे खाते में डालने आदि का कोई कदम नहीं उठाया गया।	शून्य
3.	**क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/ सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामले सूचीबद्ध करें।**	हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी शर्तों के अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा रखा है और उसका उपयोग किया है।	शून्य

31 मार्च 2024 तक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023
	परिसंपत्तियाँ			
1	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
	(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2	12,93,125.26	12,42,505.48
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	66,482.49	1,14,194.44
	(ग) अमूर्त संपत्ति	4	8,033.31	8,664.64
	(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4A	124.32	96.00
	(ङ) वित्तीय पूंजी			
	(i) सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	5	-	-
	(ii) ऋण	6	40.02	28.19
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	7		
	(छ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	8	43,529.96	18,179.20
	उप योग - गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		**14,11,335.36**	**13,83,667.96**
2	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	क) इन्वेंटरी	9	12,457.35	12,516.05
	ख) वित्तीय पूंजी			
	(i) व्यापार प्राप्तियां	10	83,664.74	94,429.78
	(ii) नकद और नकदी के समतुल्य	11	240.10	1,461.34
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	12	276.46	291.50
	(iv) अन्य	13	32,756.40	23,221.47
	ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	14	2,165.84	-
	घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	15	2,509.48	3,897.78
	ङ) बिक्री हेतु रखी गई संपत्ति	15	-	-
	उप योग - वर्तमान परिसंपत्तियाँ		**1,34,070.36**	**1,35,817.92**
3	**विनियामक आस्थगन खाते जमा शेष**	16.01	1,14,729.55	99,295.21
	कुल संपत्ति (1 + 2 + 3)		**16,60,135.27**	**16,18,781.09**
	इक्विटी और देयता			
4	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	3,60,981.04	3,60,981.04
	(ख) अन्य इक्विटी	18	3,25,808.34	2,97,602.76
	उप योग - इक्विटी		**6,86,789.38**	**6,58,583.80**
	देयताएं			
5	**गैर-वर्तमान देयताएँ**			
	क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	19	5,90,470.25	5,94,121.62
	(ii) पट्टा देयताएं	19A	1,015.07	478.64
	(iii) व्यापार देयताएं			

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023
	(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		-	-
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		-	-
	ग) दीर्घकालिक प्रावधान	20	303.28	319.12
	घ) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	7	93,440.22	98,787.95
	ङ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	26	19,627.01	21,209.27
	उप योग गैर-वर्तमान देयताएं		**7,04,855.83**	**7,14,916.60**
6	**वर्तमान देनदारियां**			
	क) वित्तीय देनदारियां			
	(i) उधारी	21	1,51,170.54	1,12,426.18
	(ii) पट्टा देयताएं	21A	1,000.48	607.67
	(iii) व्यापार देयताएं			
	(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	22	1,242.61	424.75
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		16,533.13	18,715.71
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	23	42,691.00	75,922.85
	ग) अन्य वर्तमान देनदारियां	24	6,228.16	6,140.42
	घ) प्रावधान	25	19,930.75	18,880.71
	ङ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	14	-	969.40
	च) आस्थगित राजस्व	26A	11,564.74	11,193.00
	कुल वर्तमान दायित्व		**2,50,361.41**	**2,45,280.69**
7	**विनियामक आस्थगन खाते जमा शेष**	16.02	18,128.66	-
	कुल इक्विटी और देयताएं (4 + 5 + 6 +7)		**16,60,135.27**	**16,18,781.09**

महात्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश - नोट संख्या 1

संलग्न नोट 1 से 51 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

	एपी रोंग	**बी. महाराणा**	**गुरदीप सिंह**	**सीए मनीष गोयल**
दिनांक: 14-05-2024	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	भागीदार
स्थान: नई दिल्ली		डीआईएन: 09263864	डीआईएन: 00307037	सदस्यता संख्या-061194

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट भाग-(ii)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023
1	**आय**			
	(क) परिचालन से राजस्व	27	4,23,956.74	4,55,726.73
	(ख) अन्य आय	28	2,466.09	1,336.77
	कुल आय (क + ख)		**4,26,422.83**	**4,57,063.50**
2	**खर्च**			
	(क) ईंधन लागत	29	1,25,642.24	1,47,687.42
	(ख) कर्मचारी लाभ व्यय	30	43,285.78	51,406.14
	(ग) वित्त लागत	31	52,838.05	53,667.13
	(घ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	32	85,480.64	83,550.16
	(ङ) अन्य व्यय	33	56,957.35	52,902.05
	कुल खर्च (क+ख+ग+घ+ङ)		**3,64,204.06**	**3,89,212.90**
3	**असाधारण मदों से पहले लाभ / (हानि) , कर और नियामक आस्थगित खातों की शेष राशि (1 - 2)**		**62,218.77**	**67,850.60**
4	असाधारण वस्तुएं - (आय) /व्यय			
5	**कर और विनियामक आस्थगित खाता शेष से पहले लाभ / (हानि) (3 - 4)**		**62,218.77**	**67,850.60**
6	कर व्यय :			
	(क) वर्तमान कर			
	चालू वर्ष		10,252.95	11,488.84
	पहले के वर्ष		-	-
	कुल वर्तमान कर		10,252.95	11,488.84
	(ख) आस्थगित कर (डीटीए का शुद्ध)		(5,347.73)	22,154.15
	कुल कर व्यय (ए + बी)		4,905.22	33,642.99
7	**विनियामक आस्थगित खाता शेष से पहले लाभ / (हानि) (5 - 6)**		**57,313.55**	**34,207.61**
8	विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध गतिविधि (कर के बाद शुद्ध)	37	(2,501.34)	5,482.47
9	**वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (7 + 8)**		**54,812.21**	**39,690.08**

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023
10	**अन्य व्यापक आय/(व्यय)**			
	(क) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		(1,946.77)	(642.51)
	(ii) अन्य - एफवी हानि समायोजन			0.08
			(1,946.77)	**(642.43)**
	(iii) घटा कर : उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(340.14)	(112.25)
	(ख) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	(i) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	कुल अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) = (ए+बी)		**(1,606.63)**	**(530.18)**
11	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (9 + 10)**		**53,205.58**	**39,159.90**
12	"प्रति इक्विटी शेयर आय (सममूल्य ₹ 10 प्रत्येक)	35		
	बेसिक और डाइल्यूटेड (₹) (नियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध संचलन सहित)	1.52	1.52	1.10
	बेसिक और डाइल्यूटेड (₹) (नियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध उतार-चढ़ाव को छोड़कर)		1.59	0.95

वस्तुगत लेखांकन नीतियों का सारांश - नोट संख्या 1

संलग्न नोट 1 से 51 इन वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

एपी रोंग
कंपनी सचिव

बी. महाराणा
निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ
डीआईएन: 09263864

गुरदीप सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

सीए मनीष गोयल
भागीदार
सदस्यता संख्या-061194

दिनांक: 14-05-2024
स्थान: नई दिल्ली

वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए इक्विटी में बदलाव का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	**3,60,981.04**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	3,60,981.04

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	**3,60,981.04**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	3,60,981.04

(ख) अन्य इक्विटी

31 मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	बांड मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	34,856.91	2,97,602.76
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	54,812.21	54,812.21
अन्य व्यापक आय	-		(1,606.63)	(1,606.63)
कुल व्यापक आय	-		53,205.58	53,205.58
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान			-	-
अंतिम लाभांश पर कर				-
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश			-	-
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान			(25,000.00)	(25,000.00)
अंतरिम लाभांश पर कर				-
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**65,054.17**	**1,97,691.68**	**63,062.49**	**3,25,808.34**

31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	बांड मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	
1 अप्रैल 2022 तक शेष			32197.01	2,94942.86
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन			-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः स्थापित शेष			-	-
अवधि के लिए लाभ			39690.08	39690.08
अन्य व्यापक आय			(530.18)	(530.18)
कुल व्यापक आय			39159.09	39159.09
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश			1500	1500
अंतिम लाभांश पर कर			35000	35000
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश				
अंतरिम लाभांश पर कर				
31 मार्च 2023 को शेष राशि	**65,054.17**	**1,97,691.68**	**34856.91**	**297602.76**

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 14-05-2024	**एपी रोंग**	**बी. महाराणा**	**गुरदीप सिंह**	**सीए मनीष गोयल**
स्थान: नई दिल्ली	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	भागीदार
		डीआईएन: 09263864	डीआईएन: 00307037	सदस्यता संख्या-061194

वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए इक्विटी में बदलाव का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट

(₹ लाख में)

	विवरण	मार्च 2024 का समाप्त वर्ष के लिए		मार्च 2023 का समाप्त वर्ष के लिए	
A	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	कर पूर्व लाभ		62,218.77		67,850.60
	जोड़ :विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध संचालन (कर के बाद शुद्ध)	(2,501.34)		5,482.47	
	जोड़ : विनियामक आस्थगन खाता शेष के संचालन पर कर	(192.98)		1,468.19	
			(2,694.32)		**6,950.66**
	विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन सहित कर पूर्व लाभ		**59,524.45**		**74,801.26**
	समायोजन :				
	मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति व्यय	85,480.64		83,550.16	
	प्रावधान/बट्टे खाते में डालना	7,109.36		4,852.11	
	विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष	2,694.32		(6,950.66)	
	आस्थगित राजस्व	(1,210.52)		1,666.58	
	विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ)	93.56		757.22	
	वित्त लागत	52,744.49		52,909.91	
	सावधि जमा/बांड/निवेश से ब्याज/आय	(358.77)		(526.77)	
	प्रावधान वापस लिखा गया	(493.32)		(7.77)	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर लाभ	(45.74)		(2.93)	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर नुकसान	63.96		16.66	
	विलंबित भुगतान अधिभार	(848.88)		(545.68)	
			1,45,229.10		**1,35,718.83**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**2,04,753.55**		**2,10,520.09**
	समायोजन :				
	व्यापार प्राप्य	10,909.37		(45,605.49)	
	इन्वेंटरी	58.70		2,583.19	
	व्यापार देयताएं, प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं	(40,522.39)		(12,793.77)	
	ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और अन्य परिसंपत्तियां	(10,695.48)		14,256.01	
			(40,249.80)		**(41,560.06)**
	परिचालन से उत्पन्न नकदी		**1,64,503.75**		**1,68,960.03**
	आयकर (भुगतान किया गया) /वापस किया गया		**(10,400.00)**		**(10,300.00)**
	परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी - ए		**1,54,103.75**		**1,58,660.03**
B	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(1,08,766.59)		(65,819.50)	

	विवरण	मार्च 2024 का समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 2023 का समाप्त वर्ष के लिए
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का निपटान	71.14	9.04
	सावधि जमा/बांड/निवेश पर प्राप्त ब्याज/आय	358.77	526.77
	प्राप्त लाभांश	-	-
	नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा बैंक शेष में परिवर्तन	15.04	717.56
	विलंबित भुगतान अधिभार प्राप्त हुआ	704.55	497.88
	निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी - बी	**(1,07,617.09)**	**(64,068.25)**
C	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	कंपनी के इक्विटी उपकरणों के निर्गम से प्राप्त आय	-	-
	गैर-वर्तमान उधार से प्राप्त आय	1,25,000.00	95,000.00
	गैर-वर्तमान उधारों का पुनर्भुगतान	(1,20,462.09)	(1,32,663.26)
	वर्तमान उधार से प्राप्त आय	30,056.76	(2,300.00)
	वित्तीय पट्टा दायित्वों का भुगतान	(1,056.94)	(728.69)
	ब्याज का भुगतान	(56,245.63)	(55,282.98)
	लाभांश का भुगतान	(25,000.00)	(1,500.00)
	लाभांश पर कर		
	वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी - सी	**(47,707.90)**	**(97,474.93)**
	नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	**(1,221.24)**	**(2,883.15)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य (नीचे नोट 1 और 2 देखें)	1,461.34	4,344.49
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष (नीचे नोट 1 और 2 देखें) *	240.10	1,461.34

* कृपया नोट संख्या 11 देखें

नोट:

1 नकदी और नकदी समतुल्य में चेक, ड्राफ्ट, स्टाम्प, बैंक में शेष राशि तथा तीन महीने तक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि शामिल होती है।

2 नकद और नकद समकक्षों का मिलान:

नोट संख्या 11 के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष

3 नकद और नकद समतुल्य में वर्ष के लिए खर्च न किए गए सीएसआर के विरुद्ध शून्य राशि शामिल है।

4 वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच सामंजस्य।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	गैर-वर्तमान उधार**	वित्त पट्टा दायित्व	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि	6,84,525.74	1,086.31	22,000.00
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह	1,25,000.00	(1,056.94)	30,056.76
अवधि के दौरान मूलधन की चुकौती	(1,20,462.09)		
गैर-नकद परिवर्तन के कारण :			
वित्तीय पट्टे के तहत अधिग्रहण		1,986.18	
विनिमय दर में बदलाव	316.06		
उधार पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2024 तक समापन शेष	**6,89,379.71**	**2,015.55**	**52,056.76**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	गैर-वर्तमान उधार**	वित्त पट्टा दायित्व	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष राशि	7,18,899.93	1011.83	24,300.00
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह	95,000.00	(728.69)	(2,300.00)
अवधि के दौरान मूलधन की चुकौती	(1,32,663.26)		
गैर-नकद परिवर्तन के कारण :			
वित्तीय पट्टे के तहत अधिग्रहण		803.17	
विनिमय दर में बदलाव	3,289.07		
उधार पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2023 तक समापन शेष	**6,84,525.74**	**1,086.31**	**22,000.00**

** इसमें दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता शामिल है

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 14-05-2024
स्थान: नई दिल्ली

एपी रोंग
कंपनी सचिव

बी. महाराणा
निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ
डीआईएन: 09263864

गुरदीप सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

सीए मनीष गोयल
भागीदार
सदस्यता संख्या-061194

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के भाग के रूप में शामिल नोट्स

नोट 1. कंपनी की जानकारी और सामग्री लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("नीपको लिमिटेड" / "कंपनी") भारत में स्थित एक कंपनी है और शेयरों द्वारा सीमित है (CIN - U40101ML1976GOI001658) । कंपनी एक प्रमुख बिजली उपयोगिता है, जो मुख्य रूप से भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में काम करती है। नीपको एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) और एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसे भारत सरकार द्वारा अनुसूची A- मिनीरत्न श्रेणी-I सीपीएसईका दर्जा दिया गया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, लैतुमखरा, शिलांग 793003, मेघालय है। कंपनी का मुख्य कार्य बिजली के उत्पादन और राज्य बिजली उपयोगिताओं को थोक में बिजली बिक्री करना शामिल है।

नीपको लिमिटेड ने अपने ऋण (बांड XI अंक से XXIII अंक) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध कर रखा है।

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये एकल वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के अनुसार चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 14 मई 2024 को आयोजित बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

2. माप का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित के:

· कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (व्युत्पन्न उपकरणों सहित) जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और

· कर्मचारियों के परिभाषित लाभ योजनाओं के मामले में योजना परिसंपत्तियां, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है।

3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाखों (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

4. वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी 12 महीने की अवधि को सामान्य परिचालन चक्र मानते हुए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट में चालू/गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

ग. सामग्री लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने का चुनाव किया है - 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना', भारतीय लेखा मानक 16 - 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' और भारतीय लेखा मानक 38 - 'अमूर्त संपत्ति' के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं करना और भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि यानी 1 अप्रैल 2015 को भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत मानी गई लागत के रूप में पिछले जीएएपी वहन राशि का उपयोग जारी रखना। इसलिए, 1 अप्रैल 2015 को, यानी कंपनी के भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि को, पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की वहन राशि, भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के समय बनाए रखी गई।

1. सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

1.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को शुरु में लागत पर पहचाना जाता है। बाद में माप लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि हानि को घटाकर किया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग का मूल्य महत्वपूर्ण होता है तथा मुख्य परिसंपत्ति की तुलना में उसका उपयोगी जीवन अलग होता है, तो उन्हें अलग से मान्यता दी जाती है।

मुआवजे, पुनर्वास और कब्जे वाली भूमि से संबंधित अन्य खर्चों के लिए अनंतिम रुप से की गई जमाराशियां, भुगतान/देयताएं भूमि की लागत मानी जाती हैं।

उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

एक से अधिक उत्पादन इकाइयों में सामान्य परिसंपत्तियों और प्रणालियों को इंजीनियरिंग अनुमानों/आकलन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण की वस्तुएँ जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करती हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री के रूप में रखा जाता है और उपभोग पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा वस्तु के भविष्य के आर्थिक लाभों को सीधे तौर पर नहीं बढ़ाता है, लेकिन कंपनी के लिए अपनी अन्य परिसंपत्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रुप में मान्यता दी जाती है।

परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के दौरान उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रुप से देय लागत से घटा दिया जाता है।

1.2. परवर्ती लागत

परवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है।

उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और ओवरहाल पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब वह परिसंपत्ति मान्यता मानदंडों को पूरा करता है। पिछले निरीक्षण और ओवरहाल की लागत की शेष वहन राशि को मान्यता से हटा दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम के प्रमुख भाग को बदलने की लागत को आइटम की वहन राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि भाग में निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि को इस बात की परवाह किए बिना हटा दिया जाता है कि प्रतिस्थापित भाग का अलग से मूल्यह्रास किया गया है या नहीं। यदि प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, तो कंपनी प्रतिस्थापन की लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में करती है कि अधिग्रहित या निर्मित किए जाने के समय प्रतिस्थापित भाग की लागत क्या थी। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को लाभ और हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब वह व्यय होता है।

1.3. विमुद्रीकरण लागत

यदि किसी प्रावधान के लिए मान्यता मानदंड पूरे होते हैं, तो परिसंपत्ति के उपयोग के बाद उसे बंद करने की अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

1.4. मान्यता रद्द करना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की मान्यता समाप्त करने पर लाभ और हानि का निर्धारण निपटान से बिक्री आय, यदि कोई हो, और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

1.5. अवमूल्यन और परिशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग बी के अंतर्गत आने वाली बिजली उत्पादन व्यवसाय की परिसंपत्तियों और कंपनी के कॉर्पोरेट और अन्य कार्यालयों की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर लगाया जाता है, जिसमें निम्नलिखित परिसंपत्तियों के लिए अपवाद शामिल है:

मुख ओवरहाल और निरीक्षण लागत, जिन्हें पूंजीकृत किया गया है, को अगले निर्धारित आउटेज या वास्तविक प्रमुख निरीक्षण/ओवरहाल, जो भी पहले हो, तक की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है।

संयंत्र एवं मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया है और ऐसी वस्तु की अग्रणीत राशि में जोड़ा गया है, का मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र एवं मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा शासित विद्युत उत्पादन व्यवसाय से संबंधित उपयोग के अधिकार वाली भूमि और भवनों का सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार पट्टा अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवन काल, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर पूर्ण परिशोधन किया जाता है।

विद्युत उत्पादन व्यवसाय से संबंधित उपयोग के अधिकार वाली भूमि और भवन, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, उन्हें पट्टा अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवनकाल, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर पूर्णतः परिशोधित किया जाता है।

कॉर्पोरेट और अन्य कार्यालयों से संबंधित उपयोग के अधिकार वाली भूमि और भवनों का सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार पट्टा अवधि या पच्चीस वर्ष, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर पूर्ण परिशोधन किया जाता है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि/कटौतियों पर मूल्यह्रास उस माह से/तक आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति उपयोग/बिक्री, निपटान के लिए उपलब्ध होती है या निपटान के लिए निर्धारित होती है।

जहां विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और शुल्कों में मूल्य समायोजन परिवर्तन या इसी तरह के कारकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों (31 मार्च 2016 तक मान्यता प्राप्त) में वृद्धि/कमी के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत में परिवर्तन हुआ है, ऐसी परिसंपत्ति का अपरिशोधित शेष मूल्यह्रास/परिशोधन से संबंधित लागू लेखांकन नीतियों के अनुसार निर्धारित शेष उपयोगी जीवन पर भावी रूप से प्रभारित किया जाता है।

जहां यह संभावना है कि किए गए व्यय से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर बाद के व्यय के साथ-साथ इसकी अशोधित मूल्यह्रास राशि को तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित उपयोगी जीवन पर भावी रूप से चार्ज किया जाता है।

किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उस तारीख से समाप्त हो जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति को भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (या बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल किया जाता है) और उस तारीख से जब परिसंपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है।

ऐसी खरीदी/स्थापित परिसंपत्तियां, जिनकी व्यक्तिगत लागत 5000/- रुपये या उससे कम परंतु 750/- रुपये से अधिक है (जिन्हें इसके बाद अल्प मूल्य की परिसंपत्तियां कहा जाएगा) का 12 महीने की अवधि के दौरान मूल्यह्रास किया जाता है, जिससे मात्र 1/- रुपये का नाममात्र शेष बचता है।

आईटी उपकरण (पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, जिसमें बाह्य उपकरण भी शामिल हैं) का मूल्यह्रास तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है।

आईटी उपकरण (पार्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, जिसमें लचीले उपकरण भी शामिल हैं) की कीमत तीन साल की अवधि में है।

अस्थायी निर्माण/संरचनाओं का 12 महीने की अवधि में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

2. पूंजीगत कार्य प्रगति पर

ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर व्यय की गई लागत, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

स्वयं-निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम की लागत, परिसंपत्तियों को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई अन्य लागत और अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार उधार लागत शामिल हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण से संबंधित व्यय, जो उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने तक किए जाते हैं, की पहचान की जाती है तथा संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के आधार पर व्यवस्थित आधार पर उनका आवंटन किया जाता है।

ठेकेदारों से प्राप्त खाते के विवरण के आधार पर जमा कार्यों/लागत प्लस अनुबंधों का हिसाब लगाया जाता है।

अनुबंधों के मामले में मूल्य परिवर्तन/विनिमय दर परिवर्तन के लिए अनसुलझे देयताओं को अनुबंधों की शर्तों के अनुसार अनुमानित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3. अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

3.1. प्रारंभिक पहचान और माप

कंपनी द्वारा अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियां, जिनका उपयोगी जीवन सीमित होता है, लागत पर पहचानी जाती हैं। बाद में मापन लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर किया जाता है।

बैलेंस शीट की तिथि तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.2. अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.3. मान्यता रद्द करना

अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्यता से वंचित किया जाता है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त करने पर लाभ या हानि का निर्धारण शुद्ध निपटान आय, यदि कोई हो, और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4. ऋणमुक्ति

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के तहत उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

"भूमि उपयोग का अधिकार" परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि (सीओडी) से उसके उपयोगी जीवन की अवधि में पूरी तरह से परिशोधित है। लीजहोल्ड भूमि को उसके सीओडी से, जो भी कम हो, लीज की अवधि या परियोजना के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। प्रशासनिक कार्यालयों के मामले में लीजहोल्ड भूमि को लीज अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है तथा जहां भी आवश्यक हो, उसे भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

4. विनियामक आस्थगन खाता शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को 'विनियामक आस्थगित खाता शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष को उस वर्ष समायोजित किया जाता है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो जाता है।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर विनियामक आस्थगित खाता शेष का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्निहित गतिविधियाँ मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभव है कि ऐसे शेषों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को मिलेंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो विनियामक आस्थगित खाता शेष को मान्यता से हटा दिया जाता है।

5. उधार की लागत

उधार लेने की लागत में शामिल हैं (क) इंडस्ट्रीज़ एएस 109 में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके गणना की गई ब्याज व्यय - 'वित्तीय साधन' (ख) इंडस्ट्रीज़ 116 के अनुसार मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों पर ब्याज व्यय - 'पट्टे' और (ग) विनिमय विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले अंतर इस हद तक हैं कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/विकास या निर्माण से सीधे जुड़ी उधारी लागतों को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं। योग्य परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

जब कंपनी विशेष रुप से अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निधि उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत को पूंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य रुप से निधि उधार लेती है और उन्हें अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत का पूंजीकरण उस अवधि के दौरान बकाया सभी उधारों की भारित औसत लागत के आधार पर गणना की जाती है और अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। हालाँकि, अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रुप से किए गए उधारों पर लागू उधार लागतों को इस गणना से बाहर रखा जाता है, जब तक कि उस परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियाँ पूरी नहीं हो जाती हैं।

अर्हक परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए उपयोग हेतु लंबित उधारों से किए गए अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों से घटा दिया जाता है।

उधार लागतों का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

कंपनी उस विस्तारित अवधि के दौरान उधार लेने की लागत वहन कर सकती है जिसमें वह किसी परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक गतिविधियों को निलंबित कर देती है। ऐसी लागतें आंशिक रुप से पूर्ण परिसंपत्तियों को रखने की लागतें हैं और पूंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी आमतौर पर उस अवधि के दौरान उधार लेने की लागत को निलंबित नहीं करती है जब वह पर्याप्त तकनीकी और प्रशासनिक कार्य करती है। कंपनी तब भी उधार लेने की लागत को निलंबित नहीं करती है जब किसी परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में अस्थायी देरी एक आवश्यक हिस्सा होती है।

6. इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। लागत भारित औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है।

भंडार और स्पेयर्स की गैर-चलती वस्तुओं की समीक्षा की जाती है तथा अप्रचलित, अनुपयोगी, अधिशेष स्पेयर्स के मूल्य में कमी का पता लगाया जाता है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब इस बात का उचित आश्वासन हो कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा और कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी। अनुदान जो कंपनी को मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की लागत के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर अवधि और उस अनुपात में आय के रुप में मान्यता दी जाती है जिसमें मूल्यह्रास लगाया जाता है। अनुदान जो कंपनी को किए गए खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं, उन्हें उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लागतें खर्च की जाती हैं और उसी को संबंधित खर्चों से घटा दिया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरुप, कंपनी के पास कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, जिसका विश्वसनीय रुप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं जो धन के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रुप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधान के रुप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद की जाती है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रुप में मान्यता दी जाती है यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है, यदि कोई हो।

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रुप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रुप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर की बात न हो। आकस्मिक देयताएँ प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं। इनकी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।

बोझिल अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। बोझिल अनुबंध तब माना जाता है जब कंपनी के पास ऐसा अनुबंध होता है जिसके तहत अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में कार्यात्मक मुद्रा हाजिर विनिमय दरों पर उस तिथि पर दर्ज किया जाता है, जिस तिथि को लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियाँ और देनदारियाँ उस तिथि पर प्रचलित कार्यात्मक मुद्रा हाजिर विनिमय दरों पर अंतरण की जाती हैं। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें यह उत्पन्न होता है, इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च 2016 तक मान्यता प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदें जिन्हें ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में प्राप्त या भुगतान किए गए अग्रिम प्रतिफल के मामले में, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या उसके भाग) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारित करने के उद्देश्य से लेनदेन की तिथि वह होती है, जब कंपनी अग्रिम प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर-मौद्रिक देयता को प्रारंभिक रूप से मान्यता देती है।

10. राजस्व

कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से ऊर्जा की बिक्री, पट्टे पर दी गई संपत्तियों से आय और अन्य आय से आता है। अन्य आय से प्राप्त राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से मिलने वाला ब्याज, म्यूचुअल फंड निवेश से मिलने वाला लाभांश, विलंबित भुगतानों के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्क्रैप की बिक्री, अन्य विविध आय आदि शामिल हैं।

10.1. ऊर्जा की बिक्री से राजस्व

भारत में कंपनी के अधिकांश परिचालन विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विनियमित हैं। तदनुसार, सीईआरसी समय-समय पर लागू टैरिफ विनियमों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर कंपनी के बिजली संयंत्रों के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। टैरिफ एक विशिष्ट बिजली संयंत्र के लिए किए गए पूंजीगत लागत पर आधारित है और इसमें मुख्य रूप से दो घटक शामिल हैं: क्षमता शुल्क यानी एक निश्चित शुल्क जिसमें मूल्यह्रास, इक्विटी पर रिटर्न, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, परिचालन और रखरखाव व्यय, ऋण पर ब्याज और ऊर्जा शुल्क यानी मुख्य रूप से ईंधन लागत पर आधारित एक परिवर्तनीय शुल्क शामिल है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की गणना सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर की जाती है (अनंतिम रूप में इंगित वस्तुओं को छोड़कर) जैसा कि लागू सीमा तक विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों द्वारा संशोधित किया गया है। उन बिजली स्टेशनों के मामले में जहां टैरिफ दरों को अभी मंज़ूरी दी जानी है / सीईआरसी द्वारा अपने आदेशों में अनंतिम रूप से इंगित की गई वस्तुएं हैं, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष जमा की गई वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं। ऊर्जा की बिक्री से राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब बिजली लाभार्थी को वितरित की जाती है और इसे उपयोग मीटरों की नियमित समीक्षा के माध्यम से मापा जाता है। लाभार्थियों को आवधिक और नियमित आधार पर बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऊर्जा की बिक्री से राजस्व में लाभार्थियों को वितरित की गई बिक्री के लिए एक प्रोद्भव शामिल होता है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया जाता है

प्रोत्साहन/निरुत्साहन का लेखा-जोखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मानदंडों के आधार पर भारतीय लेखा मानक 115 - 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। जिन बिजलीघरों में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है, वहां प्रोत्साहन/निरुत्साहन का लेखा-जोखा अनंतिम आधार पर किया जाता है।

ऊर्जा बिक्री से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा, जहां सीईआरसी टैरिफ विनियम लागू नहीं होते हैं, लाभार्थियों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत दरों, नियमों और शर्तों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से बिजली के व्यापार के आधार पर मान्यता दी जाती है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों के निपटान/स्थानांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर, जो लाभार्थियों से वसूली योग्य या बाद की अवधि में उन्हें देय होता है, को 'विनियामक आस्थगित खाता शेष' के रूप में हिसाब में लिया जाता है और ऐसे शेष को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिसमें वह लाभार्थियों को वसूली योग्य/देय हो जाता है।

31 मार्च 2016 तक मान्यता प्राप्त विदेशी मुद्रा उधार के अंतरण के कारण विनिमय अंतर, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय सीमा तक 'आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्ति' के रूप में हिसाब में लिया जाता है, जिसके अनुरूप 'विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव से आस्थगित आय' को क्रेडिट किया जाता है। विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव खाते से आस्थगित आय को उस अनुपात में परिशोधित किया जाता है जिसमें ऐसे विनिमय अंतरों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है और उसी को मूल्यह्रास व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य/उन्हें देय डेरिवेटिव के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों के संबंध में उचित मूल्य परिवर्तन, बिक्री में मान्यता प्राप्त हैं।

व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत दरों, नियमों एवं शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी जाने वाली छूट को राजस्व की राशि से काट लिया जाता है।

ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री के समय ही हिसाब में लिया जाता है।

प्रोत्साहन/निरुत्साहन/वसूली की पहचान केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर की जाती है।

10.2. अन्य आय

ब्याज आय को तब पहचाना जाता है, जब मापनीयता या संग्रहणीयता के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है, प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर पर विचार करते हुए समय अनुपात के आधार पर। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापे गए ऋण साधनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि के लिए ईआईआर का उपयोग करके ब्याज आय को पहचाना जाता है और लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है। खरीदी गई या उत्पन्न क्रेडिट-क्षतिग्रस्त (पीओसीआई) वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ब्याज आय को क्रेडिट-समायोजित ईआईआर की गणना करके और उस दर को परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर लागू करके पहचाना जाता है।

लाभ की हानि के लिए बीमा दावों का लेखा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। अन्य बीमा दावों का लेखा प्राप्ति की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

किराये और परिचालन पट्टों से प्राप्त राजस्व को प्रासंगिक समझौते के सार के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

ऊर्जा की बिक्री के लिए विलंबित भुगतान/अतिदेय व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज/अधिभार तब मान्यता प्राप्त होता है, जब मापनीयता या संग्रहणीयता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम पर वसूलनीय ब्याज/अधिभार तथा वारंटी दावों, जहां भी वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता हो, को उपार्जित नहीं माना जाता है, तथा इसलिए, उन्हें प्राप्ति/स्वीकृति पर हिसाब में लिया जाता है।

लाभांश आय को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभावना है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

11. कर्मचारी लाभ

11.1. परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत एक इकाई अलग-अलग संस्थाओं को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और उसके पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रीपेड अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी उपलब्ध होती है। परिभाषित अंशदान योजना में योगदान जो उस अवधि के अंत के 12 महीने से अधिक समय बाद देय होते हैं, जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

11.2. परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) , सेवानिवृत्ति पर विदाई उपहार, और भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता की सीमा तक भविष्य निधि योजना के प्रति कंपनी की देयता परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग की जाती है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाया जाता है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। किसी भी योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियाँ कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब होती हैं और जो उसी मुद्रा में अंकित होती हैं जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

एक्चुरियल गणना एक योग्य एक्चुअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके प्रतिवर्ष की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य की वापसी या योजना में भविष्य के योगदान में कटौती के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। कंपनी को एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्मापन में एक्चुरियल लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (शुद्ध परिभाषित देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) और परिसंपत्ति सीलिंग का प्रभाव (शुद्ध परिभाषित देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) शामिल हैं और उन्हें उस अवधि में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

पिछली सेवा लागतों को लाभ और हानि के विवरण में योजना संशोधन या कटौती की तिथि और कंपनी द्वारा संबंधित पुनर्गठन लागतों को मान्यता देने की तिथि में से जो भी पहले हो, मान्यता दी जाती है। यदि कोई योजना संशोधन, कटौती या निपटान होता है, तो पुनर्मापन के बाद की अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज का निर्धारण पुनर्मापन के लिए उपयोग की गई मान्यताओं का उपयोग करके किया जाता है।

11.3. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी की अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं।

इन दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग की जाती है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाया जाता है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी भी संबंधित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियाँ कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

एक्चुरियल गणना एक योग्य एक्चुअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके प्रतिवर्ष की जाती है। पुनर्मापन में एक्चुरियल लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध परिभाषित देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) और परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव (शुद्ध परिभाषित देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) शामिल है और उन्हें उस अवधि में लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को बैलेंस शीट में चालू देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद हो।

11.4. अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है तथा संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर व्यय किया जाता है।

निष्पादन संबंधी वेतन के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

12. अन्य व्यय

प्रशिक्षण एवं भर्ती पर व्यय को उस वर्ष के लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

व्यवहार्यता रिपोर्ट/तकनीकी आर्थिक मंजूरी के अनुमोदन से पहले नई परियोजनाओं के कारण किए गए प्रारंभिक व्यय को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

शुद्ध पूर्व-कमीशनिंग आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों और प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

13. आयकर

आयकर व्यय में चालू और स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह सीधे ओसीई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे क्रमशः ओसीआई या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

चालू कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है, जिसकी गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन का उपयोग करके की जाती है।

आस्थगित कर को बैलेंस शीट विधि का उपयोग करके पहचाना जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर, अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ तब ऑफसेट होती हैं, जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होते हैं।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब वह सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, ऐसी स्थिति में इसे क्रमशः ओसीआई या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देयता को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय तब जब आस्थगित कर देयता किसी ऐसे लेनदेन में सद्भावना या परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती है जो व्यवसाय संयोजन नहीं है और, लेनदेन के समय, (i) न तो लेखांकन को प्रभावित करता है और न ही कर योग्य लाभ या हानि को और (ii) समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों को जन्म नहीं देता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उन्हें इस सीमा तक घटाया जाता है कि यह अब संभव नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिससे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के सभी या भाग का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के विरुद्ध सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को बैलेंस शीट में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में तब पहचाना जाता है जब परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

जब आयकर उपचार के संबंध में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करेगा। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि कर प्राधिकरण अनिश्चित कर निरुपण को स्वीकार करने की संभावना नहीं रखता है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव को मान्यता दी जाती है। अनिश्चितता के प्रभाव को उस विधि का उपयोग करके पहचाना जाता है जो प्रत्येक मामले में अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम रुप से प्रतिबिंबित करती है: सबसे संभावित परिणाम या अपेक्षित मूल्य। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर निरुपण पर अलग से विचार किया जाए, या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर निरुपण के साथ संयोजन में, उस दृष्टिकोण के आधार पर जो अनिश्चितता के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त हो।

14. पट्टें

कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध के आरंभ में अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले में किसी समयावधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा होता है या उसमें पट्टा होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (1) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (2) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं और (3) कंपनी के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी उन सभी लीज़ व्यवस्थाओं के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और उसके अनुरुप लीज़ देयता को मान्यता देती है, जिनमें वह पट्टेदार है, बारह महीने या उससे कम अवधि वाले लीज़ (अल्पकालिक लीज़) और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए लीज़ को छोड़कर। इन अल्पावधि और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए लीज़ के लिए, कंपनी लीज़ भुगतान को लीज़ की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

कुछ लीज़ व्यवस्थाओं में लीज़ अवधि समाप्त होने से पहले लीज़ को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल होते हैं। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों और लीज़ देनदारियों में ये विकल्प तब शामिल होते हैं जब यह यथोचित रुप से निश्चित हो कि लीज़ को बढ़ाने का विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा/लीज़ को समाप्त करने का विकल्प इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों (भूमि और इमारतों के अलावा) को शुरु में लागत पर पहचाना जाता है, जिसमें लीज़ देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, जिसे लीज़ की आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज़ भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में से किसी भी लीज़ प्रोत्साहन को घटाया जाता है। बाद में उन्हें लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानि हानि को घटाकर मापा जाता है और लीज़ देयताओं के

किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का मूल्यह्रास/परिशोधन आरंभ तिथि से लेकर अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक अंतर्निहित संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों की लागत दर्शाती है कि खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का मूल्यह्रास/परिशोधन आरंभ तिथि से लेकर अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का मूल्यांकन वसूली के लिए तब किया जाता है जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (यानी निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य को घटाकर उचित मूल्य में से जो अधिक हो) को व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य संपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हों। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि उस नकदी उत्पादक इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे संपत्ति संबंधित है।

लीज़ देयता को शुरू में भविष्य के लीज़ भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। वर्तमान मूल्य की गणना करते समय, लीज़ भुगतानों को लीज़ में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में बदलाव करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगी, तो लीज़ देयताओं को संबंधित उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है।

15. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि भारतीय लेखा मानक 36 - 'परिसंपत्तियों की हानि' के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, जिन परिसंपत्तियों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है, उन्हें परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ रखा जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों ('नकदी पैदा करने वाली इकाई', या "सीजीयू") के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं।

यदि किसी परिसंपत्ति या उसके सीजीयू की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि हानि को मान्यता दी जाती है। हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। सीजीयू के संबंध में मान्यता प्राप्त हानि हानि को सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि से घटाया जाता है।

पिछली अवधियों में पहचाने गए हानि नुकसान का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी भी संकेत के लिए किया जाता है कि नुकसान कम हो गया है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई बदलाव हुआ है, तो हानि नुकसान को उलट दिया जाता है। हानि नुकसान को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है जब परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक नहीं होती है जो संचित मूल्यह्रास या परिशोधन के शुद्ध मूल्य से निर्धारित होती, यदि कोई हानि नुकसान नहीं पहचाना गया होता।

16. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

17. महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताकर ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनः बता दिया जाता है।

18. वित्तीय साधन

वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है। कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को तभी मान्यता देती है जब वह साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है।

18.1. वित्तीय पूंजी

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, सिवाय व्यापार प्राप्तियों के जिन्हें शुरु में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत, जिनका लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं।

अनुवर्ती माप

परिशोधन लागत पर लिखत ऋण

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो 'ऋण साधन' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना होता है, तथा

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम पर विचार करके की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य)

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

(क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है,

(ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधन को शुरु में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, हानि हानि और प्रतिवर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रुप में रिपोर्ट किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर ऋण साधन (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी ऐसे ऋण साधन को वर्गीकृत करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है, जैसा कि एफवीटीपीएल में है। हालाँकि, ऐसा चुनाव केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) । एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। ऐसे निवेशों पर ब्याज आय को 'अन्य आय' के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

व्यवसाय मॉडल मूल्यांकन

कंपनी के पास वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं जो उसके सामान्य व्यवसाय और निवेश संपत्ति से उत्पन्न होती हैं। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य कंपनी की प्राप्तियों से देय राशि एकत्र करना और एकत्र की गई राशि पर संविदात्मक ब्याज आय अर्जित करना है।

इक्विटी साधनों में निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं में सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापा जाता है। ट्रेडिंग के लिए रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कंपनी उन्हें एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है। कंपनी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर इस तरह का चुनाव करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को एफवीटीओसीआई के अनुसार वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो इंस्ट्रूमेंट पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, ओसीआई में मान्यता प्राप्त होते हैं। निवेश की बिक्री/निपटान पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में राशियों का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी निवेश की बिक्री/निपटान पर इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को 'अन्य आय' के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी निवेश को लागत में से हानि घटाकर, यदि कोई हो, हिसाब में लिया जाता है।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश के वहन मूल्य की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हानि का कोई संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो निवेश की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि अग्रणीत राशि से कम है, तो हानि की क्षति को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से तब अमान्य घोषित किया जाता है (अर्थात कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब:

· परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या

· कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या किसी तीसरे पक्ष को 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत बिना किसी भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

ग्रणीत राशि और प्राप्त/प्राप्ति योग्य प्रतिफल की राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी उपकरणों के, जहां ऐसे अंतर ओसीआई में दर्ज किए जाते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखा मानक 109-'वित्तीय उपकरण' के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र पर हानि की मान्यता देता है :

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

(ख) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं।

(ग) भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

(घ) भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, बिल रहित राजस्व और अनुबंध परिसंपत्तियाँ।

(ङ) ऋण प्रतिबद्धताएं जिन्हें एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

(च) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों/बिना बिल वाले राजस्व के लिए, कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय साधनों द्वारा अपेक्षित सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके अनुसार प्रारंभिक मान्यता से आजीवन अपेक्षित घाटे को मान्यता दी जानी आवश्यक है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिम (खरीदी गई या उत्पन्न क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) पर हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि की भरपाई के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग

किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो इकाई 12 महीने की ईसीएल के आधार पर हानि की छूट को पहचानने के लिए वापस आ जाती है।

खरीदी गई या उत्पन्न ऋण क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रारंभिक मान्यता के बाद से आजीवन अपेक्षित ऋण हानि में संचयी परिवर्तनों के लिए हानि भत्ता मान्यता प्राप्त है।

18.2. वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को, प्रारंभिक मान्यता के समय, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों तथा परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियों के रूप में, उचित रूप से वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देनदारियों को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा देनदारियों के मामले में बाद में सीधे देय लेनदेन लागत के शुद्ध परिशोधन लागत पर मापा जाता है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार, वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्व

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार, व्यापार देयताओं और अन्य संविदात्मक देनदारियों पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग साधन के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखा मानक 109 में मानदंड संतुष्ट हों। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के लिए, स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभों/हानि को बाद में लाभ और हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालाँकि, कंपनी निपटान पर इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देयता को नामित नहीं किया है।

मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता समाप्त करने और नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

18.3. ब्याज दर मानक सुधार

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के संविदात्मक नकदी प्रवाह को निर्धारित करने का आधार, जिसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है, ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप बदल जाता है, तो कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रभावी ब्याज दर को सुधार द्वारा आवश्यक परिवर्तन को दर्शाने के लिए अपडेट किया। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार द्वारा संविदात्मक नकदी प्रवाह को निर्धारित करने के आधार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

– सुधार के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में परिवर्तन आवश्यक है; तथा

– संविदागत नकदी प्रवाह को निर्धारित करने का नया आधार आर्थिक रुप से पिछले आधार के समतुल्य है - अर्थात परिवर्तन से तुरंत पहले का आधार।

जब ब्याज दर बेंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित संविदात्मक नकदी प्रवाह निर्धारित करने के आधार में परिवर्तन के अलावा किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता में परिवर्तन किए गए थे, तो कंपनी सबसे पहले वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रभावी ब्याज दर को ब्याज दर बेंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित परिवर्तन को दर्शाने के लिए अद्यतन करती है और लाभ और हानि विवरण में संशोधन लाभ या हानि को मान्यता नहीं देती है। उसके बाद, कंपनी अतिरिक्त परिवर्तनों में संशोधनों के लिए लेखांकन पर नीतियों को लागू करती है।

18.4. व्युत्पन्न वित्तीय साधन

प्रारंभिक मान्यता और तत्पश्चात मापन

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और विदेशी मुद्रा ऋणों के ब्याज दर जोखिमों को कम करने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों, जैसे कि फॉरवर्ड करेंसी अनुबंध और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। ऐसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को शुरु में उस तिथि पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तो व्युत्पन्नों को वित्तीय परिसंपत्तियों के रुप में और जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है तो वित्तीय देनदारियों के रुप में रखा जाता है। व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में लिया जाता है।

18.5. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का समायोजन

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों को वसूलने और देयताओं को एक साथ निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है।

19. बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को बिक्री के लिए रखे गए के रुप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रुप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है।

प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसके लिए वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रुप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, और बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री और निपटान समूहों के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों को उनकी अग्रणीत राशि और उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो भी कम हो, उसके आधार पर मापा जाता है।

एक बार बिक्री के लिए वर्गीकृत की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति का कोई आइटम स्थायी रुप से त्याग दिया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटा दिया जाता है, हालाँकि ऊपर बताए गए 'बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों' के मानदंड पूरे नहीं होते हैं, ऐसी वस्तुओं को बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं के रुप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और उनके संशोधित उपयोगी जीवन के दौरान मूल्यह्रास जारी रहता है, जैसा कि मूल्यांकन किया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों का इस महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

D. अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व व्यय और संबंधित मदों के साथ-साथ बैलेंस शीट की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है:

1. लेखांकन नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में लेन-देन, अन्य घटनाओं और उन स्थितियों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल हो, जिन पर वे लागू होती हैं। जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो, तो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है।

2. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित होता है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल होता है।

विद्युत उत्पादन व्यवसाय (जहां टैरिफ विनियमित है) की परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि, विशेष रुप से अपेक्षित बाजार परिदृश्य तथा बिजली संयंत्रों से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

4. परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरें शामिल हैं, साथ ही छूट दरों, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर में भविष्य के विकास से संबंधित मान्यताएँ भी शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की गई मान्यताएँ उचित और प्रलेखित हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में कोई भी बदलाव परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

5. राजस्व

कंपनी भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों द्वारा संशोधित सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व दर्ज करती है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी मंज़ूरी दी जानी है, वहां लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं।

6. पट्टे कानूनी रुप में नहीं हैं

भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार लीज़ अकाउंटिंग नियमों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी व्यवस्था में लीज़ शामिल है या नहीं। कंपनी द्वारा की गई व्यवस्थाओं का आकलन करते समय, प्रबंधन ने अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार, कानूनी रुप से लागू करने योग्य समझौतों सहित लेन-देन के सार और व्यवस्थाओं की अन्य महत्वपूर्ण शर्तों का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार मानदंडों को पूरा करती है या नहीं।

7. बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ

भारतीय लेखा मानक 105 - 'बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियां और बंद किए गए परिचालन' के तहत बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय लिया है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से।

8. विनियामक आस्थगन खाता शेष

विनियामक आस्थगन खाता शेष की पहचान में भविष्य के टैरिफ विनियमनों सहित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य/देय होने वाली अपेक्षित राशि के अनुमान पर आधारित हैं।

9. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन भारतीय लेखा मानक 37-'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए संभावित नुकसान के जोखिम की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है। अप्रत्याशित घटनाओं के बाद यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

10. आयकर

वर्तमान और आस्थगित कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल होते हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली अपेक्षित राशि भी शामिल होती है।

नोट संख्या 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2024 तक

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				'नेट ब्लॉक'	
	1 अप्रैल 2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक
भूमि										
(ड) फ्री होल्ड	2,600.25	89.32	(20.85)	**2,668.73**	-	-	-	**-**	2,600.25	**2,668.73**
(ड) पट्टाधारिता	8,807.13	-	0.00	**8,807.13**	3,404.14	217.61	0.00	**3,621.75**	5,402.99	**5,185.39**
सड़कें, पुल, पुलिया और हेलीपैड	8,540.47	810.40	14.21	**9,365.07**	2,858.96	288.69	11.98	**3,159.63**	5,681.51	**6,205.44**
बिल्डिंग-फ्रीहोल्ड		-	-	**-**		-	-	**-**	-	**-**
(ड) मुख्य संयंत्र	1,77,661.96	1,536.92	(34,330.55)	**1,44,868.33**	51,932.20	4,407.39	(15,919.21)	**40,420.38**	1,25,729.76	**1,04,447.94**
(ड) अन्य		3,529.40	27,209.95	**30,739.35**		972.64	10,430.98	**11,403.62**	-	**19,335.73**
(ड) उपयोग का अधिकार (लीजहोल्ड)	249.65	1,032.96	(129.11)	**1,153.50**	65.46	321.45	(88.66)	**298.24**	184.19	**855.26**
अस्थायी निर्माण	-	20.67	4,340.98	**4,361.66**		22.48	4,329.90	**4,352.39**	-	**9.27**
जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज	-	319.10	2,739.90	**3,058.99**		108.37	1,106.55	**1,214.92**	-	**1,844.08**
रेलवे साइडिंग	-	-	10.65	**10.65**		0.09	9.02	**9.11**	-	**1.54**
हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, सुरंग और पावर चैनल		59,676.61	9,71,878.80	**10,31,555.41**		47,752.99	2,39,465.41	**2,87,218.40**	-	**7,44,337.01**
संयंत्र और उपकरण	16,35,686.92	65,039.15	(9,81,960.09)	**7,18,765.98**	5,38,798.41	28,845.88	(2,45,968.82)	**3,21,675.47**	10,96,888.51	**3,97,090.51**
फर्नीचर और फिक्सचर	1,877.39	1,176.23	(298.26)	**2,755.36**	1,181.15	161.74	(256.75)	**1,086.14**	696.24	**1,669.23**
वाहन		-	-	**-**		-	-	**-**	-	**-**
(ड) स्वामित्व	795.56	0.24	(32.16)	**763.63**	515.12	33.62	(28.92)	**519.82**	280.44	**243.82**
(ड) उपयोग का अधिकार	1,586.92	767.81	(371.56)	**1,983.17**	766.52	581.84	(387.49)	**960.87**	820.40	**1,022.30**
कार्यालय उपकरण	7,408.69	288.14	(6,308.31)	**1,388.51**	5,010.30	88.65	(4,301.51)	**797.44**	2,398.39	**591.08**
ईडीपी, डब्ल्यूपी मशीनें और सैटकॉम उपकरण	-	459.77	2,750.43	**3,210.20**		262.20	2,415.57	**2,677.77**	-	**532.43**
निर्माण उपकरण	6,987.45	235.33	(347.47)	**6,875.31**	2,987.81	258.50	(55.87)	**3,190.44**	3,999.64	**3,684.87**
विद्युत अधिष्ठापन	2,020.44	705.65	10,852.04	**13,578.13**	1,208.45	635.52	6,403.62	**8,247.59**	811.99	**5,330.54**
संचार उपकरण	-	28.67	444.76	**473.43**		11.35	320.52	**331.86**	-	**141.57**
अस्पताल उपकरण	-	7.50	70.31	**77.81**		5.94	22.22	**28.16**	-	**49.65**
प्रयोगशाला और कार्यशाला उपकरण		54.08	177.29	**231.38**		8.04	52.52	**60.56**	-	**170.82**
अन्य उपकरण	216.44	214.83	1,076.49	**1,507.77**	162.20	80.02	514.81	**757.03**	54.24	**750.73**
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियाँ		7.68	375.18	**382.86**		21.61	360.84	**382.45**	-	**0.41**
कुल	**18,54,439.27**	**1,36,000.45**	**(1,857.36)**	**19,88,582.36**	**6,08,890.72**	**85,086.61**	**(1,563.30)**	**6,92,414.04**	**12,45,548.55**	**12,96,168.32**
प्रावधान हेतु समायोजन	**(3,043.06)**			**(3,043.06)**					**(3,043.06)**	**(3,043.06)**
शुद्ध योग	**18,51,396.21**	**1,36,000.45**	**(1,857.36)**	**19,85,539.30**	**6,08,890.72**	**85,086.61**	**(1,563.30)**	**6,92,414.04**	**12,42,505.49**	**12,93,125.26**

31 मार्च 2023 तक

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				'नेट ब्लॉक'	
	1 अप्रैल 2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक
भूमि										
फ्री होल्ड	2,600.25	-	-	**2,600.25**	-	-	-	**-**	2,600.25	**2,600.25**
पट्टाधारिता	8,807.13	-	-	**8,807.13**	3,186.53	217.61	-	**3,404.14**	5,620.60	**5,402.99**
सड़कें, पुल, पुलिया और हेलीपैड	7,422.09	1,118.43	(0.05)	**8,540.47**	2,615.39	243.54	0.03	**2,858.96**	4,806.70	**5,681.51**
बिल्डिंग-फ्रीहोल्ड										
मुख्य संयंत्र	1,74,676.26	2,775.34	210.36	**1,77,661.96**	46,662.47	5,381.81	(112.07)	**51,932.21**	1,28,013.79	**1,25,729.75**
अन्य	-			**-**				**-**	-	**-**
उपयोग का अधिकार(लीजहोल्ड)	250.37	232.53	(233.25)	**249.65**	77.44	96.28	(108.27)	**65.45**	172.93	**184.20**
अस्थायी निर्माण				**-**				**-**	-	**-**
जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज				**-**				**-**	-	**-**
रेलवे साइडिंग				**-**				**-**	-	**-**
हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, सुरंग और पावर चैनल				**-**				**-**	-	**-**
संयंत्र और उपकरण	16,07,884.61	26,916.16	886.15	**16,35,686.92**	4,64,111.10	75,471.15	(783.84)	**5,38,798.41**	11,43,773.51	**10,96,888.51**
फर्नीचर और फिक्सचर	1,788.89	158.75	(70.25)	**1,877.39**	1,180.98	60.17	(60.00)	**1,181.15**	607.91	**696.24**
वाहन				**-**				**-**	-	**-**
स्वामित्व	774.60	24.98	(4.03)	**795.55**	484.79	33.98	(3.65)	**515.12**	289.81	**280.43**
उपयोग का अधिकार	1,698.98	573.02	(685.08)	**1,586.92**	932.54	515.75	(681.77)	**766.52**	766.44	**820.40**
कार्यालय उपकरण	7,236.70	532.89	(360.90)	**7,408.69**	4,853.56	453.74	(297.00)	**5,010.30**	2,383.14	**2,398.39**
ईडीपी, डब्ल्यूपी मशीनें और सैटकॉम उपकरण				**-**				**-**	-	**-**
निर्माण उपकरण	6,396.87	722.31	(131.73)	**6,987.45**	2,790.16	281.63	(83.98)	**2,987.81**	3,606.71	**3,999.64**
विद्युत अधिष्ठापन	1,891.80	129.47	(0.83)	**2,020.44**	1,153.25	55.97	(0.77)	**1,208.45**	738.55	**811.99**
संचार उपकरण				**-**				**-**	-	**-**
अस्पताल उपकरण				**-**				**-**	-	**-**
प्रयोगशाला और कार्यशाला उपकरण				**-**				**-**	-	**-**
अन्य उपकरण	213.75	25.88	(23.19)	**216.44**	167.73	16.88	(22.41)	**162.20**	46.02	**54.24**
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियाँ				**-**				**-**	-	**-**
कुल	**18,21,642.30**	**33,209.76**	**(412.80)**	**18,54,439.26**	**5,28,215.94**	**82,828.51**	**(2,153.73)**	**6,08,890.72**	**12,93,426.36**	**12,45,548.54**
प्रावधान हेतु समायोजन	**(3,043.06)**			**(3,043.06)**				**-**	**(3,043.06)**	**(3,043.06)**
शुद्ध योग	**18,18,599.24**	**33,209.76**	**(412.80)**	**18,51,396.20**	**5,28,215.94**	**82,828.51**	**(2,153.73)**	**6,08,890.72**	**12,90,383.30**	**12,42,505.48**

2(i) निर्माण और ओ एंड एम परियोजनाओं की वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों को प्रतिभूतिकृत, प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड जुटाने के लिए बंधक रखा जाता है चौदहवें से बाईसवें निर्गम का मूल्य 267000 लाख रुपये आरओ 100394348 सी के साथ प्रभार आईडी के साथ 50000.00 लाख रुपये के लिए, 100334035 ₹ 15000.00 लाख के लिए, 100151868 ₹ 50000.00 लाख के लिए, 10603635 ₹ 90000.00 लाख के लिए, 10555356 ₹ 12000.00 लाख के लिए, 10534076 ₹ 50000.00 लाख के लिए। ₹ 359800 लाख की राशि का सुरक्षित मध्यम और दीर्घकालिक ऋण। अरुणाचल प्रदेश में पारे जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

2(ii) भूमि मुआवजे में वृद्धि के संबंध में 58 भूस्वामियों (176 दावों में से 118 दावों का निपटारा किया गया) द्वारा किए गए दावे के कारण मुकदमेबाजी के तहत 45268 लाख रुपए मूल्य की कोपिली चरण-II के लिए अधिग्रहीत 18319 हेक्टेयर भूमि और मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) , पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय के समक्ष लंबित है।

2(iii) निर्माण परियोजनाओं से संबंधित ब्याज और वित्त प्रभार, ₹ 4236.46 लाख (तुलनात्मक अवधि ₹ 3093.82 लाख) आईईडीसी को हस्तांतरित किया गया है (संदर्भ नोट संख्या -34 बी) । विदेशी मुद्रा उधार रिपोर्टिंग तिथि पर अनहेज किए जाते हैं।

2(iv) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, 5.00 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के मानदंडों को पूरा करने वाले घटक और पुर्जों को पीपीई के रूप में पुस्तकों में मान्यता दी गई है।

2(v) कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों के बारे में प्रकटीकरण इस नोट के अनुलग्नक- I के रूप में प्रदान किया गया है।

2(vi) प्रचालनाधीन उत्पादन स्टेशनों के संबंध में विनिमय अंतर को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ समायोजित किया जाता है और उधार लेने की लागत को सीवीआईपी के प्रमुख शीर्षों और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में 'जोड़' या 'कटौती/समायोजन' कॉलम के माध्यम से निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में विनिमय अंतर शामिल है	पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में उधार लागत शामिल है	पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में विनिमय अंतर शामिल है	पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल उधार लागत
मुख्य संयंत्र भवन	22.40	-	322.36	-
हाइड्रोलिक कार्य, जलाशय, बांध, सुरंग	144.88	-	973.86	-
संयंत्र उपकरण	55.23	-	1,235.64	-
लंबित आवंटन सहित अन्य	-	4,236.46	-	3,093.82
कुल	**222.51**	**4,236.46**	**2,531.86**	**3,093.82**

2(vii) . संयंत्र एवं मशीनरी की शुद्ध वहन राशि में निम्नलिखित शामिल हैं: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय पट्टों के अंतर्गत धारित परिसंपत्तियाँ		
लागत	-	-
संचित मूल्यह्रास और हानि नुकसान	-	-
शुद्ध वहन राशि	-	-
स्वामित्व वाली संपत्तियां	12,91,247.70	12,90,088.57
शुद्ध वहन राशि	**12,91,247.70**	**12,90,088.57**

उपरोक्त पीपीई (स्वामित्व वाली संपत्ति) की शुद्ध राशि में भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार मान्यता प्राप्त "उपयोग करने का अधिकार (भवन और वाहन) " के तहत ₹ 1004.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 939.38 लाख) की संपत्ति शामिल नहीं है।

2(viii) . वर्ष के लिए सकल ब्लॉक और मूल्यह्रास से कटौती/समायोजन में शामिल हैं

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक समाप्त वर्ष के लिए		मूल्यह्रास समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परिसंपत्तियों का निपटान	(566.44)	(577.07)	(506.56)	(379.71)
परिसंपत्तियों की निवृत्ति	(57.97)	(685.82)	(48.48)	(513.36)
विनिमय अंतर के कारण लागत समायोजन	222.51	2531.86	-	-
पूर्वव्यापी प्रभाव से पूंजीकृत परिसंपत्तियां/अतिरिक्त पूंजीकरण को वापस लिखना	(837.34)	(645.09)	(511.12)	(375.07)
अन्य	(618.12)	(1036.67)	(497.14)	(885.59)
कुल	**(1857.36)**	**(412.79)**	**(1563.30)**	**(2153.73)**

संलग्नक-I

नोट 2 (v) के अनुलग्नक-I: 31 मार्च 2024 तक कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाखों में)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर का रिश्तेदार/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-फ्रीहोल्ड भूमि	**नीपको परियोजना - कोपी हाइड्रो पावर स्टेशन- चरण II के लिए पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि**	452.68	श्रीमती इबिल दखर एवं अन्य (याचिकाकर्ता न. 160)	नहीं	10.09.1984	यह भूमि 58 भूमि स्वामियों द्वारा भूमि मुआवजा बढ़ाने के लिए दायर किए गए दावे के कारण मुकदमेबाजी के अंतर्गत है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	**लाईत्कोर (मेघालय) में 1.88 एकड़ भूमि**	-	कृपया नीचे नोट देखें *	नहीं		

* लैटकोर (मेघालय) में स्थित 1.88 एकड़ भूमि नीपको के स्वामित्व में है।

नोट 2 (v) के लिए अनुबंध- I: 31 मार्च 2023 तक कंपनी के नाम पर अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख नहीं रखे गए

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाखों में)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर का रिश्तेदार/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-फ्रीहोल्ड भूमि	**नीपको परियोजना - कोपी हाइड्रो पावर स्टेशन- चरण II के लिए पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि**	452.68	श्रीमती इबिल दखर एवं अन्य (याचिकाकर्ता न. 160)	नहीं	10.09.1984	यह भूमि 58 भूमि स्वामियों द्वारा भूमि मुआवजा बढ़ाने के लिए दायर किए गए दावे के कारण मुकदमेबाजी के अंतर्गत है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-फ्रीहोल्ड भूमि	**तेजू (अरुणाचल प्रदेश) में 15633.50 वर्ग मीटर भूमि**	1.28		नहीं		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	**लाईत्कोर (मेघालय) में 1.88 एकड़ भूमि**	-	कृपया नीचे नोट देखें *	नहीं		

* लैटकोर (मेघालय) में स्थित 1.88 एकड़ भूमि नीपको के स्वामित्व में है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

नोट संख्या 3 सीडब्ल्यूआईपी का विवरण

31 मार्च 2024 तक

विवरण	1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	इस अवधि के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भूमि का विकास						
सड़कें, पुल, पुलिया और हेलीपैड	0.99	933.05	13.44	(475.48)	**472.00**	0.99
मुख्य संयंत्र भवन	393.65	96.42	(88.13)	(387.76)	**14.18**	393.65
अन्य इमारतें	424.69	1,247.32	47.07	(1,327.38)	**391.70**	424.69
सीडब्ल्यूआईपी-लीजहोल्ड बिल्डिंग	-	-	-	-	**-**	-
अस्थायी निर्माण	-	-	-	-	**-**	-
पानी की आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज	185.97	35.27	(92.80)	(117.23)	**11.21**	185.97
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	**-**	-
बांध, डाइक, जलाशय और अन्य हाइड्रोलिक कार्य	36,344.97	13,903.51	1,603.39	(47,084.59)	**4,767.28**	36,344.97
संयंत्र और मशीनरी	45,306.06	26,064.38	(2,708.59)	(43,251.94)	**25,409.91**	45,306.06
फर्नीचर और जुड़नार	-	-	-	-	**-**	-
अन्य कार्यालय उपकरण	-	726.77	-	(726.77)	**-**	-
ईडीपी डब्ल्यू सैटकॉम	-	-	-	-	**-**	-
निर्माण उपकरण	-	-	33.76	(33.76)	**-**	-
विद्युत स्थापना	77.53	421.77	(38.74)	(460.56)	**-**	77.53
संचार उपकरण	-	-	-	-	**-**	-
पूंजीगत व्यय कंपनी के स्वामित्व में नहीं	-	-	-	-	**-**	-
अन्य उपकरण	-	-	34.96	(26.22)	**8.74**	-
पाइलिंग और फाउंडेशन	-	-	-	-	**-**	-
अन्य सिविल कार्य	79.23	364.36	(79.22)	(114.80)	**249.57**	79.23
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	-	-	-	-	**-**	-
सर्वेक्षण & जांच	1,828.78	-	(386.15)	-	**1,442.63**	1,828.78
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	27,432.11	26,678.58	(599.96)	(20,941.97)	**32,568.76**	27,432.11
	1,12,073.98	**70,471.43**	**(2,260.97)**	**(1,14,948.46)**	**65,335.98**	**1,12,073.98**
सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान [नोट 3 (वी) देखें]	1,709.50	-	(685.05)	-	**1,024.45**	1,709.50
निर्माण भंडार	3,829.96	826.14	(1,754.73)	(730.41)	**2,170.96**	3,829.96
कुल	**1,14,194.44**	**71,297.57**	**(3,330.65)**	**(1,15,678.87)**	**66,482.49**	**1,14,194.44**

3(i) सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2024 तक				
	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं	50,788.68	13030.46	739.33	1,924.02	**66,482.49**
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

3(ii) सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2023 तक				
	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं	63,078.32	40,056.01	7,964.75	3,095.36	**1,14,194.44**
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

3(iii) . सीडब्ल्यूआईपी समापन समय-सीमा - जिसका समापन विलंबित हो चुका है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31मार्च 2024 तक			
	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिरत परियोजनाएं/परिसंपत्तियां: *				
परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3(iv) : सीडब्ल्यूआईपी समापन समय-सीमा - जिसका समापन विलंबित हो चुका है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31मार्च 2023 तक			
	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिरत परियोजनाएं/परिसंपत्तियां: *				
परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वाणिज्यिक प्रचालन में विद्युत संयंत्रों के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अंतर्गत परिसंपत्तियां

3(v) : बट्टे खाते में डालने का प्रावधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
भवन (मुख्यालय)	0.27	0.27
बिल्डिंग (तुईरियल एचईपी)	-	-
जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी (तुईरियल एचईपी)	-	-
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (तिपाईमुख एचईपी)	-	-
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण		
तिमाईमुख एचईपी	-	-
सिअंग एचईपी	246.45	246.45
सलिम एचईपी	-	-
तुईवाई एचईपी	-	-
गारो हिल्स थर्मल परियोजना	-	90.47
मार्गेरिटा एचईपी	-	-
रोखिया और बारामुरा जीटी पावर प्लांट		-
गुमती एचईपी	-	-
डब्ल्यूके हिल्स एचईपी		-
लेह और कारगिल एचईपी	44.95	44.94
केएचईपी	17.33	17.33
किलिंग एचईपी	-	69.67
बंडू एचईपी	-	-
रंगित एचईपी		-
सौर ऊर्जा		
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय		
तिपाईमुख एचईपी	-	-
बीचोम बेसिन	253.53	253.52
किलिंग एचईपी		524.93
सिअंग एचईपी	461.92	461.92
कुल	**1,024.45**	**1,709.50**

नोट संख्या 4 अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वहन योग्य राशि :		
सॉफ़्टवेयर	528.88	951.87
उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	7,504.43	7,712.77
कुल	**8,033.31**	**8,664.64**

31 मार्च 2024 तक (₹ लाख में)

विवरण	सॉफ़्टवेयर	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	कुल
1 अप्रैल 2023 तक सकल ब्लॉक	2,418.60	8,386.87	10,805.47
परिवर्धन	86.13	-	86.13
अवधि के लिए समायोजन	(4.86)	-	(4.86)
31 मार्च 2024 तक सकल ब्लॉक	**2,499.87**	**8,386.87**	**10,886.74**
1 अप्रैल, 2023 तक संचित हानि			
अवधि के लिए शुल्क			
31 मार्च 2024 तक संचित हानि			
1 अप्रैल, 2023 तक संचित परिशोधन	1,466.73	674.10	2,140.83
अवधि के लिए शुल्क	509.12	208.34	717.46
अवधि के लिए समायोजन	(4.86)	-	(4.86)
31 मार्च 2024 तक संचित परिशोधन	**1,970.99**	**882.44**	**2,853.43**
31 मार्च 2024 तक कुल संचित परिशोधन और हानि	**1,970.99**	**882.44**	**2,853.43**
31 मार्च, 2024 तक नेट ब्लॉक	**528.88**	**7,504.43**	**8,033.31**

31 मार्च 2023 तक (₹ लाख में)

विवरण	सॉफ़्टवेयर	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	कुल
1 अप्रैल 2022 तक सकल ब्लॉक	2,132.79	8,386.87	10,519.66
परिवर्धन	326.88	-	326.88
अवधि के लिए समायोजन	(41.07)	-	(41.07)
31 मार्च 2023 तक सकल ब्लॉक	**2,418.60**	**8,386.87**	**10,805.47**
1 अप्रैल, 2022 तक संचित हानि			
अवधि के लिए शुल्क			
31 मार्च 2023 तक संचित हानि			
1 अप्रैल, 2022 तक संचित परिशोधन	872.84	465.76	1,338.60
अवधि के लिए शुल्क	636.95	208.34	845.29
अवधि के लिए समायोजन	(43.06)	-	(43.06)
31 मार्च 2023 तक संचित परिशोधन	**1,466.73**	**674.10**	**2,140.83**
31 मार्च 2023 तक कुल संचित परिशोधन और हानि	**1,466.73**	**674.10**	**2,140.83**
31 मार्च, 2023 तक नेट ब्लॉक	**951.87**	**7,712.77**	**8,664.64**

4(i) परियोजनाओं (कामेंग जल विद्युत परियोजना, पारे जल विद्युत परियोजना और तुइरियल जल विद्युत परियोजना) की स्थापना के लिए कब्जे/उपयोग में लिए गए वन भूमि (5967.24 हेक्टेयर) के लिए मुआवजा भुगतान किया गया जिसे "उपयोग का अधिकार" माना जाएगा।

4(ii) सॉफ्टवेयर प्रणाली के रखरखाव पर होने वाले वार्षिक देय व्यय को राजस्व में शामिल किया जाता है।

4(iii) कंपनी के नाम पर न रखी गई लीजहोल्ड भूमि के संबंध में टाइटल विलेख/लीज विलेख/म्यूटेशन के बारे में प्रकटीकरण इस नोट के अनुलग्नक-I के रूप में प्रदान किया गया है।

नोट 4 (iii) का अनुलग्नक-I : 31 मार्च 2024 तक कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई लीजहोल्ड भूमि/भूमि उपयोग के अधिकार के संबंध में टाइटल विलेख/लीज विलेख/म्यूटेशन

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)
संपत्ति के मद का विवरण	5380 हेक्टेयर	552.24 हेक्टेयर	35.17हेक्टेयर
सकल वहन मूल्य (₹ लाखों में)	1933.25	5,389.40	1,064.23
के नाम पर स्वामित्व विलेख	मिजोरम सरकार	अरुणाचल प्रदेश सरकार	अरुणाचल प्रदेश सरकार
क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	नहीं	नहीं	नहीं
संपत्ति किस तारीख से धारित है	16.03.2000	मई'2005	नवम्बर'2009
कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण	वन भूमि	वन भूमि	वन भूमि

नोट 4 (iii) का अनुलग्नक-I : 31 मार्च 2023 तक कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई लीजहोल्ड भूमि/भूमि उपयोग के अधिकार के संबंध में टाइटल विलेख/लीज विलेख/म्यूटेशन

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)
संपत्ति के मद का विवरण	5380 हेक्टेयर	552.24 हेक्टेयर	35.17हेक्टेयर
सकल वहन मूल्य (₹ लाखों में)	1933.25	5,389.40	1,064.23
के नाम पर स्वामित्व विलेख	मिजोरम सरकार	अरुणाचल प्रदेश सरकार	अरुणाचल प्रदेश सरकार
क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	नहीं	नहीं	नहीं
संपत्ति किस तारीख से धारित है	16.03.2000	मई'2005	नवम्बर'2009
कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण	उपयोग का अधिकार मोड पर प्रदान की गई वन भूमि	उपयोग का अधिकार मोड पर प्रदान की गई वन भूमि	उपयोग का अधिकार मोड पर प्रदान की गई वन भूमि

नोट क्रमांक. 4ए विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रसंस्करण शुल्क सहित अग्रिम प्रीमियम	10,096.00	-		-	10,096.00	10,096.00
सॉफ़्टवेयर	-	71.15	-	42.83	28.32	-
	10,096.00	**71.15**	**-**	**42.83**	**10,124.32**	**10,096.00**
घटा कर : बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	10,000.00				10,000.00	10,000.00
कुल	**96.00**	**71.15**	**-**	**42.83**	**124.32**	**96.00**

ए. विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां का अपयोगिता निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 तक				
	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं	28.32	96.00		-	124.32
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

बी. विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां उपयोगिता निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2023 तक				
	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं	13.50		-	82.50	96.00
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

सी. संपूरित करने के समय-सीमा के तहत विकासशील अमूर्त संपत्ति - जिनका पूरा होना विलंबित हो चुका है या जिनकी लागत, मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 तक			
	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिशील परियोजनाएं	28.32	शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*नीपको में एसएपी ईआरपी कार्यान्वयनाधीन है

डी. संपूरित करने के समय-सीमा के तहत विकासशील अमूर्त संपत्ति - जिनका पूरा होना विलंबित हो चुका है या जिनकी लागत, मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2023 तक			
	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिशील परियोजनाएं	161.77	शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट संख्या 5 सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च' 2024 तक		31 मार्च' 2023 तक	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
उद्धृत निवेश				
कुल समग्र उद्धृत निवेश (क)				
गैर-उद्धृत निवेश (सभी पूर्ण भुगतान)				
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश				
- संयुक्त उद्यमों की - संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ				
- केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर (इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किया गया)	27930000	2,793.00	27930000	2793.00
कुल समेकित गैर-उद्धत निवेश (ख)	**27930000**	**2,793.00**	**27930000**	**2,793.00**
अन्य निवेश				
कुल अन्य निवेश (ग)	-	-	-	-
कुल निवेश (क) + (ख) + (ग)	**27930000**	**2,793.00**	**27930000**	**2,793.00**
घटा कर : निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि		2,793.00		2,793.00
- संयुक्त उद्यमों की - संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ				
कुल हानि मूल्य (घ)				
कुल निवेश वहन मूल्य (क) + (ख) + (ग) - (घ)	**27930000**	-	**27930000**	-

संयुक्त उद्यमों में निवेश

(i) गैर-उद्धृत निवेशों की वहन राशि और बाजार मूल्य निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

कंपनियों का नाम	स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2024	31.03.2023
केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर	30%	30%

विवरण	31 मार्च' 2024 तक	31 मार्च' 2023 तक
(क) गैर-उद्धृत		
अउद्धृत निवेशों की कुल वहन राशि	-	-
कुल वहन राशि	-	-

5(i) गैर-उद्धृत निवेशों की लागत उचित मूल्य के लगभग बराबर होती है, क्योंकि उचित मूल्य माप की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होती है और लागत उस सीमा के भीतर उचित मूल्य के अनुमान को दर्शाती है।

5(ii) केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर में निवेश:- अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना के लिए केएसके एनर्जी वेंचर्स और नीपको लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम।

नीपको संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और अवसरों की खोज कर रही है, जिसमें निवेश के लिए निगम (नीपको) के हितों की रक्षा के लिए कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति भी शामिल है।तथापि, कंपनी की अंतर-अनुशासनात्मक समिति द्वारा वर्तमान स्वरुप में इस परियोजना की वाणिज्यिक अव्यवहार्यता को देखते हुए, उक्त निवेश के लिए समतुल्य राशि का प्रावधान किया गया है।.

नोट संख्या 6 ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	40.02	28.19
- जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्रेडिट बिगड़ा हुआ		
कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
कुल	**40.02**	**28.19**

6(i) कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम में ब्याज सहित कंप्यूटर अग्रिम और ब्याज रहित फर्नीचर अग्रिम तथा बहुउद्देशीय अग्रिम शामिल हैं। कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम कर्मचारियों से 60 बराबर किस्तों में वसूला जाता है जबकि बहुउद्देशीय अग्रिम 12 किस्तों में वसूला जाता है।

6(ii) 31.03.2024 तक कंपनी के निदेशकों एवं अन्य संबंधित पक्षों पर कोई बकाया ऋण नहीं है (पिछले वर्ष शून्य) ।

" 6(iii) उपरोक्त ऋण एवं अग्रिम राशि निगम के मानदंडों के अनुसार वसूली योग्य आधार पर दी गई है।

नोट संख्या- 7 आस्थगित कर शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर देयता		
पुस्तक मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर		1,51,326.48
कम: आस्थगित कर संपत्ति		
अशोषित मूल्यह्रास [नोट 7 (i) देखें]		35,550.49
प्रावधानों		10,278.85
वैधानिक बकाया राशि		-
अवकाश नकदीकरण		5,728.29
मैट क्रेडिट पात्रता [नोट 7 (i) देखें]		
अन्य [नोट 7 (iii) देखें]		980.90
नेट डिफर टैक्स (एसेट) / लायबिलिटी		**98,787.95**

31.03.2024 तक स्थगित कर (₹ लाख में)

आस्थगित कर समाधान	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	पी.एल. पर प्रभाव
भारतीय लेखा मानक के अनुसार आस्थगित कर देयता	(1,69,320.94)	(1,51,326.48)	17,994.46
भारतीय लेखा मानक के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति	75,880.72	52,538.53	(23,342.19)
शुद्ध आस्थगित कर देयता	(93,440.22)	(98,787.95)	(5,347.73)
भारतीय लेखा मानक के अनुसार शुद्ध (देयता) / परिसंपत्ति	(93,440.22)	(98,787.95)	(5,347.73)
पी.एल. पर प्रभाव			**(5,347.73)**

31.03.2023 तक स्थगित कर (₹ लाख में)

आस्थगित कर समाधान	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	पी.एल. पर प्रभाव
भारतीय लेखा मानक के अनुसार आस्थगित कर देयता	(1,51,326.48)	(1,34,249.94)	17,076.54
भारतीय लेखा मानक के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति	52,538.53	57,616.14	5,077.61
शुद्ध आस्थगित कर देयता	(98,787.95)	(76,633.80)	22,154.15
भारतीय लेखा मानक के अनुसार शुद्ध (देयता) / परिसंपत्ति	(98,787.95)	(76,633.80)	22,154.15
पी.एल. पर प्रभाव			**22,154.15**

7 (i) : नीपको बिजली के उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में है। कंपनी के विभिन्न बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पन्न बिजली दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के तहत विभिन्न लाभार्थियों को बेची जाती है। उत्पादन स्टेशनों के लिए टैरिफ का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर लागत जमा आधार पर जारी सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुपालन में किया जाता है। नीपको के लाभार्थियों पर बिलिंग के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ के साथ-साथ भारत में प्रचलित बिजली बाजार और उत्पादन स्टेशनों के संयंत्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य के वर्षों में कंपनी को पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

इंडस्ट्रीज़ एएस 12 - आयकर के अनुपालन में, कंपनी ने "अअवशोषित मूल्यह्रास" के संबंध में 31.03.2024 को समाप्त वर्ष तक ₹ 34,141.68 लाख की राशि की आस्थगित कर संपत्ति (डीटीए) को मान्यता दी है, जिसमें ठोस सबूत हैं कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ इस तरह के डीटीए का एहसास किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1408.81 लाख के समायोजन पर, 31.03.2024 को "अनब्सोबेड डेप्रिसिएशन" के संबंध में डीटीए ₹ 34,141.68 लाख है। कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत आदेश/सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें आयकर अधिकारियों ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और दायर आयकर रिटर्न के बीच असंगति के कारण अतिरिक्त राशि जोड़ी है, जिसके परिणामस्वरुप कर निर्धारण वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः 7046 लाख रुपये (2462.15 लाख रुपये का डीटीए) और 2328 लाख रुपये (813.50 लाख रुपये का डीटीए) की अशोमित मूल्यह्रास में कमी आई है। हालांकि, कंपनी का दृढ़ मत है कि परिवर्धन केवल एसीसी पर किए गए थे

7(ii) : 31.03.2024 को कंपनी के लिए उपलब्ध मैट क्रेडिट की राशि ₹ 34,464.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 24525.30 लाख) है, जो धारा 115 JAA के तहत टैक्स क्रेडिट की गणना के अनुसार राशि है।

7(ii) : वर्ष के दौरान, कंपनी ने पहली बार, भविष्य में कंपनी के लिए उपलब्ध मैट क्रेडिट को 24525.30 लाख रुपये (31 मार्च 2023: शून्य) की लेखा पुस्तकों में मान्यता और शामिल किया है क्योंकि इससे भविष्य में आयकर देयता के खिलाफ समायोजन की उपलब्धता के रुप में भविष्य के आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। उपरोक्त में से, 18128.66 लाख रुपये (31 मार्च 2023: शून्य) की राशि को नियामक आस्थगित खाता शेष के माध्यम से लाभार्थियों को देय के रूप में मान्यता दी गई है।

7 (iii) : नोट नंबर 7 के तहत अन्य, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सोने का सिक्का देने के प्रावधान पर बनाई गई आस्थगित कर संपत्ति शामिल है।

7(iv) विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 48 देखें।

आस्थगित कर शेष में परिवर्तन

31 मार्च 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य	31 मार्च 2024 तक
आस्थगित कर देयता					
पुस्तक मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	1,51,326.48	17,994.46			1,69,320.94
कम: आस्थगित कर संपत्ति	-				
अवशोषित न किया हुआ मूल्यह्रास	35,550.49	(1,408.81)			34,141.68
प्रावधानों	10,278.85	(135.69)			**10,143.16**
वैधानिक बकाया राशि	(0.00)	126.31			**126.31**
अवकाश नकदीकरण	5,728.29	97.02			**5,825.31**
मैट क्रेडिट पात्रता	-	24,525.30			**24,525.30**
दूसरों	980.90	138.06			**1,118.96**
शुद्ध कर (संपत्ति) /	**98,787.95**	**(5,347.73)**	**-**	**-**	**93,440.22**

31 मार्च 2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर देयता					
पुस्तक मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	1,34,249.94	17,076.54	-	-	1,51,326.48
कम: आस्थगित कर संपत्ति	-			-	
अवशोषित न किया हुआ मूल्यह्रास	42,540.99	(6,990.50)	-	-	35,550.49
प्रावधानों	8,963.85	1,315.00	-	-	10,278.85
वैधानिक बकाया राशि	365.37	(365.37)	-	-	(0.00)
अवकाश नकदीकरण	4,841.55	886.74	-	-	5,728.29
मैट क्रेडिट पात्रता					
दूसरों	904.38	76.52			980.90
शुद्ध कर (संपत्ति) /	**76,633.80**	**22,154.15**	**-**	**-**	**98,787.95**

नोट संख्या -8 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पूंजी अग्रिम		
सुरक्षित:	-	-
असुरक्षित :	-	-
बैंक गारंटी द्वारा कवर [नोट 8 (i) देखें]	12,278.17	12,527.67
अन्य [नोट 8 (iii) देखें]	27,479.59	2,255.53
संदिग्ध माना जाता है	255.22	255.22
कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	255.22	255.22
कुल	39,757.76	14,783.20
दूसरों:		
	913.90	1,052.54
अग्रिम कर वापसी योग्य [नोट 8 (ii) देखें]	2,858.30	2,343.46
अग्रिम कर वापसी योग्य [नोट 8 (ii) देखें]	43,529.96	18,179.20
कुल		

8(i) पूंजीगत अग्रिमों में मोबिलाइजेशन एडवांस और परियोजनाओं के संबंध में एस्क्रो खाते में जमा माध्यस्थम अवार्ड के बदले अग्रिम शामिल हैं।

8(ii) कर निर्धारण वर्ष 2015-16, निर्धारण वर्ष 2016-17, निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित कर क्रमशः ₹ 439.85 लाख, ₹ 872.26 लाख और ₹ (1597.55) लाख हैं जिनके लिए प्रभाव देने वाले अपील आदेश आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित हैं। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वापसी योग्य कर की राशि ₹ 2628.90 आयकर अधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित है। निर्धारण वर्ष 2009-10, निर्धारण वर्ष 2011-12 से निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2021-22 से संबंधित कर वापसी की राशि क्रमशः 4.87 लाख रुपये, 3.13 लाख रुपये, 153.60 लाख रुपये और अन्य 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यांकन के अनुसार क्रमशः 333.48 लाख रुपये और 0.69 लाख रुपये हैं।

8(iii) अन्य में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को भूमि के लिए अग्रिम और अन्य अग्रिम शामिल हैं।

8(iv) 31.03.2024 को निदेशकों और अन्य संबंधित पक्षों को अग्रिम शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

नोट संख्या - 9 इन्वेंटरी (लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिचालन भंडार :		
स्टोर और स्पेयर्स	10,737.61	11,602.58
उपभोग्य वस्तुएं	815.67	411.85
अन्य	904.07	501.62
अप्रचलित/ स्क्रैप	812.73	822.77
कुल	**13,270.08**	**13,338.82**
कम : कमी के लिए प्रावधान		
अप्रचलित/अनुपयोगी वस्तुओं के लिए प्रावधान	812.73	822.77
कुल इन्वेंटरी	**12,457.35**	**12,516.05**
उपर्युक्त में शामिल है, पारगमन में माल		
स्टोर और स्पेयर्स	-	-
पारगमन में कुल माल	-	-

9(i) सुरक्षित, ₹ 20100.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 14500.00 लाख) का कार्यशील पूंजी मांग ऋण भंडार और पुर्जों के स्टॉक को बंधक रखने और निकासी की सीमा तक कंपनी के बही ऋण के खिलाफ आहरित किया गया था।

9(ii) कंपनी विनियामक परिवेश में परिचालन कर रही है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, ईंधन और अन्य इन्वेंट्री मदों की लागत वर्तमान टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूल की जाती है। तदनुसार, माल-सूची का वसूली योग्य मूल्य लागत से कम नहीं है। स्टोर और स्पेयर में मरम्मत और रखरखाव के लिए परिशोधन किए जाने के लिए ₹ 904.06 लाख (पिछले वर्ष ₹ 906.76 लाख) की सहायता में अनुदान के खिलाफ स्टोर शामिल हैं।

नोट संख्या - 10 व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अच्छे माने गए व्यापार प्राप्य - सुरक्षित		
अच्छे माने गए व्यापार प्राप्य - असुरक्षित	83,664.74	94,429.78
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है		
व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण		
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		
कुल	**83,664.74**	**94,429.78**

10(i) व्यापार प्राप्य व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में देय हैं।

10(ii) जहां किसी नियत तारीख पर विशेष रुप से सहमति नहीं हुई है, कंपनी द्वारा अनुमत सामान्य क्रेडिट अवधि सीईआरसी विनियमों/मार्गदर्शन के अनुपालन में है।

10(iii) जहां प्राप्य व्यापार का प्रावधान किया गया है, वहां ऐसे प्रावधान विवेक से तय किए जा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने के भीतर राशि वसूल करने की उम्मीद कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, उक्त प्राप्य व्यापार को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, जहां अगले बारह महीनों की अवधि के भीतर राशि की वसूली की कोई अपेक्षा नहीं है, वहां इसके लिए किए गए प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ उसे गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है। 10(iv) संबंधित पक्षों से प्राप्य राशि ₹ 4527.68 लाख है।

अवधि अनुसार व्यापार प्राप्य

31 मार्च 2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक							
	बिल रहित	देय नहीं (अर्थात, 45 दिन तक)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			>45 दिन से लेकर 6 महीने से कम	6 महीने से 01 वर्ष तक	01 वर्ष से 02 वर्ष	02 वर्ष से 03 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ= ख से ज
(क) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया है	41,639.19	20,052.17	6,966.97	(106.39)	(106.41)			68,445.53
(ख) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है								
(ग) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण								
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना गया है				2,189.74	2,660.28		10,369.19	15,219.21
(ङ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है								
(च) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण								
कुल	41,639.19	20,052.17	6,966.97	2,083.35	2,553.87	-	10,369.19	83,664.74

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023							
	बिल रहित	देय नहीं (अर्थात, 45 दिन तक)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			>45 दिन से लेकर 6 महीने से कम	6 महीने से 01 वर्ष तक	01 वर्ष से 02 वर्ष	02 वर्ष से 03 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
ए	**बी**	**सी**	**डी**	**ई**	**एफ**	**जी**	**एच**	**आई= बी टीओ एच**
(क) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया है	44,382.59	32,176.31	6,836.72	664.97	-	0.75		**84,061.34**
(ख) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है								
(ग) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण								
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना गया है							10,368.44	**10,368.44**
(ङ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है								
(च) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण								
कुल	**44,382.59**	**32,176.31**	**6,836.72**	**664.97**	**-**	**0.75**	**10,368.44**	**94,429.78**

10 (v) विवादित व्यापार प्राप्य पर नोट्स:

(क) विवादित व्यापार प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) प्रभावी कर दर के कारण प्रतिपूर्ति के दावे के विरुद्ध 431.94 लाख रुपए; (ii) 2015-16 से 2018-19 के लिए विदेशी विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) की प्रतिपूर्ति के दावे के खिलाफ 1399.45 लाख रुपये; (iii) 1000 करोड़ रुपए (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए टीजीबीपीएस के टैरिफ के निर्धारण से उत्पन्न बकाया बिलों के लिए 579978 लाख रुपए का भुगतान किया गया है; (iv) एसटीजी इकाई के सीओडी से पहले 2015-16 और 2016-17 के दौरान जीटीजी इकाई के बिलों के लिए 2737.27 लाख रुपये (v) सीईआरसी द्वारा 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2022 के लिए टीजीबीपीएस के वार्षिक निर्धारित शुल्क आदेश के संशोधन के निर्धारण से उत्पन्न बकाया बिलों के लिए 2663.72 लाख रुपये और (vi) 2015-16 से 2018-19 के लिए विदेशी विनिमय दर भिन्नता (एफईआरवी) की प्रतिपूर्ति के दावे के खिलाफ 2189.74 लाख रुपये।

(ख) टीएसईसीएल ने एपीटीईएल के समक्ष 1036844 लाख रुपए की राशि के उपर्युक्त बिलों के विरुद्ध अपील की है। इस याचिका को एपीटीईएल द्वारा लिया गया है और इसे अंतिम सूची में शामिल किया गया है जिसे अपनी बारी में सुनवाई के लिए लिया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों द्वारा इंगित किए गए पर्याप्त कानूनी/विनियामक आधार हैं जो यह अनुमान लगाते हैं कि टीएसईसीएल की याचिका को अस्वीकार कर दिया जाएगा और एपीटीईएल द्वारा नीपको के पक्ष में निर्णय दिया जाएगा।

(ग) नीपको ने टीपीए लागू करने के लिए विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) को मंजूरी दे दी है, और नीपको के अनुरोध के आधार पर, भारत सरकार ने भारत सरकार, आरबीआई और त्रिपुरा सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते के भुगतान सुरक्षा खंड के आह्वान के संबंध में त्रिपुरा सरकार पर ध्यान दिया है, जो भारत सरकार को टीएसईसीएल द्वारा नीपको को देय देय राशि को समाप्त करने के लिए आरबीआई के साथ रखे गए राज्य के खाते से निधि को हटाने में सक्षम बनाता है, जिसमें देयों पर विलंब भुगतान अधिभार शामिल है। हालांकि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 के आदेश के तहत, माननीय एपीटीईएल ने नीपको को निर्देश दिया है कि वह अपील के लंबित रहने के दौरान बकाया राशि के भुगतान के लिए टीएसईसीएल के खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई न करे और जिसके लिए टीपीए आह्वान की प्रक्रिया को मामले पर निर्णय तक स्थगित कर दिया गया है।

(घ) टीएसईसीएल ने 1036844 लाख रुपए के बिलों के संबंध में उपर्युक्त विवाद के न्यायालय से बाहर निपटान की पेशकश की है, जिसे नीपको द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रस्ताव में 50-50 के आधार पर विवादित राशि की हिस्सेदारी शामिल है।

(ङ) इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष में टीईएससीएल द्वारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर किया गया दावा 5547.46 लाख रुपये (3357.72 लाख रुपये और 2189.74 लाख रुपये) है। APTEL ने 2024 के अपने APL नंबर 39 और 2023 के IA No. 1809 दिनांक 29.01.2024 के तहत नीपको को अपील के लंबित रहने

के दौरान अपीलकर्ता के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था, इस शर्त पर कि TSECL 1 फरवरी 2024 से शुरु होने वाली आठ मासिक किस्तों में टैरिफ ब्लॉक 2019-24 के लिए नीपको को बकाया राशि का 50% भुगतान करता है। 31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए टीएसईसीएल ने नीपको को 694.01 लाख रुपये का भुगतान किया था और टीएसईसीएल द्वारा भुगतान की गई दो किश्तों के समायोजन के बाद विवाद के तहत वर्तमान दावा 4853.45 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, शेष 50% बकाया राशि की भी बाद में जांच की जाएगी जब अपील पर अंतिम रुप से सुनवाई होगी।

(च) उपर्युक्त पर विचार करते हुए, 1036844 लाख रुपए की विवादित व्यापार प्राप्य राशि को अच्छा माना गया है और चूंकि इसमें कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है, इसलिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, हम उम्मीद करते हैं कि मामले की सुनवाई चालू कैलेंडर वर्ष में की जाएगी और इसका निपटान किया जाएगा और तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर उपर्युक्त राशि की वसूली होने की उम्मीद है।

10 (vi) बिल न किए गए राजस्व पर टिप्पणियां- बिल न किए गए राजस्व के कारण देनदारों में निम्नलिखित शामिल हैं: निम्नलिखित में शामिल हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ऊर्जा की बिक्री (सामान्य)	17,709.74	26,476.88
ऊर्जा की बिक्री (उत्पादन की कमी)	19,245.69	-
ऊर्जा की बिक्री (व्यापार)	4,527.68	2,400.71
ऊर्जा की बिक्री (ओपन साइकिल)	34.50	-
एनईआरएलडीसी शुल्क और प्रभार	59.01	129.98
विलंबित भुगतान अधिभार	62.57	47.80
अन्य बकाया बिलिंग	-	15,327.22
कुल	41,639.19	44,382.59

व्यापार प्राप्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक जमा	94,429.78	48,776.49
जोड़ कर : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त लेकिन प्राप्त नहीं हुए शुद्ध राजस्व	(10,765.04)	45,653.29
जमा शेष	83,664.74	94,429.78

व्यापार प्राप्य का आगे विश्लेषण इस प्रकार किया गया है:

(₹ लाख में)

मार्च 31, 2024 तक	सकल ऋण जोखिम राशि	ऋण हानि के लिए भत्ता	शुद्ध ऋण जोखिम राशि
रकम अभी तक बकाया नहीं है	61,691.36	-	61,691.36
45 दिन से अधिक से लेकर छह माह तक	6,966.97	-	6,966.97
छह महीने से अधिक	15,006.41	-	15,006.41
कुल	**83,664.74**	**-**	**83,664.74**

(₹ लाख में)

मार्च 31, 2023 तक	सकल ऋण जोखिम राशि	ऋण हानि के लिए भत्ता	शुद्ध ऋण जोखिम राशि
रकम अभी तक बकाया नहीं है	76,558.90	-	76,558.90
45 दिन से अधिक से लेकर छह माह तक	6,836.72	-	6,836.72
छह महीने से अधिक	11,034.16	-	11,034.16
कुल	**94,429.78**	**-**	**94,429.78**

कंपनी 31 मार्च, 2024 तक ग्राहकों के संबंध में ऋण जोखिम के लिए अपना अधिकतम जोखिम ₹ 83,664.74 लाख (31 मार्च, 2023: ₹ 94,429.78 लाख) मानती है, जो ऋण हानियों के लिए भत्ते के बाद व्यापार प्राप्तियों का उचित मूल्य है। कंपनी का ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर विविध है और टीएसईसीएल (त्रिपुरा) , एमएसपीडीसीएल (मणिपुर) और पी एंड ई मिजोरम को छोड़कर, 31 मार्च 2024 तक कोई अन्य ग्राहक बकाया राशि के 10% से अधिक (अर्थात 45 दिन से अधिक) प्राप्य खातों में योगदान नहीं करता है।

व्यापार प्राप्य के संबंध में ऋण हानि हेतु भत्ते में परिवर्तन:

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2024 तक	मार्च 31, 2023 तक
अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ते का निर्धारण करने में, कंपनी ने मैट्रिक्स उपबंध के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ते की गणना करके एक व्यावहारिक उपाय का उपयोग किया है। मैट्रिक्स उपबंध ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को ध्यान में रखता है और इसे भविष्य की जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय प्राप्तियों की आयु और मैट्रिक्स उपबंध में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

नोट संख्या- 11 नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) बैंकों के पास शेष राशि		
बैंकों में अप्रतिबंधित शेष		
(i) चालू खाते में	239.49	1,460.60
(ii) जमा खाते में (मूल परपिक्वता 3 महीने से कम)		
(ख) पास मेंचेक, ड्राफ्ट		
(c) पास में नकदी		
(घ) अन्य **[नोट 11(i) देखें]**	0.61	0.74
बैलेंस शीट के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष	240.10	1,461.34
नकदी और बैंक बैलेंस के संबंध में प्रकटीकरण		
(क) बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि		
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि		
(i) चालू खाते में		
(ii) जमा खाते में		
कुल	**240.10**	**1,461.34**

11 (i) अन्य में डाक और राजस्व टिकट शामिल हैं

नोट संख्या -12 नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रतिबंधित धन [नोट 12(i) देखें]	276.46	291.50
कुल	**276.46**	**291.50**

12(i) प्रतिबंधित धन का विभाजन		(₹ लाख में)
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई योजना	-	272.41
भारत सरकार की सौभाग्य योजना	24.22	14.78
प्रधान मंत्री- कुसुम (एमएनआरई- भारत सरकार)	1.19	1.20
रुफ-टॉप सोलर योजना	3.10	3.11
सीएसआर चालू परियोजनाएं/ सीएसआर अप्रयुक्त	247.95	
कुल	276.46	291.50

12(ii) नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) , प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) , पीएम-कुसुम और रुफ-टॉप सोलर योजना से संबंधित प्रतिबंधित धन शामिल है।

12(iii) उपरोक्त नकदी और बैंक शेष मुख्यतः भारतीय रुपये में ही रखे जाते हैं।

नोट नं.- 13 अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
अन्य प्राप्य				
सुरक्षित, अच्छा माना गया				
असुरक्षित, अच्छा माना गया [नोट 13(ii) देखें]		430.40		859.68
प्राप्य दावा (असुरक्षित)		35.19		-
घटा कर - प्रावधान		(35.19)		
अनुबंध परिसंपत्तियां	34,685.51		24,671.57	
घटा कर : एलपीएस के विरुद्ध प्रावधान	3,636.25		3,636.25	
शुद्ध अनुबंध परिसंपत्तियाँ		31,049.26		21,035.32
कर्मचारियों को अग्रिम राशि		1,131.94		1,187.43
सुरक्षा जमा राशि		144.80		139.04
कुल		**32,756.40**		**23,221.47**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
जमा और ऋण पर अर्जित ब्याज		
असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	-	-
घटाएँ: ऋण हानि के लिए भत्ता	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
कर्मचारियों को अग्रिम राशि	1,131.94	1,187.43
सुरक्षा जमा राशि	144.80	139.04

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

13(i) शुद्ध अनुबंध परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अनंतिम राजस्व	29,459.47	18,800.97
प्रभावी कर की दर	-	781.88
आस्थगित कर का कार्यान्वयन	1,589.79	1,452.47
कुल	**31,049.26**	**21,035.32**

13(ii) अन्य प्राप्य-असुरक्षित माने गए अच्छे में निम्नलिखित शामिल हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पीएम कुसुम, डीडीजीजेवाई और सौभाग्य	91.81	441.88
पीआरएमबी ट्रस्ट से प्राप्य	174.72	246.18
एनटीपीसी से प्राप्य	5.54	11.03
टीडीएस के लिए प्राप्य एनवीवीएन	0.33	2.05
बीएसई से प्राप्य	3.03	3.03
एसबीआई से प्राप्य	0.35	1.69
एलआईसी से प्राप्य	0.65	0.65
ग्रेच्युटी ट्रस्ट से प्राप्य	-	153.17
ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता एवं अन्य से वसूली योग्य	153.97	-
कुल	**430.40**	**859.68**

13(iii) कंपनी के निदेशकों पर कोई बकाया ऋण नहीं है।

13(iv) कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम में ब्याज सहित कंप्यूटर अग्रिम और बहुउद्देशीय अग्रिम शामिल हैं। कंप्यूटर अग्रिम कर्मचारियों से 60 बराबर किस्तों में वसूला जाता है जबकि बहुउद्देशीय अग्रिम 10 से 12 किस्तों में वसूला जाता है।

13(v) सुरक्षा जमा में मुख्य रुप से बीएसएनएल लाइन्स, गैस कनेक्शन, केबल कनेक्शन आदि के लिए जमा राशि शामिल है, जो सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को वापस करने पर वापस कर दी जाएगी।

13(vi) 31 मार्च 2024 तक अनुबंध परिसंपत्तियों की एजिंग

विवरण	31 मार्च 2024 तक			
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ**
(क) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	13,599.35	8,689.05	7,083.48	1,677.38
(ख) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है				
(ग) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण				
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना गया				
(ङ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है				
(च) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण				
कुल	**13,599.35**	**8,689.05**	**7,083.48**	**1,677.38**

13(vii) 31 मार्च 2023 तक अनुबंध परिसंपत्तियों की एजिंग

विवरण	31 मार्च 2024 तक			
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष
क	ख	ग	घ	ङ
(क) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	11,490.98	7,077.63	1,684.84	781.87
(ख) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है				
(ग) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण				
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना गया				
(ङ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है				
(च) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण				
कुल	**11,490.98**	**7,077.63**	**1,684.84**	**781.87**

नोट संख्या- 14 वर्तमान कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वापसी योग्य अग्रिम कर	-	514.84
टीडीएस/टीसीएस सहित अग्रिम कर का भुगतान	11,071.50	10,658.62
घटा कर : वर्तमान कर देयताएँ		
चालू वर्ष	10,252.95	11,488.84
पिछले वर्षों के लिए समायोजन	70.94	70.94
अन्य व्यापक आय	(1,225.25)	(885.11)
विनियामक आस्थगन खाता शेष से संबंधित	(192.98)	1,468.19
वर्तमान कर परिसंपत्ति / (देयताएं) (शुद्ध)	**2,165.84**	**(969.40)**

14(i) आयकर पर विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या-48 देखें.

नोट संख्या- 15 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रीपेड बीमा सहित प्रीपेड व्यय	2,068.99	2,256.52
आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम राशि - असुरक्षित, अच्छी मानी गई	458.07	1,694.03
घटा कर : संदिग्धों के लिए भत्ते	17.58	52.77
स्क्रैप / अप्रचलित परिसंपत्तियाँ **[नोट 15(v) देखें]**	13,245.48	12,938.69
घटा कर : प्रावधान	13,245.48	12,938.69
शुद्ध	**-**	**-**
कुल	**2,509.48**	**3,897.78**
निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियां [नोट 15(iv) देखें]		-
वापसी योग्य अग्रिम कर		
कुल	**2,509.48**	**3,897.78**

15(i) प्रीपेड व्यय में प्रीपेड बीमा, लाइसेंस शुल्क (प्रदूषण नियंत्रण) और इंटरनेट के लिए बीएसएनएल लीजलाइन के संबंध में अग्रिम भुगतान की गई राशि शामिल है, जिसका लाभ रिपोर्टिंग तिथि तक समाप्त नहीं हुआ है। ₹ 20000/- और इससे कम राशि के पूर्वभुगतान व्यय को सामान्य लेखा शीर्ष में प्रभारित किया जाता है।

15(ii) आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को दिए जाने वाले अग्रिम अल्पकालिक अग्रिम होते हैं, जिन्हें बिलों से 12 महीने के भीतर वसूल किया जाना होता है। कार्य/आपूर्ति आदेश के तहत निर्धारित अग्रिम राशि दी जाती है।

15(iii) 31.03.2024 तक निदेशकों एवं अन्य संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि शून्य है। (पिछले वर्ष शून्य)

15(iv) निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों में निम्नलिखित मदें शामिल हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
संयंत्र और उपकरण	-	-
वाहन	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-
उपकरण और सयंत्र	-	-
विविध उपकरण	-	-
निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों का मूल्य	-	-
घटा कर : प्रावधान	**-**	**-**
निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों के लिए एनआरवी	**-**	**-**

15(v) स्क्रैप/अप्रचलित परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
असम जीबीपीएस	440.04	510.88
अगरतला जीबीपीएस	424.89	194.42
कोपिली एचपीएस	12,009.36	11,846.38
रंगानदी एचपीएस	86.53	86.53
कोलकाता	-	0.06
तिपाईमुख जीबीपीएस	62.46	-
तुईरियल जीबीपीएस	70.95	70.95
रुपा (एस एण्ड आई)	-	0.07
शिलांग	12.17	93.18
गुवाहाटी	0.01	0.57
वाह उमियाम	-	0.71
नई दिल्ली	-	0.79
दोयांग एचपीएस	139.07	134.15
कुल	13,245.48	12,938.69
कम: प्रावधान	13,245.48	12,938.69

नोट- 16 विनियामक आस्थगन खाता शेष

नोट- 16.01: विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(i) कर्मचारी लाभ व्यय - ग्रेच्युटी		
प्रारंभिक जमा	-	4,793.47
अवधि के दौरान वृद्धि	-	(4,793.47)
जमा शेष	-	-
ii) मूल्यह्रास - तुईरियल एचपीएस		
प्रारंभिक जमा	22,193.30	18,079.69
अवधि के दौरान वृद्धि	4,173.70	4,113.61
जमा शेष	**26,367.00**	**22,193.30**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(iii) आस्थगित कर देयताओं के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन		
प्रारंभिक जमा	39,930.42	29,387.52
अवधि के दौरान वृद्धि	7,980.98	10,542.90
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन		-
जमा शेष	**47,911.40**	**39,930.42**
(iv) वसूली योग्य आस्थगित कर		
प्रारंभिक जमा	37,171.49	38,623.96
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	(1,589.79)	(1,452.47)
जमा शेष	**35,581.70**	**37,171.49**
(v) विनिमय अंतर		
प्रारंभिक जमा	-	1,459.91
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	-	(1,459.91)
जमा शेष	**-**	**-**
(vi) मध्यस्थता के कारण तुईरियल एचपीएस के संबंध में आरडीए		
प्रारंभिक जमा	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	4,398.98	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	-	
जमा शेष	**4,398.98**	**-**
(vii) मध्यस्थता के कारण कोपिली एचपीएस के संबंध में आरडीए		
प्रारंभिक जमा	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	470.47	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	-	
जमा शेष	**470.47**	**-**
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	1,14,729.55	99,295.21

नोट- 16.02: विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एमएटी क्रेडिट लाभार्थियों को दिया जाएगा		
प्रारंभिक जमा	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	18,128.66	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	-	-
प्रतिलोम	-	-
जमा शेष	**18,128.66**	**-**

आस्थगित विनियामक खाता शेष को लेखांकन नीति संख्या-4 के अनुरूप समायोजित किया गया है। विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 37 देखें।

नोट- 17 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी शेयर पूंजी	3,60,981.04	3,60,981.04
कुल	**3,60,981.04**	**3,60,981.04**

अधिकृत एवं जारी शेयर पूंजी (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च' 2024 तक	31 मार्च' 2023 तक
अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 10/- प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10/- प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**
जारी, अभिदत्त और पूर्णतः चुकता पूंजी में शामिल हैं:		
3,60,98,10,400 संख्याएँ। (पिछली अवधि 3,60,98,10,400 संख्याएँ) प्रत्येक ₹ 10/- मूल्य के इक्विटी शेयरों का	3,60,981.04	3,60,981.04
कुल	**3,60,981.04**	**3,60,981.04**

17(i) अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी में उतार-चढ़ाव नीचे दर्शाया गया है:

	मार्च 31' 2024 तक					
विवरण	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष राशि		2023-24 के दौरान बदलाव		अंतिम शेष राशि 31.03.2024	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
साधारण शेयर 10 रुपये प्रति शेयर						
वर्ष की शुरुआत में	3,60,98,10,400	3,60,981.04	-	-	3,60,98,10,400	3,60,981.04
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-	-	-	-		
	3609810400	**360981.04**	**-**	**-**	**3609810400**	**360981.04**

	मार्च 31' 2023 तक					
विवरण	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष राशि		2022-23 के दौरान बदलाव		अंतिम शेष राशि 31.03.2023	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
साधारण शेयर 10 रुपये प्रति शेयर						
वर्ष की शुरुआत में	3,60,98,10,400	3,60,981.04	-	-	3,60,98,10,400	3,60,981.04
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-	-	-	-		
	3,60,98,10,400	**3,60,981.04**	**-**	**-**	**3,60,98,10,400**	**3,60,981.04**

17(ii) प्रमोटर/होल्डिंग कंपनी की शेयरधारिता का विवरण

विवरण	31 मार्च' 2024 तक			31 मार्च' 2023 तक		
प्रमोटर/होल्डिंग कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
एनटीपीसी लिमिटेड	3,60,98,10,400	100.00	-	3,60,98,10,400	100.00	-

17(iii) निगम के पास केवल एक श्रेणी के शेयर हैं, जिन्हें इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिनका सममूल्य ₹ 10/- है और जो पूर्णतः एनटीपीसी लिमिटेड के स्वामित्व में हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।

17(iv) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने नीपको में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ एक चिन्हित सीपीएसई रणनीतिक खरीदार अर्थात एनटीपीसी को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तदनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच 25 मार्च 2020 को हुए शेयर खरीद समझौते के अनुसार शेयर हस्तांतरण के माध्यम से 27 मार्च 2020 को पूरा हो गया। एनटीपीसी लिमिटेड के पास 31 मार्च 2024 तक नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व हित है।

17(v) तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान, कंपनी ने न तो नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार कोई शेयर आवंटित किया है, न ही बोनस शेयर के रूप में और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

नोट संख्या- 18 अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सामान्य रिजर्व	1,97,691.68	1,97,691.68
प्रतिधारित कमाई	63,062.49	34,856.91
बांड मोचन रिजर्व	65,054.17	65,054.17
कुल	**3,25,808.34**	**2,97,602.76**

18.1 सामान्य आरक्षित निधि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष/अवधि के आरंभ में शेष राशि	1,97,691.68	1,97,691.68
वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	**1,97,691.68**	**1,97,691.68**

18.2 प्रतिधारित आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष/अवधि के आरंभ में शेष राशि	34,856.91	32,197.01
कंपनी के मालिकों को मिलने वाला लाभ	54,812.21	39,690.08
आयकर के बाद परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय	(1,606.63)	(530.18)
पिछले वर्ष के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	(1,500.00)
चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	(25,000.00)	(35,000.00)
वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	**63,062.49**	**34,856.91**

“(i) वर्ष के दौरान, कंपनी ने 16.03.2023 को आयोजित 277वीं निदेशक मंडल बैठक में अनुमोदित पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश के रुप में ₹ 35000.00 लाख का भुगतान किया है। इसका भुगतान 13.04.2023 को किया गया है।

(ii) चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 25000.00 लाख की राशि का अंतरिम लाभांश 09.02.2024 को आयोजित 284वीं निदेशक मंडल बैठक में अनुमोदित किया गया और इसका भुगतान 08.03.2024 को कर दिया गया है।”

प्रतिधारित आय कंपनी द्वारा आज तक अर्जित विनियोजन के बाद अर्जित लाभ है।

18.3 बांड मोचन रिजर्व (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष/अवधि के आरंभ में शेष राशि	65,054.17	65,054.17
वर्ष/अवधि के दौरान गतिविधियाँ		
वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	**65,054.17**	**65,054.17**

भंडार की प्रकृति इस प्रकार है:

(क) सामान्य रिजर्व:- पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, लागू विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर शुद्ध लाभ के वार्षिक हस्तांतरण के माध्यम से एक सामान्य रिजर्व बनाया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के परिणामस्वरुप, शुद्ध लाभ के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को अनिवार्य रुप से सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

(ख) बांड मोचन रिजर्व :- कंपनी अधिनियम 2013 के साथ पठित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 मे तहत लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को बांड/डिबेंचर मोचन रिजर्व के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए। बॉन्ड/डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की पर्याप्तता बकाया डिबेंचर के मूल्य का दस प्रतिशत होना आवश्यक है। 31.03.2024 तक, कंपनी ने 65054.17 लाख रुपये का बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाए रखा है, जो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। इसलिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई और बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाया है।

गैर-वर्तमान देनदारियाँ
वित्तीय देनदारियाँ

नोट संख्या- 19 दीर्घकालिक उधार

(₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
1. सुरक्षित उधार		
i. बाईसवाँ अंक	50,000.00	50,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	21.50	26.30
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	1,165.51	1,158.36
बांड - बाईसवां अंक (नेट)	51,144.01	51,132.06
8 वर्ष के लिए नीपको ने 10,00,000 रुपये प्रत्येक के 7.55% दर से 10-06-2025, 10-12-2025, 10-06-2026, 10-12-2026, 10-06-2027, 10-12-2027 को कॉल ऑप्शन के साथ 10-12-2026, 10-06-2027, 10-12-2027 और 10-06-2028 को अंकित मूल्य के 25% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की भूमि से जुड़ी परिसंपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल परिसंपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी : प्रभार आईडी संख्या 100394348 के साथ ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के तहत प्रभार सृजन के लिए चिन्हित किया गया है		
ii. इक्कीसवाँ अंक	15,000.00	15,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	12.97	16.99
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	21.37	17.86
बांड - इक्कीसवाँ अंक (नेट)	15,008.40	15,000.87
8 वर्ष के लिए नीपको ने 10,00,000 रुपये प्रत्येक के 8.69% के दर से 26-09-2024, 26-03-2025, 26-09-2025, 26-03-2026,26-09-2026 और 26-03-2027 को कॉल ऑप्शन के साथ 26-09-2026, 26-09-2027 को अंकित मूल्य के 25% पर प्रतिदेय सुरक्षित, मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड, जारी किया है। कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भू-संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में रखा गया है।"		
iii. बीसवां अंक	-	30,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	-	12.12
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	960.41
बांड - बीसवां अंक (नेट)	-	30,948.29
7 वर्ष के लिए नीपको ने 10,00,000 रुपये प्रत्येक के 9.50% के दर से 29-11-2023, 29-05-2024, 29-11-2024, 29-05-2025 को कॉल ऑप्शन के साथ 29-05-2024, 29-11-2024, 29-05-2025 और 29-11-2025 को अंकित मूल्य के 25% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भू-संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में रखा गया है) ।"		
iv. उन्नीसवाँ अंक	-	-
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	-	-
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बांड - उन्नीसवाँ अंक (नेट)	-	-
10 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000 प्रत्येक के 8.75% के दर से 06-03-2023,10-08-2023,10-02-2024,10-08-2024,10-02-2025,10-08-2025, 10-02-2026,10-08-2026,10-02-2027,10-08-2027,10-02-2028 पर कॉल विकल्प के साथ 06-09-2026; 06-03-2027; 06-09-2027 और 06-03-2028को अंकित मूल्य के 25% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (पारे जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है।) ."		
v. अठारहवाँ अंक	50,000.00	50,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	9.96	15.23
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	1,447.87	1,441.32
बांड - अठारहवाँ अंक (नेट)	51,437.91	51,426.09
8 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000 प्रत्येक के 7.68% के दर से 15-11-2022,15-05-2023,15-11-2023, 15-05-2024,15-11-2024,15-05-2025 को कॉल विकल्प के साथ 15-05-2025 और 15-11-2025 को अंकित मूल्य के 50% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (पारे जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है।) ."		
vi. सोलहवाँ अंक	90,000.00	90,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	34.35	40.08
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	2,305.18	2,290.09
बांड - सोलहवाँ अंक (नेट)	92,270.83	92,250.01
15 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000/- प्रत्येक के 8.68% दर से 30-09-2026; 30-09-2027; 30-09-2028; 30-09-2029 और 30-09-2030 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, करयोग्य बांड जारी किया है। (मिजोरम में तुइरियल जलविद्युत परियोजना, असम में कोपिली जलविद्युत परियोजना और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति की जमीन और अन्य चल संपत्तियों को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है) ।"		
vii.पंद्रहवां अंक	12,000.00	24,000.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	21.00	42.12
बांड -पंद्रहवां (नेट)	12,021.00	24,042.12
10 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000/-प्रत्येक के 9.15% के दर से 25-03-2021; 25-03-2022; 25-03-2023; 25-03-2024 और 25-03-2025 को अंकित मूल्य के 20% प्रतिदेय पर सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (त्रिपुरा में अगरतला गैस टरबाइन परियोजना (मूल ओपन-साइकिल प्लांट) की परिसंपत्तियां, असम में असम गैस आधारित परियोजना के गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन को छोड़कर परिसंपत्तियां, अरुणाचल प्रदेश में रंगानदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के उत्पादन स्टेशन के संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर परिसंपत्तियां और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है) ।"		
viii. चौदहवाँ अंक	50,000.00	1,00,000.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
बांड -चौदहवाँ (नेट)	50,000.00	1,00,000.00

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
10 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000 प्रत्येक के 9.60% के दर से 01-10-2020; 01-10-2021; 01-10-2022; 01-10-2023 और 01-10-2024 को अंकित मूल्य के 20% प्रतिदेय पर सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जलविद्युत परियोजना की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में रखा गया है) ।"		
उप-योग : निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड (क)	**2,71,882.15**	**3,64,799.44**
ख. सुरक्षित अवधि ऋण		
i.रुपया ऋण :		
क. केनरा बैंक से मध्यम सावधि कॉर्पोरेट ऋण	12,500.00	25,000.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	87.16	165.86
केनरा बैंक से मध्यम अवधि कॉर्पोरेट ऋण (नेट)	12,587.16	25,165.86
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरुप प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण की चुकौती 03-02-2020 को पहली निकासी से 1 वर्ष की मोहलत के बाद 16 संरचित त्रैमासिक किस्तों में जानी है।		
ख. पंजाब नेशनल बैंक से कॉर्पोरेट सावधि ऋण	74,800.00	81,600.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
पीएनबी से मध्यम अवधि कॉर्पोरेट ऋण (नेट)	74,800.00	81,600.00
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरुप प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण की चुकौती पहली निकासी से 2 वर्ष की मोहलत के बाद निम्नलिखित तिमाही किश्तों में की जानी है: 30.12.2022 से 17 करोड़ रुपये की प्रत्येक 12 समान किस्तें, 30.12.2025 से 34 करोड़ रुपये की प्रत्येक 8 समान किस्तें तथा 30.12.2027 से 93.50 करोड़ रुपये की प्रत्येक 4 समान किस्तें।"		
ग. भारतीय स्टेट बैंक से रुपया टर्म लोन	97,500.00	1,00,000.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
एसबीआई (नेट) से रुपया टर्म लोन	97,500.00	1,00,000.00
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर अन्य ऋणदाताओं के साथ समरुप प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण की चुकौती, आहरण की पहली तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के पश्चात निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी: 9वीं से 20वीं तिमाही के अंत में 25.00 करोड़ रुपये प्रत्येक; 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत में 50.00 करोड़ रुपये प्रत्येक; 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में 75.00 करोड़ रुपये प्रत्येक।.		
घ. एचडीएफसी बैंक से टर्म लोन	50,000.00	30,000.00
[पारे हाइड्रो पावर स्टेशन - अरुणाचल प्रदेश में संपत्ति की अचल संपत्तियों तथा रंगनदी एचपीएस (405 मेगावाट) के संयंत्र और मशीनरी एवं असम गैस आधारित पावर स्टेशन (291 मेगावाट) के गैस टर्बाइनों को प्रथम समरुप आधार पर बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया है।] ऋण की चुकौती पहली निकासी (06.10.2022) से 2 वर्ष की स्थगन अवधि से शुरु होकर निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी: 9वीं से 20वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 15.00 करोड़ रुपये - 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 25.00 करोड़ रुपये: 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 30.00 करोड़ रुपये।"		
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	356.71	206.64
एचडीएफसी बैंक से टर्म लोन (नेट)	50,356.71	30,206.64

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ङ. एक्सिस बैंक से टर्म लोन	75,000.00	
(त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में स्थित त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन की चल अचल संपत्तियों (भूमि से जुड़ी संपत्तियों सहित) को प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण की चुकौती पहली निकासी की तारीख (29.09.2023) से 2.25 वर्ष की स्थगन अवधि से शुरु होने वाली निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में की जानी है। 9वीं से 18वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 10.00 करोड़ रुपये; 19वीं से 27वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 20 करोड़ रुपये; 28वीं से 36वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 30 करोड़ रुपये; 37वीं से 40वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये।		
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
एक्सिस बैंक से टर्म लोन (नेट)	75,000.00	-
उप-कुल सुरक्षित अवधि ऋण (ख)	**3,10,243.87**	**2,36,972.50**
कुल : सुरक्षित उधार (ए+बी)	**5,82,126.02**	**6,01,771.94**
2.असुरक्षित उधार :		
1.निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
तेईसवाँ अंक	20,000.00	20,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	3.77	4.34
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	31.21	31.30
बांड - तेईसवां अंक (नेट)	20,027.44	20,026.96
8 वर्ष के लिए की नीपको ने प्रत्येक 10,00,000 रुपये के 7.14% के दर से 22-09-2028; 23-03-2029; 24-09-2029; 22-03-2030 को प्रतिदेय, 24-03-2026 को कॉल ऑप्शन के साथ 24-09-2026; 24-03-2027; 24-09-2027; 24-03-2028; 22-09-2028; 23-03-2029; 24-09-2029 को अंकित मूल्य के 25% पर असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है।		
(i) रुपया ऋण		
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	29,196.42	29,196.42
घटा कर : ऋण व्यय परिशोधन	69.69	71.46
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (शुद्ध)	29,126.73	29,124.96
(भारत सरकार ने 1% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹ 29196.42 लाख का अधीनस्थ ऋण स्वीकृत किया है। ऋण को विभिन्न तिथियों पर स्वीकृत किया गया था, जिसका अंतिम आहरण 6 जुलाई 2015 को किया गया था। ऋण को तुईरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मिजोरम के चालू होने के 16वें वर्ष से यानी 30 जनवरी 2018 से 15 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।		
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण		
च. केएफडब्लू, जर्मनी से ऋण	33,383.29	39,729.32
घटा कर : उचित मूल्य (80 मिलियन और 20 मिलियन)	(159.35)	(154.22)
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	212.24	255.96
केएफडब्लू, जर्मनी से ऋण (नेट)	33,754.88	40,139.50
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
अरुणाचल प्रदेश में पारे जल विद्युत परियोजना (110 मेगावाट) के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत किया गया।		

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया गया। 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण समझौता 11 दिसंबर 2008 और 20 दिसंबर 2017 को क्रमशः 3.46% प्रति वर्ष और 0.85% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर निष्पादित किया गया था। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। 80 मिलियन यूरो की अंतिम ऋण किस्त 03.03.2016 को और 20 मिलियन यूरो 16.08.2018 को प्राप्त हुई थी। ऋण 30 बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में 30-12-2013 से और 20 बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में 30-12-2020 से चुकाने योग्य हैं।)		
(iii) मध्यम अवधि ऋण		
पीएनबी से ऋण	30,000.00	-
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
पीएनबी से ऋण (नेट)	30,000.00	-
29.11.2023 को पीएनबी से 30000 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण, जिसकी परिपक्वता अवधि पहली निकासी की तिथि से 7 वर्ष है। ऋण पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ष के अंत में 1000 लाख रुपये के हिसाब से चुकाया जाना है, अर्थात 29.11.2024, 29.11.2025, 29.11.2026, 29.11.2027, 29.11.2028 और 6वें और 7वें वर्ष के अंत में 12500 लाख रुपये, अर्थात 28.11.2029 और 28.11.2030 को। ऋण के लिए ब्याज दर @ पीएनबी आरएलएलआर-एलीट योजना के तहत 7.75% प्रति वर्ष है।		
कुल असुरक्षित उधार (i + ii)	**1,12,909.05**	**89,291.42**
कुल (1 + 2)	**6,95,035.07**	**6,91,063.36**
घटा कर : वर्तमान परिपक्वता (नोट 21 देखें)		
बांड	62,000.00	62,000.00
रुपया टर्म लोन-सुरक्षित	29,300.00	21,800.00
रुपया टर्म लोन-असुरक्षित	1,000.00	-
विदेशी मुद्रा ऋण - सुरक्षित	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण - असुरक्षित	6,616.57	6,571.82
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	5,648.25	6,569.92
कुल योग : गैर-वर्तमान देयताएं	**5,90,470.25**	**5,94,121.62**

नोट: बांड व्यय का परिशोधन संबंधित बांड के ब्याज पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ ही किया जाता है।

उधार की परिपक्वता प्रोफ़ाइल इस प्रकार है: (₹ लाख में)

संविदागत परिपक्वता	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एक वर्ष या उससे कम समय में या मांग पर	1,06,071.93	96,909.44
एक से दो वर्ष के बीच	86,816.57	1,14,371.82
दो और तीन वर्षों के बीच	81,716.57	97,771.82
तीन से चार वर्ष के बीच	1,14,616.57	76,671.82
चार से पांच वर्ष के बीच	1,16,410.46	1,09,571.82
पांच वर्ष से अधिक	1,89,402.95	1,95,766.63
कुल संविदागत नकदी प्रवाह	**6,95,035.07**	**6,91,063.36**
कुल उधारी	**6,95,035.07**	**6,91,063.36**

नोटः

क. कंपनी ने ऋण समझौते की शर्तों एवं नियमों के अनुसार ही उधार ली गई राशि का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है।

ख. कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के पास दाखिल तिमाही रिटर्न या चालू परिसंपत्तियों के विवरण, लेखा खाता के अनुरुप हैं।

ग. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

वित्तीय देयताएं

नोट संख्या- 19 ए गैर चालू वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयता - पट्टे के अंतर्गत परिसंपत्ति	2015.55	1086.31
घटा कर : पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता	1000.48	607.67
कुल	**1015.07**	**478.64**

नोट संख्या- 20 दीर्घकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	303.28	319.12
कुल	**303.28**	**319.12**

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति पर सोने का सिक्का शामिल है। चालू वर्ष के लिए प्रावधान की वहन राशि में वृद्धि/कमी मुख्य रुप से चालू वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रभार के शुद्ध प्रभाव और चालू वर्ष में भुगतान किए गए लाभों के कारण है।

20(i) .परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी संबंधित कर्मियों के लिए कई परिभाषित योगदान योजनाओं में भाग लेती है। इन योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त कोई भी व्यय उन योजनाओं के नियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों पर अवधि के दौरान उनके द्वारा देय योगदान के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। बैलेंस शीट में शामिल एकमात्र राशि पिछले महीनों के योगदान से संबंधित है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भुगतान किए जाने वाले नहीं थे। कंपनी द्वारा संचालित प्रमुख परिभाषित योगदान योजनाएँ इस प्रकार हैं:

क) भविष्य निधि

भारतीय कानून के अनुसार, कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों ही कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है। इस अवधि के लिए कंपनी का निधि में योगदान 3469.50 लाख रुपये (पिछली अवधि में 3536.48 लाख रुपये) था। निवेश ने भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त ब्याज अर्जित किया है।

ख) सेवानिवृत्ति निधि

"भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70) /08-डीपीई (डब्ल्यूसी) /जीएल-xiv/08 दिनांक 26.11.2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70) /08-डीपीई (डब्ल्यूसी) /जीएल-vii/09 दिनांक 02.04.2009 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी ने नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना तैयार की है।

इस योजना का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट में वर्ष के लिए कंपनियों का योगदान 2389.13 लाख रुपये था (पिछले वर्ष 2338.92 लाख रुपये) ।"

20(ii) . परिभाषित लाभ योजनाएँ

क. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

"कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं के लिए अंशदायी योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और सेवानिवृत्त/मृतक के जीवनसाथी को अंशदायी आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो इस प्रकार है:

निकटतम प्राधिकृत/अनुमोदित अस्पताल की दरों तक सीमित इनडोर उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

पैनलबद्ध अस्पतालों में बाह्य-रोगी/घरेलू उपचार के लिए, नैदानिक परीक्षणों, जांच, दवाओं की लागत और अन्य ओपीडी व्ययों के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है, जो कि प्रति वर्ष अंतिम मूल वेतन राशि की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के अधीन होती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।"

ख. सेवानिवृत्ति पर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

एक अच्छी संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने और कर्मचारी द्वारा ईमानदारी से दी गई सेवाओं की सराहना करने के लिए, निगम सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर एक सोने का सिक्का प्रदान कर रहा है। इसके लिए देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

20(iii) . अन्य कर्मचारी लाभ

सामाजिक सुरक्षा योजना

कंपनी के पास अनुकंपा नियुक्ति के बदले सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी इस योजना में बराबर का योगदान देती है। इस योजना का उद्देश्य कंपनी के किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित लाभार्थियों को नकद लाभ प्रदान करना है, जिसमें स्थायी पूर्ण विकलांगता के कारण रोजगार समाप्त होना भी शामिल है।

नोट संख्या- 20ए

भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश: (₹ लाख में)

	संपत्ति / देयता	31-03-2024	31-03-2023
क	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	18,038.44	18,468.36
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	17,676.97	18,621.53
ग	बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	(361.47)	153.17

सदस्यता आंकड़ों का सारांश: (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
क)	कर्मचारियों की संख्या	1666	1766
ख)	कुल मासिक वेतन (लाख में)	2156.15	2173.62
ग)	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.33	24.31
घ)	औसत आयु (वर्ष)	50.87	50.75
ङ)	औसत शेष (वर्ष) कामकाजी जीवन	9.13	9.25
च)	भारित औसत अवधि	8.83	8.95

आर्थिक अनुमान : (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
i)	छोड़ने की दर	7.10	7.40
ii)	भविष्य में वेतन वृद्धि	6.50	6.50

जनसांख्यिकीय अनुमान :

(₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
i)	सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii)	विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
iii)	उम्र में परित्याग	**निकासी**	**निकासी**
		30 वर्ष तक	
	30 वर्ष तक		0.01%
	31 से 44 वर्ष तक		0.03%
	44 वर्ष से ऊपर		0.06%

लाभ का पैमाना :

क)	ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन
ख)	निधान अवधि	5 वर्ष की सेवा
ग)	सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार।
घ)	समय से पहले सेवानिवृत्ति/प्रत्याहार /इस्तीफा देने पर लाभ	सेवा से बाहर निकलने की तिथि तक की सेवा के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान।
ङ)	सेवाकाल में मृत्यु पर लाभ	मृत्यु की तिथि तक की सेवा के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान तथा कोई निहित शर्तें लागू नहीं होतीं।
च)	सीमा	20.00 लाख

योजना देनदारी:

(₹ लाख में)

समाप्ति की तारीख	31-03-2024	31-03-2023
अवधि के अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	18,038.44	18,468.36

सेवा लागत :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान सेवा लागत	708.48	932.45
ख)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–
ग)	गैर नियमित निपटान पर लाभ या हानि	–	–
घ)	कुल सेवा लागत	708.48	932.45

शुद्ध ब्याज लागत :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज लागत	1,366.66	1,378.24
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	1,377.99	1,305.05
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	(11.33)	73.19

लाभ देनदारी में परिवर्तन: **(₹ लाख में)**

		31-03-2024	31-03-2023
क)	देनदारी का वर्तमान मूल्य	18,468.36	19,689.11
ख)	अधिग्रहण समायोजन	–	–
ग)	ब्याज लागत	1,366.66	1,378.24
घ)	सेवा लागत	708.48	932.45
ङ)	लाभ/हानि में कटौती सहित पिछली सेवा लागत	–	–
च)	लाभ भुगतान	(2275.70)	(2527.13)
छ)	देनादारी पर कुल बीमांकिक (लाभ) /हानि	(229.36)	(1004.31)
ज)	देनदारी का वर्तमान मूल्य अवधि का अंत	18,038.44	18,468.36

देनदारी पर बीमांकिक लाभ/हानि का विभाजन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) /हानि	–	–
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	280.41	(412.06)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ) / हानि	(509.77)	(592.25)

योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अपेक्षित ब्याज आय	1,377.99	1,305.05
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय	1,331.13	1,459.55
ग)	वर्ष के लिए परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(46.86)	154.50

बैलेंस शीट और संबंधित विश्लेषण: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	18,038.44	18,468.36
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	17,676.97	18,621.53
ग)	बैलेंस शीट में अनफंडेड देयता/प्रावधान	(361.47)	153.17

आय विवरण में शामिल की गई राशि: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	कुल सेवा लागत	708.47	932.45
ख)	शुद्ध ब्याज लागत	(11.33)	73.19
ग)	आय विवरण में शामिल व्यय	697.14	1,005.64

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	शुद्ध संचयी अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि) आरंभ		
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) ।	229.36	1,004.31
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	(46.86)	154.50
घ)	वर्ष के लिए अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	182.50	1,158.81

योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,621.53	18,643.53
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	1,331.13	1,459.55
ग)	नियोक्ता अंशदान	–	1,045.58
घ)	भुगतान किये गये लाभ	(2275.69)	(2527.13)
ङ)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	17,676.97	18,621.53

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रुप में) :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	–	–
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	–	–
ग)	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	–	–
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	–	–
ङ)	संपत्ति	–	–
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
छ)	बैंक में जमा राशि	–	–
	कुल	100%	100%

शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी में परिवर्तन:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि के प्रारंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(153.17)	1045.58
ख)	अधिग्रहण समायोजन	–	–
ग)	कुल सेवा लागत	708.47	932.45
घ)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	(11.33)	73.19
ङ)	पुनः माप	(182.50)	(1158.81)
च)	कोष में दिया गया अंशदान	–	(1045.58)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	–	–
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	361.47	(153.17)

वर्ष के अंत में पीबीओ का वर्तमान और गैर वर्तमान में विभाजन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	2,404.81	1,896.87
ख)	गैर-वर्तमान देयता (एक वर्ष में देय राशि)	15,633.63	16,571.49
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**18,038.44**	**18,468.36**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सेवा लागत	719.18	736.30
ख)	निवल ब्याज लागत	25.66	(11.33)
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	744.84	724.97

परिभाषित लाभ देनदारी का संवेदनशीलता विश्लेषण: (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	**18,038.44**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(462.82)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	488.23

b) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	**18,038.44**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	121.40
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(126.13)

परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता प्रोफ़ाइल:

	वर्ष	**राशि**
क)	0 से 1 वर्ष	2404.81
ख)	1 से 2 वर्ष	2116.83
ग)	2 से 3 वर्ष	2151.48
घ)	3 से 1 वर्ष	1820.04
ङ)	4 से 5 वर्ष	1706.53
च)	5 से 6 वर्ष	1559.27
छ)	6 वर्ष से आगे	6279.48

छुट्टी नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश: (₹ लाख में)

	संपत्ति / देयता	31-03-2024	31-03-2023
क	देनदारी का वर्तमान मूल्य	16,670.42	16,392.78
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
ग	बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	(16670.42)	(16392.78)

सदस्यता आंकड़ों का सारांश : (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
क)	कर्मचारियों की संख्या	1666	1766
ख)	कुल मासिक वेतन (लाख में)	2156.15	2173.62
	छुट्टी नकदीमरण		
ग)	कुल मासिक वेतन (लाख में)	4312.29	3912.52
	छुट्टी का लाभ		
घ)	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.33	24.31
ङ)	औसत आयु (वर्ष)	50.87	50.75
च)	औसत शेष (वर्ष)	9.13	9.25
	कामकाजी जीवन		
छ)	मूल्यांकन तिथि को ध्यान में रखते हुए शेष अवकाश	3,56,234	3,88,263
ज)	पीबीओ की भारित औसत अवधि	8.83	8.95

आर्थिक अनुमान: (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
i)	छोड़ने की दर	7.10	7.40
ii)	भविष्य में वेतन वृद्धि	6.50	6.50

जनसांख्यिकीय अनुमान: (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
i)	i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii)	ii) विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
iii)	iii) आयु	**निकासी**	**निकासी**
		दर (%)	**दर (%)**
	30 वर्ष तक	0.01%	0.01%
	31 से 44 वर्ष तक	0.03%	0.03%
	44 वर्ष से ऊपर	0.06%	0.06%
iv)	iv) छुट्टी		
	छुट्टियाँ लाभ दर	2.50%	2.50%
	सेवा के दौरान छुट्टी समाप्ति दर	शून्य	शून्य
	सेवानिवृत्ति पर छुट्टी व्यपगत दर	शून्य	शून्य
	सेवा के दौरान छुट्टी नकदीकरण दर	15.00%	15.00%

नमूना आयु पर विकलांगता सहित मृत्यु दर (₹ लाख में)

आयु	दर	आयु	दर
15	0.000698	60	0.011162
20	0.000924	65	0.015932
25	0.000931	70	0.024058
30	0.000977	75	0.038221
35	0.001202	80	0.061985
40	0.00168	85	0.100979
45	0.002579	90	0.163507
50	0.004436	95	0.259706
55	0.007513	100	0.397733

लाभ का पैमाना:

क)	अर्जित अवकाश की गणना के लिए वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन.
ख)	निहित अवधि	शून्य
ग)	लाभ	
1	वार्षिक उपार्जन	30 दिन
2	अधिकतम संचय	कंपनी नीति के अनुसार
3	कुल छुट्टी के दिन	3,56,234
4	सेवा में लाभ (अनुपस्थिति के लिए मुआवजा)	हाँ
5	सेवाकाल में छुट्टी नकदीकरण	हाँ
6	सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण	हाँ
7	माह के रूप में माना जाएगा	30 दिन
d)	सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	पॉलिसी के अनुसार वास्तविक संचय
e)	शीघ्र सेवानिवृत्ति/प्रत्याहार/त्यागपत्र/मृत्यु पर लाभ	सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान।

देनदारी योजना : (₹ लाख में)

समाप्ति तिथि	31-03-2024	31-03-2023
अवधि के अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	16,670.42	16,392.78

सेवा लागत : (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान सेवा लागत	1,709.13	2,092.26
ख)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–
ग)	गैर नियमित निपटान पर लाभ या हानि	–	–
घ)	कुल सेवा लागत	1,709.13	2,092.26

निवल ब्याज लागत: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,213.07	969.86
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	–	–
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	1,213.07	969.86

लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका: **(₹ लाख में)**

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि की शुरुआत मेंदेनदारी का वर्तमान मूल्य	16,392.78	13,855.16
ख)	अधिग्रहण समायोजन	–	–
ग)	ब्याज लागत	1,213.06	969.86
घ)	सेवा लागत	1,709.13	2,092.26
ङ)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–
च)	भुगतान किये गये लाभ	-2,877.15	-3,233.10
छ)	देनदारी पर कुल बीमांकिक (लाभ) /हानि	232.60	2,708.60
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य अवधि की समाप्ति	16,670.42	16,392.78

देनदारी पर बीमांकिक लाभ/हानि: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) /हानि	–	1.02
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	302.92	-421.23
ग)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	-70.32	3,128.81

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अपेक्षित ब्याज आय	–	–
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	–	–
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	–	–

बैलेंस शीट और संबंधित विश्लेषण: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,670.42	16,392.78
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
ग)	बैलेंस शीट में अनफंडेड देयता/प्रावधान	-16,670.42	-16,392.78

आय विवरण में शामिल की गई प्राप्त राशियाँ (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	कुल सेवा लागत	1,709.13	2,092.26
ख)	शुद्ध ब्याज लागत	1,213.06	969.86
ग)	अवधि में शामिल शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	232.60	2,708.60
घ)	आय विवरण में शामिल व्यय	3,154.79	5,770.72

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता में परिवर्तन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि के प्रारंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	16,392.78	13,855.16
ख)	अधिग्रहण समायोजन	–	–
ग)	कुल सेवा लागत	1,709.13	2,092.26
घ)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	1,213.06	969.86
ङ)	पुनः माप	232.60	2,708.60
च)	निधि में योगदान का भुगतान	–	–
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-2,877.15	-3,233.10
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	16,670.42	16,392.78

वर्ष के अंत में पीबीओ का वर्तमान और गैर वर्तमान में विभाजन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	2,128.80	1,833.88
ख)	गैर-वर्तमान देयता (एक वर्ष में देय राशि)	14,541.62	14,558.90
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**16,670.42**	**16,392.78**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सेवा लागत	752.86	723.75
ख)	निवल ब्याज लागत	1,183.60	1,213.07
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,936.46	1,936.82

परिभाषित लाभ देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण: (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**16,670.42**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	-497.21
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	526.42

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**16,670.42**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	527.14
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	-500.19

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश:

(₹ लाख में)

	संपत्ति / देयता	31-03-2024	31-03-2023
क	देनदारी का वर्तमान मूल्य	15,690.74	13,001.02
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	12,829.51	10,523.26
ग	बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में शामिल शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	-2,861.23	-2,477.76

सदस्यता आंकड़ों का सारांश:

(₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
	सेवारत कर्मचारी		
क)	कर्मचारियों की संख्या	1666	1766
ख)	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.33	24.31
ग)	औसत आयु (वर्ष)	50.87	50.75
घ)	औसत शेष कार्य जीवन (वर्ष)	9.13	9.25
ङ)	भारित औसत शेष कार्यकाल.	8.83	9.09
	सेवानिवृत्त कर्मचारी		
क)	सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	1853	1771
ख)	औसत आयु (वर्ष)	67.52	66.94
ग)	प्रति सेवानिवृत्त वार्षिक लागत i) बाह्य रोगी उपचार लागत ii) इन-पेशेंट उपचार लागत	₹ 39456/-	₹ 34,310/-

आर्थिक अनुमान:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	छूट दर	7.10	7.40
ख)	भविष्य में चिकित्सा लागत में वृद्धि	5.00	4.00
	(i) बाह्य रोगी उपचार लागत		
	(ii) इन-पेशेंट उपचार लागत		

जनसांख्यिकीय अनुमान:

(₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
i)	सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii)	विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	**100% of आईएएलएम (2012 - 14)**	100% of आईएएलएम (2012 - 14)
iii)	iii) आयु	**निकासी**	**निकासी**
		दर (%)	**दर (%)**
	30 वर्ष तक	0.01	0.01
	31 से 44 वर्ष तक	0.03	0.03
	44 वर्ष से ऊपर	0.06	0.06

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

मृत्यु दर एवं रुग्णता दर:

क) सेवा में रहते हुए - आईएएलएम (2012-14) की 100% दरें मान ली गई हैं, जिसमें विकलांगता लाभ के लिए भत्ता भी शामिल है

(₹ लाख में)

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
15	0.000698	40	0.00168
20	0.000924	45	0.002579
25	0.000931	50	0.004436
30	0.000977	55	0.007513
35	0.001202	60	0.011162

b) सेवानिवृत्ति के बाद - (1996-98) की 100% दरें मान ली गई हैं **(₹ लाख में)**

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
50	0.004243	80	0.070802
60	0.010907	85	0.106891
65	0.01389	90	0.151539
70	0.024301	100	0.266511
75	0.043272		

योजना देनदारी: (₹ लाख में)

समाप्ति तिथि	31-03-2024	31-03-2023
अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	15,690.74	13,001.02

सेवा लागत : (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान सेवा लागत	548.69	515.35
ख)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–
ग)	गैर नियमित निपटान पर लाभ या हानि	–	–
घ)	कुल सेवा लागत	548.69	515.35

शुद्ध ब्याज लागत: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज लागत	962.07	747.92
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	778.72	586.83
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	183.35	161.09

वर्तमान लाभ देनदारी में परिवर्तन:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	देयता का वर्तमान मूल्य अवधि की शुरुआत	13,001.02	10,684.66
ख)	अवधि की शुरुआत	962.08	747.93
ग)	ब्याज लागत	548.69	515.35
घ)	सेवा लागत	-1,018.05	-870.86
ङ)	भुगतान किये गये लाभ	2,197.00	1,923.94
च)	देयता पर कुल बीमांकिक (लाभ) /हानि	15,690.74	13,001.02

देयता पर बीमांकिक (लाभ) /हानि:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) /हानि	–	–
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,832.56	625.17
ग)	समायोजन अनुभव से उत्पन्न होने वाली एक्चुरियल (लाभ) /हानि	364.45	1,298.77

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक (लाभ) /हानि:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अपेक्षित ब्याज आय	778.72	586.83
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	846.54	709.45
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	67.82	122.62

बैलेंस शीट और संबंधित विश्लेषण:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सताप्ति पर देयता का वर्तमान मूल्य	15,690.74	13,001.02
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	12,829.51	10,523.26
ग)	बैलेंस शीट में अनफंडेड देयता/प्रावधान	-2,861.23	-2,477.76
घ)	बैलेंस शीट में अप्राप्य देयता को शामिल किया गया है	-2,861.23	-2,477.76

आय विवरण में शामिल राशियाँ:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सेवा लागत	548.69	515.35
ख)	शुद्ध ब्याज लागत	183.35	161.09
ग)	आय विवरण में शामिल व्यय	732.04	676.44

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) : (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	शुद्ध संचयी अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि) आरंभ		
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) ।	-2,197.00	-1,923.94
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	67.82	122.62
घ)	वर्ष के अंत में अज्ञात बीमांकिक लाभ/(हानि)	-2,129.18	-1,801.32

योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10523.26	8383.31
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	846.54	709.46
ग)	नियोक्ता अंशदान	2,477.76	2,301.35
घ)	भुगतान किये गये लाभ	-1,018.05	-870.86
ङ)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	12,829.51	10,523.26

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रुप में) : (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	–	–
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	–	–
ग)	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	–	–
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	–	–
ङ)	संपत्ति	–	–
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधिr	100%	100%
छ)	बैंक में जमा राशि	–	–
ज)	**कुल**	**100%**	**100%**

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता में परिवर्तन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि के प्रारंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	2,477.76	2,301.35
ख)	सेवा लागत	548.69	515.35
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	183.35	161.09
घ)	पुन: माप	2,129.18	1,801.32
ङ)	कोष में दिया गया अंशदान	-2,477.76	-2,301.35
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	–	–
छ)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	2,861.23	2,477.76

वर्ष के अंत में पीबीओ का वर्तमान और गैर वर्तमान में विभाजन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	1,067.34	930.19
ख)	गैर-वर्तमान देयता (एक वर्ष में देय राशि)	14,623.40	12,070.83
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**15,690.74**	**13,001.02**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सेवा लागत	582.44	711.25
ख)	शुद्ध ब्याज लागत	203.15	183.35
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	785.59	894.60

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण: (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**15,690.74**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	-710.55
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	768.83

ख) चिकित्सा लागत दर का प्रभाव

	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**15,690.74**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	780.07
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	-735.54

परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता प्रोफ़ाइल:

	वर्ष	**राशि**
क)	0 से 1 वर्ष	10,67,33,602
ख)	1 से 2 वर्ष	11,56,08,059
ग)	2से 3 वर्ष	12,64,82,242
घ)	3 से 4 वर्ष	13,53,36,000
ङ)	4 से 5 वर्ष	14,61,62,879
च)	5 से 6 वर्ष	15,93,17,539
छ)	6 वर्ष से आगे	77,94,33,558

सेवानिवृत्ति पर स्वर्ण सिक्का पुरस्कार

परिणाम का सारांश:

	संपत्ति / देयता	31-03-2024
क	देयता का वर्तमान मूल्य	340.91
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	--
ग	बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में शामिल शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	-340.91

सदस्यता आंकड़ों का सारांश:

	तक	31-03-2024
क)	कर्मचारियों की संख्या	1666
ख)	कुल मासिक वेतन (लाख में)	लागू नहीं
ग)	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.33
घ)	औसत आयु (वर्ष)	50.87
ङ)	औसत शेष कार्य जीवन (वर्ष)	9.13

आर्थिक अनुमान:

	31-03-2024
छूट दर	7.10%
सोने के सिक्कों की वृद्धि दर	6.50%
जनसांख्यिकीय अनुमान:	
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)
आयु	**निकासी दर (%)**
30 वर्ष तक	0.01%
31 से 44 वर्ष तक	0.03%
44 वर्ष से ऊपर	0.06%
बीमांकिक मूल्य:	
अवधि की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य (31/03/2024)	340.91

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन:

		31-03-2024
क)	वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	37.63
ख)	गैर-वर्तमान देयता (एक वर्ष में देय राशि)	303.28
ग)	**वर्ष के अंत में कुल पीबीओ**	**340.91**

अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश: (₹ लाख में)

	संपत्ति / देयता	31-03-2024	31-03-2023
क	देयता का वर्तमान मूल्य	16,670.42	16,392.78
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
ग	बैलेंस शीट में प्रावधान के रुप में शामिल शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	(16670.42)	(16392.78)

वित्तीय देयताएं

नोट संख्या- 21 वर्तमान उधार

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान उधार		
मांग पर ऋण चुकाना		
बैंकों से - सुरक्षित	52,253.97	14,542.85
बैंक से - असुरक्षित	-	7,511.51
कुल (क)	**52,253.97**	**22,054.36**
गैर-वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता		
बांड - सुरक्षित	62,000.00	62,000.00
विदेशी मुद्रा ऋण - सुरक्षित	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण - असुरक्षित	**6,616.57**	**6,571.82**
बैंक ऋण - सुरक्षित	**29,300.00**	**21,800.00**
बैंक ऋण - असुरक्षित	1,000.00	-
कुल (ख)	98,916.57	90,371.82
कुल जोड़ (ए + बी)	1,51,170.54	1,12,426.18

वर्तमान वित्तीय उधारी के लिए नोट्स - उधारी		
I. वर्तमान उधार :		
कार्यशील पूंजी सुविधाएं		
(i) भारतीय स्टेट बैंक, शिलांग		
कार्यशील पूंजी मांग ऋण (शुद्ध)	-	-
आहरण की सीमा तक कंपनी के वर्तमान और भविष्य के सभी ऋणों बही और अन्य सभी इन्वेंटरी के बंधक के विरुद्ध सुरक्षित। 15.06.2023 को एसबीआई, शिलांग द्वारा कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) स्वीकृत किया गया। ब्याज 91 दिन के टी-बिल प्लस स्प्रेड पर आधारित है। 31.03.2024 तक अंतिम 91 दिनों का टी-बिल प्लस स्प्रेड 7.26% प्रति वर्ष की दर से है।सुविधा की अवधि 12.04.2024 तक वैध है।	20,100.00	14,500.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	34.47	42.85
(ii) नकद ऋण	20134.47	14,542.85
आहरण की सीमा तक कंपनी के वर्तमान और भविष्य के सभी ऋणों बही और अन्य सभी इन्वेंटरी के बंधक के विरुद्ध सुरक्षित। 15.06.2023 को एसबीआई, शिलांग द्वारा नकद ऋण स्वीकृत किया गया। Tब्याज दर 6 माह की एमसीएलआर तथा शून्य मार्जिन है।31.03.2024 तक 6 महीने की एमसीएलआर प्लस शून्य मार्जिन 8.55% प्रति वर्ष की दर से है। सुविधा की अवधि 12.04.2024 तक वैध है।	1,956.76	-
(ii) यस बैंक	-	7,500.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	11.51
अल्पावधि ऋण (नेट)	-	7,511.51
28.04.2022 को यस बैंक, शिलांग द्वारा असुरक्षित कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) स्वीकृत किया गया। यस बैंक द्वारा स्वीकृत डब्ल्यूसीडीएल 91 दिन के टी-बिल प्लस स्प्रेड की दर पर है। 31.03.2024 तक अंतिम 91 दिनों का टी-बिल प्लस स्प्रेड 7.99% प्रति वर्ष है।सुविधाओं की अवधि 12.04.2024 तक वैध है।		
(iii) एसबीआई से एसटीएल	30,000.00	-
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	162.74	-

अल्पावधि ऋण (नेट)	30,162.74	-
(03.02.2024 को एसबीआई से लिया गया ₹ 30000 लाख का ऋण असुरक्षित प्रकृति का है, जिसकी परिपक्वता अवधि प्रथम आहरण कीतिथि से 1 वर्ष है। ऋण की चुकौती प्रथम निकासी की तिथि से प्रत्येक के लिए 100.00 करोड़ रुपये की निकासी की एक वर्ष पूरा होनेपर निकासी की 6वीं, 9वीं और 12वीं मासिक पर की जानी है। ऋण की ब्याज दर 7.54% प्रति वर्ष (91-दिवसीय टी-बिल + 0.50%) है) ।		
कुल	**52,253.97**	**22,054.36**

II. गैर-वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
I.सुरक्षित उधारी		
क. निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
क. पंद्रहवां अंक	12,000.00	12,000.00
"10 वर्षों के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000/- प्रत्येक के 9.15% के दर से 25-03-2021; 25-03-2022; 25-03-2023; 25-03-2024 और 25-03-2025 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (त्रिपुरा में अगरतला गैस टरबाइन परियोजना (मूल ओपन-साइकिल प्लांट) की परिसंपत्तियां, असम गैस आधारित परियोजना, असम में गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन को छोड़कर परिसंपत्तियां, रंगानदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में उत्पादन स्टेशन में संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर परिसंपत्तियां और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन-जायदाद को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में लिया गया है।) ."		
ख. चौदहवाँ अंक	50,000.00	50,000.00
"10 वर्षों के लिए नीपको ने प्रत्येक ₹ 10,00,000 के 9.60% के दर से 01-10-2020; 01-10-2021; 01-10-2022; 01-10-2023 और 01-10-2024 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जलविद्युत परियोजना की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड के माध्यम से समरुप बंधक के रुप में चार्ज किया गया है) ।"		
ख. सुरक्षित अवधि ऋण		
i. रुपया ऋण :		
क. केनरा बैंक से मध्यम अवधि कॉर्पोरेट ऋण	12,500.00	12,500.00
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरुप प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण 03-02-2020 को पहली निकासी से 1 वर्ष की मोहलत के बाद 16 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।		
विदेशी मुद्रा ऋण		
ख. पंजाब नेशनल बैंक से कॉर्पोरेट टर्म लोन		
पीएनबी से मध्यम अवधि कॉर्पोरेट ऋण (नेट)		
"अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरुप प्रभार द्वारा सुरक्षित। पहली निकासी से 2 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है: 30.12.2022 से 17 करोड़ रुपये की 12 समान किस्तें, 30.12.2025 से 34 करोड़ रुपये की 8 समान किस्तें और 30.12.2027 से 93.50 करोड़ रुपये की 4 समान किस्तें।"	6,800.00	6,800.00
c.भारतीय स्टेट बैंक से रुपया टर्म लोन		

"अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरुप प्रभार द्वारा सुरक्षित। पहली निकासी से 2 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है: 30.12.2022 से 17 करोड़ रुपये की 12 समान किस्तें, 30.12.2025 से 34 करोड़ रुपये की 8 समान किस्तें और 30.12.2027 से 93.50 करोड़ रुपये की 4 समान किस्तें। ऋण की चुकौती, आहरण की पहली तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के पश्चात निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी: 9वीं से 20वीं तिमाही के अंत में 25.00 करोड़ रुपये प्रत्येक; 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत में 50.00 करोड़ रुपये प्रत्येक; 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में 75.00 करोड़ रुपये प्रत्येक।"	10,000.00	2,500.00
उप-योग	**91,300.00**	**83,800.00**
II असुरक्षित उधारी		
विदेशी मुद्रा ऋण		
केएफडब्लू, जर्मनी से ऋण	6,616.57	6,571.82
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया गया। 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण समझौता 11 दिसंबर 2008 और 20 दिसंबर 2017 को क्रमशः 3.46% प्रति वर्ष और 0.85% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर निष्पादित किया गया था। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है। 80 मिलियन यूरो की अंतिम ऋण किस्त 03.03.2016 को और 20 मिलियन यूरो 16.08.2018 को प्राप्त हुई थी। ऋण 30 बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में 30-12-2013 से और 20 बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में 30-12-2020 से चुकाने योग्य हैं।)		
(iii) मध्यम अवधि ऋण	1000.00	0.00
पीएनबी से ऋण		
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
पीएनबी से ऋण (नेट)	**1000.00**	**0.00**
29.11.2023 को पीएनबी से 30000 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण, जिसकी परिपक्वता अवधि पहली निकासी की तिथि से 7 वर्ष है। ऋण पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ष के अंत में 1000 लाख रुपये प्रत्येक के लिए चुकाया जाना है, अर्थात 29.11.2024, 29.11.2025, 29.11.2026, 29.11.2027, 29.11.2028 और 6वें और 7वें वर्ष के अंत में 12500 लाख रुपये अर्थात 28.11.2029 और 28.11.2030 को। ऋण के लिए ब्याज दर @ पीएनबी आरएलएलआर-एलीट योजना के तहत 7.75% प्रति वर्ष है।		
उप-योग	**7,616.57**	**6,571.82**
उधार का उप-योग	**98,916.57**	**90,371.82**
III अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं:		
बांड:	4,992.14	5,941.46
केएफडबल्यू से ऋण:	212.24	255.96
बाह्य वाणिज्यिक उधार	-	-
मध्यम अवधि ऋण	443.87	372.50
अधीनस्थ ऋण	-	-
माल की बिक्री पर टीसीएस अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं		-
उप कुल	**5,648.25**	**6,569.92**

नोट संख्या- 21 क वर्तमान पट्टा देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयताएं	1,000.48	607.67
कुल	**1,000.48**	**607.67**

नोट संख्या- 21 क वर्तमान पट्टा देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयताएं	1,000.48	607.67
कुल	**1,000.48**	**607.67**

नोट संख्या- 22 व्यापार देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	1,242.61	424.75
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया	16,533.13	18,715.71
कुल	**17,775.74**	**19,140.46**

देय व्यापार में मार्च 2024 माह के लिए ईंधन लागत का भुगतान और मार्च 2024 के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं पर किए गए प्रावधान शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आपूर्ति और सेवाओं के लिए ऋणदाता	17,775.74	19,140.46

"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
i. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि	1,242.61	-
ii. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किए गए ब्याज पर देय राशि	शून्य	शून्य
iii. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
iv. भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान अवधि के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
v.अर्जित तथा बकाया ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
vi. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दी जाती।	शून्य	शून्य

31 मार्च 2024 तक एमएसएमई को देय राशि विक्रेताओं से दावों की प्राप्ति से 45 दिनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है और तदनुसार उक्त बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

व्यापार देयताओं की समय-सीमा :

विवरण	31 मार्च 2023 तक						
	बिल रहित बकाया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज= ख से छ
(i) एमएसएमई	1,144.54	98.07	-	-	-	-	**1,242.61**
(ii) अन्य	5,119.32	9,158.23	1,643.46	89.05	23.73	499.34	**16,533.13**
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया राशि – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**6,263.86**	**9,256.30**	**1,643.46**	**89.05**	**23.73**	**499.34**	**17,775.74**

विवरण	31 मार्च 2023 तक						
	बिल रहित बकाया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज= ख से छ
(i) एमएसएमई	335.27	89.48	-	-	-	-	**424.75**
(ii) अन्य	2,731.14	14,832.24	547.09	135.76	280.91	188.57	**18,715.71**
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया राशि – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**3,066.41**	**14,921.72**	**547.09**	**135.76**	**280.91**	**188.57**	**19,140.46**

वर्तमान देनदारियां

नोट संख्या- 23 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
I अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं :		
बांड	4,992.14	5,941.46
केएफडब्ल्यू से ऋण	212.24	255.96
बाह्य वाणिज्यिक उधार	-	-
मध्यम अवधि ऋण	443.87	372.50
अधीनस्थ ऋण	-	-
उप कुल	5,648.25	6,569.92

II. अन्य देयताएं		
पूंजीगत व्यय के लिए देय		
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	122.43	287.39
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा	4,816.47	13,089.40
कर्मचारियों के लिए देय लाभ	7,902.18	7,481.11
अन्य प्रावधान	9,866.12	68.52
अंतरिम लाभांश चालू वर्ष	-	35,000.00
ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिधारण राशि, ईएमडी, एसडी और अन्य अग्रिम राशि	14,335.55	13,426.51
उप कुल	**37,042.75**	**69,352.93**
कुल	**42,691.00**	**75,922.85**

"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
i. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि	122.43	-
ii. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किए गए ब्याज पर देय राशि		
iii. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।		
iv. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो कि भुगतान की गई है लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन से परे है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।		
v.अर्जित तथा बकाया ब्याज की राशि।		
vi. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रुप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दी जाती।		

31 मार्च 2024 तक एमएसएमई को देय राशि विक्रेताओं से दावों की प्राप्ति से 45 दिनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है और तदनुसार उक्त बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

नोट संख्या- 24 अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य वैधानिक बकाया:		
(i) देय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर	3,427.03	819.57
(ii) अन्य वैधानिक बकाया (सीपीएफ, एलआईपी एनईएसएस आदि)	1,457.58	1,400.89
लाभार्थियों से अग्रिम राशि	1,246.60	3,660.06
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के लिए आईसी से अग्रिम	-	259.90
परियोजना प्रभावित लोगों को मुफ्त बिजली	96.95	-
कुल	**6,228.16**	**6,140.42**

24(i) ठेकेदारों एवं अन्य लोगों से प्राप्त प्रतिधारण राशि सुरक्षा जमा होता है, जो कार्य/आपूर्ति बिल से काटी गई बयाना राशि से संबंधित है जिसका निपटान अनुबंध/आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार दोष दायित्व अवधि के बाद कार्य पूरा होने पर किया जाएगा।

24(ii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में 31 मार्च 2024 तक किया गया टीडीएस और मार्च 2024 के कार्यों/आपूर्ति बिल से काटा गया जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, जो देय नहीं हैं और रिपोर्टिंग तिथि तक जमा नहीं किए गए हैं।

24(iii) देय अन्य वैधानिक देयताओं में भविष्य निधि में निगम का अंशदान, एलआईसी प्रीमियम में कटौती, पेंशन अंशदान, भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान तथा मार्च के दौरान की गई अन्य कटौती शामिल है, जो देय नहीं है तथा रिपोर्टिंग तिथि तक जमा नहीं की गई है।

नोट संख्या- 25 अल्पावधि प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	361.48	-
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ	2,861.23	2,477.76
छुट्टी नकदीकरण	16,670.42	16,392.78
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	37.62	10.17
कुल	**19,930.75**	**18,880.71**

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति पर सोने का सिक्का शामिल है। चालू वर्ष के लिए प्रावधान की वहन राशि में वृद्धि/कमी मुख्य रूप से चालू वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रभार के शुद्ध प्रभाव और चालू वर्ष में भुगतान किए गए लाभों के कारण है।

25(i) . परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी संबंधित कर्मियों की ओर से कई परिभाषित योगदान योजनाओं में भाग लेती है। इन योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त कोई भी व्यय उन योजनाओं के नियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों पर अवधि के दौरान उनके द्वारा देय योगदान के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। बैलेंस शीट में शामिल एकमात्र राशि पिछले महीनों के योगदान से संबंधित है, जिनका भुगतान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक नहीं किया जाना था। कंपनी द्वारा संचालित प्रमुख परिभाषित योगदान योजनाएँ इस प्रकार हैं:

क) भविष्य निधि

भारतीय कानून के अनुसार, कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों ही कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान देती है, जो सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है।वर्ष के लिए फंड में कंपनियों का योगदान ₹ 3469.50 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3536.48 लाख) था। भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्य को भुगतान करने के लिए निवेश ने पर्याप्त ब्याज अर्जित किया है।

ख) सेवानिवृत्ति निधि

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के का.ज्ञा. संख्या 2(70) /08-डीपीई (डब्ल्यूसी) /जीएल-xiv/08 दिनांक 26.11.2008 और का.ज्ञा. संख्या 2(70) /08-डीपीई (डब्ल्यूसी) /जीएल-vii/09 दिनांक 02.04.2009 के तहत जारी दिशा- निर्देशों अनुसार, कंपनी ने नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना तैयार की है। इस योजना का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट में कंपनी का योगदान वर्ष के लिए ₹ 2389.13 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2338.92 लाख) था।

25(ii) .परिभाषित लाभ योजनाएँ

क. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी

कंपनी के पास एक परिभाषित ग्रेच्युटी लाभ योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, वह सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है, जो अधिकतम 20.00 लाख रुपये तक हो सकता है। इसके लिए देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

01.04.2013 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने अपने संकल्प संख्या 195/16 दिनांक 1.4.2013 के तहत ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है, ताकि निगम की सेवाओं से अलग हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए धन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तदनुसार, 25 जून 2013 को नीपको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी आश्वासन निधि ट्रस्ट का गठन किया गया है और 5 अगस्त 2013 को भारतीय जीवन बीमा निगम से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी-सह-जीवन बीमा (नकद संचय) योजना नामक एक मास्टर पॉलिसी ली गई है।

31.03.2024 तक निधि शेष का आकलन करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एलआईसी के साथ लेन-देन नीपको की लेखा अनुसार हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
प्रारंभिक जमा	18,621.53	18,643.54
वर्ष के दौरान लेनदेन (शुद्ध डेबिट)	2,275.70	1,481.56
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज (नेट क्रेडिट)	1,331.13	1,459.55
जमा शेष	**17,676.96**	**18,621.53**

b. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं के लिए अंशदायी योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और सेवानिवृत्त/मृतक के जीवनसाथी को अंशदायी आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो इस प्रकार है:

निकटतम प्राधिकृत/अनुमोदित अस्पताल की दरों तक सीमित इनडोर उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

पैनलबद्ध अस्पतालों में बाह्य-रोगी/घरेलू उपचार के लिए, नैदानिक परीक्षणों, जांच, दवाओं की लागत और अन्य ओपीडी व्ययों के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है, जो कि प्रति वर्ष अंतिम मूल राशि की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के अधीन होती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।"

ग. सेवानिवृत्ति पर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

एक अच्छी संगठनात्मक संस्कृति को पोषित और कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई ईमानदारीपूर्ण सेवाओं की सराहना करने के उद्देश्य से, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर निगम एक स्वर्ण सिक्का प्रदान कर रहा है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

25(iii) . अन्य कर्मचारी लाभ

क. छुट्टी

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) और अर्ध वेतन अवकाश प्रदान करती है जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन सालाना अर्जित होते हैं। अर्जित अवकाश लेखा केवल एक अनुभाग अर्थात नकदीकरण योग्य में रखा जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/निगम से अलग होने पर, 300 दिनों की अधिकतम सीमा के अधीन संपूर्ण अवकाश (अर्जित अवकाश और अधिकतम 240 दिन अर्ध वेतन अवकाश) नकदीकरण योग्य होगा। अर्द्ध वेतनिक छुट्टी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्द्ध वेतनिक छुट्टी के लिए देय नकद समतुल्य राशि आधे दिन के वेतन तथा महंगाई भत्ते के लिए स्वीकार्य अवकाश वेतन के बराबर होगी। इसके लिए देयता की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

कंपनी के पास अनुकंपा नियुक्ति के बदले सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी इस योजना में बराबर का योगदान देती है। इस योजना का उद्देश्य कंपनी के किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित लाभार्थियों को नकद लाभ प्रदान करना है, जिसमें स्थायी पूर्ण विकलांगता के कारण रोजगार समाप्त होना भी शामिल है।

नोट संख्या- 26 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
" आस्थगित राजस्व		
सरकारी अनुदान से उत्पन्न आस्थगित राजस्व	**21,213.71**	22,802.18
घटा कर : वर्ष के दौरान समायोजित	**1,586.70**	1,592.91
कुल	**19,627.01**	**21,209.27**

नोट संख्या- 26ए आस्थगित राजस्व चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क) सरकारी अनुदान से उत्पन्न आस्थगित राजस्व	1,586.70	1,592.91
जोड़ कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	1,586.70	1,592.91
घटा कर : वर्ष के दौरान समायोजित	1,586.70	1,592.91
उप योग	**1,586.70**	**1,592.91**
ख) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	9,978.04	9,600.09
कुल	**11,564.74**	**11,193.00**

सरकारी अनुदान पर नोट (इंड एएस 20)

नीपको की अनुमोदित लेखांकन नीति में "सरकारी अनुदान" को शामिल और लेखांकन करना निहित है (नोट 1 का पैरा 14 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश) । भारत सरकार ने तुईरियल एचईपी के कार्यान्वयन के लिए नीपको को 29196.42 लाख रुपये की सहायक ऋण राशि को मंजूरी दी है, जिस पर परियोजना के "वाणिज्यिक संचालन की तिथि" से 1% प्रति वर्ष ब्याज देय होगा। उपरोक्त ऋण राशि में से नीपको को 31.03.2015 तक ₹ 29096.42 लाख प्राप्त हुए हैं तथा शेष ₹ 100.00 लाख वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त हुए हैं।31.03.2015 तक प्राप्त ऋण राशि (₹ 29096.42 लाख) को 01.04.2015 (भारतीय लेखा मानक संक्रमण तिथि) को नीपको की लेखा खाता में भारतीय लेखा मानक 101 (पूर्वव्यापी आवेदन के लिए अपवाद) के अनुपालन में उसके वहन मूल्य पर शामिल किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त ऋण राशि (₹ 100.00 लाख) के लिए, बाजार दर से कम ब्याज दर (जून 2015 तक प्रभावी एसबीआई आधार दर @ 9.70% मानते हुए) के कारण ऋण का लाभ ₹ 82.64 लाख है, जिसे सरकारी अनुदान के रूप में माना गया है और तदनुसार नीपको की लेखा खाता में शामिल किया गया है।"

सहायता अनुदान से अतिरिक्त धनराशि

केंद्र सरकार से प्राप्त "सहायता अनुदान" से खरीदे गए पुर्जों का कुल मूल्य ₹ 3659.53 लाख है और तदनुसार, असम गैस बेस्ड की लेखा विवरण में शामिल किया गया है। चालू अवधि के दौरान, मरम्मत और रखरखाव को डेबिट किया गया है और "सहायता अनुदान" के तहत पुर्जों के स्टॉक को ₹ 2.70 लाख (पिछले वर्ष ₹ 8.91 लाख) की राशि से क्रेडिट किया गया है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में एक समान राशि को आय के रूप में शामिल किया गया है।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुदान

विद्युत मंत्रालय के पत्र संख्या 7/7/2009-एच-आई दिनांक 14 जनवरी 2011 के तहत स्वीकृत निवेश अनुमोदन के अनुसार, तुईरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मिजोरम के लिए अनुमोदित फंडिंग पैटर्न के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) द्वारा ₹ 30000.00 लाख की राशि मंजूर की गई है। ₹ 300.00 करोड़ की कुल राशि अनुदान सहायता में शामिल है जो कि इसके परिचालन होने के बाद से परियोजना के मानक उपयोगी जीवन के दौरान परिशोधन के अधीन है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परिशोधित राशि ₹ 1584.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1584.00 लाख) है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में इस समतुल्य राशि को आय के रूप में शामिल किया गया है।"

नोट संख्या- 27 परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
ऊर्जा की बिक्री	3,25,400.29	3,49,174.31
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री	85,097.19	91,844.22
बिजली शुल्क	412.07	-
डीएसएम से राजस्व	6,742.40	3,962.75
आरआरएएस/टीआरएएस से राजस्व	1,088.68	1,254.35
अन्य :		
लाभार्थियों से एफईआरवी (नेट)	659.69	467.51
फाइलिंग फीस	127.78	71.46
लाभार्थियों से एनईआरएलडीसी शुल्क और अन्य शुल्क	895.86	596.86
रिएक्टिव एनर्जी की बिक्री	35.04	-
बिजली की बिक्री (शुद्ध)	**4,20,459.00**	**4,47,371.46**
अन्य परिचालन राजस्व :		
लाभार्थियों से ब्याज	1,911.04	6,762.37
आस्थगित राजस्व को शामिल कर - सरकारी अनुदान	1,586.70	1,592.90
परिचालन से शुद्ध राजस्व	**4,23,956.74**	**4,55,726.73**

क. बिजली की बिक्री का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा स्वीकृत टैरिफ के आधार पर लगाया जाता है। ऐसे बिजलीघरों के मामले में जहां अंतिम टैरिफ को सीईआरसी द्वारा अभी मंजूरी नहीं दी गई है, ऊर्जा की बिक्री केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम 2019 में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर प्रदान की जाती है। ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनके लिए न तो सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर लगाया जाता है। बिजली की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को वितरित की गई बिक्री शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, जिसे आमतौर पर "बिना बिल वाला राजस्व" कहा जाता है।

ख. बिजली की बिक्री में शामिल हैं:-

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
वार्षिक निश्चित लागत (लंबित टैरिफ आदेश)	9,911.12	10,045.51
ऊर्जा प्रभारों की कमी के कारण वसूली (केएएचपीएस: 3103.37 लाख रुपये, पीएलएचपीएस: 1785.82 लाख रुपये, टीएचपीएस: 10207.08 लाख रुपये और डीएचपीएस: 4149.42 लाख रुपये)	19,245.69	-
टैरिफ को अंतिम रूप देने और ऑर्डर को सही करने से उत्पन्न पिछले वर्ष की बिक्री*	2,060.92	9,940.46
गैस ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण क्षमता प्रभार की हानि के लिए नीपको की याचिका संख्या 225/एमपी/2017 में सीईआरसी द्वारा मुआवजे का आदेश दिया गया।	4,622.92	-
चालू वित्त वर्ष में एजीबीपीएस और एजिजीबीपीएस के लिए ओपन साइकिल के मद में क्रमशः 52.45 लाख रुपये और 78.59 लाख रुपये का बकाया प्राप्त हुआ।	131.04	-
तुईरियल एचपीएस के लिए सहायक खपत और एनएपीएएफ का संशोधन	1,048.45	
वेतन पर असर	304.70	2,935.82
ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र	69.09	69.59
ग्रेच्युटी का अतिरिक्त प्रभाव	-	6,725.64
वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के लिए लाभार्थियों से सीधे वसूल की गई/वसूली योग्य राशि, जो वर्ष के दौरान पूरी हो गई।**	1,637.33	1,452.02
लाभार्थियों को दी जाने वाली छूट	(805.29)	(2,102.92)
	38,225.97	**29,066.12**

* 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, नीपको ने खानडोंग एचईपी (2 X 25 मोगावाट) , एजिजीबीपीएस (135 मोगावाट) और तुईरियल एचईपी के संबंध में सीईआरसी द्वारा 2014-19 के लिए जारी टैरिफ आदेशों और 2019-24 के लिए जारी टैरिफ आदेशों के कारण "ऊर्जा की बिक्री" के रूप में 2060.92 लाख रुपये और "लाभार्थियों से ब्याज" के रूप में 1911.04 लाख रुपये की आय प्राप्त किया। "ऊर्जा की बिक्री" के तहत उक्त राजस्व में खानडोंग एचईपी (413.98 लाख रुपये) और एजिजीबीपीएस (1646.95 लाख रुपये) शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें खांगडोंग एचपीएस (134.07 लाख रुपये) , एजिजीबीपीएस (1255.54 लाख रुपये) और तुईरियल एचपीएस (521.41 लाख रुपये) से संबंधित "लाभार्थियों से ब्याज" भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन विद्युत स्टेशनों के मामले में, जहां 2019-24 की अवधि के लिए अंतिम टैरिफ को सीईआरसी द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है, कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त अनंतिम राजस्व 9911.11 लाख रुपये को नीपको की लेखा खाता में शामिल किया गया है।

**सीईआरसी (शुल्क की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के विनियमन 67 के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए स्थगित कर देयताएं, जब भी वे वास्तविक होंगी, उन्हें उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों या लाभार्थियों या दीर्घकालिक ट्रांसमिशन ग्राहकों/डीआईसी से, जैसा भी मामला हो, सीधे वसूल किया जा सकेगा। तदनुसार, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री में पिछले वर्ष की राशि 47.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित 0.45 लाख रुपये के समायोजन के बाद ₹ 1452.02 लाख) को समायोजित करने के बाद ₹ 1637.33 लाख शामिल हैं।

c.एनईआरपीसी द्वारा जारी साप्ताहिक विवरण के अनुसार, डीएसएम और आरआरएएस का लेखा 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया है।

नोट- 28 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	358.77	526.77
जमा कार्यों के निष्पादन से आय	211.90	-
अन्य विविध प्राप्तियाँ	595.42	357.58
इनफार्म पावर	159.10	-
देयता/प्रावधान का पून: लेखांकन		
अन्य	493.32	7.77
लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	848.88	545.68
उप-योग	**2,667.39**	**1,437.80**
अन्य लाभ और हानि		
पीपीई के निपटान पर लाभ/(हानि)	45.74	2.93
	2,713.13	**1,440.73**
घटा कर : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित नोट 34 (ङ) और 34 (च) (i)	247.04	103.96
कुल	**2,466.09**	**1,336.77**

28(i) अन्य विविध प्राप्तियों में ट्रांजिट हॉस्टल किराया, ठेकेदारों से वसूली, जब्त ईएमडी, परियोजना परामर्श से आय, आवासीय/गैर-आवासीय भवन से किराए की वसूली, कर्मचारियों से ऋण पर ब्याज, ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से अन्य वसूली, निविदा पत्र की बिक्री आदि शामिल हैं।

28(ii) देयता/ प्रावधान का पुन: लेखांकन - अन्य में वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित देय पीआरपी (365.81 लाख रुपये) के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान और मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के लिए अन्य प्रावधान (127.51 लाख रुपये) शामिल हैं।

नोट संख्या-29 ईंधन लागत

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
गैस की खरीद	1,24,616.69	1,44,849.84
गैस के लिए परिवहन शुल्क	1,025.55	2,837.58
कुल	**1,25,642.24**	**1,47,687.42**

नोट- 30 कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी	38,994.51	42,561.99
भविष्य निधि में अंशदान	3,469.50	3,536.48
ग्रेच्युटी	723.62	1,013.86
एनईडीसीएसएस में योगदान	2,389.13	2,338.92
छुट्टी नकदीकरण	3,154.79	5,770.72
कर्मचारी कल्याण व्यय	101.84	136.41
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	732.04	676.44
कुल	**49,565.43**	**56,034.82**
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34(क) एवं 34(च) (ii)	6,279.65	4,628.68
लाभ एवं हानि विवरण में अग्रेषित किया गया	**43,285.78**	**51,406.14**

30(i) .पात्र कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी देय है, बशर्ते कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन प्रस्तुत करें और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। तदनुसार ब्याज सब्सिडी को उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमत वास्तविक भुगतान के आधार पर लेखा खाता में शामिल किया जाता है।

30(ii) . कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों के लिए निम्नलिखित शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और भत्ते	140.58	88.54
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	20.71	13.11
अन्य लाभ	27.53	35.91
कुल	**188.82**	**137.56**

30(iii) . कर्मचारी कल्याण व्यय में कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, अन्य सेवा कल्याण लाभ (सोने का सिक्का, गृह निर्माण ऋण पर ब्याज सब्सिडी, पट्टे पर आवास आदि) शामिल हैं।

नोट- 31 वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
क. ब्याज व्यय		
सीसी और डब्ल्यूसीडीएल सहित अल्पावधि उधार पर ब्याज	2,807.56	427.69
बांड पर ब्याज	29,477.83	38,873.73
दीर्घ, मध्यम एवं कॉर्पोरेट अवधि ऋण पर ब्याज	23,407.05	13,854.76
केएफडब्ल्यू ऋण पर ब्याज	949.38	1,075.22
भारत सरकार से ऋण पर ब्याज	291.96	291.96
ईसीबी ऋण पर ब्याज	-	444.69
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव-हानि/(लाभ)	93.56	757.22
ब्याज व्यय - पट्टे के अंतर्गत संपत्ति	210.01	125.94
ब्याज व्यय - अन्य	-	204.91
ख. वित्त प्रभार		
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क ईआईआर के बाद	496.15	540.81
ग. अन्य उधार लागत	72.42	164.02
कुल	**57,805.92**	**56,760.95**
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34(ख) और 34(च) (iv)	4,967.87	3,093.82
लाभ एवं हानि के विवरण में अग्रेषित की गई राशि	**52,838.05**	**53,667.13**

नोट- 32 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
पीपीई मूल्यह्रास (नोट संख्या-2)	85,086.61	82,828.51
अमूर्त संपत्ति (नोट संख्या-4)	717.46	845.29
उप-योग	**85,804.07**	**83,673.80**
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34सी) और 34 (च) (iii)	323.43	123.64
लाभ एवं हानि विवरण में अग्रेषित	**85,480.64**	**83,550.16**

नोट संख्या-33 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादन व्यय		
मरम्मत एवं रखरखाव :		
सड़कें एवं इमारतें	4,270.84	3,150.11
पावर हाउस	10,558.69	9,317.43
हाइड्रोलिक कार्य	2,507.14	1,312.46
लाइन एवं सब-स्टेशन	423.51	452.99
अन्य	1,570.70	993.18
भण्डार एवं पुर्जे (अनुदान सहायता के तहत)	2.70	8.91
"घटा कर : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित नोट संख्या - 34(घ) "	1,460.38	**1,908.23**
उप योग	17,873.19	**13,326.85**
प्रशासनिक व्यय		
यात्रा खर्च	593.05	564.83
विज्ञापन व्यय	554.19	90.48
बीमा शुल्क	7,324.45	8,128.30
किराया	56.10	50.67
दर एवं कर	22.23	19.13
मनोरंजन व्यय	178.40	34.74
लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय **[नोट 33(i) देखें]**	23.48	18.46
परिवहन व्यय	1,574.30	1,584.88
किराया शुल्क	-	1.98
मुद्रण एवं स्टेशनरी	69.68	61.28
डाक व्यय	3.39	3.37
चिकित्सा व्यय	1,690.98	1,379.43
लाइसेंस और पंजीकरण	30.68	33.91
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	0.44	1.44
वर्दी और पोशाक	516.54	1,018.08
मानदेय	11.96	2.26
बिजली शुल्क	321.01	478.55
बैंक शुल्क	26.53	237.10
सामाजिक कल्याण	1,386.77	1,245.30
परामर्श शुल्क	428.52	509.19
पेशेवर शुल्क	137.82	96.52
प्रारंभिक व्यय	10,955.68	-
सुरक्षा व्यवस्था	4,874.84	4,219.78
प्रशिक्षण का खर्च	260.43	211.63
स्टाफ भर्ती व्यय	39.04	0.27
अस्पताल सुविधाएं	71.52	85.10
सदस्यता एवं सदस्यता शुल्क	441.11	240.81

विवरण	मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
संचार व्यय	312.56	179.85
कार्यालय साज-सज्जा	34.52	15.50
विविध व्यय	555.07	986.79
आई.बी.	372.93	376.22
प्रयोगशाला एवं मीटर परीक्षण शुल्क	2.13	3.50
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	453.93	176.44
फोटोग्राफिक रिकॉर्ड	1.55	0.56
स्टॉक/अग्रिम की हानि को बट्टे खाते में डाला गया **[नोट 33(ii) देखें]**	1.81	18.56
ईडीपी व्यय	1,119.94	950.24
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	63.96	16.66
कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	454.42	422.42
आकस्मिक व्यय सौभाग्य	-	-
क्षतिग्रस्त/गैर-अनुरेखणीय संपत्ति **[नोट 33(ii) देखें]**	395.71	179.80
मुआवज़ा	265.95	14.68
बोर्ड मीटिंग का खर्च	70.92	52.83
प्रचार-प्रसार व्यय	588.42	203.12
कानूनी व्यय	910.26	522.24
सीईआरसी को फाइलिंग शुल्क	146.81	95.28
एनईआरएलडीसी फीस और शुल्क	1,089.21	731.07
अनुसंधान एवं विकास व्यय	2.92	59.88
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और एस.डी. **[नोट 46 देखें]**	764.20	508.78
आरआरएएस/टीआरएएस- व्यय	4,418.31	4,303.86
रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार	12.70	-
ट्रेडिंग व्यय	923.32	5,285.14
ऊर्जा संरक्षण व्यय	8.66	-
निविदा व्यय	0.05	-
कोविड 19 व्यय	-	13.46
स्वच्छ भारत व्यय	10.18	4.71
विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.50	295.56
घटा कर : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित	**13,894.29**	**2,633.86**
उप योग	30,679.79	33,100.78
अन्य खर्चो		
बिजली शुल्क	197.04	416.49
डीएसएम शुल्क/देय	1,488.41	636.87
पीएम कुसुम	-	311.48
मध्यस्थता निर्णय [नोट 33(ii) देखें]	6,711.84	-
रुफ-टॉप सौर कार्यक्रम	-	170.71
आज़ादी का अमृत महोत्सव	7.08	86.76
बट्टे खाते में डालने का प्रावधान- अन्य **[नोट 33(ii) देखें]**	-	4,852.11
उप-योग	8,404.37	6,474.42
कुल	**56,957.35**	**52,902.05**

33(i) लेखापरीक्षा व्यय के संबंध में विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक के रूप में :		
लेखापरीक्षा शुल्क	14.96	10.80
सीमित समीक्षा	**6.81**	**6.48**
अन्य वर्ग में:		
अन्य सेवाएँ (प्रमाणन शुल्क)	**1.71**	**1.18**
कुल	**23.48**	**18.46**

33(ii) के लिए प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टॉक की हानि/कमी/संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम	1.81	18.56
क्षतिग्रस्त/ गैर-अनुरेखणीय संपत्ति	395.71	179.80
मध्यस्थता के मामले	6,711.84	-
बट्टे खाते में डालने का प्रावधान-अन्य*	-	4,852.11
कुल	**7,109.36**	**5,050.47**

* बट्टे खाते में डालने के लिए प्रावधान - अन्य में मुख्य रुप से टीएसईसीएल से प्राप्त होने वाले एलपीएस के विरुद्ध प्रावधान तथा परिसंपत्ति और इन्वेंटरी को बट्टे खाते में डालने के लिए अन्य प्रावधान शामिल हैं।

नोट क्रमांक-34 निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	2,383.00	3599.08
भविष्य निधि में योगदान	223.40	288.63
उपहार	40.47	62.02
एनईडीसीएसएस में योगदान	149.27	193.62
नकदीकरण छोड़े	165.28	476.22
कर्मचारी कल्याण व्यय	6.75	9.11
उप कुल	**2,968.17**	**4,628.68**
(ख) ब्याज और वित्त शुल्क		
झ) ब्याज व्यय		
दीर्घ, मध्यम और कॉर्पोरेट सावधि ऋणपर ब्याज	4,227.28	3,075.67
ब्याज व्यय - पट्टे के तहत संपत्ति	9.18	17.04
iii. अन्य उधार लागत		1.11
उप कुल	**4,236.46**	**3,093.82**
ग. मूल्यह्रास- उप कुल	**116.27**	**123.64**
घ. उत्पादन व्यय		
मरम्मत और रखरखाव:		
सड़कें और इमारतें	318.58	285.65
बिजली घर, अन्य संयंत्र और उपकरण	563.42	1,144.09
अन्य	578.38	478.49
उप कुल	**1,460.38**	**1,908.23**

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
ङ. प्रशासन व्यय		
यात्रा खर्च	46.16	46.50
बीमा शुल्क	838.58	800.57
किराए	41.81	38.05
दरें एवं कर	0.11	0.17
मनोरंजन व्यय	4.89	0.51
परिवहन व्यय	160.84	221.29
मुद्रण एवं स्टेशनरी	5.01	6.42
डाक	0.06	0.27
चिकित्सा के खर्चे	77.69	98.17
लाइसेंस एवं पंजीकरण	0.67	1.67
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	0.07	0.01
वर्दी और पोशाकें	27.08	72.04
बिजली एवं जल शुल्क	259.43	165.23
बैंक शुल्क	0.38	4.87
समाज कल्याण	7.61	1.00
परामर्श शुल्क	-	92.64
व्यावसायिक शुल्क	99.92	
प्रारंभिक व्यय	10,949.26	
सुरक्षा व्यवस्था	447.00	665.84
प्रशिक्षण व्यय	10.05	17.00
अस्पताल की सुविधाएं	4.06	7.58
संचार व्यय	20.29	13.00
कार्यालय साज-सज्जा	0.08	2.04
विविध व्यय	41.53	347.95
आई.बी. खर्च	4.58	11.50
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	284.39	
ईडीपी व्यय	10.00	19.44
कोविड 19 व्यय	-	0.10
उप कुल	**13,341.55**	**2,633.86**
च. कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
i. अन्य कमाई	(1.88)	
ii. कर्मचारी लाभ व्यय	3,311.48	
iii. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	207.16	
iv. ब्याज एवं वित्त व्यय	731.41	
v. अन्य खर्चों	552.74	
उप कुल	**4,800.91**	**-**
कुल योग	**26,923.74**	**12,388.23**
छ. कम: गैर-परिचालन रसीदें		
अग्रिमों से ब्याज		0.13
ट्रांजिट हॉस्टल वसूली	0.18	-
किराये की वसूली	14.30	1.78
विविध आय*	71.58	102.05
अशक्त शक्ति	159.10	-
उप कुल	**245.16**	**103.96**
शुद्ध योग	**26,678.58**	**12,284.27**

*विविध आय में ठेकेदार से वसूली, निविदा पत्र की बिक्री, कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम का परिशोधन आदि शामिल हैं।

नोट संख्या- 35 आय प्रति शेयर "

निम्न तालिका मूल और पतला आय प्रति शेयर गणना में उपयोग की जाने वाली आय और शेयर डेटा को दर्शाती है।"

(₹ लाख में)

	विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	**कर पश्चात एवं विनियामक आस्थगन खातों से पूर्व लाभ (₹ लाख में)**		34,207.61
(ख)	**कर पश्चात लाभ एवं विनियामक आस्थगन खाते (₹ लाख में)**		39,690.08
	घटाएं: पतला भाग के लिए भुगतान की जाने वाली राशि (कर के बाद शुद्ध)		
	साधारण शेयरधारकों को देय लाभ - बेसिक ईपीएस के लिए		39,690.08
	सामान्य शेयरधारकों को देय लाभ - डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए		39,690.08
(ग)	बेसिक ईपीएस के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या		3609810400
	डाइल्यूटेड के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या - ईपीएस		3609810400
(घ)	सामान्य शेयरों का अंकित मूल्य (₹)		10.00
(ङ)	विनियामक आस्थगन खातों से पहले प्रति इक्विटी शेयर आय :		
	(i) मूल राशि (₹ में) (वार्षिकीकृत नहीं)		0.95
	(ii) डाइल्यूटेड (₹ में)		0.95
(च)	विनियामक आस्थगन खातों के बाद प्रति इक्विटी शेयर आय:		
	(i) मूल राशि (₹ में) (वार्षिकीकृत नहीं)		1.10
	(ii) डाइल्यूटेड(₹ में)		1.10

नोट संख्या- 36 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रदान नहीं की गई है)

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
आकस्मिक देयताएं :		
कंपनी के विरुद्ध दावों को निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया:		
- - कैपिटल वर्क्स के खिलाफ लंबित मुकदमा	2,86,685.70	2,75,242.36
भूमि मुआवज़ा मामले	638.00	2,365.00
विवादित आयकर मांग	1,992.06	27,614.24
अन्य # [नोट 36(i) देखें]	23,295.00	19,239.00
कुल	**3,12,610.76**	**3,24,460.60**
प्रतिबद्धताएँ :		
पूंजीगत अनुबंधों पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिम और जमा का शुद्ध)	-	-
संपत्ति संयंत्र उपकरण	11,708.02	37,718.70

36(i) कंपनी के खिलाफ दावों को 31 मार्च 2024 तक ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया, जिसमें निर्धारण वर्ष के लिए उनके कर निर्धारण के पूरा होने पर कर के भुगतान के लिए आयकर अधिकारियों से मांग शामिल है। 2020-21 की राशि ₹ 1992.06 लाख।

#31.03.2024 तक 32.00 लाख रुपये की ग्रेच्युटी, 64.00 लाख रुपये की ईपीएफ राशि, कुल रुपये के मनी सूट से संबंधित अदालती प्रक्रिया के कारण लंबित विभिन्न मामले शामिल हैं। 665.00 लाख रुपये और ग्रामीण विद्युतीकरण के पूरा होने के खिलाफ एनईईपीसीओ से शेष राशि की वसूली और न्यू मेलिंग एचईपी और सीवे नफरा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अरुणाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त / सचिव (विद्युत) द्वारा पारित समाप्ति नोटिस को चुनौती देने वाली रिट याचिका। त्रिपुरा राज्य के दो जिलों में 22534.00 लाख रुपये की राशि।"

36(ii) मध्यस्थता न्यायाधिकरण/न्यायालयों के समक्ष कुछ मामले लंबित हैं, जिनके लिए दावों की राशि का आकलन किया जाना बाकी है।

36(iii) कंपनी मांग का विरोध कर रही है और उसके कर सलाहकारों सहित प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में उसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम का कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम।

36(iv) कंपनी कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी का प्रबंधन उचित रुप से यह अपेक्षा नहीं करता है कि ये कानूनी कार्रवाइयां, जब अंततः संपन्न और निर्धारित की जाएंगी, तो कंपनी के परिचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

36(v) तुइरियल एचपीएस बनाम डी.ए खुमा के लिए पूंजीगत कार्य के खिलाफ 195.34 लाख रुपये का मुकदमा लंबित है, जिसके लिए निचली अदालत ने ठेकेदार के पक्ष में दिनांक 31.03.2024 को आदेश पारित किया है। निगम मामले की योग्यता का पता लगाने की प्रक्रिया में है। हालाँकि, ठेकेदार ने "विवाद से विश्वास योजना - II" के तहत मामले का निपटारा करने की मांग की है। परियोजना स्थल पर मामले की जांच चल रही है।

नोट नं. 37 विनियामक स्थगन लेखा शेषों में आंदोलन

दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृति कंपनी मुख्य रुप से बिजली के उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। जिस टैरिफ के आधार पर कंपनी अपने लाभार्थियों को बेची गई बिजली के लिए बिल देती है, वह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृति कंपनी मुख्य रुप से बिजली के उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसके आधार पर कंपनी अपने लाभार्थियों को बेची गई बिजली का बिल केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के अनुपालन में निर्धारित करती है। सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, जो समय-समय पर लागू होते हैं। उक्त विनियम कंपनी को सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी लागत और उचित रिटर्न वसूलने की अनुमति देते हैं।

पहचान एवं माप

- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2019-2024 की नियंत्रण अवधि के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) के तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (टीआरएचईपी) की वार्षिक निश्चित लागत (एएफ़सी) के निर्धारण के दौरान, जिसके लिए आदेश दिया जाएगा 16.04.2021 को जारी, माननीय आयोग ने सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के निर्णय के अनुरुप उक्त उद्देश्यों के लिए नीपको द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर 2% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी है। परियोजना की आरसीई (टीआरएचईपी) पर विचार करने के लिए दिनांक 04.06.2010 को आयोजित बैठक के दौरान भारत सरकार।
- सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार दरें और कार्यप्रणाली, जिसके आधार पर टीआरएचईपी के लिए मूल्यह्रास की गणना की गई है और विचाराधीन अवधि के लिए एनईईपीसीओ के लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया गया है, सीईआरसी आदेश के अनुसार टैरिफ के माध्यम से पुनर्प्राप्त करने की अनुमति से भिन्न है। सीईआरसी नियमों के अनुसार मूल्यह्रास की उच्च दर के कारण, वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) के बाद से टीआरएचईपी के संचालन के पहले 12 (बारह) वर्षों के लिए लाभ और हानि खाते के विवरण पर लगाया गया मूल्यह्रास मूल्यह्रास से अधिक होगा। टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है, जिसे भविष्य में उत्पादन स्टेशन के मानक जीवन की शेष अवधि के दौरान उलट दिया जाएगा। तदनुसार, उत्पादन स्टेशन के संचालन की प्रारंभिक अवधि के दौरान "राजस्व" के रूप में प्राप्त कम मूल्यह्रास को बाद की अवधि के दौरान वसूल/समायोजित किया जाएगा।
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की अवधि में वसूली योग्य/समायोज्य सीमा तक मूल्यह्रास के अंतर को बिना छूट के आधार पर "नियामक स्थगन खाता डेबिट/क्रेडिट शेष" के रूप में क्रेडिट/डेबिट द्वारा "नियामक स्थगन खाता शेष के संचलन" के रूप में मान्यता दी गई है। ."
- 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान उपरोक्त के आधार पर मान्यता प्राप्त "नियामक स्थगन खाता डेबिट शेष" इस प्रकार है"

(₹ लाख में)

विवरण	(₹ लाख में)
सीईआरसी दरों की अनुसूची के अनुसार मूल्यह्रास	6,987.08
दिनांक 09.10.2018 के टैरिफ आदेश के तहत सीईआरसी द्वारा अनुमत मूल्यह्रास @2%	2,813.38
अंतर ("नियामक स्थगन शेष" के रूप में मान्यता प्राप्त)	**4,173.70**

"ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के संबंध में विनियामक स्थगन खाता शेष:

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 मार्च 2018 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 12) को अधिसूचित किया है और इस प्रकार ग्रेच्युटी की सीमा को मौजूदा ₹ से बढ़ाकर ₹ 20.00 (बीस) लाख कर दिया है। 10 (दस) लाख.

सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8 (3) में प्रावधान है कि "आयोग निम्नलिखित अनियंत्रित मापदंडों के प्रदर्शन के आधार पर उत्पादन स्टेशन के टैरिफ का सही निर्धारण करेगा: i) अप्रत्याशित घटना;, ii) कानून में बदलाव; और iii) प्राथमिक ईंधन लागत।

ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार सीमा को ₹20.00 लाख तक बढ़ाने के कारण ग्रेच्युटी खर्च में वृद्धि "कानून में बदलाव" की श्रेणी में आती है।

तदनुसार, 31.03.2018 को नीपको (कंपनी) की पुस्तकों में "नियामक डिफरल खाता शेष" के रूप में मान्यता प्राप्त CERC टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से अपेक्षित सीमा तक ₹ 4793.47 लाख की राशि वसूली योग्य होगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने नीपको की याचिका संख्या में दिनांक 23.01.2023 के आदेश द्वारा। 718/एमपी/2020 ने नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए "अतिरिक्त ओ एंड एम व्यय" के रूप में ग्रेच्युटी सीमा की उपरोक्त वृद्धि के प्रभाव की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है। तदनुसार, माननीय आयोग द्वारा अनुमत राशि को ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान "नियामक डिफरल खाता शेष" के तहत पड़े ₹ 4793.47 लाख के उलट के साथ "ऑपरेशन से राजस्व" के तहत मान्यता दी गई है।"

संचालनाधीन परियोजनाओं के लिए आस्थगित कर देनदारियों पर आस्थगित समायोजन के संबंध में विनियामक आस्थगन खाते शेष:

नीपको ने अपने उत्पादन स्टेशनों से उत्पन्न बिजली बेचने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों (जिन्हें 'लाभार्थी' कहा जाता है) के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया है। नीपको के उत्पादन स्टेशनों के लिए टैरिफ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए उनके अधिसूचित टैरिफ नियमों के अनुपालन में निर्धारित किए जाते हैं। सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के अनुसार, आरओई को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लागू प्रभावी कर दर के साथ जोड़ा जाता है। तदनुसार, बिजली की बिक्री से उत्पन्न आय पर वर्ष के दौरान अर्जित आस्थगित कर और भविष्य की अवधि में समायोज्य/उलट जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक हिस्सा बनेगी और लाभार्थियों से वसूली योग्य होगी, को "विरुद्ध कर समायोजन के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन" के रुप में दर्ज किया गया है। आस्थगित कर देयता", जिसे "नियामक आय" के रुप में मान्यता दी गई है और इंडस्ट्रीज़ एएस 114 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में एक अलग लाइन आइटम के रूप में "नियामक आस्थगित खाता शेष" में एक आंदोलन के रुप में प्रस्तुत किया गया है।"

लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के पुनर्वर्गीकरण के कारण विनियामक आस्थगन शेष खाता

"सीईआरसी (टैरिफ विनियमों के नियम और शर्तें) 2019 के विनियम 67 के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देनदारियां, जब भी वे अमल में आएंगी, उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों द्वारा सीधे तत्कालीन लाभार्थियों या दीर्घकालिक से वसूली योग्य होंगी। ग्राहकों के लिए, जैसा भी मामला हो, 31 मार्च, 2019 तक भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले आस्थगित कर को आस्थगित कर देनदारी के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इसे "नियामक आस्थगित खातों की शेष राशि" के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी वित्त वर्ष 2023-24 इंडस्ट्रीज़ एएस 114 के अनुरूप है और इसे विनियामक स्थगन खाता शेष के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली या देय पुस्तकों में विनियमित संपत्ति (+) /देयता (-) इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	विनियामक आस्थगन खाता शेष
क)	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	37,171.49
ख)	31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि (संपत्ति (+) /देयता (-)	-
ग)	अवधि के दौरान एकत्र की गई राशि (-) /वापसी (+) ।	(1,589.79)
घ)	लाभ और हानि विवरण (बी-सी) में मान्यता प्राप्त विनियामक आय/(व्यय)	(1,589.79)
ङ)	31.03.2024 को समापन शेष (ए+डी)	35,581.70

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर के संबंध में शेष विनियामक स्थगन खाता

इंड एएस 21 के पैरा 28 - "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" में यह प्रावधान है कि मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर या मौद्रिक वस्तुओं को उन दरों से भिन्न दरों पर अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिस पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किया गया था। या पिछले वित्तीय विवरणों में उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी जिसमें वे उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा, इंडस्ट्रीज़ एएस 101 का पैरा डी13 एए - "भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना" यह प्रावधान करता है कि पहली बार अपनाने वाला मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के अनुवाद से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। पिछले GAAP के अनुसार पहली इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में। तदनुसार, 01.04.2016 को या उसके बाद शुरु होने वाली अवधि के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी जाने वाली सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर के अलावा मौद्रिक वस्तुओं के अनुवाद/निपटान पर उत्पन्न होने वाले सभी विनिमय अंतर को विवरण में लिया जाएगा। लाभ और हानि. सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के विनियम 69 में प्रावधान है कि प्रत्येक उत्पादक कंपनी और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी विदेशी विनिमय दर में बदलाव को साल-दर-साल आधार पर उस अवधि में आय या व्यय के रूप में वसूल करेंगे, जिसमें यह उत्पन्न होता है।

लाभार्थियों को दिए जाने वाले MAT क्रेडिट के संबंध में शेष विनियामक स्थगन खाता :

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 से शुरु होने वाली अवधि के लिए 24525.30 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की मैट क्रेडिट पात्रता को मान्यता दी। MAT क्रेडिट के उपयोग से भविष्य के वर्षों में प्रभावी कर दर कम हो जाएगी।

तदनुसार, लाभार्थियों से संबंधित उक्त मैट क्रेडिट पात्रता के अनुरुप 19143.61 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) के 'नियामक स्थगन खाता शेष' को भी मान्यता दी गई है।

तुइरियल एचपीएस-आर्बिट्रल अवार्ड के संबंध में विनियामक स्थगन खाता शेष:

निर्माण गतिविधियों के निष्पादन के दौरान, 2004 के दौरान, तुइरियल मुआवजा दावेदार एसोसिएशन द्वारा एक बंद और सड़क नाकाबंदी का आह्वान किया गया था, जिसके कारण परियोजना स्थल पर सिविल कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) ने शुरु में एनईईपीसीओ को केवल प्रारंभिक कार्य के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया, जिसके बाद, बिजली मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि परियोजना के संबंध में सिविल कार्य 09.06 से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। 2004. यद्यपि उपरोक्त अवधि के दौरान निर्माण गतिविधियों को रोक रखा गया था, लेकिन परियोजना में सभी प्रशासनिक गतिविधियाँ प्रचलित थीं। हालाँकि, परियोजना पर तकनीकी और प्रशासनिक कार्य जारी रहा। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.11.2011 को दी गई सूचना के अनुसार परियोजना के लिए सीसीईए की मंजूरी पर परियोजना में निर्माण कार्य 14.01.2011 से फिर से शुरु हुआ और परियोजना वित्त वर्ष 2017-18 में चालू की गई थी। प्लांट में काम बंद होने के कारण ठेकेदार ने आर्बिट्रेशन के तहत केस दायर कर दिया। मध्यस्थ पुरस्कार दिनांक 21-08-2016 (लॉट-I/II/III) और 14-10-2016 (2-रोड्स) और माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 30-05-2023 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के आदेशों के संदर्भ में ठेकेदार के पक्ष में, 31.03.2024 तक खाते की पुस्तकों में एक प्रावधान बनाया गया था।

सीईआरसी टैरिफ विनियम टैरिफ निर्धारण के लिए ऐसी लागतों को शामिल करने की अनुमति देते हैं यदि निर्माण गतिविधियों की समाप्ति परियोजना डेवलपर के नियंत्रण से परे थी। तदनुसार, और दर विनियमित गतिविधियों और इंडस्ट्रीज़ एएस 114 पर मार्गदर्शन नोट के अनुरुप, उपरोक्त व्यय को नियामक स्थगन खाता (डेबिट) शेष के रुप में मान्यता दी गई है।

इंडस्ट्रीज़ एएस 16 के अनुसार खातों की पुस्तकों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाई गई राशि को तुइरियल हाइड्रो पावर स्टेशन के मध्यस्थ पुरस्कार के संबंध में इंडस्ट्रीज़ एएस 114 के तहत विनियामक स्थगन खाता शेष के रुप में मान्यता दी गई है। खातों की पुस्तकों में पूंजीकृत राशि को परियोजना के जीवनकाल, यानी 40 वर्षों के दौरान सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए मूल्यह्रास के अनुपात में परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अवधि 2024-29 के लिए टैरिफ विनियमों के खंड संख्या 91 के अनुरुप लाभ और हानि खातों के विवरण पर लगाए गए मध्यस्थ पुरस्कार का ब्याज हिस्सा लाभार्थियों से वसूल किया जाएगा।

तदनुसार, प्रबंधन का मानना है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन तुइरियल हाइड्रो पावर स्टेशन के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष की भविष्य की वसूली के लिए जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की संभावना नहीं है।"

कोपिली एचपीएस-आर्बिट्रल अवार्ड के संबंध में शेष: विनियामक स्थगन खाता

कोपिली जलविद्युत परियोजना के लिए कोपिली नदी पर खंडोंग बांध और उमरोंग स्ट्रीम पर उमरोंग बांध के निर्माण का ठेका वित्त वर्ष 1977-78 में दिया गया था।

कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान अधिक दूरी से रेत की ढुलाई और नई खदान की स्थापना के कारण अतिरिक्त/अतिरिक्त खर्चों को लेकर ठेकेदार के साथ विवाद उत्पन्न हुआ। उपरोक्त दावे के निपटारे के लिए मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

इस बीच, ठेकेदार ने विवाद से विश्वास-II योजना (वीएसवी-II) के माध्यम से अपने दावे उठाए। उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तथा समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये तथा ठेकेदार को दावे का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में कर दिया गया।

सीईआरसी टैरिफ विनियम उन गतिविधियों के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए ऐसी लागतों को शामिल करने की अनुमति देते हैं जो परियोजना डेवलपर के नियंत्रण से परे थीं। तदनुसार, और दर विनियमित गतिविधियों और इंडस्ट्रीज़ एएस 114 पर मार्गदर्शन नोट के अनुरुप, उपरोक्त व्यय को नियामक स्थगन खाता (डेबिट) शेष के रुप में मान्यता दी गई है।

इंडस्ट्रीज़ एएस 16 के अनुसार खातों की पुस्तकों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाई गई राशि को विवाद से विश्वास - II योजना (वीएसवी- II) के माध्यम से तय किए गए मध्यस्थ पुरस्कार के संबंध में इंडस्ट्रीज़ एएस 114 के तहत विनियामक स्थगन खाता शेष के रुप में मान्यता दी गई है। .

खातों की पुस्तकों में पूंजीकृत राशि को परियोजना के जीवनकाल के दौरान सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए मूल्यह्रास के अनुपात में परिशोधित/समाप्त किया जाएगा। सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अवधि 2024-29 के लिए टैरिफ विनियमों के खंड संख्या 91 के अनुरुप लाभ और हानि खातों के विवरण पर लगाए गए मध्यस्थ पुरस्कार का ब्याज हिस्सा लाभार्थियों से वसूल किया जाएगा।

तदनुसार, प्रबंधन का मानना है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष की भविष्य की वसूली के लिए जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की संभावना नहीं है।

विनियामक स्थगन खातों के शेष - मान्यता प्राप्त (नोट 16 देखें) :

भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल/भुगतान की जाने वाली पुस्तकों में मान्यता प्राप्त विनियामक संपत्तियां इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. प्रारंभिक शेष	99,295.21	92,344.55
बी. वर्ष के दौरान आंदोलनों के कारण		
(i) तुरियल मूल्यह्रास	4,173.70	4,113.61
(ii) आस्थगित कर दायित्व के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन	7,980.98	10,542.90
(iii) आस्थगित कर वसूली योग्य	(1,589.79)	(1,452.47)
(iv) तुइरियल एचपीएस-आर्बिट्रल अवार्ड	4,398.98	-
(v) कोपिली एचपीएस-मध्यस्थता पुरस्कार	470.47	-
(vi) मैट क्रेडिट लाभार्थियों को दिया जाएगा	(18,128.66)	-
(vii) कर्मचारी लाभ-ग्रेच्युटी	-	(4,793.47)
(viii) विनिमय अंतर	-	(1,459.91)
वर्ष के दौरान कुल संचलन	**(2,694.32)**	**6,950.66**
सी. वर्ष के दौरान एकत्रित/वापसी की गई राशि	-	-
डी. लाभ और हानि विवरण (बी-सी) में मान्यता प्राप्त शेष विनियामक स्थगन खाता	(2,694.32)	6,950.66
ई. अंतिम रोकड़	**96,600.89**	**99,295.21**
एफ. विनियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध हलचल (I)	(2,694.32)	6,950.66
जी. विनियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध उतार-चढ़ाव पर कर (II)	(192.98)	1,468.19
एच. लाभ विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि (I - II)	**(2,501.34)**	**5,482.47**

“विनियामक स्थगन खाता शेष की पहचान के लिए विचार की गई रिटर्न की दर/छूट की दर “शून्य” है, विनियामक स्थगन खाता शेष की भविष्य की वसूली से जुड़ा जोखिम/अनिश्चितता

• मांग जोखिम: विनियामक स्थगन शेष की वसूली इसके लाभार्थियों को बिलिंग के अधीन होती है और तदनुसार संबंधित सामान्य जोखिमों से जुड़ी होती है, जैसे, ग्राहकों का उनके बकाया के निपटान के प्रति रवैया, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की उपलब्धता आदि।

•नियामक जोखिम: विनियमों में परिवर्तन, यदि कोई हो, के कारण और दर निर्धारण आवेदन प्रस्तुत करने या अनुमोदन या अपेक्षित भविष्य की नियामक कार्रवाइयों पर इकाई के मूल्यांकन के कारण। वह अवधि जिसके ठीक होने की उम्मीद है

• अन्य: कंपनी से परियोजनाओं/उत्पादन स्टेशनों के मानक उपयोगी जीवन की अवधि के दौरान नियामक स्थगन खाता शेष की वहन राशि को पुनर्प्राप्त/समायोजित करने की उम्मीद की जाती है।”

नोट संख्या- 38: संबंधित पक्ष के खुलासे

ND AS-24 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(क) संबंधित पार्टियों की सूची

i. होल्डिंग कंपनी: एनटीपीसी लिमिटेड

भारत सरकार के पास 26 मार्च 2020 तक नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व हिस्सेदारी थी। हालाँकि, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण 27 मार्च 2020 को शेयर खरीद समझौते के अनुसार शेयर हस्तांतरण के माध्यम से पूरा किया गया। भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच 25 मार्च 2020। 31 मार्च 2024 तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व हिस्सेदारी है।

ख. संयुक्त उद्यम :

केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, 8-2-293/82/ए/431/ए, रोड नंबर 22, जुबली हिल्स, हैदराबाद - 500 033, भारत। इस संयुक्त उद्यम में नीपको लिमिटेड की 30% हिस्सेदारी है।

ग. कंपनियों/कॉर्पोरेट निकायों के नाम जो होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम हैं:

1. एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड
2. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
3. एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।
4. भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
5. पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
6. मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
7. एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड
8. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
9. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड
10. हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
11. झाबुआ पावर लिमिटेड
12. रत्न गिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
13. टस्को लिमिटेड
14. यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड
15. एनटीपीसी-जीई पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
16. एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड
17. एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
18. अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
19. एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20. ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स केरल लिमिटेड
21. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
22. सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
23. अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
24. त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड
25. बांग्लादेश-भारत मैत्री पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

घ. कंपनियां जिनमें निदेशक निदेशक हैं
1. एनएचपीसी लिमिटेड
2. नॉर्थ ईस्ट इंडिया आयुष कंसोर्टियम लिमिटेड
3. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4. एनएचडीसी लिमिटेड
5. एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
6. ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
7. टस्को लिमिटेड
ङ. नीपको के निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
(i) · पूर्णकालिक निदेशक:

1 श्री आर.के.विश्नोई	01.01.2019 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभालना। 02.06.2022 से 31.05.2023 और निदेशक (तकनीकी)
2. श्री गुरदीप सिंह	01.01.2019 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभालना। 01.06.2023
3. श्री बी.महाराणा	निदेशक (वित्त) सह मुख्य वित्त अधिकारी।
4. श्री रनेन्द्र शर्मा	निदेशक (तकनीकी) दिनांक 01.07.19 से 18.04.2023
5. श्री दिलीप कुमार पटेल	निदेशक (कार्मिक) दिनांक 01.07.2019 से 18.07.2023 से 31.07.2023 और प्रभावी। 14.09.2023 से 24.09.2023
6. मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम (सेवानिवृत्त)	निदेशक (कार्मिक) दिनांक 01.07.2019 से 25.09.2023
(ii) . स्वतंत्र निदेशक:	
1. डॉ विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र निदेशक
2. श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक
(iii) . नामांकित निदेशक	
1. श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य	30.11.2023 तक नामांकित निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड
2. श्री जय कुमार श्रीनिवासन	नामित निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड
3. शंभू नाथ त्रिपाठी	नामांकित निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड. 15.12.2023
4. श्री जितेश जॉन	सरकार के नामित निदेशक. 30.11.2023 तक भारत का
5. पीयूष सिंह	सरकार के नामित निदेशक. भारत के दिनांक 01.07.19 से 20.02.2024
(iv) कंपनी सचिव	
श्री अबिनोम पानू रोंग	कंपनी सचिव

ख) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद		
सहयोगियों को माल की बिक्री	"	
कच्चे माल की खरीद	"	
ट्रेडिंग के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री : एनवीवीएन	"	
ट्रेडिंग के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री : पीटीसी		-
	85,097.19	**91,844.22**
अन्य लेन-देन		
लाभांश के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान/देय		
(क) (क) वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश 2021-22	"	
(ख) वित्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश 2022-23	"	
(ख) वित्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश 2023-24		-
व्यापारिक व्यय के लिए एनवीवीएन लिमिटेड - व्यावसायिक शुल्क		133.68
व्यापारिक व्यय के लिए एनपीटीसी लिमिटेड - व्यावसायिक शुल्क		-
एनटीपीसी लिमिटेड		5.19
ई-वाहन किराये पर लेने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड		7.88
नीपको लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट		9,412.55
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट		3,742.62
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट		2,477.76
नीपको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट		892.41
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट		44.31
सहायक कंपनियों/जेवी कंपनियों/फर्मों और कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं		-
कुल	**41,091.06**	**53,216.40**

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए मुआवजा (केएमपी) (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
वेतन एवं भत्ते		109.71
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान		15.24
अन्य लाभ		38.41
बैठने की फीस		16.11
कुल	**235.27**	**179.47**

घ) संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष

(₹ लाख में)

(i) वसूली योग्य राशि	31.03.2024	31.03.2023
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	-	-
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट	-	-
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	174.71	246.17
नीपको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट	-	153.17
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एनटीपीसी लि	5.54	11.03
टीडीएस के लिए एनवीवीएन लिमिटेड	0.33	2.05
एनवीवीएन से प्राप्य	4,527.68	2,401.46

(₹ लाख में)

(ii) देय राशि	31.03.2024	31.03.2023
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	875.14	780.88
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट	305.12	305.79
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	2,861.23	2,477.76
नीपको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट	361.48	-
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	3.39	3.55
एनटीपीसी लिमिटेड - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश	-	35,000.00
ई-वाहन किराये पर लेने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड	1.38	0.59
एनटीपीसी लिमिटेड	43.76	-

एक ही सरकार के अधीन कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव वाली अन्य संस्थाएँ:

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

(₹ लाख में)

कंपनी का नाम	रिश्ते की प्रकृति
भारत सरकार	होल्डिंग कंपनी में शेयरधारक जिसका कंपनी पर नियंत्रण है
एनटीपीसी लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी (100%)

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन जो उसी सरकार के नियंत्रण में हैं जिसका होल्डिंग कंपनी (एनटीपीसी लिमिटेड) पर नियंत्रण है।

(₹ लाख में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा लेनदेन की प्रकृति	31.03.2024	31.03.2023
ऑयल इंडिया लिमिटेड	गैस की खरीद	80829.20	83051.09
भेल	पुर्जों की आपूर्ति	5298.93	4860.20
आईओसी लि	गैस/एचएसडी/स्नेहक की खरीद	189.01	2168.19
ओएनजीसी	गैस की खरीद	15862.41	16707.66
गेल (इंडिया) लिमिटेड	गैस की खरीद	28165.56	42187.31
कुल		**130345.11**	**148974.45**

(₹ लाख में)

होल्डिंग कंपनी (एनटीपीसी लिमिटेड) पर नियंत्रण रखने वाली सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन	31.03.2024	31.03.2023
भारत सरकार को विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	491.03	528.35
कंपनी द्वारा भारत सरकार को भुगतान किए गए अधीनस्थ ऋण पर ब्याज	291.96	291.96

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर और उचित मूल्य पर किया जाता है

नोट संख्या 39 अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी ने बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे रिपोर्टिंग तिथि पर लिया गया था।

बी. हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध: चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन और बकाया शेष नहीं।

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	हटाई गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च 2024 तक बकाया शेष	1 मार्च 2023 तक बकाया शेष	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध
		शून्य			

सी. (i) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर किए गए त्रैमासिक रिटर्न या वर्तमान परिसंपत्तियों के विवरण खातों की किताबों के अनुरुप हैं।

(ii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।"

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।"

डी. कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सके।

ई. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरु नहीं की गई है या लंबित है।

एफ. कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।

जी. कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 2013.

एच. कंपनी अपने खातों की पुस्तकों में कोई निवेश संपत्ति नहीं रखती है, इसलिए निवेश संपत्ति का उचित मूल्यांकन लागू नहीं होता है।

आई. वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

जे. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

के. कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को/से कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है और न ही लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

एल. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी योजना या व्यवस्था को मंजूरी नहीं दी गई है.

एम. अघोषित आय: कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय या किसी लेनदेन के रूप में समर्पण या खुलासा नहीं किया है। वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई खोज या सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसके अलावा, कंपनी के पास पहले से दर्ज न की गई कोई आय और संबंधित संपत्ति (पिछले वर्ष शून्य) नहीं है।

एन. क्रिप्टो या आभासी मुद्रा: कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान क्रिप्टो या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

अनुपातों का प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

अनुपात	अंश-गणक	भाजक	31.03.2024 को	31.03.2023 को	% विचरण	विचरण का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देयताएँ	0.536	0.554	(3.29)	चालू वित्त वर्ष के लिए चालू परिसंपत्तियाँ कम हैं जबकि चालू देयताएँ पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक हैं।
ऋण इक्विटी अनुपात	चुकता ऋण पूंजी (दीर्घकालिक उधार+अल्पकालिक उधार)	शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	1.088	1.083	0.49	चालू वित्त वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण में वृद्धि हुई है, जबकि पिछली अवधि की तुलना में कुल इक्विटी में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरुप पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि हुई है।
ऋण-सेवा कवरेज अनुपात	वर्ष के लिए लाभ+वित्त लागत मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय+असाधारण मदें	वित्त लागत + पट्टा भुगतान+दीर्घकालिक उधारों का निर्धारित मूलधन पुनर्भुगतान	1.142	1.138	0.33	पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ऋण सेवाओं में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	वर्ष का लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.08	0.06	33.81	पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि के कारण अनुपात बेहतर है
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	33.95	33.01	2.87	पिछले वर्ष की तुलना में औसत इन्वेंट्री में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	परिचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	4.76	6.36	(25.20)	चालू अवधि के लिए औसत देनदारों में कमी के कारण अनुपात कम है
व्यापार देयता कारोबार अनुपात	कुल खरीद (ईंधन लागत + अन्य खर्च + इन्वेंटरी बंद करना-इन्वेंट्री खोलना)	अंतिम व्यापार देय	9.89	14.40	(31.31)	नेट क्रेडिट खरीद में कमी के कारण अनुपात कम है
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी+दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता	3.65	4.16	(12.43)	पिछले वर्ष की तुलना में कार्यशील पूंजी में वृद्धि के कारण अनुपात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम दिखाई दिया
शुद्ध लाभ अनुपात	वर्ष का लाभ	परिचालन से राजस्व	0.13	0.09	48.45	पिछले वर्ष की तुलना में पीएटी में वृद्धि के कारण अनुपात चालू वित्त वर्ष में बेहतर है।
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी(i)	0.07	0.09	(15.88)	पिछली अवधि की तुलना में ईबीआईटी में कमी और नियोजित पूंजी में वृद्धि के परिणामस्वरुप अनुपात में कमी आई है।

अनुपात	अंश-गणक	भाजक	31.03.2024 को	31.03.2023 को	% विचरण	विचरण का कारण
निवेश पर प्रतिफल (ii) - सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	{एमवी(टी1) – एमवी(टी0) – योग [सी(टी1)]}	{एमवी(टी0) + योग [डब्ल्यू(टी) * सी(टी2)]}	-	-	-	नीपको के लिए निवेश दोनों वित्तीय वर्षों के लिए शून्य है।
निवेश पर रिटर्न(ii) - दूसरों में निवेश	{एमवी(टी1) – एमवी(टी0) – योग [सी(टी1)]}	{एमवी(टी0) + योग [डब्ल्यू(टी) * सी(टी2)]}	-	-	-	नीपको के लिए निवेश (या तो एसटीडीआर में या अन्य निवेशों में) दोनों वित्तीय वर्षों के लिए शून्य है।

** हर नकारात्मक है

(i) लगाई गई पूंजी = मूर्त शुद्ध संपत्ति + कुल ऋण + आस्थगित कर देनदारियां

(ii) निवेश पर रिटर्न कहां

टी1 = समयावधि का अंत

टी = टी1 और टी0 के बीच आने वाली विशिष्ट तिथि

एमवी(टी1) = टी1 पर बाजार मूल्य

एमवी(टी0) = टी0 पर बाजार मूल्य

सी(टी1) = नकदी प्रवाह, प्राप्त लाभांश सहित विशिष्ट तिथि पर नकदी बहिर्वाह

सी (टी2) = नकदी प्रवाह, प्राप्त लाभांश को छोड़कर विशिष्ट तिथि पर नकदी बहिर्वाह

डब्ल्यू(टी) = दिन 'टी' पर शुद्ध नकदी प्रवाह (यानी या तो शुद्ध प्रवाह या शुद्ध बहिर्वाह) का वजन, [टी1 - टी] / टी1 के रुप में गणना की जाती है

जे(आई) कोपिली एचपीएस (50X4 मेगावाट) पर प्रकटीकरण:

(i) पेनस्टॉक । - कंपनी के कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन, उमरोंग्सो, असम की 02 (दो) इकाइयों (प्रत्येक 50 मेगावाट) की फीडिंग 07.10.2019 को यूनिट-I (50 मेगावाट) के लोड थ्रू ऑफ और ट्रिपिंग के कारण टूट गई। . दुर्घटना के दौरान 03 (तीन) अन्य इकाइयाँ पूर्ण लोड में थीं। पेनस्टॉक के तीन स्थानों पर टूट-फूट हुई, जिसमें वाल्व हाउस के तुरंत नीचे की ओर स्थित स्थान भी शामिल है। घटना में पेनस्टॉक सुरक्षा वाल्व समापन तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया था और इसलिए, पेनस्टॉक को अलग करने के लिए वाल्व को बंद नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप, बहुत ही कम समय के भीतर पावर हाउस में ईओटी क्रेन बीम स्तर तक पानी भर गया। उक्त उत्पादन संयंत्र की मरम्मत, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरआरएम) गतिविधियां चल रही हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक, कोपिली एचपीएस (50X4 मेगावाट) की चार इकाइयों में से, तीन इकाइयों की सीओडी पहले ही अनुशंसित हो चुकी थी यानी यूनिट # 4: सीओडी दिनांक 01.12.2017 से घोषित किया गया। 20.08.2023 को 00:00 बजे, यूनिट # 3: सीओडी घोषित 03.09.2023 को 00:00 बजे और यूनिट # 2: सीओडी घोषित किया गया। 12.11.2023 को 00:00 बजे। टरबाइन शाफ्ट मुक्त गतिविधि पूरी हो गई। जनरेटर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। अंतिम इकाई यानी यूनिट #1 मई 2024 के भीतर आने की उम्मीद है।

जे (II) खंडोंग एचपीएस (2 X 25 मेगावाट) और कोपिली चरण II (1 X 25 मेगावाट) एचपीएस पर प्रकटीकरण:

कोपिली नदी में अभूतपूर्व शुष्क मौसम की बाढ़ के परिणामस्वरूप, नियोजित मरम्मत और नवीकरण कार्यों के लिए एप्रोच चैनल पर बनाया गया बांध 26 मार्च 2022 को ओवरटॉप हो गया, जिससे कोपिली जलाशय से खंडिंग एचआरटी में पानी का अनियंत्रित प्रवेश हो गया। डिस्चार्ज पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर बहता है और खंडोंग पावर हाउस (2 X 25 मेगावाट) और कोपिली स्टेज II पावर हाउस (1 X 25 मेगावाट) में बाढ़ आ जाती है, जिससे पावर स्टेशनों और उसके संयंत्र और मशीनरी को नुकसान होता है। निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं। वाई-पीस की नींव में आरसीसी कार्य, मध्यवर्ती बीम स्तर तक वाल्व हाउस, पावर हाउस की दीवार और फर्श का नवीनीकरण। दीवार पुट्टी की सफाई 80% अंदर और 20% बाहर पूरी हो गई है। ईंट का काम 100% पूरा हो गया है और प्लास्टरिंग 95%, टेल रेस चैनल नवीनीकरण कार्य: टीआरसी के दोनों किनारों पर स्टोन मेसनरी जैसे सुरक्षा कार्य, टेल रेस चैनल नवीनीकरण कार्य: टीआरसी के दोनों किनारों पर स्टोन मेसनरी जैसे सुरक्षा कार्य पूरे हो गए हैं। ईएम पैकेज के लिए प्लांट स्तर की इंजीनियरिंग/ड्राइंग और डिजाइन ज्ञापन का अनुमोदन, टर्बाइन और जेनरेटर और स्विचयार्ड के विभिन्न घटकों की फोर्जिंग, कास्टिंग, मशीनिंग और निर्माण कार्य प्रगति पर है। काम मई और जुलाई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

जे (III) नवीकरणीय ऊर्जा (सौर परियोजना- चरण- I) , 300 मेगावाट:

नवीकरणीय ऊर्जा (सौर परियोजना- चरण- I) , 300 मेगावाट भानीपुरा, बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। परियोजना का वार्षिक उत्पादन 762.30 एमयू है जिसमें डीसी: एसी अनुपात 1.5 (फिक्ड टिल्ट सिस्टम) है। एलओआई मेसर्स वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को जारी किया गया है और अनुबंध समझौता 22.03.2024 को किया गया था। ठेकेदार ने राजस्थान के बीकानेर के भानीपुरा में सोलर पार्क में निजी लीजहोल्ड भूमि (455 हेक्टेयर) और पीजीसीआईएल, बीकानेर-II सबस्टेशन पर इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी पर 15 किमी ट्रांसमिशन लाइन की पेशकश की है। ठेकेदार ने 27.03.2024 को प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) और 27.03.2024 को एडवांस बैंक गारंटी (एबीजी) एनईईपीसीओ को जमा कर दी थी।"

जे (IV) टाटो-II एचईपी (700 मेगावाट), हीओ एचईपी (240 मेगावाट) और टाटो-I एचईपी (186 मेगावाट) :

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.12.2021 के पत्र के माध्यम से 240 मेगावाट हीओ एचईपी, 186 मेगावाट टाटो-I एचईपी (यारजेप नदी पर) और 700 मेगावाट टाटो-II एचईपी (सियोम नदी पर) सियांग बेसिन में एक अन्य अध्ययन और नीपको को संभावित आवंटन के लिए इंगित किया है। इन परियोजनाओं को आलो-टाटो-मेचुका सड़क के साथ-साथ निकटवर्ती क्षेत्र में कैस्केड विकास के रूप में परिकल्पित किया गया है और इन्हें पहले ही टीईसी, ईसी आदि प्रदान किया जा चुका है। राज्य और केंद्र सरकारों के एसओपीएस की शर्तों का अनुपालन करते हुए, परियोजनाओं को संबंधित निजी डेवलपर्स से 04.08.2023 को ले लिया गया है। 12.08.2023 को इन तीनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार (जीओएपी) और नीपको के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। निदेशक मंडल ने 10.11.2023 को आयोजित अपनी बैठक में इन तीनों परियोजनाओं के पूर्व-निवेश व्यय को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है:

टाटो-II एचईपी (700 मेगावाट) :

वर्तमान लागत: कठिन लागत: ₹ 6035.18 करोड़, आईडीसी: ₹1096.01 करोड़ कुल लागत: ₹ 7131.19 करोड़ (पीएल: जुलाई 2023) I प्रथम वर्ष का टैरिफ: ₹5.31/यूनिट और लेवलाइज़्ड टैरिफ: ₹ 5.28/यूनिट। टेक्नो इकोनॉमिक क्लीयरेंस 30.09.2025 तक वैधता के साथ नीपको के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। पर्यावरण मंजूरी 01.01.2024 को नीपको के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई। एफसी-I के अनुदान के लिए वन मंजूरी आवेदन 13.01.2024 को परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया। पीएससी-I 27.03.2024 को उत्तीर्ण हुआ। भूमि मुआवजा राशि जिला प्रशासन को 05.02.2024 को जारी की गई। जिला प्राधिकारियों द्वारा भूमि मालिकों को मुआवजे का वितरण संबंधित डीएफओ द्वारा प्रक्रियाधीन पीएससी-II में किया जा रहा है। एलआईडीएआर का उपयोग करते हुए पुष्टिकरण सर्वेक्षण प्रगति पर है, डायवर्जन सुरंग कार्यों के लिए निविदा 30.11.2023 को जारी की गई, बोली स्तर परामर्श कार्य प्रदान किया गया और मसौदा पीआईबी मेमो एमओपी को प्रस्तुत किया गया। लागत अनुमान को अद्यतन करने के बाद टिप्पणियों का उत्तर भेजा जाएगा"

एचईओ एचईपी (240 मेगावाट) :

वर्तमान लागत: कठिन लागत: ₹1614.55 करोड़ आईडीसी: ₹158.67 करोड़, कुल लागत: ₹1773.22 करोड़ (पीएल: जुलाई 2023) I प्रथम वर्ष का टैरिफ: ₹3.73/यूनिट और लेवलाइज़्ड टैरिफ: ₹3.75/यूनिट। टेक्नो इकोनॉमिक क्लीयरेंस 30.09.2025 तक वैधता के साथ नीपको के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। पर्यावरण मंजूरी 01.01.2024 को नीपको के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई। एफसी-I में वन मंजूरी उपयोगकर्ता एजेंसी को 31.01.2024 को नीपको के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। 07.03.2024 को प्राप्त प्रतिपूरक लेवी के लिए एपीसीसीएफ के 16.94 करोड़ रुपये के संशोधित मांग नोट। ऑनलाइन भुगतान 09.04.2024 को जारी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा भूमि एवं संपत्ति सर्वेक्षण दिनांक 08.02.2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। LIDAR का उपयोग कर पुष्टिकरण सर्वेक्षण प्रगति पर है। ड्राफ्ट पीआईबी मेमो एमओपी को प्रस्तुत किया गया। लागत अनुमान को अद्यतन करने के बाद टिप्पणियों का उत्तर भेजा जाएगा।

टाटो-I एचईपी (186 मेगावाट) :

वर्तमान समय की कठिन लागत: ₹1461.43 करोड़ आईडीसी: ₹ 142.84 करोड़। कुल लागत: ₹1604.27 करोड़, (पीएल: जुलाई 2023) प्रथम वर्ष के टैरिफ के साथ: ₹4.52/यूनिट और लेवलाइज़्ड टैरिफ ₹4.77/यूनिट।

टेक्नो इकोनॉमिक क्लीयरेंस 30.09.2025 तक वैधता के साथ नीपको के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। पर्यावरण मंजूरी 01.01.2024 को नीपको के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई। एफसी-I में वन मंजूरी उपयोगकर्ता एजेंसी को 31.01.2024 को नीपको के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। 07.03.2024 को प्राप्त प्रतिपूरक लेवी के लिए एपीसीसीएफ के 14.04 करोड़ रुपये के संशोधित मांग नोट और 09.04.2024 को भुगतान जारी किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा भूमि एवं संपत्ति भूमि एवं संपत्ति सर्वेक्षण दिनांक 08.02.2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। एलआईडीएआर का उपयोग करते हुए पुष्टिकरण सर्वेक्षण प्रगति पर है और ड्राफ्ट पीआईबी मेमो एमओपी को सौंप दिया गया है। लागत अनुमान को अद्यतन करने के बाद टिप्पणियों का उत्तर भेजा जाएगा।"

जे (वी) वाह उमियाम चरण-III एचईपी (85 मेगावाट) , मेघालय:

20 अप्रैल 2012 को मेघालय सरकार और नीपको के बीच एमओए पर हस्ताक्षर किए गए थे। सीईए ने 26 जुलाई 2021 को परियोजना के संबंध में मूल्यांकन दिया। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (MoEF&CC) , सरकार द्वारा फरवरी 2018 में पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की गई है। भारत का चरण- I वन मंजूरी (एफ़सी-I) के

अधीन। एफसी-I वर्तमान में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) , शिलांग, एमओईएफ और सीसी के साथ प्रक्रियाधीन है। अधिग्रहण के लिए आवश्यक 88 हेक्टेयर में से लगभग 60 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। शेष क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना है जिसके लिए जिला प्रशासन से बातचीत चल रही है।

जे(VI) कुरुंग एचईपी (330 मेगावाट) , अरुणाचल प्रदेश:

सरकार के साथ एमओए पर हस्ताक्षर किये गये। 27.01.2015 को अरुणाचल प्रदेश की। निवेश-पूर्व मंजूरी सितंबर 2021 में दी गई थी। डीपीआर तैयार करने का काम मार्च 2023 में सौंपा गया है और डीपीआर तैयार करने की गतिविधियां प्रक्रिया में हैं। ईआईए/ईएमपी की तैयारी मई 2023 में प्रदान की गई थी और प्रक्रियाधीन है।

के. इंडस्ट्रीज़ एएस 116 'पट्टों के अनुसार प्रकटीकरण

(I) इंडस्ट्रीज़ एएस 116 में संक्रमण

कंपनी ने इंडस्ट्रीज़ एएस 116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं: (i) समान समाप्ति तिथि के साथ समान आर्थिक माहौल में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की गई।

(ii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर 12 महीने से कम की लीज अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग की संपत्ति और देनदारियों के अधिकार को मान्यता नहीं देने की छूट लागू की गई।

(iii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति के माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो, को बाहर रखा गया है।

(iii) इंडस्ट्रीज़ एएस 116 में परिवर्तन पर, इंडस्ट्रीज़ एएस 116 के तहत मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 8.69% है। वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित समझौतों के लिए भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 7.75% ली गई है।

(II) पट्टेदार के रूप में कंपनी

(i) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

ए) गेस्ट हाउस/ट्रांजिट कैंप के लिए परिसर जो रद्द नहीं किए जा सकते हैं और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होते हैं।

बी) कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को पांच साल की अवधि के लिए परिचालन पट्टे पर लिया है, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। लीज किराये में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो सकती है।

(ग) कंपनी ने कुछ वाहनों (इलेक्ट्रिकल के अलावा) को 12 महीने से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर लिया है।

(III) मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की अग्रणीत राशि और अवधि के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	1,086.30	1,011.83
पट्टा देनदारियों में वृद्धि	1,776.17	677.22
वर्ष के दौरान ब्याज लागत	210.02	125.94
पट्टा देनदारियों का भुगतान	1,056.94	728.69
जमा शेष	**2,015.55**	**1,086.30**
वर्तमान	1,000.48	607.67
अप्रचलित	1,015.07	478.63

(IV) 31.03.2024 को "पट्टे पर ली गई संपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार" की अग्रणीत राशियाँ निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	1,004.57	939.39
पट्टा देनदारियों में वृद्धि	1,776.17	677.22
अवधि के दौरान परिशोधन	903.29	612.04
जमा शेष	1,877.45	1,004.57

(V) लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास व्यय	903.29	612.04
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	210.02	125.94
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	-	-

(VI) लीज देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताओं का विवरण हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष से भी कम	1,000.48	607.67
एक से दो साल के बीच	594.48	341.20
दो से तीन साल के बीच	273.54	127.37
तीन से चार साल के बीच	147.05	10.06
चार से पांच साल के बीच	-	-
पाँच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**2,015.55**	**1,086.30**

एल. कंपनी अधिनियम, 2013 और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की अनुसूची III के अनुसार आवश्यक 31 मार्च 2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
क) किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि:		
मूल धन	**1,365.04**	**287.39**
उस पर ब्याज देय	-	-
बी) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) अर्जित और शेष अवैतनिक ब्याज की राशि	-	-
ई) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त ब्याज की राशि शेष है और आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यमों को किया जाता है।	-	-

विक्रेताओं को भुगतान संबंधित अनुबंधों के नियमों और शर्तों के अनुसार, जब और जब देय होता है, किया जाता है।

एम. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन/अनुमान में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान, इंडस्ट्रीज़ एएस 1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" के प्रावधान के तहत निर्धारित सामग्री लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित नए सम्मिलित पैरा 117 ए, बी, सी के माध्यम से संशोधन के अनुपालन में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन/संशोधन किए गए हैं। . सामग्री लेखांकन नीति में इन संशोधनों के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अनुमान में बदलाव:

तकनीकी मूल्यांकन, ओईएम से फीडबैक, गैस आपूर्तिकर्ता द्वारा आश्वासन और प्रबंधन द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, असम गैस आधारित पावर स्टेशन (एजीबीपीएस) 291 मेगावाट का उपयोगी जीवन एक और बढ़ने का अनुमान है। 15 वर्ष और इसलिए 31.03.2039 तक पावर स्टेशन के विस्तार का प्रस्ताव करने वाली सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की गई है।

तदनुसार, सीईआरसी से अंतिम आदेश प्राप्त होने तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए पिछले पांच वर्षों (2019-24) के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानक दर पर की जाएगी। इसके बाद, आदेश की प्राप्ति के बाद इन परिसंपत्तियों का पावर स्टेशन के शेष उपयोगी विस्तारित जीवन पर मूल्यह्रास किया जाएगा।

अनुमान में उपरोक्त परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्यह्रास में वित्तीय प्रभाव नीचे दिखाया गया है:

पावर स्टेशन के मूल जीवन पर विचार करते हुए अवधि के दौरान मूल्यह्रास	: ₹ 11,736.09 लाख
संशोधित जीवन पर विचार करते हुए पावर स्टेशन का मूल्यह्रास	: ₹ 6,308.97 लाख
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास में कमी	: ₹ 5,427.12 लाख

नोट क्रमांक- 40 पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य कंपनी के दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करके शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाना है।

कंपनी दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतिक निवेश योजना के साथ-साथ वार्षिक व्यापार योजना के आधार पर आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करती है। फंडिंग आवश्यकताओं को इक्विटी, परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और अन्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारों के माध्यम से पूरा किया जाता है। कंपनी की नीति का उद्देश्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारों का संयोजन है।

कंपनी शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात और कंपनी के समग्र ऋण पोर्टफोलियो की परिपक्वता प्रोफ़ाइल के आधार पर पूंजी संरचना की निगरानी करती है।

नोट संख्या- 41 वित्तीय लिखतों पर प्रकटीकरण

यह अनुभाग कंपनी के लिए वित्तीय साधनों के महत्व का अवलोकन देता है और बैलेंस शीट आइटम पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जिसमें वित्तीय साधन शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय देनदारी और इक्विटी उपकरण के प्रत्येक वर्ग के संबंध में मान्यता के मानदंड, माप का आधार और जिस आधार पर आय और व्यय को मान्यता दी जाती है, सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण नोट नंबर 1 में बताया गया है। वित्तीय विवरण

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रत्येक श्रेणी की अग्रणीत राशि और उचित मूल्य प्रस्तुत करती है।

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2023 तक	लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	यौगिक उपकरण हेजिंग में संबंध	व्युत्पन्न उपकरण हेजिंग में नहीं संबंध	परिशोधित लागत	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी							
नकद और बैंक शेष					240.10	240.10	240.10
अन्य बैंक शेष					276.46	276.46	276.46
व्यापार प्राप्तियां					83,664.74	83,664.74	83,664.74
ऋण					40.02	40.02	40.02
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					32,756.40	32,756.40	32,756.40
कुल					**1,16,977.72**	**1,16,977.72**	**1,16,977.72**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

वित्तीय देनदारियाँ							
व्यापार देय					17,775.74	17,775.74	17,775.74
उधारी					6,95,035.07	6,95,035.07	6,52,020.01
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल/ एसटीएल					52,253.97	52,253.97	52,253.97
पट्टे की बाध्यता					2,015.55	2,015.55	2,015.55
पूंजीगत व्यय के लिए देय					4,938.90	4,938.90	4,938.90
अन्य वित्तीय देनदारियाँ					23,416.55	23,416.55	23,416.55
कुल					**7,95,435.78**	**7,95,435.78**	**7,52,420.72**

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2023 तक	लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	व्युत्पन्न उपकरण हेजिंग में संबंध	यौगिक उपकरण हेजिंग में नहीं संबंध	परिशोधित लागत	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी							
नकद और बैंक शेष					1,461.34	1,461.34	1,461.34
अन्य बैंक शेष					291.50	291.50	291.50
व्यापार प्राप्तियां					94,429.78	94,429.78	94,429.78
ऋण					28.19	28.19	28.19
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					23,221.47	23,221.47	23,221.47
कुल					**1,19,432.28**	**1,19,432.28**	**1,19,432.28**
वित्तीय देनदारियाँ							
व्यापार देय					19,140.46	19,140.46	19,140.46
उधारी					6,91,063.36	6,91,063.36	6,82,905.59
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल					22,054.36	22,054.36	22,054.36
पट्टे की बाध्यता					1,086.31	1,086.31	1,086.31
पूंजीगत व्यय के लिए देय					13,376.79	13,376.79	13,376.79
अन्य वित्तीय देनदारियाँ					49,119.55	49,119.55	49,119.55
कुल					7,95,840.83	7,95,840.83	7,87,683.06

निम्नलिखित तालिका उन वित्तीय उपकरणों का विश्लेषण प्रदान करती है जिन्हें उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के बाद स्तर 1 से स्तर 3 में समूहीकृत किया जाता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

सक्रिय बाज़ार में उद्धृत कीमतें (स्तर 1) : टी पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय संपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों (असमायोजित) के संदर्भ में मापा जाता है। इस श्रेणी में उद्धृत इक्विटी शेयरों, उद्धृत कॉर्पोरेट ऋण उपकरणों और म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश शामिल है।

अवलोकनीय इनपुट के साथ मूल्यांकन तकनीकें (स्तर 2) :एस और देनदारियां, स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट का उपयोग करके मापी जाती हैं जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों से प्राप्त) देखने योग्य हैं। पदानुक्रम के इस स्तर में कंपनी के ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव अनुबंध शामिल हैं।

महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट के साथ मूल्यांकन तकनीकें (स्तर 3) : पदानुक्रम के इस स्तर में उन वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शामिल किया गया है जिन्हें उन इनपुट का उपयोग करके मापा जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अअवलोकन योग्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं। उचित मूल्यों को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्धारित किया जाता है, मान्यताओं के आधार पर एक मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करते हुए जो न तो एक ही उपकरण में देखने योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित होते हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होते हैं। इस श्रेणी की मुख्य वस्तुएं गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश हैं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया				
(i) व्यापार प्राप्य	83,664.74	-	-	83,664.74
(ii) नकद और बैंक शेष	516.56	-	-	516.56
(iii) ऋण	40.02	-	-	40.02
(iv) अन्य	32,756.40	-	-	32,756.40
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय संपत्ति	**1,16,977.72**	**-**	**-**	**1,16,977.72**
वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है				
(i) उधार	7,04,273.98	-	-	7,04,273.98
(ii) व्यापार एवं अन्य देय*	22,714.64	-	-	22,714.64
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	25,432.10	-	-	25,432.10
कुल	**7,52,420.72**			**7,52,420.72**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया				
(i) व्यापार प्राप्य	94,429.78	-	-	94,429.78
(ii) नकद और नकद समकक्ष	1,752.84	-	-	1,752.84
(iii) ऋण	28.19	-	-	28.19
(iv) अन्य उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय संपत्ति	23,221.47	-	-	23,221.47
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय संपत्ति	**1,19,432.28**	**-**	**-**	**1,19,432.28**
वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है				
(i) उधार	7,04,959.95	-	-	7,04,959.95
(ii) व्यापार और अन्य देय*	32,517.25	-	-	32,517.25
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	50,205.86	-	-	50,205.86
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय देनदारियाँ	**7,87,683.06**			**7,87,683.06**

* व्यापार और अन्य देय में व्यापार देय और पूंजीगत व्यय के लिए देय शामिल हैं

अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधन लागत पर बताया गया है जो उनके उचित मूल्य के लगभग बराबर है।

गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश के संबंध में उचित मूल्य को विश्वसनीय रुप से मापा नहीं जा सकता है।

प्रबंधन अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालाँकि, किसी भी आकलन तकनीक में अंतर्निहित सीमाएँ होती हैं। इसलिए, सभी वित्तीय साधनों के लिए, ऊपर प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रुप से उन सभी राशियों का संकेतक नहीं हैं जिन्हें कंपनी संबंधित तिथियों के अनुसार बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। इस प्रकार, संबंधित रिपोर्टिंग तिथियों के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक वर्ष के अंत में रिपोर्ट की गई राशियों से भिन्न हो सकता है

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्षों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का स्थानांतरण

2023-24 के दौरान वित्तीय संपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

"अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी मुख्य रुप से ब्याज दरों, तरलता और क्रेडिट जोखिम के संपर्क में आती है, जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों जैसे ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम से जुड़े जोखिमों को कवर करती है। जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन ढांचे का लक्ष्य है:"

कंपनी की व्यावसायिक योजना पर मुद्रा और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करके एक स्थिर व्यवसाय नियोजन वातावरण बनाएं।

अपेक्षित कमाई का वित्तीय मूल्य पहले से निर्धारित करके कमाई के बारे में अधिक पूर्वानुमान प्राप्त करें।

बाजार जोखिम: - बाजार जोखिम भविष्य की कमाई, वसूली योग्य उचित मूल्यों या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो वित्तीय साधन की कीमत में बदलाव के परिणामस्वरुप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव, तरलता और अन्य बाजार परिवर्तनों के परिणामस्वरुप बदल सकता है। भविष्य की विशिष्ट बाज़ार गतिविधियों की सामान्यतः उचित सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

क्रेडिट जोखिम:- क्रेडिट जोखिम अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार ऋण चुकाने या भुगतान करने में प्रतिपक्ष की विफलता से उत्पन्न होने वाली वित्तीय हानि का जोखिम है। क्रेडिट जोखिम में डिफ़ॉल्ट का प्रत्यक्ष जोखिम और क्रेडिट योग्यता में गिरावट के जोखिम के साथ-साथ एकाग्रता जोखिम दोनों शामिल हैं।

तरलता जोखिम: तरलता जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसके कारण कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। तरलता जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त तरलता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए धन उपलब्ध है।

निम्नलिखित तालिका कंपनी की गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए बिना छूट के आधार पर देय ब्याज सहित प्रत्याशित नकदी प्रवाह का परिपक्वता विश्लेषण दिखाती है, जो इसलिए मूल्य और उचित मूल्य दोनों से भिन्न होती है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक				
	पेसा ले जाने	संविदात्मक नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ					
उधारी	7,04,273.98	7,04,273.98	1,15,311.08	3,99,560.19	1,89,402.95
व्यापार देय	22,714.64	22,714.64	17,775.74	4,938.90	-
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	25,432.10	25,432.10	24,417.03	1,015.07	-
कुल गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ	**7,52,420.72**	**7,52,420.72**	**1,57,503.85**	**4,05,514.16**	**1,89,402.95**
व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ					

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक				
	पेसा ले जाने	संविदात्मक नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ					
उधारी	7,04,959.95	7,04,959.95	1,17,811.20	4,06,318.99	1,80,829.75
व्यापार देय	32,517.25	32,517.25	19,140.46	13,376.79	-
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	50,205.86	50,205.86	49,727.21	478.64	-
कुल गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ	**7,87,683.06**	**7,87,683.06**	**1,86,678.87**	**4,20,174.42**	**1,80,829.75**
व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ					

गैर-उद्धृत निवेश की लागत उचित मूल्य का अनुमान लगाती है क्योंकि उचित मूल्य माप की एक विस्तृत श्रृंखला संभव है और लागत उस सीमा के भीतर उचित मूल्य के अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट संख्या - 42 ऑपरेटिंग सेगमेंट

ए) विद्युत उत्पादन निगम की प्रमुख गतिविधि है। ब्याज आय जैसे अन्य परिचालन लेखांकन मानक 108 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं बनाते हैं।

बी) निगम के पास देश के भीतर स्थित बिजली परियोजनाएं हैं और इसलिए भौगोलिक खंड अनुपयुक्त हैं।

नोट संख्या 43 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) क्रेडिट जोखिम का एक्सपोजर

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम क्रेडिट जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम था

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-चालू निवेश		
गैर चालू ऋण	40.02	28.19
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
नकद और नकद के समान	240.10	1,461.34
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	276.46	291.50
वर्तमान ऋण	1,131.94	1,187.43
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ*	610.39	998.72
कुल (क)	**2,298.91**	**3,967.18**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ता सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार जीवन-पर्यंत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	83,664.74	83,664.74
अनुबंध संपत्ति	31,049.26	21,035.32
कुल (ख)	**1,14,714.00**	**1,04,700.06**
कुल (ए+बी)	**1,17,012.91**	**1,08,667.24**

अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर (नोट 13 देखें)

(ii) अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षियों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार जीवन-काल की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वाले ग्राहक (राज्य सरकार उपयोगिताएँ) हैं और इसलिए डिफ़ॉल्ट का जोखिम नगण्य या शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि डिफ़ॉल्ट से अधिक बकाया राशि नगण्य या शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहक क्रेडिट जोखिम के व्यापक विश्लेषण के आधार पर, 30 दिनों से अधिक समय से बकाया अप्रभावित राशि अभी भी पूर्ण रुप से संग्रहणीय है। इसलिए, व्यापार प्राप्य और बिना बिल वाले राजस्व के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई हानि हानि की पहचान नहीं की गई है।

(iii) व्यापार प्राप्य का पुराना विश्लेषण

व्यापार प्राप्य का पुराना विश्लेषण इस प्रकार है: (₹ लाख में)

काल प्रभावन	बकाया नहीं	0-30 दिन बीत गए	31-60 दिन बीत चुके हैं	61-90 दिन बीत चुके हैं	120 दिन से अधिक समय बीत चुका है	कुल	Total
31 मार्च 2024 तक सकल वहन राशि	61,691.36	6,687.43	279.54			15,006.41	83,664.74
31 मार्च 2023 तक सकल वहन राशि	76,558.90	6,822.65	14.08	-	-	11,034.15	94,429.78

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसे कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि देय होने पर, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों में, अस्वीकार्य नुकसान उठाए बिना या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना, अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास हमेशा पर्याप्त तरलता हो।

कंपनी के पास लघु, मध्यम और दीर्घकालिक फंडिंग और तरलता प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा है। कंपनी पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त नकदी भंडार, बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी का ट्रेजरी विभाग कंपनी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रतिदिन अल्पकालिक तरलता स्थिति की समीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल ने तरलता जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां स्थापित की हैं और कंपनी का ट्रेजरी विभाग ऐसी नीतियों के अनुरूप काम करता है। इन नीतियों के किसी भी उल्लंघन की सूचना निदेशक मंडल को दी जाती है। निदेशक मंडल द्वारा नियमित आधार पर दीर्घकालिक तरलता स्थिति की समीक्षा की जाती है और स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लिए जाते हैं।

आमतौर पर, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित एक महीने के लिए अपेक्षित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए उसके पास मांग पर पर्याप्त नकदी हो, इसमें प्राकृतिक आपदाओं जैसी चरम परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया जा सकता है, जिनकी उचित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

सीईआरसी विनियमों के भाग के रूप में, टैरिफ में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजीगत लागत की वसूली भी शामिल है। टैरिफ विनियम ऊर्जा शुल्क, संचालन और रखरखाव व्यय और मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर ब्याज की वसूली के लिए भी प्रदान करते हैं। चूंकि ग्राहकों को बिलिंग आम तौर पर मासिक आधार पर होती है, कंपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखती है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनआहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
निश्चित दर उधार		
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
फ्लोटिंग-रेट उधार		
कैश क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल	1,17,944.48	99,011.00
सावधि ऋण	-	20,000.00
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
कुल	**1,17,944.48**	**1,19,011.00**

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

31 मार्च 2024 (₹ लाख में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	संविदात्मक नकदी प्रवाह					
	3 महीने या उससे कम	3-12 महीने	1-2 साल	2-5 साल	5 साल से ज़्यादा	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ						
सुरक्षित बांड		62,000.00	50,000.00	1,19,000.00	36,000.00	**2,71,960.93**
असुरक्षित बांड		-	-	-	20,000.00	**20,031.21**
बैंकों से रुपया सावधि ऋण		54,475.00	30,200.00	1,76,800.00	1,01,000.00	**3,70,243.87**
दूसरों से रुपया सावधि ऋण		-	-	-	29,196.42	**29,196.42**
वित्त पट्टा दायित्व		750.36	594.48	420.59		**2,015.55**
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण			-	-	-	**-**
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण		-	-	-	-	**-**
असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		3,308.29	6,616.57	17,443.61	2,706.53	**33,595.53**
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल/एसटीएल		30,000.00	-	-	-	**52,253.97**

31 मार्च 2023 (₹ लाख में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	संविदात्मक नकदी प्रवाह					
	3 महीने या उससे कम	3-12 महीने	1-2 साल	2-5 साल	5 साल से ज़्यादा	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ						
सुरक्षित बांड		62,000.00	77,000.00	1,53,500.00	66,500.00	**3,64,799.44**
असुरक्षित बांड		-	-	-	20,000.00	**20,026.96**
बैंकों से रुपया सावधि ऋण		16,975.00	30,800.00	1,10,800.00	73,200.00	**2,36,972.50**
दूसरों से रुपया सावधि ऋण		-	-	-	29,196.42	**29,124.96**
वित्त पट्टा दायित्व		455.75	341.20	137.43	-	**1,086.30**
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण			-	-	-	**-**
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण		-	-	-	-	**-**
असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		3,285.91	6,571.82	19,715.46	6,870.22	**40,139.50**
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल/एसटीएल		-	-	-	-	**22,054.36**

बाजार ज़ोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार कीमतों में परिवर्तन, जैसे विदेशी विनिमय दरें और ब्याज दरें, कंपनी की आय को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न को अनुकूलित करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है।

निदेशक मंडल कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। ऐसे सभी लेनदेन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के भीतर किए जाते हैं।

मुद्रा जोखिम

कंपनी को कुछ लेनदेन पर विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में अंकित होते हैं, इसलिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। जोखिम यह है कि विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरुप नकदी प्रवाह का कार्यात्मक मुद्रा मूल्य अलग-अलग होगा।

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मुद्रा प्रोफ़ाइल इस प्रकार है

31 मार्च 2024 (₹ लाख में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	कुल
वित्तीय पूंजी			
अन्य प्राप्तियों का व्यापार करें	-	-	-
नगद और नगद उपकरण	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-
कुल			
वित्तीय देनदारियाँ			
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-		-
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण		33,595.53	33,595.53
व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देनदारियाँ			-
कुल	**-**	**33,595.53**	**33,595.53**

31 मार्च 2023 (₹ लाख में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	कुल
वित्तीय पूंजी			
अन्य प्राप्तियों का व्यापार करें	-	-	-
नगद और नगद उपकरण	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-
कुल			
वित्तीय देनदारियाँ			
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-		-
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण		40,139.50	40,139.50
व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देनदारियाँ		-	-
कुल	**-**	**40,139.50**	**40,139.50**

उपरोक्त में से, कोई भी राशि डेरिवेटिव उपकरणों द्वारा हेज नहीं की जाती है। शेष जोखिम के संबंध में, सभी विदेशी मुद्रा ऋणों और विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं (सीओडी तक) पर विनिमय दर भिन्नता के कारण लाभ/(हानि) लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसलिए, ऐसे जोखिम के संबंध में मुद्रा जोखिम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा।

संवेदनशीलता का विश्लेषण

चूंकि लाभ और हानि के विवरण पर यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले आईएनआर के मजबूत होने या कमजोर होने का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा; इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का खुलासा नहीं किया गया है। \

ब्याज दर जोखिम

कंपनी मुख्य रुप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ गैर-वर्तमान उधारों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। कंपनी ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि फ्लोटिंग रेट उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी विभिन्न शर्तों (जैसे निश्चित दर ऋण, फ्लोटिंग दर ऋण, रुपया अवधि ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, आदि) के साथ विभिन्न प्रकार की ऋण व्यवस्था में प्रवेश करके ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के ब्याज वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफ़ाइल इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय पूंजी		
निश्चित दर लिखत		
बैंक जमा	276.46	291.50
कुल	**276.46**	**291.50**
वित्तीय देनदारियाँ		
निश्चित दर लिखत		
बांड	2,91,909.59	3,84,826.40
विदेशी मुद्रा ऋण	33,754.88	40,139.50
रुपया सावधि ऋण	29,126.73	29,124.96
पट्टा दायित्व	2,015.55	1,086.31
कुल	**3,56,806.75**	**4,55,177.17**
परिवर्तनीय-दर उपकरण		
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
रुपया सावधि ऋण	3,10,243.87	2,36,972.50
नकद ऋण	52,253.97	22,054.36
	3,62,497.84	2,59,026.86
कुल	**7,19,304.59**	**7,14,204.03**

निश्चित दर उपकरणों के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के निर्धारित दर उपकरण परिशोधित लागत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर उपकरणों के लिए नकदी प्रवाह संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर ब्याज दरों में 50 आधार अंकों के बदलाव से नीचे दर्शाई गई राशि से लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) होगी। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रुप से विदेशी मुद्रा दरें, स्थिर रहेंगी। विश्लेषण पिछले वर्ष के आधार पर ही किया जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	लाभ या हानि	
	50 बीपी की बढ़ोतरी	50 बीपी की कमी
31-मार्च-24		
विदेशी मुद्रा ऋण	(143.71)	143.71
रुपया सावधि ऋण	(3,322.78)	3,322.78
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल	(12.96)	12.96
कुल	(3,479.45)	3,479.45
31-मार्च-23		
विदेशी मुद्रा ऋण	(204.48)	204.48
रुपया सावधि ऋण	(2950.31)	2,950.31
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल	(2.14)	2.14
कुल	**(3156.93)**	**3156.93**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

नोट संख्या 44 वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य परिशोधन लागत पर मापा जाता है

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी					
ऋण			40.02	28.19	28.19
व्यापार प्राप्तियां					94,429.78
नकद और नकद के समान				1,461.34	1,461.34
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष			276.46	291.50	291.50
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ			32,756.40	23,221.47	23,221.47
वित्तीय देनदारियाँ			2,97,620.69	3,84,826.40	3,95,797.48
बांड				40,139.50	39,091.55
विदेशी मुद्रा ऋण - केएफडब्ल्यू				-	-
विदेशी मुद्रा ऋण - ईसीबी				2,36,972.50	2,36,972.50
रुपया सावधि ऋण					11,044.06
सरकारी अधीनस्थ ऋण					1,086.31
पट्टा दायित्व					22,054.36
उधार			22,714.64	32,517.25	32,517.25
व्यापार देय और पूंजीगत व्यय के लिए देय				49,119.55	49,119.55
अन्य वित्तीय देनदारियाँ					

वर्तमान व्यापार प्राप्य, वर्तमान व्यापार देय, पूंजीगत व्यय के लिए देय, सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशि को उनके कम होने के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है। -शब्द प्रकृति.

ऋण, उधार, गैर-चालू व्यापार देय और पूंजीगत व्यय के लिए देय उचित मूल्यों की गणना मौजूदा छूट दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। उन्हें उद्धृत कीमतों की उपलब्धता और अवलोकनीय/गैर-अवलोकन योग्य इनपुट के समावेश के आधार पर संबंधित स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है।

नोट संख्या 45 इंडस्ट्रीज़ एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी के राजस्व में ऊर्जा बिक्री, व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री और अन्य सेवाओं से आय शामिल है। निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का विवरण है:

क) ऊर्जा बिक्री से राजस्व

कंपनी का मुख्य राजस्व ऊर्जा बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों को बिजली बेचती है, मुख्य रुप से राज्यों में संचालित राज्य सरकारों की डिस्कॉम के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिताओं को। बिजली की बिक्री आम तौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, कंपनी "मर्चेंट पावर" के तहत उनके पास उपलब्ध पावर एक्सचेंजों के माध्यम से बिजली बेचती है।

ऊर्जा बिक्री के अनुबंधों के तहत प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
ऊर्जा बिक्री	कंपनी समय के साथ ऊर्जा बिक्री के अनुबंधों से राजस्व को पहचानती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। ऊर्जा बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ समय-समय पर अधिसूचित सीईआरसी विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। बिजली की बिक्री केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर की जाती है। ऐसे बिजली स्टेशनों के मामले में जहां अंतिम टैरिफ अभी तक सीईआरसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, केंद्रीय विद्युत में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर ऊर्जा की बिक्री प्रदान की जाती है। नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019। उन परियोजनाओं के लिए जिनके लिए न तो सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर किया जाता है। राशियाँ मासिक आधार पर बिल की जाती हैं और अनुबंध द्वारा सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होती हैं।

(ख) ऊर्जा व्यापार, परामर्श और अन्य सेवाओं से राजस्व

व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री

व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री के अनुबंधों के तहत प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री	कंपनी समय के साथ व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री के अनुबंधों से राजस्व को पहचानती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ समझौते की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियाँ अनुबंध में निर्दिष्ट आवधिकता के अनुसार बिल की जाती हैं और अनुबंधित सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होती हैं।

II. राजस्व का पृथक्करण

निम्नलिखित तालिका में, राजस्व को उत्पाद और सेवाओं के प्रकार, भौगोलिक बाजार और राजस्व पहचान के समय के आधार पर विभाजित किया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	ऊर्जा का उत्पादन		अन्य		कुल	
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
भौगोलिक बाज़ार						
भारत		4,41,018.53	13,459.26	14,708.20	4,23,956.74	4,55,726.73
अन्य						-
		4,41,018.53	**13,459.26**	**14,708.20**	**4,23,956.74**	**4,55,726.73**
राजस्व पहचान का समय						
समय के साथ स्थानांतरित उत्पाद और सेवाएँ		4,41,018.53	13,459.26	14,708.20	4,23,956.74	4,55,726.73
	4,10,497.48	4,41,018.53	13,459.26	14,708.20	4,23,956.74	4,55,726.73

III. अनुबंध मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का मिलान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अनुबंध मूल्य	4,26,284.56	4,57,522.38
समायोजन		
छूट	(2327.82)	(1795.65)
राजस्व मान्यता प्राप्त	4,23,956.74	4,55,726.73

IV. अनुबंध शेष

निम्नलिखित तालिका व्यापार प्राप्य, बिना बिल वाले राजस्व और ग्राहकों से/लाभार्थियों को देय अग्रिमों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	प्रचलित	अप्रचलित	प्रचलित	अप्रचलित
व्यापार प्राप्तियां			94,429.78	-
अनुबंध संपत्ति			21,035.32	-
ग्राहकों से अग्रिम/लाभार्थियों को देय			3,660.06	-

नोट संख्या 46 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तुरंत पिछले तीन वित्तीय वर्ष। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	762.99	508.57
(ii) किए गए व्यय की राशि #	764.20	508.78
(iii) वर्ष के अंत में कमी	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी	शून्य	शून्य
(v) कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति		
(क) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	634.51	271.88
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	129.69	236.90
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	शून्य	शून्य

(viii) सीएसआर दायित्व में बदलाव (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक शेष सीएसआर देयता (क)	320.70	540.67
वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित (ख)	239.70	444.55
वर्ष के दौरान अतिरिक्त (ग)	443.61	224.58
वर्ष के अंत में समापन शेष (डी=ए-बी+सी) ##	524.61	320.70

(vii) सीएसआर खर्चों को प्रमुख मदों के अंतर्गत विभाजित करें: (₹ लाख में)

विवरण	FY 2023-24	FY 2022-23
1. भूख और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	269.07	281.06
2. शिक्षा, खेल एवं कौशल विकास	303.11	105.99
3. ग्रामीण विकास	192.02	121.73
कुल	764.20	**508.78**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए: रु. 764.20 लाख रुपये में मंजूरी से अधिक खर्च शामिल है। 1.22 लाख.

31.03.2024 को सीएसआर चालू परियोजनाओं और सीएसआर अव्ययित शेष में प्रदर्शित राशि (वित्तीय वर्ष के अनुसार विवरण)

वित्तीय वर्ष	चल रही परियोजनाओं पर सी.एस.आर	सीएसआर अव्ययित
2023-2024	₹ 409.45 लाख	₹ 14.85 लाख
2022-2023	₹ 33.20 लाख	₹ 15.89 लाख
2021-2022	₹ 51.08 लाख	₹ 0.14 लाख
कुल	**₹ 493.73 लाख**	**₹ 30.88 लाख**

"सीएसआर ऑनजिंग प्रोजेक्ट के तहत शेष राशि: रु. 493.73 लाख और सीएसआर के तहत शेष राशि रु. 30.88 लाख

नोट संख्या 47 इन्वेंटरी पर प्रकटीकरण

ए) वर्ष के दौरान उपभोग की गई और व्यय के रुप में पहचानी गई सूची की मात्रा निम्नानुसार है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ईंधन लागत	1,24,616.69	1,44,849.84
अन्य (नोट 33 में शामिल - अन्य व्यय) *	4,445.84	2,430.11
कुल	**1,29,062.53**	**1,47,279.95**

* 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान उपभोग की गई आयातित सामग्री शामिल है, जो रु। 547.67 लाख यानी, कुल उपभोग की गई इन्वेंट्री का 0.42% (पिछले वर्ष 21.07 लाख रुपये, यानी, कुल उपभोग की गई इन्वेंट्री का 0.01%)

नोट संख्या 48 आयकर संबंधी प्रकटीकरण

48(i) इंडस्ट्रीज़ एएस 12 "आयकर" के अनुसार प्रकटीकरण

(क) आयकर व्यय

i) आयकर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर व्यय		
चालू वर्ष	10,252.95	5,676.88
पहले के वर्षों के लिए कर	-	-
विनियामक स्थगन खाता शेष से संबंधित (क)	(192.98)	1,619.88
कुल वर्तमान कर व्यय (ख)	10,059.97	7,296.76
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उलटाव (ग)	(5,347.73)	14,819.16
कम: मैट क्रेडिट पात्रता [नोट 48 (ii) देखें]		
आयकर व्यय (डी=बी+सी-ए)	4,905.22	20,496.04
विनियामक स्थगन खाता शेष से संबंधित	(192.98)	1,619.88
विनियामक स्थगन खाते में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	4,712.24	22,115.92

भविष्य में कंपनी के लिए मैट क्रेडिट उपलब्ध है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है:

48 (ii) : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मैट क्रेडिट भविष्य में कंपनी के लिए उपलब्ध है, लेकिन 31 मार्च 2024 तक मान्यता प्राप्त नहीं है, जो 9,939.54 लाख रुपये है।

(ii) आयकर को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए					
	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	टैक्स से पहले	कर व्यय	नेट टैक्स	टैक्स से पहले	कर व्यय	नेट टैक्स
परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक हानि	(1946.77)	(340.14)	(1606.63)	(1582.69)	(276.53)	(1306.16)

(iii) भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ को गुणा करने का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
विनियामक स्थगन खाता शेष में उतार-चढ़ाव सहित कर पूर्व लाभ	59,524.45	43,345.29
कंपनी की घरेलू दर 17.472% का उपयोग कर कर (31 मार्च 2024 -34.944%	10,400.11	7,573.29
का कर प्रभाव :		
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	(340.14)	(276.53)
कर मुक्त आय	-	-
आस्थगित कर व्यय	(5,347.73)	14,819.16
पिछले वर्ष की कर देनदारी	-	-
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन		
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल कर व्यय	4,712.24	22,115.92

नोट नं. 49 शेष राशि की पुष्टि

ठेकेदारों को पूंजीगत अग्रिम, व्यापार देय और पारगमन में सामग्री/ठेकेदार के साथ/ऋण पर जारी किए गए, व्यापार प्राप्य, प्राप्य खातों के तहत दिखाए गए शेष राशि पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

नोट क्रमांक 50 क्षति हानि

संपत्ति संयंत्र और उपकरण का क्षति के लिए परीक्षण किया गया है जहां हानि के संकेतक मौजूद थे। मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी पिछले वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी हानि प्रभाव को नहीं मानती है।

नोट क्रमांक 51 पिछले वर्ष के आंकड़े

मौजूदा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (मैटफिन) से एसएपी-ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में माइग्रेशन की अवधि के दौरान, कंपनी ने वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए मौजूदा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (मैटफिन) और एसएपी-ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दोनों का पालन किया। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष से, कंपनी लेनदेन रिकॉर्ड करने और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए केवल एसएपी (ईआरपी) का पालन कर रही है। इसलिए, बेहतर प्रस्तुति के लिए चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहां कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

	एपी रोंग	**बी. महाराणा**	**गुरदीप सिंह**	**सीए मनीष गोयल**
दिनांक: 14-05-2024	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	भागीदार
स्थान: नई दिल्ली		डीआईएन: 09263864	डीआईएन: 00307037	सदस्यता संख्या-061194

स्पिलवे का शीर्ष दृश्य

पारे हाइड्रो पावर स्टेशन

अनुलग्नक-6बी

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्य

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("वेंचरर कंपनी") और इसकी संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई (सामूहिक रुप से "कंपनी" के रुप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) , इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नीचे "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित संयुक्त उद्यम इकाई के असंबद्ध वित्तीय विवरणों पर उचित विचार करने के बाद, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और अधिनियम की धारा 133, ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरुप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, 31 मार्च 2024 तक कंपनी की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति) और इसका समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन) , इक्विटी में इसके समेकित परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित नकदी प्रवाह।

टिप्पणी के आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं: इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

1. टीएसईसीएल (त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड) से विवादित व्यापार प्राप्य राशि 10369.19 लाख रुपये (तीन (3) वर्षों से अधिक के लिए बकाया) और 4850.02 लाख रुपये (छह (6) महीनों से अधिक लेकिन दो (2) वर्षों से कम के लिए बकाया) के संबंध में सामग्री लेखांकन नीति 1 (ख) (4) के साथ पठित नोट संख्या 10 (v) कंपनी को उम्मीद है कि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर इसकी वसूली हो जाएगी और तदनुसार इसे चालू परिसंपत्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

   इसके अलावा, कंपनी ने किसी भी अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए भी प्रावधान नहीं किया है क्योंकि इसकी व्यावसायिक गतिविधियाँ सीईआरसी विनियमों, बिजली खरीद समझौतों, त्रिपक्षीय समझौतों और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों / अधिसूचनाओं द्वारा शासित हैं और उपर्युक्त ग्राहक भी एक राज्य सरकार नियंत्रित इकाई है।

2. आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से निपटाए गए उन मामलों के लिए आयकर वापसी के संबंध में नोट संख्या 8(ii) जिनकी राशि 180.67 लाख रुपये है और जो 3 वर्षों से अधिक समय से प्राप्य हैं। योजना के अनुसार कंपनी बिना किसी ब्याज के रिफंड पाने की हकदार है।

3. नोट संख्या 5(iii) संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई "केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड" के असंबद्ध वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल करने के संबंध में जो पूरी तरह से संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई द्वारा अपने नामित निदेशक के माध्यम से वेंचरर कंपनी को प्रदान किए गए असंबद्ध और अस्वीकृत वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा-जोखा तथा हमारी राय बनाने में, आदि के संदर्भ में संबोधित किया गया और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को एक मुख्य लेखा परीक्षा मामला के रूप निर्धारित किया है जिसे हमारी रिपोर्ट में प्रकट किया जाना है।

क्रं सं	मुख्य लेखा परीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1)	**ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की मान्यता और मूल्यांकन** कंपनी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व दर्ज करती है और जहां अंतिम टैरिफ को सीईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है, वहां टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर अनंतिम राजस्व को मान्यता दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (600 मेगावाट) के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मान्यता प्राप्त अनंतिम राजस्व 9,911.12 लाख रुपये है। जहां न तो स्वीकृत टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, वहां लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री का लेखा-जोखा रखा जाता है। (सामग्री लेखांकन नीति संख्या सी 10.1 के सारांश के साथ पढ़े गए नोट संख्या 27 का संदर्भ लें)	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमने सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है, जो क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क सहित ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की मान्यता और मूल्यांकन के संबंध में हैं और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: 1. ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के कंपनी के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। 2. कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार गणना की गई अनंतिम टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व के लेखांकन के साथ-साथ ऊर्जा की बिक्री से अनंतिम राजस्व के लेखांकन को सत्यापित किया।
2)	**विद्युत उत्पादन में कमी के कारण विद्युत उत्पादन केन्द्रों के नियंत्रण से बाहर होने पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता एवं मूल्यांकन।** हाल ही में हुए परिवर्तनों और टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए नवीनतम सीईआरसी टैरिफ विनियमों की अधिसूचना के अनुसार, ज्ञापन संख्या एल-1/268/2022/सीईआरसी द्वारा 15 मार्च 2024 को, कंपनी ने उत्पादन स्टेशनों (हाइड्रो) के नियंत्रण से परे कारणों से बिजली के उत्पादन में कमी के कारण ऊर्जा की बिक्री से 19,245.69 लाख रुपये की आय दर्ज की है, जिसमें कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (600 मेगावाट) - 3,103.37 लाख रुपये, रांगानदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (405 मेगावाट) - 1,785.82 लाख रुपये, तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (60 वाट) - 10,207.08 लाख रुपये, दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (75 मेगावाट) - 4,149.42 लाख रुपये शामिल हैं। हम इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला मानते हैं क्योंकि राजस्व में पिछले पांच वर्षों (2019-24 टैरिफ अवधि) की कमी शामिल है और यह कंपनी द्वारा दायर की जाने वाली बाद की याचिकाओं में सही किए जाने के अधीन होगा और ग्राहकों को सीधे बिल भेजा जाएगा। (नोट संख्या 27 को सामग्री लेखा नीति संख्या सी 10.1 के सारांश के साथ पढ़ें)	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमने सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की पहचान और माप के संबंध में प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है, जिसमें क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क शामिल हैं और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: 1. ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के कंपनी के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया है। 2. हमने एक अन्य विशेषज्ञ के काम पर भरोसा किया है, जिसने गणना के साथ-साथ नियंत्रणीय और अनियंत्रित के बीच ऊर्जा की कमी को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली संबंधित मान्यताओं/विचारों का आकलन किया है। हमने गणनाओं का परीक्षण किया है और उक्त राजस्व पर पहुंचने के लिए अंतर्निहित गणनाओं और कार्यप्रणाली को समझा है। 3. हमने देनदारों से 31.03.2024 तक चालान और शेष राशि की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए बाहरी शेष राशि की पुष्टि मांगी है और जनरेटर के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद में भुगतान अनुसमर्थन और विश्लेषण (प्राप्ति पोर्टल) से राशि का समाधान भी किया है।

क्रं सं	मुख्य लेखा परीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
3)	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के वहन मूल्य का हानि मूल्यांकन।** कंपनी के पास बिजली उत्पादन से संबंधित एक भौतिक परिचालन परिसंपत्ति आधार (पीपीई) है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ निर्धारित करने के लिए घटकों में से एक है, जो हानि के प्रति संवेदनशील हो सकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना क्योंकि पीपीई के वहन मूल्य के लिए बिजली संयंत्रों (नकदी उत्पादक इकाइयों) से जुड़े भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर हानि मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। (भौतिक लेखा नीति संख्या सी **15** के साथ पढ़े गए नोट संख्या **50** का संदर्भ लें) ।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है: **1.** भारतीय लेखा मानक **36** "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुसार हानि के संबंध में कंपनी की लेखा नीतियों को प्राप्त किया और पढ़ा। **2.** साक्ष्य के निरीक्षण के माध्यम से परिसंपत्तियों के लेखांकन, मूल्यांकन और वसूली से संबंधित प्रमुख वित्तीय नियंत्रणों पर नियंत्रण का परीक्षण किया। **3.** निम्नलिखित सहित मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं: **i)** प्रबंधन की हानि मूल्यांकन प्राप्त किया। **ii)** अनुमानित उत्पादन, ईंधन की कीमतें, विनिमय दर, ऊर्जा की कीमतें और बिजली खरीद समझौते सहित प्रमुख मान्यताओं का मूल्यांकन किया, जहां उपलब्ध हो। **4.** पूरा होने की समयसीमा, उत्पादन की मात्रा और उसके विरुद्ध अपेक्षित टैरिफ के आधार पर परिणामी राजस्व के लिए प्रबंधन अनुमानों पर भरोसा किया गया है।
4)	**आकस्मिक देयता** कंपनी हेतु विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे/दावे लंबित हैं। कंपनी हेतु गए दावे महत्वपूर्ण हैं और इसमें शामिल राशि का अनुमान लगाने और उनके उचित प्रकटीकरण के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। इसके प्रकटीकरण में मामलों की व्याख्या करने और देयता की संभावना का आकलन करने में प्रबंधन के निर्णय की एक महत्वपूर्ण डिग्री शामिल है जो प्रबंधन पूर्वाग्रह के अधीन हो सकती है। (सामग्री लेखा नीति संख्या सी **8** के साथ पढ़े गए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या **36** देखें) ।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** **1.**हमने **31.03.2024** तक विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थता/अर्ध-न्यायिक मंचों आदि के समक्ष लंबित मामलों/विवादों/दावों का विवरण प्रबंधन से प्राप्त किया है, साथ ही नवीनतम स्थिति और प्रबंधन का मूल्यांकन भी प्राप्त किया है। **2.**हमने इस संबंध में कंपनी की लेखा नीति और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स में उनके प्रकटीकरण को भी प्राप्त किया है। **3.** हमने लंबित मुकदमेबाजी/मामलों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा और परखा। **4.** हमने प्रबंधन के साथ उनके मूल्यांकन के आधार और उसमें किसी भी भौतिक विकास और दावों/विवादों के संभावित परिणामों के बारे में चर्चा की।

क्रं सं	मुख्य लेखा परीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
5)	**एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति और संबंधित विनियामक आस्थगित देयता।** कंपनी ने एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी है। एमएटी क्रेडिट के उपयोग से भविष्य के वर्षों में आयकर का कम बहिर्वाह होगा और तदनुसार उक्त एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित विनियामक आस्थगित देयता को भी मान्यता दी गई है, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों को देय है। एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित इस आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी पात्रता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भविष्य के कर योग्य मुनाफे के सृजन पर निर्भर है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं और इसकी भौतिकता के लिए इस मामले का महत्व है; और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत समय सीमा के भीतर ऐसे कर क्रेडिट की वसूली पर विचार करते हुए एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के कर योग्य मुनाफे का पूर्वानुमान लगाने में निर्णय की आवश्यकता। (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 7, 16, 37 और 48 देखें, सामग्री लेखांकन नीति संख्या सी.13 के साथ पढ़ें)	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ** **1.** हमने प्रबंधन के निर्णय सहित विनियामक आस्थगन खाते में एमएटी क्रेडिट पात्रता और उसके संगत देयता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान के लिए एक समझ प्राप्त की है। **2.** हमने एक अन्य विशेषज्ञ के काम पर भी भरोसा किया है, जिसने भविष्य के कर योग्य लाभों के संबंधित पूर्वानुमानों का आकलन किया है और बाद की अवधि में लाभार्थियों को देय उक्त एमएटी क्रेडिट के संगत विनियामक आस्थगन खाता शेष के साथ इन पूर्वानुमानों की तैयारी में अंतर्निहित विचारों/धारणाओं की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया है। हालाँकि, हमने अंतर्निहित मान्यताओं के साथ-साथ गणनाओं की व्यापक समीक्षा की है। **3.** निष्पादित की गई उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, लाभार्थियों के प्रति एमएटी क्रेडिट पात्रता और संगत विनियामक आस्थगन देयता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

वेंचरर कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट जिसमें निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य जानकारी इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई गलत जानकारी है, तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम मामले की जानकारी शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दें और लागू कानूनों और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का विवरण दें।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और प्रशासन का दायित्व

वेंचरर कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और विद्युत अधिनियम, 2003 और प्रासंगिक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) विनियमों और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के अनुसार पढ़ा जाता है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण जो कि कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की एक चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, चालू चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वेंचरर कंपनी का निदेशक मंडल वेंचरर कंपनी और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि उनका उचित प्रस्तुतीकरण हो सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए वेंचरर कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल केवल ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, जिनका लेखापरीक्षा नहीं किया गया है, उनके निदेशक इसके निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहते हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं

i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और

ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम शासन के प्रभारी लोगों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते

हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है।

हम शासन के प्रभारी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जो उचित रुप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य विषय

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट एक अन्य ऑडिटर द्वारा किया गया, जिसने 31 मार्च, 2023 को उन विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की।

हमने संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई "केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड" के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया। संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई का अलेखापरीक्षित और अस्वीकृत वित्तीय विवरण वेंचरर कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

उपर्युक्त संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में विचार की गई तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2024 को कुल संपत्ति 12,698.77 लाख रुपये, कुल राजस्व 31.94 लाख रुपये और शुद्ध नकदी प्रवाह (8.89) लाख रुपये दर्शाते हैं। 31 मार्च 2024 तक समेकित बैलेंस शीट में 445 लाख रुपये, और समेकित लाभ और हानि पर संयुक्त उद्यम के लाभ का हिस्सा 1.87 लाख रुपये, 31 मार्च 2024 तक ऐसे संयुक्त उद्यम के ऐसे अलेखापरीक्षित और अस्वीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर, इक्विटी पद्धति के तहत हिसाब किया गया। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143(3) और 143(11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह पूर्वोक्त संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर तथा संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करने के आधार पर, जैसा कि ऊपर 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं तथा प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें वेंचरर कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

ग) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) , इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण तथा इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुरुप हैं।

ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान वेंचरर कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197 (16) के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्टिंग वेंचरर कंपनी पर लागू नहीं होती है।

छ) कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक ए' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और संयुक्त नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर:

- वेंचरर कंपनी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 देखें।
- वेंचरर कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो भौतिक पूर्वानुमानित हानियों के लिए लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है।
- वेंचरर कंपनी का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने का कोई मामला नहीं है।

क) वेंचरर कंपनी के प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वेंचरर कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) भी शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, वेंचरर कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;

ख) वेंचरर कंपनी के प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वेंचरर कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधिकरण पक्ष") शामिल है, से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि वेंचरर कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को निधिकरण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

- पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान वेंचरर कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा कि लागू हो।
- वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक वेंचरर कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।
- हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल है, वेंचरर कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय विवरण, जो कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, अलेखापरीक्षित हैं और इसलिए हम संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

- उद्यमी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, इसलिए इसकी सीएआरओ रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए, हम संयुक्त उद्यम कंपनी की सीएआरओ रिपोर्ट में किसी भी योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

कृते **आर.एन.गोयल एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 309128E)

हस्ता./-

सीए मनीष गोयल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 061194)
यूडीआईएन: 24061194BKAMKF4145

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14 मई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक "ए"

(31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ('द वेंचरर कंपनी') और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई जो भारत में निगमित कंपनी है, के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उस तिथि तक लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल

है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भविष्य की अवधि के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हैं।

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई से संबंधित है, जो भारत में निगमित एक कंपनी है, भारत में निगमित ऐसी कंपनी के संबंधित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय, जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है, प्रभावित नहीं होती है क्योंकि संयुक्त उद्यम कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण वेंचरर कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कृते **आर.एन.गोयल एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 309128E)

हस्ता./-

सीए मनीष गोयल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 061194)
यूडीआईएन: 24061194BKAMKF4145

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14 मई, 2024

टीजीबीपीएस

एजीबीपीएस

31 मार्च 2024 तक समेकित बैलेंस शीट

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023
	परिसंपत्तियाँ			
1	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
	(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2	12,93,125.26	12,42,505.48
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	66,482.49	1,14,194.44
	(ग) अमूर्त संपत्ति	4	8,033.31	8,664.64
	(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4A	124.32	96.00
	(ङ) वित्तीय पूंजी			
	(i) सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	5	445.00	443.13
	(ii) ऋण	6	40.02	28.19
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	7		
	(छ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	8	43,529.96	18,179.20
	उप योग - गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		**14,11,780.36**	**13,84,111.09**
2	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	क) इन्वेंटरी	9	12,457.35	12,516.05
	ख) वित्तीय पूंजी			
	(i) व्यापार प्राप्तियां	10	83,664.74	94,429.78
	(ii) नकद और नकदी के समतुल्य	11	240.10	1,461.34
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	12	276.46	291.50
	(iv) अन्य	13	32,756.40	23,225.20
	ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	14	2,165.84	-
	घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	15	2,509.48	3,894.05
	ङ) बिक्री हेतु रखी गई संपत्ति	15	-	-
	उप योग - वर्तमान परिसंपत्तियाँ		**1,34,070.36**	**1,35,817.92**
3	**विनियामक आस्थगन खाते जमा शेष**	16.01	1,14,729.55	99,295.21
	कुल संपत्ति (1 + 2 + 3)		**16,60,580.27**	**16,19,224.22**
	इक्विटी और देयता			
4	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	3,60,981.04	3,60,981.04
	(ख) अन्य इक्विटी	18	3,26,159.31	2,97,952.44
	उप योग - इक्विटी		**6,87,140.35**	**6,58,933.48**
	देयताएं			
5	**गैर-वर्तमान देयताएँ**			
	क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	19	5,90,470.25	5,94,121.62

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023
	(ii) पट्टा देयताएं	19क	1,015.07	478.64
	(iii) व्यापार देयताएं			
	(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		-	-
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		-	-
	ग) दीर्घकालिक प्रावधान	20	303.28	319.12
	घ) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	7	93,534.25	98,881.40
	ङ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	26	19,627.01	21,209.27
	उप योग गैर-वर्तमान देयताएं		**7,04,949.86**	**7,15,010.05**
6	**वर्तमान देनदारियां**			
	क) वित्तीय देनदारियां			
	(i) उधारी	21	1,51,170.54	1,12,426.18
	(ii) पट्टा देयताएं	21क	1,000.48	607.67
	(iii) व्यापार देयताएं			
	(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	22	1,242.61	424.75
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		16,533.13	18,715.71
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	23	42,691.00	75,922.85
	ग) अन्य वर्तमान देनदारियां	24	6,228.16	6,140.42
	घ) प्रावधान	25	19,930.75	18,880.71
	ङ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	14	-	969.40
	च) आस्थगित राजस्व	26क	11,564.74	11,193.00
6.	**कुल वर्तमान दायित्व**		**2,50,361.41**	**2,45,280.69**
7	**विनियामक आस्थगन खाते जमा शेष**	16.02	18,128.66	-
	कुल इक्विटी और देयताएं (4 + 5 + 6 +7)		**16,60,580.27**	**16,19,224.22**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश - नोट संख्या 1

संलग्न नोट 1 से 51 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 14-05-2024
स्थान: नई दिल्ली

एपी रोंग
कंपनी सचिव

बी. महाराणा
निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ
डीआईएन: 09263864

गुरदीप सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

सीए मनीष गोयल
भागीदार
सदस्यता संख्या-061194

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का भाग- II समेकित विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**आय**			
	(क) परिचालन से राजस्व	27	4,23,956.74	4,55,726.73
	(ख) अन्य आय	28	2,466.09	1,336.77
	कुल आय (क+ख)		**4,26,422.83**	**4,57,063.50**
2	**खर्च**			
	क ईंधन लागत	29	1,25,642.24	1,47,687.42
	ख कर्मचारी लाभ व्यय	30	43,285.78	51,406.14
	ग वित्त लागत	31	52,838.05	53,667.13
	घ मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	32	85,480.64	83,550.16
	ङ अन्य व्यय	33	56,957.35	52,902.05
	कुल खर्च (क+ख+ग+घ+ङ)		**3,64,204.06**	**3,89,212.90**
3	**असाधारण मद पूर्व लाभ / (हानि) , कर और विनियामक आस्थगन खातों का शेष (1 - 2)**		**62,218.77**	**67,850.60**
4	असाधारण मदें - (आय) /व्यय			
	संयुक्त उद्यम से लाभ का हिस्सा	17A	1.87	(1.87)
5	कर पूर्व लाभ/(हानि) और विनियामक आस्थगन खाता शेष (3 - 4)		**62,220.64**	67,848.73
6	कर व्यय :			
	(क) वर्तमान कर			
	चालू वर्ष		10,252.95	11,488.84
	पहले के वर्ष		-	-
	कुल वर्तमान कर		10,252.95	11,488.84
	(ख) आस्थगित कर (डीटीए का शुद्ध)		(5,347.15)	22,153.57
	कुल कर व्यय (क+ख)		4,905.80	33,642.41

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
7	विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले लाभ / (हानि) (5 - 6)		**57,314.84**	**34,206.32**
8	विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध गतिविधि (कर के बाद शुद्ध)	37	(2,501.34)	5,482.47
9	वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (7 + 8)		**54,813.50**	**39,688.79**
10	**अन्य व्यापक आय/(व्यय)**			
	(क) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		(1,946.77)	(642.51)
	(ii) अन्य - एफवी हानि समायोजन			0.08
			(1,946.77)	**(642.43)**
	(iii) घटा कर : उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(340.14)	(112.25)
	(ख) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	(i) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	कुल अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) = (क+ख)		**(1,606.63)**	**(530.18)**
11	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (9 + 10)**		**53,206.87**	**39,158.61**
12	प्रति इक्विटी शेयर आय (सममूल्य ₹ 10 प्रत्येक)	35		
	बेसिक और डाइल्यूटेड (₹) (नियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध संचलन सहित)		1.52	1.10
	बेसिक और डाइल्यूटेड (₹) (नियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध उतार-चढ़ाव को छोड़कर)		1.59	0.95

वस्तुगत लेखांकन नीतियों का सारांश - नोट संख्या 1

संलग्न नोट 1 से 51 इन वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

	एपी रोंग	**बी. महाराणा**	**गुरदीप सिंह**	**सीए मनीष गोयल**
दिनांक: 14-05-2024	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	भागीदार
स्थान: नई दिल्ली		डीआईएन: 09263864	डीआईएन: 00307037	सदस्यता संख्या-061194

वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	**3,60,981.04**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	3,60,981.04

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	**3,60,981.04**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	3,60,981.04

(ख) अन्य इक्विटी

31 मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	बांड मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि			35,206.59	2,97,952.44
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन			-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि			-	-
अवधि के लिए लाभ			54,813.50	54,813.50
अन्य व्यापक आय			(1,606.63)	(1,606.63)
कुल व्यापक आय			53,206.87	53,206.87
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान			-	-
अंतिम लाभांश पर कर			-	-
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश				-
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान			(25,000.00)	(25,000.00)
अंतरिम लाभांश पर कर				-
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**65,054.17**	**1,97,691.68**	**63,413.46**	**3,26,159.31**

31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	बांड मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	32,547.98	2,95,293.83
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	39,688.79	39,688.79
अन्य व्यापक आय	-	-	(530.18)	(530.18)
कुल व्यापक आय	-	-	39,158.61	39,158.61
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान			(1,500.00)	(1,500.00)
अंतिम लाभांश पर कर				-
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान			(35,000.00)	(35,000.00)
अंतरिम लाभांश पर कर				
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**65,054.17**	**1,97,691.68**	**35,206.59**	**2,97,952.44**

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 14-05-2024	**एपी रोंग**	**बी. महाराणा**	**गुरदीप सिंह**	**सीए मनीष गोयल**
स्थान: नई दिल्ली	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	भागीदार
		डीआईएन: 09263864	डीआईएन: 00307037	सदस्यता संख्या-061194

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	मार्च 2024 का समाप्त वर्ष के लिए		मार्च 2023 का समाप्त वर्ष के लिए	
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	कर पूर्व लाभ		62,220.64		67,848.73
	जोड़ :विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध संचालन (कर के बाद शुद्ध)	(2,501.34)		5,482.47	
	जोड़ : विनियामक आस्थगन खाता शेष के संचालन पर कर	(192.98)		1,468.19	
			(2,694.32)		**6,950.66**
	विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन सहित कर पूर्व लाभ		**59,526.32**		**74,799.39**
	समायोजन :				
	मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति व्यय	85,480.64		83,550.16	
	प्रावधान/बट्टे खाते में डालना	7,109.36		4,852.11	
	विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष				
	विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष	2,694.32		(6,950.66)	
	आस्थगित राजस्व	(1,210.52)		1,666.58	
	विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ)	93.56		757.22	
	वित्त लागत	52,744.49		52,909.91	
	सावधि जमा/बांड/निवेश से ब्याज/आय	(358.77)		(526.77)	
	प्रावधान वापस लिखा गया	(493.32)		(7.77)	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर लाभ	(45.74)		(2.93)	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर नुकसान	63.96		16.66	
	विलंबित भुगतान अधिभार	(848.88)		(545.68)	
			1,45,229.10		**1,35,718.83**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**2,04,755.42**		**2,10,518.22**
	समायोजन :				
	व्यापार प्राप्य	10,909.37		(45,605.48)	
	इन्वेंटरी	58.70		2,583.19	
	व्यापार देयताएं, प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं	(40,522.39)		(12,793.77)	
	ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और अन्य परिसंपत्तियां	(10,697.34)		14,257.87	
			(40,251.66)		**(41,558.19)**
	परिचालन से उत्पन्न नकदी		**1,64,503.76**		**1,68,960.03**
	आयकर (भुगतान किया गया) /वापस किया गया		**(10,400.00)**		**(10,300.00)**

	विवरण	मार्च 2024 का समाप्त वर्ष के लिए		मार्च 2023 का समाप्त वर्ष के लिए	
	परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी - क		**1,54,103.76**		**1,58,660.03**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(1,08,766.59)		(65,819.50)	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का निपटान	71.14		9.04	
	सावधि जमा/बांड/निवेश पर प्राप्त ब्याज/आय	358.77		526.77	
	प्राप्त लाभांश	-		-	
	नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा बैंक शेष में परिवर्तन	15.04		717.56	
	विलंबित भुगतान अधिभार प्राप्त हुआ	704.55		497.88	
	निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी - ख		**(1,07,617.09)**		**(64,068.25)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कंपनी के इक्विटी उपकरणों के निर्गम से प्राप्त आय	-		-	
	गैर-वर्तमान उधार से प्राप्त आय	1,25,000.00		95,000.00	
	गैर-वर्तमान उधारों का पुनर्भुगतान	(1,20,462.09)		(1,32,663.26)	
	वर्तमान उधार से प्राप्त आय	30,056.76		(2,300.00)	
	वित्तीय पट्टा दायित्वों का भुगतान	(1,056.94)		(728.69)	
	ब्याज का भुगतान	(56,245.63)		(55,282.98)	
	लाभांश का भुगतान	(25,000.00)		(1,500.00)	
	लाभांश पर कर				
	वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी - ग		**(47,707.90)**		**(97,474.93)**
	नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**(1,221.23)**		**(2,883.15)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य (नीचे नोट 1 और 2 देखें)		1,461.34		4,344.49
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष (नीचे नोट 1 और 2 देखें) *		240.11		1,461.34

* कृपया नोट संख्या 11 देखें

नोट्स:

1 नकदी और नकदी समतुल्य में चेक, ड्राफ्ट, स्टाम्प, बैंक में शेष राशि तथा तीन महीने तक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि शामिल होती है।

2 नकद और नकद समकक्षों का मिलान:

नोट संख्या 11 के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष

3 नकद और नकद समतुल्य में वर्ष के लिए खर्च न किए गए सीएसआर के विरुद्ध शून्य राशि शामिल है।

4 वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच सामंजस्य।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण	गैर-वर्तमान उधार**	वित्त पट्टा दायित्व	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि	6,84,525.74	1,086.31	22,000.00
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह	1,25,000.00	(1,056.94)	30,056.76
अवधि के दौरान मूलधन की चुकौती	(1,20,462.09)		
गैर-नकद परिवर्तन के कारण :			
वित्तीय पट्टे के तहत अधिग्रहण		1,986.18	
विनिमय दर में बदलाव	316.06		
उधार पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2024 तक समापन शेष	**6,89,379.71**	**2,015.55**	**52,056.76**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण	गैर-वर्तमान उधार**	वित्त पट्टा दायित्व	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष राशि	7,18,899.93	1011.83	24,300.00
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह	95,000.00	(728.69)	(2,300.00)
अवधि के दौरान मूलधन की चुकौती	(1,32,663.26)		
गैर-नकद परिवर्तन के कारण :			
वित्तीय पट्टे के तहत अधिग्रहण		803.17	
विनिमय दर में बदलाव	3,289.07		
उधार पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2023 तक समापन शेष	**6,84,525.74**	**1,086.31**	**22,000.00**

** इसमें दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता शामिल है

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 14-05-2024
स्थान: नई दिल्ली

एपी रोंग
कंपनी सचिव

बी. महाराणा
निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ
डीआईएन: 09263864

गुरदीप सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

सीए मनीष गोयल
भागीदार
सदस्यता संख्या-061194

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के भाग के रूप में शामिल नोट्स

नोट 1. कंपनी की जानकारी और सामग्री लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("नीपको लिमिटेड" / "कंपनी") भारत में स्थित एक कंपनी है और शेयरों द्वारा सीमित है (CIN - U40101ML1976GOI001658) । कंपनी एक प्रमुख बिजली उपयोगिता है, जो मुख्य रूप से भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में काम करती है। नीपको एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) और एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसे भारत सरकार द्वारा अनुसूची A- मिनीरत्न श्रेणी-I सीपीएसईका दर्जा दिया गया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, लैतुमखरा, शिलांग 793003, मेघालय है। कंपनी का मुख्य कार्य बिजली के उत्पादन और राज्य बिजली उपयोगिताओं को थोक में बिजली बिक्री करना शामिल है।

नीपको लिमिटेड ने अपने ऋण (बांड XI अंक से XXIII अंक) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध कर रखा है।

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये एकल वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के अनुसार चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 14 मई 2024 को आयोजित बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

2. माप का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित के:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (व्युत्पन्न उपकरणों सहित) जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और
- कर्मचारियों के परिभाषित लाभ योजनाओं के मामले में योजना परिसंपत्तियां, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है।

3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाखों (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

4. वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी 12 महीने की अवधि को सामान्य परिचालन चक्र मानते हुए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट में चालू/गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

ग. सामग्री लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने का चुनाव किया है - 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना', भारतीय लेखा मानक 16 - 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' और भारतीय लेखा मानक 38 - 'अमूर्त संपत्ति' के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं करना और भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि यानी 1 अप्रैल 2015 को भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत मानी गई लागत के रूप में पिछले जीएएपी वहन राशि का उपयोग जारी रखना। इसलिए, 1 अप्रैल 2015 को, यानी कंपनी के भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि को, पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की वहन राशि, भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के समय बनाए रखी गई।

घ. समेकन का आधार

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रुप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त उद्यमों के परिणाम तथा परिसंपत्तियों और देनदारियों को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब निवेश, या उसका कोई भाग, बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उस स्थिति में इसका लेखा भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

इक्विटी पद्धति के तहत, संयुक्त उद्यम में निवेश को शुरू में समेकित बैलेंस शीट में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद संयुक्त उद्यम के लाभ और हानि में समूह के हिस्से को मान्यता देने के लिए समायोजित किया जाता है। जब किसी संयुक्त उद्यम के नुकसान में समूह का हिस्सा उस संयुक्त उद्यम में समूह के हित से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई भी दीर्घकालिक हित शामिल है, जो मूल रुप से संयुक्त उद्यम में समूह के शुद्ध निवेश का हिस्सा है) , तो समूह आगे के नुकसान में अपने हिस्से को मान्यता देना बंद कर देता है। अतिरिक्त नुकसान केवल उस सीमा तक मान्यता प्राप्त हैं, जब समूह ने कानूनी या रचनात्मक दायित्व उठाए हैं या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किए हैं।

संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखा इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए उस तिथि से किया जाता है जिस दिन निवेशिती संयुक्त उद्यम बन जाता है। संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशिती की पहचान योग्य परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के समूह के हिस्से पर निवेश की लागत का कोई भी आधिक्य सद्भावना के रुप में पहचाना जाता है, जिसे निवेश की वहन राशि में शामिल किया जाता है। पहचान योग्य परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के समूह के हिस्से का निवेश की लागत पर कोई भी आधिक्य, पुनर्मूल्यांकन के बाद, उस अवधि में पूंजी आरक्षित के रुप में सीधे इक्विटी में पहचाना जाता है जिसमें निवेश का अधिग्रहण किया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश की प्रारंभिक मान्यता के बाद घटित एक या एक से अधिक घटनाओं के परिणामस्वरुप हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है ('हानि घटना') और उस हानि घटना (या घटनाओं) का शुद्ध निवेश से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है जिसका विश्वसनीय रुप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो संयुक्त उद्यम में समूह के निवेश के संबंध में हानि की मान्यता देना आवश्यक है।

जब आवश्यक हो, तो निवेश की संपूर्ण अग्रणीत राशि (सद्भावना सहित) को भारतीय लेखा मानक 36 परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार एकल परिसंपत्ति के रुप में उसकी वसूली योग्य राशि (उपयोग में मूल्य और उचित मूल्य में से निपटान की लागत में से जो अधिक हो) की तुलना उसकी अग्रणीत राशि से करके हानि के लिए परखा जाता है। मान्यता प्राप्त कोई भी हानि निवेश की अग्रणीत राशि का हिस्सा बनती है। उस हानि के किसी भी उलटफेर को भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि निवेश की वसूली योग्य राशि बाद में बढ़ जाती है।

1. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

1.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रुप में तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को शुरु में लागत पर पहचाना जाता है। बाद में माप लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि हानि को घटाकर किया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग का मूल्य महत्वपूर्ण होता है तथा मुख्य परिसंपत्ति की तुलना में उसका उपयोगी जीवन अलग होता है, तो उन्हें अलग से मान्यता दी जाती है।

मुआवजे, पुनर्वास और कब्जे वाली भूमि से संबंधित अन्य खर्चों के लिए अनंतिम रुप से की गई जमाराशियां, भुगतान/देयताएं भूमि की लागत मानी जाती हैं।

उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

एक से अधिक उत्पादन इकाइयों में सामान्य परिसंपत्तियों और प्रणालियों को इंजीनियरिंग अनुमानों/आकलन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण की वस्तुएँ जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करती हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री के रुप में रखा जाता है और उपभोग पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रुप में पहचाना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा वस्तु के भविष्य के आर्थिक लाभों को सीधे तौर पर नहीं बढ़ाता है, लेकिन कंपनी के लिए अपनी अन्य परिसंपत्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रुप में मान्यता दी जाती है।

परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के दौरान उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से देय लागत से घटा दिया जाता है।

1.2. परवर्ती लागत

परवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है।

उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और ओवरहाल पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब वह परिसंपत्ति मान्यता मानदंडों को पूरा करता है। पिछले निरीक्षण और ओवरहाल की लागत की शेष वहन राशि को मान्यता से हटा दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम के प्रमुख भाग को बदलने की लागत को आइटम की वहन राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि भाग में निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि को इस बात की परवाह किए बिना हटा दिया जाता है कि प्रतिस्थापित भाग का अलग से मूल्यह्रास किया गया है या नहीं। यदि प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, तो कंपनी प्रतिस्थापन की लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रुप में करती है कि अधिग्रहित या निर्मित किए जाने के समय प्रतिस्थापित भाग की लागत क्या थी। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को लाभ और हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब वह व्यय होता है।

1.3. विमुद्रीकरण लागत

यदि किसी प्रावधान के लिए मान्यता मानदंड पूरे होते हैं, तो परिसंपत्ति के उपयोग के बाद उसे बंद करने की अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

1.4. मान्यता रद्द करना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की मान्यता समाप्त करने पर लाभ और हानि का निर्धारण निपटान से बिक्री आय, यदि कोई हो, और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

1.5. अवमूल्यन और परिशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग बी के अंतर्गत आने वाली बिजली उत्पादन व्यवसाय की परिसंपत्तियों और कंपनी के कॉर्पोरेट और अन्य कार्यालयों की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर लगाया जाता है, जिसमें निम्नलिखित परिसंपत्तियों के लिए अपवाद शामिल है:

मुख ओवरहाल और निरीक्षण लागत, जिन्हें पूंजीकृत किया गया है, को अगले निर्धारित आउटेज या वास्तविक प्रमुख निरीक्षण/ओवरहाल, जो भी पहले हो, तक की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है।

संयंत्र एवं मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया है और ऐसी वस्तु की अग्रणीत राशि में जोड़ा गया है, का मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र एवं मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा शासित विद्युत उत्पादन व्यवसाय से संबंधित उपयोग के अधिकार वाली भूमि और भवनों का सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार पट्टा अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवन काल, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर पूर्ण परिशोधन किया जाता है।

विद्युत उत्पादन व्यवसाय से संबंधित उपयोग के अधिकार वाली भूमि और भवन, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, उन्हें पट्टा अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवनकाल, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर पूर्णतः परिशोधित किया जाता है।

कॉर्पोरेट और अन्य कार्यालयों से संबंधित उपयोग के अधिकार वाली भूमि और भवनों का सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार पट्टा अवधि या पच्चीस वर्ष, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर पूर्ण परिशोधन किया जाता है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि/कटौतियों पर मूल्यह्रास उस माह से/तक आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति उपयोग/बिक्री, निपटान के लिए उपलब्ध होती है या निपटान के लिए निर्धारित होती है।

जहां विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और शुल्कों में मूल्य समायोजन परिवर्तन या इसी तरह के कारकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों (31 मार्च 2016 तक मान्यता प्राप्त) में वृद्धि/कमी के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत में परिवर्तन हुआ है, ऐसी परिसंपत्ति का अपरिशोधित शेष मूल्यह्रास/परिशोधन से संबंधित लागू लेखांकन नीतियों के अनुसार निर्धारित शेष उपयोगी जीवन पर भावी रूप से प्रभारित किया जाता है।

जहां यह संभावना है कि किए गए व्यय से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर बाद के व्यय के साथ-साथ इसकी अशोधित मूल्यह्रास राशि को तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित उपयोगी जीवन पर भावी रुप से चार्ज किया जाता है।

किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उस तारीख से समाप्त हो जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति को भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए रखे जाने के रुप में वर्गीकृत किया जाता है (या बिक्री के लिए रखे जाने के रुप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल किया जाता है) और उस तारीख से जब परिसंपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है।

ऐसी खरीदी/स्थापित परिसंपत्तियां, जिनकी व्यक्तिगत लागत 5000/- रुपये या उससे कम परंतु 750/- रुपये से अधिक है (जिन्हें इसके बाद अल्प मूल्य की परिसंपत्तियां कहा जाएगा) का 12 महीने की अवधि के दौरान मूल्यह्रास किया जाता है, जिससे मात्र 1/- रुपये का नाममात्र शेष बचता है।

आईटी उपकरण (पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, जिसमें बाह्य उपकरण भी शामिल हैं) का मूल्यह्रास तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है।

आईटी उपकरण (पार्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, जिसमें लचीले उपकरण भी शामिल हैं) की कीमत तीन साल की अवधि में है।

अस्थायी निर्माण/संरचनाओं का 12 महीने की अवधि में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

2. पूंजीगत कार्य प्रगति पर

ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर व्यय की गई लागत, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

स्वयं-निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम की लागत, परिसंपत्तियों को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रुप से जिम्मेदार कोई अन्य लागत और अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार उधार लागत शामिल हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण से संबंधित व्यय, जो उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने तक किए जाते हैं, की पहचान की जाती है तथा संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के आधार पर व्यवस्थित आधार पर उनका आवंटन किया जाता है।

ठेकेदारों से प्राप्त खाते के विवरण के आधार पर जमा कार्यों/लागत प्लस अनुबंधों का हिसाब लगाया जाता है।

अनुबंधों के मामले में मूल्य परिवर्तन/विनिमय दर परिवर्तन के लिए अनसुलझे देयताओं को अनुबंधों की शर्तों के अनुसार अनुमानित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3. अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

3.1. प्रारंभिक पहचान और माप

कंपनी द्वारा अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियां, जिनका उपयोगी जीवन सीमित होता है, लागत पर पहचानी जाती हैं। बाद में मापन लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर किया जाता है।

बैलेंस शीट की तिथि तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों" के रुप में मान्यता दी जाती है।

3.2. अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रुप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है।

3.3. मान्यता रद्द करना

अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्यता से वंचित किया जाता है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त करने पर लाभ या हानि का निर्धारण शुद्ध निपटान आय, यदि कोई हो, और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच के अंतर के रुप में किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4. ऋणमुक्ति

अमूर्त परिसंपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के तहत उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

"भूमि उपयोग का अधिकार" परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि (सीओडी) से उसके उपयोगी जीवन की अवधि में पूरी तरह से परिशोधित है। लीजहोल्ड भूमि को उसके सीओडी से, जो भी कम हो, लीज की अवधि या परियोजना के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। प्रशासनिक कार्यालयों के मामले में लीजहोल्ड भूमि को लीज अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है तथा जहां भी आवश्यक हो, उसे भावी रुप से समायोजित किया जाता है।

4. विनियामक आस्थगन खाता शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को 'विनियामक आस्थगित खाता शेष' के रुप में मान्यता दी जाती है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष को उस वर्ष समायोजित किया जाता है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो जाता है।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर विनियामक आस्थगित खाता शेष का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्निहित गतिविधियाँ मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभव है कि ऐसे शेषों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को मिलेंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो विनियामक आस्थगित खाता शेष को मान्यता से हटा दिया जाता है।

5. उधार की लागत

उधार लेने की लागत में शामिल हैं (क) इंडस्ट्रीज़ एएस 109 में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके गणना की गई ब्याज व्यय - 'वित्तीय साधन' (ख) इंडस्ट्रीज़ 116 के अनुसार मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों पर ब्याज व्यय - 'पट्टे' और (ग) विनिमय विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले अंतर इस हद तक हैं कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रुप में माना जाता है।

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/विकास या निर्माण से सीधे जुड़ी उधारी लागतों को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रुप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रुप से तैयार न हो जाएं। योग्य परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

जब कंपनी विशेष रुप से अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निधि उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत को पूंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य रुप से निधि उधार लेती है और उन्हें अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत का पूंजीकरण उस अवधि के दौरान बकाया सभी उधारों की भारित औसत लागत के आधार पर गणना की जाती है और अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। हालाँकि, अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रुप से किए गए उधारों पर लागू उधार लागतों को इस गणना से बाहर रखा जाता है, जब तक कि उस परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियाँ पूरी नहीं हो जाती हैं।

अर्हक परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए उपयोग हेतु लंबित उधारों से किए गए अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों से घटा दिया जाता है।

उधार लागतों का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रुप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

कंपनी उस विस्तारित अवधि के दौरान उधार लेने की लागत वहन कर सकती है जिसमें वह किसी परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक गतिविधियों को निलंबित कर देती है। ऐसी लागतें आंशिक रुप से पूर्ण परिसंपत्तियों को रखने की लागतें हैं और पूंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी आमतौर पर उस अवधि के दौरान उधार लेने की लागत को निलंबित नहीं करती है जब वह पर्याप्त तकनीकी और प्रशासनिक कार्य करती है। कंपनी तब भी उधार लेने की लागत को निलंबित नहीं करती है जब किसी परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में अस्थायी देरी एक आवश्यक हिस्सा होती है।

6. इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। लागत भारित औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है।

भंडार और स्पेयर्स की गैर-चलती वस्तुओं की समीक्षा की जाती है तथा अप्रचलित, अनुपयोगी, अधिशेष स्पेयर्स के मूल्य में कमी का पता लगाया जाता है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब इस बात का उचित आश्वासन हो कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा और कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी। अनुदान जो कंपनी को मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की लागत के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर अवधि और उस अनुपात में आय के रुप में मान्यता दी जाती है जिसमें मूल्यह्रास लगाया जाता है। अनुदान जो कंपनी को किए गए खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं, उन्हें उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लागतें खर्च की जाती हैं और उसी को संबंधित खर्चों से घटा दिया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरुप, कंपनी के पास कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, जिसका विश्वसनीय रुप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं जो धन के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रुप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद की जाती है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है, यदि कोई हो।

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रुप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रुप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर की बात न हो। आकस्मिक देयताएँ प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं। इनकी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रुप से परिलक्षित हो।

बोझिल अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। बोझिल अनुबंध तब माना जाता है जब कंपनी के पास ऐसा अनुबंध होता है जिसके तहत अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में कार्यात्मक मुद्रा हाजिर विनिमय दरों पर उस तिथि पर दर्ज किया जाता है, जिस तिथि को लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियाँ और देनदारियाँ उस तिथि पर प्रचलित कार्यात्मक मुद्रा हाजिर विनिमय दरों पर अंतरण की जाती हैं। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें यह उत्पन्न होता है, इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च 2016 तक मान्यता प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदें जिन्हें ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में प्राप्त या भुगतान किए गए अग्रिम प्रतिफल के मामले में, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या उसके भाग) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारित करने के उद्देश्य से लेनदेन की तिथि वह होती है, जब कंपनी अग्रिम प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर-मौद्रिक देयता को प्रारंभिक रूप से मान्यता देती है।

10. राजस्व

कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से ऊर्जा की बिक्री, पट्टे पर दी गई संपत्तियों से आय और अन्य आय से आता है। अन्य आय से प्राप्त राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से मिलने वाला ब्याज, म्यूचुअल फंड निवेश से मिलने वाला लाभांश, विलंबित भुगतानों के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्क्रैप की बिक्री, अन्य विविध आय आदि शामिल हैं।

10.1. ऊर्जा की बिक्री से राजस्व

भारत में कंपनी के अधिकांश परिचालन विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विनियमित हैं। तदनुसार, सीईआरसी समय-समय पर लागू टैरिफ विनियमों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर कंपनी के बिजली संयंत्रों के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। टैरिफ एक विशिष्ट बिजली संयंत्र के लिए किए गए पूंजीगत लागत पर आधारित है और इसमें मुख्य रूप से दो घटक शामिल हैं: क्षमता शुल्क यानी एक निश्चित शुल्क जिसमें मूल्यह्रास, इक्विटी पर रिटर्न, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, परिचालन और रखरखाव व्यय, ऋण पर ब्याज और ऊर्जा शुल्क यानी मुख्य रूप से ईंधन लागत पर आधारित एक परिवर्तनीय शुल्क शामिल है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की गणना सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर की जाती है (अनंतिम रूप में इंगित वस्तुओं को छोड़कर) जैसा कि लागू सीमा तक विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों द्वारा संशोधित किया गया है। उन बिजली स्टेशनों के मामले में जहां टैरिफ दरों को अभी मंजूरी दी जानी है / सीईआरसी द्वारा अपने आदेशों में अनंतिम रुप से इंगित की गई वस्तुएं हैं, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष जमा की गई वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं। ऊर्जा की बिक्री से राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब बिजली लाभार्थी को वितरित की जाती है और इसे उपयोग मीटरों की नियमित समीक्षा के माध्यम से मापा जाता है। लाभार्थियों को आवधिक और नियमित आधार पर बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऊर्जा की बिक्री से राजस्व में लाभार्थियों को वितरित की गई बिक्री के लिए एक प्रोद्भव शामिल होता है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया जाता है

प्रोत्साहन/निरुत्साहन का लेखा-जोखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मानदंडों के आधार पर भारतीय लेखा मानक 115 - 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। जिन बिजलीघरों में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है, वहां प्रोत्साहन/निरुत्साहन का लेखा-जोखा अनंतिम आधार पर किया जाता है।

ऊर्जा बिक्री से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा, जहां सीईआरसी टैरिफ विनियम लागू नहीं होते हैं, लाभार्थियों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत दरों, नियमों और शर्तों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से बिजली के व्यापार के आधार पर मान्यता दी जाती है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों के निपटान/स्थानांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर, जो लाभार्थियों से वसूली योग्य या बाद की अवधि में उन्हें देय होता है, को 'विनियामक आस्थगित खाता शेष' के रूप में हिसाब में लिया जाता है और ऐसे शेष को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिसमें वह लाभार्थियों को वसूली योग्य/देय हो जाता है।

31 मार्च 2016 तक मान्यता प्राप्त विदेशी मुद्रा उधार के अंतरण के कारण विनिमय अंतर, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय सीमा तक 'आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्ति' के रूप में हिसाब में लिया जाता है, जिसके अनुरुप 'विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव से आस्थगित आय' को क्रेडिट किया जाता है। विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव खाते से आस्थगित आय को उस अनुपात में परिशोधित किया जाता है जिसमें ऐसे विनिमय अंतरों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है और उसी को मूल्यह्रास व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य/उन्हें देय डेरिवेटिव के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों के संबंध में उचित मूल्य परिवर्तन, बिक्री में मान्यता प्राप्त हैं।

व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत दरों, नियमों एवं शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी जाने वाली छूट को राजस्व की राशि से काट लिया जाता है।

ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री के समय ही हिसाब में लिया जाता है।

प्रोत्साहन/निरुत्साहन/वसूली की पहचान केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर की जाती है।

10.2. अन्य आय

ब्याज आय को तब पहचाना जाता है, जब मापनीयता या संग्रहणीयता के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है, प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर पर विचार करते हुए समय अनुपात के आधार पर। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापे गए ऋण साधनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि के लिए ईआईआर का उपयोग करके ब्याज आय को पहचाना जाता है और लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है। खरीदी गई या उत्पन्न क्रेडिट-क्षतिग्रस्त (पीओसीआई) वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ब्याज आय को क्रेडिट-समायोजित ईआईआर की गणना करके और उस दर को परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर लागू करके पहचाना जाता है।

लाभ की हानि के लिए बीमा दावों का लेखा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। अन्य बीमा दावों का लेखा प्राप्ति की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

किराये और परिचालन पट्टों से प्राप्त राजस्व को प्रासंगिक समझौते के सार के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

ऊर्जा की बिक्री के लिए विलंबित भुगतान/अतिदेय व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज/अधिभार तब मान्यता प्राप्त होता है, जब मापनीयता या संग्रहणीयता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम पर वसूलनीय ब्याज/अधिभार तथा वारंटी दावों, जहां भी वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता हो, को उपार्जित नहीं माना जाता है, तथा इसलिए, उन्हें प्राप्ति/स्वीकृति पर हिसाब में लिया जाता है।

लाभांश आय को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभावना है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

11. कर्मचारी लाभ

11.1. परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत एक इकाई अलग-अलग संस्थाओं को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और उसके पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रीपेड अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी उपलब्ध होती है। परिभाषित अंशदान योजना में योगदान जो उस अवधि के अंत के 12 महीने से अधिक समय बाद देय होते हैं, जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

11.2. परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) , सेवानिवृत्ति पर विदाई उपहार, और भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता की सीमा तक भविष्य निधि योजना के प्रति कंपनी की देयता परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग की जाती है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाया जाता है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। किसी भी योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियाँ कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब होती हैं और जो उसी मुद्रा में अंकित होती हैं जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

एक्चुरियल गणना एक योग्य एक्चुअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके प्रतिवर्ष की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य की वापसी या योजना में भविष्य के योगदान में कटौती के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। कंपनी को एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्मापन में एक्चुरियल लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (शुद्ध परिभाषित देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) और परिसंपत्ति सीलिंग का प्रभाव (शुद्ध परिभाषित देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) शामिल हैं और उन्हें उस अवधि में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

पिछली सेवा लागतों को लाभ और हानि के विवरण में योजना संशोधन या कटौती की तिथि और कंपनी द्वारा संबंधित पुनर्गठन लागतों को मान्यता देने की तिथि में से जो भी पहले हो, मान्यता दी जाती है। यदि कोई योजना संशोधन, कटौती या निपटान होता है, तो पुनर्मापन के बाद की अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज का निर्धारण पुनर्मापन के लिए उपयोग की गई मान्यताओं का उपयोग करके किया जाता है।

11.3. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी की अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं।

इन दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग की जाती है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाया जाता है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी भी संबंधित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियाँ कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

एक्चुरियल गणना एक योग्य एक्चुअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके प्रतिवर्ष की जाती है। पुनर्मापन में एक्चुरियल लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध परिभाषित देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) और परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव (शुद्ध परिभाषित देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) शामिल है और उन्हें उस अवधि में लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को बैलेंस शीट में चालू देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद हो।

11.4. अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है तथा संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर व्यय किया जाता है।

निष्पादन संबंधी वेतन के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरुप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रुप से अनुमान लगाया जा सकता है।

12. अन्य व्यय

प्रशिक्षण एवं भर्ती पर व्यय को उस वर्ष के लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

व्यवहार्यता रिपोर्ट/तकनीकी आर्थिक मंज़ूरी के अनुमोदन से पहले नई परियोजनाओं के कारण किए गए प्रारंभिक व्यय को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

शुद्ध पूर्व-कमीशनिंग आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों और प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

13. आयकर

आयकर व्यय में चालू और स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह सीधे ओसीई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे क्रमशः ओसीआई या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

चालू कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है, जिसकी गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन का उपयोग करके की जाती है।

आस्थगित कर को बैलेंस शीट विधि का उपयोग करके पहचाना जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रुप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर, अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ तब ऑफसेट होती हैं, जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रुप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होते हैं।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब वह सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, ऐसी स्थिति में इसे क्रमशः ओसीआई या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देयता को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय तब जब आस्थगित कर देयता किसी ऐसे लेनदेन में सद्भावना या परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती है जो व्यवसाय संयोजन नहीं है और, लेनदेन के समय, (i) न तो लेखांकन को प्रभावित करता है और न ही कर योग्य लाभ या हानि को और (ii) समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों को जन्म नहीं देता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की

जाती है और उन्हें इस सीमा तक घटाया जाता है कि यह अब संभव नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिससे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के सभी या भाग का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के विरुद्ध सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को बैलेंस शीट में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में तब पहचाना जाता है जब परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

जब आयकर उपचार के संबंध में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करेगा। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि कर प्राधिकरण अनिश्चित कर निरुपण को स्वीकार करने की संभावना नहीं रखता है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव को मान्यता दी जाती है। अनिश्चितता के प्रभाव को उस विधि का उपयोग करके पहचाना जाता है जो प्रत्येक मामले में अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम रुप से प्रतिबिंबित करती है: सबसे संभावित परिणाम या अपेक्षित मूल्य। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर निरुपण पर अलग से विचार किया जाए, या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर निरुपण के साथ संयोजन में, उस दृष्टिकोण के आधार पर जो अनिश्चितता के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त हो।

14. पट्टें

कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध के आरंभ में अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले में किसी समयावधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा होता है या उसमें पट्टा होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (1) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (2) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं और (3) कंपनी के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी उन सभी लीज़ व्यवस्थाओं के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और उसके अनुरुप लीज़ देयता को मान्यता देती है, जिनमें वह पट्टेदार है, बारह महीने या उससे कम अवधि वाले लीज़ (अल्पकालिक लीज़) और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए लीज़ को छोड़कर। इन अल्पावधि और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए लीज़ के लिए, कंपनी लीज़ भुगतान को लीज़ की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रुप में मान्यता देती है।

कुछ लीज़ व्यवस्थाओं में लीज़ अवधि समाप्त होने से पहले लीज़ को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल होते हैं। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों और लीज़ देनदारियों में ये विकल्प तब शामिल होते हैं जब यह यथोचित रुप से निश्चित हो कि लीज़ को बढ़ाने का विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा/लीज़ को समाप्त करने का विकल्प इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों (भूमि और इमारतों के अलावा) को शुरु में लागत पर पहचाना जाता है, जिसमें लीज़ देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, जिसे लीज़ की आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज़ भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में से किसी भी लीज़ प्रोत्साहन को घटाया जाता है। बाद में उन्हें लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानि हानि को घटाकर मापा जाता है और लीज़ देयताओं के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का मूल्यह्रास/परिशोधन आरंभ तिथि से लेकर अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक अंतर्निहित संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों की लागत दर्शाती है कि खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का मूल्यह्रास/परिशोधन आरंभ तिथि से लेकर अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का मूल्यांकन वसूली के लिए तब किया जाता है जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (यानी निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य को घटाकर उचित मूल्य में से जो अधिक हो) को व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य संपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हों। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि उस नकदी उत्पादक इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे संपत्ति संबंधित है।

लीज़ देयता को शुरु में भविष्य के लीज़ भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। वर्तमान मूल्य की गणना करते समय, लीज़ भुगतानों को लीज़ में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में बदलाव करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगी, तो लीज़ देयताओं को संबंधित उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति के अनुरुप समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है।

15. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि भारतीय लेखा मानक 36 - 'परिसंपत्तियों की हानि' के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, जिन परिसंपत्तियों का व्यक्तिगत रुप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है, उन्हें परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ रखा जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों ('नकदी पैदा करने वाली इकाई', या "सीजीयू") के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं।

यदि किसी परिसंपत्ति या उसके सीजीयू की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि हानि को मान्यता दी जाती है। हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। सीजीयू के संबंध में मान्यता प्राप्त हानि हानि को सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि से घटाया जाता है।

पिछली अवधियों में पहचाने गए हानि नुकसान का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी भी संकेत के लिए किया जाता है कि नुकसान कम हो गया है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई बदलाव हुआ है, तो हानि नुकसान को उलट दिया जाता है। हानि नुकसान को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है जब परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक नहीं होती है जो संचित मूल्यह्रास या परिशोधन के शुद्ध मूल्य से निर्धारित होती, यदि कोई हानि नुकसान नहीं पहचाना गया होता।

16. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रुप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

17. महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी रुप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताकर ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनः बता दिया जाता है।

18. वित्तीय साधन

वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है। कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को तभी मान्यता देती है जब वह साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है।

18.1. वित्तीय पूंजी

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, सिवाय व्यापार प्राप्तियों के जिन्हें शुरु में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत, जिनका लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं।

अनुवर्ती माप

परिशोधन लागत पर लिखत ऋण

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो 'ऋण साधन' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना होता है, तथा

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम पर विचार करके की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य)

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

(क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है,

(ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधन को शुरु में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, हानि हानि और प्रतिवर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर ऋण साधन (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी ऐसे ऋण साधन को वर्गीकृत करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है, जैसा कि एफवीटीपीएल में है। हालाँकि, ऐसा चुनाव केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) । एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। ऐसे निवेशों पर ब्याज आय को 'अन्य आय' के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

व्यवसाय मॉडल मूल्यांकन

कंपनी के पास वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं जो उसके सामान्य व्यवसाय और निवेश संपत्ति से उत्पन्न होती हैं। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य कंपनी की प्राप्तियों से देय राशि एकत्र करना और एकत्र की गई राशि पर संविदात्मक ब्याज आय अर्जित करना है।

इक्विटी साधनों में निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं में सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापा जाता है। ट्रेडिंग के लिए रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कंपनी उन्हें एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है। कंपनी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर इस तरह का चुनाव करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को एफवीटीओसीआई के अनुसार वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो इंस्ट्रूमेंट पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, ओसीआई में मान्यता प्राप्त होते हैं। निवेश की बिक्री/निपटान पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में राशियों का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी निवेश की बिक्री/निपटान पर इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को 'अन्य आय' के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी निवेश को लागत में से हानि घटाकर, यदि कोई हो, हिसाब में लिया जाता है।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश के वहन मूल्य की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हानि का कोई संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो निवेश की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि अग्रणीत राशि से कम है, तो हानि की क्षति को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रुप से तब अमान्य घोषित किया जाता है (अर्थात कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब:

· परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या

· कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या किसी तीसरे पक्ष को 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत बिना किसी भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

ग्रणीत राशि और प्राप्त/प्राप्ति योग्य प्रतिफल की राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी उपकरणों के, जहां ऐसे अंतर ओसीआई में दर्ज किए जाते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखा मानक 109-'वित्तीय उपकरण' के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र पर हानि की मान्यता देता है :

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

(ख) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं।

(ग) भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

(घ) भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, बिल रहित राजस्व और अनुबंध परिसंपत्तियाँ।

(ङ) ऋण प्रतिबद्धताएं जिन्हें एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

(च) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों/बिना बिल वाले राजस्व के लिए, कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय साधनों द्वारा अपेक्षित सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके अनुसार प्रारंभिक मान्यता से आजीवन अपेक्षित घाटे को मान्यता दी जानी आवश्यक है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिम (खरीदी गई या उत्पन्न क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) पर हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि की भरपाई के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो इकाई 12 महीने की ईसीएल के आधार पर हानि की छूट को पहचानने के लिए वापस आ जाती है।

खरीदी गई या उत्पन्न ऋण क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रारंभिक मान्यता के बाद से आजीवन अपेक्षित ऋण हानि में संचयी परिवर्तनों के लिए हानि भत्ता मान्यता प्राप्त है।

18.2. वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को, प्रारंभिक मान्यता के समय, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों तथा परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियों के रुप में, उचित रुप से वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देनदारियों को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा देनदारियों के मामले में बाद में सीधे देय लेनदेन लागत के शुद्ध परिशोधन लागत पर मापा जाता है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार, वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्व

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार, व्यापार देयताओं और अन्य संविदात्मक देनदारियों पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग साधन के रुप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखा मानक 109 में मानदंड संतुष्ट हों। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के लिए, स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीई में मान्यता दी जाती है। इन लाभों/हानि को बाद में लाभ और हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालाँकि, कंपनी निपटान पर इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देयता को नामित नहीं किया है।

मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता समाप्त करने और नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

18.3. ब्याज दर मानक सुधार

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के संविदात्मक नकदी प्रवाह को निर्धारित करने का आधार, जिसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है, ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरुप बदल जाता है, तो कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रभावी ब्याज दर को सुधार द्वारा आवश्यक परिवर्तन को दर्शाने के लिए अपडेट किया। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार द्वारा संविदात्मक नकदी प्रवाह को निर्धारित करने के आधार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

– सुधार के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में परिवर्तन आवश्यक है; तथा

– संविदागत नकदी प्रवाह को निर्धारित करने का नया आधार आर्थिक रूप से पिछले आधार के समतुल्य है - अर्थात परिवर्तन से तुरंत पहले का आधार।

जब ब्याज दर बेंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित संविदात्मक नकदी प्रवाह निर्धारित करने के आधार में परिवर्तन के अलावा किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता में परिवर्तन किए गए थे, तो कंपनी सबसे पहले वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रभावी ब्याज दर को ब्याज दर बेंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित परिवर्तन को दर्शाने के लिए अद्यतन करती है और लाभ और हानि विवरण में संशोधन लाभ या हानि को मान्यता नहीं देती है। उसके बाद, कंपनी अतिरिक्त परिवर्तनों में संशोधनों के लिए लेखांकन पर नीतियों को लागू करती है।

18.4. व्युत्पन्न वित्तीय साधन

प्रारंभिक मान्यता और तत्पश्चात मापन

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और विदेशी मुद्रा ऋणों के ब्याज दर जोखिमों को कम करने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों, जैसे कि फॉरवर्ड करेंसी अनुबंध और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। ऐसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को शुरु में उस तिथि पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तो व्युत्पन्नों को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में और जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है तो वित्तीय देनदारियों के रूप में रखा जाता है। व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में लिया जाता है।

18.5. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का समायोजन

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों को वसूलने और देयताओं को एक साथ निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है।

19. बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रुप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है।

प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसके लिए वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, और बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री और निपटान समूहों के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों को उनकी अग्रणीत राशि और उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो भी कम हो, उसके आधार पर मापा जाता है।

एक बार बिक्री के लिए वर्गीकृत की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति का कोई आइटम स्थायी रुप से त्याग दिया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटा दिया जाता है, हालाँकि ऊपर बताए गए 'बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों' के मानदंड पूरे नहीं होते हैं, ऐसी वस्तुओं को बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं के रुप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और उनके संशोधित उपयोगी जीवन के दौरान मूल्यह्रास जारी रहता है, जैसा कि मूल्यांकन किया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों का इस महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

D. अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व व्यय और संबंधित मदों के साथ-साथ बैलेंस शीट की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है:

1. लेखांकन नीतियों का निरुपण

लेखांकन नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में लेन-देन, अन्य घटनाओं और उन स्थितियों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल हो, जिन पर वे लागू होती हैं। जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो, तो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है।

2. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित होता है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल होता है।

विद्युत उत्पादन व्यवसाय (जहां टैरिफ विनियमित है) की परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि, विशेष रूप से अपेक्षित बाजार परिदृश्य तथा बिजली संयंत्रों से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है तथा इसके परिणामस्वरुप हानि हो सकती है।

4. परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरें शामिल हैं, साथ ही छूट दरों, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर में भविष्य के विकास से संबंधित मान्यताएँ भी शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की गई मान्यताएँ उचित और प्रलेखित हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में कोई भी बदलाव परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

5. राजस्व

कंपनी भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों द्वारा संशोधित सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व दर्ज करती है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी मंजूरी दी जानी है, वहां लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं।

6. पट्टे कानूनी रुप में नहीं हैं

भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार लीज़ अकाउंटिंग नियमों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी व्यवस्था में लीज़ शामिल है या नहीं। कंपनी द्वारा की गई व्यवस्थाओं का आकलन करते समय, प्रबंधन ने अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार, कानूनी रुप से लागू करने योग्य समझौतों सहित लेन-देन के सार और व्यवस्थाओं की अन्य महत्वपूर्ण शर्तों का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार मानदंडों को पूरा करती है या नहीं।

7. बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ

भारतीय लेखा मानक 105 - 'बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियां और बंद किए गए परिचालन' के तहत बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय लिया है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनकी वहन राशि मुख्य रुप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से।

8. विनियामक आस्थगन खाता शेष

विनियामक आस्थगन खाता शेष की पहचान में भविष्य के टैरिफ विनियमनों सहित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य/देय होने वाली अपेक्षित राशि के अनुमान पर आधारित हैं।

9. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन भारतीय लेखा मानक 37-'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए संभावित नुकसान के जोखिम की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है। अप्रत्याशित घटनाओं के बाद यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

10. आयकर

वर्तमान और आस्थगित कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल होते हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली अपेक्षित राशि भी शामिल होती है।

नोट संख्या 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2024 तक

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				'नेट ब्लॉक'	
	1 अप्रैल 2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक
भूमि										
फ्री होल्ड	2,600.25	89.32	(20.85)	**2,668.73**	-	-	-	**-**	2,600.25	**2,668.73**
पट्टाधारिता	8,807.13	-	0.00	**8,807.13**	3,404.14	217.61	0.00	**3,621.75**	5,402.99	**5,185.39**
सड़कें, पुल, पुलिया और हेलीपैड	8,540.47	810.40	14.21	**9,365.07**	2,858.96	288.69	11.98	**3,159.63**	5,681.51	**6,205.44**
बिल्डिंग-फ्रीहोल्ड		-	-	**-**		-	-	**-**	-	**-**
मुख्य संयंत्र	1,77,661.96	1,536.92	(34,330.55)	**1,44,868.33**	51,932.20	4,407.39	(15,919.21)	**40,420.38**	1,25,729.76	**1,04,447.94**
अन्य		3,529.40	27,209.95	**30,739.35**		972.64	10,430.98	**11,403.62**	-	**19,335.73**
उपयोग का अधिकार(लीजहोल्ड)	249.65	1,032.96	(129.11)	**1,153.50**	65.46	321.45	(88.66)	**298.24**	184.19	**855.26**
अस्थायी निर्माण	-	20.67	4,340.98	**4,361.66**		22.48	4,329.90	**4,352.39**	-	**9.27**
जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज	-	319.10	2,739.90	**3,058.99**		108.37	1,106.55	**1,214.92**	-	**1,844.08**
रेलवे साइडिंग	-	-	10.65	**10.65**		0.09	9.02	**9.11**	-	**1.54**
हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, सुरंग और पावर चैनल		59,676.61	9,71,878.80	**10,31,555.41**		47,752.99	2,39,465.41	**2,87,218.40**	-	**7,44,337.01**
संयंत्र और उपकरण	16,35,686.92	65,039.15	(9,81,960.09)	**7,18,765.98**	5,38,798.41	28,845.88	(2,45,968.82)	**3,21,675.47**	10,96,888.51	**3,97,090.51**
फर्नीचर और फिक्सचर	1,877.39	1,176.23	(298.26)	**2,755.36**	1,181.15	161.74	(256.75)	**1,086.14**	696.24	**1,669.23**
वाहन		-	-	**-**		-	-	**-**	-	**-**
स्वामित्व	795.56	0.24	(32.16)	**763.63**	515.12	33.62	(28.92)	**519.82**	280.44	**243.82**
उपयोग का अधिकार	1,586.92	767.81	(371.56)	**1,983.17**	766.52	581.84	(387.49)	**960.87**	820.40	**1,022.30**
कार्यालय उपकरण	7,408.69	288.14	(6,308.31)	**1,388.51**	5,010.30	88.65	(4,301.51)	**797.44**	2,398.39	**591.08**
ईडीपी, डब्ल्यूपी मशीनें और सैटकॉम उपकरण	-	459.77	2,750.43	**3,210.20**		262.20	2,415.57	**2,677.77**	-	**532.43**
निर्माण उपकरण	6,987.45	235.33	(347.47)	**6,875.31**	2,987.81	258.50	(55.87)	**3,190.44**	3,999.64	**3,684.87**
विद्युत अधिष्ठापन	2,020.44	705.65	10,852.04	**13,578.13**	1,208.45	635.52	6,403.62	**8,247.59**	811.99	**5,330.54**
संचार उपकरण	-	28.67	444.76	**473.43**		11.35	320.52	**331.86**	-	**141.57**
अस्पताल उपकरण	-	7.50	70.31	**77.81**		5.94	22.22	**28.16**	-	**49.65**
प्रयोगशाला और कार्यशाला उपकरण		54.08	177.29	**231.38**		8.04	52.52	**60.56**	-	**170.82**
अन्य उपकरण	216.44	214.83	1,076.49	**1,507.77**	162.20	80.02	514.81	**757.03**	54.24	**750.73**
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियाँ		7.68	375.18	**382.86**		21.61	360.84	**382.45**	-	**0.41**
कुल	**18,54,439.27**	**1,36,000.45**	**(1,857.36)**	**19,88,582.36**	**6,08,890.72**	**85,086.61**	**(1,563.30)**	**6,92,414.04**	**12,45,548.55**	**12,96,168.32**
प्रावधान हेतु समायोजन	**(3,043.06)**			**(3,043.06)**					**(3,043.06)**	**(3,043.06)**
शुद्ध योग	**18,51,396.21**	**1,36,000.45**	**(1,857.36)**	**19,85,539.30**	**6,08,890.72**	**85,086.61**	**(1,563.30)**	**6,92,414.04**	**12,42,505.49**	**12,93,125.26**

31 मार्च 2023 तक

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				'नेट ब्लॉक'	
	1 अप्रैल 2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक
भूमि										
फ्री होल्ड	2,600.25	-	-	**2,600.25**	-	-	-	**-**	2,600.25	**2,600.25**
पट्टाधारिता	8,807.13	-	-	**8,807.13**	3,186.53	217.61	-	**3,404.14**	5,620.60	**5,402.99**
सड़कें, पुल, पुलिया और हेलीपैड	7,422.09	1,118.43	(0.05)	**8,540.47**	2,615.39	243.54	0.03	**2,858.96**	4,806.70	**5,681.51**
बिल्डिंग-फ्रीहोल्ड										
मुख्य संयंत्र	1,74,676.26	2,775.34	210.36	**1,77,661.96**	46,662.47	5,381.81	(112.07)	**51,932.21**	1,28,013.79	**1,25,729.75**
अन्य	-			**-**				**-**	-	**-**
उपयोग का अधिकार(लीजहोल्ड)	250.37	232.53	(233.25)	**249.65**	77.44	96.28	(108.27)	**65.45**	172.93	**184.20**
अस्थायी निर्माण				**-**				**-**	-	**-**
जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज				**-**				**-**	-	**-**
रेलवे साइडिंग				**-**				**-**	-	**-**
हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, सुरंग और पावर चैनल				**-**				**-**	-	**-**
संयंत्र और उपकरण	16,07,884.61	26,916.16	886.15	**16,35,686.92**	4,64,111.10	75,471.15	(783.84)	**5,38,798.41**	11,43,773.51	**10,96,888.51**
फर्नीचर और फिक्सचर	1,788.89	158.75	(70.25)	**1,877.39**	1,180.98	60.17	(60.00)	**1,181.15**	607.91	**696.24**
वाहन				**-**				**-**	-	**-**
स्वामित्व	774.60	24.98	(4.03)	**795.55**	484.79	33.98	(3.65)	**515.12**	289.81	**280.43**
उपयोग का अधिकार	1,698.98	573.02	(685.08)	**1,586.92**	932.54	515.75	(681.77)	**766.52**	766.44	**820.40**
कार्यालय उपकरण	7,236.70	532.89	(360.90)	**7,408.69**	4,853.56	453.74	(297.00)	**5,010.30**	2,383.14	**2,398.39**
ईडीपी, डब्ल्यूपी मशीनें और सैटकॉम उपकरण				**-**				**-**	-	**-**
निर्माण उपकरण	6,396.87	722.31	(131.73)	**6,987.45**	2,790.16	281.63	(83.98)	**2,987.81**	3,606.71	**3,999.64**
विद्युत अधिष्ठापन	1,891.80	129.47	(0.83)	**2,020.44**	1,153.25	55.97	(0.77)	**1,208.45**	738.55	**811.99**
संचार उपकरण				**-**				**-**	-	**-**
अस्पताल उपकरण				**-**				**-**	-	**-**
प्रयोगशाला और कार्यशाला उपकरण				**-**				**-**	-	**-**
अन्य उपकरण	213.75	25.88	(23.19)	**216.44**	167.73	16.88	(22.41)	**162.20**	46.02	**54.24**
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियाँ				**-**				**-**	-	**-**
कुल	**18,21,642.30**	**33,209.76**	**(412.80)**	**18,54,439.26**	**5,28,215.94**	**82,828.51**	**(2,153.73)**	**6,08,890.72**	**12,93,426.36**	**12,45,548.54**
प्रावधान हेतु समायोजन	**(3,043.06)**			**(3,043.06)**				**-**	**(3,043.06)**	**(3,043.06)**
शुद्ध योग	**18,18,599.24**	**33,209.76**	**(412.80)**	**18,51,396.20**	**5,28,215.94**	**82,828.51**	**(2,153.73)**	**6,08,890.72**	**12,90,383.30**	**12,42,505.48**

2(i) निर्माण और ओ एंड एम परियोजनाओं की वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्तियों को सुरक्षित, मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बांड चौदहवें से बाईसवें अंक तक ₹ 267000 लाख मूल्य जुटाने के लिए गिरवी रखा गया है जिसमें आरओसी के साथ चार्ज आईडी वाले ऋणदाता ₹ 50000.00 लाख के लिए 100394348, ₹ 15000.00 लाख के लिए 100334035, ₹ 50000.00 लाख के लिए 100151868, ₹ 90000.00 लाख के लिए 10603635, ₹ 12000.00 लाख के लिए 10555356, ₹ 50000.00 लाख के लिए 10534076 हैं। ₹ 359800 लाख की राशि का सुरक्षित मध्यम और दीर्घकालिक ऋण। अरुणाचल प्रदेश में पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

2(ii) कोपिली चरण II के लिए अधिग्रहित 183.19 हेक्टेयर भूमि, जिसका मूल्य 452.68 लाख रुपये है, 58 भूमि मालिकों (176 दावों में से 118 दावों का निपटारा) द्वारा भूमि मुआवजे में वृद्धि के संबंध में दायर दावे के कारण मुकदमेबाजी में है और मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) , पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय के समक्ष लंबित है।

2(iii) निर्माण परियोजनाओं से संबंधित ब्याज और वित्त प्रभार, ₹ 4236.46 लाख (तुलनात्मक अवधि ₹ 3093.82 लाख) की राशि आईईडीसी को हस्तांतरित कर दी गई है (संदर्भ नोट संख्या-34 बी) । रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा उधारी असुरक्षित है।

2(iv) तकनीकी मूल्यांकन, घटक एवं पुर्जों की बैठक के आधार पर 5.00 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को में पीपीई के रुप में मान्यता दी गई है।

2(v) कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में प्रकटीकरण इस नोट के अनुलग्नक-I के रूप में दिया गया है। 2(vi) परिचालन के अंतर्गत उत्पादन स्टेशनों के संबंध में विनिमय अंतर को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ समायोजित किया जाता है और उधार लागत को सीडब्ल्यूआईपी और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रमुख शीर्षों की लागत में नीचे दिए गए 'जोड़' या 'कटौती/समायोजन' कॉलम के माध्यम से शामिल किया जाता है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में विनिमय अंतर शामिल है	पीपीई/ सीडब्ल्यूआईपी में उधार लागत शामिल है	पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में विनिमय अंतर शामिल है	पीपीई/ सीडब्ल्यूआईपी में शामिल उधार लागत
मुख्य संयंत्र भवन	22.40	-	322.36	-
हाइड्रोलिक कार्य, जलाशय, बांध, सुरंग	144.88	-	973.86	-
संयंत्र उपकरण	55.23	-	1,235.64	-
लंबित आवंटन सहित अन्य	-	4,236.46	-	3,093.82
कुल	**222.51**	**4,236.46**	**2,531.86**	**3,093.82**

2(vii) . संयंत्र एवं मशीनरी की शुद्ध वहन राशि में निम्नलिखित शामिल हैं: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय पट्टों के अंतर्गत धारित परिसंपत्तियाँ		
लागत	-	-
संचित मूल्यह्रास और हानि नुकसान	-	-
शुद्ध वहन राशि	-	-
स्वामित्व वाली संपत्तियां	12,91,247.70	12,90,088.57
शुद्ध वहन राशि	**12,91,247.70**	**12,90,088.57**

उपरोक्त पीपीई (स्वामित्व वाली संपत्ति) की शुद्ध राशि में भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार मान्यता प्राप्त "उपयोग करने का अधिकार (भवन और वाहन) " के तहत ₹ 1004.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 939.38 लाख) की संपत्ति शामिल नहीं है।

2(viii) . वर्ष के लिए सकल ब्लॉक और मूल्यह्रास से कटौती/समायोजन में शामिल हैं (₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक समाप्त वर्ष के लिए		मूल्यह्रास समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च2024	31 मार्च2023
परिसंपत्तियों का निपटान	(566.44)	(577.07)	(506.56)	(379.71)
परिसंपत्तियों की निवृत्ति	(57.97)	(685.82)	(48.48)	(513.36)
विनिमय अंतर के कारण लागत समायोजन	222.51	2531.86	-	-
पूर्वव्यापी प्रभाव से पूंजीकृत परिसंपत्तियां/अतिरिक्त पूंजीकरण को वापस लिखना	(837.34)	(645.09)	(511.12)	(375.07)
अन्य	(618.12)	(1036.67)	(497.14)	(885.59)
कुल	**(1857.36)**	**(412.79)**	**(1563.30)**	**(2153.73)**

संलग्नक-I

नोट 2 (v) के अनुलग्नक-I: 31 मार्च 2024 तक कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाखों में)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर का रिश्तेदार/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-फ्रीहोल्ड भूमि	**नीपको परियोजना - कोपी हाइड्रो पावर स्टेशन- चरण II के लिए पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि**	452.68	श्रीमती इबिल दखर एवं अन्य (याचिकाकर्ता न. 160)	नहीं	10.09.1984	यह भूमि 58 भूमि स्वामियों द्वारा भूमि मुआवजा बढ़ाने के लिए दायर किए गए दावे के कारण मुकदमेबाजी के अंतर्गत है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	**लाईत्कोर (मेघालय) में 1.88 एकड़ भूमि**	-	कृपया नीचे नोट देखें *	नहीं		

* लैटकोर (मेघालय) में स्थित 1.88 एकड़ भूमि नीपको के स्वामित्व में है।

अनुलग्नक-I से नोट 2 (v) : 31 मार्च 2023 तक कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाखों में)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर का रिश्तेदार/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-फ्रीहोल्ड भूमि	**नीपको परियोजना - कोपी हाइड्रो पावर स्टेशन- चरण II के लिए पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि**	452.68	श्रीमती इबिल दखर एवं अन्य (याचिकाकर्ता न. 160)	नहीं	10.09.1984	यह भूमि 58 भूमि स्वामियों द्वारा भूमि मुआवजा बढ़ाने के लिए दायर किए गए दावे के कारण मुकदमेबाजी के अंतर्गत है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) पश्चिम जयं तिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	**लाईत्कोर (मेघालय) में 1.88 एकड़ भूमि**	-	कृपया नीचे नोट देखें *	नहीं	01.11.1996	

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के आइटम का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाखों में)	शीर्षक विलेख किसके नाम पर है	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर का रिश्तेदार है*/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-लीजहोल्ड भूमि	**पारे एचईपी, पापुम पारे जिला अरुणाचल में 177.35 हेक्टेयर भूमि**	3,595.23		नहीं	24.11.2009 एवं 05.11.2012	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-लीजहोल्ड भूमि	**पारे एचईपी, पापुम पारे जिला अरुणाचल में 17592 वर्ग मीटर भूमि**	81.28		नहीं	दिसंबर 2018	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-लीजहोल्ड भूमि	**कोपिली एचईपी (असम) दीमा हसाओ में 7015.56 एकड़ भूमि**	1,614.91		नहीं	01.04.2010	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-लीजहोल्ड भूमि	**आवासीय परिसर, उमसावली, (मेघालय) में 21.66 एकड़ भूमि**	758.10		नहीं	07.05.2013	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-लीजहोल्ड भवन	**समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली, बीकाजी कामा पैलेस, एनबीसीसी में 887.104 वर्ग मीटर भवन**	1,172.78		नहीं	01.07.1994	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-लीजहोल्ड भवन	**कोलकाता कार्यालय/गेस्ट हाउस, पश्चिम बंगाल में 1160.454 वर्ग मीटर भवन**	362.38		नहीं	07.09.2005	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	**लैटकोर (मेघालय) में 1.88 एकड़ भूमि**	-	कृपया नीचे नोट देखें *	नहीं		

* लैटकोर (मेघालय) में स्थित 1.88 एकड़ भूमि नीपको के स्वामित्व में है।

नोट संख्या 3 सीडब्ल्यूआईपी का विवरण

31 मार्च 2024 तक

विवरण	1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	इस अवधि के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक	FALSE
भूमि का विकास					-	-
सड़कें, पुल, पुलिया और हेलीपैड	0.99	933.05	13.44	(475.48)	**472.00**	0.99
मुख्य संयंत्र भवन	393.65	96.42	(88.13)	(387.76)	**14.18**	393.65
अन्य इमारतें	424.69	1,247.32	47.07	(1,327.38)	**391.70**	424.69
सीडब्ल्यूआईपी-लीजहोल्ड इमारतें	-	-	-	-	**-**	-
अस्थायी निर्माण	-	-	-	-	**-**	-
जल आपूर्ति, जल निकासी एवं सीवरेज	185.97	35.27	(92.80)	(117.23)	**11.21**	185.97
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	**-**	-
बांध, तटबंध, जलाशय और अन्य हाइड्रोलिक कार्य	36,344.97	13,903.51	1,603.39	(47,084.59)	**4,767.28**	36,344.97
संयंत्र और मशीनरी	45,306.06	26,064.38	(2,708.59)	(43,251.94)	**25,409.91**	45,306.06
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	**-**	-
अन्य कार्यालय उपकरण	-	726.77	-	(726.77)	**-**	-
ईडीपी डब्ल्यूपी सैटकॉम	-	-	-	-	**-**	-
निर्माण उपकरण	-	-	33.76	(33.76)	**-**	-
विद्युत प्रतिष्ठान	77.53	421.77	(38.74)	(460.56)	**-**	77.53
संचार उपकरण	-	-	-	-	**-**	-
पूंजीगत व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है	-	-	-	-	**-**	-
अन्य उपकरण	-	-	34.96	(26.22)	**8.74**	-
पाइलिंग और फाउंडेशन	-	-	-	-	**-**	-
अन्य सिविल कार्य	79.23	364.36	(79.22)	(114.80)	**249.57**	79.23
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	-	-	-	-	**-**	-
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	1,828.78	-	(386.15)	-	**1,442.63**	1,828.78
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	27,432.11	26,678.58	(599.96)	(20,941.97)	**32,568.76**	27,432.11
	1,12,073.98	**70,471.43**	**(2,260.97)**	**(1,14,948.46)**	**65,335.98**	**1,12,073.98**
सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान [नोट 3(v) देखें]	1,709.50	-	(685.05)	-	**1,024.45**	1,709.50
निर्माण स्टोर	3,829.96	826.14	(1,754.73)	(730.41)	**2,170.96**	3,829.96
कुल	**1,14,194.44**	**71,297.57**	**(3,330.65)**	**(1,15,678.87)**	**66,482.49**	**1,14,194.44**

3(i) सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2024 तक				
	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं	50,788.68	13030.46	739.33	1,924.02	**66,482.49**
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

3(ii) सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2023 तक				
	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं	63,078.32	40,056.01	7,964.75	3,095.36	**1,14,194.44**
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

3(iii) . सीडब्ल्यूआईपी समापन समय-सीमा - जिसका समापन विलंबित हो चुका है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2024 तक			
	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिरत परियोजनाएं/परिसंपत्तियां: *				
परियोजना		शून्य	शून्य	शून्य
परियोजना		शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3(iv) : सीडब्ल्यूआईपी समापन समय-सीमा - जिसका समापन विलंबित हो चुका है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2024 तक			
	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिरत परियोजनाएं/परिसंपत्तियां: *				
परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वाणिज्यिक प्रचालन में विद्युत संयंत्रों के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अंतर्गत परिसंपत्तियां

3(v) : बट्टे खाते में डालने का प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भवन (मुख्यालय)	**0.27**	**0.27**
बिल्डिंग (तुईरियल एचईपी)	-	-
जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी (तुईरियल एचईपी)	-	-
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (तिपाईमुख एचईपी)	-	-
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण		
तिमाईमुख एचईपी	-	-
सिअंग एचईपी	246.45	246.45
सलिम एचईपी	-	-
तुईवाई एचईपी	-	-
गारो हिल्स थर्मल परियोजना	-	90.47
मार्गेरिटा एचईपी	-	-
रोखिया और बारामुरा जीटी पावर प्लांट		-
गुमती एचईपी	-	-
डब्ल्यूके हिल्स एचईपी		-
लेह और कारगिल एचईपी	44.95	44.94
केएचईपी	17.33	17.33
किलिंग एचईपी	-	69.67
बंडू एचईपी	-	-
रंगित एचईपी		-
सौर ऊर्जा		
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय		
तिपाईमुख एचईपी	-	-
बीचोम बेसिन	253.53	253.52
किलिंग एचईपी		524.93
सिअंग एचईपी	461.92	461.92
कुल	1,024.45	1,709.50
	1,024.45	1,709.50

नोट संख्या 4 अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 त
वहन योग्य राशि :		
सॉफ़्टवेयर	528.88	951.87
उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	7,504.43	7,712.77
कुल	**8,033.31**	**8,664.64**

31 मार्च 2024 तक (₹ लाख में)

विवरण	सॉफ़्टवेयर	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	कुल
1 अप्रैल 2023 तक सकल ब्लॉक	2,418.60	8,386.87	10,805.47
परिवर्धन	86.13	-	86.13
अवधि के लिए समायोजन	(4.86)	-	(4.86)
31 मार्च 2024 तक सकल ब्लॉक	**2,499.87**	**8,386.87**	**10,886.74**
1 अप्रैल, 2023 तक संचित हानि			
अवधि के लिए शुल्क			
31 मार्च 2024 तक संचित हानि			
1 अप्रैल, 2023 तक संचित परिशोधन	1,466.73	674.10	2,140.83
अवधि के लिए शुल्क	509.12	208.34	717.46
अवधि के लिए समायोजन	(4.86)	-	(4.86)
31 मार्च 2024 तक संचित परिशोधन	**1,970.99**	**882.44**	**2,853.43**
31 मार्च 2024 तक कुल संचित परिशोधन और हानि	**1,970.99**	**882.44**	**2,853.43**
31 मार्च, 2024 तक नेट ब्लॉक	**528.88**	**7,504.43**	**8,033.31**

31 मार्च 2023 तक (₹ लाख में)

विवरण	सॉफ़्टवेयर	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	कुल
1 अप्रैल 2022 तक सकल ब्लॉक	2,132.79	8,386.87	10,519.66
परिवर्धन	326.88	-	326.88
अवधि के लिए समायोजन	(41.07)	-	(41.07)
31 मार्च 2023 तक सकल ब्लॉक	**2,418.60**	**8,386.87**	**10,805.47**
1 अप्रैल, 2022 तक संचित हानि			
अवधि के लिए शुल्क			
31 मार्च 2023 तक संचित हानि			
1 अप्रैल, 2022 तक संचित परिशोधन	872.84	465.76	1,338.60
अवधि के लिए शुल्क	636.95	208.34	845.29
अवधि के लिए समायोजन	(43.06)	-	(43.06)
31 मार्च 2023 तक संचित परिशोधन	**1,466.73**	**674.10**	**2,140.83**
31 मार्च 2023 तक कुल संचित परिशोधन और हानि	**1,466.73**	**674.10**	**2,140.83**
31 मार्च, 2023 तक नेट ब्लॉक	**951.87**	**7,712.77**	**8,664.64**

4(i) परियोजनाओं (कामेंग जल विद्युत परियोजना, पारे जल विद्युत परियोजना और तुइरियल जल विद्युत परियोजना) की स्थापना के लिए कब्जे/उपयोग में लिए गए वन भूमि (5967.24 हेक्टेयर) के लिए मुआवजा भुगतान किया गया जिसे "उपयोग का अधिकार" माना जाएगा।

4(ii) सॉफ्टवेयर प्रणाली के रखरखाव पर होने वाले वार्षिक देय व्यय को राजस्व में शामिल किया जाता है।

4(iii) कंपनी के नाम पर न रखी गई लीजहोल्ड भूमि के संबंध में टाइटल विलेख/लीज विलेख/म्यूटेशन के बारे में प्रकटीकरण इस नोट के अनुलग्नक-I के रूप में प्रदान किया गया है।

नोट 4 (iii) का अनुलग्नक-I : 31 मार्च 2024 तक कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई लीजहोल्ड भूमि/भूमि उपयोग के अधिकार के संबंध में टाइटल विलेख/लीज विलेख/म्यूटेशन

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)
संपत्ति के मद का विवरण	5380 हेक्टेयर	552.24 हेक्टेयर	35.17हेक्टेयर
सकल वहन मूल्य (₹ लाखों में)	1933.25	5,389.40	1,064.23
के नाम पर स्वामित्व विलेख	मिजोरम सरकार	अरुणाचल प्रदेश सरकार	अरुणाचल प्रदेश सरकार
क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	नहीं	नहीं	नहीं
संपत्ति किस तारीख से धारित है	16.03.2000	मई'2005	नवम्बर'2009
कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण	वन भूमि	वन भूमि	वन भूमि

नोट 4 (iii) का अनुलग्नक-I : 31 मार्च 2023 तक कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई लीजहोल्ड भूमि/भूमि उपयोग के अधिकार के संबंध में टाइटल विलेख/लीज विलेख/म्यूटेशन

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)
संपत्ति के मद का विवरण	5380 हेक्टेयर	552.24 हेक्टेयर	35.17हेक्टेयर
सकल वहन मूल्य (₹ लाखों में)	1933.25	5,389.40	1,064.23
के नाम पर स्वामित्व विलेख	मिजोरम सरकार	अरुणाचल प्रदेश सरकार	अरुणाचल प्रदेश सरकार
क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	नहीं	नहीं	नहीं
संपत्ति किस तारीख से धारित है	16.03.2000	मई'2005	नवम्बर'2009
कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण	उपयोग के अधिकार के आधार पर वन भूमि उपलब्ध कराई गई	उपयोग के अधिकार के आधार पर वन भूमि उपलब्ध कराई गई	उपयोग के अधिकार के आधार पर वन भूमि उपलब्ध कराई गई

नोट क्रमांक. 4क विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रसंस्करण शुल्क सहित अग्रिम प्रीमियम		-		-	10,096.00	10,096.00
सॉफ़्टवेयर		71.15	-	42.83	28.32	-
		71.15	**-**	**42.83**	**10,124.32**	**10,096.00**
घटा कर : बट्टे खाते में डालने का प्रावधान					10,000.00	10,000.00
कुल	**96.00**	**71.15**	**-**	**42.83**	**124.32**	**96.00**

क. विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां का अपयोगिता निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 तक				
	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं	28.32		96.00		124.32
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

ख. विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां उपयोगिता निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2023 तक				
	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं	13.50		-	82.50	96.00
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

ग. संपूरित करने के समय-सीमा के तहत विकासशील अमूर्त संपत्ति - जिनका पूरा होना विलंबित हो चुका है या जिनकी लागत, मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 तक			
	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिशील परियोजनाएं	28.32	शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*नीपको में एसएपी ईआरपी कार्यान्वयनाधीन है

घ. संपूरित करने के समय-सीमा के तहत विकासशील अमूर्त संपत्ति - जिनका पूरा होना विलंबित हो चुका है या जिनकी लागत, मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2023 तक			
	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिशील परियोजनाएं	161.77	शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट संख्या 5 सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च' 2024 तक		31 मार्च' 2023 तक	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
उद्धृत निवेश				
कुल समग्र उद्धृत निवेश (क)				
गैर-उद्धृत निवेश (सभी पूर्ण भुगतान)				
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश				
- संयुक्त उद्यमों की - संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाएँ				
- केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर (इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किया गया)	27930000	3,238.00	27930000	3236.13
कुल समेकित गैर-उद्धत निवेश (ख)	**27930000**	**3,238.00**	**27930000**	**3,236.13**
अन्य निवेश				
कुल अन्य निवेश (ग)	-	-	-	-
कुल निवेश (क) + (ख) + (ग)	**27930000**	**3,238.00**	**27930000**	**3,236.13**
घटा कर : निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि		2,793.00		2,793.00
- संयुक्त उद्यमों की - संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाएँ				
कुल हानि मूल्य (घ)				
कुल निवेश वहन मूल्य (क) + (ख) + (ग) - (घ)	**27930000**	**445.00**	**27930000**	**443.13**

संयुक्त उद्यमों में निवेश

(i) गैर-उद्धृत निवेशों की वहन राशि और बाजार मूल्य निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

कंपनियों का नाम	स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2024	31.03.2023
केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर	30%	30%

विवरण	31 मार्च' 2024 तक	31 मार्च' 2023 तक
(क) गैर-उद्धृत		
अउद्धृत निवेशों की कुल वहन राशि	445.00	443.13
कुल वहन राशि	445.00	443.13

5(i) गैर-उद्धृत निवेशों की लागत उचित मूल्य के लगभग बराबर होती है, क्योंकि उचित मूल्य माप की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होती है और लागत उस सीमा के भीतर उचित मूल्य के अनुमान को दर्शाती है।

5(ii) केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर में निवेश:- अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना के लिए केएसके एनर्जी वेंचर्स और नीपको लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम।

नीपको संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और अवसरों की खोज कर रही है, जिसमें निवेश के लिए निगम (नीपको) के हितों की रक्षा के लिए कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति भी शामिल है।तथापि, कंपनी की अंतर-अनुशासनात्मक समिति द्वारा वर्तमान स्वरुप में इस परियोजना की वाणिज्यिक अव्यवहार्यता को देखते हुए, उक्त निवेश के लिए समतुल्य राशि का प्रावधान किया गया है।.

नोट संख्या 6 ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	40.02	28.19
- जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्रेडिट बिगड़ा हुआ		
कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
कुल	**40.02**	**28.19**

6(i) कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम में ब्याज सहित कंप्यूटर अग्रिम और ब्याज रहित फर्नीचर अग्रिम तथा बहुउद्देशीय अग्रिम शामिल हैं। कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम कर्मचारियों से 60 बराबर किस्तों में वसूला जाता है जबकि बहुउद्देशीय अग्रिम 12 किस्तों में वसूला जाता है।

6(ii) 31.03.2024 तक कंपनी के निदेशकों एवं अन्य संबंधित पक्षों पर कोई बकाया ऋण नहीं है (पिछले वर्ष शून्य) ।

" 6(iii) उपरोक्त ऋण एवं अग्रिम राशि निगम के मानदंडों के अनुसार वसूली योग्य आधार पर दी गई है।

नोट संख्या- 7 आस्थगित कर शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर दायित्व		
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर		1,51,326.48
घटा कर : आस्थगित कर परिसंपत्ति		
अनवशोषित मूल्यह्रास **[नोट 7(i) देखें]**		35,550.49
प्रावधान		10,278.85
सांविधिक बकाया		-
छुट्टी नकदीकरण		5,728.29
एमएटी क्रेडिट पात्रता **[नोट 7(i) देखें]**		
अन्य **[नोट 7(iii) देखें]**		980.90
संयुक्त उद्यम कंपनी का आस्थगित कर		
शुद्ध आस्थगित कर (परिसंपत्ति) / देयता	**93,534.25**	**98,881.40**

31.03.2024 तक स्थगित कर (₹ लाख में)

आस्थगित कर समाधान	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	पी.एल. पर प्रभाव
भारतीय लेखा मानक के अनुसार आस्थगित कर देयता	(1,69,320.94)	(1,51,326.48)	17,994.46
भारतीय लेखा मानक के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति	75,786.69	52,445.08	(23,341.61)
शुद्ध आस्थगित कर देयता	(93,534.25)	(98,881.40)	(5,347.15)
भारतीय लेखा मानक के अनुसार शुद्ध (देयता) / परिसंपत्ति	(93,534.25)	(98,881.40)	(5,347.15)
पी.एल. पर प्रभाव			**(5,347.15)**

31.03.2023 तक स्थगित कर

(₹ लाख में)

आस्थगित कर समाधान	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	पी.एल. पर प्रभाव
भारतीय लेखा मानक के अनुसार आस्थगित कर देयता	(1,51,326.48)	(1,34,249.94)	17,076.54
भारतीय लेखा मानक के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति	52,445.08	57,522.11	5,077.03
शुद्ध आस्थगित कर देयता	(98,881.40)	(76,727.83)	22,153.57
भारतीय लेखा मानक के अनुसार शुद्ध (देयता) / परिसंपत्ति	(98,881.40)	(76,727.83)	22,153.57
पी.एल. पर प्रभाव			**22,153.57**

7(i) : नीपको बिजली उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में है। कंपनी के विभिन्न बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली को दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के तहत विभिन्न लाभार्थियों को बेचा जाता है। उत्पादन स्टेशनों के लिए टैरिफ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुपालन में "लागत प्लस आधार" पर निर्धारित किए जाते हैं। नीपको के लाभार्थियों पर बिलिंग के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ, साथ ही भारत में प्रचलित बिजली बाजार और उत्पादन स्टेशनों के संयंत्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य के वर्षों में कंपनी को पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

भारतीय लेखा मानक 12 - आयकर के अनुपालन में, कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष तक "अनवशोषित मूल्यह्रास" के संबंध में ₹ 34,141.68 लाख की राशि के आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) को मान्यता दी है, इस बात के पुख्ता सबूत के साथ कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसे डीटीए को प्राप्त किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1408.81 लाख की राशि के समायोजन पर, 31.03.2024 तक "अनवशोषित मूल्यह्रास" के संबंध में डीटीए ₹ 34,141.68 लाख है। कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत आदेश/सूचना प्राप्त हुई है,जिसमें आयकर अधिकारियों ने कर ऑडिट रिपोर्ट और दाखिल आयकर रिटर्न के बीच असंगति के कारण एक परिवर्धन किया है, जिसके परिणामस्वरुप क्रमशः निर्धारण वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 7046 लाख रुपये (डीटीए 2462.15 लाख रुपये) और 2328 लाख रुपये (डीटीए 813.50 लाख रुपये) की अनवशोषित मूल्यह्रास राशि में कमी आई है। हालाँकि, कंपनी का दृढ़ मत है कि यह जोड़ केवल तकनीकी त्रुटियों के कारण किया गया था और समय आने पर एक अनुकूल आदेश पारित किया जाएगा।

7(ii) :31.03.2024 तक कंपनी के लिए उपलब्ध एमएटी क्रेडिट ₹ 34,464.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 24525.30 लाख) है, जो धारा 115 जेएए के तहत कर क्रेडिट की गणना के अनुसार राशि है।

7(ii) :वर्ष के दौरान, कंपनी ने पहली बार, भविष्य में कंपनी के लिए उपलब्ध एमएटी क्रेडिट की राशि 24525.30 लाख रुपये (31 मार्च 2023: शून्य) को मान्यता दी और खातों की पुस्तकों में शामिल किया, क्योंकि इससे भविष्य में आयकर देयता के विरुद्ध सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। उपरोक्त में से, 18128.66 लाख रुपये (31 मार्च 2023: शून्य) की राशि को विनियामक आस्थगित खाता शेष के माध्यम से लाभार्थियों को देय के रूप में मान्यता दी गई है।

7(iii) : नोट संख्या 7 के अंतर्गत अन्य में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रावधान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वर्ण सिक्का प्रदान करने के लिए सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियां शामिल हैं।

7(iv) विस्तृत विवरण के लिए नोट संख्या 48 देखें।

आस्थगित कर शेष में परिवर्तन

31 मार्च 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य	31 मार्च 2024 तक
आस्थगित कर देयता					
मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास खाता में अंतर	1,51,326.48	17,994.46			1,69,320.94
घटा कर : आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-				
अनवशोषित मूल्यह्रास	35,550.49	(1,408.81)			34,141.68
प्रावधान	10,278.85	(135.69)			**10,143.16**
सांविधिक बकाया	(0.00)	126.31			**126.31**
छुट्टी नकदीकरण	5,728.29	97.02			**5,825.31**
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	24,525.30			**24,525.30**
अन्य	980.90	138.06			**1,118.96**
संयुक्त उद्यम कंपनी का आस्थगित कर	**93.45**	**0.58**			**94.03**
शुद्ध कर (परिसंपत्तियां) / देयताएं	**98,881.40**	**(5,347.15)**	**-**	**-**	**93,534.25**

31 मार्च 2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर देयता					
मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास खाता में अंतर	1,34,249.94	17,076.54	-	-	1,51,326.48
घटा कर : आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-			-	
अनवशोषित मूल्यह्रास	42,540.99	(6,990.50)	-	-	35,550.49
प्रावधान	8,963.85	1,315.00	-	-	10,278.85
सांविधिक बकाया	365.37	(365.37)	-	-	(0.00)
छुट्टी नकदीकरण	4,841.55	886.74	-	-	5,728.29
एमएटी क्रेडिट पात्रता					
अन्य	904.38	76.52			980.90
संयुक्त उद्यम कंपनी का आस्थगित कर	**94.03**	**(0.58)**			**93.45**
शुद्ध कर (परिसंपत्तियां) / देयताएं	**76,727.83**	**22,153.57**	**-**	**-**	**98,881.40**

नोट संख्या -8 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पूंजीगत अग्रिम		
सुरक्षित :	-	-
असुरक्षित :	-	-
बैंक गारंटी द्वारा कवर **[नोट 8(i) देखें]**	12,278.17	12,527.67
अन्य **[नोट 8(iii) देखें]**	27,479.59	2,255.53
संदिग्ध माना गया	255.22	255.22
घटा कर : खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	255.22	255.22
कुल	**39,757.76**	**14,783.20**
अन्य :		
अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज	913.90	1,052.54
	2,858.30	2,343.46
अग्रिम कर वापसी योग्य **[नोट 8(ii) देखें]**	**43,529.96**	**18,179.20**
कुल		

8(i) पूंजीगत अग्रिम में मोबिलाइजेशन अग्रिम और परियोजनाओं के संबंध में एस्क्रो खाते में जमा मध्यस्थता के लिए अग्रिम शामिल हैं।

8(ii) एवाई 2015-2016, एवाई 2016-17, एवाई 2018-19 से संबंधित वापसी योग्य कर क्रमशः ₹ 439.85 लाख, ₹ 872.26 लाख और ₹ (1597.55) लाख हैं, जिनके प्रभावी अपील आदेश आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित हैं। एवाई 2020-21 के लिए वापसी योग्य कर की राशि ₹ 2628.90 आयकर अधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित है। एवाई 2009-10, एवाई 2011-12 से एवाई 2014-15 और एवाई 2021-22 से संबंधित कर वापसी योग्य राशि "विवाद से विश्वास योजना" के तहत ₹ 4.87 लाख, ₹ 3.13 लाख, ₹ 153.60 लाख और ₹ 19.07 लाख है और अन्य 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यांकन के अनुसार क्रमशः ₹ 333.48 लाख और 0.69 लाख हैं।

8(iii) अन्य में भूमि के लिए अग्रिम तथा ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को दिए जाने वाले अन्य अग्रिम शामिल हैं।

8(iv) 31.03.2024 तक निदेशकों एवं अन्य संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य) ।

नोट संख्या - 9 इन्वेंटरी (लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिचालन भंडार :		
स्टोर और स्पेयर्स	10,737.61	11,602.58
उपभोग्य वस्तुएं	815.67	411.85
अन्य	904.07	501.62
अप्रचलित/ स्क्रैप	812.73	822.77
कुल	**13,270.08**	**13,338.82**
कम : कमी के लिए प्रावधान		
अप्रचलित/अनुपयोगी वस्तुओं के लिए प्रावधान	812.73	822.77
कुल इन्वेंटरी	**12,457.35**	**12,516.05**
उपर्युक्त में शामिल है, पारगमन में माल		
स्टोर और स्पेयर्स	-	-
पारगमन में कुल माल	-	-

9(i) स्टोर और स्पेयर्स के स्टॉक के बंधक के विरुद्ध ₹ 20100.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 14500.00 लाख) का सुरक्षित, कार्यशील पूंजी मांग ऋण लिया गया और निकासी की सीमा तक कंपनी का ऋण बही दर्ज किया गया।

9(ii) कंपनी विनियामक वातावरण में काम कर रही है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, ईंधन और अन्य इन्वेंट्री वस्तुओं की लागत मौजूदा टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूल की जाती है। तदनुसार, इन्वेंट्री का वसूली योग्य मूल्य लागत से कम नहीं है। भंडार एवं पुर्जों में ₹ 904.06 लाख (पिछले वर्ष ₹ 906.76 लाख) की सहायता अनुदान के अंतर्गत भंडार शामिल है, जिसका परिशोधन मरम्मत एवं रखरखाव के लिए किया जाएगा।

नोट संख्या - 10 व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अच्छे माने गए व्यापार प्राप्य - सुरक्षित		
अच्छे माने गए व्यापार प्राप्य - असुरक्षित	83,664.74	94,429.78
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है		
व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण		
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		
कुल	**83,664.74**	**94,429.78**

10(i) व्यापार प्राप्य सामान्य व्यवसाय के दौरान बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में बकाया राशियाँ हैं।

10(ii) जहां किसी देय तिथि पर विशेष रुप से सहमति नहीं बनी है, वहां कंपनी द्वारा स्वीकृत सामान्य ऋण अवधि को सीईआरसी विनियमों/मार्गदर्शन के अनुपालन करते हुए करती है।

10(iii) जहां व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान किया गया है, ऐसे प्रावधान को विवेक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, परंतु बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने के भीतर राशि प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, उक्त व्यापार प्राप्य को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, जहाँ अगले बारह महीनों की अवधि के भीतर राशि प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है, उसे गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, साथ ही इसके लिए किए गए प्रावधान, यदि कोई हो, को भी शामिल किया जाना चाहिए।

10(iv) संबंधित पक्षों से प्राप्त होने वाली राशि ₹ 4527.68 लाख है।

अवधि अनुसार व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक							
	बिल रहित	देय नहीं (अर्थात, 45 दिन तक)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			>45 दिन से लेकर 6 महीने से कम	6 महीने से 01 वर्ष तक	01 वर्ष से 02 वर्ष	02 वर्ष से 03 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ= ख से ज
(क) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया है	41,639.19	20,052.17	6,966.97	(106.39)	(106.41)			68,445.53
(ख) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है								
(ग) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण								
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना गया है				2,189.74	2,660.28		10,369.19	15,219.21
(ङ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है								
(च) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण								
कुल	41,639.19	20,052.17	6,966.97	2,083.35	2,553.87	-	10,369.19	83,664.74

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023							
	बिल रहित	देय नहीं (अर्थात, 45 दिन तक)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			>45 दिन से लेकर 6 महीने से कम	6 महीने से 01 वर्ष तक	01 वर्ष से 02 वर्ष	02 वर्ष से 03 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	ज= ख से छ
(क) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया है	44,382.59	32,176.31	6,836.72	664.97	-	0.75		**84,061.34**
(ख) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है								
(ग) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण								
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना गया है							10,368.44	**10,368.44**
(ङ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है								
(च) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण								
कुल	**44,382.59**	**32,176.31**	**6,836.72**	**664.97**	**-**	**0.75**	**10,368.44**	**94,429.78**

10(v) विवादित व्यापार प्राप्य पर नोट्स:

(क) विवादित व्यापार प्राप्तियों में शामिल हैं (i) प्रभावी कर दर के कारण प्रतिपूर्ति के दावे के विरुद्ध 431.94 लाख रुपये; (ii) 2015-16 से 2018-19 के लिए विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एफईआरवी) की प्रतिपूर्ति के दावे के विरुद्ध 1399.45 लाख रुपये; (iii) 2017-18 और 2018-19 के लिए टीईआरसी द्वारा टीजीबीपीएस के टैरिफ के निर्धारण से उत्पन्न बकाया बिलों के विरुद्ध 5799.78 लाख रुपये; (iv) एसटीजी इकाई के सीओडी से पहले 2015-16 और 2016-17 के दौरान जीटीजी इकाई के बिलों के विरुद्ध 2737.27 लाख रुपये; (v) 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2022 तक के लिए टीईआरसी द्वारा टीजीबीपीएस के वार्षिक निश्चित शुल्क आदेश के संशोधन के निर्धारण से उत्पन्न बकाया बिलों के विरुद्ध 2663.72 लाख रुपये और (vi) 2015-16 से 2018-19 के लिए विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एफईआरवी) की प्रतिपूर्ति के दावे के विरुद्ध 2189.74 लाख रुपये।

(ख) टीएसईसीएल ने एपीटीईएल के समक्ष ₹ 10368.44 लाख के उपर्युक्त बिलों के खिलाफ अपील की है। याचिका को एपीटीईएल ने स्वीकार कर लिया है और इसे सुनवाई के लिए "अंतिम सूची" में शामिल कर लिया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस बात के पर्याप्त कानूनी/विनियामक आधार हैं कि टीएसईसीएल की याचिका खारिज कर दी जाएगी और एपीटीईएल द्वारा नीपको के पक्ष में निर्णय सुनाया जाएगा।

(ग) नीपको ने टीपीए लागू करने के लिए विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) को मंजूरी दे दी है और नीपको के अनुरोध के आधार पर, भारत सरकार ने भारत सरकार, आरबीआई और त्रिपुरा सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार भुगतान सुरक्षा खंड को लागू करने के संबंध में त्रिपुरा सरकार को नोटिस दिया है, जो भारत सरकार को आरबीआई के साथ बनाए गए राज्य के खाते से निधि को टीएसईसीएल द्वारा नीपको को देय बकाया राशि को समाप्त करने के लिए डायवर्ट करने में सक्षम बनाता है, जिसमें बकाया राशि पर विलंब भुगतान अधिभार भी शामिल है। हालाँकि, 01 अप्रैल 2022 के आदेश के अनुसार, माननीय प्राधिकरण ने नीपको को निर्देश दिया है कि अपील के लंबित रहने के दौरान बकाया राशि के भुगतान के लिए टीएसईसीएल के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न की जाए और जिसके लिए मामले पर निर्णय होने तक टीपीए आह्वान की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है।

(घ) टीएसईसीएल ने 10368.44 लाख रुपये के बिलों से संबंधित उपर्युक्त विवाद को अदालत के बाहर निपटाने की पेशकश की है, जिसे नीपको ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि प्रस्ताव में विवादित राशि को 50-50 के आधार पर साझा करने की बात कही गई है।

(ङ) इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष में टीईएससीएल द्वारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर विवादित दावा 5547.46 लाख रुपये (3357.72 लाख रुपये और 2189.74 लाख रुपये) है। एपीटीईएल ने अपने एपीएल संख्या 39 ऑफ 2024 और आईए संख्या 1809 ऑफ 2023 दिनांक 29.01.2024 के जरिए नीपको को अपील

के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता के खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था, इस शर्त पर कि टीएसईसीएल 1 फरवरी 2024 से शुरु होने वाली आठ मासिक किस्तों में टैरिफ ब्लॉक 2019-24 के लिए नीपको को बकाया राशि का 50% भुगतान करेगा। 31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए टीएसईसीएल ने नीपको को 694.01 लाख रुपए का भुगतान किया था और टीएसईसीएल द्वारा भुगतान की गई दो किस्तों के समायोजन के बाद विवाद के तहत वर्तमान दावा 4853.45 लाख रुपए है। इसके अलावा, बकाया राशि के शेष 50% की भी बाद में जांच की जाएगी जब अपील की अंतिम सुनवाई होगी।

(च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, 10368.44 लाख रुपये की विवादित व्यापार प्राप्य राशि को अच्छा माना गया है और लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है। इसके अलावा, हम उम्मीद करते हैं कि मामले की सुनवाई और निपटान चालू कैलेंडर वर्ष में किया जाएगा और उपरोक्त राशि की वसूली बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर होने की उम्मीद है।

10(vi) बिल न किए गए राजस्व पर नोट्स - बिल न किए गए राजस्व के कारण देनदारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ऊर्जा की बिक्री (सामान्य)	17,709.74	26,476.88
ऊर्जा की बिक्री (उत्पादन की कमी)	19,245.69	-
ऊर्जा की बिक्री (व्यापार)	4,527.68	2,400.71
ऊर्जा की बिक्री (ओपन साइकिल)	34.50	-
एनईआरएलडीसी शुल्क और प्रभार	59.01	129.98
विलंबित भुगतान अधिभार	62.57	47.80
अन्य बकाया बिलिंग	-	15,327.22
कुल	41,639.19	44,382.59

व्यापार प्राप्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक जमा	94,429.78	48,776.49
जोड़ कर : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त लेकिन प्राप्त नहीं हुए शुद्ध राजस्व	(10,765.04)	45,653.29
जमा शेष	83,664.74	94,429.78

व्यापार प्राप्य का आगे विश्लेषण इस प्रकार किया गया है:

(₹ लाख में)

मार्च 31, 2024 तक	सकल ऋण जोखिम राशि	ऋण हानि के लिए भत्ता	शुद्ध ऋण जोखिम राशि
रकम अभी तक बकाया नहीं है	61,691.36	-	61,691.36
45 दिन से अधिक से लेकर छह माह तक	6,966.97	-	6,966.97
छह महीने से अधिक	15,006.41	-	15,006.41
कुल	**83,664.74**	**-**	**83,664.74**

(₹ लाख में)

मार्च 31, 2023 तक	सकल ऋण जोखिम राशि	ऋण हानि के लिए भत्ता	शुद्ध ऋण जोखिम राशि
रकम अभी तक बकाया नहीं है	76,558.90	-	76,558.90
45 दिन से अधिक से लेकर छह माह तक	6,836.72	-	6,836.72
छह महीने से अधिक	11,034.16	-	11,034.16
कुल	**94,429.78**	**-**	**94,429.78**

कंपनी 31 मार्च, 2024 तक ग्राहकों के संबंध में ऋण जोखिम के लिए अपना अधिकतम जोखिम ₹ 83,664.74 लाख (31 मार्च, 2023: ₹ 94,429.78 लाख) मानती है, जो ऋण हानियों के लिए भत्ते के बाद व्यापार प्राप्तियों का उचित मूल्य है। कंपनी का ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर विविध है और टीएसईसीएल (त्रिपुरा) , एमएसपीडीसीएल (मणिपुर) और पी एंड ई मिजोरम को छोड़कर, 31 मार्च 2024 तक कोई अन्य ग्राहक बकाया राशि के 10% से अधिक (अर्थात 45 दिन से अधिक) प्राप्य खातों में योगदान नहीं करता है।

व्यापार प्राप्य के संबंध में ऋण हानि हेतु भत्ते में परिवर्तन:

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2024 तक	मार्च 31, 2023 तक
अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ते का निर्धारण करने में, कंपनी ने मैट्रिक्स उपबंध के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ते की गणना करके एक व्यावहारिक उपाय का उपयोग किया है। मैट्रिक्स उपबंध ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को ध्यान में रखता है और इसे भविष्य की जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय प्राप्तियों की आयु और मैट्रिक्स उपबंध में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

नोट संख्या- 11 नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) बैंकों के पास शेष राशि बैंकों में अप्रतिबंधित शेष		
(i) चालू खाते में	239.49	1,460.60
(ii) जमा खाते में (मूल परपिक्वता 3 महीने से कम)		
(ख) पास मेंचेक, ड्राफ्ट		
(ग) पास में नकदी		
(घ) अन्य **[नोट 11(i) देखें]**	0.61	0.74
बैलेंस शीट के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष	240.10	1,461.34
नकदी और बैंक बैलेंस के संबंध में प्रकटीकरण		
(क) बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि		
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि		
(i) चालू खाते में		
(ii) जमा खाते में		
कुल	**240.10**	**1,461.34**

11 (i) अन्य में डाक और राजस्व टिकट शामिल हैं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

नोट संख्या -12 नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रतिबंधित धन [नोट 12(i) देखें]	276.46	291.50
कुल	**276.46**	**291.50**

12(i) प्रतिबंधित धन का विभाजन		(₹ लाख में)
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई योजना	-	272.41
भारत सरकार की सौभाग्य योजना	24.22	14.78
प्रधान मंत्री- कुसुम (एमएनआरई- भारत सरकार)	1.19	1.20
रुफ-टॉप सोलर योजना	3.10	3.11
सीएसआर चालू परियोजनाएं/ सीएसआर अप्रयुक्त	247.95	
कुल	276.46	291.50

12(ii) नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) , प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) , पीएम-कुसुम और रुफ-टॉप सोलर योजना से संबंधित प्रतिबंधित धन शामिल है।

12(iii) उपरोक्त नकदी और बैंक शेष मुख्यतः भारतीय रुपये में ही रखे जाते हैं।

नोट नं.- 13 अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य प्राप्य		
सुरक्षित, अच्छा माना गया		
असुरक्षित, अच्छा माना गया [नोट 13(ii) देखें]	430.40	859.68
प्राप्य दावा (असुरक्षित)	35.19	-
घटा कर - प्रावधान	(35.19)	
अनुबंध परिसंपत्तियां	34,685.51	24,671.57
घटा कर : एलपीएस के विरुद्ध प्रावधान	3,636.25	3,636.25
शुद्ध अनुबंध परिसंपत्तियाँ	31,049.26	21,035.32
कर्मचारियों को अग्रिम राशि	1,131.94	1,187.43
सुरक्षा जमा राशि	144.80	139.04
कुल	**32,756.40**	**23,221.47**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
जमा और ऋण पर अर्जित ब्याज		
असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	-	-
घटाएँ: ऋण हानि के लिए भत्ता	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
कर्मचारियों को अग्रिम राशि	1,131.94	1,187.43
सुरक्षा जमा राशि	144.80	139.04

13(i) शुद्ध अनुबंध परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अनंतिम राजस्व	29,459.47	18,800.97
प्रभावी कर की दर	-	781.88
आस्थगित कर का कार्यान्वयन	1,589.79	1,452.47
कुल	**31,049.26**	**21,035.32**

13(ii) अन्य प्राप्य-असुरक्षित माने गए अच्छे में निम्नलिखित शामिल हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पीएम कुसुम, डीडीजीजेवाई और सौभाग्य	91.81	441.88
पीआरएमबी ट्रस्ट से प्राप्य	174.72	246.18
एनटीपीसी से प्राप्य	5.54	11.03
टीडीएस के लिए प्राप्य एनवीवीएन	0.33	2.05
बीएसई से प्राप्य	3.03	3.03
एसबीआई से प्राप्य	0.35	1.69
एलआईसी से प्राप्य	0.65	0.65
ग्रेच्युटी ट्रस्ट से प्राप्य	-	153.17
ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता एवं अन्य से वसूली योग्य	153.97	-
कुल	**430.40**	**859.68**

13(iii) कंपनी के निदेशकों पर कोई बकाया ऋण नहीं है।

13(iv) कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम में ब्याज सहित कंप्यूटर अग्रिम और बहुउद्देशीय अग्रिम शामिल हैं। कंप्यूटर अग्रिम कर्मचारियों से 60 बराबर किस्तों में वसूला जाता है जबकि बहुउद्देशीय अग्रिम 10 से 12 किस्तों में वसूला जाता है।

13(v) सुरक्षा जमा में मुख्य रुप से बीएसएनएल लाइन्स, गैस कनेक्शन, केबल कनेक्शन आदि के लिए जमा राशि शामिल है, जो सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को वापस करने पर वापस कर दी जाएगी।

13(vi) 31 मार्च 2024 तक अनुबंध परिसंपत्तियों की एजिंग

विवरण	31 मार्च 2024 तक			
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष
क	ख	ग	घ	ङ
(क) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	13,599.35	8,689.05	7,083.48	1,677.38
(ख) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है				
(ग) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण				
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना गया				
(ङ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है				
(च) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण				
कुल	**13,599.35**	**8,689.05**	**7,083.48**	**1,677.38**

13(vii) 31 मार्च 2023 तक अनुबंध परिसंपत्तियों की एजिंग

विवरण	31 मार्च 2024 तक			
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष
क	ख	ग	घ	ङ
(क) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	11490.98	7077.63	1684.84	781.87
(ख) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है				
(ग) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण				
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना गया				
(ङ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है				
(च) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण				
कुल	**11490.98**	**7077.63**	**1684.84**	**781.87**

नोट संख्या- 14 वर्तमान कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वापसी योग्य अग्रिम कर	-	514.84
टीडीएस/टीसीएस सहित अग्रिम कर का भुगतान	11,071.50	10,658.62
घटा कर : वर्तमान कर देयताएँ	-	
चालू वर्ष	10,252.95	11,488.84
पिछले वर्षों के लिए समायोजन	70.94	70.94
अन्य व्यापक आय	(1,225.25)	(885.11)
विनियामक आस्थगन खाता शेष से संबंधित	(192.98)	1,468.19
वर्तमान कर परिसंपत्ति / (देयताएं) (शुद्ध)	**2,165.84**	**(969.40)**

14(i) आयकर पर विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या-48 देखें.

नोट संख्या- 15 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रीपेड बीमा सहित प्रीपेड व्यय	2,068.99	2,256.52
आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम राशि - असुरक्षित, अच्छी मानी गई	458.07	1,694.03
घटा कर : संदिग्धों के लिए भत्ते	17.58	52.77
स्क्रैप / अप्रचलित परिसंपत्तियाँ **[नोट 15(v) देखें]**	13,245.48	12,938.69
घटा कर : प्रावधान	13,245.48	12,938.69
शुद्ध	**-**	**-**
कुल	**2,509.48**	**3,897.78**
निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियां [नोट 15(iv) देखें]		-
वापसी योग्य अग्रिम कर		
कुल	**2,509.48**	**3,897.78**

15(i) प्रीपेड व्यय में प्रीपेड बीमा, लाइसेंस शुल्क (प्रदूषण नियंत्रण) और इंटरनेट के लिए बीएसएनएल लीजलाइन के संबंध में अग्रिम भुगतान की गई राशि शामिल है, जिसका लाभ रिपोर्टिंग तिथि तक समाप्त नहीं हुआ है। ₹ 20000/- और इससे कम राशि के पूर्वभुगतान व्यय को सामान्य लेखा शीर्ष में प्रभारित किया जाता है।

15(ii) आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को दिए जाने वाले अग्रिम अल्पकालिक अग्रिम होते हैं, जिन्हें बिलों से 12 महीने के भीतर वसूल किया जाना होता है। कार्य/आपूर्ति आदेश के तहत निर्धारित अग्रिम राशि दी जाती है।

15(iii) 31.03.2024 तक निदेशकों एवं अन्य संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि शून्य है। (पिछले वर्ष शून्य)

15(iv) निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों में निम्नलिखित मदें शामिल हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
संयंत्र और उपकरण	-	-
वाहन	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-
उपकरण और सयंत्र	-	-
विविध उपकरण	-	-
निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों का मूल्य	-	-
घटा कर : प्रावधान	**-**	**-**
निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों के लिए एनआरवी	**-**	**-**

15(v) स्क्रैप/अप्रचलित परिसंपत्तियां **(₹ लाख में)**

यूनिट	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
असम जीबीपीएस	440.04	510.88
अगरतला जीबीपीएस	424.89	194.42
कोपिली एचपीएस	12,009.36	11,846.38
रंगानदी एचपीएस	86.53	86.53
कोलकाता	-	0.06
तिपाईमुख जीबीपीएस	62.46	-
तुईरियल जीबीपीएस	70.95	70.95
रुपा (एस एण्ड आई)	-	0.07
शिलांग	12.17	93.18
गुवाहाटी	0.01	0.57
वाह उमियाम	-	0.71
नई दिल्ली	-	0.79
दोयांग एचपीएस	139.07	134.15
कुल	13,245.48	12,938.69
कम: प्रावधान	13,245.48	12,938.69

नोट- 16 विनियामक आस्थगन खाता शेष

नोट- 16.01: विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(i) कर्मचारी लाभ व्यय - ग्रेच्युटी		
प्रारंभिक जमा	-	4,793.47
अवधि के दौरान वृद्धि	-	(4,793.47)
जमा शेष	-	-
ii) मूल्यह्रास - तुईरियल एचपीएस		
प्रारंभिक जमा	22,193.30	18,079.69
अवधि के दौरान वृद्धि	4,173.70	4,113.61
जमा शेष	**26,367.00**	**22,193.30**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(iii) आस्थगित कर देयताओं के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन		
प्रारंभिक जमा	39,930.42	29,387.52
अवधि के दौरान वृद्धि	7,980.98	10,542.90
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन		-
जमा शेष	**47,911.40**	**39,930.42**
(iv) वसूली योग्य आस्थगित कर		
प्रारंभिक जमा	37,171.49	38,623.96
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	(1,589.79)	(1,452.47)
जमा शेष	**35,581.70**	**37,171.49**
(v) विनिमय अंतर		
प्रारंभिक जमा	-	1,459.91
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	-	(1,459.91)
जमा शेष	**-**	**-**
(vi) मध्यस्थता के कारण तुईरियल एचपीएस के संबंध में आरडीए		
प्रारंभिक जमा	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	4,398.98	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	-	
जमा शेष	**4,398.98**	**-**
(vii) मध्यस्थता के कारण कोपिली एचपीएस के संबंध में आरडीए		
प्रारंभिक जमा	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	470.47	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	-	
जमा शेष	**470.47**	**-**
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	**1,14,729.55**	**99,295.21**

नोट- 16.02: विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एमएटी क्रेडिट लाभार्थियों को दिया जाएगा		
प्रारंभिक जमा	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	18,128.66	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	-	-
प्रतिलोम	-	-
जमा शेष	**18,128.66**	**-**

आस्थगित विनियामक खाता शेष को लेखांकन नीति संख्या-4 के अनुरूप समायोजित किया गया है। विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 37 देखें।

नोट- 17 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च' 2024 तक	31 मार्च' 2023 तक
इक्विटी शेयर पूंजी	3,60,981.04	3,60,981.04
कुल	**3,60,981.04**	**3,60,981.04**

अधिकृत एवं जारी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च' 2024 तक	31 मार्च' 2023 तक
"अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 10/- प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10/- प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**
जारी, अभिदत्त और पूर्णतः चुकता पूंजी में शामिल हैं:		
"3,60,98,10,400 संख्याएँ। (पिछली अवधि 3,60,98,10,400 संख्याएँ) प्रत्येक ₹ 10/- मूल्य के इक्विटी शेयरों का"	3,60,981.04	3,60,981.04
कुल	**3,60,981.04**	**3,60,981.04**

17(i) अभदित्त और चुकता शेयर पूंजी में उतार-चढ़ाव नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	मार्च 31' 2024 तक					
	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष राशि		"के दौरान बदलाव 2023-24"		"अंतिम शेष राशि 31.03.2024"	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
साधारण शेयर 10 रुपये प्रति शेयर						
वर्ष की शुरुआत में	3,60,98,10,400	3,60,981.04	-	-	3,60,98,10,400	3,60,981.04
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-	-	-	-		
	3609810400	**360981.04**	**-**	**-**	**3609810400**	**360981.04**

विवरण	मार्च 31' 2023 तक					
	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष राशि		"के दौरान बदलाव 2022-23"		"अंतिम शेष राशि 31.03.2023	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
साधारण शेयर 10 रुपये प्रति शेयर						
वर्ष की शुरुआत में	3,60,98,10,400	3,60,981.04	-	-	3,60,98,10,400	3,60,981.04
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-	-	-	-		
	3,60,98,10,400	**3,60,981.04**	**-**	**-**	**3,60,98,10,400**	**3,60,981.04**

17(ii) प्रमोटर/होल्डिंग कंपनी की शेयरधारिता का विवरण

विवरण	31 मार्च' 2024 तक			31 मार्च' 2023 तक		
प्रमोटर/होल्डिंग कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
एनटीपीसी लिमिटेड	3,60,98,10,400	100.00	-	3,60,98,10,400	100.00	-

17(iii) निगम के पास केवल एक श्रेणी के शेयर हैं, जिन्हें इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिनका सममूल्य ₹ 10/- है और जो पूर्णतः एनटीपीसी लिमिटेड के स्वामित्व में हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।

"17(iv) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने नीपको में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ एक चिन्हित सीपीएसई रणनीतिक खरीदार अर्थात एनटीपीसी को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

तदनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच 25 मार्च 2020 को हुए शेयर खरीद समझौते के अनुसार शेयर हस्तांतरण के माध्यम से 27 मार्च 2020 को पूरा हो गया। एनटीपीसी लिमिटेड के पास 31 मार्च 2024 तक नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व हित है।"

17(v) तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान, कंपनी ने न तो नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार कोई शेयर आवंटित किया है, न ही बोनस शेयर के रूप में और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

नोट 17ए : संयुक्त उद्यम में निवेश

(₹ लाख में)

संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2024		31 मार्च 2023	
	केएसके डीब्बिन	कुल	केएसके डीब्बिन	कुल
प्रतिशत हिस्सेदारी	30%		30%	
इक्विटी	9311.00		9311.00	
आरक्षित एवं अधिशेष	1482.32		1476.10	
निवल संपत्ति	10793.32		10787.10	
इक्विटी का हिस्सा	3238.00	3238.00	3236.13	3236.13
कुल इक्विटी		3238.00		3236.13
स्टैंडअलोन वित्तीय में लागत	2793.00	2793.00	2793.00	2793.00
सीएफएस के ट्रांज़िशन रिज़र्व में अंतर	445.00	445.00	443.13	443.13
विभेदक प्रविष्टि	1.87	1.87	(1.87)	(1.87)
आस्थगित कर प्रविष्टि	0.58		(0.58)	

नोट संख्या- 18 अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सामान्य रिजर्व	1,97,691.68	1,97,691.68
प्रतिधारित कमाई	63,413.46	35,206.59
बांड मोचन रिजर्व	65,054.17	65,054.17
कुल	**3,26,159.31**	**2,97,952.44**

18.1 सामान्य आरक्षित निधि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष/अवधि के आरंभ में शेष राशि	1,97,691.68	1,97,691.68
वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	**1,97,691.68**	**1,97,691.68**

18.2 प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष/अवधि के आरंभ में शेष राशि	35,206.59	32,547.98
कंपनी के मालिकों को मिलने वाला लाभ	54,813.50	39,688.79
आयकर के बाद परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय	(1,606.63)	(530.18)
पिछले वर्ष के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	(1,500.00)
चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	(25,000.00)	(35,000.00)
वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	**63,413.46**	**35,206.59**

"(i) वर्ष के दौरान, कंपनी ने 16.03.2023 को आयोजित 277वीं निदेशक मंडल बैठक में अनुमोदित पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में ₹ 35000.00 लाख का भुगतान किया है। इसका भुगतान 13.04.2023 को किया गया है।

(ii) चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 25000.00 लाख की राशि का अंतरिम लाभांश 09.02.2024 को आयोजित 284वीं निदेशक मंडल बैठक में अनुमोदित किया गया और इसका भुगतान 08.03.2024 को कर दिया गया है।"

प्रतिधारित आय कंपनी द्वारा आज तक अर्जित विनियोजन के बाद अर्जित लाभ है।

18.3 बांड मोचन रिजर्व **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष/अवधि के आरंभ में शेष राशि	65,054.17	65,054.17
वर्ष/अवधि के दौरान गतिविधियाँ		
वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	**65,054.17**	**65,054.17**

भंडार की प्रकृति इस प्रकार है:

(क) सामान्य रिजर्व:- पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, लागू विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर शुद्ध लाभ के वार्षिक हस्तांतरण के माध्यम से एक सामान्य रिजर्व बनाया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के परिणामस्वरुप, शुद्ध लाभ के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को अनिवार्य रुप से सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

(ख) बांड मोचन रिजर्व :- कंपनी अधिनियम 2013 के साथ पठित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 मे तहत लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को बांड/डिबेंचर मोचन रिजर्व के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए। बॉन्ड/डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की पर्याप्तता बकाया डिबेंचर के मूल्य का दस प्रतिशत होना आवश्यक है। 31.03.2024 तक, कंपनी ने 65054.17 लाख रुपये का बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाए रखा है, जो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। इसलिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई और बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाया है।

गैर-वर्तमान देनदारियाँ

वित्तीय देयताएं

नोट संख्या- 19 दीर्घकालिक उधार

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
1. सुरक्षित उधार		
i. बाईसवाँ अंक	50,000.00	50,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	21.50	26.30
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	1,165.51	1,158.36
बांड - बाईसवां अंक (नेट)	51,144.01	51,132.06
8 वर्ष के लिए नीपको ने 10,00,000 रुपये प्रत्येक के 7.55% दर से 10-06-2025, 10-12-2025, 10-06-2026, 10-12-2026, 10-06-2027, 10-12-2027 को कॉल ऑप्शन के साथ 10-12-2026, 10-06-2027, 10-12-2027 और 10-06-2028 को अंकित मूल्य के 25% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की भूमि से जुड़ी परिसंपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल परिसंपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी : प्रभार आईडी संख्या 100394348 के साथ ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के तहत प्रभार सृजन के लिए चिन्हित किया गया है		
ii. इक्कीसवाँ अंक	15,000.00	15,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	12.97	16.99
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	21.37	17.86
बांड - इक्कीसवाँ अंक (नेट)	15,008.40	15,000.87
8 वर्ष के लिए नीपको ने 10,00,000 रुपये प्रत्येक के 8.69% के दर से 26-09-2024, 26-03-2025, 26-09-2025, 26-03-2026,26-09-2026 और 26-03-2027 को कॉल ऑप्शन के साथ 26-09-2026, 26-09-2027 को अंकित मूल्य के 25% पर प्रतिदेय सुरक्षित, मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड, जारी किया है। कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भू-संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है।”		

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
iii. बीसवां अंक	-	30,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	-	12.12
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	960.41
बांड - बीसवां अंक (नेट)	-	30,948.29
7 वर्ष के लिए नीपको ने 10,00,000 रुपये प्रत्येक के 9.50% के दर से 29-11-2023, 29-05-2024, 29-11-2024, 29-05-2025 को कॉल ऑप्शन के साथ 29-05-2024, 29-11-2024, 29-05-2025 और 29-11-2025 को अंकित मूल्य के 25% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भू-संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है) ।"		
iv. उन्नीसवाँ अंक	-	-
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	-	-
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
बांड - उन्नीसवाँ अंक (नेट)	-	-
10 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10, 00, 000 प्रत्येक के 8.75% के दर से 06-03-2023, 10-08-2023, 10-02-2024, 10-08-2024, 10-02-2025, 10-08-2025, 10-02-2026, 10-08-2026, 10-02-2027, 10-08-2027, 10-02-2028 पर कॉल विकल्प के साथ 06-09-2026; 06-03-2027; 06-09-2027 और 06-03-2028को अंकित मूल्य के 25% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (पारे जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है।) ."		
v. अठारहवाँ अंक	50,000.00	50,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	9.96	15.23
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	1,447.87	1,441.32
बांड - अठारहवाँ अंक (नेट)	51,437.91	51,426.09
8 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000 प्रत्येक के 7.68% के दर से 15-11-2022,15-05-2023,15-11-2023, 15-05-2024,15-11-2024,15-05-2025 को कॉल विकल्प के साथ 15-05-2025 और 15-11-2025 को अंकित मूल्य के 50% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (पारे जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्तियों के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है।) ."		
vi. सोलहवाँ अंक	90,000.00	90,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	34.35	40.08
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	2,305.18	2,290.09
बांड - सोलहवाँ अंक (नेट)	92,270.83	92,250.01
15 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000/- प्रत्येक के 8.68% दर से 30-09-2026; 30-09-2027; 30-09-2028; 30-09-2029 और 30-09-2030 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, करयोग्य बांड जारी किया है। (मिजोरम में तुइरियल जलविद्युत परियोजना, असम में कोपिली जलविद्युत परियोजना और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति की जमीन और अन्य चल संपत्तियों को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है) ।"		
vii.पंद्रहवां अंक	12,000.00	24,000.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	21.00	42.12
बांड -पंद्रहवां (नेट)	12,021.00	24,042.12

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
10 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000/-प्रत्येक के 9.15% के दर से 25-03-2021; 25-03-2022; 25-03-2023; 25-03-2024 और 25-03-2025 को अंकित मूल्य के 20% प्रतिदेय पर सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (त्रिपुरा में अगरतला गैस टरबाइन परियोजना (मूल ओपन-साइकिल प्लांट) की परिसंपत्तियां, असम में असम गैस आधारित परियोजना के गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन को छोड़कर परिसंपत्तियां, अरुणाचल प्रदेश में रंगानदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के उत्पादन स्टेशन के संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर परिसंपत्तियां और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है) ।"		
viii. चौदहवाँ अंक	50,000.00	1,00,000.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
बांड -चौदहवाँ (नेट)	50,000.00	1,00,000.00
10 वर्ष के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000 प्रत्येक के 9.60% के दर से 01-10-2020; 01-10-2021; 01-10-2022; 01-10-2023 और 01-10-2024 को अंकित मूल्य के 20% प्रतिदेय पर सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जलविद्युत परियोजना की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रुप में रखा गया है) ।"		
उप-योग : निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड (क)	**2,71,882.15**	**3,64,799.44**
ख. सुरक्षित अवधि ऋण		
i.रुपया ऋण :		
क. केनरा बैंक से मध्यम सावधि कॉर्पोरेट ऋण	12,500.00	25,000.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	87.16	165.86
केनरा बैंक से मध्यम अवधि कॉर्पोरेट ऋण (नेट)	12,587.16	25,165.86
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण की चुकौती 03-02-2020 को पहली निकासी से 1 वर्ष की मोहलत के बाद 16 संरचित त्रैमासिक किस्तों में जानी है।		
ख. पंजाब नेशनल बैंक से कॉर्पोरेट सावधि ऋण	74,800.00	81,600.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
पीएनबी से मध्यम अवधि कॉर्पोरेट ऋण (नेट)	74,800.00	81,600.00
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण की चुकौती पहली निकासी से 2 वर्ष की मोहलत के बाद निम्नलिखित तिमाही किश्तों में की जानी है: 30.12.2022 से 17 करोड़ रुपये की प्रत्येक 12 समान किस्तें, 30.12.2025 से 34 करोड़ रुपये की प्रत्येक 8 समान किस्तें तथा 30.12.2027 से 93.50 करोड़ रुपये की प्रत्येक 4 समान किस्तें।"		
ग. भारतीय स्टेट बैंक से रुपया टर्म लोन	97,500.00	1,00,000.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
एसबीआई (नेट) से रुपया टर्म लोन	97,500.00	1,00,000.00
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर अन्य ऋणदाताओं के साथ समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण की चुकौती, आहरण की पहली तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के पश्चात निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी: 9वीं से 20वीं तिमाही के अंत में 25.00 करोड़ रुपये प्रत्येक; 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत में 50.00 करोड़ रुपये प्रत्येक; 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में 75.00 करोड़ रुपये प्रत्येक।		

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
घ. एचडीएफसी बैंक से टर्म लोन	50,000.00	30,000.00
[पारे हाइड्रो पावर स्टेशन - अरुणाचल प्रदेश में संपत्ति की अचल संपत्तियों तथा रंगनदी एचपीएस (405 मेगावाट) के संयंत्र और मशीनरी एवं असम गैस आधारित पावर स्टेशन (291 मेगावाट) के गैस टर्बाइनों को प्रथम समरुप आधार पर बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया है।] ऋण की चुकौती पहली निकासी (06.10.2022) से 2 वर्ष की स्थगन अवधि से शुरु होकर निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी: 9वीं से 20वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 15.00 करोड़ रुपये - 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 25.00 करोड़ रुपये: 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 30.00 करोड़ रुपये।"		
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	356.71	206.64
एचडीएफसी बैंक से टर्म लोन (नेट)	50,356.71	30,206.64
ङ. एक्सिस बैंक से टर्म लोन	75,000.00	
(त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में स्थित त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन की चल अचल संपत्तियों (भूमि से जुड़ी संपत्तियों सहित) को प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण की चुकौती पहली निकासी की तारीख (29.09.2023) से 2.25 वर्ष की स्थगन अवधि से शुरु होने वाली निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में की जानी है। 9वीं से 18वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 10.00 करोड़ रुपये; 19वीं से 27वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 20 करोड़ रुपये; 28वीं से 36वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 30 करोड़ रुपये; 37वीं से 40वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये।		
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
एक्सिस बैंक से टर्म लोन (नेट)	75,000.00	-
उप-कुल सुरक्षित अवधि ऋण (ख)	**3,10,243.87**	**2,36,972.50**
कुल : सुरक्षित उधार (ए+बी)	**5,82,126.02**	**6,01,771.94**
2.असुरक्षित उधार :		
1.निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
तेईसवाँ अंक	20,000.00	20,000.00
घटा कर : बांड व्यय परिशोधन	3.77	4.34
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	31.21	31.30
बांड - तेईसवां अंक (नेट)	20,027.44	20,026.96
8 वर्ष के लिए की नीपको ने प्रत्येक 10,00,000 रुपये के 7.14% के दर से 22-09-2028; 23-03-2029; 24-09-2029; 22-03-2030 को प्रतिदेय, 24-03-2026 को कॉल ऑप्शन के साथ 24-09-2026; 24-03-2027; 24-09-2027; 24-03-2028; 22-09-2028; 23-03-2029; 24-09-2029 को अंकित मूल्य के 25% पर असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है।		
(i) रुपया ऋण		
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	29,196.42	29,196.42
घटा कर : ऋण व्यय परिशोधन	69.69	71.46
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (शुद्ध)	29,126.73	29,124.96
(भारत सरकार ने 1% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹ 29196.42 लाख का अधीनस्थ ऋण स्वीकृत किया है। ऋण को विभिन्न तिथियों पर स्वीकृत किया गया था, जिसका अंतिम आहरण 6 जुलाई 2015 को किया गया था। ऋण को तुईरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मिजोरम के चालू होने के 16वें वर्ष से यानी 30 जनवरी 2018 से 15 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।		
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण		
च. केएफडब्लू, जर्मनी से ऋण	33,383.29	39,729.32
घटा कर : उचित मूल्य (80 मिलियन और 20 मिलियन)	(159.35)	(154.22)
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	212.24	255.96
केएफडब्लू, जर्मनी से ऋण (नेट)	33,754.88	40,139.50
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अरुणाचल प्रदेश में पारे जल विद्युत परियोजना (110 मेगावाट) के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत किया गया।		
(भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया गया। 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण समझौता 11 दिसंबर 2008 और 20 दिसंबर 2017 को क्रमशः 3.46% प्रति वर्ष और 0.85% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर निष्पादित किया गया था। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। 80 मिलियन यूरो की अंतिम ऋण किस्त 03.03.2016 को और 20 मिलियन यूरो 16.08.2018 को प्राप्त हुई थी। ऋण 30 बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में 30-12-2013 से और 20 बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में 30-12-2020 से चुकाने योग्य हैं।)		
(iii) मध्यम अवधि ऋण		
पीएनबी से ऋण	30,000.00	-
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
पीएनबी से ऋण (नेट)	30,000.00	-
29.11.2023 को पीएनबी से 30000 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण, जिसकी परिपक्वता अवधि पहली निकासी की तिथि से 7 वर्ष है। ऋण पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ष के अंत में 1000 लाख रुपये के हिसाब से चुकाया जाना है, अर्थात 29.11.2024, 29.11.2025, 29.11.2026, 29.11.2027, 29.11.2028 और 6वें और 7वें वर्ष के अंत में 12500 लाख रुपये, अर्थात 28.11.2029 और 28.11.2030 को। ऋण के लिए ब्याज दर @ पीएनबी आरएलएलआर-एलीट योजना के तहत 7.75% प्रति वर्ष है।		
कुल असुरक्षित उधार (i + ii)	**1,12,909.05**	**89,291.42**
कुल (1 + 2)	**6,95,035.07**	**6,91,063.36**
घटा कर : वर्तमान परिपक्वता (नोट 21 देखें)		
बांड	62,000.00	62,000.00
रुपया टर्म लोन-सुरक्षित	29,300.00	21,800.00
रुपया टर्म लोन-असुरक्षित	1,000.00	-
विदेशी मुद्रा ऋण - सुरक्षित	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण - असुरक्षित	6,616.57	6,571.82
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	5,648.25	6,569.92
कुल योग : गैर-वर्तमान देयताएं	**5,90,470.25**	**5,94,121.62**

नोट: बांड व्यय का परिशोधन संबंधित बांड के ब्याज पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ ही किया जाता है।

उधार की परिपक्वता प्रोफ़ाइल इस प्रकार है: (₹ लाख में)

संविदागत परिपक्वता	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एक वर्ष या उससे कम समय में या मांग पर	1,06,071.93	96,909.44
एक से दो वर्ष के बीच	86,816.57	1,14,371.82
दो और तीन वर्षों के बीच	81,716.57	97,771.82
तीन से चार वर्ष के बीच	1,14,616.57	76,671.82
चार से पांच वर्ष के बीच	1,16,410.46	1,09,571.82
पांच वर्ष से अधिक	1,89,402.95	1,95,766.63
कुल संविदागत नकदी प्रवाह	**6,95,035.07**	**6,91,063.36**
कुल उधारी	**6,95,035.07**	**6,91,063.36**

नोट:

क. कंपनी ने ऋण समझौते की शर्तों एवं नियमों के अनुसार ही उधार ली गई राशि का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है।

ख. कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के पास दाखिल तिमाही रिटर्न या चालू परिसंपत्तियों के विवरण, लेखा खाता के अनुरुप हैं।

ग. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

वित्तीय देयताएं

नोट संख्या- 19 ए गैर चालू वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयता - पट्टे के अंतर्गत परिसंपत्ति	2015.55	1086.31
घटा कर : पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता	1000.48	607.67
कुल	**1015.07**	**478.64**

नोट संख्या- 20 दीर्घकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		319.12
कुल	**303.28**	**319.12**

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति पर सोने का सिक्का शामिल है। चालू वर्ष के लिए प्रावधान की वहन राशि में वृद्धि/कमी मुख्य रुप से चालू वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रभार के शुद्ध प्रभाव और चालू वर्ष में भुगतान किए गए लाभों के कारण है।

20(i) .परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी संबंधित कर्मियों के लिए कई परिभाषित योगदान योजनाओं में भाग लेती है। इन योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त कोई भी व्यय उन योजनाओं के नियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों पर अवधि के दौरान उनके द्वारा देय योगदान के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। बैलेंस शीट में शामिल एकमात्र राशि पिछले महीनों के योगदान से संबंधित है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भुगतान किए जाने वाले नहीं थे। कंपनी द्वारा संचालित प्रमुख परिभाषित योगदान योजनाएँ इस प्रकार हैं:

क) भविष्य निधि

भारतीय कानून के अनुसार, कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों ही कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है। इस अवधि के लिए कंपनी का निधि में योगदान 3469.50 लाख रुपये (पिछली अवधि में 3536.48 लाख रुपये) था। निवेश ने भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त ब्याज अर्जित किया है।

ख) सेवानिवृत्ति निधि

"भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70) /08-डीपीई (डब्ल्यूसी) /जीएल-xiv/08 दिनांक 26.11.2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70) /08-डीपीई (डब्ल्यूसी) /जीएल-vii/09 दिनांक 02.04.2009 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी ने नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना तैयार की है।

इस योजना का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट में वर्ष के लिए कंपनियों का योगदान 2389.13 लाख रुपये था (पिछले वर्ष 2338.92 लाख रुपये) ।"

20(ii) . परिभाषित लाभ योजनाएँ

क. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

"कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं के लिए अंशदायी योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और सेवानिवृत्त/मृतक के जीवनसाथी को अंशदायी आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो इस प्रकार है:

निकटतम प्राधिकृत/अनुमोदित अस्पताल की दरों तक सीमित इनडोर उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

पैनलबद्ध अस्पतालों में बाह्य-रोगी/घरेलू उपचार के लिए, नैदानिक परीक्षणों, जांच, दवाओं की लागत और अन्य ओपीडी व्ययों के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है, जो कि प्रति वर्ष अंतिम मूल वेतन राशि की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के अधीन होती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।"

ख. सेवानिवृत्ति पर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

एक अच्छी संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने और कर्मचारी द्वारा ईमानदारी से दी गई सेवाओं की सराहना करने के लिए, निगम सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर एक सोने का सिक्का प्रदान कर रहा है। इसके लिए देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

20(iii). अन्य कर्मचारी लाभ

सामाजिक सुरक्षा योजना

कंपनी के पास अनुकंपा नियुक्ति के बदले सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी इस योजना में बराबर का योगदान देती है। इस योजना का उद्देश्य कंपनी के किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित लाभार्थियों को नकद लाभ प्रदान करना है, जिसमें स्थायी पूर्ण विकलांगता के कारण रोजगार समाप्त होना भी शामिल है।

नोट संख्या- 20क

भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण
ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश: (₹ लाख में)

	संपत्ति / देयता	31-03-2024	31-03-2023
क	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	18,038.44	18,468.36
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	17,676.97	18,621.53
ग	बैलेंस शीट में प्रावधान के रुप में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	(361.47)	153.17

सदस्यता आंकड़ों का सारांश:

	तक	31-03-2024	31-03-2023
क)	कर्मचारियों की संख्या	1666	1766
ख)	कुल मासिक वेतन (लाख में)	2156.15	2173.62
ग)	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.33	24.31
घ)	औसत आयु (वर्ष)	50.87	50.75
ङ)	औसत शेष (वर्ष)	9.13	9.25
	कामकाजी जीवन		
च)	भारित औसत अवधि	8.83	8.95

आर्थिक अनुमान : (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
i)	छोड़ने की दर	7.10	7.40
ii)	भविष्य में वेतन वृद्धि	6.50	6.50

जनसांख्यिकीय अनुमान : (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
i)	सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii)	विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
iii)	उम्र में परित्याग	**निकासी**	**निकासी**
		दर (%)	**दर (%)**
	30 वर्ष तक	0.01%	0.01%
	31 से 44 वर्ष तक	0.03%	0.03%
	44 वर्ष से ऊपर	0.06%	0.06%

लाभ का पैमाना :

क)	ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन.
ख)	निधान अवधि	5 वर्ष की सेवा.
ग)	सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार।
घ)	समय से पहले सेवानिवृत्ति/प्रत्याहार /इस्तीफा देने पर लाभ	सेवा से बाहर निकलने की तिथि तक की सेवा के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान।
ङ)	सेवाकाल में मृत्यु पर लाभ	मृत्यु की तिथि तक की सेवा के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान तथा कोई निहित शर्तें लागू नहीं होतीं।
च)	सीमा	20.00 लाख

योजना देनदारी: (₹ लाख में)

समाप्ति की तारीख	31-03-2024	31-03-2023
अवधि के अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	18,038.44	18,468.36

सेवा लागत : (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान सेवा लागत	708.48	932.45
ख)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–
ग)	गैर नियमित निपटान पर लाभ या हानि	–	–
घ)	कुल सेवा लागत	708.48	932.45

शुद्ध ब्याज लागत : (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज लागत	1,366.66	1,378.24
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	1,377.99	1,305.05
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	(11.33)	73.19

लाभ देनदारी में परिवर्तन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	देनदारी का वर्तमान मूल्य अवधि की शुरुआत में	18,468.36	19,689.11
ख)	अधिग्रहण समायोजन	–	–
ग)	ब्याज लागत	1,366.66	1,378.24
घ)	सेवा लागत	708.48	932.45
ङ)	लाभ/हानि में कटौती सहित पिछली सेवा लागत	–	–
च)	लाभ भुगतान	(2275.70)	(2527.13)
छ)	देनादारी पर कुल बीमांकिक (लाभ) /हानि	(229.36)	(1004.31)
ज)	देनदारी का वर्तमान मूल्य अवधि का अंत	18,038.44	18,468.36

देनदारी पर बीमांकिक लाभ/हानि का विभाजन:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) /हानि	–	–
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	280.41	(412.06)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ) / हानि	(509.77)	(592.25)

योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अपेक्षित ब्याज आय	1,377.99	1,305.05
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय	1,331.13	1,459.55
ग)	वर्ष के लिए परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(46.86)	154.50

बैलेंस शीट और संबंधित विश्लेषण:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	18,038.44	18,468.36
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	17,676.97	18,621.53
ग)	बैलेंस शीट में अनफंडेड देयता/प्रावधान	(361.47)	153.17

आय विवरण में शामिल की गई राशि:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	कुल सेवा लागत	708.47	932.45
ख)	शुद्ध ब्याज लागत	(11.33)	73.19
ग)	आय विवरण में शामिल व्यय	697.14	1,005.64

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	शुद्ध संचयी अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि) आरंभ		
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) ।	229.36	1,004.31
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	(46.86)	154.50
घ)	वर्ष के लिए अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	182.50	1,158.81

योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,621.53	18,643.53
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	1,331.13	1,459.55
ग)	नियोक्ता अंशदान	–	1,045.58
घ)	भुगतान किये गये लाभ	(2275.69)	(2527.13)
ङ)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	17,676.97	18,621.53

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रुप में) : (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	–	–
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	–	–
ग)	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	–	–
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	–	–
ङ)	संपत्ति	–	–
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
छ)	बैंक में जमा राशि	–	–
	कुल	100%	100%

शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी में परिवर्तन: **(₹ लाख में)**

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि के प्रारंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(153.17)	1045.58
ख)	अधिग्रहण समायोजन	–	–
ग)	कुल सेवा लागत	708.47	932.45
घ)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	(11.33)	73.19
ङ)	पुनः माप	(182.50)	(1158.81)
च)	कोष में दिया गया अंशदान	–	(1045.58)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	–	–
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	361.47	(153.17)

वर्ष के अंत में पीबीओ का वर्तमान और गैर वर्तमान में विभाजन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	2,404.81	1,896.87
ख)	गैर-वर्तमान देयता (एक वर्ष में देय राशि)	15,633.63	16,571.49
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**18,038.44**	**18,468.36**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सेवा लागत	719.18	736.30
ख)	निवल ब्याज लागत	25.66	(11.33)
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	744.84	724.97

परिभाषित लाभ देनदारी का संवेदनशीलता विश्लेषण: (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	**18,038.44**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(462.82)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	488.23

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	**18,038.44**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	121.40
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(126.13)

परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता प्रोफ़ाइल:

	वर्ष	**राशि**
क)	0 से 1 वर्ष	2404.81
ख)	1 से 2 वर्ष	2116.83
ग)	2 से 3 वर्ष	2151.48
घ)	3 से 1 वर्ष	1820.04
ङ)	4 से 5 वर्ष	1706.53
च)	5 से 6 वर्ष	1559.27
छ)	6 वर्ष से आगे	6279.48

छुट्टी नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश: (₹ लाख में)

	संपत्ति / देयता	31-03-2024	31-03-2023
क	देनदारी का वर्तमान मूल्य	16,670.42	16,392.78
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
ग	बैलेंस शीट में प्रावधान के रुप में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	(16670.42)	(16392.78)

सदस्यता आंकड़ों का सारांश : (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
क)	कर्मचारियों की संख्या	1666	1766
ख)	कुल मासिक वेतन (लाख में)	2156.15	2173.62
	छुट्टी नकदीमरण		
ग)	कुल मासिक वेतन (लाख में)	4312.29	3912.52
	छुट्टी का लाभ		
घ)	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.33	24.31
ङ)	औसत आयु (वर्ष)	50.87	50.75
च)	औसत शेष (वर्ष)	9.13	9.25
	कामकाजी जीवन		
छ)	मूल्यांकन तिथि को ध्यान में रखते हुए शेष अवकाश	3,56,234	3,88,263
ज)	पीबीओ की भारित औसत अवधि	8.83	8.95

आर्थिक अनुमान: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
i)	छोड़ने की दर	7.10	7.40
ii)	भविष्य में वेतन वृद्धि	6.50	6.50

जनसांख्यिकीय अनुमान:

(₹ लाख में)

	As at	31-03-2024	31-03-2023
i)	i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii)	ii) विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
iii)	iii) आयु	**निकासी दर (%)**	**निकासी दर (%)**
	30 वर्ष तक	0.01%	0.01%
	31 से 44 वर्ष तक	0.03%	0.03%
	44 वर्ष से ऊपर	0.06%	0.06%
iv)	iv) छुट्टी		
	छुट्टियाँ लाभ दर	2.50%	2.50%
	सेवा के दौरान छुट्टी समाप्ति दर	शून्य	शून्य
	सेवानिवृत्ति पर छुट्टी व्यपगत दर	शून्य	शून्य
	सेवा के दौरान छुट्टी नकदीकरण दर	15.00%	15.00%

नमूना आयु पर विकलांगता सहित मृत्यु दर

(₹ लाख में)

आयु	दर	आयु	दर
15	0.000698	60	0.011162
20	0.000924	65	0.015932
25	0.000931	70	0.024058
30	0.000977	75	0.038221
35	0.001202	80	0.061985
40	0.00168	85	0.100979
45	0.002579	90	0.163507
50	0.004436	95	0.259706
55	0.007513	100	0.397733

लाभ का पैमाना:

क)	अर्जित अवकाश की गणना के लिए वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन.
ख)	निहित अवधि	शून्य
ग)	लाभ	
1	वार्षिक उपार्जन	30 दिन
2	अधिकतम संचय	कंपनी नीति के अनुसार
3	कुल छुट्टी के दिन	3,56,234
4	सेवा में लाभ (अनुपस्थिति के लिए मुआवजा)	हाँ
5	सेवाकाल में छुट्टी नकदीकरण	हाँ
6	सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण	हाँ
7	माह के रूप में माना जाएगा	30 दिन
घ)	सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	पॉलिसी के अनुसार वास्तविक संचय
ङ)	शीघ्र सेवानिवृत्ति/प्रत्याहार/त्यागपत्र/मृत्यु पर लाभ	सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान।

देनदारी योजना : (₹ लाख में)

समाप्ति तिथि	31-03-2024	31-03-2023
अवधि के अंत में देनदारी का वर्तमान मूल्य	16,670.42	16,392.78

सेवा लागत : (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान सेवा लागत	1,709.13	2,092.26
ख)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–
ग)	गैर नियमित निपटान पर लाभ या हानि	–	–
घ)	कुल सेवा लागत	1,709.13	2,092.26

निवल ब्याज लागत: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,213.07	969.86
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	–	–
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	1,213.07	969.86

लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका: **(₹ लाख में)**

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि की शुरुआत मेंदेनदारी का वर्तमान मूल्य	16,392.78	13,855.16
	अधिग्रहण समायोजन	–	–
ख)	ब्याज लागत	1,213.06	969.86
ग)	सेवा लागत	1,709.13	2,092.26
घ)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–
ङ)	भुगतान किये गये लाभ	-2,877.15	-3,233.10
च)	देनदारी पर कुल बीमांकिक (लाभ) /हानि	232.60	2,708.60
छ)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,670.42	16,392.78

देनदारी पर बीमांकिक लाभ/हानि: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) /हानि	–	1.02
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	302.92	-421.23
ग)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	-70.32	3,128.81

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अपेक्षित ब्याज आय	–	–
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	–	–
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	–	–

बैलेंस शीट और संबंधित विश्लेषण: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,670.42	16,392.78
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
ग)	बैलेंस शीट में अनफंडेड देयता/प्रावधान	-16,670.42	-16,392.78

आय विवरण में शामिल की गई प्राप्त राशियाँ (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	कुल सेवा लागत	1,709.13	2,092.26
ख)	शुद्ध ब्याज लागत	1,213.06	969.86
ग)	अवधि में शामिल शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	232.60	2,708.60
घ)	आय विवरण में शामिल व्यय	3,154.79	5,770.72

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता में परिवर्तन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि के प्रारंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	16,392.78	13,855.16
ख)	अधिग्रहण समायोजन	–	–
ग)	कुल सेवा लागत	1,709.13	2,092.26
घ)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	1,213.06	969.86
ङ)	पुनः माप	232.60	2,708.60
च)	निधि में योगदान का भुगतान	–	–
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-2,877.15	-3,233.10
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	16,670.42	16,392.78

वर्ष के अंत में पीबीओ का वर्तमान और गैर वर्तमान में विभाजन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	2,128.80	1,833.88
ख)	गैर-वर्तमान देयता (एक वर्ष में देय राशि)	14,541.62	14,558.90
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**16,670.42**	**16,392.78**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सेवा लागत	752.86	723.75
ख)	निवल ब्याज लागत	1,183.60	1,213.07
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,936.46	1,936.82

परिभाषित लाभ देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण: (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**16,670.42**
क	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	-497.21
ख	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	526.42

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**16,670.42**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	527.14
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	-500.19

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश: (₹ लाख में)

	संपत्ति / देयता	31-03-2024	31-03-2023
क	देनदारी का वर्तमान मूल्य	15,690.74	13,001.02
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	12,829.51	10,523.26
ग	बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में शामिल शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	-2,861.23	-2,477.76

सदस्यता आंकड़ों का सारांश: (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
सेवारत कर्मचारी			
क)	कर्मचारियों की संख्या	1666	1766
ख)	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.33	24.31
ग)	औसत आयु (वर्ष)	50.87	50.75
घ)	औसत शेष कार्य जीवन (वर्ष)	9.13	9.25
ङ)	भारित औसत शेष कार्यकाल.	8.83	9.09
सेवानिवृत्त कर्मचारी			
क)	सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	1853	1771
ख)	औसत आयु (वर्ष)	67.52	66.94
ग)	प्रति सेवानिवृत्त वार्षिक लागत i) बाह्य रोगी उपचार लागत ii) इन-पेशेंट उपचार लागत	₹ 39456/-	₹ 34,310/-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

आर्थिक अनुमान: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	छूट दर	7.10	7.40
ख)	भविष्य में चिकित्सा लागत में वृद्धि	5.00	4.00
	(i) बाह्य रोगी उपचार लागत		
	(ii) इन-पेशेंट उपचार लागत		

जनसांख्यिकीय अनुमान: (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024	31-03-2023
i)	सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii)	विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	100% of IALM (2012 - 14)	100% of IALM (2012 - 14)
iii)	iii) आयु	**निकासी**	**निकासी**
		दर (%)	**दर (%)**
	30 वर्ष तक	0.01	0.01
	31 से 44 वर्ष तक	0.03	0.03
	44 वर्ष से ऊपर	0.06	0.06

मृत्यु दर एवं रुग्णता दर:

क) सेवा में रहते हुए - आईएएलएम (2012-14) की 100% दरें मान ली गई हैं, जिसमें विकलांगता लाभ के लिए भत्ता भी शामिल है

(₹ लाख में)

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
15	0.000698	40	0.00168
20	0.000924	45	0.002579
25	0.000931	50	0.004436
30	0.000977	55	0.007513
35	0.001202	60	0.011162

ख) सेवानिवृत्ति के बाद - (1996-98) की 100% दरें मान ली गई हैं **(₹ लाख में)**

आयु	दर	आयु	दर
50	0.004243	80	0.070802
60	0.010907	85	0.106891
65	0.01389	90	0.151539
70	0.024301	100	0.266511
75	0.043272		

योजना देनदारी: (₹ लाख में)

समाप्ति तिथि	31-03-2024	31-03-2023
अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	15,690.74	13,001.02

सेवा लागत :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान सेवा लागत	548.69	515.35
ख)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–
ग)	गैर नियमित निपटान पर लाभ या हानि	–	–
घ)	कुल सेवा लागत	548.69	515.35

शुद्ध ब्याज लागत:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज लागत	962.07	747.92
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	778.72	586.83
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	183.35	161.09

वर्तमान लाभ देनदारी में परिवर्तन:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	देयता का वर्तमान मूल्य अवधि की शुरुआत	13,001.02	10,684.66
ख)	ब्याज लागत	962.08	747.93
ग)	सेवा लागत	548.69	515.35
घ)	भुगतान किये गये लाभ	-1,018.05	-870.86
ङ)	देयता पर कुल बीमांकिक (लाभ) /हानि	2,197.00	1,923.94
च) छ)	देयता का वर्तमान मूल्य अवधि की समाप्ति	15,690.74	13,001.02

देयता पर बीमांकिक (लाभ) /हानि:

		31-03-2024	31-03-2023
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) /हानि	–	–
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,832.56	625.17
ग)	समायोजन अनुभव से उत्पन्न होने वाली एक्चुरियल (लाभ) /हानि	364.45	1,298.77

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक (लाभ) /हानि:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अपेक्षित ब्याज आय	778.72	586.83
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	846.54	709.45
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	67.82	122.62

बैलेंस शीट और संबंधित विश्लेषण:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सताप्ति पर देयता का वर्तमान मूल्य	15,690.74	13,001.02
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	12,829.51	10,523.26
ग)	बैलेंस शीट में अनफंडेड देयता/प्रावधान	-2,861.23	-2,477.76
घ)	बैलेंस शीट में अप्राप्य देयता को शामिल किया गया है	-2,861.23	-2,477.76

आय विवरण में शामिल राशियाँ:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सेवा लागत	548.69	515.35
ख)	शुद्ध ब्याज लागत	183.35	161.09
ग)	आय विवरण में शामिल व्यय	732.04	676.44

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	शुद्ध संचयी अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि) आरंभ		
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) ।	-2,197.00	-1,923.94
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	67.82	122.62
घ)	वर्ष के अंत में अज्ञात बीमांकिक लाभ/(हानि)	-2,129.18	-1,801.32

योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन:

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10523.26	8383.31
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	846.54	709.46
ग)	नियोक्ता अंशदान	2,477.76	2,301.35
घ)	भुगतान किये गये लाभ	-1,018.05	-870.86
ङ)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	12,829.51	10,523.26

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रुप में) :

(₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	–	–
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	–	–
ग)	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	–	–
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	–	–
ङ)	संपत्ति	–	–
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
छ)	बैंक में जमा राशि	–	–
	कुल	**100%**	**100%**

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता में परिवर्तन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	अवधि के प्रारंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	2,477.76	2,301.35
ख)	सेवा लागत	548.69	515.35
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	183.35	161.09
घ)	पुनः माप	2,129.18	1,801.32
ङ)	कोष में दिया गया अंशदान	-2,477.76	-2,301.35
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	–	–
छ)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	2,861.23	2,477.76

वर्ष के अंत में पीबीओ का वर्तमान और गैर वर्तमान में विभाजन: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	1,067.34	930.19
ख)	गैर-वर्तमान देयता (एक वर्ष में देय राशि)	14,623.40	12,070.83
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**15,690.74**	**13,001.02**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान: (₹ लाख में)

		31-03-2024	31-03-2023
क)	सेवा लागत	582.44	711.25
ख)	शुद्ध ब्याज लागत	203.15	183.35
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	785.59	894.60

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण: **(₹ लाख में)**

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**15,690.74**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	-710.55
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	768.83

ख) चिकित्सा लागत दर का प्रभाव

	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**15,690.74**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	780.07
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	-735.54

परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता प्रोफ़ाइल:

	वर्ष	राशि
क)	0 से 1 वर्ष	10,67,33,602
ख)	1 से 2 वर्ष	11,56,08,059
ग)	2से 3 वर्ष	12,64,82,242
घ)	3 से 4 वर्ष	13,53,36,000
ङ)	4 से 5 वर्ष	14,61,62,879
च)	5 से 6 वर्ष	15,93,17,539
छ)	6 वर्ष से आगे	77,94,33,558

सेवानिवृत्ति पर स्वर्ण सिक्का पुरस्कार

परिणाम का सारांश: (₹ लाख में)

	संपत्ति / देयता	31-03-2024
क	देयता का वर्तमान मूल्य	340.91
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–
ग	बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में शामिल शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	-340.91

सदस्यता आंकड़ों का सारांश: (₹ लाख में)

	तक	31-03-2024
क)	कर्मचारियों की संख्या	1666
ख)	कुल मासिक वेतन (लाख में)	लागू नहीं
ग)	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.33
घ)	औसत आयु (वर्ष)	50.87
ङ)	औसत शेष कार्य जीवन (वर्ष)	9.13

आर्थिक अनुमान:

	तक	31-03-2024
i)	छूट दर	
ii)	सोने के सिक्कों की वृद्धि दर	

जनसांख्यिकीय अनुमान:

	तक	31-03-2024
i)	सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60
ii)	मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)
iii)	आयु	**निकासी दर (%)**
	30 वर्ष तक	0.01%
	31 से 44 वर्ष तक	0.03%
	44 वर्ष से ऊपर	0.06%

बीमांकिक मूल्य:

अवधि की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य (31/03/2024)	340.91

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन: (₹ लाख में)

		31-03-2024
क)	वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	37.63
ख)	गैर-वर्तमान देयता (एक वर्ष में देय राशि)	303.28
ग)	**वर्ष के अंत में कुल पीबीओ**	**340.91**

वित्तीय देयताएं

नोट संख्या- 21 वर्तमान उधार

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान उधार		
मांग पर ऋण चुकाना		
बैंकों से - सुरक्षित	52,253.97	14,542.85
बैंक से - असुरक्षित	-	7,511.51
कुल (क)	**52,253.97**	**22,054.36**
गैर-वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता		
बांड - सुरक्षित	62,000.00	62,000.00
विदेशी मुद्रा ऋण - सुरक्षित	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण - असुरक्षित	6,616.57	6,571.82
बैंक ऋण - सुरक्षित	29,300.00	21,800.00
बैंक ऋण - असुरक्षित	1,000.00	-
कुल (ख)	98,916.57	90,371.82
कुल जोड़ (क+ख)	**1,51,170.54**	**1,12,426.18**
वर्तमान वित्तीय उधारी के लिए नोट्स - उधारी		
I. वर्तमान उधार :		
कार्यशील पूंजी सुविधाएं		
(i) भारतीय स्टेट बैंक, शिलांग		
कार्यशील पूंजी मांग ऋण (शुद्ध)	-	-
आहरण की सीमा तक कंपनी के वर्तमान और भविष्य के सभी ऋणों बही और अन्य सभी इन्वेंटरी के बंधक के विरुद्ध सुरक्षित। 15.06.2023 को एसबीआई, शिलांग द्वारा कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) स्वीकृत किया गया। ब्याज 91 दिन के टी-बिल प्लस स्प्रेड पर आधारित है। 31.03.2024 तक अंतिम 91 दिनों का टी-बिल प्लस स्प्रेड 7.26% प्रति वर्ष की दर से है।सुविधा की अवधि 12.04.2024 तक वैध है।	20,100.00	14,500.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं		42.85
(ii) नकद ऋण		14,542.85
आहरण की सीमा तक कंपनी के वर्तमान और भविष्य के सभी ऋणों बही और अन्य सभी इन्वेंटरी के बंधक के विरुद्ध सुरक्षित। 15.06.2023 को एसबीआई, शिलांग द्वारा नकद ऋण स्वीकृत किया गया। Iब्याज दर 6 माह की एमसीएलआर तथा शून्य मार्जिन है।31.03.2024 तक 6 महीने की एमसीएलआर प्लस शून्य मार्जिन 8.55% प्रति वर्ष की दर से है। सुविधा की अवधि 12.04.2024 तक वैध है।	1,956.76	-
(ii) यस बैंक	-	7,500.00
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं		11.51
अल्पावधि ऋण (नेट)	-	7,511.51

28.04.2022 को यस बैंक, शिलांग द्वारा असुरक्षित कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) स्वीकृत किया गया। यस बैंक द्वारा स्वीकृत डब्ल्यूसीडीएल 91 दिन के टी-बिल प्लस स्प्रेड की दर पर है। 31.03.2024 तक अंतिम 91 दिनों का टी-बिल प्लस स्प्रेड 7.99% प्रति वर्ष है।सुविधाओं की अवधि 12.04.2024 तक वैध है।		
(iii) एसबीआई से एसटीएल	30,000.00	-
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं		-
अल्पावधि ऋण (नेट)	**30,162.74**	-
(03.02.2024 को एसबीआई से लिया गया ₹ 30000 लाख का ऋण असुरक्षित प्रकृति का है, जिसकी परिपक्वता अवधि प्रथम आहरण कीतिथि से 1 वर्ष है। ऋण की चुकौती प्रथम निकासी की तिथि से प्रत्येक के लिए 100.00 करोड़ रुपये की निकासी की एक वर्ष पूरा होनेपर निकासी की 6वीं, 9वीं और 12वीं मासिक पर की जानी है। ऋण की ब्याज दर 7.54% प्रति वर्ष (91-दिवसीय टी-बिल + 0.50%) है) ।		
कुल	**52,253.97**	**22,054.36**

II. गैर-वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
I.सुरक्षित उधारी		
A. निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
a.पंद्रहवां अंक	12,000.00	12,000.00
10 वर्षों के लिए नीपको ने ₹ 10,00,000/- प्रत्येक के 9.15% के दर से 25-03-2021; 25-03-2022; 25-03-2023; 25-03-2024 और 25-03-2025 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (त्रिपुरा में अगरतला गैस टरबाइन परियोजना (मूल ओपन-साइकिल प्लांट) की परिसंपत्तियां, असम गैस आधारित परियोजना, असम में गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन को छोड़कर परिसंपत्तियां, रंगानदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में उत्पादन स्टेशन में संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर परिसंपत्तियां और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन-जायदाद को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के पास ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में लिया गया है।) .		
b.चौदहवाँ अंक	50,000.00	50,000.00
10 वर्षों के लिए नीपको ने प्रत्येक ₹ 10,00,000 के 9.60% के दर से 01-10-2020; 01-10-2021; 01-10-2022; 01-10-2023 और 01-10-2024 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड जारी किया है। (अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जलविद्युत परियोजना की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्तियों और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन पर स्थित संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड के माध्यम से समरुप बंधक के रूप में चार्ज किया गया है) ।		
B. सुरक्षित अवधि ऋण		
i. रुपया ऋण :		
a. केनरा बैंक से मध्यम अवधि कॉर्पोरेट ऋण	12,500.00	12,500.00
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरुप प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण 03-02-2020 को पहली निकासी से 1 वर्ष की मोहलत के बाद 16 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।		
b. पंजाब नेशनल बैंक से कॉर्पोरेट टर्म लोन		
पीएनबी से मध्यम अवधि कॉर्पोरेट ऋण (नेट)		
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरुप प्रभार द्वारा सुरक्षित। पहली निकासी से 2 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है: 30.12.2022 से 17 करोड़ रुपये की 12 समान किस्तें, 30.12.2025 से 34 करोड़ रुपये की 8 समान किस्तें और 30.12.2027 से 93.50 करोड़ रुपये की 4 समान किस्तें।	6,800.00	6,800.00

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
c.भारतीय स्टेट बैंक से रुपया टर्म लोन		
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समरुप प्रभार द्वारा सुरक्षित। पहली निकासी से 2 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है: 30.12.2022 से 17 करोड़ रुपये की 12 समान किस्तें, 30.12.2025 से 34 करोड़ रुपये की 8 समान किस्तें और 30.12.2027 से 93.50 करोड़ रुपये की 4 समान किस्तें। ऋण की चुकौती, आहरण की पहली तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के पश्चात निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी: 9वीं से 20वीं तिमाही के अंत में 25.00 करोड़ रुपये प्रत्येक; 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत में 50.00 करोड़ रुपये प्रत्येक; 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में 75.00 करोड़ रुपये प्रत्येक।	10,000.00	2,500.00
बाह्य वाणिज्यिक उधार		
[त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत संयंत्र, अगरतला और अगरतला गैस टरबाइन परियोजनाओं - विस्तार, अगरतला के संबंध में निर्मित / निर्मित की जाने वाली सभी चल और अचल संपत्तियों (संयंत्र, मशीनरी सहित) के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित। [एसबीआई, सिंगापुर ने 3 महीने की एलआईबीओआर ब्याज दर + 3.05% प्रति वर्ष मार्जिन के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ईसीबी ऋण मंजूर किया है (20 मार्च 2018 से मार्जिन घटाकर 2.75% प्रति वर्ष कर दिया गया है) । समझौते पर 9.12.2013 को हस्ताक्षर किए गए थे। अंतिम निकासी 4 जून 2014 को हुई थी। ईसीबी ऋण 20.06.2014 से 39 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है]	-	-
उप-योग	**91,300.00**	83,800.00
II असुरक्षित उधारी		
विदेशी मुद्रा ऋण		
केएफडब्लू, जर्मनी से ऋण		6,571.82
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया गया। 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण समझौता 11 दिसंबर 2008 और 20 दिसंबर 2017 को क्रमशः 3.46% प्रति वर्ष और 0.85% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर निष्पादित किया गया था। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है। 80 मिलियन यूरो की अंतिम ऋण किस्त 03.03.2016 को और 20 मिलियन यूरो 16.08.2018 को प्राप्त हुई थी। ऋण 30 बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में 30-12-2013 से और 20 बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में 30-12-2020 से चुकाने योग्य हैं।)		
(iii) मध्यम अवधि ऋण		0.00
पीएनबी से ऋण		
जोड़ कर : अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं		-
पीएनबी से ऋण (नेट)	**1000.00**	**0.00**
29.11.2023 को पीएनबी से 30000 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण, जिसकी परिपक्वता अवधि पहली निकासी की तिथि से 7 वर्ष है। ऋण पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ष के अंत में 1000 लाख रुपये प्रत्येक के लिए चुकाया जाना है, अर्थात 29.11.2024, 29.11.2025, 29.11.2026, 29.11.2027, 29.11.2028 और 6वें और 7वें वर्ष के अंत में 12500 लाख रुपये अर्थात 28.11.2029 और 28.11.2030 को। ऋण के लिए ब्याज दर @ पीएनबी आरएलएलआर-एलीट योजना के तहत 7.75% प्रति वर्ष है।		
उप-योग	**7,616.57**	**6,571.82**
उधार का उप-योग	**98,916.57**	**90,371.82**
III अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं:		
बांड:	4,992.14	5,941.46
केएफडबलयू से ऋण:	212.24	255.96
बाह्य वाणिज्यिक उधार	-	-
मध्यम अवधि ऋण	443.87	372.50
अधीनस्थ ऋण	-	-
माल की बिक्री पर टीसीएस अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं		-
उप कुल	**5,648.25**	**6,569.92**

नोट संख्या- 21 ए वर्तमान पट्टा देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयताएं	1,000.48	607.67
कुल	**1,000.48**	**607.67**

नोट संख्या- 22 व्यापार देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	1,242.61	424.75
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया	16,533.13	18,715.71
कुल	**17,775.74**	**19,140.46**

देय व्यापार में मार्च 2024 माह के लिए ईंधन लागत का भुगतान और मार्च 2024 के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं पर किए गए प्रावधान शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आपूर्ति और सेवाओं के लिए ऋणदाता	17,775.74	19,140.46

"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
i. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि	1,242.61	-
ii. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किए गए ब्याज पर देय राशि	शून्य	शून्य
iii. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
iv. भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान अवधि के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
v.अर्जित तथा बकाया ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
vi. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रुप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दी जाती।	शून्य	शून्य

31 मार्च 2024 तक एमएसएमई को देय राशि विक्रेताओं से दावों की प्राप्ति से 45 दिनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है और तदनुसार उक्त बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

व्यापार देयताओं की समय-सीमा :

विवरण	31 मार्च 2023 तक						
	बिल रहित बकाया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज= ख से छ
(i) एमएसएमई	1,144.54	98.07	-	-	-	-	**1,242.61**
(ii) अन्य	5,119.32	9,158.23	1,643.46	89.05	23.73	499.34	**16,533.13**
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया राशि – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**6,263.86**	**9,256.30**	**1,643.46**	**89.05**	**23.73**	**499.34**	**17,775.74**

विवरण	31 मार्च 2023 तक						
	बिल रहित बकाया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज= ख से छ
(i) एमएसएमई	335.27	89.48	-	-	-	-	**424.75**
(ii) अन्य	2,731.14	14,832.24	547.09	135.76	280.91	188.57	**18,715.71**
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया राशि – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**3,066.41**	**14,921.72**	**547.09**	**135.76**	**280.91**	**188.57**	**19,140.46**

वर्तमान देनदारियां

नोट संख्या- 23 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
I अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं :		
बांड	4,992.14	5,941.46
केएफडब्ल्यू से ऋण	212.24	255.96
बाह्य वाणिज्यिक उधार	-	-
मध्यम अवधि ऋण	443.87	372.50
अधीनस्थ ऋण	-	-
उप कुल	**5,648.25**	**6,569.92**
II. अन्य देयताएं		
पूंजीगत व्यय के लिए देय		
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	122.43	287.39
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा	4,816.47	13,089.40
कर्मचारियों के लिए देय लाभ	7,902.18	7,481.11
अन्य प्रावधान	9,866.12	68.52
अंतरिम लाभांश चालू वर्ष	-	35,000.00
ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिधारण राशि, ईएमडी, एसडी और अन्य अग्रिम राशि	14,335.55	13,426.51
उप कुल	**37,042.75**	**69,352.93**
कुल	**42,691.00**	**75,922.85**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006” में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
i. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि	122.43	-
ii. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किए गए ब्याज पर देय राशि		
iii. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।		
iv. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो कि भुगतान की गई है लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन से परे है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।		
v.अर्जित तथा बकाया ब्याज की राशि।		
vi. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रुप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दी जाती।		

31 मार्च 2024 तक एमएसएमई को देय राशि विक्रेताओं से दावों की प्राप्ति से 45 दिनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है और तदनुसार उक्त बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

नोट संख्या- 24 अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य वैधानिक बकाया:		
(i) देय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर	3,427.03	819.57
(ii) अन्य वैधानिक बकाया (सीपीएफ, एलआईपी एनईएसएस आदि)	1,457.58	1,400.89
लाभार्थियों से अग्रिम राशि	1,246.60	3,660.06
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के लिए आईसी से अग्रिम	-	259.90
परियोजना प्रभावित लोगों को मुफ्त बिजली	96.95	-
कुल	**6,228.16**	**6,140.42**

24(i) ठेकेदारों एवं अन्य लोगों से प्राप्त प्रतिधारण राशि सुरक्षा जमा होता है, जो कार्य/आपूर्ति बिल से काटी गई बयाना राशि से संबंधित है जिसका निपटान अनुबंध/आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार दोष दायित्व अवधि के बाद कार्य पूरा होने पर किया जाएगा।

24(ii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में 31 मार्च 2024 तक किया गया टीडीएस और मार्च 2024 के कार्यों/आपूर्ति बिल से काटा गया जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, जो देय नहीं हैं और रिपोर्टिंग तिथि तक जमा नहीं किए गए हैं।

24(iii) देय अन्य वैधानिक देयताओं में भविष्य निधि में निगम का अंशदान, एलआईसी प्रीमियम में कटौती, पेंशन अंशदान, भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान तथा मार्च के दौरान की गई अन्य कटौती शामिल है, जो देय नहीं है तथा रिपोर्टिंग तिथि तक जमा नहीं की गई है।

नोट संख्या- 25 अल्पावधि प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	361.48	-
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ	2,861.23	2,477.76
छुट्टी नकदीकरण	16,670.42	16,392.78
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	37.62	10.17
कुल	**19,930.75**	**18,880.71**

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति पर सोने का सिक्का शामिल है। चालू वर्ष के लिए प्रावधान की वहन राशि में वृद्धि/कमी मुख्य रुप से चालू वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रभार के शुद्ध प्रभाव और चालू वर्ष में भुगतान किए गए लाभों के कारण है।

25(i) . परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी संबंधित कर्मियों की ओर से कई परिभाषित योगदान योजनाओं में भाग लेती है। इन योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त कोई भी व्यय उन योजनाओं के नियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों पर अवधि के दौरान उनके द्वारा देय योगदान के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। बैलेंस शीट में शामिल एकमात्र राशि पिछले महीनों के योगदान से संबंधित है, जिनका भुगतान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक नहीं किया जाना था। कंपनी द्वारा संचालित प्रमुख परिभाषित योगदान योजनाएँ इस प्रकार हैं:

क) भविष्य निधि

भारतीय कानून के अनुसार, कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों ही कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान देती है, जो सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है।वर्ष के लिए फंड में कंपनियों का योगदान ₹ 3469.50 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3536.48 लाख) था। भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्य को भुगतान करने के लिए निवेश ने पर्याप्त ब्याज अर्जित किया है।

ख) सेवानिवृत्ति निधि

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के का.ज्ञा. संख्या 2(70) /08-डीपीई (डब्ल्यूसी) /जीएल-xiv/08 दिनांक 26.11.2008 और

का.ज्ञा. संख्या 2(70) /08-डीपीई (डब्ल्यूसी) /जीएल-vii/09 दिनांक 02.04.2009 के तहत जारी दिशा- निर्देशों अनुसार, कंपनी ने नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना तैयार की है। इस योजना का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट में कंपनी का योगदान वर्ष के लिए ₹ 2389.13 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2338.92 लाख) था।

25(ii) .परिभाषित लाभ योजनाएँ

क. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी

कंपनी के पास एक परिभाषित ग्रेच्युटी लाभ योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, वह सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है, जो अधिकतम 20.00 लाख रुपये तक हो सकता है। इसके लिए देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

01.04.2013 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने अपने संकल्प संख्या 195/16 दिनांक 1.4.2013 के तहत ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है, ताकि निगम की सेवाओं से अलग हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए धन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तदनुसार, 25 जून 2013 को नीपको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी आश्वासन निधि ट्रस्ट का गठन किया गया है और 5 अगस्त 2013 को भारतीय जीवन बीमा निगम से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी-सह-जीवन बीमा (नकद संचय) योजना नामक एक मास्टर पॉलिसी ली गई है।

31.03.2024 तक निधि शेष का आकलन करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एलआईसी के साथ लेन-देन नीपको की लेखा अनुसार हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
प्रारंभिक जमा	18,621.53	18,643.54
वर्ष के दौरान लेनदेन (शुद्ध डेबिट)	2,275.70	1,481.56
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज (नेट क्रेडिट)	1,331.13	1,459.55
जमा शेष	**17,676.96**	**18,621.53**

ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

"कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं के लिए अंशदायी योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और सेवानिवृत्त/मृतक के जीवनसाथी को अंशदायी आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो इस प्रकार है:

निकटतम प्राधिकृत/अनुमोदित अस्पताल की दरों तक सीमित इनडोर उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

पैनलबद्ध अस्पतालों में बाह्य-रोगी/घरेलू उपचार के लिए, नैदानिक परीक्षणों, जांच, दवाओं की लागत और अन्य ओपीडी व्ययों के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है, जो कि प्रति वर्ष अंतिम मूल राशि की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के अधीन होती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।"

ग. सेवानिवृत्ति पर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

एक अच्छी संगठनात्मक संस्कृति को पोषित और कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई ईमानदारीपूर्ण सेवाओं की सराहना करने के उद्देश्य से, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर निगम एक स्वर्ण सिक्का प्रदान कर रहा है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

25(iii) . अन्य कर्मचारी लाभ

क. छुट्टी

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) और अर्ध वेतन अवकाश प्रदान करती है जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन सालाना अर्जित होते हैं। अर्जित अवकाश लेखा केवल एक अनुभाग अर्थात नकदीकरण योग्य में रखा जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/निगम से अलग होने पर, 300 दिनों की अधिकतम सीमा के अधीन संपूर्ण अवकाश (अर्जित अवकाश और अधिकतम 240 दिन अर्ध वेतन अवकाश) नकदीकरण योग्य होगा। अर्द्ध वेतनिक छुट्टी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्द्ध वेतनिक छुट्टी के लिए देय नकद समतुल्य राशि आधे दिन के वेतन तथा महंगाई भत्ते के लिए स्वीकार्य अवकाश वेतन के बराबर होगी। इसके लिए देयता की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

कंपनी के पास अनुकंपा नियुक्ति के बदले सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी इस योजना में बराबर का योगदान देती है। इस योजना का उद्देश्य कंपनी के किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित लाभार्थियों को नकद लाभ प्रदान करना है, जिसमें स्थायी पूर्ण विकलांगता के कारण रोजगार समाप्त होना भी शामिल है।

नोट संख्या- 26 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
" आस्थगित राजस्व		
सरकारी अनुदान से उत्पन्न आस्थगित राजस्व	**21,213.71**	22,802.18
घटा कर : वर्ष के दौरान समायोजित	**1,586.70**	1,592.91
कुल	**19,627.01**	**21,209.27**

नोट संख्या- 26ए आस्थगित राजस्व चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क) सरकारी अनुदान से उत्पन्न आस्थगित राजस्व	1,586.70	1,592.91
जोड़ कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	1,586.70	1,592.91
घटा कर : वर्ष के दौरान समायोजित	1,586.70	1,592.91
उप योग	**1,586.70**	**1,592.91**
ख) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	9,978.04	9,600.09
कुल	**11,564.74**	**11,193.00**

"सरकारी अनुदान पर नोट (इंड एएस 20)

नीपको की अनुमोदित लेखांकन नीति में "सरकारी अनुदान" को शामिल और लेखांकन करना निहित है (नोट 1 का पैरा 14 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश) । भारत सरकार ने तुईरियल एचईपी के कार्यान्वयन के लिए नीपको को 29196.42 लाख रुपये की सहायक ऋण राशि को मंजूरी दी है, जिस पर परियोजना के "वाणिज्यिक संचालन की तिथि" से 1% प्रति वर्ष ब्याज देय होगा। उपरोक्त ऋण राशि में से नीपको को 31.03.2015 तक ₹ 29096.42 लाख प्राप्त हुए हैं तथा शेष ₹ 100.00 लाख वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त हुए हैं।31.03.2015 तक प्राप्त ऋण राशि (₹ 29096.42 लाख) को 01.04.2015 (भारतीय लेखा मानक संक्रमण तिथि) को नीपको की लेखा खाता में भारतीय लेखा मानक 101 (पूर्वव्यापी आवेदन के लिए अपवाद) के अनुपालन में उसके वहन मूल्य पर शामिल किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त ऋण राशि (₹ 100.00 लाख) के लिए, बाजार दर से कम ब्याज दर (जून 2015 तक प्रभावी एसबीआई आधार दर @ 9.70% मानते हुए) के कारण ऋण का लाभ ₹ 82.64 लाख है, जिसे सरकारी अनुदान के रूप में माना गया है और तदनुसार नीपको की लेखा खाता में शामिल किया गया है।"

सहायता अनुदान से अतिरिक्त धनराशि

केंद्र सरकार से प्राप्त "सहायता अनुदान" से खरीदे गए पुर्जों का कुल मूल्य ₹ 3659.53 लाख है और तदनुसार, असम गैस बेस्ड की लेखा विवरण में शामिल किया गया है। चालू अवधि के दौरान, मरम्मत और रखरखाव को डेबिट किया गया है और "सहायता अनुदान" के तहत पुर्जों के स्टॉक को ₹ 2.70 लाख (पिछले वर्ष ₹ 8.91 लाख) की राशि से क्रेडिट किया गया है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में एक समान राशि को आय के रूप में शामिल किया गया है।"

"पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुदान

विद्युत मंत्रालय के पत्र संख्या 7/7/2009-एच-आई दिनांक 14 जनवरी 2011 के तहत स्वीकृत निवेश अनुमोदन के अनुसार, तुईरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मिजोरम के लिए अनुमोदित फंडिंग पैटर्न के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) द्वारा ₹ 30000.00 लाख की राशि मंजूर की गई है। ₹ 300.00 करोड़ की कुल राशि अनुदान सहायता में शामिल है जो कि इसके परिचालन होने के बाद से परियोजना के मानक उपयोगी जीवन के दौरान परिशोधन के अधीन है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परिशोधित राशि ₹ 1584.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1584.00 लाख) है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में इस समतुल्य राशि को आय के रूप में शामिल किया गया है।"

नोट संख्या- 27 परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
ऊर्जा की बिक्री	3,25,400.29	3,49,174.31
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री	85,097.19	91,844.22
बिजली शुल्क	412.07	-
डीएसएम से राजस्व	6,742.40	3,962.75
आरआरएएस/टीआरएएस से राजस्व	1,088.68	1,254.35
अन्य :		
लाभार्थियों से एफईआरवी (नेट)	659.69	467.51
फाइलिंग फीस	127.78	71.46
लाभार्थियों से एनईआरएलडीसी शुल्क और अन्य शुल्क	895.86	596.86
रिएक्टिव एनर्जी की बिक्री	35.04	-
बिजली की बिक्री (शुद्ध)	**4,20,459.00**	**4,47,371.46**
अन्य परिचालन राजस्व :		
लाभार्थियों से ब्याज	1,911.04	6,762.37
आस्थगित राजस्व को शामिल कर - सरकारी अनुदान	1,586.70	1,592.90
परिचालन से शुद्ध राजस्व	**4,23,956.74**	**4,55,726.73**

क. बिजली की बिक्री का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा स्वीकृत टैरिफ के आधार पर लगाया जाता है। ऐसे बिजलीघरों के मामले में जहां अंतिम टैरिफ को सीईआरसी द्वारा अभी मंजूरी नहीं दी गई है, ऊर्जा की बिक्री केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम 2019 में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर प्रदान की जाती है। ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनके लिए न तो सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर लगाया जाता है। बिजली की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को वितरित की गई बिक्री शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, जिसे आमतौर पर "बिना बिल वाला राजस्व" कहा जाता है।

b. बिजली की बिक्री में शामिल हैं:-

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
वार्षिक निश्चित लागत (लंबित टैरिफ आदेश)	9,911.12	10,045.51
ऊर्जा प्रभारों की कमी के कारण वसूली (केएएचपीएस: 3103.37 लाख रुपये, पीएलएचपीएस: 1785.82 लाख रुपये, टीएचपीएस: 10207.08 लाख रुपये और डीएचपीएस: 4149.42 लाख रुपये)	19,245.69	-
टैरिफ को अंतिम रुप देने और ऑर्डर को सही करने से उत्पन्न पिछले वर्ष की बिक्री*	2,060.92	9,940.46
गैस ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण क्षमता प्रभार की हानि के लिए नीपको की याचिका संख्या 225/एमपी/2017 में सीईआरसी द्वारा मुआवजे का आदेश दिया गया।	4,622.92	-
चालू वित्त वर्ष में एजीबीपीएस और एजिजीबीपीएस के लिए ओपन साइकिल के मद में क्रमशः 52.45 लाख रुपये और 78.59 लाख रुपये का बकाया प्राप्त हुआ।	131.04	-
तुईरियल एचपीएस के लिए सहायक खपत और एनएपीएएफ का संशोधन	1,048.45	
वेतन पर असर	304.70	2,935.82
ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र	69.09	69.59
ग्रेच्युटी का अतिरिक्त प्रभाव	-	6,725.64
वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के लिए लाभार्थियों से सीधे वसूल की गई/वसूली योग्य राशि, जो वर्ष के दौरान पूरी हो गई।**	1,637.33	1,452.02
लाभार्थियों को दी जाने वाली छूट	(805.29)	(2,102.92)
	38,225.96	**29,066.12**

* 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, नीपको ने खानडोंग एचईपी (2 X 25 मेगावाट) , एजिजीबीपीएस (135 मेगावाट) और तुईरियल एचईपी के संबंध में सीईआरसी द्वारा 2014-19 के लिए जारी टैरिफ आदेशों और 2019-24 के लिए जारी टैरिफ आदेशों के कारण "ऊर्जा की बिक्री" के रुप में 2060.92 लाख रुपये और "लाभार्थियों से ब्याज" के रुप में 1911.04 लाख रुपये की आय प्राप्त किया। "ऊर्जा की बिक्री" के तहत उक्त राजस्व में खानडोंग एचईपी (413.98 लाख रुपये) और एजिजीबीपीएस (1646.95 लाख रुपये) शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें खांगडोंग एचपीएस (134.07 लाख रुपये) , एजिजीबीपीएस (1255.54 लाख रुपये) और तुईरियल एचपीएस (521.41 लाख रुपये) से संबंधित "लाभार्थियों से ब्याज" भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन विद्युत स्टेशनों के मामले में, जहां 2019-24 की अवधि के लिए अंतिम टैरिफ को सीईआरसी द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है, कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त अनंतिम राजस्व 9911.11 लाख रुपये को नीपको की लेखा खाता में शामिल किया गया है।

**सीईआरसी (शुल्क की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के विनियमन 67 के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए स्थगित कर देयताएं, जब भी वे वास्तविक होंगी, उन्हें उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों या लाभार्थियों या दीर्घकालिक ट्रांसमिशन ग्राहकों/डीआईसी से, जैसा भी मामला हो, सीधे वसूल किया जा सकेगा। तदनुसार, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री में पिछले वर्ष की राशि 47.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित 0.45 लाख रुपये के समायोजन के बाद ₹ 1452.02 लाख) को समायोजित करने के बाद ₹ 1637.33 लाख शामिल हैं।

c.एनईआरपीसी द्वारा जारी साप्ताहिक विवरण के अनुसार, डीएसएम और आरआरएएस का लेखा 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया है।

नोट- 28 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	358.77	526.77
जमा कार्यों के निष्पादन से आय	211.90	-
अन्य विविध प्राप्तियाँ	595.42	357.58
इनफार्म पावर	159.10	-
देयता/प्रावधान का पून: लेखांकन		
अन्य	493.32	7.77
लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	848.88	545.68
उप-योग	**2,667.39**	**1,437.80**
अन्य लाभ और हानि		
पीपीई के निपटान पर लाभ/(हानि)	45.74	2.93
	2,713.13	**1,440.73**
घटा कर : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित नोट 34 (ङ) और 34 (च) (i)	247.04	103.96
कुल	**2,466.09**	**1,336.77**

28(i) अन्य विविध प्राप्तियों में ट्रांजिट हॉस्टल किराया, ठेकेदारों से वसूली, जब्त ईएमडी, परियोजना परामर्श से आय, आवासीय/गैर-आवासीय भवन से किराए की वसूली, कर्मचारियों से ऋण पर ब्याज, ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से अन्य वसूली, निविदा पत्र की बिक्री आदि शामिल हैं।

28(ii) देयता/ प्रावधान का पुन: लेखांकन - अन्य में वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित देय पीआरपी (365.81 लाख रुपये) के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान और मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के लिए अन्य प्रावधान (127.51 लाख रुपये) शामिल हैं।

नोट संख्या-29 ईंधन लागत

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
गैस की खरीद	1,24,616.69	1,44,849.84
गैस के लिए परिवहन शुल्क	1,025.55	2,837.58
कुल	**1,25,642.24**	**1,47,687.42**

नोट- 30 कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी	38,994.51	42,561.99
भविष्य निधि में अंशदान	3,469.50	3,536.48
ग्रेच्युटी	723.62	1,013.86
एनईडीसीएसएस में योगदान	2,389.13	2,338.92
छुट्टी नकदीकरण	3,154.79	5,770.72
कर्मचारी कल्याण व्यय	101.84	136.41
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	732.04	676.44
कुल	**49,565.43**	**56,034.82**
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34(क) एवं 34(च) (ii)	6,279.65	4,628.68
लाभ एवं हानि विवरण में अग्रेषित किया गया	**43,285.78**	**51,406.14**

30(i) .पात्र कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी देय है, बशर्ते कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन प्रस्तुत करें और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। तदनुसार ब्याज सब्सिडी को उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमत वास्तविक भुगतान के आधार पर लेखा खाता में शामिल किया जाता है।

30(ii) . कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों के लिए निम्नलिखित शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और भत्ते	140.58	88.54
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	20.71	13.11
अन्य लाभ	27.53	35.91
कुल	**188.82**	**137.56**

30(iii) . कर्मचारी कल्याण व्यय में कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, अन्य सेवा कल्याण लाभ (सोने का सिक्का, गृह निर्माण ऋण पर ब्याज सब्सिडी, पट्टे पर आवास आदि) शामिल हैं।

नोट- 31 वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
क. ब्याज व्यय		
सीसी और डब्ल्यूसीडीएल सहित अल्पावधि उधार पर ब्याज	2,807.56	427.69
बांड पर ब्याज	29,477.83	38,873.73
दीर्घ, मध्यम एवं कॉर्पोरेट अवधि ऋण पर ब्याज	23,407.05	13,854.76
केएफडब्ल्यू ऋण पर ब्याज	949.38	1,075.22
भारत सरकार से ऋण पर ब्याज	291.96	291.96
ईसीबी ऋण पर ब्याज	-	444.69
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव-हानि/(लाभ)	93.56	757.22
ब्याज व्यय - पट्टे के अंतर्गत संपत्ति	210.01	125.94
ब्याज व्यय - अन्य	-	204.91
ख. वित्त प्रभार		
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क ईआईआर के बाद	496.15	540.81
ग. अन्य उधार लागत	72.42	164.02
कुल	**57,805.92**	**56,760.95**
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34(ख) और 34(च) (iv)	4,967.87	3,093.82
लाभ एवं हानि के विवरण में अग्रेषित की गई राशि	**52,838.05**	**53,667.13**

नोट- 32 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
पीपीई मूल्यह्रास (नोट संख्या-2)	85,086.61	82,828.51
अमूर्त संपत्ति (नोट संख्या-4)	717.46	845.29
उप-योग	**85,804.07**	**83,673.80**
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34सी) और 34 (च) (iii)	323.43	123.64
लाभ एवं हानि विवरण में अग्रेषित	**85,480.64**	**83,550.16**

नोट संख्या-33 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादन व्यय		
मरम्मत एवं रखरखाव :		
सड़कें एवं इमारतें	4,270.84	3,150.11
पावर हाउस	10,558.69	9,317.43
हाइड्रोलिक कार्य	2,507.14	1,312.46
लाइन एवं सब-स्टेशन	423.51	452.99
अन्य	1,570.70	993.18
भण्डार एवं पुर्जे (अनुदान सहायता के तहत)	2.70	8.91
"घटा कर : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित नोट संख्या - 34(घ) "	1,460.38	**1,908.23**
उप योग	17,873.19	**13,326.85**
प्रशासनिक व्यय		
यात्रा खर्च	593.05	564.83
विज्ञापन व्यय	554.19	90.48
बीमा शुल्क	7,324.45	8,128.30
किराया	56.10	50.67
दर एवं कर	22.23	19.13
मनोरंजन व्यय	178.40	34.74
लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय **[नोट 33(i) देखें]**	23.48	18.46
परिवहन व्यय	1,574.30	1,584.88
किराया शुल्क	-	1.98
मुद्रण एवं स्टेशनरी	69.68	61.28
डाक व्यय	3.39	3.37
चिकित्सा व्यय	1,690.98	1,379.43
लाइसेंस और पंजीकरण	30.68	33.91
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	0.44	1.44
वर्दी और पोशाक	516.54	1,018.08
मानदेय	11.96	2.26
बिजली शुल्क	321.01	478.55
बैंक शुल्क	26.53	237.10
सामाजिक कल्याण	1,386.77	1,245.30
परामर्श शुल्क	428.52	509.19
पेशेवर शुल्क	137.82	96.52
प्रारंभिक व्यय	10,955.68	-

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
सुरक्षा व्यवस्था	4,874.84	4,219.78
प्रशिक्षण का खर्च	260.43	211.63
स्टाफ भर्ती व्यय	39.04	0.27
अस्पताल सुविधाएं	71.52	85.10
सदस्यता एवं सदस्यता शुल्क	441.11	240.81
संचार व्यय	312.56	179.85
कार्यालय साज-सज्जा	34.52	15.50
विविध व्यय	555.07	986.79
आई.बी.	372.93	376.22
प्रयोगशाला एवं मीटर परीक्षण शुल्क	2.13	3.50
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	453.93	176.44
फोटोग्राफिक रिकॉर्ड	1.55	0.56
स्टॉक/अग्रिम की हानि को बट्टे खाते में डाला गया **[नोट 33(ii) देखें]**	1.81	18.56
ईडीपी व्यय	1,119.94	950.24
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	63.96	16.66
कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	454.42	422.42
आकस्मिक व्यय सौभाग्य	-	-
क्षतिग्रस्त/गैर-अनुरेखणीय संपत्ति **[नोट 33(ii) देखें]**	395.71	179.80
मुआवज़ा	265.95	14.68
बोर्ड मीटिंग का खर्च	70.92	52.83
प्रचार-प्रसार व्यय	588.42	203.12
कानूनी व्यय	910.26	522.24
सीईआरसी को फाइलिंग शुल्क	146.81	95.28
एनईआरएलडीसी फीस और शुल्क	1,089.21	731.07
अनुसंधान एवं विकास व्यय	2.92	59.88
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और एस.डी. **[नोट 46 देखें]**	764.20	508.78
आरआरएएस/टीआरएएस- व्यय	4,418.31	4,303.86
रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार	12.70	-
ट्रेडिंग व्यय	923.32	5,285.14
ऊर्जा संरक्षण व्यय	8.66	-
निविदा व्यय	0.05	-
कोविड 19 व्यय	-	13.46
स्वच्छ भारत व्यय	10.18	4.71
विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.50	295.56
घटा कर : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित	**13,894.29**	**2,633.86**
उप योग	30,679.79	33,100.78

विवरण	" मार्च 24 को समाप्त वर्ष के लिए"	मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य खर्चों		
बिजली शुल्क	197.04	416.49
डीएसएम शुल्क/देय	1,488.41	636.87
पीएम कुसुम	-	311.48
मध्यस्थता निर्णय [नोट 33(ii) देखें]	6,711.84	-
रुफ-टॉप सौर कार्यक्रम	-	170.71
आज़ादी का अमृत महोत्सव	7.08	86.76
बट्टे खाते में डालने का प्रावधान- अन्य **[नोट 33(ii) देखें]**	-	4,852.11
उप-योग	8,404.37	6,474.42
कुल	**56,957.35**	**52,902.05**

33(i) लेखापरीक्षा व्यय के संबंध में विवरण (₹ लाख में)

विवरण	" 31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए"	" 31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक के रुप में :		
लेखापरीक्षा शुल्क	14.96	10.80
सीमित समीक्षा	**6.81**	**6.48**
अन्य वर्ग में:		
अन्य सेवाएँ (प्रमाणन शुल्क)	**1.71**	**1.18**
कुल	**23.48**	**18.46**

33(ii) के लिए प्रावधान (₹ लाख में)

विवरण	" 31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए"	" 31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टॉक की हानि/कमी/संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम	1.81	18.56
क्षतिग्रस्त/ गैर-अनुरेखणीय संपत्ति	395.71	179.80
मध्यस्थता के मामले	6,711.84	-
बट्टे खाते में डालने का प्रावधान-अन्य*	-	4,852.11
कुल	**7,109.36**	**5,050.47**

* बट्टे खाते में डालने के लिए प्रावधान - अन्य में मुख्य रुप से टीएसईसीएल से प्राप्त होने वाले एलपीएस के विरुद्ध प्रावधान तथा परिसंपत्ति और इन्वेंटरी को बट्टे खाते में डालने के लिए अन्य प्रावधान शामिल हैं।

नोट संख्या-34 निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	" 31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए "	" 31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए "
(क) कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	2,383.00	3599.08
भविष्य निधि में अंशदान	223.40	288.63
ग्रेच्युटी	40.47	62.02
एनईडीसीएसएस में योगदान	149.27	193.62
छुट्टी नकदीकरण	165.28	476.22
कर्मचारी कल्याण व्यय	6.75	9.11
उप-योग	**2,968.17**	**4,628.68**
(ख) ब्याज एवं वित्त शुल्क		
i.ब्याज व्यय		
दीर्घ, मध्यम एवं कॉर्पोरेट अवधि ऋण पर ब्याज	4,227.28	3,075.67
ब्याज व्यय - पट्टे के अंतर्गत संपत्ति	9.18	17.04
iii. अन्य उधार लागत		1.11
उप-योग	**4,236.46**	**3,093.82**
C.मूल्यह्रास- उप-योग	**116.27**	**123.64**
D. उत्पादन व्यय		
मरम्मत एवं रखरखाव :		
सड़क एवं इमारतें	318.58	285.65
बिजली घर, अन्य संयंत्र और उपकरण	563.42	1,144.09
अन्य	578.38	478.49
उप-योग	**1,460.38**	**1,908.23**
E. प्रशासनिक व्यय		
यात्रा खर्च	46.16	46.50
बीमा शुल्क	838.58	800.57
किराया	41.81	38.05
दर एवं कर	0.11	0.17
मनोरंजन व्यय	4.89	0.51
परिवहन व्यय	160.84	221.29
मुद्रण एवं स्टेशनरी	5.01	6.42
डाक	0.06	0.27
चिकित्सा खर्च	77.69	98.17
लाइसेंस और पंजीकरण	0.67	1.67
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	0.07	0.01

विवरण	" 31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए "	" 31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए "
वर्दी और पोशाक	27.08	72.04
बिजली और पानी का शुल्क	259.43	165.23
बैंक शुल्क	0.38	4.87
समाज कल्याण	7.61	1.00
परामर्श शुल्क	-	92.64
व्यावसायिक शुल्क	99.92	
प्रारंभिक व्यय	10,949.26	
सुरक्षा व्यवस्था	447.00	665.84
प्रशिक्षण व्यय	10.05	17.00
अस्पताल सुविधाएं	4.06	7.58
संचार व्यय	20.29	13.00
कार्यालय साज-सज्जा	0.08	2.04
विविध व्यय	41.53	347.95
आई.बी. व्यय	4.58	11.50
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	284.39	
ईडीपी व्यय	10.00	19.44
कोविड 19 व्यय	-	0.10
उप-योग	**13,341.55**	**2,633.86**
कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
i. अन्य आय	(1.88)	-
ii. कर्मचारी लाभ व्यय	3,311.48	-
iii. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	207.16	-
iv. ब्याज और वित्त व्यय	731.41	-
v.अन्य खर्चे	552.74	-
उप-योग	**4,800.91**	**-**
कुल योग	**26,923.74**	**12,388.23**
G.घटा कर : गैर-परिचालन प्राप्तियाँ		
अग्रिम राशि से ब्याज	-	0.13
ट्रांजिट हॉस्टल की वसूली	0.18	-
किराये की वसूली	14.30	1.78
विविध आय*	71.58	102.05
इनफार्म पावर	159.10	-
उप-योग	**245.16**	**103.96**
कुल योग	**26,678.58**	**12,284.27**

*विविध आय में ठेकेदार से वसूली, निविदा पत्र की बिक्री, कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम का परिशोधन आदि शामिल हैं।

नोट संख्या- 35 प्रति शेयर आय

निम्नलिखित तालिका मूल एवं प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त आय एवं शेयर डेटा को दर्शाती है।

(₹ लाख में)

	विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	**कर पश्चात एवं विनियामक आस्थगन खातों से पूर्व लाभ (₹ लाख में)**		34,206.32
(ख)	**कर पश्चात लाभ एवं विनियामक आस्थगन खाते (₹ लाख में)**		39,688.79
	घटाएं: पतला भाग के लिए भुगतान की जाने वाली राशि (कर के बाद शुद्ध)		
	साधारण शेयरधारकों को देय लाभ - बेसिक ईपीएस के लिए		39,688.79
	सामान्य शेयरधारकों को देय लाभ - डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए		39,688.79
(ग)	बेसिक ईपीएस के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या		3609810400
	डाइल्यूटेड के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या - ईपीएस		3609810400
(घ)	सामान्य शेयरों का अंकित मूल्य (₹)		10.00
(ङ)	विनियामक आस्थगन खातों से पहले प्रति इक्विटी शेयर आय :		
	(i) मूल राशि (₹ में) (वार्षिकीकृत नहीं)		0.95
	(ii) डाइल्यूटेड (₹ में)		0.95
(च)	विनियामक आस्थगन खातों के बाद प्रति इक्विटी शेयर आय:		
	(i) मूल राशि (₹ में) (वार्षिकीकृत नहीं)		1.10
	(ii) डाइल्यूटेड(₹ में)	1.52	1.10

नोट संख्या - 36 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
आकस्मिक देयताएं:		
कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
- कैपिटल वर्क्स के खिलाफ लंबित मुकदमा	2,86,685.70	2,75,242.36
भूमि मुआवजा मामले	638.00	2,365.00
विवादित आयकर मांग	1,992.06	27,614.24
- अन्य # **[नोट 36(i) देखें]**	23,295.00	19,239.00
कुल	**3,12,610.76**	**3,24,460.60**
प्रतिबद्धताएँ :		
पूंजी अनुबंधों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम और जमा को घटाकर)	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	11,708.02	37,718.70

"36(i) 31 मार्च 2024 तक कंपनी के खिलाफ ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किए गए दावों में आयकर प्राधिकारियों से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर निर्धारण पूरा होने पर ₹ 1992.06 लाख की राशि के कर भुगतान की मांग शामिल है।

#31.03.2024 तक अन्य में न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण लंबित विभिन्न मामले शामिल हैं, जिनमें 32.00 लाख रुपये की ग्रेच्युटी, 64.00 लाख रुपये की ईपीएफ राशि, कुल कुल 665.00 लाख रुपये का मनी सूट और न्यू मेलिंग एचईपी और सीव नफरा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिए गए अनुबंधों के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त/सचिव (विद्युत) द्वारा पारित समाप्ति नोटिस को चुनौती देने वाली रिट याचिका और त्रिपुरा राज्य के दो जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के पूरा होने के एवज में नीपको से 22534.00 लाख रुपये की शेष राशि की वसूली।"

36(ii) मध्यस्थता न्यायाधिकरण/न्यायालयों के समक्ष कुछ मामले लंबित हैं, जिनके दावों की राशि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

36(iii) कंपनी इस मांग का विरोध कर रही है और इसके कर सलाहकारों सहित प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में इसकी स्थिति को सही ठहराया जाएगा। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम का कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

36(iv) कंपनी कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी का प्रबंधन यथोचित अपेक्षा नहीं करता है कि इन कानूनी कार्रवाइयों का, जब अंततः निष्कर्ष निकाला जाएगा और निर्धारित किया जाएगा, कंपनी के परिचालन के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

36(v) तुईरियल एचपीएस बनाम डी.ए. खुमा के बीच 195.34 लाख रुपये के पूंजीगत कार्य के खिलाफ मुकदमा लंबित है, जिसके लिए निचली अदालत ने ठेकेदार के पक्ष में 31.03.2024 को आदेश पारित किया है। निगम मामले की योग्यता का पता लगाने की प्रक्रिया में है। हालांकि, ठेकेदार ने "विवाद से विश्वास योजना-II" के तहत मामले का निपटारा करने की मांग की है। परियोजना स्थल पर मामले की जांच की जा रही है।

नोट संख्या 37 विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन

दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृति कंपनी मुख्य रुप से बिजली उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। टैरिफ जिसके आधार पर कंपनी अपने लाभार्थियों को बेची गई बिजली के लिए बिल देती है, समय-समय पर लागू सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के अनुपालन में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। उक्त विनियमन कंपनी को अपने उत्पाद या सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी लागत वसूलने के साथ-साथ उचित प्रतिफल प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

मान्यता एवं माप

- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2019-2024 की नियंत्रण अवधि के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको) की तुईरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (टीआरएचईपी) की वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी) के निर्धारण के दौरान, माननीय आयोग ने परियोजना (टीआरएचईपी) के आरसीई पर विचार करने के लिए आयोजित 04.06.2010 की बैठक के दौरान भारत सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के निर्णय के अनुरूप उक्त उद्देश्यों के लिए नीपको द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर 2% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी है जिसके लिए दिनांक 16.04.2021 को आदेश जारी किया गया।
- सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार दरें और पद्धति, जिसके आधार पर टीआरएचईपी के लिए मूल्यह्रास की गणना की गई है और विचाराधीन अवधि के लिए नीपको के लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया गया है, सीईआरसी आदेश के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूली की अनुमति से भिन्न है। सीईआरसी विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास की उच्च दर के कारण, टीआरएचईपी के वाणिज्यिक संचालन की तिथि (सीओडी) से परिचालन के प्रथम 12 (बारह) वर्षों के लिए लाभ एवं हानि लेखा विवरण में प्रभारित मूल्यह्रास, टैरिफ के माध्यम से वसूल किए जाने वाले मूल्यह्रास से अधिक होगा, जिसे उत्पादन स्टेशन के मानक जीवन की शेष अवधि के दौरान भविष्य की अवधि में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। तदनुसार, उत्पादन स्टेशन के संचालन की प्रारंभिक अवधि के दौरान "राजस्व" के रुप में प्राप्त कम मूल्यह्रास को बाद की अवधि के दौरान वसूल/समायोजित किया जाएगा।
- उपर्युक्त के मद्देनजर, भविष्य की अवधि में वसूली योग्य/समायोज्य सीमा तक मूल्यह्रास के अंतर को "नियामक आस्थगित खाता डेबिट/क्रेडिट शेष" के रुप में "नियामक आस्थगित खाता शेष की आवाजाही" में क्रेडिट/डेबिट द्वारा बिना छूट के आधार पर मान्यता दी गई है।"

विवरण	राशि (लाख रुपए में)
सीईआरसी दरों की अनुसूची के अनुसार मूल्यह्रास	6,987.08
दिनांक 09.10.2018 के टैरिफ आदेश के तहत सीईआरसी द्वारा अनुमत 2% की दर से मूल्यह्रास	2,813.38
अंतर (जिसे "विनियामक आस्थगित शेष" के रूप में शामिल किया गया है)	**4,173.70**

"कर्मचारी लाभ ग्रेच्युटी के खर्चों के संबंध में विनियामक स्थगन खाता शेष:

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2018 के माध्यम से ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 12) को अधिसूचित किया है और इसके फलस्वरुप ग्रेच्युटी की सीमा मौजूदा ₹ 10 (दस) लाख से बढ़ाकर ₹ 20.00 (बीस) लाख कर दी है।

सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम 2014 के विनियम 8 (3) में प्रावधान है कि "आयोग निम्नलिखित अनियंत्रित मापदंडों के प्रदर्शन के आधार पर उत्पादन स्टेशन के टैरिफ का निर्धारण करेगा: i) अप्रत्याशित घटना;, ii) कानून में परिवर्तन; और iii) प्राथमिक ईंधन लागत।

ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार सीमा को ₹20.00 लाख तक बढ़ाए जाने के कारण ग्रेच्युटी व्यय में वृद्धि "कानून में परिवर्तन" की श्रेणी में आती है।

तदनुसार, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगामी अवधि में लाभार्थियों से 4793.47 लाख रुपये की राशि वसूली योग्य होने की उम्मीद है, जिसे 31.03.2018 तक नीपको (कंपनी) की पुस्तकों में "विनियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता दी गई है। नीपको की याचिका संख्या 718/एमपी/2020 के मद्देनजर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 23.01.2023 के आदेश के तहत नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए "अतिरिक्त ओ एंड एम व्यय" के रूप में ग्रेच्युटी सीमा की उपरोक्त वृद्धि के प्रभाव की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है। तदनुसार, माननीय आयोग द्वारा अनुमत राशि को ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान "विनियामक आस्थगित खाता शेष" के अंतर्गत जमा ₹ 4793.47 लाख के प्रत्यावर्तन के साथ "परिचालन से राजस्व" के अंतर्गत मान्यता दी गई है।"

"परिचालनाधीन परियोजनाओं के लिए आस्थगित कर देयताओं पर आस्थगित समायोजन के संबंध में विनियामक आस्थगित खाता शेष:

नीपको ने अपने परिचालनाधीन उत्पादन स्टेशनों से उत्पन्न बिजली को बेचने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों (जिन्हें 'लाभार्थी' कहा जाता है) के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) किया है। नीपको के उत्पादन स्टेशनों के लिए टैरिफ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी उनके अधिसूचित टैरिफ नियमों के अनुपालन में निर्धारित किया जाता है। सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के अनुसार, आरओई को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लागू प्रभावी कर दर के साथ जोड़ा जाता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान बिजली की बिक्री से उत्पन्न आय पर उपार्जित आस्थगित कर और भविष्य की अवधि में आगे समायोज्य/प्रत्यावर्तन, जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक हिस्सा बन जाएगी और लाभार्थियों से वसूली योग्य होगी, को "आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन" के रूप में हिसाब में लिया गया है, जिसे "विनियामक आय" के रूप में मान्यता दी गई है और भारतीय लेखा मानक 114 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में एक अलग लाइन मद के रूप में "विनियामक आस्थगित खाता शेष" में एक संचलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के पुनर्वर्गीकरण के कारण विनियामक आस्थगन खाता शेष

"सीईआरसी (टैरिफ विनियमन की शर्तें और नियम) 2019 के विनियमन 67 के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देयताएं, जब भी वे वास्तविक होंगी, उन्हें विद्युत उत्पादक कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों द्वारा तत्कालीन लाभार्थियों या दीर्घकालिक ग्राहकों से सीधे वसूल किया जा सकेगा, जैसा भी मामला हो। 31 मार्च, 2019 तक भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाले आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इसे "नियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय लेखा मानक 114 के अनुरुप इसकी समीक्षा की गई है और इसे विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली या उन्हें देय राशि को विनियमित परिसंपत्तियाँ (+) /देयता (-) के रूप में लेखा में निम्नानुसार रखा गया है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	विनियामक आस्थगन खाता शेष
क	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष राशि	37,171.49
ख	31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि (परिसंपत्तियां (+) / देयताएं (-)	-
ग	अवधि के दौरान एकत्रित राशि (-) /वापस की गई राशि (+)	(1,589.79)
घ	लाभ और हानि विवरण (ख-ग) में शामिल प्राप्त विनियामक आय/(व्यय)	(1,589.79)
ङ	31.03.2024 तक अंतिम शेष राशि (क + घ)	35,581.70

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर के संबंध में विनियामक आस्थगन खाता शेष

भारतीय लेखा मानक 21 के पैरा 28 - "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" में यह प्रावधान है कि मौद्रिक मदों के निपटान या मौद्रिक मदों को उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित किया गया था, उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होंगे जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, इंड एएस 101 के पैरा डी13 एए - "भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना" में प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाला पिछले जीएएपी के अनुसार पहले इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से तुरंत पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, 01.04.2016 को या उसके बाद शुरु होने वाली अवधि के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत में समायोजन के रूप में मानी जाने वाली सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर के अलावा मौद्रिक वस्तुओं के परिवर्तन/निपटान पर उत्पन्न होने वाले सभी विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में चार्ज किया जाना है। सीईआरसी (शुल्क की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन के विनियम 69 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक उत्पादन कंपनी और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को विदेशी विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उस अवधि में आय या व्यय के रूप में वसूल करना होगा, जिसमें यह परिवर्तन उत्पन्न हुआ है।

लाभार्थियों को दिए जाने वाले एमएटी क्रेडिट के संबंध में विनियामक आस्थगन खाता शेष:

"वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 से शुरु होने वाली अवधि के लिए 24525.30 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के लिए एमएटी क्रेडिट पात्रता को मान्यता दी। एमएटी क्रेडिट के उपयोग के परिणामस्वरूप भविष्य के वर्षों में प्रभावी कर दर कम होगी।

तदनुसार, लाभार्थियों के संबंध में उक्त एमएटी क्रेडिट पात्रता के अनुरुप 19143.61 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) का 'नियामक आस्थगित खाता शेष' भी मान्यता प्राप्त कर लिया गया है।"

ट्यूरियल एचपीएस-आर्बिट्रल अवार्ड के संबंध में विनियामक आस्थगन खाता शेष:

"निर्माण गतिविधियों के निष्पादन के दौरान, 2004 में, तुईरिअल मुआवजा दावेदार एसोसिएशन द्वारा बंद और सड़क नाकाबंदी का आह्वान किया गया था, जिसके परिणामस्वरुप परियोजना स्थल पर सिविल कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। विद्युत मंत्रालय ने आरम्भ में नीपको को केवल प्रारंभिक कार्य करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद विद्युत मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि परियोजना से संबंधित सिविल कार्य 09.06.2004 से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यद्यपि उक्त अवधि के दौरान निर्माण गतिविधियां स्थगित रखी गईं, लेकिन परियोजना में सभी प्रशासनिक गतिविधियां जारी रहीं। हालांकि, परियोजना पर तकनीकी और प्रशासनिक कार्य जारी रहा। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.11.2011 को परियोजना के लिए सीसीईए की मंजूरी से संबंधित दी गई सूचना के अनुसार पर परियोजना में निर्माण कार्य 14.01.2011 से फिर से शुरु हुआ और परियोजना को वित्त वर्ष 2017-18 में चालू किया गया।

प्लांट में काम बंद होने के कारण ठेकेदार ने आर्बिट्रेशन के तहत केस दायर कर दिया।

दिनांक 21-08-2016 (लॉट-I/II/III) और 14-10-2016 (2- सड़कें) के मध्यस्थता निर्णय और उसके बाद ठेकेदार के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 30-05-2023 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, 31.03.2024 तक लेखा पुस्तकों में एक प्रावधान बनाया गया था।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, ऐसी लागतों को टैरिफ निर्धारण में शामिल करने की अनुमति देते हैं, यदि निर्माण गतिविधियों का बंद होना परियोजना डेवलपर के नियंत्रण से बाहर हो।तदनुसार, तथा दर विनियमित गतिविधियों पर मार्गदर्शन नोट और भारतीय लेखा मानक 114 के अनुरुप, उपर्युक्त व्यय को नियामक आस्थगन खाता (डेबिट) शेष के रूप में मान्यता दी गई है।

भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार लेखा पुस्तकों में लाभ और हानि के विवरण में दर्ज राशि को तुईरिअल हाइड्रो पावर स्टेशन के आर्बिट्रेशन अवाड के संबंध में भारतीय लेखा मानक 114 के अंतर्गत विनियामक आस्थगन खाता शेष के रुप में मान्यता दी गई है। लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत राशि को परियोजना की अवधि अर्थात् 40 वर्षों के दौरान सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार मूल्यह्रास के अनुपात में परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा। लाभ-हानि खातों के विवरण पर लगाए गए मध्यस्थता निर्णय के ब्याज वाले हिस्से को लाभार्थियों से सीईआरसी द्वारा अधिसूचित 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमन के खंड संख्या 91 के अनुरुप वसूल किया जाएगा।

तदनुसार, प्रबंधन का मानना है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन, टुरिअल हाइड्रो पावर स्टेशन के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष की भविष्य की वसूली के लिए जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की संभावना नहीं है।"

कोपिली एचपीएस-आर्बिट्रल अवार्ड के संबंध में विनियामक आस्थगन खाता शेष।

कोपिली जलविद्युत परियोजना के लिए कोपिली नदी पर खांडोंग बांध और उमरोंग धारा पर उमरोंग बांध के निर्माण का ठेका वित्तीय वर्ष 1977-78 में दिया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान, लंबी दूरी से रेत लाने और नई खदान की स्थापना के कारण अतिरिक्त/अतिरिक्त व्यय के लिए ठेकेदार के साथ विवाद उत्पन्न हुआ। मामले को उक्त दावे के निपटान के लिए मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। इस बीच, ठेकेदार ने विवाद से विश्वास-II योजना (वीएसवी-II) के माध्यम से अपने दावे उठाए। उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और वर्तमान वित्तीय वर्ष में ठेकेदार को दावा राशि का भुगतान किया गया। सीईआरसी टैरिफ विनियमन गतिविधियों के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए ऐसी लागतों को शामिल करने की अनुमति देता है जो परियोजना डेवलपर के नियंत्रण से बाहर थी। तदनुसार, और दर विनियमित गतिविधियों और भारतीय लेखा मानक 114 पर मार्गदर्शन नोट के अनुरुप, उपर्युक्त व्यय को नियामक आस्थगित खाता (डेबिट) शेष के रूप में मान्यता दी गई है।

इंड एएस 16 के अनुसार खातों की पुस्तकों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाई गई राशि को विवाद से विश्वास-II योजना (वीएसवी-II) के माध्यम से निपटाए गए मध्यस्थ पुरस्कार के संबंध में इंड एएस 114 के तहत विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी गई है।

खातों की पुस्तकों में पूंजीकृत राशि को परियोजना के जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार मूल्यह्रास के अनुपात में परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा। लाभ और हानि खातों के विवरण पर लगाए गए मध्यस्थ पुरस्कार का ब्याज हिस्सा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों के खंड संख्या 91 के अनुरुप लाभार्थियों से वसूल किया जाएगा।

तदनुसार, प्रबंधन का मानना है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष की भविष्य की वसूली के लिए जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की संभावना नहीं है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष - मान्यता प्राप्त (नोट 16 देखें) :

भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली/उनको देय होने वाली विनियामक परिसंपत्तियां लेखा पुस्तकों में निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवारण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ए. प्रारंभिक जमा	99,295.21	92,344.55
बी. वर्ष के दौरान होने वाले संचलन के कारण		
(i) तुईरियल मूल्यहास	4,173.70	4,113.61
(ii) आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन	7,980.98	10,542.90
(iii) आस्थगित कर वसूली योग्य	(1,589.79)	(1,452.47)
(iv) तुईरियल एचपीएस-आर्बिट्रल अवार्ड	4,398.98	-
(v) कोपिली एचपीएस-आर्बिट्रल अवार्ड	470.47	-
(vi) एमएटी क्रेडिट लाभार्थियों को दिया जाएगा	(18,128.66)	-
(vii) कर्मचारी लाभ-ग्रेच्युटी	-	(4,793.47)
(viii) विनिमय अंतर	-	(1,459.91)
वर्ष के दौरान कुल संचलन	**(2,694.32)**	**6,950.66**
सी. वर्ष के दौरान एकत्रित/वापस की गई राशि	-	-
डी. लाभ और हानि विवरण (बी-सी) में शामिल विनियामक आस्थगित खाता शेष	(2,694.32)	6,950.66
ई.समापन शेष (ए+डी)	**96,600.89**	**99,295.21**
एफ.विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध संचलन (I)	(2,694.32)	6,950.66
जी. विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध संचलन पर कर (II)	(192.98)	1,468.19
एच. वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि (I - II)	**(2,501.34)**	**5,482.47**

"विनियामक आस्थगित खाता शेष की मान्यता के लिए विचार की जाने वाली वापसी/छूट दर विनियामक आस्थगित खाता शेष की भविष्य की वसूली से जुड़ा जोखिम/अनिश्चितता "शून्य" है

• मांग जोखिम: विनियामक आस्थगित शेष की वसूली, लाभार्थियों को बिल भेजने के अधीन होती है और तदनुसार संबंधित सामान्य जोखिमों से जुड़ी होती है, जैसे, ग्राहकों का अपने बकाये के निपटान के प्रति रवैया, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की उपलब्धता आदि।

• विनियामक जोखिम: विनियमन और दर निर्धारण आवेदन की प्रस्तुति या अनुमोदन या अपेक्षित भविष्य की विनियामक कार्रवाइयों पर इकाई का आकलन में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो।वह अवधि जिसके दौरान सुधार की उम्मीद है

• अन्य: कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह परियोजनाओं/उत्पादन स्टेशनों के मानक उपयोगी जीवन की अवधि में विनियामक आस्थगन खाता शेष की अग्रणीत राशि को वसूल/समायोजित कर लेगी।"

नोट संख्या - 38: संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(क) संबंधित पक्षों की सूची

क. होल्डिंग कंपनी: एनटीपीसी लिमिटेड.

भारत सरकार के पास 26 मार्च 2020 तक नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व था। हालाँकि, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच 25 मार्च 2020 को हुए शेयर खरीद समझौते के अनुसार शेयर हस्तांतरण के माध्यम से 27 मार्च 2020 को पूरा हो गया। एनटीपीसी लिमिटेड के पास 31 मार्च 2024 तक नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व हित है।

ख. संयुक्त उपक्रम :

केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, 8-2-293/82/ए/431/ए, रोड नंबर 22, जुबली हिल्स, हैदराबाद – 500 033, भारत। इस संयुक्त उद्यम में नीपको लिमिटेड की 30% हिस्सेदारी है।

ग. कंपनियों/निगमों के नाम जो होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम हैं

1. एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड
2.एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
3. एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
4. भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
5. पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
6. मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
7. एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड
8. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
9. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लि.
10. हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
11. झाबुआ पावर लिमिटेड
12. रत्ना गिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
13. टीयूएससीओ लिमिटेड
14. यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड
15. एनटीपीसी-जीई पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
16.एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड
17. एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
18. अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
19.एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20. ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स केरल लिमिटेड.
21.नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
22. सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
23. अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड.
24. त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड
25.बांग्लादेश-भारत फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

घ. वे कंपनियाँ जिनमें निदेशक स्वयं निदेशक होते हैं

1. एनएचपीसी लिमिटेड
2. नॉर्थ ईस्ट इंडिया आयुष कंसोर्टियम लिमिटेड.
3. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
4. एनएचडीसी लिमिटेड
5. एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
6. टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड
7. टीयूएससीओ लिमिटेड

ई. नीपको के निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

(i) पूर्णकालिक निदेशक:

1 श्री आर.के.विश्नोई	02.06.2022 से 31.05.2023 तक सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार और 02.06.2022 से 17.04.2023 तक निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार।
2. श्री गुरदीप सिंह	01.06.2023 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार
3. श्री बी. महाराणा	निदेशक (वित्त) सह मुख्य वित्त अधिकारी।
4. श्री रनेन्द्र शर्मा	निदेशक (तकनीकी) 18.04.2023 से प्रभावी
5. श्री दिलीप कुमार पटेल	निदेशक (कार्मिक) 18.07.2023 से 31.07.2023 तक तथा 14.09.2023 से 24.09.2023 तक
6. मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम (सेवानिवृत्त)	निदेशक (कार्मिक) दिनांक 25.09.2023 से

(ii) . स्वतंत्र निदेशक :	
1. डॉ विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र निदेशक
2. श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक
(iii). नामित निदेशक	
1. श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य	नामित निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड 30.11.2023 तक
2.श्री जय कुमार श्रीनिवासन	नामित निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड।
3. शंभू नाथ त्रिपाठी	नामांकित निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड. 15.12.2023 से
4. श्री जितेश जॉन	भारत सरकार के नामित निदेशक 30.11.2023 तक
5. पीयूष सिंह	भारत सरकार के नामित निदेशक दिनांक 20.02.2024 से
(iv) कंपनी सचिव	
श्री अबिनोम पनू रोंग	कंपनी सचिव

बी) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद		
सहयोगियों को वस्तुओं की बिक्री	-	-
कच्चे माल की खरीद	-	-
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री : एनवीवीएन	85097.19	91,844.22
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री : पीटीसी		-
		91,844.22
अन्य लेनदेन		
एनटीपीसी लिमिटेड को लाभांश के रुप में भुगतान किया गया/देय		
(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश	-	1,500.00
(ख) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश		35,000.00
(ख) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश	25,000.00	-
ट्रेडिंग व्यय के लिए एनवीवीएन लिमिटेड - व्यावसायिक शुल्क	75.65	133.68
ट्रेडिंग व्यय के लिए पीटीसी लिमिटेड - व्यावसायिक शुल्क	-	-
एनटीपीसी लिमिटेड	56.46	5.19
ई-वाहन किराये पर लेने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड	8.01	7.88
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	9,707.39	9,412.55
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन योजना ट्रस्ट	3,724.08	3,742.62
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	2,477.76	2,477.76
एनईईपीसीओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट	-	892.41
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	41.71	44.31
सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों/फर्मों और कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम, जिसमें निदेशकों की रुचि हो	-	-
कुल	**41,091.06**	**53,216.40**

सी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के लिए मुआवजा

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
वेतन और भत्ते		109.71
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	24.00	15.24
अन्य लाभ	31.07	38.41
सिटिंग फीस	16.99	16.11
कुल	**235.27**	**179.47**

डी) संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि

(₹ लाख में)

(i) से वसूली योग्य राशि	31.03.2024	31.03.2023
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	-	-
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन योजना ट्रस्ट	-	-
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	174.71	246.17
नीपको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट	-	153.17
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एनटीपीसी लिमिटेड	5.54	11.03
टीडीएस के लिए एनवीवीएन लिमिटेड	0.33	2.05
एनवीवीएन से प्राप्य	4,527.68	2,401.46

(₹ लाख में)

(ii) देय राशि	31.03.2024	31.03.2023
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	875.14	780.88
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन योजना ट्रस्ट	305.12	305.79
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	2,861.23	2,477.76
नीपको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी आश्वासन निधि ट्रस्ट	361.48	-
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	3.39	3.55
एनटीपीसी लिमिटेड - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश	-	35,000.00
ई-वाहन किराये पर लेने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड	1.38	0.59
एनटीपीसी लिमिटेड	43.76	-

एक ही सरकार के अधीन कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य संस्थाएं:

सरकार के साथ संबंधों का नाम और प्रकृति

(₹ लाख में)

कंपनी का नाम	रिश्ते की प्रकृति
भारत सरकार	होल्डिंग कंपनी में शेयरधारक जिसका कंपनी पर नियंत्रण है
एनटीपीसी लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी (100%)

(₹ लाख में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा लेनदेन की प्रकृति	31.03.2024	31.03.2023
ऑयल इंडिया लिमिटेड	गैस की खरीद	80829.20	83051.09
बीएचईएल	स्पेयर्स की आपूर्ति	5298.93	4860.20
आईओसी लिमिटेड	गैस/एचएसडी/लुब्रिकेंट की खरीद	189.01	2168.19
ओएनजीसी	गैस की खरीद	15862.41	16707.66
गेल (इंडिया) लिमिटेड	गैस की खरीद	28165.56	42187.31
कुल		**130345.11**	**148974.45**

(₹ लाख में)

सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन जिसका होल्डिंग कंपनी (एनटीपीसी लिमिटेड) पर नियंत्रण है	31.03.2024	31.03.2023
भारत सरकार (जीओआई) को दिए गए विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	491.03	528.35
कंपनी द्वारा भारत सरकार को दिए गए अधीनस्थ ऋण पर ब्याज	291.96	291.96

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर तथा उचित मूल्य पर किया जाता है।

नोट संख्या 39 अतिरिक्त प्रकटीकरण

क. कंपनी ने रिपोर्टिंग तिथि तक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे लिया गया था।

ख. हटाई गई कम्पनियों के साथ संबंध: चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हटाई गई कम्पनियों के साथ कोई लेनदेन और बकाया शेष नहीं है।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च 2024 तक बकाया शेष राशि	31 मार्च 2023 तक बकाया शेष राशि	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध
		शून्य			

ग. (i) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के पास दाखिल तिमाही रिटर्न या चालू परिसंपत्तियों के विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(ii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।"

घ. मांग पर चुकाने योग्य या पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना, कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है।

ङ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरु नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

च. कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे किसी भी प्रकार के आरोप या संतुष्टि का कोई मामला अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है।

छ. कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।

ज. कंपनी के खातों में कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए निवेश संपत्ति का उचित मूल्यांकन लागू नहीं होता है।

झ. वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ञ. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ट. कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है या ली नहीं है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, यानी अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

ठ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई योजना या व्यवस्था अनुमोदित नहीं की गई है।

ड. अघोषित आय: कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय या किसी भी लेनदेन को सरेंडर या प्रकट नहीं किया है। वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कोई तलाशी या सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा, कंपनी के पास पहले से अलिखित कोई आय और संबंधित परिसंपत्तियां नहीं हैं (पिछले वर्ष शून्य) ।

ढ. क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी: कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है (पिछले वर्ष शून्य)

अनुपात का प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

अनुपात	अंश-गणक	भाजक	31.03.2024 को	31.03.2023 को	% विचरण	विचरण का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देयताएँ	0.536	0.554	(3.29)	चालू वित्त वर्ष के लिए चालू परिसंपत्तियाँ कम हैं जबकि चालू देयताएँ पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक हैं।
ऋण इक्विटी अनुपात	चुकता ऋण पूंजी (दीर्घकालिक उधार+अल्पकालिक उधार)	शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	1.088	1.082	0.49	चालू वित्त वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण में वृद्धि हुई है, जबकि पिछली अवधि की तुलना में कुल इक्विटी में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि हुई है।
ऋण-सेवा कवरेज अनुपात	वर्ष के लिए लाभ+वित्त लागत मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय+असाधारण मदें	वित्त लागत + पट्टा भुगतान+दीर्घकालिक उधारों का निर्धारित मूलधन पुनर्भुगतान	1.142	1.138	0.33	पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ऋण सेवाओं में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	वर्ष का लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.08	0.06	33.77	पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि के कारण अनुपात बेहतर है
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	33.95	33.01	2.87	पिछले वर्ष की तुलना में औसत इन्वेंट्री में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	परिचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	4.76	6.36	(25.20)	चालू अवधि के लिए औसत देनदारों में कमी के कारण अनुपात कम है
व्यापार देयता कारोबार अनुपात	कुल खरीद (ईंधन लागत + अन्य खर्च + इन्वेंटरी बंद करना-इन्वेंट्री खोलना)	अंतिम व्यापार देय	9.89	14.40	(31.31)	नेट क्रेडिट खरीद में कमी के कारण अनुपात कम है
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी+दीर्घकालिक उधार पूंजी+दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता	3.65	4.16	(12.43)	पिछले वर्ष की तुलना में कार्यशील पूंजी में वृद्धि के कारण अनुपात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम दिखाई दिया

अनुपात	अंश-गणक	भाजक	31.03.2024 को	31.03.2023 को	% विचरण	विचरण का कारण
शुद्ध लाभ अनुपात	वर्ष का लाभ	परिचालन से राजस्व	0.13	0.09	48.45	पिछले वर्ष की तुलना में पीएटी में वृद्धि के कारण अनुपात चालू वित्त वर्ष में बेहतर है।
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी(i)	0.07	0.09	(15.88)	पिछली अवधि की तुलना में ईबीआईटी में कमी और नियोजित पूंजी में वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुपात में कमी आई है।
निवेश पर प्रतिफल (ii) - सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	{एमवी(टी1) – एमवी(टी0) – योग [सी(टी1)]}	{एमवी(टी0) + योग [डब्ल्यू(टी) * सी(टी2)]}	-	-	-	नीपको के लिए निवेश दोनों वित्तीय वर्षों के लिए शून्य है।
निवेश पर रिटर्न(ii) - दूसरों में निवेश	{एमवी(टी1) – एमवी(टी0) – योग [सी(टी1)]}	{एमवी(टी0) + योग [डब्ल्यू(टी) * सी(टी2)]}	-	-	-	नीपको के लिए निवेश (या तो एसटीडीआर में या अन्य निवेशों में) दोनों वित्तीय वर्षों के लिए शून्य है।

** विभाजक नकारात्मक है

(i) नियोजित पूंजी = मूर्त निवल संपत्ति + कुल ऋण + आस्थगित कर देयताएं

(ii) जहां निवेश पर रिटर्न

टी1 = समयावधि का अंत

टी = टी1 और टी0 के बीच आने वाली विशिष्ट तिथि

एमवी(टी1) = टी1 पर बाजार मूल्य

एमवी(टी0) =टी0 पर बाजार मूल्य

सी(टी1) = प्राप्त लाभांश सहित विशिष्ट तिथि पर नकदी प्रवाह, नकदी बहिर्वाह

सी(टी2) = प्राप्त लाभांश को छोड़कर विशिष्ट तिथि पर नकदी प्रवाह, नकदी बहिर्वाह

डब्ल्यू(टी) = दिन 'टी' पर शुद्ध नकदी प्रवाह (यानी शुद्ध अंतर्वाह या शुद्ध बहिर्वाह) का भार, [टी1 - टी] / टी1 के रूप में गणना की गई है

जे(I) कोपिली एचपीएस (50X4 मेगावाट) पर प्रकटीकरण:

(i) कंपनी के कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन, उमरंगसो, असम की 02 (दो) यूनिट (50 मेगावाट प्रत्येक) के पेनस्टॉक I के फिडिंग में 07.10.2019 को लोड थ्रू ऑफ और यूनिट- I (50 मेगावाट) के ट्रिपिंग के बाद खराबी आ गई। दुर्घटना के दौरान 03 (तीन) अन्य यूनिटें पूरे लोड पर थीं। पेनस्टॉक के तीन स्थानों पर दरार पड़ी, जिसमें वाल्व हाउस के डाउनस्ट्रीम का स्थान भी शामिल था। घटना में पेनस्टॉक सुरक्षा वाल्व बंद करने की प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई और इसलिए, पेनस्टॉक को अलग करने के लिए वाल्व को बंद नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप, बहुत ही कम समय में पावर हाउस ईओटी क्रेन बीम स्तर तक पानी से भर गया। उक्त उत्पादन संयंत्र की मरम्मत, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरआरएम) गतिविधियाँ चल रही हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक, कोपिली एचपीएस (50X4 मेगावाट) की चार इकाइयों में से तीन इकाइयों का सीओडी पहले ही पुनः चालू कर दिया गया हैं अर्थात यूनिट # 4: सीओडी 20.08.2023 के 00:00 बजे से घोषित, यूनिट # 3: सीओडी 03.09.2023 के 00:00 बजे से घोषित और यूनिट # 2: सीओडी 12.11.2023 के 00:00 बजे से घोषित किया गया। टर्बाइन शाफ्ट फ्री एक्टिविटी पूरी हो गई है। जेनरेटर अधिष्ठापन का काम प्रगति पर है। अंतिम इकाई यानी यूनिट #1 मई 2024 तक आने की उम्मीद है।

जे (II) खांडोंग एचपीएस (2 X 25 मेगावाट) और कोपिली स्टेज II (1 X 25 मेगावाट) एचपीएस पर प्रकटीकरण:

कोपिली नदी में सूखे के मौसम में आई अभूतपूर्व बाढ़ के परिणामस्वरुप, नियोजित मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने के लिए एप्रोच चैनल पर बनाया गया बांध 26 मार्च 2022 को टूट गया, जिससे कोपिली जलाशय से खांडिंग एचआरटी में पानी का अनियंत्रित प्रवेश हुआ। यह पानी पहाड़ी ढलानों से बहते हुए खांडोंग पावर हाउस (2 X 25 मेगावाट) और कोपिली स्टेज II पावर हाउस (1 X 25 मेगावाट) को जलमग्न कर देता है, जिससे पावर स्टेशनों और उसके संयंत्र व मशीनरी को नुकसान पहुंचता है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। वाई-पीस की नींव में आरसीसी का काम, इंटरमीडिएट बीम लेवल तक वाल्व हाउस, पावर हाउस की दीवार और फर्श का नवीनीकरण कार्य जारी है। अंदर से दीवार की पुट्टी की सफाई का काम 80% और बाहर से 20% पूरा हो गया है। ईंट का काम 100% और प्लास्टरिंग 95% पूरा हो गया है, टेल रेस चैनल नवीनीकरण कार्य: संरक्षण कार्य जैसे टीआरसी के दोनों ओर पत्थर की चिनाई, टेल रेस चैनल नवीनीकरण कार्य : संरक्षण कार्य जैसे टीआरसी के दोनों ओर पत्थर की चिनाई कार्य पूरे हो गए हैं। ईएम पैकेज के लिए प्लांट लेवल इंजीनियरिंग/ड्राइंग और डिजाइन मेमोरेंडम की मंजूरी, फोर्जिंग, कास्टिंग, मशीनिंग और टर्बाइन और जेनरेटर के विभिन्न घटकों और स्विचयार्ड के निर्माण का काम प्रगति पर है। यह काम मई और जुलाई 2025 तक पूरा होने वाला है।

जे (III) नवीकरणीय ऊर्जा (सौर परियोजना- चरण-I) , 300 मेगावाट:

अक्षय ऊर्जा (सौर परियोजना- चरण-I) , 300 मेगावाट भानीपुरा, बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। परियोजना का वार्षिक उत्पादन 762.30 एमयू है, जिसमें डीसी: एसी अनुपात 1.5 (फिक्स्ड टिल्ट सिस्टम) है। एलओआई मेसर्स वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को जारी किया गया है और अनुबंध समझौता 22.03.2024 को किया गया। ठेकेदार ने राजस्थान के बीकानेर के भानीपुरा में सोलर पार्क में निजी लीजहोल्ड भूमि (455 हेक्टेयर) और पीजीसीआईएल, बीकानेर-II सबस्टेशन में इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी पर 15 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन की पेशकश की है। ठेकेदार ने 27.03.2024 को परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) और 27.03.2024 को एडवांस बैंक गारंटी (एबीजी) नीपको को जमा कर दी थी।"

जे (IV) टाटो-II एचईपी (700 मेगावाट) , हीओ एचईपी (240 मेगावाट) और टाटो-I एचईपी (186 मेगावाट) :

विद्युत मंत्रालय ने 22.12.2021 के पत्र के माध्यम से 240 मेगावाट हीओ एचईपी, 186 मेगावाट टाटो-I एचईपी (यारजेप नदी पर) और 700 मेगावाट टाटो-II एचईपी (सियोम नदी पर) को सियांग बेसिन में एक और अध्ययन तथा नीपको को संभावित आवंटन के संबंध में इंगित किया है। इन परियोजनाओं को आलो-टाटो-मेचुका सड़क के निकटवर्ती क्षेत्र में कैस्केड विकास के रूप में परिकल्पित किया गया है तथा इसके लिए टीईसी, ईसी आदि पहले ही प्रदान किया जा चुका है। राज्य और केंद्र सरकारों की एसओपीएस की शर्तों के अनुसार, 04.08.2023 को संबंधित निजी डेवलपर्स से परियोजनाओं को अपने अधीन ले लिया गया है। इन तीनों परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार और नीपको के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए।

निदेशक मंडल ने 10.11.2023 को आयोजित अपनी बैठक में इन तीन परियोजनाओं के निवेश-पूर्व व्यय की मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है"

टाटो-II एचईपी (700 मेगावाट) :

वर्तमान लागत: कुल लागत: ₹ 7131.19 करोड़ (पीएल: जुलाई 2023) में हार्ड कोस्ट ₹ 6035.18 करोड़, आईडीसी: ₹ 1096.01 करोड़। प्रथम वर्ष का टैरिफ: ₹5.31/ यूनिट और लेवलाइज्ड टैरिफ: ₹5.28/यूनिट होगी। तकनीकी आर्थिक मंजूरी नीपको के पक्ष में 30.09.2025 तक की वैधता के साथ स्थानांतरित कर दी गई है। 01.01.2024 को पर्यावरण मंजूरी नीपको को स्थानांतरित कर दी गई। एफसी-I के अनुदान के लिए वन मंजूरी आवेदन 13.01.2024 को परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया। पीएससी-I की मंजूरी 27.03.2024 को दी गई। भूमि मुआवजा राशि जिला प्रशासन को 05.02.2024 को जारी कर दी गई है। जिला अधिकारियों द्वारा भूमि स्वामियों को मुआवज़ा वितरित करने का कार्य प्रगति पर है। संबंधित डीएफओ द्वारा पीएससी-II प्रक्रियाधीन है। एलआईडीएआर का उपयोग करते हुए पुष्टिकरण सर्वेक्षण प्रगति पर है, डायवर्सन सुरंग कार्यों के लिए निविदा 30.11.2023 को जारी की गई, बोली स्तर पर परामर्श कार्य प्रदान किया गया तथा एमओपी को पीआईबी ज्ञापन का मसौदा प्रस्तुत किया गया है।"

हीओ एचईपी (240 मेगावाट) :

वर्तमान लागत: कुल लागत: ₹1773.22 करोड़ (पीएल: जुलाई 2023) में हार्ड कोस्ट : ₹1614.55 करोड़ आईडीसी: ₹158.67 करोड़। प्रथम वर्ष का टैरिफ: ₹3.73/ यूनिट और लेवलाइज्ड टैरिफ: ₹3.75/यूनिट होगी। तकनीकी आर्थिक मंजूरी 30.09.2025 तक की वैधता के साथ नीपको को स्थानांतरित कर दी गई। पर्यावरण मंजूरी 01.01.2024 को नीपकापे को स्थानांतरित कर दी गई। वन मंजूरी उपयोगकर्ता एजेंसी ने 31.01.2024 को नीपको के पक्ष में एफसी-I स्थानांतरित कर दी है। 07.03.2024 को प्रतिपूरक शुल्क के लिए एपीसीसीएफ 16.94 करोड़ रुपये की संशोधित मांग नोट प्राप्त हुई। ऑनलाइन भुगतान 09.04.2024 को जारी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा भूमि एवं संपत्ति सर्वेक्षण 08.02.2024 से शुरु किया गया है। एलआईडीएआर का उपयोग कर पुष्टिकरण सर्वेक्षण प्रगति पर है। विद्युत मंत्रालय को पीआईबी ज्ञापन का मसौदा प्रस्तुत किया गया। लागत अनुमान को अद्यतन करने के बाद टिप्पणियों का उत्तर भेजा जाएगा।"

टाटो-I एचईपी (186 मेगावाट) :

प्रथम वर्ष टैरिफ : ₹4.52/यूनिट और लेवलाइज्ड टैरिफ ₹4.77/यूनिट के साथ वर्तमान समय की कुल लागत: ₹1604.27 करोड़ (पीएल: जुलाई 2023) जिसमें हार्ड कोस्ट: ₹1461.43 करोड़ आईडीसी: ₹142.84 करोड़ शामिल है।

तकनीकी आर्थिक मंजूरी नीपको को 30.09.2025 तक की वैधता के साथ स्थानांतरित कर दी गई। पर्यावरण मंजूरी 01.01.2024 को नीपको के पक्ष में स्थानांतरित कर दी गई है।

वन मंजूरी उपयोगकर्ता एजेंसी ने 31.01.2024 को नीपको के पक्ष में एफसी-I स्थानांतरित कर दी है। 07.03.2024 को प्रतिपूरक शुल्क के लिए एपीसीसीएफ 14.04 करोड़ रुपये की संशोधित मांग नोट प्राप्त हुए और 09.04.2024 को भुगतान जारी किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा भूमि तथा संपत्ति भूमि और संपत्ति सर्वेक्षण 08.02.2024 से शुरु किया गया है। एलआईडीएआर का उपयोग करते हुए पुष्टिकरण सर्वेक्षण प्रगति पर है और पीआईबी मेमो को मसौदा एमओपी को सौंप दिया गया है। लागत अनुमान को अद्यतन करने के बाद टिप्पणियों का उत्तर भेजा जाएगा।"

जे (V) वाह उमियाम स्टेज-III एचईपी (85 मेगावाट), मेघालय:

मेघालय सरकार और नीपको के बीच 20 अप्रैल 2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। सीईए ने 26 जुलाई 2021 को परियोजना के संबंध में मूल्यांकन को मंजूरी प्रदान किया। पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश फरवरी 2018 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एमओईएफ और सीसी) , भारत सरकार द्वारा की गई है, जो कि चरण-I वन मंजूरी (एफसी-I) के अधीन है। एफसी-I वर्तमान में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) , शिलांग, एमओईएफ एंड सीसी के पास प्रक्रियाधीन है। अधिग्रहण के लिए आवश्यक 88 हेक्टेयर में से लगभग 60 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। शेष क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना है, जिसके लिए मामला जिला प्रशासन के पास विचार-विमर्श के अधीन है।"

जे(VI) कुरुंग एचईपी (330 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश:

अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ 27.01.2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सितंबर 2021 में निवेश-पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया। डीपीआर तैयार करने का कार्य मार्च 2023 में सौंपा गया है तथा डीपीआर तैयार करने की गतिविधियाँ प्रक्रियाधीन हैं। ईआईए/ईएमपी को तैयार करने का कार्य मई 2023 में सौंपी गई तथा यह प्रक्रियाधीन है।"

के. भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टे' के अनुसार प्रकटीकरण

(I) भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय अपनाए हैं:

(i) समान आर्थिक परिवेश में समान अंतिम तिथि के साथ समान परिसंपत्तियों के पट्टे के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की गई।

(ii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर 12 महीने से कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता न देने की छूट लागू की गई.

(iii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो, को बाहर रखा गया।"

(iii) भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन के समय, भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 8.69% है। वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित समझौतों के लिए भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 7.75% मानी गई है।

(II) पट्टेदार के रूप में कंपनी

(i) कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्था निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) अतिथि गृहों/ट्रांजिट कैम्पों के लिए परिसर जो निरस्तीकरण योग्य नहीं हैं तथा जिन्हें आमतौर पर पारस्परिक रुप से सहमत शर्तों पर नवीकृत किया जा सकता है।

(ख) कंपनी ने पांच साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को परिचालन पट्टे पर लिया है, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। पट्टे के किराए में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जा सकती है।

(ग) कंपनी ने कुछ वाहनों (इलेक्ट्रिकल को छोड़कर) को 12 महीने से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर लिया है।

(III) इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं की अग्रणीत राशियां तथा उनमें होने वाली गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	1,086.30	1,011.83
-पट्टा देयताओं में वृद्धि	1,776.17	677.22
- वर्ष के दौरान ब्याज लागत	210.02	125.94
- पट्टा देयताओं का भुगतान	1,056.94	728.69
जमा शेष	**2,015.55**	**1,086.30**
वर्तमान	1,000.48	607.67
गैर वर्तमान	1,015.07	478.63

(IV) 31.03.2024 तक "पट्टे पर दी गई संपत्तियों के उपयोग के अधिकार" की अग्रणीत राशियाँ निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	1,004.57	939.39
- पट्टा देयताओं में वृद्धि	1,776.17	677.22
- अवधि के दौरान परिशोधन	903.29	612.04
जमा शेष	1,877.45	1,004.57

(V) लाभ या हानि में शामिल प्राप्त राशियाँ निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास व्यय	903.29	612.04
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	210.02	125.94
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय	-	-

(VI) पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष से कम	1,000.48	607.67
एक से दो वर्ष के बीच	594.48	341.20
दो से तीन वर्ष के बीच	273.54	127.37
तीन से चार वर्ष के बीच	147.05	10.06
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**2,015.55**	**1,086.30**

L. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अनुसार 31 मार्च 2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि:		
मूल धन	**1,365.04**	**287.39**
उस पर देय ब्याज	-	-
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) अर्जित ब्याज की राशि और भुगतान न किया गया शेष	-	-
ङ) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	-	-

विक्रेताओं को भुगतान संबंधित अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, देय तिथि पर किया जाता है।

एम. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन/अनुमान में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान, भारतीय लेखा मानक 1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" के प्रावधान के तहत निर्धारित सामग्री लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित नए सम्मिलित पैरा 117ए,बी,सी के माध्यम से संशोधन के अनुपालन में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन/संशोधन किए गए हैं। सामग्री लेखांकन नीति में इन संशोधनों के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

अनुमान में परिवर्तन:

तकनीकी मूल्यांकन, ओईएम से प्राप्त फीडबैक, गैस आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए आश्वासन तथा प्रबंधन द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर असम गैस आधारित विद्युत स्टेशन (एजीबीपीएस) 291 मेगावाट का उपयोगी अवधि को 15 वर्षों तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है और इसके फलस्वरुप, सीईआरसी के समक्ष विद्युत स्टेशन के 31.03.2039 तक विस्तार का प्रस्ताव करते हुए याचिका दायर की गई है।

तदनुसार, पिछले पांच वर्षों (2019-24) के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास चालू वित्त वर्ष के लिए सीईआरसी से अंतिम आदेश प्राप्त होने तक सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानक दर पर गणना की जाएगी। इसके बाद, आदेश प्राप्त होने के उपरांत इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पावर स्टेशन के शेष उपयोगी विस्तारित अवधि पर किया जाएगा।

अनुमान में उपरोक्त परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास पर वित्तीय प्रभाव नीचे दर्शाया गया है:

पावर स्टेशन के मूल उपयोगिता अवधि पर विचार करते हुए अवधि के दौरान मूल्यह्रास	: ₹ 11,736.09 लाख
संशोधित उपयोगिता अवधि को ध्यान में रखते हुए विद्युत स्टेशन का मूल्यह्रास	: ₹ 6,308.97 लाख
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास में कमी	: ₹ 5,427.12 लाख

नोट नं.- 40 कैपिटल मैनेजमेंट

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य कंपनी के दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों की पूर्ति को सुगम बनाकर शेयरधारकों के लिए मान(वेलू) सृजन करना है।

कंपनी वार्षिक व्यवसाय योजना, दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतिक निवेश योजना के आधार पर आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करती है। वित्तपोषण की आवश्यकताओं को इक्विटी, परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और अन्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारों के माध्यम से पूरा किया जाता है। कंपनी की नीति अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारों के संयोजन पर केंद्रित है।

कंपनी शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात और कंपनी के समग्र ऋण पोर्टफोलियो की परिपक्वता प्रोफ़ाइल के आधार पर पूंजी संरचना की निगरानी करती है।

नोट संख्या - 41 वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण

यह खंड कंपनी के लिए वित्तीय साधनों के महत्व पर साधारन रुपरेखा प्रस्तुत करता है तथा वित्तीय साधनों वाले बैलेंस शीट मदों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण में मान्यता के मानदंड, माप का आधार और वह आधार शामिल है जिस पर आय और व्यय को मान्यता दी जाती है जिसको खुलासा वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय देयता और इक्विटी साधन के प्रत्येक वर्ग के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1 में किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रत्येक श्रेणी की वहन राशि और उचित मूल्य प्रस्तुत करती है।

(₹ लाख में)

31 मार्च 2024 तक	लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	हेजिंग संबंध में व्युत्पन्न साधन	व्युत्पन्न साधन हेजिंग संबंध में नहीं हैं	परिशोधित लागत	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी							
नकदी और बैंक शेष					240.10	240.10	240.10
अन्य बैंक बैलेंस					276.46	276.46	276.46
व्यापार प्राप्य					83,664.74	83,664.74	83,664.74
ऋण					40.02	40.02	40.02
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां					32,756.40	32,756.40	32,756.40
कुल					**1,16,977.72**	**1,16,977.72**	**1,16,977.72**
वित्तीय देनदारियां							
व्यापार देयताएं					17,775.74	17,775.74	17,775.74
उधारी					6,95,035.07	6,95,035.07	6,52,020.01
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल/एसटीएल					52,253.97	52,253.97	52,253.97
पट्टे की बाध्यता					2,015.55	2,015.55	2,015.55
पूंजीगत व्यय के लिए देय					4,938.90	4,938.90	4,938.90
अन्य वित्तीय देयताएं					23,416.55	23,416.55	23,416.55
कुल					**7,95,435.78**	**7,95,435.78**	**7,52,420.72**

(₹ लाख में)

31 मार्च 2024 तक	लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	हेजिंग संबंध में व्युत्पन्न साधन	व्युत्पन्न साधन हेजिंग संबंध में नहीं हैं	परिशोधित लागत	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी							
नकदी और बैंक शेष					1,461.34	1,461.34	1,461.34
अन्य बैंक बैलेंस					291.50	291.50	291.50
व्यापार प्राप्य					94,429.78	94,429.78	94,429.78
ऋण					28.19	28.19	28.19
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां					23,221.47	23,221.47	23,221.47
कुल					**1,19,432.28**	**1,19,432.28**	**1,19,432.28**
वित्तीय देनदारियां							
व्यापार देयताएं					19,140.46	19,140.46	19,140.46
उधारी					6,91,063.36	6,91,063.36	6,82,905.59
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल/एसटीएल					22,054.36	22,054.36	22,054.36
पट्टे की बाध्यता					1,086.31	1,086.31	1,086.31
पूंजीगत व्यय के लिए देय					13,376.79	13,376.79	13,376.79
अन्य वित्तीय देयताएं					49,119.55	49,119.55	49,119.55
कुल					**7,95,840.83**	**7,95,840.83**	**7,87,683.06**

निम्नलिखित तालिका उन वित्तीय साधनों का विश्लेषण प्रदान करती है जिन्हें उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के बाद स्तर 1 से स्तर 3 में समूहीकृत किया जाता है जिसका विवरण नीचे वर्णित है:

सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1) : पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्यों (समायोजित नहीं) के संदर्भ में मापा जाता है। इस श्रेणी में उद्धृत इक्विटी शेयरों, उद्धृत कॉर्पोरेट ऋण साधन और म्यूचुअल फंड निवेशों में निवेश शामिल है।

अवलोकनीय इनपुट के साथ मूल्यांकन तकनीकें (स्तर 2) : पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ शामिल हैं, जिन्हें स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट का उपयोग करके मापा जाता है जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं। पदानुक्रम के इस स्तर में कंपनी के ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव अनुबंध शामिल हैं।

महत्वपूर्ण **अप्रमाणित इनपुट के साथ मूल्यांकन तकनीकें (स्तर 3) :** पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ शामिल हैं जिन्हें ऐसे इनपुट का उपयोग करके मापा जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अप्रमाणित इनपुट) पर आधारित नहीं होते हैं। उचित मूल्यों को पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्धारित किया जाता है, एक मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके जो उन मान्यताओं पर आधारित होता है जो न तो उसी साधन में अवलोकनीय वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित होते हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होते हैं। इस श्रेणी में मुख्य आइटम अनकोटेड इक्विटी शेयरों में निवेश हैं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) व्यापार प्राप्य	83,664.74	-	-	83,664.74
(ii) नकदी और बैंक बैलेंस	516.56	-	-	516.56
(iii) ऋण	40.02	-	-	40.02
(iv) अन्य	32,756.40	-	-	32,756.40
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**1,16,977.72**	**-**	**-**	**1,16,977.72**
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ				
(i) उधारी	7,04,273.98	-	-	7,04,273.98
(ii) व्यापार एवं अन्य देयताएं*	22,714.64	-	-	22,714.64
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	25,432.10	-	-	25,432.10
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय देनदारियाँ	**7,52,420.72**			**7,52,420.72**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) व्यापार प्राप्य	94,429.78	-	-	94,429.78
(ii) नकदी और बैंक बैलेंस	1,752.84	-	-	1,752.84
(iii) ऋण	28.19	-	-	28.19
(iv) अन्य	23,221.47	-	-	23,221.47
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**1,19,432.28**	**-**	**-**	**1,19,432.28**
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ				
(i) उधारी	7,04,959.95	-	-	7,04,959.95
(ii) व्यापार एवं अन्य देयताएं*	32,517.25	-	-	32,517.25
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	50,205.86	-	-	50,205.86
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय देनदारियाँ	**7,87,683.06**			**7,87,683.06**

*व्यापार एवं अन्य देयताओं में व्यापार देयताएं और पूंजीगत व्यय देयताएं शामिल हैं

अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधित लागत पर दर्शाया गया है जो लगभग उनके उचित मूल्य के बराबर है।

गैर-उद्धृत इक्विटी निवेशों के संबंध में उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता।

प्रबंधन अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालाँकि, किसी भी अनुमान तकनीक में अंतर्निहित सीमाएँ होती हैं। इसलिए, लगभग सभी वित्तीय साधनों के लिए, ऊपर प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रूप से उन सभी राशियों का संकेत नहीं देते हैं जो कंपनी संबंधित तारीख के अनुसार बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। इस प्रकार, संबंधित रिपोर्टिंग तारीख के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक वर्ष के अंत में रिपोर्ट की गई राशियों से भिन्न हो सकता है।

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्षों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के बीच कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

2023-24 के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

"अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी को मुख्य रुप से ब्याज दरों, तरलता और ऋण जोखिम पर ध्यान केन्द्रीत करना पड़ता है जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़े जोखिमों जैसे ब्याज दर जोखिम और ऋण जोखिम को कवर करती है। जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन ढांचे का उद्देश्य है:"

कंपनी की व्यावसायिक योजना पर मुद्रा और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करके एक स्थिर व्यावसायिक नियोजन वातावरण बनाएं।

अपेक्षित आय का वित्तीय मूल्य पहले से निर्धारित करके आय की अधिक पूर्वानुमानिता प्राप्त करना।

बाजार जोखिम: - बाजार जोखिम भविष्य की कमाई, प्राप्ति योग्य उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरुप हो सकता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव, तरलता और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरुप किसी वित्तीय साधन का मूल्य बदल सकता है। भविष्य में बाजार की विशिष्ट गतिविधियों का सामान्यतः उचित सटीकता के साथ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऋण जोखिम:- ऋण जोखिम, संविदात्मक शर्तों या दायित्वों के अनुसार ऋण चुकाने या सेवा करने में प्रतिपक्ष की विफलता से उत्पन्न वित्तीय हानि का जोखिम है। ऋण जोखिम में चूक का प्रत्यक्ष जोखिम और ऋण-योग्यता में गिरावट का जोखिम तथा संकेन्द्रण जोखिम दोनों शामिल हैं।

तरलता जोखिम: तरलता जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर पाती है। तरलता जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त तरलता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए धन उपलब्ध हो।

"निम्नलिखित तालिका में कंपनी की गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए बिना छूट के आधार पर देय ब्याज सहित प्रत्याशित नकदी प्रवाह का परिपक्वता विश्लेषण को दर्शाता है, जो कि वहन मूल्य और उचित मूल्य दोनों से भिन्न है।"

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक				
	अग्रेषित राशि	संविदागत नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं					
उधारी	7,04,273.98	7,04,273.98	1,15,311.08	3,99,560.19	1,89,402.95
व्यापार देय	22,714.64	22,714.64	17,775.74	4,938.90	-
अन्य वित्तीय देयताएं	25,432.10	25,432.10	24,417.03	1,015.07	-
कुल गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	**7,52,420.72**	**7,52,420.72**	**1,57,503.85**	**4,05,514.16**	**1,89,402.95**
व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं					

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक				
	अग्रेषित राशि	संविदागत नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं					
उधारी	7,12,471.46	7,12,471.46	1,17,811.20	4,06,318.99	1,80,829.75
व्यापार देय	32,517.25	32,517.25	19,140.46	13,376.79	-
अन्य वित्तीय देयताएं	50,205.86	50,205.86	49,727.21	478.64	-
कुल गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	**7,95,194.57**	**7,95,194.57**	**1,86,678.87**	**4,20,174.42**	**1,80,829.75**
व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं					

गैर-उद्धृत निवेशों की लागत उचित मूल्य के लगभग बराबर होती है, क्योंकि उचित मूल्य माप की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होती है और लागत उस सीमा के भीतर उचित मूल्य के अनुमान को दर्शाती है।

नोट संख्या - 42 परिचालन खंड

क. बिजली उत्पादन निगम की मुख्य गतिविधि है। ब्याज आय जैसे अन्य संचालन लेखा मानक 108 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं बनाते हैं।

ख. निगम की विद्युत परियोजनाएं देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं हैं।

नोट संख्या 43 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) क्रेडिट जोखिम का एक्सपोजर

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम क्रेडिट जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम था

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-चालू निवेश		
गैर चालू ऋण	40.02	28.19
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	445.00	443.13
नकद और नकद के समान	240.10	1,461.34
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	276.46	291.50
वर्तमान ऋण	1,131.94	1,187.43
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ*	610.39	998.72
कुल (क)	**2,743.91**	**4,410.31**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ता सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार जीवन-पर्यंत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	83,664.74	83,664.74
अनुबंध संपत्ति	31,049.26	21,035.32
कुल (ख)	**1,14,714.00**	**1,04,700.06**
कुल (क+ख)	**1,17,457.91**	**1,09,110.37**

*अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर (नोट 13 देखें)

(ii) अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षियों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार जीवन-काल की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वाले ग्राहक (राज्य सरकार उपयोगिताएँ) हैं और इसलिए डिफ़ॉल्ट का जोखिम नगण्य या शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि डिफ़ॉल्ट से अधिक बकाया राशि नगण्य या शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहक क्रेडिट जोखिम के व्यापक विश्लेषण के आधार पर, 30 दिनों से अधिक समय से बकाया अप्रभावित राशि अभी भी पूर्ण रुप से संग्रहणीय है। इसलिए, व्यापार प्राप्य और बिना बिल वाले राजस्व के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई हानि हानि की पहचान नहीं की गई है।

(iii) व्यापार प्राप्य का पुराना विश्लेषण

व्यापार प्राप्य का पुराना विश्लेषण इस प्रकार है: (₹ लाख में)

काल प्रभावन	बकाया नहीं	0-30 दिन बीत गए	31-60 दिन बीत चुके हैं	61-90 दिन बीत चुके हैं	91-120 दिन बीत चुके हैं	120 दिन से अधिक समय बीत चुका है	कुल
31 मार्च 2024 तक सकल वहन राशि	61,691.36	6,687.43	279.54	-	-	15,006.41	83,664.74
31 मार्च 2023 तक सकल वहन राशि	76,558.90	6,822.65	14.08	-	-	11,034.15	94,429.78

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसे कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि देय होने पर, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों में, अस्वीकार्य नुकसान उठाए बिना या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना, अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास हमेशा पर्याप्त तरलता हो।

कंपनी के पास लघु, मध्यम और दीर्घकालिक फंडिंग और तरलता प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा है। कंपनी पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त नकदी भंडार, बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी का ट्रेजरी विभाग कंपनी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रतिदिन अल्पकालिक तरलता स्थिति की समीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल ने तरलता जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां स्थापित की हैं और कंपनी का ट्रेजरी विभाग ऐसी नीतियों के अनुरुप काम करता है। इन नीतियों के किसी भी उल्लंघन की सूचना निदेशक मंडल को दी जाती है। निदेशक मंडल द्वारा नियमित आधार पर दीर्घकालिक तरलता स्थिति की समीक्षा की जाती है और स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लिए जाते हैं।

आमतौर पर, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित एक महीने के लिए अपेक्षित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए उसके पास मांग पर पर्याप्त नकदी हो, इसमें प्राकृतिक आपदाओं जैसी चरम परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया जा सकता है, जिनकी उचित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

सीईआरसी विनियमों के भाग के रुप में, टैरिफ में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजीगत लागत की वसूली भी शामिल है। टैरिफ विनियम ऊर्जा शुल्क, संचालन और रखरखाव व्यय और मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर ब्याज की वसूली के लिए भी प्रदान करते हैं। चूंकि ग्राहकों को बिलिंग आम तौर पर मासिक आधार पर होती है, कंपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखती है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनआहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए
निश्चित दर उधार		
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
फ्लोटिंग-रेट उधार		
कैश क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल	1,17,944.48	99,011.00
सावधि ऋण	-	20,000.00
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
कुल	**1,17,944.48**	**1,19,011.00**

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

31 मार्च 2024 (₹ लाख में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	संविदात्मक नकदी प्रवाह					
	3 महीने या उससे कम	3-12 महीने	1-2 साल	2-5 साल	5 साल से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ						
सुरक्षित बांड	4,960.93	62,000.00	50,000.00	1,19,000.00	36,000.00	**2,71,960.93**
असुरक्षित बांड	31.21	-	-	-	20,000.00	**20,031.21**
बैंकों से रुपया सावधि ऋण	7,768.87	54,475.00	30,200.00	1,76,800.00	1,01,000.00	**3,70,243.87**
दूसरों से रुपया सावधि ऋण	-	-	-	-	29,196.42	**29,196.42**
वित्त पट्टा दायित्व	250.12	750.36	594.48	420.59	-	**2,015.55**
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-		-	-	-	**-**
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-	-	-	**-**
असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	3,520.53	3,308.29	6,616.57	17,443.61	2,706.53	**33,595.53**
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल/एसटीएल	22,253.97	30,000.00	-	-	-	**52,253.97**

31 मार्च 2023 (₹ लाख में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	संविदात्मक नकदी प्रवाह					
	3 महीने या उससे कम	3-12 महीने	1-2 साल	2-5 साल	5 साल से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ						
सुरक्षित बांड	5,799.44	62,000.00	77,000.00	1,53,500.00	66,500.00	**3,64,799.44**
असुरक्षित बांड	26.96	-	-	-	20,000.00	**20,026.96**
बैंकों से रुपया सावधि ऋण	5,197.50	16,975.00	30,800.00	1,10,800.00	73,200.00	**2,36,972.50**
दूसरों से रुपया सावधि ऋण	(71.46)	-	-	-	29,196.42	**29,124.96**
वित्त पट्टा दायित्व	151.92	455.75	341.20	137.43	-	**1,086.30**
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-		-	-	-	**-**
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-	-	-	**-**
असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	3,696.09	3,285.91	6,571.82	19,715.46	6,870.22	**40,139.50**
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल/एसटीएल	22,054.36	-	-	-	-	**22,054.36**

बाजार ज़ोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार कीमतों में परिवर्तन, जैसे विदेशी विनिमय दरें और ब्याज दरें, कंपनी की आय को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न को अनुकूलित करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है।

निदेशक मंडल कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। ऐसे सभी लेनदेन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के भीतर किए जाते हैं।

मुद्रा जोखिम

कंपनी को कुछ लेनदेन पर विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में अंकित होते हैं, इसलिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। जोखिम यह है कि विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरुप नकदी प्रवाह का कार्यात्मक मुद्रा मूल्य अलग-अलग होगा।

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मुद्रा प्रोफ़ाइल इस प्रकार है

31 मार्च 2024 (₹ लाख में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	कुल
वित्तीय पूंजी			
अन्य प्राप्तियों का व्यापार करें	-	-	-
नगद और नगद उपकरण	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-
कुल			
"वित्तीय देनदारियाँ"			
"सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण"	-		-
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण		33,595.53	33,595.53
व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देनदारियाँ			-
कुल	**-**	**33,595.53**	**33,595.53**

31 मार्च 2023 (₹ लाख में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	कुल
वित्तीय पूंजी			
अन्य प्राप्तियों का व्यापार करें	-	-	-
नगद और नगद उपकरण	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-
कुल			
"वित्तीय देनदारियाँ"			
"सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण"	-		-
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण		40,139.50	40,139.50
व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देनदारियाँ		-	-
कुल	**-**	**40,139.50**	**40,139.50**

उपरोक्त में से, कोई भी राशि डेरिवेटिव उपकरणों द्वारा हेज नहीं की जाती है। शेष जोखिम के संबंध में, सभी विदेशी मुद्रा ऋणों और विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं (सीओडी तक) पर विनिमय दर भिन्नता के कारण लाभ/(हानि) लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसलिए, ऐसे जोखिम के संबंध में मुद्रा जोखिम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा।

संवेदनशीलता का विश्लेषण

चूंकि लाभ और हानि के विवरण पर यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले आईएनआर के मजबूत होने या कमजोर होने का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा; इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का खुलासा नहीं किया गया है।

ब्याज दर जोखिम

कंपनी मुख्य रुप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ गैर-वर्तमान उधारों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। कंपनी ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि फ्लोटिंग रेट उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी विभिन्न शर्तों (जैसे निश्चित दर ऋण, फ्लोटिंग दर ऋण, रुपया अवधि ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, आदि) के साथ विभिन्न प्रकार की ऋण व्यवस्था में प्रवेश करके ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के ब्याज वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफ़ाइल इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय पूंजी		
निश्चित दर लिखत		
बैंक जमा	276.46	291.50
कुल	**276.46**	**291.50**
वित्तीय देनदारियाँ		
निश्चित दर लिखत		
बांड	2,91,909.59	3,84,826.40
विदेशी मुद्रा ऋण	33,754.88	40,139.50
रुपया सावधि ऋण	29,126.73	29,124.96
पट्टा दायित्व	2,015.55	1,086.31
कुल	**3,56,806.75**	**4,55,177.17**
परिवर्तनीय-दर उपकरण		
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
रुपया सावधि ऋण	3,10,243.87	2,36,972.50
नकद ऋण	52,253.97	22,054.36
	3,62,497.84	2,59,026.86
कुल	**7,19,304.59**	**7,14,204.03**

निश्चित दर उपकरणों के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के निर्धारित दर उपकरण परिशोधित लागत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर उपकरणों के लिए नकदी प्रवाह संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर ब्याज दरों में 50 आधार अंकों के बदलाव से नीचे दर्शाई गई राशि से लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) होगी। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रुप से विदेशी मुद्रा दरें, स्थिर रहेंगी। विश्लेषण पिछले वर्ष के आधार पर ही किया जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	लाभ या हानि	
	50 बीपी की बढ़ोतरी	50 बीपी की कमी
31-मार्च-24		
विदेशी मुद्रा ऋण	(143.71)	143.71
रुपया सावधि ऋण	(3,322.78)	3,322.78
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल	(12.96)	12.96
कुल	**(3,479.45)**	**3,479.45**
31-मार्च-23		
विदेशी मुद्रा ऋण	(204.48)	204.48
रुपया सावधि ऋण	(2950.31)	2,950.31
नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल	(2.14)	2.14
कुल	**(3156.93)**	**3156.93**

नोट संख्या 44 वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य परिशोधन लागत पर मापा जाता है

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी					
ऋण	3	40.02	40.02	28.19	28.19
व्यापार प्राप्तियां	3	83,664.74	83,664.74	94,429.78	94,429.78
नकद और नकद के समान	3	240.10	240.10	1,461.34	1,461.34
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	3	276.46	276.46	291.50	291.50
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3	32,756.40	32,756.40	23,221.47	23,221.47
वित्तीय देनदारियाँ	3	2,91,909.59	2,97,620.69	3,84,826.40	3,95,797.48
बांड	3	33,754.88	32,772.95	40,139.50	39,091.55
विदेशी मुद्रा ऋण - केएफडब्ल्यू	3			-	-
विदेशी मुद्रा ऋण - ईसीबी	3	3,10,243.87	3,10,243.87	2,36,972.50	2,36,972.50
रुपया सावधि ऋण	3	29,126.73	11,382.50	29,124.96	11,044.06
सरकारी अधीनस्थ ऋण	3	2,015.55	2,015.55	1,086.31	1,086.31
पट्टा दायित्व	3	52,253.97	52,253.97	22,054.36	22,054.36
उधार	3	22,714.64	22,714.64	32,517.25	32,517.25
व्यापार देय और पूंजीगत व्यय के लिए देय	3	37,752.10	37,752.10	49,119.55	49,119.55
अन्य वित्तीय देनदारियाँ					

वर्तमान व्यापार प्राप्य, वर्तमान व्यापार देय, पूंजीगत व्यय के लिए देय, सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशि को उनके कम होने के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है। -शब्द प्रकृति.

ऋण, उधार, गैर-चालू व्यापार देय और पूंजीगत व्यय के लिए देय उचित मूल्यों की गणना मौजूदा छूट दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। उन्हें उद्धृत कीमतों की उपलब्धता और अवलोकनीय/गैर-अवलोकन योग्य इनपुट के समावेश के आधार पर संबंधित स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है।

नोट संख्या 45 इंडस्ट्रीज़ एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी के राजस्व में ऊर्जा बिक्री, व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री और अन्य सेवाओं से आय शामिल है। निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का विवरण है:

क) ऊर्जा बिक्री से राजस्व

कंपनी का मुख्य राजस्व ऊर्जा बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों को बिजली बेचती है, मुख्य रुप से राज्यों में संचालित राज्य सरकारों की डिस्कॉम के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिताओं को। बिजली की बिक्री आम तौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, कंपनी "मर्चेंट पावर" के तहत उनके पास उपलब्ध पावर एक्सचेंजों के माध्यम से बिजली बेचती है।

ऊर्जा बिक्री के अनुबंधों के तहत प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
ऊर्जा बिक्री	कंपनी समय के साथ ऊर्जा बिक्री के अनुबंधों से राजस्व को पहचानती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। ऊर्जा बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ समय-समय पर अधिसूचित सीईआरसी विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। बिजली की बिक्री केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर की जाती है। ऐसे बिजली स्टेशनों के मामले में जहां अंतिम टैरिफ अभी तक सीईआरसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, केंद्रीय विद्युत में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर ऊर्जा की बिक्री प्रदान की जाती है। नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019। उन परियोजनाओं के लिए जिनके लिए न तो सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर किया जाता है। राशियाँ मासिक आधार पर बिल की जाती हैं और अनुबंध द्वारा सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होती हैं।

(ख) ऊर्जा व्यापार, परामर्श और अन्य सेवाओं से राजस्व

व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री

व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री के अनुबंधों के तहत प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री	कंपनी समय के साथ व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री के अनुबंधों से राजस्व को पहचानती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ समझौते की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियाँ अनुबंध में निर्दिष्ट आवधिकता के अनुसार बिल की जाती हैं और अनुबंधित सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होती हैं।

द्वितीय. राजस्व का पृथक्करण

निम्नलिखित तालिका में, राजस्व को उत्पाद और सेवाओं के प्रकार, भौगोलिक बाजार और राजस्व पहचान के समय के आधार पर विभाजित किया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	ऊर्जा का उत्पादन		अन्य		कुल	
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
भौगोलिक बाज़ार						
भारत	4,10,497.48	4,41,018.53	13,459.26	14,708.20	4,23,956.74	4,55,726.73
अन्य						-
	4,10,497.48	**4,41,018.53**	**13,459.26**	**14,708.20**	**4,23,956.74**	**4,55,726.73**
राजस्व पहचान का समय						
समय के साथ स्थानांतरित उत्पाद और सेवाएँ	4,10,497.48	4,41,018.53	13,459.26	14,708.20	4,23,956.74	4,55,726.73
	4,10,497.48	4,41,018.53	13,459.26	14,708.20	4,23,956.74	4,55,726.73

III. अनुबंध मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का मिलान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अनुबंध मूल्य	4,26,284.56	4,57,522.38
समायोजन		
छूट	(2327.82)	(1795.65)
राजस्व मान्यता प्राप्त	4,23,956.74	4,55,726.73

IV. अनुबंध शेष

निम्नलिखित तालिका व्यापार प्राप्य, बिना बिल वाले राजस्व और ग्राहकों से/लाभार्थियों को देय अग्रिमों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	प्रचलित	अप्रचलित	प्रचलित	अप्रचलित
व्यापार प्राप्तियां	83,664.74	-	94,429.78	-
अनुबंध संपत्ति	31,049.26	-	21,035.32	-
ग्राहकों से अग्रिम/लाभार्थियों को देय	1,246.60	-	3,660.06	-

नोट संख्या 46 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तुरंत पिछले तीन वित्तीय वर्ष। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	762.99	508.57
(ii) किए गए व्यय की राशि #	764.20	508.78
(iii) वर्ष के अंत में कमी	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी	शून्य	शून्य
(v) कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति		
(क) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	634.51	271.88
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	129.69	236.90
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	शून्य	शून्य

(viii) सीएसआर दायित्व में बदलाव

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक शेष सीएसआर देयता (क)	320.70	540.67
वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित (ख)	239.70	444.55
वर्ष के दौरान अतिरिक्त (ग)	443.61	224.58
वर्ष के अंत में समापन शेष (डी=ए-बी+सी) ##	524.61	320.70

(vii) सीएसआर खर्चों को प्रमुख मदों के अंतर्गत विभाजित करें: (₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
1. भूख और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	269.07	281.06
2. शिक्षा, खेल एवं कौशल विकास	303.11	105.99
3. ग्रामीण विकास	192.02	121.73
कुल	764.20	**508.78**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए: रु. 764.20 लाख रुपये में मंजूरी से अधिक खर्च शामिल है। 1.22 लाख.

31.03.2024 को सीएसआर चालू परियोजनाओं और सीएसआर अव्ययित शेष में प्रदर्शित राशि (वित्तीय वर्ष के अनुसार विवरण)

वित्तीय वर्ष	चल रही परियोजनाओं पर सी.एस.आर	सीएसआर अव्ययित
2023-2024	₹ 409.45 लाख	₹ 14.85 लाख
2022-2023	₹ 33.20 लाख	₹ 15.89 लाख
2021-2022	₹ 51.08 लाख	₹ 0.14 लाख
Total	₹ 493.73 लाख	₹ 30.88 लाख

"सीएसआर ऑनजिंग प्रोजेक्ट के तहत शेष राशि: रु. 493.73 लाख और सीएसआर के तहत शेष राशि ₹ 30.88 लाख

नोट संख्या 47 इन्वेंटरी पर प्रकटीकरण

ए) वर्ष के दौरान उपभोग की गई और व्यय के रुप में पहचानी गई सूची की मात्रा निम्नानुसार है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ईंधन लागत	1,24,616.69	1,44,849.84
अन्य (नोट 33 में शामिल - अन्य व्यय) *	4,445.84	2,430.11
कुल	**1,29,062.53**	**1,47,279.95**

* 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान उपभोग की गई आयातित सामग्री शामिल है, जो रु। 547.67 लाख यानी, कुल उपभोग की गई इन्वेंट्री का 0.42% (पिछले वर्ष 21.07 लाख रुपये, यानी, कुल उपभोग की गई इन्वेंट्री का 0.01%)

नोट संख्या 48 आयकर संबंधी प्रकटीकरण

48(i) इंडस्ट्रीज़ एएस 12 "आयकर" के अनुसार प्रकटीकरण

(क) आयकर व्यय

i) आयकर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर व्यय		
चालू वर्ष	10,252.95	5,676.88
पहले के वर्षों के लिए कर	-	-
विनियामक स्थगन खाता शेष से संबंधित (क)	(192.98)	1,619.88
कुल वर्तमान कर व्यय (ख)	10,059.97	7,296.76
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उलटाव (ग)	(5,347.73)	14,819.16
कम: एमएटी क्रेडिट पात्रता [नोट 48 (ii) देखें]		
आयकर व्यय (घ=ख+ग–क)	4,905.22	20,496.04
विनियामक स्थगन खाता शेष से संबंधित	(192.98)	1,619.88
विनियामक स्थगन खाते में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	4,712.24	22,115.92

भविष्य में कंपनी के लिए एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है:

48 (ii) : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मैट क्रेडिट भविष्य में कंपनी के लिए उपलब्ध है, लेकिन 31 मार्च 2024 तक मान्यता प्राप्त नहीं है, जो 9,939.54 लाख रुपये है।

(ii) आयकर को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए					
	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	टैक्स से पहले	कर व्यय	नेट टैक्स	टैक्स से पहले	कर व्यय	नेट टैक्स
परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक हानि	(1946.77)	(340.14)	(1606.63)	(1582.69)	(276.53)	(1306.16)

(iii) भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ को गुणा करने का समाधान ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
विनियामक स्थगन खाता शेष में उतार-चढ़ाव सहित कर पूर्व लाभ	59,526.32	43,345.29
कंपनी की घरेलू दर 17.472% का उपयोग कर कर (31 मार्च 2024 -34.944%	10,400.44	7,573.29
का कर प्रभाव :		
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	(340.14)	(276.53)
कर मुक्त आय	-	-
आस्थगित कर व्यय	(5,347.15)	14,819.16
पिछले वर्ष की कर देनदारी	-	-
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन		
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल कर व्यय	4,713.15	22,115.92

नोट नं. 49 शेष राशि की पुष्टि

ठेकेदारों को पूंजीगत अग्रिम, व्यापार देय और पारगमन में सामग्री/ठेकेदार के साथ/ऋण पर जारी किए गए, व्यापार प्राप्य, प्राप्य खातों के तहत दिखाए गए शेष राशि पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

नोट क्रमांक 50 क्षति हानि

संपत्ति संयंत्र और उपकरण का क्षति के लिए परीक्षण किया गया है जहां हानि के संकेतक मौजूद थे। मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी पिछले वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी हानि प्रभाव को नहीं मानती है।

नोट क्रमांक 51 पिछले वर्ष के आंकड़े

मौजूदा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (मैटफिन) से एसएपी-ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में माइग्रेशन की अवधि के दौरान, कंपनी ने वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए मौजूदा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (मैटफिन) और एसएपी-ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दोनों का पालन किया। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष से, कंपनी लेनदेन रिकॉर्ड करने और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए केवल एसएपी (ईआरपी) का पालन कर रही है। इसलिए, बेहतर प्रस्तुति के लिए चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहां कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुन: समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

आरएन गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 309128ई

निदेशक मंडल की ओर से

	एपी रोंग	**बी. महाराणा**	**गुरदीप सिंह**	**सीए मनीष गोयल**
दिनांक: 14-05-2024	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	भागीदार
स्थान: नई दिल्ली		डीआईएन: 09263864	डीआईएन: 00307037	सदस्यता संख्या-061194

फॉर्म संख्या ऐओसी - I

भाग "बी":

सहयोगी और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण।

	संयुक्त उद्यम का नाम	केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड
1	नवीनतम अलेखापरीक्षित बैलेंस शीट दिनांक	31.03.2024
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर	
	नहीं।	2,79,30,000
	₹ में)	27,93,00,000.00
	होल्डिंग की सीमा %	30%
3	इसका वर्णन कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है	मतदान का अधिकार
4	संयुक्त उद्यम का एकीकरण न होने का कारण	सीएफएस इंडएएस -28 के अनुसार तैयार किया गया
5	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता से संबंधित निवल संपत्ति (₹ में)	107,93,32,900.00
6	वर्ष के लिए लाभ/हानि (₹ में)	
	i. समेकन में विचार किया गया	1,87,000.00
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	4,36,150.00

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00307037

दिनांक: 10-08-2024

स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (ईओएम) और उस पर प्रबंधन का उत्तर

ए. समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

क्र. सं.	मैटर पर जोर	प्रबंधन का उत्तर
1	टीएसईसीएल (त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड) से विवादित व्यापार प्राप्य राशि 10369.19 लाख रुपये (तीन (3) वर्षों से अधिक के लिए देय) और 4850.02 लाख रुपये (छह (6) महीने से अधिक लेकिन दो (2) वर्षों से कम के लिए देय) के संबंध में सामग्री लेखांकन नीति 1 (ख) (4) के साथ पठित नोट संख्या 10 (v) को कंपनी को उम्मीद है कि यह रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर वसूल हो जाएगा और तदनुसार इसे चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने किसी भी अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए भी प्रावधान नहीं किया है क्योंकि इसकी व्यावसायिक गतिविधियां सीईआरसी विनियमों, बिजली खरीद समझौतों, त्रिपक्षीय समझौतों और भारत सरकार के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं द्वारा शासित होती हैं और उपर्युक्त ग्राहक भी एक सरकारी इकाई है।	भारतीय लेखा मानक-1 के खंड संख्या 66 (ग) के अनुसार, "एक इकाई किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत करेगी जब: (ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद करती है; इसके अलावा, नीपको की सामग्री लेखा नीति के खंड संख्या बी (4) के अनुसार, "कंपनी 12 महीने की अवधि को सामान्य परिचालन चक्र मानते हुए बैलेंस शीट में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करती है"। टीएसईसीएल ने एपीटीईएल के समक्ष ₹ 10368.44 लाख के उपर्युक्त बिलों के खिलाफ अपील की है। याचिका को एपीटीईएल ने स्वीकार कर लिया है और इसे सुनवाई के लिए "अंतिम सूची" में शामिल कर लिया है। कानूनी विशेषज्ञों द्वारा बताए गए पर्याप्त कानूनी/नियामक आधार हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि टीएसईसीएल की याचिका को खारिज कर दिया जाएगा और एपीटीईएल द्वारा नीपको के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। नीपको के कानूनी सलाहकार ने सूचित किया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि इस अपील पर सुनवाई होगी और उसका निपटारा इसी वर्ष किया जाएगा। मामला निपटारे के अग्रिम चरण में है और इस बात की पूरी संभावना है कि नीपको के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा, वह भी इसी कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर। इसके मद्देनजर, टीएसईसीएल (त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड) से विवादित व्यापार प्राप्य राशि 10369.19 लाख रुपये (तीन (3) वर्षों से अधिक के लिए बकाया) और 4850.02 लाख रुपये (छह (6) महीने से अधिक लेकिन दो (2) वर्षों से कम के लिए बकाया) , को चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नीपको को इस तथ्य के लिए किसी भी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की उम्मीद नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, सीईआरसी विनियमन के अनुसार, नीपको मामले के निपटान पर विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) के लिए भी हकदार होगा।

क्र. सं.	मैटर पर जोर	प्रबंधन का उत्तर
2	आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से निपटाए गए उन मामलों के लिए आयकर वापसी के बारे में नोट संख्या 8(ii) जिनकी राशि 180.67 लाख रुपये है और जो 3 साल से अधिक समय से प्राप्य हैं। योजना के अनुसार कंपनी बिना किसी ब्याज के रिफंड पाने की हकदार है।	नीपको को आयकर विभाग द्वारा जारी फॉर्म-5 प्राप्त हो गया है, जो आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना के तहत विवादित मामले के अंतिम निपटान के दस्तावेजी प्रमाण के रूप में है, जिसकी राशि 180.67 लाख रुपये है। इस संबंध में, निगम ने आयकर विभाग को शीघ्र रिफंड के लिए पत्र जारी किए हैं और नियमित आधार पर सख्ती से अध्ययन कर रहा है। नीपको को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने की अवधि के भीतर यह प्राप्त होने की उम्मीद है।
3	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई “केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड” के असंपरीक्षित अनंतिम वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल करने के संबंध में नोट संख्या 5, जो पूरी तरह से संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई द्वारा वेंचरर कंपनी को प्रदान किए गए असंपरीक्षित अनंतिम वित्तीय विवरणों पर आधारित है। संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के उक्त अनंतिम वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए केएसके डिबिन के खातों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अनुसार बोर्ड की मंजूरी के बाद अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो आज तक नहीं किया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./-
(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

हस्ता./-
(बैद्यनाथ महाराणा)
निदेशक (वित्त) -सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

दिनांक: 14.05.2024
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (ईओएम) और उस पर प्रबंधन का उत्तर

ए. स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण (एसएफएस)

क्र. सं.	मैटर पर जोर	प्रबंधन का उत्तर
1	टीएसईसीएल (त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड) से विवादित व्यापार प्राप्य राशि 10369.19 लाख रुपये (तीन (3) वर्षों से अधिक के लिए देय) और 4850.02 लाख रुपये (छह (6) महीने से अधिक लेकिन दो (2) वर्षों से कम के लिए देय) के संबंध में सामग्री लेखांकन नीति 1 (ख) (4) के साथ पठित नोट संख्या 10 (v) में कंपनी को उम्मीद है कि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर इसकी वसूली हो जाएगी और तदनुसार इसे चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने किसी भी अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए भी प्रावधान नहीं किया है क्योंकि इसकी व्यावसायिक गतिविधियाँ सीईआरसी विनियमों, बिजली खरीद समझौतों, त्रिपक्षीय समझौतों और भारत सरकार के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों / अधिसूचनाओं द्वारा शासित होती हैं और उपर्युक्त ग्राहक भी एक सरकारी इकाई है।	भारतीय लेखा मानक-1 के खंड संख्या 66 (ग) के अनुसार, "कोई इकाई किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत करेगी जब: (ग) उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति प्राप्त होने की उम्मीद है; इसके अलावा, नीपको की सामग्री लेखा नीति के खंड संख्या बी (4) के अनुसार, "कंपनी 12 महीने की अवधि को सामान्य परिचालन चक्र मानते हुए बैलेंस शीट में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करती है"। टीएसईसीएल ने ₹ 10368.44 लाख की राशि के उपर्युक्त बिलों के खिलाफ एपीटीईएल के समक्ष अपील की है। याचिका को एपीटीईएल ने स्वीकार कर लिया है और इसे "अंतिम सूची" में शामिल किया है, जिस पर सुनवाई की जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों द्वारा संकेतित पर्याप्त कानूनी/विनियामक आधार हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि टीएसईसीएल की याचिका को खारिज कर दिया जाएगा और एपीटीईएल द्वारा नीपको के पक्ष में निर्णय सुनाया जाएगा। नीपको के कानूनी सलाहकार ने सूचित किया है कि इस अपील पर सुनवाई होने तथा चालू वर्ष के भीतर ही उसका निपटारा होने की पूरी संभावना है। चूंकि मामला निपटान के अग्रिम चरण में है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि नीपको के पक्ष में निर्णय सुनाया जाएगा, वह भी इसी कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर। इसे देखते हुए, टीएसईसीएल (त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड) से विवादित व्यापार प्राप्तियां 10369.19 लाख रुपये (तीन (3) वर्षों से अधिक समय से बकाया) तथा 4850.02 लाख रुपये (छह (6) महीनों से अधिक लेकिन दो (2) वर्षों से कम समय से बकाया) हैं, जिन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नीपको को उपरोक्त तथ्य के लिए किसी अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा, सीईआरसी विनियमन के अनुसार, नीपको मामले के निपटान पर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के लिए भी पात्र होगा।
2	आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से निपटाए गए उन मामलों के लिए आयकर वापसी के बारे में नोट संख्या 8(ii) जिनकी राशि 180.67 लाख रुपये है और जो 3 साल से अधिक समय से प्राप्य हैं। योजना के अनुसार कंपनी बिना किसी ब्याज के रिफंड पाने की हकदार है।	नीपको को आयकर विभाग द्वारा जारी फॉर्म-5 प्राप्त हो गया है, जो आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत विवादित मामले के अंतिम निपटान के दस्तावेजी प्रमाण के रूप में है, जिसकी राशि 180.67 लाख रुपये है। इस संबंध में निगम ने आयकर विभाग को शीघ्र रिफंड के लिए पत्र जारी किए हैं और नियमित आधार पर गहनता से अध्ययन कर रहा है। नीपको को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने की अवधि के भीतर यह राशि प्राप्त होने की उम्मीद है।

निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./-
(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

हस्ता./-
(बैद्यनाथ महाराणा)
निदेशक (वित्त) -सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

दिनांक: 14.05.2024
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक - 7

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी है। दिनांक 14 मई 2024 की लेखा परीक्षा के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा संचालित की। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की एक पूरक लेखा परीक्षा संचालित की। पुनः संयुक्त उपक्रम की कंपनियों मेसर्स केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड के निजी संस्थान होने के नाते न तो उनके वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है और न ही इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा की आवश्यकता है। अतः अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6) (क) प्रयोज्य नहीं है। तदनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने इन कंपनियों हेतु न तो वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की और न पूरक लेखापरीक्षा संचालित की। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित की गयी और यह प्राथमिक रुप से वैधानिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे इस अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक बा तें की जा सकें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
तथा उनकी ओर से

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 12 जुलाई 2024

हस्ता./-
(विभुदत्त बसंतिया)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक (माइंस)
कोलकाता

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी है। दिनांक 14 मई 2024 की लेखा परीक्षा के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा संचालित की। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक ऑडिट किया। **इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6) (क) इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक निजी इकाई है, इसलिए उनके वैधानिक ऑडिटर की नियुक्ति और अनुपूरक ऑडिट के संचालन के लिए। तदनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक ऑडिटर नियुक्त किए हैं और न ही इस कंपनी का अनुपूरक ऑडिट किया है।** यह अनुपूरक ऑडिट वैधानिक ऑडिटरों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक ऑडिटरों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे इस अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक बा तें की जा सकें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
तथा उनकी ओर से

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 12 जुलाई 2024

हस्ता./-
(विभुदत्त बसंतिया)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक (माइंस)
कोलकाता

अनुलग्नक 8ए

फॉर्म संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनियों के नियम संख्या 9 के अनुरूप)
(नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014]

सेवा में,
सदस्यगण
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
ब्रूकलैंड कंपाउंड लोअर न्यू कॉलोनी,
जिला. ईस्ट ख़ासी हिल्स, शिलांग
मेघालय, पिन-793003

हमने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' या 'नीपको' कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों और उत्तम कॉर्पोरेट सक्रियाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा संचालित किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से संचालित की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट के व्यवहारों और वैधानिक अनुरुपताओं का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी विचार व्यक्त करने के लिए तार्किक आधार प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी लागू कानूनों के अनुपालन और ऑडिट के आधार पर रिकॉर्ड के रखरखाव पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू ऑडिटिंग मानकों के अनुसार ऑडिट किया है। ऑडिटिंग मानकों के अनुसार ऑडिटर को वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए।

सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत पुस्तकों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों तथा साथ ही कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर की गयी जाँच द्वारा हम प्रतिवेदित करते हैं कि हमारे विचार से 31 मार्च, 2024 ('लेखा परीक्षा') को समाप्त वित्त वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी ने नीचे उल्लिखित सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी ने उचित ढंग से तथा इसके पश्चात किए गये प्रतिवेदन में उचित बोर्ड-प्रक्रियाओं तथा यथासीमा अनुपालन-प्रक्रियाओं का अनुरक्षण किया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत पुस्तकों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणी और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
ii. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम; (लागू नहीं, क्योंकि कोई रिपोर्ट योग्य घटना नहीं हुई)
v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश वर्तमान में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों पर लागू हैं:
    (i) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लागू नहीं, क्योंकि कोई रिपोर्ट योग्य घटना नहीं हुई)
    (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरुनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
    (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; (लागू नहीं)
    (iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; (लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021; (लागू नहीं क्योंकि कोई रिपोर्ट योग्य घटना नहीं हुई)

(vi) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993; (लागू नहीं)

(vii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (लागू नहीं क्योंकि कोई रिपोर्ट योग्य घटना नहीं हुई)

(viii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (लागू नहीं क्योंकि कोई रिपोर्ट योग्य घटना नहीं हुई)

i. निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कानून और नियम, विनियम, निर्देश, दिशानिर्देश, परिपत्र और उनके अंतर्गत बनाए गए निर्देश:

1. विद्युत अधिनियम, 2003;
2. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;
3. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 ("डीपीई दिशानिर्देश") ;
4. विद्युत मंत्रालय के निर्देश और आदेश।

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) कंपनी द्वारा बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के साथ किया गया ऋण सूचीकरण समझौता।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

क) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

ख) कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की न्यूनतम संख्या नहीं थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यक्रम के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जब बैठकें कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थीं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत बोर्ड बैठकों और समिति बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरुप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कामकाज पर कोई विशेष प्रभाव डालने वाली कोई विशेष घटना नहीं घटी, सिवाय इसके कि कंपनी ने कॉल ऑप्शन के प्रयोग पर 300 करोड़ रुपये की राशि के 9.50% XXth श्रृंखला नीपको पीएसयू बांड को भुनाया है।

स्थान: गुवाहाटी
दिनांक: 26th जुलाई, 2024

कृते **नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स**
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सीएस नारायण शर्मा
(प्रोपराइटर)
पीआर. सं.: 1563/2021
एफ़सीएस सं.: 5117 सी पी सं.: 3844
यूडीआईएन: एफ005117F000833551

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांकित के पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुलग्नक 'ए' के रुप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

'अनुलग्नक ए'

सेवा में,

सदस्यगण

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड

ब्रूकलैंड कंपाउंड लोअर न्यू कॉलोनी

जिला : ईस्ट ख़ासी हिल्स, शिलांग

मेघालय, पिन: 793003

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढा जाए।

1) सचिवालय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन सचिवालय रिकॉर्ड पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।

2) मैंनें लेखापरीक्षा अभिलेखों के विषय वस्तु की शुद्धता पर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया का पालन किया है। सचिवालय रिकॉर्ड में सही तथ्य दर्शाए जाने के लिए जांच के आधार पर सत्यापन किया गया है। हमारा मानना है कि हमने जिस प्रक्रिया और पद्धति का पालन किया है वह हमारे विचार व्यक्त करने का उचित आधार प्रदान करता है।

3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा खातों की सत्यता और उपयुक्तता के साथ-साथ विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया है, जैसा कि कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, हालांकि हमने ऐसे रिटर्न में दी गई जानकारी पर एक निश्चित सीमा तक भरोसा किया है।

4) हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।

5) जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

6) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

7) सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

8) आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, यह अपरिहार्य जोखिम रहता है कि कुछ गलतबयानी या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं चल पाएगा, भले ही लेखापरीक्षा की योजना उचित रुप से बनाई गई हो और लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार निष्पादित की गई हो।

9) इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक/एजेंसी/प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि ऊपर उल्लिखित कोई अवलोकन, टिप्पणी और अर्हताएं हैं, तो वे कंपनी के लेखा परीक्षकों/एजेंसियों/प्राधिकारियों द्वारा उनकी संबंधित रिपोर्टों में दिए गए अवलोकनों, टिप्पणियों और अर्हताओं के अतिरिक्त हैं।

स्थान: गुवाहाटी
दिनांक: 26th जुलाई, 2024

कृते **नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स**
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सीएस नारायण शर्मा
(प्रोपराइटर)
पीआर. सं.: 1563/2021
एफ़सीएस सं.: 5117 सी पी सं.: 3844
यूडीआईएन: एफ005117F000833551

वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों का टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर/स्पष्टीकरण
ए)	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं था।	एसोसिएशन के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तदनुसार, नीपको की स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामला विद्युत मंत्रालय के साथ कई बार उठाया गया है तथा यह मामला प्रक्रियाधीन है। अतः यह अपेक्षित है कि सरकार द्वारा नीपको के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी, जिससे नीपको उक्त आवश्यकता का अनुपालन कर सकेगा। यह आश्वासन दिया जाता है कि नीपको अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।
बी)	कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं थी।	कंपनी के एसोसिएशन के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। महिला निदेशक की नियुक्ति में नीपको की कोई भूमिका नहीं है। विद्युत मंत्रालय के समक्ष यह मामला कई बार उठाया गया है तथा यह प्रक्रियाधीन है। यह उम्मीद की जाती है कि नीपको के बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जल्द से जल्द की जाएगी जो नीपको को इसका अनुपालन करने में सक्षम बनाएगी। यह आश्वासन दिया जाता है कि नीपको महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

निदेशक मंडल और उसकी ओर से

हस्ता./-

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00307037

दिनांक: 10-08-2024

स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक– 9

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (एम) के अनुसार,कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित, वर्ष 2023-24 के दौरान ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा आय और व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा संरक्षण

I. ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम:

क. ऊर्जा लेखा परीक्षा:

विद्युत स्टेशन	विवरण
एजिजीबीपीएस	अगस्त 2021 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, गुवाहाटी द्वारा किया गया। तीसरे पक्ष के पैनलबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक के माध्यम से हर तीन वर्ष में कार्यान्वित करने का निर्धारित समय। अगला ऑडिट वित्त वर्ष 2025 में किया जाएगा।
एजीबीपीएस	मैसर्स एमसीजे एनर्जी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2021-22 के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा की। अगला लेखा परीक्षा नवंबर 2024 में किया जाएगा।
केएचपीएस	कोपिली पीएस और खांडोंग पीएस – मैसर्स एनर्जी कंसल्टेंसी सर्विसेज, भुवनेश्वर के माध्यम से मार्च 2024 के महीने में ऊर्जा लेखा परीक्षा की गई।
टीएचपीएस	सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट,बैंगलोर के माध्यम से दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक टीएचपीएस का ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित किया गया।

ख. सहायक विद्युत खपत (एपीसी) : विद्युत स्टेशनों में सहायक विद्युत खपत (एपीसी) को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है:

विद्युत स्टेशन	विवरण
एजीबीपीएस	• एसटीजी के लिए शीतलन जल का रासायनिक उपचार। • एसटीजी के कंडेनसर की सफाई • 12 नंबर की 5-स्टार (15 लीटर) वॉटर हीटर की खरीद। • 14 नंबर की 4-स्टार रेटिंग वाला एग्जॉस्ट फैन की खरीद। • आईई3 फुट माउंटिंग इंडक्शन मोटर की खरीद। • पंप आंतरिक में सिरेमिक आधारित एपॉक्सी ऊर्जा कुशल घर्षण प्रतिरोध कोटिंग की खरीद और अनुप्रयोग। • कोन्वेंटशनल पंखें की स्थान पर 5-स्टार रेटिंग वाले बीएलडीसी (ब्रशलेस डायरेक्ट करंट) पंखे का उपयोग किया गया।
एजिजीबीपीएस	• 20 केडबल्यूपी और 50 केडबल्यूपी का रुफ टॉप सोलर प्लांट लगाया गया है।
टीएचपीएस	• कोन्वेंटशनल ल्यूमिनरीज के स्थान पर ऊर्जा कुशल एलईडी ल्यूमिनरीज लगाए गए।
पीएचपीएस	• आवासीय और गैर-आवासीय भवनों में स्ट्रीट लाइट,आंतरिक लाइट को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट से बदल दिया गया। • मौजूदा कोन्वेंटशनल सीलिङ्ग पंखें को 5-स्टार रेटिंग वाले बीएलडीसी पंखों से बदल दिया गया है, पुराने एसी के स्थान पर 5-स्टार एसी खरीदे गए हैं।
काहेप्स	• कार्यालय भवन और अन्य गैर-आवासीय भवनों में चरणबद्ध तरीके से ट्यूब लाइट फिटिंग को ऊर्जा कुशल एलईडी से बदला गया। • किमी में स्थित स्थायी प्रशासनिक भवन में 3 स्टार इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एसी (32 नंबर) लगाए गए। • पावर हाउस इलैक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल बाड़ों में 3 स्टार विंडो प्रकार एसी (8 नंबर) लगाए गए। • एनआरसी, एचआरडी केंद्र और एनेक्सी प्रशासनिक भवन में 3 स्टार स्प्लिट एसी (23 नंबर) लगाए गए।

ऊर्जा संरक्षण

ग. प्रकाश:

विद्युत स्टेशन/ कारपोरेट मुख्यालय	विवरण
एजीबीपीएस	• कोन्वेंटशनल लैंप के स्थान पर एलईडी लाइट से बदल दिया गया। .
एजिजीबीपीएस	• कोन्वेंटशनल इलेक्ट्रिक लैंप को चरणबद्ध तरीके से एलईडी लैंप से बदल दिया गया।
टीजीबीपीएस	• जीबीसी, आईएपीए और बीएफ़पी भवनों में 150-वाट सोडियम वाष्प लैंप की छिहत्तर (76) संख्या को 45-वाट एलईडी लैंप से बदल दिया गया। इससे 2023-24 में लगभग 35 एमडबल्यूएच ऊर्जा की बचत में योगदान मिला है।
केएचपीएस	• 200 मेगावाट कोपिली पावर हाउस, 220 केवी कोपिली स्विचयार्ड, खांडोंग पीएच, खांडोंग डैम, उमरोंग डैम साइट, कॉलोनी और कार्यालय परिसर में ट्यूबलाइट और हाई मास्ट लाइटिंग को ऊर्जा कुशल एलईडी के साथ बदल दिया गया।
टीएचपीएस	• सभी कोन्वेंटशनल ल्यूमिनरीज के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा कुशल एलईडी ल्यूमिनरीज लगाए गए। • नवनिर्मित ए टाइप एवं बी टाइप भवनों में ऊर्जा कुशल एलईडी ल्यूमिनरीज, बीएलडीसी पंखे लगाए गए। • पांच सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं तथा इस वर्ष चरणबद्ध तरीके से और अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी
पीएचपीएस	• पावर हाउस हाई बे लाइट को एलईडी लाइट से बदल दिया गया है। • स्विचयार्ड एचपीएमवी लाइट को एलईडी लाइट से बदल दिया गया है।
काहप्स	• पावर हाउस सभी एलईडी ल्यूमिनरी वाली रोशनी प्रणाली से सुसज्जित है। • पावर हाउस पहुंच मार्ग पर सभी स्ट्रीट लाइटिंग तथा स्थायी कॉलोनी में एलईडी ल्यूमिनरी के साथ 10 हाई मास्ट लगाए गए हैं। • बिचोम और टेंगा डैम को एलईडी ल्यूमिनरीज से प्रकाशित किया गया है।

घ. ऊष्मा ऊर्जा:

विद्युत स्टेशन	विवरण
एजीबीपीएस	• सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नियमित आधार पर कंडेनसर, कूलिंग टॉवर आदि जैसे शीतलन जल प्रणाली का रासायनिक उपचार किया जा रहा है।

ङ. अन्य:

एजीबीपीएस:

- वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमानित 0.84 एमयू/वर्ष की बचत के साथ एसटीजी के 1 बॉयलर फीड पंप (बीएफपी) की डी-स्टेजिंग।
- बीईई के मार्गदर्शन में आईएसओ 50001: 2018 लागू किया गया।

टीजीबीपीएस:

- नीपको के आर एण्ड डी 5प्रकोष्ठ द्वारा विकसित 'स्मार्ट इल्युमिनेशन कंट्रोलर' को इरेक्टर्स हॉस्टल में स्थापित कर चालू कर दिया गया है।यह इकाई पिछले एक वर्ष से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, जिसने वर्ष 2023-24 में लगभग 230 केडबल्यूएच ऊर्जा की बचत में योगदान दिया है।

च. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

- एजीबीपीएस, असम में, निम्नलिखित कार्य, हालांकि 2017-18 में पूरे हो गए, लेकिन नियमित रूप से उचित और रखरखाव के माध्यम से लाभ अभी भी प्राप्त किया जा रहा है
  - i. ग्रिड रूफ टॉप पर 15 किलोवाट एसपीवीसी पावर प्लांट
  - ii. जीएच-I और II पर सोलर वॉटर हीटर (प्रत्येक 1000 एलपीडी)
  - iii. जीएच I और II प्रत्येक पर 6 केडब्ल्यूपी रूफ-टॉप सोलर पीवी सिस्टम।
- त्रिपुरा के टीजीबीपीएस में रूफटॉप सोलर प्लांट: प्रशासनिक भवन में बैकअप बैटरी बैंक के साथ 10 केडबल्यूपी का रूफटॉप सोलर प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित और चालू किया गया है। सोलर प्लांट अब प्रशासनिक भवन के विद्युत भार को शक्ति प्रदान कर रहा है। 9 मई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक इसने 5.597 एमडबल्यूएच ऊर्जा उत्पन्न की।
- किमी और बिचोम के गेस्ट हाउस में प्रत्येक में 5 केडबल्यूएच सोलर पीवी प्लांट लगाए गए और अरुणाचल प्रदेश के काएचपीएस के किमी गेस्ट हाउस में 1500 लीटर सोलर हॉट वाटर सिस्टम की व्यवस्था।

छ. ऊर्जा की खपत में कमी के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव:

- एजीबीपीएस, त्रिपुरा में टरबाइन दक्षता में सुधार के लिए कंडेनसर ट्यूब सफाई गतिविधि करना।
- एजिजीबीपीएस, त्रिपुरा में डीजी रुम, कार्यशाला और स्टोर रुम आदि में रुफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु अन्वेषण। 2024-25 के दौरान 70 केडबल्यूपी की संभावित क्षमता जोड़ी जाएगी।
- एजिजीबीपीएस, त्रिपुरा की उपलब्ध भूमि पर 500 केडबल्यूपी क्षमता की सोलर सिस्टम लगाने के लिए अन्वेषण किया जाएगा।
- विभिन्न योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2024-25 में 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जैसे: टीएचपीएस, मिजोरम में ऊर्जा की खपत में कमी के लिए कोन्वेंटशनल ल्यूमिनरीज को ऊर्जा कुशल ल्यूमिनरीज से बदला जाएगा।

ज. ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए उपायों का प्रभाव:

वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए ऊर्जा संरक्षण पर विशेष प्रयासों के कारण प्राप्त बचत:

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधियाँ	ऊर्जा इकाई	ऊर्जा बचत	₹ लाख में	टिप्पणी
1	विद्युतीय	एमयू	20.70 (एजीबीपीएस)	1,323.00	मुख्य रूप से कंडेनसर सफाई के बाद एसटीजी-1,2 और 3 के औसत उत्पादन में लगभग 20.62 एमयू की बढ़ोतरी के कारण हुई।
2	विद्युतीय	एमयू	0.12 (टीएचपीएस)	7.05	

आई. वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

- एजीबीपीएस में 1,887.98 लाख रुपये।
- एजिजीबीपीएस में 19.50 लाख रुपये।
- टीएचपीएस में 2.36 लाख रुपये।
- पीएचपीएस में 10.00 (अप्रोक्स) लाख रुपये।

झ. पीएटी साइकिल:

पीएटी साइकिल-II: एजीबीपीएस पर पूर्व समाप्त हुआ।

पीएटी साइकल -VII: वर्तमान में अर्थात वर्ष 2022-25 के लिए एजीबीपीएस पीएटी साइकल-VII के तहत है। पीएटी साइकिल-VII की निगरानी और सत्यापन पूरा होने की अवधि के बाद किया जाएगा।

ख. प्रौद्योगिकी समावेश:

I) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास:

एजीबीपीएस, असम	• मॉड्यूल-1 के एसडबल्यूए-सिस्टम का उन्नयन • एमएचआई गैस टर्बाइनों की सीओ2 बाढ़ प्रणाली का उन्नयन • एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना और कमीशनिंग • 6.6 केवी सीडब्ल्यू पंप मोटर सेट का प्रतिस्थापन। • 245 केवी करंट ट्रांसफार्मर की रेट्रोफिटिंग, परीक्षण और कमीशनिंग • डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर और इवेंट लॉगर (डीआर और ईएल) की खरीद/स्थापना • जीटी#5 के 50 एमवीए नए जेनरेटर ट्रांसफार्मर की कमीशनिंग
एजिजीबीपीएस, त्रिपुरा	• जीटीजी # 3 में नए स्टेटर बार के साथ जेनरेटर स्टेटर की रिवाइंडिंग • जीटीजी # 3 में पुराने जनरेटर रोटर को नवीनीकृत रोटर के साथ बदलना • एसटीजी गवर्नर कंट्रोल सिस्टम में एचएमआई अपग्रेडेशन • जीटीजी # 3 में पुराने जनरेटर कंट्रोल पैनल को नए अपग्रेड किए गए जीसीपी से बदलना। • जीटीजी # 3 में गैस टरबाइन रोटर को नए रोटर से बदलना।

टीजीबीपीएस, त्रिपुरा	• **गैस टर्बाइन में ओएसएम:** गैस टरबाइन के लिए ऑनलाइन सिस्टम मॉनिटरिंग (ओएसएम) सफलतापूर्वक स्थापित और चालू किया गया, जिससे बीजीजीटीएस, हैदराबाद और जीई, यूएसए से ओईएम द्वारा इसकी स्थिति की दूरस्थ निगरानी की अनुमति मिली। यह वास्तविक समय की निगरानी क्षमता निरंतर और कुशल संचालन सुनिश्चित करते हुए दोषों और उसके बाद उत्पादन के नुकसान को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने में सक्षम बनाती है। • **स्टीम टर्बाइन में मैक्स डीएनए:** एसटीजी, एचआरएसजी, एवीआर और जीबीसी की निगरानी और नियंत्रण के लिए पुराने विंडोज एक्सपी आधारित एचएमआई वर्कस्टेशनों को नए आपूर्ति किए गए विंडोज 10 आधारित मैक्स डीएनए वर्कस्टेशनों में अपग्रेड किया गया है, जिससे परिहार्य कारणों से होने वाली उत्पादन हानि के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके। इसके अलावा, अपडेटेड सिस्टम साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है और एसटीजी को साइबर हमलों से सुरक्षित रखती है।
केएचपीएस, असम	• उमरोंग और खंडोंग जलाशयों की अम्लीय प्रकृति का सामना करने के लिए सभी जल प्रवाह घटकों में उचित संक्षारण प्रतिरोधी पद्धति को शामिल किया गया है। • यूनिट और स्विचयार्ड ऑपरेशन के लिए उन्नत एचएमआई। • एनआईएफएस और एलएचएस जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ उन्नत अग्निशमन प्रणाली का समावेशन। • न्यूमेरिकल रिलेज़ बी90 का उपयोग करके ग्रिड आवश्यकता के अनुसार बसबार सुरक्षा प्रणाली का समावेश।स्विचयार्ड और पावरहाउस गेटवे और नेटवर्क पैनल के साथ डेटा ट्रांसमिशन के लिए आरटीयू सिस्टम का उन्नयन. • कोपिली पावरहाउस परिसर में कार्यरत कर्मचारियों के बीच बेहतर और तीव्र संचार के लिए सार्वजनिक संबोधन (पीए) प्रणाली।कूलिंग वॉटर सिस्टम पैनल में डीओएल स्टार्टर्स को सॉफ्ट स्टार्टर्स से बदला गया, जिससे मोटर के लिए आवश्यक स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है।
पीएलएचपीएस, अरुणाचल प्रदेश	• जीआईएस बे के साथ एक 400 केवी, 3x26.667 एमवीएआर बस रिएक्टर को पनयोर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन अरुणाचल प्रदेश (3x135 मेगावाट) में मौजूदा 400 केवी एआईएस स्विचयार्ड के निकट चालू किया गया है। इस स्थापना का उद्देश्य **पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) ग्रिड परिचालन की समग्र प्रणाली स्थिरता** बनाए रखना है।
काहप्स, अरुणाचल प्रदेश	• जेनरेटर ट्रांसफार्मर (जीटी) कूलिंग सिस्टम को वाटर कूल्ड से एयर कूल्ड में बदलने का काम चल रहा है।
टाटो-I, टाटो-II, हेओ, नायिंग, हीरोंग, कुरुंग एचईपी	• कई परियोजनाओं के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (एलआईडीएआर) का संचालन किया गया है।

II) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए।

नई उन्नत प्रणाली से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, समग्र प्रदर्शन में सुधार होगा और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

III) आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) :

2021-22:

- डिजाइन एवं इंजीनियरिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एएनएसवाईएस सॉफ्टवेयर की खरीद।
- एजिजीबीपीएस के लिए जेनरेटर नियंत्रण और सुरक्षा पैनल की रेट्रोफिटिंग।

2022-23:

- शून्य

2023-24:

- शून्य

IV) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय ₹ 2.92 लाख है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय	
विवरण	**राशि ₹ लाख में**
विदेशी मुद्रा अर्जन	-
विदेशी मुद्रा व्यय	118,46.50

नोट: उपरोक्त आंकड़े वर्ष 2023-24 के दौरान विदेशी मुद्रा में वास्तविक अंतर्वाह और वास्तविक बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00307037

दिनांक: 10-08-2024

स्थान: नई दिल्ली

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

(कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रुपरेखा :

स्थापना के बाद से, नीपको ने हमेशा अपने परिचालन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रुप में, नीपको ने विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियों शुरु की हैं, विशेष रुप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य सामुदायिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में।

मिशन

समाज और पर्यावरण की चिंता के साथ मानवीय मूल्यों के पोषण के लिए एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बनना।

विजन

पृथ्वी और जिन समुदायों में हम रहते हैं,उन पर सतत प्रभाव बनाना।

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रुपरेखा इस प्रकार है:

- नीपको ने कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, एमसीए के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 दिनांक 18.06.2014 और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एक 'सीएसआर नीति' तैयार की। नीपको 'सीएसआर नीति' को निदेशक मंडल द्वारा 10.02.2023 को आयोजित अपनी 276वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया है।
- नीपको सीएसआर नीति, अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रुप से सतत तरीके से पारदर्शी और नैतिक तरीके से संचालित करने के लिए अपने हितधारकों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है। तदनुसार, सीएसआर गतिविधियों का निर्धारण करते समय इसके परिचालन क्षेत्र यानी परियोजनाओं/संयंत्रों/कार्यालयों के आसपास के हितधारकों को प्राथमिकता दी गई है।
- नीपको ने अपनी सीएसआर नीति के अनुरुप (क) शिक्षा को बढ़ावा, (ख) स्वास्थ्य देखभाल, (ग) उद्यमिता और कौशल विकास, (घ) स्वच्छ भारत अभियान, (ङ) ग्रामीण क्षेत्र विकास पर विशेष जोर दिया है।
- सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर पहलों को दो स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से प्रशासित किया जाता है:
  - सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति (टीयर-I)
  - सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति से नीचे (टियर- II)

सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति के नीचे (टियर-II) एक समिति है जिसमें मानव संसाधन, तकनीकी और वित्त विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो प्रस्तावों की जांच करते हैं और बोर्ड स्तरीय समिति की आगे की सिफारिशों के लिए और सैद्धांतिक रुप से नोडल अधिकारी निदेशक मंडल की मंजूरी के लिए अपनी संस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं	निदेशक का नाम	पद का नाम/ निदेशक पद की प्रकृति	समिति में निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
1	श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक	2	2
2	श्री रनेन्द्र शर्मा	कार्यपालक	2	2
3	मेजर जनरल राजेश कुमार झा, एवीएसएम** (सेवानिवृत्त) #	कार्यपालक	1	1
4	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर-कार्यपालक	2	2
5	डॉ. विवेकानद पासवान	स्वतंत्र निदेशक	2	2

 # वर्ष के दौरान नियुक्त

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया गया है।

(i) https://neepco.co.in/sustainable-development/csr

(ii) https://neepco.co.in/corporate-governance-updates

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ क्रियात्मक सारांश प्रदान करें।

लागू नहीं।

5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ = ₹ 381,48,78,017.00

(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत = ₹ **7,62,97,560.00**

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष = **शून्य**।

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो = **शून्य**।

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) +(ग) -(घ)] = ₹ **7,62,97,560.00**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों) = (₹ 1,91,94,338.00 + ₹ 3,39,90749.00) = ₹ **5,31,85,087.00**

- प्रशासनिक शीर्ष पर खर्च की गई राशि: शून्य
- प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि,यदि कोई हो: शून्य
- वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क) + (ख) + (ग)] = ₹ **5,31,85,087.00**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	खर्च न की गई राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि (रु. में)	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि (रु. में)	स्थानांतरण की तिथि
3,39,90749.00	4,09,44,940.92	30.04.2024	पीएम केयर्स फंड	14,84,623.00	30 सितंबर 2024 के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रं.सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।	7,62,97,560.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	3,39,90749.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii) -(i)]	शून्य
(iv)	सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii) -(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्रं. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि (₹ में)	01.04.2023 तक धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु- में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो,		* आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि वित्तीय वर्ष (रु. में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि		
1	2020-21	5,44,72,174.00	14,27,499.00	14,27,499.00	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
2	2021-22	4,52,64,416.00	81,84,692.00	30,76,270.00	लागू नहीं	लागू नहीं	51,08,422.00	शून्य
3	2022-23	1,99,41,876.00	1,99,41,876.00	1,66,22,098.00	लागू नहीं	लागू नहीं	33,19,778.00	शून्य
				2,11,25,867.00	लागू नहीं	लागू नहीं	84,28,200.00	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है:

हाँ नहीं : नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	निर्माण की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
लागू नहीं							

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित होने के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाओं को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें : **लागू नहीं**

हस्ता./-
(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00307037

हस्ता./-
(बिमल चंद ओसवाल)
अध्यक्ष
सीएसआर समिति
डीआईएन : 03286483

हस्ता./-
(अरुप सैकिया)
मुख्य महाप्रबंधक (सीएसआर)
नोडल अधिकारी - सीएसआर

दिनांक: 10-08-2024

स्थान: नई दिल्ली

नोट्स

नोट्स

2023-24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों की झलकियां

मिजोरम के कोलासिब जिले के सैफाई ग्राम परिषद को एम्बुलेंसप्रदान की गई।

ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन (एएपीएसयू) कॉन्फ्रेंस हॉल, ईटानगर, पापुम पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश का निर्माण एवं सजावट।

बालिका सशक्तिकरण मिशन (जीईएम) 2024 के अंतर्गत एजिजीबीपीएस, अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा में ललित कला पर सत्र आयोजित किया गया।

असम के डिमा हसाओ जिले के 3केएमगरमपानी स्थित कार्मेल स्टैंडर्ड स्कूल में केएचपीएस द्वारा निर्मित नए क्लास रुम को सौंपा गया।

मिजोरम के कोलासिब जिले के उत्तरी हिमेन में एमएचपी भवन का निर्माण।

सीपेट, अगरतला, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से ओल्ड अगरतला, आर.डी ब्लॉक के 20 बेरोजगार युवाओं के लिए 3 (तीन) महीने का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (मशीन ऑपरेटर एसिस्टेंट इंजेक्शन मोल्डिंग) का आयोजनकिया गया।

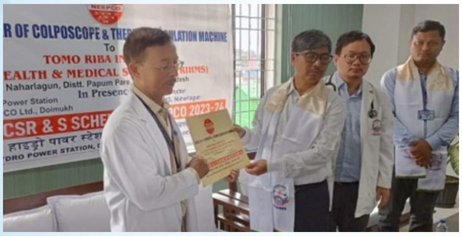

टोमो रीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (टीआरआईएचएमएस), नाहरलागुन, जिला-पापुमपारे अरुणाचल प्रदेश को थर्मोकोएग्युलेटर के साथ डिजिटल कोलोस्कोप प्रदान किया गया।

सिटीजन्स फाउंडेशन, शिलांग, मेघालय द्वारा संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), इचामती को एम्बुलेंस प्रदान किया गया।

ओल्ड अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा जिले त्रिपुरा के 20 बेरोजगार युवाओं के लिए सीपेट, अगरतला के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजनकिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) याजली, अरुणाचल प्रदेश का निर्माण।

भारत सेवाश्रम संघ शिलांग शाखा की चिकित्सा इकाई को उन्नत करने के लिए फिजियोथेरेपी मशीनें उपलब्ध कराया गया।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

शेड्यूल-ए, मिनीरत्न श्रेणी-1, भारत सरकार का उद्यम

पंजीकृत कार्यालय: ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कालोनी, शिलांग 793 003, मेघालय

वेबसाइट: www.neepco.co.in

सीआईएन : U40101ML1976GOI001658